राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का अड़तीसवां दिवस [संख्या : 18

गुरुवार

3 मई, 2001

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी, जन्मदिन पर आपको बहुत-बहुत बधाई सभी माननीय सदस्यों की तरफ से।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोटि-कोटि बधाई हो सदन की ओर से। भगवान आपको लम्बी उम्र दे।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : रामस्वरूपजी, आप सबकी तरफ से देकर आओ मुख्य मंत्रीजी को।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया :

स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्वाः

स्वस्ति नः पूषाः विश्वेदाः

स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टाने

मिहि स्वस्ति नो बृहस्पतिदर्धातु

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री जगत सिंह दायमा : यह दलितों से जुड़ा हुआ मामला है। ढंग से जवाब देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दलित हमसे जुड़े हुए हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं भी जुड़ा हुआ हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो गलतफहमी में हो।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं जुड़ा हुआ?

सिरोही में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दर्ज मुकदमे

357. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सिरोही द्वारा वर्ष 2001 में अब तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत किन कारणों से किन किन व्यक्तियों के निर्माण कार्य तोड़े?

(2) उक्त नगरपालिका की उक्त कार्यवाही के विरुद्ध किस-किस व्यक्ति ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया और उक्त मुकदमे किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज

(श्री संयम लोढ़ा)

कराये गये? क्या अदालत के ज़रिये पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज हुआ?

(3) उक्त नगरपालिका की उक्त कार्यवाही से प्रभावित कितने नागरिकों ने अदालत से स्थगन प्राप्त किया? उक्त में कितने व्यक्तियों से कितने वर्षों तक नगरपालिका के केबिन के रूप में किराया वसूल किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या वर्ष 2000 में नियमन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं?

(4) क्या उक्त कार्यवाही के पूर्व व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था? उक्त प्रत्येक प्रकरण में दिये गये नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें। तोड़ फोड़ के दौरान पालिका के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे? धारा 203 के नोटिस किसके द्वारा दिये गये?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) नगरपालिका-सिरोही द्वारा वर्ष 2001 में आम रास्ते खुलवाने, आम नागरिकों के आवागमन की सुविधा एवं सड़क व नाला, नाली के निर्माण हेतु हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट नम्बर-1)

(2) एक मुकदमा श्री सुरेश चन्द माहेश्वरी, अधिशासी अधिकारी, श्री अभय सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक, श्री सन्नी एलियास, सर्वेयर के विरुद्ध (एट्रोसिटी एक्ट में) दर्ज हुआ है। (परिशिष्ट नम्बर-2)

(3) पालिका की उक्त कार्यवाही के विरुद्ध सात व्यक्तियों ने अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं इनमें से सिर्फ एक श्री नैनाराम माली का दिनांक 10.12.79 से 31.3.89 तक का किराया वसूल किया गया है। अन्य किसी व्यक्ति की किरायेदारी नहीं है। वर्ष 2000 में नियमन के चार आवेदन प्राप्त हुए थे।

(4) समाचार पत्रों एवं आम सूचना तथा व्यक्तिगत रूप से भी अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने हेतु समझाया गया था। उक्त अतिक्रमण आपसी समझाइश व सहमति के आधार पर हटाये गये। तोड़ फोड़ के दौरान मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :—

श्री सुरेश चन्द माहेश्वरी	—	अधिशासी अधिकारी
श्री अचलदास दिवाकर	—	स्वास्थ्य निरीक्षक
श्री अभय सिंह	—	सहायक राजस्व निरीक्षक
श्री सन्न एलियास	—	सर्वेयर
श्री पुखराज	—	हल्का जमादार व अन्य सफाई कर्मचारी

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि आपसी समझाइश और सहमति के

(श्री संयम लोढ़ा)

आधार पर यह अतिक्रमण हटाये गये। यह दरअसल इस बात को छिपाने का प्रयास है कि कानून में जो धारा 203 का प्रावधान है, जिसमें नोटिस देने का प्रावधान है, वह नोटिस इन्होंने दिया नहीं और जब इनका अमला वहां पर निर्माण तोड़ने के लिए गया तो भारी पथराव हुआ। वहां पर जो किराये की क्रेन ये लाये थे उन क्रेन के कांच टूट गये और उस क्रेन वाले ने आगे लगाने से मना कर दिया तब जाकर यह कार्यक्रम बन्द हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का प्लान राज्य सरकार से अनुमोदित करवाने के बाद ही कार्यवाही करें?

दूसरा, सिरोही नगरपालिका ने गत वर्ष किस तारीख को प्लान जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया और उस पर जिला कलक्टर ने क्या निर्णय किया? वर्तमान अभियान में जितने भी निर्माण ध्वस्त किये गये हैं क्या उक्त प्लान में एक भी इनमें से अतिक्रमण के नाम पर चिह्नित किया गया था? यदि नहीं, तो प्लान में बताये निर्माण नहीं तोड़कर गोइली रोड के निर्माण, जो बाइस वर्ष पूर्व के हैं उन्हें हटाने के क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा छह सवाल पूछे गये हैं और मैं एक-एक का उत्तर देता हूं। पहला सवाल आपका यह था कि क्या यह, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी समझाइश और उनको राजी करके ही अतिक्रमण हटाये गये हैं। मेरा कहना यह नहीं है कि सौ प्रतिशत अतिक्रमण जिन लोगों के हटाये गये हैं वह कोई सारे के सारे राजी हो गये हैं लेकिन मैं आपके सामने यह इतने दस्तखत पेश करना चाहता हूं जिनकी कि सहमति है। दस बीस दस्तखत इसमें हैं, दस बीस दस्तखत इसमें हैं और यह कुल मिलाकर के नब्बे...

श्री देवीसिंह भाटी : यह सिरोही में आपके सारे अंगूठे वाले ही हैं क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दस्तखत भी हैं इसमें। अंगूठे भी हैं, दस्तखत भी हैं। वह तो साक्षरता मंत्रीजी से पूछो आप कि साक्षरता का कितना वह चल रहा है वहां।

करीब-करीब नब्बे प्रतिशत लोगों की आम सहमति से यह अतिक्रमण हटाये गये हैं। दूसरा सवाल आपका था कि धारा 203 में इनको नोटिस दिये जाने का प्रावधान है। मेरा खयाल है आपने धारा 203 पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी होगी तो मैं पढ़कर बता देता हूं कि क्या प्रावधान हैं और क्या प्रावधान नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, धारा 203 का सब सैक्शन-3 है "The Board or any Officer authorised by it in this behalf shall have power to remove any such obstructions or encroach-

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

ment and expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said obstruction or encroachment." अब नोटिस के प्रावधान का मैं बता देता हूं कि नोटिस कहां देना आवश्यक होता है। इसका सब सैक्शन-10 है। इसमें लिखा हुआ है— "No order of confiscation of a property shall be made under sub-section 9 unless the owner of such property or the person from whom it is seized or attached is given.

A Notice in writing informing him on the grounds on which it is proposed to confiscate the property."

जहां पर अतिक्रमी की प्रोपर्टी को जब्त करने का प्लान हो, यह तय कर ले अफसर कि यहां पर इस प्रोपर्टी को जब्त किया जाय, जब्त करना हमारे लिए आवश्यक है, नोटिस वहीं दिया जाता है। इसमें जो भी अतिक्रमण की कार्यवाही की गयी इसमें कोई भी प्रोपर्टी उनकी जब्त नहीं की गयी। इसलिए नोटिस देने की आवश्यकता थी नहीं।

आपने एक सवाल पूछा कि कलक्टर को आपने आदेश दिये थे तो प्लान बनाओ और राज्य सरकार की स्वीकृति लो। कलक्टर ने, यह नगरपालिका के मण्डल का एक सर्वसम्मति का प्रस्ताव था कि अतिक्रमण हटाया जाय। उस पर वह कलक्टर के पास गये और कलक्टर ने एक मीटिंग की, मीटिंग करके एक प्लान यहां पर भेजा। यह बात सत्य है कि जो प्लान उन्होंने यहां पर भेजा, राज्य सरकार की अनुमति के लिए उसमें कुछ कमियां थीं और कमियां थीं तो वह प्लान लौटा दिया गया। लौटाने के बाद वह प्लान कभी आया नहीं और नगरपालिका के मण्डल ने यह अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। जो कि उनका वैधानिक अधिकार है। यह पावर, अतिक्रमण हटाने की पावर, जैसा मैंने आपको 203 में बताया बोर्ड में वैस्ट करती है और बोर्ड किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है, इसमें आथराइज कर सकता है।

नम्बर चार, आपने लिखा है कि चिन्हित किया गया था या नहीं किया गया था। बाकायदा चिन्हित किया गया और चिन्हित ही नहीं किया गया, इतनी आम सूचनाएं अखबारों में प्रकाशित की गयीं और कोई राजस्थान का ऐसा बड़ा अखबार नहीं है जिसमें कि यह सूचनाएं नगरपलिकाओं के द्वारा दी गयी कि वह अतिक्रमण हटा दिये जावे। यह देख लीजिए। नम्बर एक, नम्बर दो, नम्बर तीन, नम्बर चार, नम्बर पांच, नम्बर छह, नम्बर सात, नम्बर आठ, आठ अखबारों में लगातार नगरपालिकाओं के द्वारा यह आम सूचना निकाली गयी कि यहां-यहां, इन-इन सड़कों पर अतिक्रमण हैं और इनको इस-इस दिनांक तक हटा लिया जाये।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आखिरी सवाल आपका यह था कि क्या कारण थे? मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि सुगम आवागमन में अगर अवरुद्धता है, राइट आफ वे में अगर किसी चीज का निर्माण कर लिया जाता है तो उसको हटाने का प्रावधान है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह किया था कि जो एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया था, आपने यह जो अतिक्रमण हटाये हैं, क्या उनमें से एक भी एक्शन प्लान में था? जो अतिक्रमण एक्शन प्लान में थे वह तो आपने हटाये नहीं और यह अतिक्रमण हटाये हैं। आप अपने जवाब में कह रहे हैं कि नैनाराम माली का किराया आपने 1979 से 1989 तक वसूल किया। आज तक उसकी दुकान वहां पर कायम है। आपके एक्शन प्लान में उसका नाम नहीं है। आप जवाब में यह कह रहे हैं कि वह किरायेदार है और आप अपने जवाब में यह भी कह रहे हैं कि आपने उसका निर्माण तोड़ दिया। जब वह आपका किरायेदार है तो आपने उसका निर्माण क्यों तोड़ा?

अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि गोइली रोड जो राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पड़ता है एक बड़े लैण्ड माफिया की उधर जमीन पड़ती है और सिरोही नगरपालिका के चेयरमैन ने 10 लाख रुपये ले करके वह रोड का रास्ता खुला करने के लिए यह सारे निर्माण तोड़े हैं और इसका जवाब इसमें मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो भी कार्यवाही करे, कार्यवाही करने पर एतराज नहीं है, यह जितने भी निर्माण तोड़े हैं या तो भीलों के हैं या मीणों के हैं या मेघवालों के हैं। एक तरफ तो राज्य सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी कच्ची बस्तियों का नियमन कर रहे हैं, लोगों को पट्टा दे रहे हैं और दूसरी तरफ सिरोही में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का अत्याचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर कर रहे हैं। 22 साल से जो लोग दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, आज वहां पर 12 दुकानें हैं। 100-100 मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम यह लोग कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि हमने सब कुछ सही किया।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में प्रश्न पूछिये...(व्यवधान) मंत्रीजी रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे जवाब दे लेने दीजिये। आपका भी जवाब दूंगा। इनका जवाब पूरा हो जाने दीजिये। आपका भी तसल्ली से दूंगा।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जिला कलक्टर ने प्लान राज्य सरकार के पास अप्रूवल के लिये भेजा। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर था, वह आर्डर इस परिप्रेक्ष्य में निकाला था कि जगह-जगह से यह शिकायतें आती थी कि लोकल अथारिटी पक्षपात कर रही हैं तो हमने यह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर दिया था कि किसी भी जगह जिला मुख्यालय पर अगर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है तो उसको राज्य सरकार को दिखा लिया जाये, उसकी अप्रूवल ले ली जाये। असल में देखा जाये तो एक्ट में प्रोविजन यह है कि यह बोर्ड का अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर एक्ट के ऊपर नहीं होता।

दूसरी बात आपने नैनाराम माली की कही तो आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि उसका किराया सिर्फ 1989 तक जमा है।

श्री संयम लोढ़ा : उसके बाद में आपने ना तो किरायेदारी समाप्त की और ना उसका किराया उससे लिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1989 तक की उसकी रसीदें आपने मुझे भी दी हैं। यह आप स्वीकार करते हैं। 1989 के बाद में उसने कोई किराया जमा कराया?

श्री संयम लोढ़ा : उसने ना केवल किराया जमा कराने की पचासों आपको दरख्वास्त दीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दे दीं होंगी।

श्री संयम लोढ़ा : इसके अलावा नियमन के लिये भी आपको आवेदन किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन जमा नहीं हुआ। वह अतिक्रमी है।

एक माननीय सदस्य : इंटेंशनली लिया नहीं गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तीसरी बात आपने कही कि भील थे, मीणा थे, शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी थे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि अतिक्रमी की कोई जाति नहीं होती। जो अतिक्रमी है, जो अपराधी है उसके खिलाफ कानून अपने हिसाब से काम करता है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जिस जगह के निर्माण हटाये हैं क्या वह जमीन आपकी है? क्या वह जमीन आपके खाते में दर्ज है? उस जमीन पर आपकी नगरपालिका का कोई स्वामित्व है? (व्यवधान) आपके रिकार्ड में दर्ज हो तो आप बता दीजिये...(व्यवधान) राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास पर लैण्ड है और

(श्री संयम लोढ़ा)

आपका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सिरोही नगरपालिका के चेयरमैन ने भू-माफिया से मिल करके बिना अधिकार के वह निर्माण हटाया है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : दलितों और एस.सी., एस.टी. के तोड़ दिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने एक शिकायत दर्ज की, वह शिकायत भी अतिक्रमण अभियान के बाद की दर्ज है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य, बैठिये...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ महीने पहले और दो महीने पहले सारे डाकुमेंट, ए.सी.एम. कोर्ट का फैसला, एस.डी.एम. कोर्ट का फैसला, रेवेन्यू अपीलेंट अथोरिटी का फैसला, कलक्टर का फैसला सारे मंत्री महादेय को प्रस्तुत किये हैं और आज डेढ़ महीना निकलने के बाद भी माननीय मंत्री महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बिना अनुमति के नहीं पूछ सकते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा भी सवाल है, कर लेने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह आपने शिकायत दर्ज की है उस पर बाकायदा इंक्वायरी बैठाई है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मि. जगत सिंह दायमा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप जिन लोगों के लिये कह रहे हैं कि वह लोग अपनी निजी जमीन पर बैठे हुए थे, यह भी मामला देखा जा रहा है और मैं आपको अध्यक्ष महोदय के मार्फत यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर ऐसे केसेज पाये गये तो उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जायेगा। अगर नगरपालिका मण्डल ने किसी प्रकार का पक्षपात इस पूरे अभियान में किया है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सम्पत्ति ही नहीं है। आपकी भूमि नहीं है और आपने अतिक्रमण बता करके हटा दिया। वह लैण्ड आपकी है ही नहीं, ना आपके रिकार्ड में दर्ज है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको कह चुका हूं कि वह राइट आफ वे में है।

श्री संयम लोढ़ा : राइट आफ वे में कैसे है? जब आपको हक नहीं है, आप मालिक नहीं हैं तो आपने कैसे निर्माण तोड़ दिया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच हो जाने दीजियेगा, सामने आ जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : आपको डेढ़ महीने पहले लिखकर दिया। अभी तो आप कह रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डेढ़ महिना क्या, जांचों में सालों लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई जांचे बैठाई थी।

श्री जगत सिंह दायमा : झगड़ा क्यों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय, यह गरीब लोगों का सवाल है जो दिन-रात मेहनत करके अपनी रोटी खाते हैं। आप अगर उनकी छत, झोंपड़ी हटा देंगे तो क्या वह सड़क पर रहेंगे। आप डेढ़ साल लगा देंगे उनकी जांच के अन्दर तो वह कहां पर रहेंगे? हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन गरीबों की छत के लिये कोई माकूल कार्यवाही करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो पुनर्वास की पात्रता रखते हैं उनका पुनर्वास किया जायेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, जो अभी तक कह रहे थे कि मेरे साथ ज्यादा दलित हैं, कुल कितने मकान इस कार्यवाही में तोड़े और उसमें एस.और एस.टी के कुल कितने मकान थे? आप कह रहे थे कि हमारे साथ बहुत दलित हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से हैं दलित और एस.टी. के लोग? गरीब लोगों के तोड़ दो, मार दो और पीट दो और हम बोलते हैं तो हमारे साथ हैं। आपके साथ हैं यह?

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे जवाब देने दीजिये। यह लिस्ट मैंने पेश की है। चूंकि आप दलितों के एक्सपर्ट हो, आप ही देख लो कि कितने दलित हैं और कितने दूसरे हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से यह निवेदन किया है कि आपकी जमीन नहीं है और आपने निर्माण तोड़ दिया। इस बात का कोई जवाब देना ही नहीं चाहते। नगरपालिका की जमीन नहीं है, रिकार्ड में दर्ज नहीं है और इन्होंने निर्माण तोड़ दिये।

श्री परसादी लाल (लालसोट) : उनका सवाल पूरा हो जाने दीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : आप हमेशा मेरे को क्यों टोकते हो, आपने ठेका ले रखा है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : किराया भी दिया हुआ है। इसके अलावा लैण्ड इनकी नहीं है...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मंत्री बनने के बाद ठेका ले लिया क्या आपने हर मामले में? ज्यादा ही अपने आपको होशियार समझते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठहरिये, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि नगरपालिका की जमीन थी...(व्यवधान) उसमें अतिक्रमण था...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : यह क्या बात हो गयी...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 1989 के बाद इन्होंने किराया नहीं लिया।

श्री परसादी लाल : यह क्या बात है...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप मंत्री हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य, आप सुनिये...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : एम.एल.ए. का अधिकार है, एम.एल.ए. कोई भी अपनी बात कह सकता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता यह कह रहे हैं कि यह म्यूनिसिपेलिटी की जमीन नहीं है और अगर नहीं है तो आप इसकी जांच करवा लीजिये...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप अध्यक्ष हैं क्या विधान सभा के? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप बाद में पूछ लेना...(व्यवधान) आप कौन होते हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे सकते हैं...(व्यवधान) मैं सदस्य हूं विधान सभा का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जांच करा लीजिये कि यह अतिक्रमण हुआ है, जमीन म्यूनिसिपेलिटी की है या नहीं है...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप मंत्री होंगे...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देनी है आप कौन होते हैं व्यवस्था देने वाले? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : मैंने यही कहा था उनका पूरा हो जाने दीजिये...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : + + +

श्री परसादी लाल : + + + (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : बिना मतलब ही, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा है...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप क्या कर लेंगे...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मैं अध्यक्षजी से व्यवस्था मांग रहा हूं...(व्यवधान) आप बीच-बीच में कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्षजी को व्यवस्था देनी है...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : + + + (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सदन का तरीका है...(व्यवधान) और मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं...(व्यवधान) इनको मुख्य मंत्रीजी का भी डर नहीं रहा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य मंत्रीजी की हया, शर्म नहीं रही, क्या हाल हो गया...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि हमारे वर्ग का व्यक्ति चाहे मंत्री है...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप मंत्री हो गये टोकने के लिये...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और चाहे केबीनेट मंत्री हैं...(व्यवधान) परन्तु उस मंत्री को भी दबाया जाता है...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप मंत्री हो गये तो क्या दबायेंगे एम.एल.ए. को... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय परसादी लालजी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत बढिया...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मैं अध्यक्षजी, से कह रहा हूं...(व्यवधान) आप कह रहे हैं बैठ जायें।

श्री परसादी लाल : + + + (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप मनुवादियों द्वारा एक मंत्री जो एस.टी. का है उसको भी दबाया जा रहा है। यह है मनुवाद मंत्री की भी इनको परवाह नहीं है, वह एस.टी. का है... (व्यवधान) एस.टी. का है इसलिए दबा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर नगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं थी तो 10 वर्ष तक किस हैसियत से किराया लिया ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक नीतिगत प्रश्न पूछना था। आपने मुझे अलाउ भी किया था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे मेरी दरख्वास्त है। मुझे एक चीज का जवाब दे लेने दीजिये। माननीय लोढ़ा साहब ने एक बात पूछी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द व्यास (मालपुरा) : आपने कहा है कि 1989 तक किराया जमा कराया और 1989 के बाद किराया जमा नहीं कराया। मंत्रीजी, कानून में किरायेदारी कभी अतिक्रमी होता ही नहीं है। आपने यह कैसे कह दिया कि अतिक्रमी है ? Once a tenant is always a tenant. आप ड्यू प्रासेस आफ ला से इविक्ट कर सकते हैं। आपने एक बार किराया ले लिया तो किराया जमा कराया या नहीं कराया, इसका कोई सवाल नहीं। किराया जमा नहीं कराया तो आप बेदखल कीजिए उसको। (व्यवधान) डिफाल्टर है वह। किराया देने वाला आदमी, अतिक्रमी नहीं हो सकता, यह बिलकुल फण्डामेंटल बात है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : गरीबों के मकान तो तोड़ दिए अगर कोई पूंजीपति का होता तो नहीं टूटता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नैनाराम माली नगरपालिका, सिरोही का किरायेदार था। उसने 1989 तक अपना किराया जमा कराया लेकिन जिस केबिन का वह किरायेदार था उसको अतिक्रमण करके आगे बढ़ा लिया तो यही कारण है कि जो बढ़ा हुआ पोर्शन है उसको तोड़ा गया, उसके केबिन का आधा पोर्शन आज भी मौजूद है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाकी का यथावत है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाकी का है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिसका किराया देता था, वह यथावत है?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या यह जमीन नगरपालिका की थी? जो आपने तोड़ा था निर्माण, वह नगरपालिका की ज़मीन थी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिस पार्ट के लिए, जिस केबिन के लिए नगरपालिका ने किराया वसूल किया, मंत्रीजी, आपका कहना है कि आगे बढ़ाकर उसने उस पर अतिक्रमण किया। कब आपने अतिक्रमण हटाया और उस अतिक्रमण को हटाने में उस निर्माण को ध्वस्त किया तो जो मूल स्वरूप का किराया चार्ज करते थे उसको टच नहीं किया न? उसके कब्जे में है या नहीं आज? या आपने पूरा बेदखल कर दिया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप चाहें तो सबूत मेरे पास है। मैं यह बता सकता हूं कि कितनी जगह पर अतिक्रमण कर रखा था और केबिन कहां थी और जिसको तोड़ा था वह अतिक्रमण का पोर्शन था। आप चाहें तो उसका सबूत पेश कर सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सबूत नहीं, आपकी बात को मानेंगे। मंत्रीजी, आप जिम्मेदार मंत्री हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी बात को मान लेंगे हम तो, फेस वेल्यू भी मानेंगे, आप जो बता देंगे, वह मान लेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी बात पर जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री संयम लोढ़ा : 1989 के बाद किराया आपने इसलिए नहीं लिया कि आपको यह मालूम पड़ गया था कि वह जमीन आपकी नहीं है, रेवेन्यू कोर्ट में वह मैटर पेंडिंग है आज भी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनिए आप। सैक्शन 203 में नगरपालिका को यह पूरा अधिकार है कि जमीन चाहे नगरपालिका की हो चाहे किसी की भी हो, अगर अतिक्रमी ने उस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है तो उसको हटा सकती है। आपने जो नोटिस की बात की (व्यवधान)...।

श्री संयम लोढ़ा : नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नेशनल हाईवे भी नगरपालिका की सीमा में आता है।

श्री संयम लोढ़ा : पी.डब्ल्यू.डी. की लैण्ड है आपकी लैण्ड है ही नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात तो सुनिए। आपने नोटिस की बात की। धाराओं में प्रावधान है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 203, नगरपालिका एक्ट को अगर पढ़े तो मेरा ख्याल है जो कुछ मंत्री महोदय फरमा रहे हैं, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है उस सैक्शन में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या नहीं लिखा हुआ है? बताइए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : विदिन दी लिमिट्स आफ दी म्यूनिसिपेलिटी, यह है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : म्यूनिसिपेलिटी, ...(व्यवधान) ...के अन्दर, की बात है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यह नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको जानकारी नहीं है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : वह चेलैंज कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल एक्ट में नहीं है। आपने कहा कि म्यूनिसिपेलिटी की जमीन हो या नहीं हो, कहीं भी हटा सकते हैं, आपका फरमाना यह है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आपस में नहीं।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसी सदन में पिछले सत्र के अंदर इन्होंने कुछ नीतिगत फैसलों के बारे में कहा था, जिसका रिकार्ड सदन की प्रोसीडिंग में है। जिसमें मंत्रीजी ने अपने रिप्लाई में इस सदन को यह आश्वस्त किया था कि राजस्थान भर में जो भी नगरपालिका सीमाओं में आने वाले राजमार्ग हैं, मैंने इसी सदन में इस मामले को रखा था, राजमार्ग चूंकि पहले बनें हुए थे, उस समय नगरपालिकाओं की सीमाएं वहां तक नहीं पहुंची थी। अब सारी नगरपालिकाओं की सीमाएं राजमार्गों को क्रोस कर गई हैं और वह सिटी में आ गए हैं।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया वह पूरे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, सभी नगरपालिकाओं की सीमाएं राजमार्गों को पार कर गई हैं और वे बीच में आ गए हैं और जैसा मंत्री महोदय, ने कहा कि पहले जहां-जहां तोड़े गए हैं, वहां पहले नोटिस दिए जाएंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कई जगह ऐसी भी हैं जहां नोटिस नहीं दिए गए है। मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं कि करौली में ऐसे कोई नोटिस नहीं दिए गए। नगरपालिकाओं को जो अधिकार है, जो पावर हैं अतिक्रमण

(श्री जनार्दन गहलोत)

हटाने के, नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा ही नहीं जिला कलक्टर को, राजस्थान में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नीतिगत प्रश्न पर यह फैसला दिया था कि पहले सर्वे होगा, चिह्नित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नीतिगत नहीं हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, नीतिगत उत्तर आ जाएगा।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न साथ-साथ पूछ लूं। आपने यह जयपुर शहर के लिए भी कहा था कि जो सीमाओं में मकान आएंगे, एक जगह को चिन्हित किया है तो उस सीमा में उस एरिये की सीमा से, दूसरे कोने तक मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। आज भी आपका जे.डी.ए., नगरपालिका उस सीमा से...

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं मंत्रीजी ने।

श्री जनार्दन गहलोत : आपका खुद का आश्वासन दिया हुआ है। मंत्री महोदय, आपके अधिकारी उसके ऊपर...

श्री जगत सिंह दायमा : एस.सी., एस.टी. के कितने मकान ध्वस्त किए, मैं इनसे पूछ रहा हूं 46 तोड़े हैं, 46 में से एस.सी., एस.टी. के कितने-कितने तोड़े यह बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह 46 कौन-कौनसे हैं, वह लिस्ट बता दो आप?

श्री जगत सिंह दायमा : वह लिस्ट आपके पास भी पड़ी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह लिस्ट आपके पास भी पड़ी है, आप बता दो।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, आप बताएं कि एस.सी., एस.टी., के कितने तोड़े?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मेरे पास फिगर्स नहीं हैं एस.सी., एस.टी. के कितने तोड़े।

श्री जगत सिंह दायमा : फिगर्स नहीं हैं। आपने तोड़े ही एस.सी., एस.टी., के गरीब लोगों के, ओ.बी.सी., तीनों के तोड़े हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विराजो। अब तो विराजो। आप मुझे इनकी बात का जवाब तो देने दो।

श्री जगत सिंह दायमा : अब इसमें कह दो कि गलती हो गई? नहीं तोड़ेंगे दुबारा से।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टूटेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : टूटेंगे तो सिर फूटेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां तो फूटने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह केबीन का मामला है, मकान कहां से आ गए? मकान नहीं थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, वैसे तो वह इस प्रश्न के बाहर की बात है। लेकिन फिर भी निवेदन कर देता हूं कि जैसा आप कहते हैं कि आपने नीतिगत फैसला किया था। यह नीतिगत फैसले का सवाल पैदा नहीं होता। सैक्शन 170 में अगर गौर करें, अगर निजी भूमि भी है और निजी भूमि में वह निर्माण बिना स्वीकृति के करता है तो नोटिस देना आवश्यक होता है। जहां पर निजी भूमि नहीं है और सरकारी भूमि है या किसी दूसरे विभाग की भूमि है या नेशनल हाईवे की भूमि है अगर वहां पर अतिक्रमण कर दिया जाता है तो नोटिस देने की कहीं कोई प्रोविजन राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट में नहीं है।

आपने जो सवाल उठाया। मैं आपकी मंशा समझ गया क्योंकि यह अजमेर रोड का मसला है।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, नहीं, अजमेर रोड का नहीं, अध्यक्ष महोदय, अजमेर रोड का कोई मसला नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जहां पर कि नेशनल हाईवे है और आपका मंजिले मकसूद भी वहीं है।

श्री जर्नादन गहलोत : नहीं, नहीं, अजमेर रोड का मामला नहीं है, मैं करौली के संदर्भ में बोल रहा था। चूंकि वहां पर बिना नोटिस दिए बगैर नगर-पालिका की अभिशंसा पर मकान तोड़ दिए गए थे इसलिए मैंने मंत्री महोदय से राजस्थान भर का मामला पूछा था। इन्होंने सदन में कहा था कि इस प्रकार नेशनल हाईवे को...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैंने मंत्री महोदय से जो पूछा था उसका जवाब नहीं आया है कि वह जमीन इनकी है या नहीं और 22 साल पहले नगरपालिका, सिरोही की सीमा कहां पर थी?

श्री अध्यक्ष : जमीन म्यूनिसिपेलिटी की है, उस पर अतिक्रमण हुआ है। इस सम्बन्ध में चूंकि माननीय सदस्य बार-बार इन्सिस्ट कर रहे हैं कि जमीन म्यूनिसिपेलिटी की नहीं है, इसकी जांच करवा लीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने एक प्रतिवेदन एक-सवा महीने पहले दिया और उस पर आज भी जांच चल रही है। ये सब बिन्दु जो आज आपने उठाये हैं, उन सब पर जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि जमीन चाहे पालिका की हो या नहीं हो, दूसरे विभाग की हो, चाहे नेशनल हाईवे की हो अगर वह म्यूनिसिपल सीमाओं में आती है और वहां पर अगर पालिका यह देखती है कि अतिक्रमण है तो उसको हटाने का अधिकार सैक्शन 203 में है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने नैनाराम माली का पूरा निर्माण तोड़ दिया और आप कह रहे हो कि हमने आंशिक निर्माण तोड़ा। हजारों लोगों ने पथराव किया आपके कर्मचारियों पर, कर्मचारी आपके भागे हैं।

आपने जयपुर में भी स्टे होने के बाद भी 40 निर्माण तोड़ दिए। पूरे राजस्थान में अगर इस तरह की अराजकता की स्थिति रहेगी तो कानून का क्या होगा और कानून के राज का क्या होगा?

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अजमेर रोड का नम्बर कब ले रहे हो?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह दुकान पूरी तोड़ी है या आधी तोड़ी है। इतना बता दें कि वह आधी तोड़ी या पूरी तोड़ी?

श्री अध्यक्ष : आप जनरल बात पूछ रहे हैं। यह तो सिरोही का मामला है। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रभुलाल।

एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज लि., कोटा के खनिज क्षेत्र में पानी/बिजली के कनेक्शन

358. श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां), **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मैसर्स एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज लि., कोटा के पक्ष में लाइम स्टोन अर्थात् कोटा स्टोन खनन करने का जिस क्षेत्र में ठेका दिया हुआ है उसमें क्या कुम्भ कोट, लक्ष्मीपुरा, सातलखड़ी, सुकेत-पापली, हिरियाखेड़ी, सहरावदा, अतरालिया आदि गांव बसे हुए हैं? यदि हां, तो उक्त ग्रामवासियों को बने हुए मकान या नवीन भूखण्ड का पट्टा देने, पानी का कनेक्शन देने, बिजली का कनेक्शन देने में खनिज विभाग या उक्त कम्पनी को क्या आपत्ति है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में मजदूरों या कर्मचारियों हेतु मकान बनाए हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव के राजस्व क्षेत्रों में कितने-कितने तथा उनके बिजली व पानी का कनेक्शन लेने पर कम्पनी को क्या आपत्ति है? क्या कम्पनी नहीं लेना चाहती और उसमें निवास कर रहे लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें खनिज विभाग या उक्त कम्पनी को आपत्ति क्यों है?

(3) उक्त गांवों के कितने-कितने परिवारों ने पानी व बिजली के कनेक्शन पूर्व से ले रखे हैं? क्या उपरोक्त कनेक्शन काफी कम मात्रा में हैं? यदि हां,

(श्री प्रभुलाल करसोल्या)

तो शेष व्यक्तियों को कनेक्शन लेने की अनुमति कब तक प्रदान की जावेगी?

(4) क्या उक्त गांवों के अधिकतर निवासियों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है? यदि हां, तो खनिज विभाग या उक्त कम्पनी की आपत्ति से कितनी आबादी प्रभावित है तथा खनिज विभाग कब से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना प्रारम्भ करेगा?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) जी, हां। ए.एस.आई. कम्पनी को लीज दी हुई है कोई ठेका नहीं दिया गया है। इसमें कुम्भ कोट सुरेडा, सातलखेड़ी, सुकेत, हिरियाखेड़ी की आंशिक तथा पामा खेडी की आबादी पूर्ण रूप से लीज एरिया में बसी हुई है। उक्त आबादी में बने मकान या नवीन भू खण्ड का पट्टा देने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उक्त आबादी क्षेत्र में पानी व विजली के कनेक्शन देने में खनिज विभाग या मैसर्स ए.एस.आई. कम्पनी लि. को कोई आपत्ति नहीं है।

(2) जी, हां। उक्त क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा अपने मजदूरों/कर्मचारियों हेतु खनन पट्टा क्षेत्र के गांवों की राजस्व सीमा में अस्थाई तौर पर बनाये हुये मकानों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	राजस्व सीमा	मकानों की संख्या
1.	ग्राम सातलखेड़ी	65 (टापरी एवं मकान)
2.	ग्राम लक्ष्मीपुरा	40 (टापरी एवं मकान)
3.	ग्राम कुम्भकोट	200 (टापरी एवं मकान)
4.	ग्राम सुकेत	15 (टापरी एवं मकान)
5.	ग्राम डींगसी	15 (टापरी एवं मकान)
6.	ग्राम तेलियाखेड़ी	50 (टापरी एवं मकान)

इनमें निवास कर रहे लोगों के बिजली पानी की व्यवस्था कम्पनी द्वारा की गई है।

(3) उक्त गांव के निवासियों द्वारा 4605 बिजली के कनेक्शन लिये हुए हैं तथा कुम्भकोट, सुकेत व सातलखेड़ी, में 1968 पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं, शेष गांवों में जलदाय विभाग द्वारा हैण्डपम्पिग के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जिन व्यक्तियों द्वारा नियमानुसार बिजली का कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किये हैं तथा निर्धारित राशि जमा करा दी है उनमें से ग्राम सहरावदा, अतरालिया, पापली, हिरियाखेड़ी व सुकेत में 42 कनेक्शन देना शेष है। पेयजल सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र शेष नहीं है। खान विभाग एवं मैसर्स ए.एस.आई. कम्पनी को कोई आपत्ति नहीं है।

(4) जी, नहीं। भाग तीन के उत्तर का अवलोकन करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा था कि क्या अभी भी लीज वैधानिक है? क्या इस कम्पनी ने रेफरेंस पाइंट बदलकर अपनी लीज को आगे नहीं बढ़ा लिया और क्या इस संबंध में जांच हुई है? जांच हुई है तो कब-कब हुई और उसका निष्कर्ष क्या है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय दिलावर साहब, मुझे मालूम था कि आप क्वेश्चन से हटकर चर्चा करेंगे, आपकी आदत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इमिडिएट क्वेश्चन है इसमें कम्पनी के पास कितना एरिया है, कितना नहीं है, उसकी लीज वैलिड है या नहीं, उसकी लीज अनवैलिड है, यह सवाल आज का नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर मैं 6 नवम्बर, 2000 को इसी सदन में माननीय सदस्यों को दे चुका हूं जिसमें सारे हालात मैंने पेश किये हैं कि कब-कब लिटिगेशन हुआ, कब-कब जजमेंट हुए, ये सब मेरे पास हैं, लेकिन सदन का समय व्यर्थ करने में कोई फायदा नहीं है। सवाल इस बात का है, यह प्रश्न है सिर्फ खातेदारी लैण्ड का। इन माननीय सदस्यों ने बी.जे.पी. के राज में 1996 में इस लीज को 10 साल एम.एम.सी.आर. एक्ट में एक्सटेंड किया। जो 1989 में लीज रिनुअल हुई थी—

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : जिस पैटर्न पर हम चले उसी पैटर्न पर आप चलना चाह रहे हो क्या?

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको। 10 साल का अधिकार लीज के लीज होल्डर्स को पहले एक्ट में प्रोविजन के आधार पर था।

श्री मदन दिलावर : आप जवाब दिलाइए, साहब।

श्री हीरालाल इन्दौरा : 1996 में 10 साल और इन्होंने बढ़ाये बी.जे.पी. के राज में।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या दिलावर साहब ने बढ़ाया क्या?

श्री हीरालाल इन्दौरा : और एक लीज होल्डर को 10 साल का मौका और दे दिया।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब देने का तरीका नहीं है। इन्होंने बढ़ाया, क्या मदन दिलावर ने बढ़ाया टाइम?

श्री हीरालाल इन्दौरा : सरकार ने। सरकार की बात कर रहे हैं आप।

श्री सांवर लाल : आप क्या कर रहे हो फिर?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं यह चाह रहा हूं—

श्री सांवर लाल : नहीं, अगर गलत बढ़ाया तो आप बताइए कि गलत बढ़ाया। फिर उसको ठीक करिए आप। ऐसा कैसे जवाब दे रहे हो आप? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आप मंत्रीजी को क्यों धमका रहे हो?

श्री हीरालाल इन्दौरा : ठीक करने का क्या सवाल होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सीधे आसन से बात करो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं जो बता रहा हूं, आपका सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बात का है कि यह मामला क्यों उठा। ए.एस.आई कम्पनी को 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का रिनुअल 1989 में हुआ। (व्यवधान) उनकी बात का भी आ जाएगा बीच में नहीं। (व्यवधान) वो आ जाएगा उसमें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन लीज वैलेडिटी का क्वेश्चन नहीं है। यह क्वेश्चन है ही नहीं। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि पानी और बिजली असेंसियल सर्विसेज में आते हैं। कोई जरूरी नहीं है प्रोपराइटी राइट हो। अगर आदमी का आक्युपेशन है तो उसको सी.आर.पी.सी. के तहत भी पानी का कनेक्शन मिलता है। पानी का कनेक्शन लैण्डलोर्ड नहीं काट सकता, बिजली का नहीं काट सकता। प्रश्न सीधा-सा यह है कि जो आपका लीज होल्डर है उससे कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा होगा पानी के विभाग ने और बिजली के विभाग ने और उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया होगा। इसलिए उनको बिजली व पानी का कनेक्शन नहीं मिला। मूल प्रश्न यह है। तो क्या आपत्ति है, वो क्यों नहीं देते हैं नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट?

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : आपके विभाग में बिजली पानी का भी है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनका विभाग नहीं है, माइनिंग लीज इनका डिपार्टमेंट है। (व्यवधान) सुनिए आप, लीज होल्डर है (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : समझौता हो गया, उन्होंने वापस ले लिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लीज होल्डर के प्रिमिसेज के अन्दर कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टस बने हुए हैं। यही है ना पजेशन तो? उनके कवार्टर्स के अंदर उनके कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए वहां पानी, बिजली के लिए न तो खुद कनेक्शन लेता है और उन्होंने एप्लाई किया तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देता। यह बात बताइए आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला जब खड़ा हुआ, वैसे यह पूरा मामला पी.एच.ई.डी. और आर.एस.ई.बी. का है, लेकिन हमारी जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है तो मेरा तो इसमें इतना ही है कि लीज दे रखी है या नहीं दे रखी है, एक ही पार्ट है, लेकिन जाइंट रेस्पांसिबिलिटी के आधार पर मैंने इसकी ग्राह्यता स्वीकार की है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गलत कह रहे हैं, उनकी नहीं है, रेस्पांसिबिलिटी आपकी है। आपका लीज होल्डर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : चलो ठीक है, जो है। आप उसको अमेंडमेंट कर लो जो आप कह रहे हो। अध्यक्ष महोदय, 7 गांव इस एरिया में आते हैं, 6 गांवों के सरपंचों ने यह लिख दिया कि हमारे यहां न तो कोई बिजली का मामला पैंडिंग है, न पानी का मामला पैंडिंग है और न कोई अलाटमेंट का कोई मामला पैंडिंग है। कुम्भकोट एक पंचायत है उसने एक विज्ञप्ति निकाली 20.12.2000 को किसी को एतराज हो तो एतराज पेश करें और हम यहां अलाटमेंट करना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि जब ग्राम पंचायत अलाटमेंट कर देगी तो बिजली पानी का भी हक मिलेगा। ए.एस.आई. कम्पनी मुंसिफ कोर्ट, रामगंजमण्डी में गयी और उसने अपना एरिया बताया कि यह एरिया हमारा है और यहां बिजली कनेक्शन, अलाटमेंट नहीं किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी सरपंच ने जब उसको नोटिस दिया गया तो उसने कोर्ट में एक बयान दिया कि जो विज्ञप्ति मैंने दी है वो वापस लेता हूं, मुझे पहले मालूम नहीं था कि राजस्व रिकार्ड के हिसाब से यह ए.एस.आई. कम्पनी का खनिज क्षेत्र है। इसलिए उन्होंने वापस ले ली और मामला अभी भी मुंसिफ कोर्ट, रामगंजमण्डी के विचाराधीन है जिसकी तारीख 10.5.2001 है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब प्रश्न क्लीयर हो गया, अध्यक्ष महोदय। इन्होंने खुद ने यह एक्सेप्ट किया है कि जो इनके लीज होल्डर हैं उसकी प्रिमिसेज में मकान बने हुए हैं और सरपंच ने कहा कि ठीक है इनके एरिया में है इसलिए मैं इसमें आपत्ति नहीं करता। तो अब मूल प्रश्न आ गया कि आपका जो लीज होल्डर है वो क्यों मना करता है, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं देता? न तो खुद कनेक्शन लेता है। मंत्रीजी, पानी और बिजली मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य के लिए। उसने अपने कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था का प्रबन्ध भी किया है और अब उनके लिए बिजली व पानी का कनेक्शन न तो खुद लेता है और न लेने देता है, यह बताइए आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य, आप इसको गलत समझ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गलत बिलकुल नहीं समझ रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने मेरा प्रश्न सुना ही नहीं इसका मतलब। मैंने यह कहा था कि ए.एस.आई. के कर्मचारी, श्रमिक काम करते हैं आन बिहाफ आफ दी ए.एस.आई. उनकी टापरी बनी हुई है, उनको पानी, बिजली के कनेक्शन दिये हुए हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र जो पहले से आबाद था और उसके बाद में कुछ लोगों ने एन्क्रोचमेंट करना शुरू कर दिया ए.एस.आई. कम्पनी के एरिये में तो वो स्वाभाविक तौर पर आपत्ति उठाएंगे।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अलग प्रकार का है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वे एम्प्लोई नहीं हैं जिन्होंने वहां मकान बना रखे हैं, जिनकी अनापत्ति है। एम्प्लोई नहीं हैं इनके।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एम्प्लोई हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब एम्प्लोई को आप आवास उपलब्ध नहीं कराएं...

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरे प्रकार का है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर उनका आवास बना लिया...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मूल बात सिर्फ इतनी सी है...

श्री अध्यक्ष : आप हरेक प्रश्न पर अनुपूरक पूछते रहेंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता को तो पूछने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उनकी मदद ही कर रहा हूं। जो मौलिक आवश्यकता है उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते हैं? ये खुद मान रहे हैं इनकी प्रिमिसेज में बने हुए हैं। इनके एम्प्लोई हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिए। प्रश्नकर्ता।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस कम्पनी की यहां लीज है नहीं और इस आधार पर कहना है, जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए यहां बता रहा हूं कि इस कम्पनी ने जो अपनी लीज ली उसका सारा पत्थर निकालकर जो मंदिर और पेड़ के रेफरेंस पाइंट थे वो बदलकर इन्होंने आगे अपनी लीज को दिखा दिया। इन्होंने जांच में माना है, मुझे जो जवाब दिया है उसमें कि इस कम्पनी ने रेफरेंस पाइंट बदलकर अपनी लीज को बढ़ा लिया है। अपनी लीज को अवैधानिक तरीके से बढ़ा लिया तो फिर यह लीज क्षेत्र में अब कैसे आ गया? वह कम्पनी कह रही है कि मेरे लीज क्षेत्र में है और उसको लीज क्षेत्र में मानकर मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। या तो यह कहें कि इसकी जांच नहीं हुई और जांच में यह नहीं पाया गया कि रेफरेंस पाइंट बदला गया है या रेफरेंस पाइंट हटा दिया गया है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पहले कहा था 6 नवम्बर, 2000 को मैंने विस्तृत रूपसे इनको जवाब दे दिया था। यह इसके रेलेवेंट में नहीं है लेकिन मैं जानकारी के तौर पर इनको कहना चाहता हूं कि जब इस ए.एस.आई. की कम्पनी की 2-3 बार जांच हुई, कई बार ही हुई, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जब लास्ट जांच हुई उसमें ए.एस.आई. कम्पनी कोर्ट में चली गई। और मैटर कोर्ट में चला गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि लीज ओरिजिनल जिस समय अलाट हुई थी तो उसके कुछ निशानात थे वह दूसरे थे, बाद में इन्होंने अपने इस पैसे के कारण से और प्रभाव के कारण से अपने आप विभाग की बिना जानकारी के अपने उन पाइंट्स को बदलकर बढ़ा दिया और इस बात को लेकर वहां के लोकल लोगों को लगातार कई वर्षों से लड़ाई-झगड़े कई बार हुए हैं और वह क्योंकि इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि केवल इस छोटी सी कोर्ट का सहारा लेकर इल्लीगल जितना एरिया घेरकर बैठ गया और वहां के आसपास की बस्तियों को उस बारूद के कारण से, पत्थरों के कारण से जिस प्रकार की परेशानी और नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है उसके कारण से लेकर पिछले कई वर्षों से यह बात चल रही है लेकिन मंत्री महोदय, आप कम से कम यह काम तो करें कि कोर्ट में जो केस चलना है वह चलता रहेगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं उसका ही बता रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपने डिपार्टमेंट से तो कम से कम उसको जो एरिया आपने अपने रेकार्ड में उसको अलाट कर रखा है उसके निशानात तो आप कायम कर सकते हैं क्योंकि आपने लीज दी है और उसको नापने का काम आपके विभाग ने किया। अगर उन पाइंट्स को लगा दिया जाय तो वह जमीन उसकी अनधिकृत जमीन है जिस पर वर्षों से काबिज होकर वह खनन भी कर रहा है और आसपास की जनता को परेशान भी कर रहा है। विषय यह है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। कोर्ट का मामला है इसलिए कि कोर्ट में जो इन्होंने भेजा है, एईएन. ने अपना लैटर लिखकर भेजा है कि मैं कम्पनी ने जो स्टे मांगा है उनके सब कारणों से सहमत हूं और भेजा किसको है, कोर्ट में एक एल.डी.सी. को भेजा है, इंटेंशनली क्योंकि अधिकारी और यह सब लोग मिल गये ताकि बहाना हो जाय कोर्ट का। एक बाबू को भेजा, रेकार्ड से देख लें यदि एक बाबू, एल.डी.सी. कोर्ट में नहीं गया हो तो, जहां अरबों रुपयों का घोटाला हो रहा है, 20 हजार लोगों की जान और माल को खतरा हो रहा है और जहां करोड़ों रुपये की रायल्टी सरकार की बरबाद हो रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप।

श्री मदन दिलावर : यह बतायें क्या कोर्ट में बाबू को नहीं भेजा?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि प्रश्न से हटकर यह बात नहीं करें मैं जो जवाब दे चुका हूं, माननीय सदस्य,

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

आप आ जायें मेरे पास पूरा रिकार्ड आज भी है और आप कहें तो मैं अभी यह देखने में 2 घंटे लग जाएंगे।

श्री मदन दिलावर : लग जाएंगे तो लग जाएंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : और सदन का समय व्यर्थ जाएगा इसलिए कोई मतलब नहीं।

श्री मदन दिलावर : व्यर्थ नहीं बड़ा लाभ होगा। प्रश्न यह है कि कोर्ट में बाबू को भेजा या नहीं भेजा?

श्री हीरालाल इन्दौरा : प्रश्न जो है, किस सीमा में है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या बाबू के अलावा कोई अधिकारी भी गया क्या?

श्री अध्यक्ष : उसमें एक घंटा लगेगा, आप देख लीजिए। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मदन दिलावर : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बाबू को कोर्ट में भेजा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह इनकी रोज-रोज की आदत है क्या कि सीट छोड़ के आ जाना और आगे क्वेश्चन ही नहीं आने देना। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो हमारा प्रश्न बाकी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने आगे का क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री मदन दिलावर : आपने प्रश्न को काल कर लिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपसे प्रार्थना इतनी ही है कि जो उसको लीज दी हुई है। (व्यवधान) जो लीज उसे अलोट हुई, विभाग केवल उसके जो निशान हैं उसको कम से कम वेरिफाई करके देख ले और यह स्वयं ने, डिपार्टमैंट ने यह माना है कि हां, उसके निशान बदलकर अपना एरिया बढ़ा लिया। अब यह कोर्ट के सहारे से केवल एप्लीकेशन देकर और केस को वहां डालकर और मिल-जुलकर जिस प्रकार से वहां के लोगों को परेशान कर रहा है, हम यह कहते हैं कि जो उसको ओरिजिनल लीज आपकी अलाटमेंट हुई उस लीज के आधार पर, आपके मैप के आधार पर उसके पाइंट लगवा दीजिए, गांव की समस्या हल हो जाएगी, कोई समस्या ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, यह बता दिया इनको।

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, अभी मेरा प्रश्न अधूरा है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह नहीं। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : नहीं, हमारा प्रश्न अधूरा है।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आपसे।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : तो फिर विधान सभा, आगे बढ़े तो क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ××××

श्री कन्हैया लाल : ×××

श्री रामलाल गुर्जर : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अव्यवस्था मत फैलाइये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री कन्हैया लाल : ×××

सिटीजन काउंसिल, अजमेर का पंजीयन

359. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम) के किन प्रावधानों में सिटीजन काउंसिल, अजमेर का पंजीयन किया गया है? पंजीयन प्रमाण पत्र, संस्था का विधान, संस्था के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था में वर्तमान में कौन-कौन पदाधिकारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) अजमेर सिटीजन काउंसिल, अजमेर का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत किया गया है। पंजीयन प्रमाण पत्र, संस्था का विधान व संस्था के निमयों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(नियमों की प्रति एवं सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री ललित भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अधिनियम, 1958 की धारा 3 के क्या प्रावधान हैं? थोड़ा वह आप पढ़कर बतायें और संस्था के पदाधिकारी कौन-कौन हैं वह थोड़ा आप बतायें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सोसायटीज एक्ट में हुआ, कोआपरेटिव कानून के तहत यह रजिस्ट्रेशन नहीं है, मान्यवर। दूसरा आपने जो पूछा कि इनके पदाधिकारी कौन-कौन हैं, पदाधिकारी इसमें काफी अजमेर के प्रतिष्ठित और बहुत ही...

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : परिशिष्ट दो में पदाधिकारी हैं आपके।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रतिष्ठित लोग हैं, मैंने यही कहा है। उसमें पुलिस अधीक्षक, अजमेर, मण्डल रेल प्रबन्धक, अजमेर, प्रशासन, नगर परिषद, सचिव, नगर सुधार न्यास, अधीक्षण इंजीनियर, आर.एस.ई.बी., अधीक्षण इंजिनियर, सिंचाई विभाग, अतिरिक्त, मुख्य इंजीनियर, पी.एच.ई.डी., अजमेर, वन संरक्षक, अजमेर, उप कुलपति, अजमेर विश्वविद्यालय, नाजिम दरगाह शरीफ, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला प्रमुख, जिला परिषद, उप महानिरीक्षक, आरक्षी, केन्द्र रिजर्व पुलिस बल, अजमेर, उप मुख्य यांत्रिक अभियंता पश्चिम रेलवे, अजमेर, अधीक्षक पुलिस रेलवे पुलिस, अजमेर। इतने तो यह मैम्बर हैं और इसके अलावा इनकी जो कार्यकारिणी है उसके अन्दर बहुत बड़े-बड़े आदमी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, आप जरा प्रशासक का नाम बता दीजिए? अजमेर के प्रशासक को जो आपने सदस्य बताया है कृपया उनका नाम बताने का कष्ट करें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, नाम सुना रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रशासकजी का नाम बता दें कौन है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वो ही बता रहा हूं, उसी के लिए ही प्रयत्न कर रहा हूं। इसके पदाधिकारी इस प्रकार हैं :—

श्री किशन कोटवानी, चीफ पैटर्न; श्री पी.के. आनन्द, पैटर्न; श्रीमती ऊषा शर्मा चेयर पर्सन; श्री अशफाक हुसैन, वाईस चेयरमैन; श्री ओंकार सिंह लखावत, वाईस चेयरमैन; श्री डी.एल. त्रिपाठी, जोइंट सेक्रेटरी; श्री नरेन्द्र कुमार माथुर, कोषाध्यक्ष; श्री रासासिंह रावत, संचालक सदस्य; श्री डा. श्रीगोपाल बाहेती, संचालक सदस्य; श्रीमती अनिता भंदेल, संचालक सदस्य; श्री माणकचन्द सोगानी, संचालक सदस्य; श्री पूर्णाशंकर दशोरा, संचालक सदस्य; श्री आर.के. चौधरी, संचालक सदस्य; श्री जसराम, संचालक सदस्य; श्री सत्यकिशोर सक्सेना, संचालक सदस्य; श्री मांगीलाल जैन, संचालक सदस्य; श्री एस.एस. छापरवाल, संचालक सदस्य; श्री धर्मेन्द्र जैन, संचालक सदस्य; श्री सुन्दर खेमनी, सदस्य; श्री सम्पमल लोढ़ा, संचालक सदस्य; श्री रामदेव शर्मा, संचालक सदस्य; श्री जगदीश वाछानी, संचालक सदस्य।

ये 22 आदमियों की लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष : परिशिष्ट-2 पर है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्रिमण्डल के काबिना मंत्री तो चीफ पैटर्न हैं, कलक्टर अजमेर इसकी चेयर पर्सन हैं, पी.के. आनंद, डिविजनल कमिश्नर इसके पैटर्न हैं। इसके अलावा अशफाक हुसैन ए.डी.एम. एडमिनिस्ट्रेशन, अजमेर हैं। बाकी सारे जो भी हाइएस्ट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हैं वे सब इसके मैम्बर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से

(श्री ललित भाटी)

मैं यही जानना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो प्रोवीजन सोसाइटीज आफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में है उसमें सरकारी कर्मचारी आर.एस.आर. से बाउंड है या नहीं है? इसमें इनको सदस्य बनने से पहले अपने डी.ओ.पी. से या अपने हैड से परमीशन लेने की आवश्यकता है या नहीं? अगर इन्होंने ले रखी है तो कौनसी तारीख के अन्दर ले रखी है? दूसरे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, यह एक बहुत नीतिगत बात है कि सरकार के मंत्री अपनी किस सहमति के माध्यम से किसी गैर सरकारी संस्था के अन्दर चीफ पैटर्न के पद पर या और किसी पद के ऊपर हो सकते हैं? तो ये जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, इन्होंने कौनसे नियमों के अन्दर ली है और अगर इनके पास परमिशन नहीं है तो इन्होंने आर.एस.आर. का वायोलेशन किया है उसके खिलाफ इनके ऊपर एक्शन होगा या नहीं होगा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अजमेर सिटीजन कौंसिल बनी है इसका हैड आफिस तो है आनासागर झील में बीच में एक टापू पर और इसका उद्देश्य यह है कि अजमेर नगर का सर्वांगीण विकास। सुनिये।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उद्देश्य और आफिस तो पूछा ही नहीं है। मैंने अजमेर में कहां आफिस है और यह किस बात के लिए बनी है, यह सवाल नहीं पूछा है। मेरा तो बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है कि जो सरकारी अधिकारी हैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे निवेदन तो कर रहा हूं। आप विराजिये। इस सिटीजन कौंसिल का उद्देश्य है अजमेर नगर का सर्वांगीण विकास, देश के विभिन्न भागों में अजमेर के कोई ऐसे निवासी हों उनको बुलाकर के जिस तरह से अपन ने यहां किया तो उसी तरह का उनका सम्मान करना, विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक व बौद्धिक कार्यों में भाग लेना, नगर के विकास हेतु विभिन्न समस्याओं के बारे में नागरिकों को जागरूक करना, शैक्षिक, बौद्धिक और रचनात्मक गोष्ठियां करना। तो इस प्रकार से इस संस्था का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण के लिए है। इससे कोई सरकारी अफसर हो या पोलिटिशियन हो या बिजनेस मैन हो, किसी भी स्थिति में हो, भाग लेने में कोई एतराज नहीं है, नहीं हो सकता। अगर यह सोसायटी अजमेर में अच्छा काम करे तो इसमें अपने को और खुशी की बात है। इसमें क्या आर.एस.आर. आड़े आता है और कौनसे दूसरे रूल्स आड़े आते हैं।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आया ही नहीं। यह जो उद्देश्य हैं इन उद्देश्यों के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर सर्वांगीण विकास की बात है, आज जिला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर अगर सरकारी नीतियों के माध्यम से सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते तो नगर परिषद की क्या

(श्री ललित भाटी)

जरूरत है? नगर सुधार न्यास की क्या जरूरत है? इस सरकार की क्या जरूरत है? सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन इस फोरम से किया जाता है, एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पर चला रखी है और आर.एस.आर. का वायोलेशन हो रहा है और मंत्री महोदय इतने अहम सवाल को टाल रहे हैं। सर्वांगीण विकास तो हम पूरे राजस्थान का चाहते हैं समग्र विकास चाहते हैं। बात यह है कि जो आपके सरकारी अधिकारी हैं वे आर.एस.आर. से बाउंड हैं या नहीं हैं और अगर हैं तो उन्होंने विथ परमीशन इसके अन्दर मैम्बरशिप और ये पद कबूल किये हैं या नहीं? उसका जवाब तो मंत्री महोदय दे ही नहीं रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, ललितजी भाटी को इसमें शामिल कर लो। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : विराजो आप। इसकी गंभीरता ही समाप्त कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.आर. के निमयों के तहत आते हैं, या नहीं आते हैं यह तो अभी मालूम नहीं है लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इस जिले का मैं इन्चार्ज मिनिस्टर हूं, सारा पता लगा लूंगा कि ये किस प्रकार की बैठकें होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है और किस प्रकार से इन्होंने आज तक कितना सर्वांगीण विकास किया है। मेरे दिमाग में तो यही है कि हरेक अधिकारी हो या पोलिटिशियन हो, सभी भाग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे यह भी बताया गया है कि राजकीय अधिकारी भी इमसें भाग ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आप तो एक बात बता दीजिये कि यह राजकीय संस्था है या निजी संस्था है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह निजी संस्था भी नहीं है, राजकीय संस्था भी नहीं है, यह एक संस्था है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल फिर अटका हुआ है। यह अगर गवर्नमैंट बाडी होती तब तो सरकारी अधिकारी जिस तरह से आपने मेडिकल रिलीफ सोसायटी बना रखी है उसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है और उसमें बाई वरच्यू आफ पोस्ट उसके अन्दर मैम्बर होते हैं या पदाधिकारी होते हैं। एक निजी संस्था में, तो कल से तो हमारे मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता के अन्दर भी कोई आदमी रजिस्ट्रेशन करायेगा, मंत्री महोदय की अध्यक्षता में भी करायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में भी कल को कोई रजिस्ट्रेशन पेश कर देगा और ये नियमों का हवाला देकर के उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। सरकारी अधिकारी आर.एस.आर. से बाउंड हैं या नहीं हैं? डी.ओ.पी. के निर्देशों और सर्कुलरों से बाउंड हैं या नहीं? उनका अपना कोई कोड आफ कंडक्ट है या नहीं है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा कि आर.एस.आर. से ये बाउंड हैं या नहीं है, इसका मैं पता लगा लूंगा। अभी मेरे पास में यह इत्तला है नहीं और गलत इत्तला मैंने देना सीखा नहीं।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह तो आश्वासन दें कि अगर आर.एस.आर. से बाउंड है, क्योंकि यह तो सही है कि राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत है, मंत्री महोदय, क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं हैं इसलिए जवाब देने में हिचकिचा रहे हैं। आर.एस.आर. से बाउंड हैं यह आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और उस आर.एस.आर. की बाउंडिंग से हटकर के इन्होंने पद ग्रहण किया है तो आप उस संबंधित विभाग को, मुख्य मंत्रीजी को इसके बारे में लिखकर क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करवायेंगे? आप अपने विभाग में कम से कम आगे के लिए और अभी यह जो हुआ है, आप अपने अधिकारियों से यह तो मांगिये कि इन्होंने अपने सम्बन्धित विभाग से, अपने इमीजिएट बास से परमीशन ली है या नहीं ली है?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने बहुत संतोषजनक उत्तर दे दिया है। इसलिए अब विराजिये। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री संजीव कुमार।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, आज तो यह उत्तर दें कि आप कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे?

विधान सभा क्षेत्र भादरा में स्वीकृत सड़कें

360. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ. योजना पंचम के द्वितीय चरण में एक सम्पर्क सड़क भादरा साहबा रोड से मुंदरिया बड़ा तक स्वीकृत की गई थी।

(2) जी, हां। वित्तीय संसाधनों के अभाव में उक्त सड़क का कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(3) जी, नहीं। इन सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर कृषि विपणन बोर्ड को केवल कार्यकारी एजेंसी बनाकर कराया जाना था, किन्तु पुनः राज्य सरकार ने निर्णय लेकर उक्त ऋण का पुनर्भुगतान भी राज्य सरकार के बजाय कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ही करने का निर्णय लिये जाने की स्थिति में कृषि विपणन बोर्ड के आर्थिक साधनों के अभाव में उक्त सड़कें निरस्त करने का निर्णय लेना पड़ा।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारी राजस्थान सरकार ने पंचायत मुख्यालय को और एक हजार या इससे अधिक की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ने की जो नीति बनायी है और दूसरी तरफ स्वीकृत सड़क को इन्होंने निरस्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भादरा क्षेत्र के राखी, रामसरा, झिगासरी छोटी, मुंदरिया बड़ा आदि कई गांव उपरोक्त सड़क से जुड़ रहे हैं तथा ये उपरोक्त मुंदरिया बड़ा पंचायत मुख्यालय होने के साथ-साथ एक हजार की आबादी की जो शर्त है, जो कंडीशन है उसको भी पूरा कर रहा है। मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि इन सड़कों को इस नीति नाबार्ड के तहत निरस्त किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या उपरोक्त सड़क को अन्य किसी योजना के तहत जुड़वाने का सरकार का कोई विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधायक महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी समिति भादरा की आर्थिक संसाधनों की कमी से मण्डी की आय से तो यह सम्भव नहीं है किन्तु जो सार्वजनिक निर्माण विभाग अभी योजना बना रहा है, या तो विधायक महोदय को प्रयास करना चाहिए, पंचायतों को जोड़ने के काम में पी.एम.जी.वाई. वगैरह के जो फंड्स हैं वहां से उपलब्ध हो सकें। भविष्य में जब भी कृषि उपज मण्डी समिति, भादरा में संसाधन उपलब्ध होंगे, यदि विधायक महोदय का प्राथमिकता के अनुसार इसके लिये होगा तो इसको प्राथमिकता दी जायेगी।

(12.00 बजे)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमेशा किनारे पर आकर चला जाता हूं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 में...

श्री अध्यक्ष : केवल एक, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है, केवल एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ.-5 के द्वितीय चरण में कुल कितनी सड़कों की मंजूरी हुई, कितनी सड़कों का निर्माण किया गया और कितनी सड़कें निरस्त की गई? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय चरण में 92 सड़कें, 281.36 किलोमीटर की स्वीकृत की गई थी, जो कि फिर निरस्त की गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला पाली के विकास कार्यों की स्वीकृत योजनाएं

617. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में गत वर्षों में कौन-कौन से विकास कार्यों के लिए योजना बनाई गई है और उनमें कितने कार्य किये गये हैं?

(2) वर्ष 2001-2002 हेतु कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत हैं व कौन-कौन से कार्य विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) शासन उप सचिव (प्रशा-II) पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 41(117) 11वीं/छठा सत्र/विसप्र/पं. राज/2001-241 दिनांक 11.4.2001 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला पाली के सम्बन्ध में जिला आयोजना समिति, पाली द्वारा विकास कार्यों के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है।

आयोजना विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सैक्टरवार/विभागवार/स्कीमवार प्लान सीलिंग जारी की जाती है, और विभाग उस वित्तीय सीमा के अन्तर्गत विभागीय परियोजना तैयार करता है तथा राशि व्यय की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष यथा मरू विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रीय परियोजनाएं जो कि विशिष्ट परियोजना क्षेत्र है, पृथक से राशि आवंटित की जाती है। यहां पर यह भी उल्लिखित है कि कई विभाग एक जिले में स्थित है किन्तु उनके द्वारा जो कार्य किये जाते हैं उसका लाभ/असर अन्य जिलों को भी प्राप्त होता है।

आयोजना विभाग द्वारा पृथक से जिले के विकास कार्यों के लिये कोई धनराशि का प्रावधान प्लान सीलिंग में अलग से

(राज्य मंत्री, आयोजना)

नहीं किया जाता है। सैक्टरवार/विभागवार/स्कीमवार जो प्लान सीलिंग जारी होती है, उसी में विभाग द्वारा जिले के विकास कार्यों के लिये योजना बनाई जाती है तथा जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

(2) बिन्दू संख्या-1 के अनुसार।

जिला जैसलमेर के लवण क्षेत्र का आबंटन

618. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में लवण क्षेत्र है जहां गत दस वर्षों से नये क्षेत्र आबंटन नहीं किये जा रहे हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में जो क्षेत्र आबंटित है उसका प्रति लवण क्षेत्र का रकबा 15 एकड़ से अधिक है जो हस्तांतरण नियमों में बाधक है?

(3) क्या उक्त बाधा के कारण मालिकाना हक न होने से विकास नहीं कर पा रहे मूल आबंटी/स्थानीय कामगारों को मात्र कार्य हेतु दिये गये हैं?

(4) क्या सरकार हस्तांतरण हेतु 15 एकड़ से सीमा बढ़ाने तथा नये प्लाट आबंटित करने का विचार रखती है यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जैसलमेर जिले के लवण क्षेत्रों में गत 10 वर्षों से नये आबंटन नहीं किये गये हैं। न्यायालय ने 1996 में आबंटन से सम्बन्धित वाद निस्तारित करते हुए निर्देश दिय गये कि 1983 में जितने भी व्यक्तियों ने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये हैं, उन्हें भी पुनः मौका देते हुए नये सिरे से आबंटन किया जाए। इस निर्देश से पैदा हुई प्रक्रियात्मक जटिलता के कारण आबंटन नहीं किये गये हैं जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही जारी है।

(2) जी, हां। जैसलमेर जिले के लवण क्षेत्रों में पूर्व में जो आबंटन है, उसका रकबा 15 एकड़ से अधिक है। वर्तमान लवण नियमों में हस्तान्तरी के पक्ष में भूमि की अधिकतम होल्डिंग 15 एकड़ निश्चित होने से 15 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों का हस्तान्तरण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(3) विभाग के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया है।

(4) जी, हां। हस्तान्तरण हेतु 15 एकड़ की सीमा बढ़ाने के लिए लवण नियमों में संशोधन करने तथा नये भूखण्ड आबंटन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। गुडी लवण क्षेत्र में भूखण्डों के आबंटन हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पर आमंत्रित करने एवं शेष लवण क्षेत्रों के भूखण्डों के सर्वेक्षण एवं सीमाकंन की कार्यवाही की जा रही है।

जिला श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वीकृत ऋण

619. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में जिला श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य हेतु दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् भी कई व्यक्तियों को ऋण नहीं मिलता है? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को सुचारू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) इस वर्ष में जिला श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत टास्क फोर्स समिति द्वारा 776 युवाओं का चयन किया गया एवं 544 युवाओं को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है। (सूची संलग्न है) वर्ष 2000-2001 के लिये प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु जिला श्रीगंगानगर के लिये 550 युवाओं को ऋण स्वीकृति हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें दिनांक 31.3.01 तक 544 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

(2) उक्त व्यक्तियों में से 258 व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया गया है। निर्दिष्ट कार्य एवं राशि अनुसार ऋण वितरण की सूची संलग्न है। शेष युवाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति अनुसार माह अक्टूबर, 2001 तक ऋण वितरण किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। ऋण जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, जिला उद्योग केन्द्र में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा ऋण की सिफारिश संबंधित बैंक शाखा को की जाती है। ऋण स्वीकृति के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भारत सरकार के द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाने के पश्चात् बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जाता है, परन्तु कुछ आवेदकों द्वारा बैंकों की औपचारिकतायें यथा-किरायानामा, सिक्योरिटी, मशीनों के कोटेशन तथा बिजली के कनेक्शन आदि में प्रभावी कदम नहीं उठाने के कारण ऋण का वितरण नहीं हो पाता है। ऋण के समय पर वितरण हेतु जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की विभिन्न बैठकों में जिला कलक्टर्स द्वारा इन पैंडिंग केसेज की समीक्षा कर समुचित समाधान किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थापना हेतु अनुज्ञा पत्र मिनरल वाटर प्लांट

620. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में महिला उद्यमी द्वारा लगाये जाने वाले मिनरल वाटर प्लान्ट पर बिक्री कर में छूट है? यदि हां, तो कितने वर्षों के लिये कितनी राशि तक? सम्बन्धित नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्लान्ट को लगाने के लिये सरकार की अनुमति अथवा लाइसेंस लेना आवश्यक है? यदि हां, तो कहां से और प्रारूप क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मिनरल वाटर के लिये बनाये जाने वाले पाउच व प्लास्टिक बोतल पर सरकार प्रतिबन्ध लगाने जा रही है? यदि हां, तो कब से? उक्त संबंध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मिनरल वाटर प्लान्ट के लिये आई.एस.आई. मार्क कराना आवश्यक होगा? यदि हां, तो कब से? उक्त के लिये कहां किस रूप में आवेदन करना होगा व इसके लिये निर्धारित नियम एवं शर्तें क्या हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में महिला उद्यमी द्वारा लगाये जाने वाले मिनरल वाटर प्लांट पर बिक्री कर में चार वर्ष के लिए 20.00 लाख रुपये तक की छूट है। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी, हां। लाइसेंस लेने हेतु पी.एफ.ए. एक्ट, 1954 के तहत शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से लेना होता है, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ब")

(3) जी, नहीं। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा आई.एस.आई. के प्रमाणित वगैर मिनरल वाटर पाउच व प्लास्टिक बोतल में नहीं बेचा जा सकता है।

(4) जी, हां। केन्द्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 29 सितम्बर, 2000 से प्रभावी दिनांक 29.3.2001 के अनुसार प्राकृतिक खनिज, जल, नेचुरल मिंनरल वाटर व डिब्बा बन्द पेयजल पिकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन, विक्रय या विक्रय के लिये प्रदर्शन भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिन्ह के बिना वर्जित है। आई.एस.आई. मार्का (मानक चिन्हांकन) के लिये भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय में आवेदन करना होता है। जिसके लिये निर्धारित प्रपत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। मानक चिन्हांकन के लिये मिनरल वाटर उत्पादक के पास आवश्यक जांच व उत्पादन सुविधाएं होनी चाहिये एवं उत्पादन की मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित जांच व निरीक्षण प्रणाली लागू करने व प्रमाणन योजना पर होने वाले व्यय के

(उद्योग मंत्री)

लिये निर्धारित प्रमाणन शुल्क देय करने की सहमति करना अनिवार्य है। साथ ही निष्पक्ष जांच में उत्पादक के नमूने मानक अनुरूप पाये जाने चाहिये।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राजस्थान इण्डस्ट्रीज इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि. द्वारा निजी कम्पनियों को प्रदत्त सुविधाएं

621. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान इण्डस्ट्रीज इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि. ने किन-किन कम्पनियों में कितनी-कितनी राशि लगाई हुई है? पी.डी. कोर लि. में रीको की क्या भागीदारी है व अन्य कौन-कौन भागीदार हैं?

(2) पी.डी. कौर लि. को सरकार ने क्या-क्या रियायतें दी हैं व इनको बिना टेण्डर कौन-कौन से कार्य दिये गये हैं व किस-किस विभाग ने दिये हैं?

(3) एच.डी.एफ.सी. का पी.डी. कौर से क्या संबंध है? एच.डी.एफ.सी. ने अपना कार्यालय जहां खोल रखा है वह किसका है?

(4) पी.डी. कौर ने अब तक कितनी राशि व्यय की है व राज्य के विकास में रिपोर्ट बनाने के अलावा इनका क्या योगदान रहा है?

(5) क्या उक्त तरह की सुविधाएं अन्य उन सभी कम्पनियों को दी गई हैं, जिसमें रीको की भागीदारी है?

उत्तर

(1) दिनांक 31.3.2001 तक रीको द्वारा कुल 86 कम्पनियों में इक्विटी सहायता प्रदान की हुई है, जो कि कुल रुपये 40,01,27,472/- है (सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है) पी.डी. कोर लि. में रीको की ओर से कोई भी इक्विटी सहायता नहीं है।

(2) रीको के द्वारा राज्य सरकार की सहमति के अनुसार पी.डी. कोर लि. के साथ मेमोरेण्डम आफ अण्डर स्टेण्डिग निष्पादित किया है। जिसमें पी.डी. कोर लि. को राजस्थान में स्थापित होने वाले ड्राई पोर्ट के लिए एक आंकलन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तैयार करने तथा इस परियोजना को लगाने हेतु संसाधन युक्त निजी निवेशकर्ता का चयन करने का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य की फीस (रुपये 2.00 करोड़) दो करोड़ रुपये रीको को वर्ल्ड बैंक की आई.डी.ए. क्रेडिट के तहत राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी।

राज्य सरकार द्वारा पी.डी. कोर को निम्न परियोजनाओं को विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का कार्य दिया है :—

1. ड्राई पोट फोर राजस्थान।
2. जल महल ट्यूरिजम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
3. वेल्यू एडेड नेटवर्क।
4. इन्टिग्रेटेड पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
5. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेपिंग।

(उद्योग मंत्री)

जी.एफ.एण्ड ए.आर. के अनुसार इस कम्पनी को डी.एफ.आर. बनाने के लिये बिना टेण्डर कार्य दिया जा सकता है।

(3) एच.डी.एफ.सी. का पी.डी. कोर की इक्विटी में 24 प्रतिशत की भागीदारी है। एच.डी.एफ.सी. भारत सरकार के उपक्रमों इत्यादि द्वारा गठित कम्पनी है तथा इसके बारे में सूचना राज्य सरकार में उपलब्ध नहीं है।

(4) पी.डी.कोर में राज्य सरकार का 24 प्रतिशत हिस्सा है तथा यह लिमिटेड कम्पनी है। अतः इसके लेखों की सूचना राज्य सरकार में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि इस कम्पनी का गठन केवल डी.एफ.आर. बनाने के लिए किया गया है। अतः इसमें अन्य किसी कार्य की अपेक्षा नहीं है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

बिरला आडिटोरियम जयपुर से बकाया गृहकर की वसूली

622. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर निगम जयपुर ने गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने-कितने व्यक्तियों अथवा संस्था के कुर्की के माध्यम से कितना-कितना गृह कर वसूल किया है? प्रगति वर्ष जिन 10-10 व्यक्तियों अथवा संस्था से अधिक राशि वसूली गयी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000-2001 में 50 लाख रुपये अथवा उससे अधिक गृह कर बकाया होने की सूची कितने व्यक्तियों और संस्थाओं की थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सूची में से किन-किन के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही प्रारम्भ की गई और कुर्की के माध्यम से वसूली की जा सकी? कुर्की के माध्यम से कुर्की नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

(4) उक्त सूची में समाविष्ट व्यक्तियों/संस्था में कुर्की माध्यम से वसूली में आ रही बाधा को कब तक दूर किया जा सकेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि कुर्की कार्यवाही साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध की जाती है और प्रभावशाली व्यक्तियों और संस्था के विरुद्ध दिखावा किया जाता है। यदि नहीं, तो बिड़ला आडिटोरियम जैसी संस्था को सीज किया जाकर वसूली क्यों नहीं की जाती? क्या उक्त संस्था व्यापारिक है और प्रतिवर्ष समाचार-पत्रों में हो रहे विज्ञापन के आधार पर अरबों रुपया किराया लेकर लाभ कमा रही है?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयुपर द्वारा गत तीन वर्षों में कुर्की के माध्यम से व्यक्तियों/संस्थाओं से वसूल किया गया गृहकर एवं जिन 10-10 व्यक्तियों/संस्था से अधिक राशि वसूली की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) वर्ष 2000-2001 में 50 लाख रुपये अथवा इससे अधिक गृहकर बकाया होने की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त सूची में कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई और ना ही कुर्की के माध्यम से की जा रही है। कारण सहित विवरण संलग्न है।

(4) समाविष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं में कुर्की के माध्यम से वूसली में कोई बाधा नहीं आ रही है।

(5) जी, नहीं। बी.एम. बिड़ला साइंस एण्ड टैक्नोलोजी सेंटर, जयपुर से दिनांक 31.3.2001 तक 4,00,000/- रुपये गृहकर पेटे के रूप में जमा कराये गये हैं, किन्तु उक्त संस्था द्वारा गृहकर की बकाया राशि के विरुद्ध गृहकर समिति में अपील प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

आनन्दपुरी कच्ची बस्ती, मोती डूंगरी, जयपुर के वासियों को जारी पट्टे

623. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आनन्दपुरी कच्ची बस्ती, मोतीडूंगरी जोन, जयुपर-4 को जयपुर विकास न्यास द्वारा नियमित कर बसाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री हरिनारायण निवासी बी-279 ए, आनन्दपुरी कच्ची बस्ती, मोती डूंगरी जोन, जयपुर-4 ने अगस्त, 2000 में उक्त भूखण्ड का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया था? यदि हां, तो उनके आवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? पट्टा जारी करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है एवं उसमें सामान्यतः कितना समय लगता है एवं अब तक उक्त योजना के कितने भूखण्डधारियों को पट्टा जारी किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत आयी है कि कार्यालय आयुक्त, मोती डूंगरी जोन, जयुपर-4 में कार्यरत कर्मचारी द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब कर लोगों को परेशान किया जाता है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। प्रार्थी के आवेदन दिनांक 22.8.2000 पर दिनांक 27.3.2001 को लीज राशि जमा की गई। दिनांक 23.4.2001 को स्टाम्प प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया।

पट्टे जारी करने हेतु स्वामित्व, विधिक राय, बकाया लीज राशि, गृह कर की राशि आदि की जांच कर, स्टाम्प मंगाये जाकर पट्टे जारी किये जाते हैं। उक्त प्रक्रिया में

(स्वायत्त शासन मंत्री)

लगभग 30 से 45 दिवस का समय लगता है। आनन्दपुरी योजना में 43 व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिये गये हैं, जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगरपालिका गंगापुर जिला भीलवाड़ा की सब्जी मण्डी की दुकानों का अवैध हस्तान्तरण

624. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका गंगापुर जिला भीलवाड़ा ने अपने स्वामित्व की सब्जी मण्डी रोड पर स्थित दो दुकानें काफी वर्षो से ग्राम सेवा सहकारी समिति गंगापुर को उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय हेतु किराये पर दे रखी है? यदि हां, तो कब से और कितना-कितना किराया अब तक इस पेटे नगरपालिका में जमा हुआ है?

(2) क्या नगरपालिका गंगापुर की उक्त दोनों दुकानों को सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा बिना उनके अध्यक्ष व कार्यकारिणी व संस्था के सदस्यों की जानकारी के अवैध रूप से श्री कैंकाणी निवासी गंगापुर को हस्तान्तरित कर दी व श्री कैंकाणी ने दिनांक 14 मार्च, 2001 को उक्त दोनों दुकानों पर कब्जा करने की नियम से ताले तोड़कर कब्जा कर लिया है?

(3) क्या अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति गंगापुर द्वारा उक्त अवैध कार्य की सूचना प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिस जिलाधीश भीलवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी गंगापुर तथा अध्यक्ष नगरपालिका गंगापुर को दी है? यदि हां, तो उक्त सूचना के बाद उक्त संबंध में नगर-पालिका गंगापुर ने अपनी सम्पत्ति को इस अवैध कृत्य से बचाने हेतु क्या आवश्यक कानूनी कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। दुकान नं. 6 दिनांक 15.6.84 व दुकान नं. 7 दिनांक 1.3.84 से किराये पर दी गई थी। दुकान नं. 6 का किराया रुपये 58,374 व दुकान नं. 7 का किराया रुपये 40,493 जमा हुआ है।

(2) जी, नहीं। समिति के व्यवस्थापक को आम सभा दिनांक 26.9.2000 के प्रस्ताव सं. 2 के अनुसार दुकानों को अन्यत्र देने हेतु अधिकृत किया था। व्यवस्थापक ने श्री कैंकाणी को कब्जा दिनांक 7.3.2001 को संभलवाने की सूचना पालिका को दी गई। दिनांक 14.3.2001 को ताले तोड़कर प्रवेश होने की जानकारी पालिका को नहीं है।

(3) जी, हां। मामले पर परीक्षण के बाद नियमानुसार कार्यवाही मण्डल द्वारा की जावेगी।

परसराम नगर, ढहर के बालाजी, जयपुर की जल निकास व्यवस्था

625. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परसराम नगर ढहर के बालाजी सीकर रोड जयपुर पर स्कीम नं. 3 एवं 5 में वर्तमान में जल निकासी के अभाव में सड़कें एवं नालियां निर्माणाधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी स्थल के पश्चिम की ओर से परम्परागत जल निकास करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जल निकासी स्थल को श्री भवानी निकेतन के प्रबन्धकों ने अपनी कब्जा की भूमि बताते हुए अतिक्रमण कर कार्य रोक रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त बस्तियों में गंदगी एवं एकत्रित जल से हो रही कठिनाइयों एवं बीमारी से निजात दिलाने हेतु कोई माकूल व्यवस्था कर अपूर्ण सड़क एवं निर्माणाधीन नालियों की निकासी का प्रबन्ध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। स्कीम 3 व 5 में वर्तमान में जल निकासी के अभाव में सड़कों व नालियों का काम निर्माणाधीन नहीं है। तथा यहां जल निकासी की कोई योजना बनाई जाने पर विचार चल रहा है।

(2) भवानी निकेतन के प्रबन्धकों ने प्राधिकरण की कोई नाली व सड़क का कार्य नहीं रोक रखा है। प्रश्नगत स्थल पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(3) गंदगी एवं जल इक्ट्ठे होने के कारण उत्पन्न हुई समस्या के निदान की कार्यवाही की जा रही है।

सीकर रोड, जयपुर स्थित आवासीय बस्तियों हेतु विचाराधीन सीवरेज एवं जल निकास योजना

626. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड जयुपर स्थित मुरलीपुरा से परसराम नगर तक की आवासीय बस्तियों का पानी का निकास उनके पश्चिम में स्थित श्री भवानी निकेतन संस्था की भूमि की ओर है? यदि हां, तो क्या सरकार के स्तर पर उक्त बस्तियों के पानी के निकास व सीवरेज हेतु कोई योजना बनाना विचाराधीन है?

(2) अब उक्त विचाराधीन योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सीकर रोड स्थित मुरलीपुरा से विजयबाड़ी पथ नं. 6 तक आवासीय कालोनी के सड़कों का ढाल

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सीकर रोड की ओर है। परसराम नगर आवासीय बस्ती सीकर रोड से नीचे बसी हुई है। जिसमें सड़कों का ढाल भवानी निकेतन संस्थान की भूमि की ओर है। पानी के निकास व सीवरेज की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त सैक्टर के पानी निकास की योजना कार्य की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर किया जाना निर्भर करेगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

जयपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त अनियमितताओं का निराकरण

627. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त अनियमितताओं में सुधार किये जाने हेतु घोषणाएं की गई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणाओं की क्रियान्विति करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

माननीय सदस्य द्वारा किसी विशिष्ट व्याप्त अनियमितता अथवा किसी विशिष्ट घोषणा का उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में घोषणा के क्रियान्वयन के बारे में उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष, नगर विकास न्यास द्वारा सचिव आवास पर अवैध कब्जा

628. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या "नगर सुधार न्यास" अधिनियम के अन्तर्गत न्यास के अध्यक्ष के लिए निवास की व्यवस्था करने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगर विकास न्यास, अलवर, ने न्यास के सचिव हेतु आरक्षित भवन को अपना निवास बना लिया है? यदि हां, तो क्या न्यास द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया एवं सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? प्रस्ताव एवं सरकार के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या न्यास के सचिव के लिए आरक्षित भवन का उपयोग न्यास-अध्यक्ष द्वारा किए जाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया एवं सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई? यदि हां, तो उक्त अवैधानिक कार्यवाही के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास अधिनियम के अन्तर्गत आवास आबंटन के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह प्रशासनिक कृत्य है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) सचिव नगर विकास न्यास अलवर ने पत्र क्रमांक 17265-68/01 दिनांक 1.2.2001 द्वारा मोती डूंगरी स्थित न्यास के आवास का आबंटन अध्यक्ष नगर सुधार न्यास को किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। आवास आबंटन हेतु न्यास द्वारा कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) आवास भवन का आबंटन सचिव न्यास अलवर द्वारा प्रशासनिक शक्तियों के अन्तर्गत किया गया है। अतः सचिव द्वारा जारी किया गया आदेश अवैधानिक नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अजमेर रोड, सोडाला (जयपुर) स्थित सड़क की चौड़ाई

629. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर शहर में यातायात के दबाव को देखते हुए शहर के सभी मार्गों को चौड़ा करने का विचार रखती है? क्या अजमेर रोड सोडाला में भी ऐसी योजना लागू करने का विचार है? यदि हां, तो इसकी चौड़ाई सड़क के दोनों ओर कितनी निर्धारित की गई है?

(2) उक्त योजना पर अमल कब तक कर लिया जायेगा?

(3) क्या सरकार सोडाला जयपुर स्थित मुर्गीखाना के नाम से खाली भूमि का विकास कर व्यावसायिक केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा?

उत्तर

(1) शहर के सभी मार्गों को चौड़ा करने की योजना नहीं है। यदि भविष्य में यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही सड़क चौड़ी करने का निर्णय किया जाता है।

(2) समयबद्ध योजना बनती जाती है।

(3) वर्तमान में प्रश्नगत भूमि को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधीकरण के आदेश दिनांक 6.9.2000 के द्वारा यथा स्थिति के आदेश के कारण विकास संबंधी अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यथा स्थिति विचार किया जावेगा।

स्वेज फार्म (जयुपर) की आवासीय कालोनियों का नियमन

630. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भंवरू खान)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जयपुर शहर में स्वेज फार्म के लिए भूमि अधिगृहीत करने के लिए अधिसूचना जारी की थी? यदि हां, तो अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वेज फार्म के लिए जो भूमि अधिगृहीत की जानी थी उस पर सहकारी समितियों ने आवासीय प्लाट काट दिये तथा वहां पर लोगों द्वारा आवासीय भवन भी निर्मित कर लिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस समिति द्वारा कौन-कौन सी कालोनी बनाकर पट्टे दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त आवासीय कालोनी को नियमित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो अब कब तक नियमित कर दिया जायेगा? क्या सरकार ने उक्त कालोनियों को नियमित करने हेतु कोई नियमन दरें तय की हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के द्वारा जयपुर शहर में स्वेज फार्म के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु राजस्थान नगर सुधार अनिधियम 1959 की धारा 52 (1) के तहत अधिसूचना दि. 7.3.1984 को जारी की गई थी जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 20.4.84 को हुआ। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी, हां। अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान अधिगृहीत की जाने वाली भूमि पर विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा आवासीय योजना सृजित कर आवासीय भूखण्डों का आबंटन कर दिया है तथा काफी भूमि पर आवास भी निर्मित हो चुके हैं। जे.डी.ए. में प्रस्तुत रिकार्ड एवं सर्वे के आधार पर जिन सहकारी समितियों के द्वारा आवासीय कालोनियां काट कर प्लाट बेचे हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। अभी स्वेज फार्म के लिये अधिगृहीत की गई भूमियों पर आवासीय कालोनियों को नियमित नहीं किया गया है।

ज.वि.प्रा. की 43वीं बैठक में सीवरेज फार्म क्षेत्र में स्थित सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं के संबंध में- यह निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में लेंड यूज प्लान के अन्तर्गत आने वाली अनुमोदन योग्य आवासीय योजनाओं का ले आउट प्लान अनुमोदित कर उन्हें नियमित किया जावें। उक्त प्राधिकरण की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान विकास योजना 2001 के भू-उपयोग मानचित्र में इस क्षेत्र का भू-उपयोग दर्शाने से पूर्व जविप्रा एक्ट की धारा 25 की उपधारा 3 के अन्तर्गत जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की कार्यवाही की जावे। धारा 24 (3) के तहत आपत्तियों/सुझावों आमंत्रित कर लिये गये हैं। जिन पर अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है। जिसके उपरान्त ही नियमन की कार्यवाही

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

की जावेगी। प्राधिकरण की उक्त 43वीं बैठक में इस क्षेत्र के लिये अवाप्त शुदा भूमि का नियमन उस क्षेत्र की आरक्षित दर का 25% के हिसाब से करने का निर्णय लिया है। इस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर 1650/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दी कृष्णा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की आवासीय योजना का अनुमोदन

631. **श्री ललित भाटी** (अजमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी कृष्णा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड ने झोटवाड़ा रोड पर अम्बाबाड़ी के सामने स्कीम नम्बर एस 7 आवासीय योजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की है?

(2) समिति क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों में उक्त ने चार बार नक्शा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया? नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम के पट्टेधारियों में अधिकतर ने रूपान्तरण शुल्क भी जमा करवा रखा है? यदि हां, तो फिर आवासीय योजना का अनुमोदन क्यों नहीं किया जा रहा है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में कतिपय मकानों और दुकानों का निर्माण भी हो गया है?

(5) अब उक्त आवासीय योजना का अनुमोदन कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त आवासीय योजना का अनुमोदन नहीं करने पर क्या सरकार मूल रूपान्तरण राशि और 20 वर्ष का ब्याज लौटायेगी? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। सोसायटी ने गत दो वर्षों में कोई आवेदन/नक्शा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(3) कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पट्टेधारियों द्वारा रूपान्तरण शुल्क जमा नहीं कराया है। योजना नं. 7 का भू-उपयोग राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित होने के कारण अनुमोदन किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी, हां। योजना में आंशिक मकान और दुकानें निर्मित हैं।

(5) इस कालोनी की भूमि का उपयोग राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित है। अतः नियमन सम्भव नहीं है।

(6) कार्यालय रिकार्ड के अनुसार रूपान्तरण राशि जमा होना नहीं पाया जाता है। अतः राशि लौटाने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की आटो मोबाइल नगर योजना

632. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की आटो मोबाइल नगर योजना कब से प्रारम्भ की गई तथा उक्त हेतु कितनी भूमि अवाप्त की गई? विवरण नक्शे की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में आबंटन प्रक्रिया क्या अपनाई गई व उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की आटो मोबाइल योजना वर्ष 1983 से प्रारम्भ की गई। यह योजना राजकीय भूमि में बनाई गयी है। अतः इस योजना हेतु भूमि अवाप्त नहीं की गई है। आटो मोबाइल नगर के योजना प्लान की प्रति संलग्न है।

(2) इस योजना में (1) राजस्थान आटो मोबाइल डीलर एसोसियेशन, (2) जयपुर मोटर रिपेयरिंग एसोसियेशन तथा (3) जयपुर भारी वाहन पार्टस विक्रेता संघ के पात्र सदस्यों को व्यवसाय हेतु जरिये लाटरी भूखण्ड आबंटित किए गये। यह आबंटन का कार्य अब पूर्ण हो चुका है।

(प्लान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण की परिवहन नगर व लोहा मण्डी हेतु अवाप्त भूमि

633. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परिवहन नगर एवं लोहा मण्डी हेतु भूमि अवाप्त की गई हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी? विवरण रकबा व प्रस्तावित नक्शे की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवाप्त भूमि में कितने भूखण्ड आबंटित किये जाने प्रस्तावित हैं? उक्त आबंटन कब एवं किस दर व किस प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगर/मण्डी में आबंटन प्रक्रिया कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा अब तक विलम्ब के क्या कारण रहे हैं?

(4) उक्त नगर/लोहा मण्डी में आने जाने हेतु कौन-कौन से सड़क मार्ग होंगे और उनको मुख्य सड़क से कहां से जोड़ा जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। परिवहन नगर हेतु भूमि अवापति की जा रही है इस हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 9.6.2000 को जारी की गई है। जिसमें कुल 139.77 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जानी है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

लोहा मण्डी योजना लगभग 56.53 हैक्टेयर भूमि पर बनाया जाना विचाराधीन है। इसमें से 25.41 हैक्टेयर भूमि राजकीय है, तथा 31.12 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना विचाराधीन है। नक्शे की प्रति संलग्न परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। राजकीय भूमि परिशिष्ट "स" पर तथा अवाप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि परिशिष्ट "द" (मय नक्शे के) संलग्न है।

(2) परिवहन हेतु अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है इसके पश्चात ही भूखण्डों की संख्या तथा आबंटन किया जाना सम्भव है लोहा मण्डी में भूखण्ड की संख्या एवं साइज परिशिष्ट "1" पर संलग्न है भूखण्ड का आबंटन दर एवं प्रक्रिया विचाराधीन है।

(3) भूमि अवाप्ति के बाद योजना में विकास कार्य पूर्ण होने पर आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

(4) इस योजना में (लोहा मण्डी) आने जाने हेतु एक 30 मीटर चौड़ा रोड प्रस्तावित है। इस रोड द्वारा ही मुख्य सीकर रोड तक पहुंचा जा सकेगा। मुख्य सीकर रोड से ग्राम माचेडा को जाने हेतु निकल रहे रोड स्थल से ही (रोड को) मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा। परिवहन नगर योजना प्रक्रियाधीन होने के कारण सहमार्ग निश्चित नहीं किये गये हैं।

(परिशिष्टों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम खड़ब (जयपुर) के तालाब से मिट्टी उठाने पर रायल्टी की वसूली

634. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत क्षेत्र में स्थित जोहड़ या तालाब की मिट्टी खोदे जाने पर खनिज विभाग रायल्टी वसूल करता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) ग्राम के जोहड़ों पर पंचायत का अधिकार है अथवा खनिज विभाग का?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम खड़ब पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) के जोहड़ से मिट्टी उठाने पर खनिज विभाग ने रायल्टी वसूल की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत क्षेत्र में जोहड़ या तालाबों की मिट्टी खोदी जाकर व्यावसायिक रूप में उपयोग की जाती है तो खनिज विभाग नियमानुसार रायल्टी वसूल करता है जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत है।

(2) ग्राम के जोहड़ों पर पंचायत का अधिकार है। किन्तु उनसे निकलने वाले किसी भी प्रकार के खनिज पर खनिज विभाग/राजस्थान सरकार का अधिकार है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(3) जी हां, ग्राम पंचायत खड़ब पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) के जोहड़ से मिट्टी उठाने पर खनिज विभाग ने रायल्टी वसूल की है क्योंकि इस मिट्टी का उपयोग विशेष प्रयोजनार्थ हुआ है। अतः रायल्टी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत ली गई है।

तहसील उदयपुरवाटी क्षेत्र (झुंझुनूं) में लीज चेजा पत्थर पर रायल्टी

635. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी क्षेत्र में किस-किस स्थान पर कितने-कितने क्षेत्रफल की चेजा पत्थर की लीज किस-किस को कितनी अवधि हेतु दी हुई है?

(2) उक्त क्षेत्र में चेजा पत्थर पर रायल्टी वसूलने तथा अधिशेष रायल्टी वसूलने के ठेके किस-किस व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी समूह को किस-किस अवधि तक का दिया गया है?

(3) उक्त क्षेत्र में बजरी उठाने पर रायल्टी वसूल करने का ठेका किस-किस को कितनी अवधि का किस-किस स्थान का दिया गया है?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुर वाटी के ग्राम नांगल, टोडी, टोडीअकावली, नेवरी, गुढ़ा के आसपास चेजा पत्थर के विभिन्न क्षेत्रफल की लीज व अवधि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) उक्त क्षेत्र में चेजा पत्थर पर रायल्टी वसूलने तथा अधिक रायल्टी वसूलने के ठेके वर्तमान में किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म, कम्पनी समूह को नहीं दिये हुए हैं।

(3) उक्त क्षेत्र से बजरी उठाने सम्बन्धी रायल्टी की वसूली करने का ठेका वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के दर्ज आपराधिक मामले

636. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चोरी, डकेतियां, लूटपाट, हत्या/आगजनी/बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्यों? क्या पुलिस उक्त घटनाओं पर अंकुश लगाने की बजाय अपराध बढ़ा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अपराधों को घटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

(श्री रामस्वरूप)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के थानों के लिए वाहन/वायरलैस सेट एवं मोटर साइकिलें और उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत जिला करौली के पुलिस थाना टोडाभीम, नादौती व गढ़मोरा का क्षेत्र आता है उक्त थानों में वर्ष 1998, 1999, 2000 में चोरी, डकेती, लूट, हत्या, बलात्कार व आगजनी के दर्ज अभियोगों का तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	नाम शीर्षक	दर्ज अभियोग		
		वर्ष 1998	1999	2000
1.	चोरी	89	93	89
2.	डकेती	—	—	—
3.	लूट	3	3	8
4.	हत्या	7	6	4
5.	बलात्कार	4	4	5
6.	आगजनी	2	—	1

यह सही नहीं है कि पुलिस अपराधों को बढ़ा रही है। अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस द्वारा रात्रि गश्त एवं नाकाबन्दी की जा रही है तथा पुराने अभ्यस्त अपराधियों की समय-समय पर चैकिंग कर उनकी गति विधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के तीनों थानों में स्वीकृत संख्या के अनुसार पूर्ण पुलिस स्टाफ लगाया हुआ है।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के तीनों थानों में वायरलैस सैट लगे हुए हैं, इस विधान सभा क्षेत्र के थाना गढ़मोरा को छोड़कर शेष दोनों पर वाहन उपलब्ध कराये हुए हैं। नये वाहन उपलब्ध होने पर थाना गढ़मोरा को वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

थाना सामोद (जयपुर) में दर्ज प्रकरण 50/2001 के मुलजिमों की गिरफ्तारी

637. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दहेज हत्या जैसे गम्भीर प्रकरणों की जांच हेतु क्या-क्या नियम/निर्देश हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरणों में जांच अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से दोषियों को संरक्षण दिया जाकर सबूत नष्ट करने का एवं पीड़ित पक्षकार पर दबाव डालने का मौका दिया जाता है? यदि नहीं, तो फिर ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही हेतु समय सीमा क्यों निश्चित नहीं की जाती है? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच हेतु कोई समय सीमा निश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि थाना सामोद जिला जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 50/2001 में जांच अधिकारी द्वारा स्वयं की उपस्थिति में नामजद अभियुक्तों द्वारा पीड़ित पक्षकारों को मुकदमा वापस लेने हेतु धमकाया एवं दबाव भी डाला गया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर पीड़ित पक्षकारों को न्याय दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दहेज हत्या जैसे गम्भीर प्रकरणों की जांच हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (ख) में पर्याप्त प्रावधान विद्यमान हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

दहेज हत्या के प्रकरण को विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण होने के कारण इन पर पुलिस मुख्यालय द्वारा मानिटरिंग की जाती है। यदि किसी महिला द्वारा विवाह के 7 वर्ष की अवधि में आत्महत्या, सन्देहास्पद मृत्यु अथवा पति एवं उसके परिजनों द्वारा दहेज हत्या कारित की जाती है तो इन प्रकरणों का अनुसंधान उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा पोस्टमार्टम यथासम्भव दो डाक्टरों के बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। पोस्टमार्टम से पूर्व, जहां तक सम्भव हो, मृतका के पीहर पक्ष के सदस्यों को शव दिखाया जाता है एवं मृतका का पंचनामा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया जाता है। वैसे प्रायः ऐसे प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही की जाती है परन्तु फिर भी किसी प्रकरण विशेष में त्वरित कार्यवाही हेतु मामले की महत्वता एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए समय-समय पर निर्देश दे दिये जाते हैं।

(2) जी, नहीं। ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही हेतु कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत समय सीमा निश्चित नहीं है, फिर भी ऐसे प्रकरणों का अनुसंधान त्वरित गति से किया जाता है।

(गृह मंत्री)

(3) अभियोग संख्या 50/2001 धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. का अनुसंधान वृताधिकारी वृत चौमूं द्वारा किया जा रहा था। अभियुक्तों द्वारा जांच अधिकारी की उपस्थिति में पीड़ित पक्षकारों को मुकदमा वापस लेने हेतु धमकाने आदि के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयुपर ग्रामीण द्वारा जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जावेंगी। प्रकरण के संबंध में दर्ज अभियोग का अनुसंधान किया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

थाना बस्सी (जयपुर) के घोषित हिस्ट्री शीटर

638. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना बस्सी (जयपुर) में दर्ज मुकदमा 424/95 का अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त मुकदमें के मुलजिम श्री भगवान सहाय गुर्जर के विरुद्ध मुकदमा नं. 160/75, 5162/75, 162/82, 446/89, 250/95, 256/95, 242/95, 219/95, 424/95, 707/95, 301/96, 356/96, 88/97, 93/97, 95/97, 100/97, 123/97, 124/97, 492/97, 591/97 व 3 अन्य श्री देवबक्स के विरुद्ध 173/85, 201/91, 78/90, 75/88, 376/93, 219/91, 242/95, 250/95, 265/95, 364/95, 424/95, 555/95, 707/95, 832/95, 356/96, 301/96, 88/97, 93/97, 95/97, 100/97, 123/97, 124/97, 492/97, 511/97 व 5 अन्य तथा श्री ईश्वर गुर्जर के विरुद्ध 250/95, 424/95, 555/95, 301/96, 356/96, 707/95, 832/95, 88/97, 93/97, 95/97, 100/97, 123/97, 124/97, 492/97, 511/97 व 3 अन्य मुकदमें दर्ज हुए हैं? उक्त में से कितने मुकदमों में चालान पेश किये गये व कितनों को अन्तिम रिपोर्ट लगाकर बन्द किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त व्यक्तियों को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण ने अपने पत्र दिनांक 17.6.96 द्वारा माफिया गिरोह का सदस्य माना था? क्या उक्त सम्बन्ध में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की है? यदि हां, तो किन व्यक्तियों के विरुद्ध? क्या सरकार इनके विरुद्ध भी उक्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, अभियोग सं. 425/95 थाना बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण में चालान न्यायालय में दिनांक 13.7.98 को पेश किया जा चुका है।

(2) प्रश्नानुसार भगवान गुर्जर के विरुद्ध मुकदमा नं. 160/75, 242/95, 250/95, 424/95, 707/95, 356/96, 301/96, 93/97, 95/97, 100/97, 123/97, 124/97, कुल 12 अभियोग दर्ज

(गृह मंत्री)

हुए। जिनमें 3 मुकदमों में चार्जशीट व 9 मुकदमों में एफ.आर. दी गई। शेष मुकदमें उसके परिवार व साथीगणों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। सूची अनुसार देवबक्श पुत्र भोरी लाल के विरुद्ध अभियोग सं. 178/85, 75/88, 201/91, 265/95, 555/95, 707/95, 832/95, 356/96, 93/97, 95/97, 100/97, 123/97, 124/97, 492/97, 511/97, 345/99, दर्ज हुए। अन्य शेष उल्लेखित अभियोग देवबक्श के परिवार व अन्य लोगों के विरुद्ध है। इसके विरुद्ध कुल 16 अभियोगों में से 6 में चार्जशीट व 9 अभियोगों में एफ.आर.. दी गई है। व अभियोग सं. 492/97 में दोषी नहीं पाया गया।

सूची अनुसार ईश्वर लाल गुर्जर के विरुद्ध मुकदमा नं. 250/87, 98/88, 555/95, 707/95, 832/95, 356/96, 93/97, 100/97, 95/97, 123/97, 124/97, 492/97, 511/97, 345/99 कुल 14 अभियोग दर्ज हुए हैं। जिनमें 5 अभियोगों में चार्जशीट व 9 अभियोगों में एफ.आर. दी गई है।

(3) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 17.6.96 को माफिया गिरोह के सदस्य के संदर्भ में थाना प्रभारी, थाना बस्सी को इस आशय का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। देवबक्श व ईश्वर लाल के विरुद्ध 110 जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक, जयुपर ग्रामीण द्वारा दिनांक 7.4.2001 के तहत उक्त के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

गरीबी एवं अकाल से त्रस्त किसान

639. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 2000 में कुल कितने आत्म हत्याओं के प्रकरण दर्ज किये गये और उनमें से कितने प्रकरण किसानों से संबंधित थे?

(2) उक्त प्रकरणों के अनुसंधान में पुलिस ने किसानों द्वारा आत्म हत्याओं के क्या कारण दर्शायें हैं? उक्त में से कितने-कितने प्रकरण अकाल एवं गरीबी से संबंधित हैं?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2000 में कुल 3023 आत्म हत्याओं के प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें से 303 प्रकरण किसानों एवं उनके परिवार से संबंधित थे।

(2) किसानों एवं उनके परिवार के सदस्यों में से आत्महत्या से संबंधित प्रकरण के पुलिस द्वारा अनुसंधान में अधिकांश मामले पारीवारिक विवाद, सम्पत्ति विवाद, लम्बी बीमारी, नशे की लत, विवाह सम्बन्ध विच्छेद जैसे कारण पाये गये। आर्थिक तंगी-गरीबी से सम्बन्धित आत्म हत्या के 11 मामले पाये गये। अकाल से आत्म हत्या का कोई प्रकरण नहीं पाया गया।

थाना मानसरोवर, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 338/2000

640. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना मानसरोवर, जयपुर में दिनांक 23 दिसम्बर, 2000 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 338/2000 दर्ज हुई है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब तक गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब भी मुलजिमान को गिरफ्तार कर फरियादी को न्याय दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त मुलजिमान के विरुद्ध जयपुर के विभिन्न थानों में गत 5 वर्षों में धोखाधड़ी, बेईमानी, जालसाजी आदि के भी कई प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस थाने में? प्रत्येक की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 23 दिसम्बर, 2000 को थाना मानसरोवर, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 338/2000 पंजीबद्ध हुई है प्रथम सूचना अन्तर्गत धारा 420 भा.दं.सं. के पंजीबद्ध की जाकर बयान मुस्तगीस व अन्य गवाहों के लिये गये एवं मुस्तगीस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रतियां शामिल अनुसंधान पत्रावली में किये गये। मुलजिमान बाबू खान पुत्र श्री मोहम्मद इल्यास को विशेष पुलिस दल द्वारा थाना रामगंज इलाके में दिनांक 2.4.2001 को गिरफ्तार किया। प्रथम सूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां, प्रकरण में मुल्जिम बाबू खान पुत्र मोहम्मद इल्यास को दिनांक 2.4.2001 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

(3) पंजीबद्ध अभियोग संख्या 338/2000 में मुलजिम बाबू खान को गिरफ्तार किया जा चुका है मुलजिम बाबू खान से धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त रकम की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं। फरियादी को सरकार न्याय दिलाये जाने हेतु कटिबद्ध है। मुलजिम के खिलाफ शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश किया जायेगा।

(4) मुलजिम बाबू खान के विरुद्ध विगत 5 वर्षों में जयपुर शहर उत्तर/दक्षिण में अभियोग संख्या 338/2000 थाना मानसरोवर, जयपुर के अलावा अन्य किसी थाने में कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला बूंदी में देह व्यापार

641. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में देह व्यापार के अड्डे चल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? उक्त अड्डों पर पुलिस ने कब-कब छापा मारा व किन-किन को गिरफ्तार किया? उक्त देह व्यापार उन्मूलन के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना जलौदा (बूंदी) में गत तीन माह पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति के वृद्ध की हत्या की गई है? यदि हां, तो पुलिस ने उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की? पुलिस (मुख्यालय) को पत्र दिनांक 6.12.2000 और 23.2.2001 को लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्रों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि बूंदी जिले में देह व्यापार के अड्डे चल रहे हैं परन्तु ग्राम मोहनपुरा थाना इन्द्रगढ़ जिला बूंदी की महिलाओं द्वारा चोरी छिपे देह धंधा किये जाने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई है। ग्राम मोहनपुरा थाना इन्द्रगढ़ में देह व्यापार का धन्धा चलने की सूचना पर वर्ष 1999 व वर्ष 2000 में देह व्यापार करने वालों के विरुद्ध छापे मारे गये वर्ष 1999 में मु.नं. 103/99 धारा 3, 4, 5, पीटा एक्ट 1956 थाना इन्द्रगढ़ में मुल. मीना पुत्री रामस्वरूप कंजर, रामलीला पत्नी रामस्वरूप कंजर निवासी मोहनपुरा व मु.नं. 104/99 धारा 3, 4, 5, पीटा एक्ट 1956 थाना इन्द्रगढ़ में सीमा पुत्री जगदीश कंजर, सुगना पुत्री जगदीश कंजर, जगदीश पुत्र प्रहलाद कंजर निवासी मोहनपुरा को गिरफ्तार किया गया।

वर्ष 2000 में मु.नं. 29/2000 धारा 3/7 पीटा एक्ट में थाना इन्द्रगढ़ में मुलजिम सरिता पुत्री श्योजी कंजर निवासी मोहनपुरा को, मु.नं. 30/2000 धारा 3/7 पीटा एक्ट थाना इन्द्रगढ़ में मुलजिम छन्नों पत्नी रामचन्द्र कंजर व अशोक पुत्र गोकुल कंजर निवासी मोहनपुरा को मु.नं. 31/2000 धारा 3/7 पीटा एक्ट थाना इन्द्रगढ़ में मीरा पुत्री रेमानिया कंजर व बालकिशन पुत्र मदन लाल कंजर निवासी मोहनपुरा को मु.नं. 49/2000 धारा 3/7 पीटा एक्ट थाना इन्द्रगढ़ में लक्ष्मी पुत्री नाथूलाल कंजर निवासी मोहनपुरा को व मु. नं 50/2000 धारा 3/7 पीटा एक्ट थाना इन्द्रगढ़ में मीरा पुत्री रहमानिया कंजर को गिरफ्तार किया गया। देह व्यापार के अड्डे चलने की जानकारी होने पर उस स्थान पर पुलिस द्वारा अपना आदमी भेजकर पुष्टि की जाती है। पुष्टि होने पर उस स्थान पर छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाती है। उस स्थान पर भविष्य में यह कृत्य

(गृह मंत्री)

नहीं हो इसके लिए प्रभावी गश्त एवं निगरानी रखी जाती है।

(2) ग्राम जलोदा थाना केशवरायपाटन जिला बूंदी में दिनांक 29.6.2000 को श्री लटूर लाल पुत्र माधो मेघवाल निवासी जलोदा की हत्या हुई है। जिसके संबंध में थाना केशवरायपाटन पर मु.नं. 232/2000 धारा 302 भादस. दर्ज होकर अनुसंधानाधीन है। मुलजिमान की पतारसी के प्रयास जारी है। मृतक की हत्या अज्ञात मुलजिमान द्वारा की गई है।

बालोतरा (बाड़मेर) के कांस्टेबल संख्या-470 के पुत्र को नियुक्ति

642. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा (बाड़मेर) शहर में ड्यूटी पर तैनात श्री भीखसिंह कांस्टेबल संख्या 470 का देहान्त वर्ष 2000 में हो गया था? यदि हां, तो क्या स्वर्गीय श्री भीखसिंह के पुत्र श्री महेन्द्र सिंह राजपुरोहित को राज्य सेवा में नियुक्ति दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा डी.आई.जी. ए.एस.आई. को मेवात क्षेत्र के थानों से हटाने का विचार कर रही है? क्या दिनांक 5 जनवरी, 2001 को गुलपाड़ा में उक्त ए.एस.आई. के विरुद्ध जन आक्रोश होकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि बालोतरा (बाड़मेर) शहर में ड्योटी पर तैनात श्री भीखसिंह कानि. सं. 470 का देहान्त दिनांक 18.10.2000 को हो गया था। स्वर्गीय श्री भीखसिंह कानि. के पुत्र श्री महेन्द्र सिंह राजपुरोहित को राज्य सेवा में लगाने का आदेश उनके आवेदन पत्र के आधार पर अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि उनका आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला बाड़मेर के पत्र क्रमांक 2774 दिनांक 6.12.2000 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राज. जयपुर को भिजवाया गया था लेकिन वर्तमान में विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त नहीं होने के कारण उप महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राज. जयपुर के पत्र क्रमांक नं. 5(1) पुलिस फोर्स/2001 दिनांक 23 फरवरी, 2001 के द्वारा अन्य विभाग में नियोजन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

(2) जी हां, यह सही है कि पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा उनके पत्र सं. 2774 दिनांक 6.12.2000 के द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राज. जयपुर को नियुक्ति हेतु भिजवाया गया था व इसी के निरन्तर क्रम में पुलिस अधीक्षक बाडमेर का पत्र सं. 528 दिनांक

(गृह मंत्री)

23.2.2001 के द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राज. जयपुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया था। चूंकि वर्तमान में पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त नहीं होने के कारण उप महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक नं. 5(1) पुलिस-फोर्स/2001 दिनांक 23.2.2001 के द्वारा अन्य किसी विभाग में नियोजन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होने पर श्री महेन्द्र सिंह राजपुरोहित का मूल प्रकरण अन्य विभाग में च.श्रे.क. के पद पर नियुक्ति देने हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को दिनांक 22.3.2001 को भिजवाया गया लेकिन कार्मिक (क-2) विभाग ने दिनांक 20.4.2001 को प्रस्ताव वापस कर सूचित किया है कि आवेदक आठवीं की योग्यता रखते हैं अतः नियम 10(6) के प्रावधान के अनुसार इन्हें आर.ए.सी. में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जावे।

महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर को गृह विभाग के पत्र क्रमांक 2(1) गृह-1/2001-48 दिनांक 23.4.2001 द्वारा आवेदक को आर.ए.सी. में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु सूचित किया जा चुका है।

थाना सीकरी (भरतपुर) में पदस्थापित ए.एस.आई द्वारा अनियमितता

643. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना सीकरी (भरतपुर) के ग्राम भुआपुर (गढ़ी) में दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 को सीकरी थाने के एक ए.एस.आई. ने रमजान के महीने में मेवों के घरों के ताले तोडे और अपने साथ डाबक गांव के लोगों को ले जाकर भुआपुर में लूटपाट की थी? यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ए.एस.आई. श्री शिवराम गुर्जर के क्षेत्र मेवात के थानों में पदस्थापन से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है? क्या सरकार उक्त....

उत्तर

(1) जी नहीं, दिनांक 26.12.2000 को समय 1.00 P.M. पर श्री लीले ब्राह्मण निवासी डावक थाना सीकरी द्वारा जरिये टेलीफोन स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि हकू पुत्र कण्डा मेव द्वारा अपने रिहायसी मकान में गो वध किया जा रहा है एवं डावक गांव के 70-80 आदमी इसी जांच के लिए भुआपुर गढ़ी रवाना हो चुके हैं। इस पर श्री शिवराम सिंह, ए.एस.आई. मय मुलाजमान थाना सीकरी से रवाना होकर गांव भुआपुर गढ़ी पहुंचे एवं हर सम्भव विधिक तरीके से जानकारी की गई तो गोवध किया जाना नहीं पाया गया। इसी दौरान डावक गांव के लोग भी भुआपुर गढ़ी पहुंच गये और दोनों गांवों के व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न हो गया। थाना सीकरी द्वारा इस तनाव की सूचना दिये

(गृह मंत्री)

जाने पर सी.ओ. डीग व अति. पुलिस अधीक्षक भरतपुर व एस.डी.एम. डीग गये पुलिस जाप्ता के गांव भुआपुर गढ़ी पहुंचे मय एवं दोनों गांवों के लोगों को समझा बुझा कर अपने-अपने घरों को भेज दिया।

इस संबंध में दिनांक 28.12.2000 को श्री नत्थी गूजर निवासी डावक द्वारा एक तहरिरी रिपोर्ट थाना सीकरी पर पेश की, जिस पर अ.सं. 238/2000 धारा 342, भादस व 3/8 राज. गोव वंश अधि. थाना सीकरी पर पंजीबद्ध किया गया जिसमें बाद में बाद तफतीश नतीजा एफ.आर.अदम वकू में दिया गया। इसी अभियोग के क्रोस में दिनांक 2.1.2001 को श्री मजीद मेव निवासी भुआपुर गढ़ी द्वारा भी अभि. सं. 1/2001 धारा 147, 148, 149, 379 भा.दं.सं. थाना सीकरी पर पंजीबद्ध कराया था जो अनुसंधान से झूठा पाया जाने पर इस अभियोग में भी नतीजा एफ.आर. अदम वकू में दिया गया। दोनों ही अभियोगों में परिवादी गणों के विरुद्ध 182 भा.दं.सं. का इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया है।

(2) यह सही नहीं है, क्योंकि उक्त ए.एस.आई. वर्तमान में भी मेवात क्षेत्र के थाने जुरहरा पर तैनात है और इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और न ही कोई तनाव जैसी स्थिति है यदि इसके विरुद्ध कोई जनाक्रोश होता या तनाव जैसी स्थिति होतीं तो निश्चय ही इसकी शिकायतें होती। इस ए.एस.आई. के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है इसलिए इसे हटाने का कोई विचार नहीं है।

दिनांक 5.1.2001 को गांव गुलपाड़ा में मेव समुदाय के लोगों की पंचायत हुई थी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, बल्कि पूरी पुलिस की कार्य शैली व गुण-अवगुणों पर चर्चा की गई थी एवं पुलिस की कार्यशैली को लेकर टीका टिप्पणी, मेव समुदाय के लोगों द्वारा की गई थी। श्री शिवराम ए.एस.आई. के विरुद्ध जनाक्रोश भड़कने व तनाव जैसी स्थिति होने की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

निरीक्षक पद पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामला

644. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस में श्री वीरेन्द्र जाखड़ निरीक्षक किस पद पर कब चयनित हुए?

(2) उक्त निरीक्षक का प्रशिक्षण के बाद प्रथम पदस्थापन कहां हुआ तथा उसके पश्चात् उनकी पद स्थापन कहां-कहां कितनी-कितनी अवधि तक किस-किस पद पर फरवरी, 2001 तक रहा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निरीक्षक के विरुद्ध प्रथम पदस्थापन के बाद अब तक कोई आपराधिक अभियोग दर्ज हुआ? यदि हां, तो प्रत्येक अपराध का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

(4) क्या उक्त निरीक्षक का प्रथम पदस्थापन में ही विभागीय जांचों में दोषी पाया गया? यदि हां, तो उक्त जांचों में क्या-क्या सजा दी गई? विवरण प्रत्येक जांचवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सभी सजाओं के विरुद्ध रेंज अधिकारियों को अपीलें की गईं? यदि हां, तो प्रत्येक अपील में क्या निर्णय लिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या श्री वीरेन्द्र जाखड़ ने पुलिस में नियुक्ति पाने के बाद चल या अचल सम्पत्ति क्रय या विक्रय करने की स्वीकृति सरकार ने प्रापत की है? यदि हां, तो क्या-क्या सम्पत्ति क्रय/विक्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री वीरेन्द्र कुमार जाखड़, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 1982 में उप निरीक्षक पुलिस पद पर चयनित हुए। नियुक्ति दिनांक 30.3.84 को दी गई।

(2) श्री वीरेन्द्र कुमार जाखड़ द्वारा उप निरीक्षक पद का दिनांक 8.5.85 से 15.4.86 तक जिला बीकानेर में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् पदस्थापन का विवरण सर्विस रिकार्ड के अनुसार इस प्रकार है :—

क्र.सं.	पद	पदस्थापन स्थान	अवधि
1	2	3	4
1.	द्वितीय अधिकारी	थाना नोखा, जिला बीकानेर	16.4.86 से 22.4.87
2.	द्वितीय अधिकारी	थाना सदर, जिला बीकानेर	23.4.87 से 13.7.88
3.	पुलिस लाइन, गंगानगर	जिला गंगानगर	14.7.88 से 27.7.88
4.	द्वितीय अधिकारी	थाना सादुलशहर जिला गंगानगर	28.7.88 से 24.5.89
5.	द्वितीय अधिकारी	थाना सूरतगढ़ जिला गंगानगर	25.5.89 से 12.7.91
6.	थानाधिकारी	थाना भिरानी (गंगानगर)	13.7.91 से 18.4.93
7.	उप निरीक्षक पुलिस	जिला बीकानेर	19.4.93 से 14.10.93
8.	संचित निरीक्षक	डी.आर.एफ. जिला कोटा	15.10.93 से 1.11.94

(गृह मंत्री)

1	2	3	4
9.	थानाधिकारी, थाना	थाना विज्ञाननगर जिला कोटा शहर	2.11.94 से 24.7.95
10.	निरीक्षक पुलिस	सीआईडी (सीबी) जयुपर	25.7.95 से 31.8.96 तक
11.	निरीक्षक पुलिस	स्टाफ आफिसर रेंज कार्यालय, बीकानेर	1.9.96 से 31.10.96
12.	निरीक्षक पुलिस	जिला हनुमानगढ़	1.11.96 से 20.12.96
13.	थानाधिकारी	थाना सूरतगढ़ (गंगानगर)	21.12.96 से 1.12.98
14.	पुलिस निरीक्षक	पुलिस लाइन गंगानगर	2.12.98 से 22.3.99
15.	थानाधिकारी	थाना सादुलशहर (गंगानगर)	23.3.99 से 17.6.99
16.	थानाधिकारी	थाना नोहर, (हनुमानगढ़)	18.6.99 से फरवरी, 2001

(3) पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध अभियोग संख्या 446/99 धारा 120 बी, 167, 218 भा.द.सं. थाना नोहर पर पंजीबद्ध हुआ। अनुसंधान से अभियोग झूठा पाया जाने पर अभियोग में नतीजा जरिये एफ.आर. नं. 59 दिनांक 26.6.2000 बसिंगे अदम वकू में दिया गया।

(4) श्री वीरेन्द्र कुमार जाखड़ का प्रथम पदस्थापन थानाधिकारी के पद पर थाना भिरानी जिला गंगानगर में दिनांक 13.7.91 से 18.4.93 तक रहा। इस अवधि में श्री विरेन्द्र कुमार जाखड़ द्वारा अभियोग संख्या : 144/92 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना भिरानी के अनुसंधान में त्रुटियां रखने तथा वास्तविक अभियुक्तों को बचाकर निर्दोष व्यक्तियों को अभियुक्त बनाने के कारण नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर ई.ओ.बी नं. 943 दिनांक 15.6.94 से दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से बन्द किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

(5) जी हां, उक्त दण्डादेश के विरुद्ध अपील करने पर उप महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक : 73 दिनांक 28.3.95 से दोषमुक्त किया गया।

(6) श्री वीरेन्द्र कुमार जाखड़ पुलिस में नियुक्ति के दौरान राज्य सरकार एवं विभाग से सम्पत्ति क्रय-विक्रय संबंधी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की है।

बीज विकास परियोजना के तहत बीज संग्रहण

645. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लघुवन विकास योजना अन्तर्गत लघुवन से सम्बन्धित प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो रेंज प्रतापगढ़ एवं देवगढ़ में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में रोपण कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई एवं कितने पौधे लगाये गये?

(2) क्या बीज विकास परियोजना के तहत बीज संग्रहण, बीजों को सुखाने भण्डारण एवं जांच आदि का कार्य वन वर्धन अधिकारी द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो बांसवाड़ा/डूंगरपुर/उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में उक्त अधिकारी ने वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कितना संकलन किया?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रतापगढ़ वन मण्डल की रेंज प्रतापगढ़ एवं देवगढ़ में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में लघुवन विकास योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण के कोई कार्य नहीं कराये गये हैं। इसलिये कोई धनराशि खर्च नहीं की गई।

(2) जी, हां। वन वर्धन अधिकारी द्वारा बीजों का संग्रहण विभिन्न प्रजातियों के बीजों के लिये चिन्हित किये गये "बीज उत्पादन क्षेत्रों" से ही किया जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कोई बीज उत्पादन क्षेत्र चिन्हित नहीं होने से बीज संग्रहण नहीं किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में खैर के बीज हेतु रावतभाटा में एक "बीज उत्पादन क्षेत्र" चिन्हित है जिससे वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में बीज संग्रहण नहीं किया गया है।

ग्राम नीमली खुर्द (सवाईमाधोपुर) में अवैध खनन कार्य

646. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नीमली खुर्द (सवाईमाधोपुर) के आराजी खसरा नं. 246 के एरिया में श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मोहम्मद इलयास को चेजा पत्थर के खनन कार्य हेतु वन विभाग द्वारा क्रमांक 4676 दिनांक 19.12.1987 के द्वारा अनापत्ति (वन क्षेत्र से बाहर) प्रमाण-पत्र जारी किया था? यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र का दिनांक 26.8.98 व 18/19 दिसम्बर, 1998 को वन विभाग के ए.सी.एफ. श्री साहिब सिंह की निगरानी में राजस्व व खनिंज विभाग के संयुक्त दल ने सर्वे किया था?

(3) क्या उक्त संयुक्त सर्वे में आराजी खसरा नम्बर 235 (वन क्षेत्र) में श्री राम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सहाय मीणा, श्री श्योजीराम मीणा, श्री हरफुल पुत्रान श्री रामनारायण मीणा द्वारा अवैध खनन कार्य बाबत कोई टिप्पणी की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या खसरा नं. 235 में मीणा बन्धुओं द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से वन क्षेत्र में खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो दोषी कौन-कौन हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम नीमली खुर्द सवाई माधोपुर के आराजी खसरा नं. 246 के एरिया में श्री अब्दुल अजीज पुत्र मोहम्मद इलियास को चेजा पत्थर के खनन कार्य हेतु क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 19.12.87 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिसमें उक्त क्षेत्र वन के बाहर बताया गया। क्षेत्र निदेशक के पत्र दिनांक 19.12.87 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 27.11.87 की प्रतियां संलग्न है। अनापत्ति प्रमाण में अवधि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जी, हां। दिनांक 18/19.12.98 को वन विभाग के सहायक वन संरक्षक, श्री साहिब सिंह की निगरानी में राजस्व व खनिज विभाग के संयुक्त दल ने सर्वे का कार्य किया था। दिनांक 26.8.98 को वन विभाग के ए.सी.एफ. श्री साहिब सिंह राजस्व व खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया।

(3) उक्त संयुक्त सर्वे में आराजी खसरा नम्बर 235 (वन क्षेत्र) में श्री रामसहाय मीणा, श्योजी मीणा, श्री हरफुल मीणा पुत्र रामनारायण मीणा द्वारा अवैध खनन कार्य बाबत कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। श्री साहिब सिंह सहायक वन संरक्षक ने उक्त संयुक्त सर्वे के उपरान्त अपनी रिपोर्ट दिनांक 8.1.99 में टिप्पणी प्रेषित की कि खसरा नं. 235 में एक अवैध खनन कार्य श्री रामसहाय मीणा द्वारा किया जाता है। इसलिए इस अवैध खनन कार्य को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा खनिज विभाग को संयुक्त रूप से बन्द करना चाहिये। दिनांक 19.7.2000 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रादेशित रेंज तथा पटवारी हल्का व गिरदावर कानूनगो जीनापुर द्वारा खसरा नम्बर 235 का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। संयुक्त सर्वे के दौरान वन भूमि में अवैध खनन पाया गया। अवैध खनन की रोकथाम के लिए श्री रामसहाय मीणा के खिलाफ एफ.आई.आर. 277-56 दिनांक 17.6.94, श्योजी मीणा के विरुद्ध एफ.आई.आर. नं. 277-72 दिनांक 20.1.95, श्री रामसहाय मीणा के खिलाफ अवैध खनन बाबत एफ.आई.आर. 28-25 दिनांक 15.1.98, श्री प्रहलाद पुत्र श्री पुनिया (ड्राईवर रामसहाय) के विरुद्ध पत्थर का अवैध परिवहन बाबत एफ.आई.आर. 508/1 दिनांक 25.7.2000 दर्ज कर कार्यवाही की गई जिससे अब अवैध खनन किया जाना नहीं पाया गया है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(4) जी नहीं, अब खसरा नं. 235 में अवैध खनन किया जाना नहीं पाया गया।

(रिपोर्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) का चयन प्रकरण

647. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसी अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी मानते हुए दिनांक 23.6.1999 को नियम 16 सी.सी.ए. के तहत दण्डित किया गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति तदर्थ अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) है? यदि हां, तो दिनांक 10.7.2000 को डी.पी.सी. से चयनित अधिशासी अभियन्ताओं को पदावनत करने से पूर्व एक एडहोक अधिशासी अभियन्ता को पदावनत किन नियमों के तहत नहीं किया गया है?

उत्तर

(1) जी, हां। संबंधित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) श्री हेमराज शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

(2) जी, नहीं।

बांसवाड़ा-सागवाड़ा स्टेट हाईवे की मरम्मत

648. रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा-सांगवाडा स्टेट हाईवे की मरम्मत कब-कब हुई?

(2) उक्त हाईवे की नियमानुसार कितने समय बाद पुनः मरम्मत हो सकती है?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर मरम्मत कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा, सांगवाड़ा स्टेट हाईवे (राज्य मार्ग सं. 10) की मरम्मत (रिन्युअल) कराये जाने का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त राज्य मार्ग की पुनः मरम्मत राज्य सड़क नीति के अनुसार 6 से 8 वर्ष के अन्तराल में हो सकती है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजनान्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य करवाये जाने का लक्ष्य है तद्नुसार उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सड़क विहीन ग्राम

649. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कितने ग्राम है ?

(2) उक्त ग्रामों में से कौन-कौन से ग्राम सड़कों से जोड़ दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के शेष बचे ग्रामों को सरकार कब तक सड़कों से जोड़ेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कुल 145 ग्राम हैं।

(2) उक्त ग्रामों में से 70 ग्राम डामर सड़क से, 4 ग्राम मैटल सड़क से और 8 ग्राम ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(3) शेष बचे ग्रामों में से 1991 जनगणना के अनुसार 1000 से ऊपर की आबादी वाले ग्रामों को एवं 500 से 1000 के बीच की आबादी वाले ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्रमशः वर्ष 2003 एवं 2007 तक जोडे जाने का लक्ष्य है। 500 से कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़ा जाना राज्य के वित्तीय संसाधन एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला बारां में पार्वन नदी पर पुल निर्माण

650. श्री शिव नारायण (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां में पार्वन नदी पर ब्यावर कलां के पास का पुल तुलसा सिंचाई लिफ्ट योजना की डूब में आ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का पुनः निर्माण करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या उक्त पुल के निर्माण की मंजूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी राशि और अब उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा ?

(3) उक्त पुल के डूब में आने से बारां-झालावाड़ सड़क पर कितने महीने यातायात बन्द रहा ?

उत्तर

(1) जी, हां। पुल निर्माण विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं।

(3) उक्त वेन्टेड काजवे के डूब में आने से बारां झालावाड़ सड़क पर इस वर्ष 2000-2001 में माह जुलाई के तृतीय सप्ताह से नवम्बर के तृतीय सप्ताह तक करीब 4 माह यातायात बन्द रहा।

उप खण्ड धरियावद (उदयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

651. श्री नगराज (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपखण्ड धरियावद (उदयपुर) में कितनी डामर की सड़कें हैं और कितनी गिट्टी सड़कें हैं ?

(2) गत 3 वर्षों में कितनी सड़कों पर पेच कार्य किया और उन पर सड़क वार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपखण्ड धरियावद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामर की 21 सड़कें एवं कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्माण की गई 3 डामर सड़कें (कुल 24 डामर सड़कें) हैं। जिनमें 297.76 किमी. डामर, 15.20 किमी. मैटल, 19.00 किमी. ग्रेवल रोड तथा 6 किमी. फेयरवेदर रोड है। सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में 20 सड़कों पर पेच रिपेयर पर सड़क एवं वर्षवार व्यय निम्नानुसार किया गया :—

वर्ष	सड़कों की संख्या	पेच रिपेयर पर व्यय (लाखों में)
1998-99	11	21.59
1999-2000	15	15.33
2000-2001	16	24.09
कुल व्यय		**61.01 लाख**

सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(3) राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजनान्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में सड़कों की मरम्मत कार्य करवाया जाने का लक्ष्य है। तदनुसार उक्त क्षेत्र की भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

आसीन्द (भीलवाड़ा) से शाहपुरा की डामरीकृत सड़कें

652. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द (भीलवाड़ा) से शाहपुरा वाया सरेड़ी स्टेशन रोड डामरीकृत सड़क से स्वीकृत किया गया था ?

(2) क्या उक्त सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना में लेकर डामरीकरण करने का विचार था ?

(3) अब आसीन्द से बक्यारानी माताजी सवाई भोज, देवनारायण मन्दिर तक 10 किलोमीटर का टुकड़ा कब तक डामरीकृत हो जायेगा ?

उत्तर

(1) आसीन्द (भीलवाड़ा) से शाहपुरा वाया सरेडी स्टेशन सड़क के एक भाग आसीन्द से बंक्यारानी तक (10 कि.मी.) डामरीकरण कार्य स्वीकृत किया गया था।

(2) जी, नहीं।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

अधिशासी अभियन्ता, अजमेर द्वारा ठेकेदारों से कराये गये कार्य

653. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जून, 1999 से फरवरी, 2001 तक सिटी डिवीजन, अधिशासी अभियन्ता अजमेर के यहां विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत विभाग में सड़क, मदान तथा चारदीवारी के कितने कार्य करवाये गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य किन-किन ठेकेदारों से कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में वर्णित अल्पावधि में किए गए कार्यों पर दरें बी.एस.आर. से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा आई? कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जून, 1999 से फरवरी, 2001 तक अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरखण्ड अजमेर के द्वारा सड़क, मैदान तथा चारदीवारी के निम्न कार्य कराये गये हैं :—

सड़क संबंधी कार्य	83 (परिशिष्ट "अ")
मैदान का कार्य	7 (परिशिष्ट "ब")
चारदीवारी का कार्य	2 (परिशिष्ट "स")

(2) सूची परिशिष्ट "अ", "ब", "स" में संलग्न है।

(3) नगर खण्ड, अजमेर में अल्पवधि में कोई कार्य नहीं कराया गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की मैटल सड़कों का डामरीकरण

654. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कौन-कौन सी डामरीकृत सड़कें कब-कब बनाई गई थी और उनकी मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) अब उक्त क्षेत्र की कौन-कौन सी मैटल सड़कों का डामरीकरण करवाने का सरकार विचार रखती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र की कौन-कौन सी ग्रेवल सड़कों को सरकार मेटल सड़कें बनायेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) विधान सभा केकड़ी की तीन मैटल सड़कों का डामरीकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व एक मेटल सड़क का डामरीकरण कृषि उपज मण्डी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। विवरण-परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) वर्तमान में केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की किसी भी ग्रेवल सड़क को मेटल सड़क बनाने का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

655. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कितने पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए हैं और कितनी पंचायतें सड़कों से जोड़ी जानी शेष है? क्या सरकार शेष पंचायतों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त क्षेत्र में 1000 से ऊपर की आबादी के कितने गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है तथा कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष रहे गांवों को भी जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) गत ढाई वर्ष में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की कौन-कौन सी सड़कों के पेच वर्क किये गये और उक्त में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई?

(4) क्या फतेहपुर शहर से गुजरने वाली सड़क झुंझुनूं, मण्डावा पूर्णतः टूटी हुई है? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कुल 28 पंचायत मुख्यालयों में से 17 पंचायत मुख्यालय डामर से, 7 मैटल से एवं 4 ग्रेवल सड़क से जुड़े हुये हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में 1000 से ऊपर की आबादी के कुल 61 गांव में से 36 गांव डामर सड़क से, 13 मेटल सड़क से व 8 ग्रेवल सड़क से, कुल 57 गांव जुड़े हुये हैं। शेष 4 गांव किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं। उक्त शेष 4 गांवों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2003 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(3) गत ढाई वर्ष में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की सड़कों पर किये गये पेच रिपेयर कार्य एवं उन पर सड़क एवं मदवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) फतेहपुर शहर से गुजरने वाली सड़क झुंझुनूं-मण्डावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। वर्तमान में अकाल राहत सम्वत् 2057 के तहत डब्ल्यू.बी.एम. पेच कार्य प्रगति पर है जो कि 30 जून, 2001 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के प्रस्तावित सड़क संधारण योजनान्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में इस सड़क की शेष मरम्मत का भी कार्य करवाये जाने का लक्ष्य है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

तकनीकी सहायक एवं अधिशासी अभियन्ता के नये सृजित पद

656. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में दिनांक 30.4.97 एवं 31.8.97 को अधिशासी अभयिन्ता (विद्युत) सेवानिवृत्त हुए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 7.7.97 को अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) और तकनीकी सहायक एवं अधिशासी अभियन्ता के पद नये सृजित हुए थे? यदि हां, तो क्या सभी पदों को दिनांक 9.1.98 को डी.पी.सी. के लिए शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। वर्ष 1997-98 में सृजित अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) के पद की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.10.97 को आयोजित की गई। अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के कुल चार पद उपलब्ध हुए। इन चार पदों में से दो पदों पर अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम से एवं ई.एस.टी.आई से परावर्तित होकर आए उन्हें लगा दिया गया। इस प्रकार बाकी बचे दो पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 9.1.98 को आयोजित की गई।

जिला मुख्यालयों में आयोजित बैठकों में विधायकों के भाग लेने पर यात्रा भत्ता

657. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों में विधायकों द्वारा भाग लेने पर उन्हें कोई यात्रा व दैनिक भत्ता देने का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विषय की समीक्षा कर यात्रा व दैनिक भत्ता का निर्धारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। संबंधित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी, नहीं। राज्य में भीषण अकाल है तथा आर्थिक स्थिति दयनीय है।

निर्वाचन विभाग के अस्थाई कर्मचारियों का अन्य विभागों में स्थानान्तरण

658. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1979-80 में निर्वाचन विभाग ने अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्ति दी थी? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्थाई कर्मचारियों को अन्य विभागों में स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो किस कर्मचारी को किस विभाग में स्थानान्तरित किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि निर्वाचन विभाग में उक्त नियुक्त कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी जो अन्य विभाग में स्थान्तरण पर नहीं गये उन्हें वहां पर स्थाई कर दिया गया? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को?

(4) क्या अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर्मचारियों को अन्य विभागों द्वारा नियमित कर दिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1979-80 में निर्वाचन विभाग ने 146 अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्ति दी थी।

(2) जी हां, जिन अस्थाई कर्मचारियों को स्थानान्तरण अन्य विभागों में किया गया उसकी सूची मय विभाग के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त में से जो 6 कर्मचारी विभाग में कार्यरत रहे उन्हें स्थायी कर दिया गया है।

(4) निर्वाचन विभाग में अस्थाई रूप से नियुक्त कर्मचारी जो अन्य विभागों में स्थानान्तरण होकर गये हैं उनकी सूची मय विभाग के परिशिष्ट "एक" पर संलग्न कर दी गई है। उक्त अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय एवं मंत्रालयिक स्टाफ नियम, 1957 यथा संशोधित 1999 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एवं अन्य शर्तें नियम, 1963 यथा संशोधित, 1999 के प्रावधानों में एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों के अन्तर्गत सक्षम हैं। नियमों की प्रति संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला भीलवाड़ा में विद्युत आपूर्ति

659. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2000-2001 में जिला भीलवाड़ा में विद्युत वितरण सभी तहसीलों में समान आधार से किया गया?

(श्री रामलाल गुर्जर)

(2) उक्त जिले की तहसीलों में प्रतिमाह खपत कितनी थी और आपूर्ति कितनी की गई ?

(3) क्या विद्युत आपूर्ति में कटौती की गई ? यदि हां, तो कितनी व क्यों ?

(4) क्या विद्युत वितरण में भिन्नता रखी गयी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) विद्युत खपत का आकलन तहसीलवार नहीं किया जाता है अतः तहसीलवार सूचना देना सम्भव नहीं है। वर्ष 2000-01 में राजस्थान राज्य में विद्युत ऊर्जा की मांग एवं उपलब्धता में 8 प्रतिशत का अन्तर आंका गया है, भीलवाड़ा जिले में भी इसी के अनुरूप अन्तर रहा है। वर्ष में हुई खपत का माहवार विवरण निम्नप्रकार है :—

माह	विद्युत खपत (लाख यूनिटों में)
अप्रैल,2000	440.34
मई,2000	412.72
जून,2000	465.35
जुलाई,2000	459.54
अगस्त,2000	443.89
सितम्बर,2000	439.01
1	2
अक्टूबर,2000	428.48
नवम्बर,2000	433.31
दिसम्बर,2000	477.71
जनवरी,2001	446.95
फरवरी,2001	416.01
मार्च,2001	400.36

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित नीति के अनुसार प्रतिदिन 6 से 8 घंटे ब्लाक में एवं सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की गई। विद्युत उपलब्धता में कमी होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 2-3 घंटे व आवश्यकता होने पर औद्योगिक इकाइयों पर 50 से 100 प्रतिशत तक समय-समय पर कटौतियां लागू की गई थीं।

(4) जी, नहीं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की भिन्नता को छोड़कर विद्युत आपूर्ति में और कोई विभिन्नता नहीं रखी गई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल की विद्युत व्यवस्था

660. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वर्तमान में रात को 11 बजे तक विद्युत व्यवस्था क्यों नहीं रहती है ?

(श्री नानालाल नीनामा)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में सायंकाल 7 बजे से रात के 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में प्राकृतिक आपदाओं व यांत्रिक कारणों से आये व्यवधानों को छोड़ कर सामान्यतया रात्रि 11 बजे तक सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) वर्तमान समय में उक्त क्षेत्र में सायंकाल 7 बजे से 11 बजे तक ही सिंगल फेज सप्लाई की जा सकती है।

मकराना शहर उपखण्ड में सहायक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

661. **श्री हरीश चन्द** (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना शहर उपखण्ड में सहायक राजस्व अधिकारी ने मार्च, 1999 में विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के खातों में लगभग 22-23 लाख रुपये अवैध रूप से कम कर दिये? यदि हां, तो क्या सहायक राजस्व अधिकारी इसके लिए सक्षम है? यदि नहीं, तो क्या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई? क्या दोषी सहायक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि मकराना स्थित मौहल्ला इकबालपुरा में प्राथमिकता संख्या घरेलू 8018 श्री अनवर पुत्र श्री हकीम दरवेश को विद्युत कनेक्शन देने के लिए विद्युत मण्डल ने बिना कीमत जमा कराये एक पोल की अवैध विद्युत लाइन खींची गई है? क्या उक्त आवेदक की पूर्व में विभिन्न नामों से जमा पत्रावलियां पोल की कीमत जमा न कराने के कारण रद्द कर दी गई थी? यदि हां, तो उक्त पोल की अवैध विद्युत लाइन के लिए कौन कर्मचारी दोषी है? क्या उक्त प्राथमिकता संख्या के लिए सर्विस लाइन का एस्टीमेंट बनाने हेतु कौन एस्टीमेटर/अभियन्ता जिम्मेदार है? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कब और किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मण्डल की विशेष सतर्कता दल, जयपुर के अधीशासी अभियन्ता ने दिनांक 4.12.96 से 6.12.96 तक मकराना स्थित लगन सहाय कालोनी व अन्य स्थानों पर जांच के दौरान छह पोल की अवैध विद्युत लाइन, अवैध विद्युत कनेक्शन, शिफ्टिंग, अवैध पोल लगाने व अन्य अवैध मामले पकड़े?

(4) क्या जांच के दौरान जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन संख्या 2335/2, 2335/6 व 2335/9 दिनांक 4.12.96 भरे थे एवं जांच प्रतिवेदन संख्या

(श्री हरीश चन्द)

2335/6 दिनांक 6.12.96 पर दोषी कर्मचारियों के नाम भी अंकित किये गये थे? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उपखण्ड (शहर) मकराना में माह मार्च, 1999 में विभिन्न श्रेणियों के 630 स्थायी रूप से विच्छेद कनेक्शनों के उपभोक्ताओं के खातों में कुल 18,17,198.23 रुपये, जो कि सम्बन्ध विच्छेद के बाद की राशि है, को क्रेडिट किया गया है। यह कार्यवाही सहायक राजस्व अधिकारी व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों ने तत्कालीन विद्युत मण्डल के आदेश संख्या कामर्शियल 15, दिनांक 16.1.1995, कामर्शियल 49 दि. 6.4.1995 तथा रा.रा.वि.म./एस-3/प.3 (572)/प्रे. 26 दि. 3.1.96 के अनुपालना में की गई। इस प्रकरण की आन्तरिक अंकेक्षण शाखा द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच निष्कर्ष में अनियमितता पाई जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी, नहीं। मकराना स्थित मौहल्ला इकबालपुरा में घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन प्राथमिकता संख्या 8018 श्री अनवर पुत्र हकीम दरवेश को लाइन खींचकर नहीं बल्कि सर्विस लाइन से कनेक्शन दिया गया है। जिस लाइन से श्री अनवर को कनेक्शन दिया गया है वह लाइन श्री अब्दुल खालिद, प्राथमिकता संख्या 1151 को लघु उद्योग कनेक्शन हेतु उनके द्वारा लाइन की पूरी राशि 22631/- रु. जमा करवाने पर खींची गई थी। श्री अनवर को नियमानुसार कनेक्शन दिया गया है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उक्त प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता (विशेष सतर्कता) जयुपर द्वारा दि. 4.12.1996 से 6.12.1996 तय की गई थी, जिसमें मकराना स्थित लगन शाह क़ालोनी व अन्य स्थानों पर अवैध विद्युत लाइनें, कनेक्शन शिफ्टिंग, पोल व अन्य अनियमितताएं पायी गई थीं। संबंधित उपभोक्ताओं से नियमानुसार राशि वसूल की गई है।

(4) जी, हां। जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन 2335/6 दि. 6.1.1996 में दोषी कर्मचारियों के नाम अंकित किये गये हैं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर श्री धन्नाराम पुत्र मगनाराम को आरोप पत्र सं. 1 दिनांक 13.6.1997 श्री हाथीसिंह पुत्र सुल्तान सिंह को आरोप पत्र सं. 2 दि. 13.6.1997 व श्री रामसिंह पुत्र नानासिंह को आरोप पत्र सं. 3 दि. 13.6.1997 जारी किये जा चुके हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया अभी जारी है, पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सांगोद क्षेत्र (कोटा) में नियमित विद्युत आपूर्ति

662. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र को झालावाड़ से विद्युत सप्लाई होने के कारण ठीक वोल्टेज व विद्युत संचालन सही नहीं हो पाता है?

(2) क्या सांगोद क्षेत्र में फसल बुआई के समय विद्युत संचालन सही करने हेतु जन आन्दोलन के कारण विशेष प्रयत्न किये गये?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की विद्युत सप्लाई का स्थाई समाधान करने हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन सांगोद को साधारणतया 220 के.वी.जी.एस.एस. झालावाड़ से विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा गत माह (मार्च, 2001) में 33 के.वी. पर 32 से 34 के.वी. के बीच वोल्टेज रहा जो कि सामान्य है। उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ठीक वोल्टेज एवं संचालन में कोई समस्या नहीं है।

(2) जी, नहीं। सांगोद क्षेत्र में रबी का मौसम शुरू होने के समय विद्युत उपलब्धता के अनुसार 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन सांगोद का कोटा 8-10 मेगावाट निर्धारित किया हुआ था जिसको बाद में आवश्यकता को देखते हुए दिनांक 10.11.2000 से 18-20 मेगावाट तक कर दिया गया था, कोटा बढ़ाने से इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे ब्लाक में विद्युत आपूर्ति की गई।

(3) सांगोद क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था हेतु वर्तमान में कार्यरत सब-स्टेशनों के अलावा सांगोद के पास केलवाड़ा में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन को दिनांक 31.3.2001 को चालू किया जा चुका है तथा 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन इटावा का कार्य प्रगति पर है।

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं परित्यक्ता महिलाओं के छात्रावास

663. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं परित्यक्ता महिलाओं व अनाथ बच्चों के विभागीय कुल कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय की जाती है? क्या व्यय की जा रही राशि पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या उक्त राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब तक?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में कहां-कहां छात्रावास खोलने प्रस्तावित हैं?

(4) प्रदेश में संचालित किन-किन छात्रावासों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 528 छात्रावास संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

अनाथ बच्चों तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए छात्रावासों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों के प्रति छात्र प्रति माह 675 रुपये व्यय किये जाते हैं, जो पर्याप्त हैं। इन छात्रावासों में राशि बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) चालू वित्त वर्ष में राज्य में कहीं भी छात्रावास खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) प्रदेश में संचालित जिन छात्रावासों में अनियमितताएं की शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर वर्ष 2000-2001 में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्था का पंजीयन

664. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी संघ का पंजीयन कब हुआ व संघ के क्या उद्देश्य हैं?

(2) क्या राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान का पंजीयन किया गया है? यदि हां, तो उद्देश्य क्या है? उपविधियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान का पंजीयन सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत नहीं किया है? यदि हां, तो किस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन किया गया है तथा इस प्रकार की संस्था के गठन की क्या आवश्यकता पड़ी? पंजीयन प्रमाण-पत्र, विधान एवं उपविधियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी संघ का पंजीयन दिनांक 21.12.1957 को हुआ था। संघ के पंजीकृत उद्देश्य परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी, हां। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत किया गया है। संस्था के पंजीयन प्रमाण-पत्र, व विधान की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(परिशिष्टों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

665. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्के) जयपुर द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश पर जिला जालौर की क्रय विक्रय सहकारी समिति आहोर एवं भीनमाल व जालौर होलसेल भण्डार में अवैध नियुक्तियों की जांच रिपोर्ट दिनांक 28.8.97 को प्रस्तुत की गई है?

(2) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर द्वारा अनियमितताएं किया जाना प्रमाणित हुआ है?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सरकार के स्तर पर लम्बे समय से लम्बित हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त दोषी संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को नहीं भेजे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) रजिस्ट्रार सहकारी विभाग से अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर पंजीयक से विशेष आरोप जो निर्धारित किये गये हैं, इनसे सम्बन्धित नियम एवं विशेष आरोपों की विस्तृत जानकारी चाही गई जो अपेक्षित है। साथ ही कार्मिक विभाग को सी.सी.ए. 16 के आरोप पत्र जारी करने की अभिशंसा करने से पूर्व समस्त जानकारी मय विशिष्ट आरोप आदि मय रिकार्ड को भिजवाया जाना आवश्यक होता है कतिपय निर्देशों की पालना की जानी होती है। उक्त पूर्ण जानकारी चूंकि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा कार्मिक विभाग के निर्देशों की पालना रिपोर्ट अपेक्षित है। अतः सरकार के स्तर पर कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(4) विशिष्ट आरोप आदि पैरा नम्बर-3 के अनुसार प्राप्त नहीं होने के कारण आरोप पत्र कार्मिक विभाग को नहीं भिजवाये जा सके। वांछित सूचना शीघ्र प्राप्त की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही कार्मिक विभाग को प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु भिजवा दिये जायेंगे।

जोधपुर की क्रय-विक्रय सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट में अनियमितताएं

666. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का वर्ष 1999-2000 का आडिट करवाया गया है? यदि हां, तो कब किस दिनांक को?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आडिट रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई हैं? क्या उक्त समिति के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी द्वारा गेहूं की कालाबाजारी का मुकदमा उदय मन्दिर पुलिस थाना, जोधपुर में दर्ज हुआ है? यदि हां, तो कब और किस-किस अधिकारी के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि के गबन के मामले आडिट रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 में आये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने दिनांक 27.3.2001 को सर्वसम्मत निर्णय लिया कि आडिट रिपोर्ट 1999-2000 में वर्णित बिन्दुओं पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 में प्रकरण दर्ज योग्य है?

उत्तर

(1) जी, हां। जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति का वर्ष 1999-2000 का आडिट करवाया गया है। उक्त आडिट दिनांक 21.6.2000 को प्रारम्भ कर दिनांक 30.8.2000 को सम्पन्न किया गया।

(2) जी, हां। जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत गेहूं की कालाबाजारी का मुकदमा पुलिस थाना, उदय मन्दिर में दिनांक 29.2.2000 को दर्ज किया गया है। उक्त समिति की वर्ष 1999-2000 की आडिट रिपोर्ट में आये मामलों की सूची परिशिष्ट-1 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कमेटी में दिनांक 27.3.2001 को निर्णय लिये जाने से काफी समय पूर्व दिनांक 22.12.2000 को सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वर्ष 1999-2000 की आडिट रिपोर्ट की क्रियान्विति एवं प्रभाव पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई थी। अतः प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 (A) देखें)

जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

667. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने सरस वेज आयल प्रा.लि. एवं फोनेक्स इम्पैक्स आदि फर्मों को ऋण स्वीकृत किये थे? क्या उक्त दोनों फर्मों के हिस्सेदारों ने एक दूसरे फर्मों के गारन्टर के रूप में प्रतिभूति स्वरूप सम्पत्तियां बैंक में रहन रखी थीं?

(श्री घनश्याम जैन)

(2) क्या उसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया? क्या साझेदार फर्म के गारन्टर की सम्पतत्तियों के मूल पट्टा लौटाने से अवधि पार वसूली संदिग्ध हुई? क्या नाबार्ड ने निरीक्षक वर्ष 1995-97 में उक्त कृत्य को उचित नहीं माना है?

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स कल्पतरू हैण्डीक्राफ्ट के स्वीकृत ऋण दिनांक 5.10.96 के प्रकरण में प्रतिभूति स्वरूप रखे गये पट्टों से संबंधित भूमि का विक्रय पार्टी द्वारा पूर्व में किया जा चुका था?

(4) उक्त प्रकार से साझेदार गारन्टर के पट्टे लौटाकर, गलत साख सीमा स्वीकृत कर, फर्जी पट्टों पर ऋण स्वीकृत करने वाले कौन-कौन प्रबन्ध निदेशक एवं शाखा व्यवस्थापक हैं? क्या सरकार ने उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 1995 से 1998 में जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कार्य करते हुए बैंक की सदस्य समिति बिलाड़ा वृहत सहकारी समिति में अनियमितता की है?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रबन्ध निदेशक ने वर्ष 1995-98 में जोधपुर कोआपरेटिव बैंक में रहते हुए अनियमितताएं कीं, जिसकी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। स्पष्ट नहीं है। सरस वेज आयल प्रा. लि. द्वारा समस्त ऋण का चुकारा कर देने के कारण बैंक द्वारा मूल विलेख लौटाये गये हैं एवं फोनेक्स एम्पैक्स से वसूली हेतु बैंक द्वारा प्लान संख्या ई/517, जो कि बैंक के पास बन्धक रखा गया था कि कुर्की कर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है एवं उससे सम्बन्धित मूल विलेख नहीं लौटाये गये हैं।

नाबार्ड ने निरीक्षण वर्ष 1995-97 में उक्त आक्षेप किया गया था, जिसकी बैंक द्वारा आक्षेप पूर्ति नाबार्ड को भेजी जा चुकी है, जो कि नाबार्ड में विचाराधीन है।

(3) ऋण अवधि पार होने पर बैंक द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही करते समय बन्धक स्थायी सम्पत्ति का दोषपूर्ण तरीके से बेचान किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर बैंक द्वारा 20.4.2001 को सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट उदय मन्दिर थाना (जोधपुर) में दर्ज करवायी गयी है।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से जांच करायी जा रही है।

(सहकारिता मंत्री)

जी, नहीं। उक्त जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी, नहीं।

(6) वर्ष 1995-98 की अवधि में जोधपुर कोआपरेटिव बैंक में कार्यरत रहे प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच करायी गई है, जिसमें प्राप्त शिकायतों को निराधार पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा अब पुनः सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से जांच करवायी जा रही है।

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स के कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

668. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फेडरेशन की हनुमानगढ़ इकाई के मिल रिंग हेतु फिटर के कैबिन का एक समिति द्वारा दिनांक 31.3.2000 को भौतिक सत्यापन किया गया था? क्या भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में कोई अनियमितताएं पाई गई थीं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण की जांच हेतु क्या महाप्रबन्धक स्तर से पुनः किसी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेश एवं की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट में क्या कोई अधिकारी एवं कर्मचारी भी दोषी पाए गए? यदि हां, तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन थे?

उत्तर

(1) जी, हां। भौतिक सत्यापन के समय 6002ZZ के 18 बैरिंग मौजूद नहीं पाये गये तथा 1209 के 6 नये बैरिंग के स्थान पर पुराने बैरिंग लगे हुए पाये गये।

(2) जी, हां। महाप्रबन्धक द्वारा गठित समिति के आदेश तथा जांच रिपोर्ट की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट में मिल से किसी भी प्रकार के बैरिंग चोरी होना नहीं पाया गया। केवल रिकार्ड रखने में लापरवाही बरती जाना पाया गया। जांच रिपोर्ट में किसी कर्मचारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। जांच कमेटी के सुझाव अनुसार मेन्टीनेंस सुपरवाइज़र को ओवरहालिंग में खुलने वाली मशीन का कार्य अपनी देख-रेख में करवाने एवं उसका रिकार्ड रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-669

(स्थगित)

सहकारी विभाग के निरीक्षकों का गृह जिले में पदस्थापन

670. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग द्वारा निरीक्षकों को अपने गृह जिले में पदस्थापन पर रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो ऐसे आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में कुछ अधिकारी अपने गृह जिलों में पदस्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों और उक्त अधिकारी कब से अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अधिकारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापित किये जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है? यदि हां, तो फिर निरीक्षकों तथा अधिकारियों में इस प्रकार भेदभाव का औचित्य क्या है?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, सहकारी सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(130) सह/95 दिनांक 28.6.95 के द्वारा नीति निर्धारित की गई है। प्रति संलग्न है। परन्तु प्रशासनिक कारणों के आधार पर प्रधान कार्यालय, विभाग तथा प्रतिनियुक्ति पर गृह जिले में पदस्थापन किये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

अकाल राहत कार्यक्रम के तहत रोजगार

671. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक राज्य के विभिन्न जिलों में कितने व्यक्तियों को अकाल राहत कार्यक्रमों के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया गया? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में 26 जिलों में फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक अकाल राहत पेटे कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक राज्य के 26 जिलों में राहत कार्यों पर उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण परिशिष्ट-1 पर दिया गया है।

(2) राज्य में 26 जिलों में फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक अकाल राहत पेटे हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 पर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्राप्त विदेशी आहार

672. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या उक्त जिलों के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक ही प्रकार का आहार उपलब्ध करवाया जाता है? यदि नहीं, तो क्या-क्या व्यवस्था है?

(3) क्या विदेश से भी उक्त आहार आता है? यदि हां, तो कितना?

(4) क्या बंदरगाह से माल ठेकेदारों द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों के वेयर हाउस में पहुंचाया जाता है?

(5) क्या समय पर भुगतान ठेकेदारों को न होने व न उठाने के कारण माल खराब होता व बंदरगाह पर अधिक व्यय करना पड़ा है? यदि हां, तो कितना?

(6) क्या उक्त आहार लाभान्वितों को मिले इसकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य के 32 जिलों में 257 बाल विकास सेवाओं के अधीन स्वीकृत 35710 केन्द्रों के विरुद्ध वर्तमान में 33711 केन्द्र चल रहे हैं।

(2) जी, नहीं। राज्य के 11 जिलों के 68 परियोजनाओं पर विश्व खाद्य सामग्री से प्राप्त निःशुल्क खाद्य सामग्री इण्डिया मिक्स तथा सी.एस.बी. पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के 16 जिलों की 88 परियोजना में केयर से प्राप्त निःशुल्क सामग्री सी.एस.बी. एवं सोया तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य के 18 जिलों की 101 बाल विकास परियोजना पर स्थानीय खाद्य सामग्री के अन्तर्गत राजस्थान मिक्स एवं पंजीरी पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य की सभी 257 परियोजनाओं पर 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत बेबी मिक्स पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(3) जी, हां। केयर से वर्ष 2000-2001 के दौरान 16390 मैट्रिक टन सी.एस.बी. तथा 1923 मैट्रिक टन सोया तेल प्राप्त हुआ है। विश्व खाद्य कार्यक्रम से वर्ष 2000-2001 के दौरान 10610 मैट्रिक टन इण्डिया मिक्स तथा 2000 मैट्रिक टन सी.एस.बी. पोषाहार प्राप्त हुआ है।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, हां। विदेशी संस्थाओं से प्राप्त पोषाहार को लाभान्वितों तक पहुंचाने के लिए बंदरगाह से परियोजना मुख्यालय

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

तक परिवहन की निविदाएं मुख्यालय द्वारा तथा परियोजना से आंगनबाड़ी केन्द्र तक परिवहन की निविदाएं संबंधित जिला/परियोजना अधिकारी द्वारा आमंत्रित की गई हैं। पोषाहार सामग्री के परिवहन, भण्डारण, ईधन, गुड़, नमक आदि हेतु राज्य सरकार प्रतिदिन, प्रति लाभान्वित 25 पैसे की दर से राशि उपलब्ध करवाती है।

महिला विकास अभिकरण सवाई माधोपुर द्वारा संचालित परियोजना

673. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला महिला विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा इदारा का चयन किया गया? यदि हां, तो किस-किस संस्था से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभिकरण की परियोजना निदेशक व इदारा में चयनित जनजाति महिला विकास संस्था की अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थी?

(3) क्या यह भी सही है कि इदारा में चयन करने के लिए महिला विकास अभिकरण द्वारा पारदर्शिता नहीं अपनाकर चयनकर्ता ने स्वयं की संस्था का चयन कर लिया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला सवाई माधोपुर में इदारा के कार्य हेतु 5 संस्थाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1- मारुति बहुउद्देश्यीय जन सेवा समिति, सवाईमाधोपुर

2- जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर

3- भू जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति, नाहरी कलां मैडोला (सवाईमाधोपुर)

4- नवजीवन एज्यूकेशन एण्ड इवान्जीकल सोसायटी, गंगापुर (सवाईमाधोपुर)

5- ज्ञान सरोवर सेवा समिति, भरतपुर

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। जिला इदारा का चयन करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त सभी 5 प्रस्तावों को तत्कालीन जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला कलक्टर ने जनजाति महिला विकास संस्थान को जिला इदारा के कार्य हेतु उपयुक्त मानते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को संस्था के चयन की अभिशंसा की।

द्वारका योजना के तहत कार्यरत प्रशिक्षणार्थी को भुगतान

674. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या द्वारका योजना के तहत ग्राम पंचायत कोहला एवं जडावाली में गत तीन वर्षों में केन्द्र खोले गए? यदि हां, तो कब-कब एवं कितने-कितने समय के लिए?

(2) उक्त केन्द्रों में किन-किन महिलाओं को कब-कब व कितने-कितने समय के लिए प्रशिक्षित किया गया?

(3) क्या उक्त महिलाओं को उनके प्रशिक्षण के, दौरान किए गए कार्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक को कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। द्वारका योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोहला एव जडावली में वर्ष 1997-98 में 9 केन्द्र खोले गये थे। यह केन्द्र दिनांक 31.03.97 से 30.09.98 तक (6 माह) के लिए खोले गये थे।

(2) उक्त नौ केन्द्रों में 101 महिलाओं को 6 माह का प्रशिक्षण दिनांक 31.03.97 से 30.09.98 के मध्य दिया गया है।

(3) जी, हां। इन 101 महिलाओं को कुल 191550 रुपये का भुगतान किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

परिवहन निगम मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति

675. **श्री संजीव बेनीवाल** (भादरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री भीमसिंह पुत्र दरयाव सिंह आर्टिशियन ग्रेड द्वितीय (मैकेनिक ग्रेड-II) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के, बारां आगार में कार्यरत था? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति किस वर्ष में हुई और इसकी मृत्यु कब हुई?

(2) क्या इनके स्थान पर मृतक राज्यकर्मी के आश्रित के रूप में किसी परिजन को नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो किसको और नहीं, तो क्यों? क्या उक्त मृतक राज्यकर्मी के किसी परिजन ने आश्रित के रूप में नौकरी पाने के लिए कोई आवेदन कर रखा है? यदि हां, तो किसने और कब आवेदन किया? अब उक्त आश्रित को कब तक नौकरी दे दी जावेगी?

(3) क्या उक्त मामले में मृतक राज्यकर्मी की विधवा पत्नी एवं आश्रित

(श्री संजीव बेनीवाल)

परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, पेंशन ग्रेचुएटी या अन्य भुगतान किया गया? यदि हां, तो मृत्यु के कितने वर्षों बाद और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मृतक राज्यकर्मी के आश्रितों को परिवहन निगम में नियुक्ति एवं उसकी पैंशन, ग्रेचुएटी एवं अन्य भुगतान राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इनकी नियुक्ति दिनांक 26.3.73 को हुई थी तथा मृत्यु दिनांक 18.9.97 को हुई थी।

(2) जी, नहीं। मृतक कर्मचारी की पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी ने अपने पुत्र श्री जसविन्दर की नियुक्ति हेतु दिनांक 11.11.97 को प्रथम प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, जब उनके पुत्र की उम्र शपथ पत्र के अनुसार 15 वर्ष थी। मृतक के उक्त पुत्र के बालिग होने पर दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.4.2001 को मृतक की पत्नी द्वारा सादा कागज पर प्रेषित किया गया, जिसे दिनांक 11.4.2001 को मूल ही लौटा कर निर्धारित प्रोफार्मा में प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र नियुक्ति हेतु प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) मृतक कर्मचारी की आश्रिता पत्नी को निम्नानुसार भुगतान किया जा चुका है :—

क्र. सं.	भुगतान सम्बन्धी विवरण	राशि	दिनांक
1.	भविष्य निधि राशि	64533/-	15.5.99
2.	ग्रेचुएटी	50237/-	3.6.99
3.	कर्मचारी कल्याण कोष	25000/-	1.11.99
4.	सामूहिक बीमा राशि	37000/-	16.4.2001

पारिवारिक पेंशन क्लेम हेतु आश्रिता द्वारा फार्म संख्या 10 डी. भर कर प्रस्तुत नहीं किया गया। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर दस्तावेज प्राप्त होने पर पेंशन दावा उपायुक्त, भविष्य निधि कर्मचारी संगठन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

(4) निर्धारित अवधि में नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। भुगतान की गई राशि/बकाया पारिवारिक पेंशन के भुगतान के संबंध में प्रश्न संख्या "3" के उत्तर में उल्लेख कर दिया गया है।

जयपुर से चूरू वाया मण्डावा बिसाऊ निगम बस सेवा

676. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से मण्डावा (झुंझुनूं) राज्य पथ परिवहन निगम की पूर्व में दो बस संचालित हो रही थीं? यदि हां, तो उनमें से एक बस जो बिसाऊ तक जाती थी को किस कारण से बन्द कर दिया गया था? क्या मण्डावा शेखावाटी का प्रमुख पर्यटक स्थल है जिस कारण जयपुर से व्यक्तियों का निरन्तर आना जाना रहता है?

(2) क्या सरकार बस या उसके स्थान पर वाया मण्डावा-बिसाऊ होते हुए चूरू-सरदारशहर व आगे के अन्य किसी स्थान तक पुनः बस चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर से बिसाऊ वाया मण्डावा जाने वाली एक बस को आय कम आने के कारण माह मार्च, 1998 से बन्द किया जा चुका है। जबकि इस क्षेत्र के यात्रियों की सुविधार्थ सायंकाल में जयपुर से मण्डावा वाया मुकुन्दगढ़ एक बस सेवा वर्तमान में यथावत संचालित की जा रही है जो जयपुर से 18.00 बजे प्रस्थान लेकर 22.00 बजे मण्डावा पहुंचती है एवं मण्डावा से प्रातःकाल 08.15 बजे प्रस्थान लेकर 12.15 बजे जयुपर पहुंचती है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में जयपुर से मण्डावा वाया मुकन्दगढ़ मार्ग पर संचालित बस सेवा को मण्डावा से आगे बिसाऊ-चूरू सरदारशहर तक बढ़ाये जाने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि जयपुर से चूरू एवं सरदारशहर वाया सीकर-फतेहपुर-चूरू-पुलासर 257 कि.मी. कम दूरी के मार्ग से होकर निगम की पर्याप्त बस सेवाएं संचालित हैं यदि इन वाहनों को जयपुर-सीकर-मुकन्दगढ़-मण्डवा-बिसाऊ होकर चूरू एवं चूरू से आगे सरदारशहर वाया भालेरी होकर संचालित किया जाता है तो मार्ग की दूरी 296 कि.मी. होगी जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्रीभार मिलने की सम्भावना नहीं है क्योंकि सीधे यात्रियों को लगभग 39 कि.मी. का किराया भी अधिक देना होगा एवं यात्रा समय भी अधिक लगेगा।

जिला बारां में पोल्यूशन जांच मशीन की स्थापना

677. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिवहन अधिकारी, बारां द्वारा पोल्यूशन के चालान किए गये हैं? यदि हां, तो दिनांक 31.3.2000 से 15.3.2001 तक पोल्यूशन के कुल कितने चालान किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) क्या जिला मुख्यालय, बारां पर पोल्यूशन जांच मशीन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या बिना पोल्यूशन जांच मशीन के चालान अब तक बनाये गये उक्त चालानों को निरस्त करने व पोल्यूशन मशीन लगाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला परिवहन अधिकारी, बारां द्वारा पोल्यूशन के चालान किए गए हैं। दिनांक 31.3.2000 से 15.3.2001 की अवधि में उनके द्वारा 80 चालान बनाए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। जिला परिवहन कार्यालय, बारां में प्रदूषण जांच मशीन उपलब्ध है।

(3) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115(7) के अन्तर्गत नये वाहनों के पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वाहनों को प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र के अभाव में वाहनों का चालान किया जा सकता है। चालान बनाए जाने पश्चात् निरस्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

निदेशक/अतिरिक्त निदेशक बीमा विभाग द्वारा आयोजित विभागीय बैठकों पर व्यय

678. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में निदेशक/अतिरिक्त निदेशक ने कब-कब किस-किस प्रयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैठकों की उपयोगिता क्या रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयोजित प्रत्येक बैठकों पर कितना व्यय हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत दो वर्षों में अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता में कितना व्यय हुआ है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) गत दो वर्षों में विभाग की गुणवत्ता के लिए निदेशक ने क्या-क्या प्रयास किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार विभाग के कार्यों का (समस्त आवश्यक कार्य) कम्प्यूटरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में इस विभाग के निदेशक द्वारा संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार विभागीय कार्य प्रगति की समीक्षा हेतु सम्भागीय अतिरिक्त निदेशकों तथा मुख्यालय स्थित योजना प्रभारियों/अनुभागाधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिला कार्यालयों द्वारा बीमा, प्रावधायी निधि एवं साधारण बीमा योजना के कार्य की समीक्षा करना है।

(2) (i) उक्त बैठकों की मुख्य उपयोगिता यह रही है कि संपूर्ण राज्य में प्रत्येक जिला कार्यालय वांछित विभागीय कार्य स्तर युक्त हो गया है जो कि जिला कार्यालयों के सृजन के समय स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाया था।

(ii) उक्त बैठकों में जिला कार्यालयों के कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना एवं बकाया कार्य पूर्ण कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित करना होता है। दी गई लक्ष्य तिथियों के आधार पर बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 तक की खाता बन्दी मुख्यालय को प्राप्त हो चुकी है तथा वर्ष 2000-2001 की खाता बन्दी हेतु लक्ष्य तिथि दिनांक 31.8.2001 निर्धारित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 5 जिला कार्यालयों तथा बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर का वर्ष 2000-2001 का खाताबन्दी लक्ष्य तिथि से पूर्व ही पूर्ण होकर मुख्यालय को प्राप्त हो चुकी है।

(iii) इसके अतिरिक्त वर्ष 1998-99 के बोनस की घोषणा की जा चुकी है तथा वर्ष 1999-2000 के बोनस की घोषणा हेतु बैलेंस शीट मूल्यांकक को शीघ्र भिजवाने का प्रस्ताव है। मूल्यांकक की सिफारिश प्राप्त होते ही उक्त वर्ष का बोनस भी राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिये जाने की सम्भावना है।

(iv) सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 की खाताबन्दी 35 जिला कार्यालयों से प्राप्त हो चुकी है शेष 2 जिला कार्यालयों यथा जयपुर ग्रामीण एवं सचिवालय की खाताबन्दी शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है तथा वर्ष 2000-2001 की खाताबन्दी हेतु लक्ष्य तिथि दिनांक 30.9.2001 निर्धारित है।

(v) विभाग की इकाई साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा जिलेवार प्रीमियम प्राप्त करने हेतु वर्ष 1999-2000 से लक्ष्य निर्धारित किये गये। वर्ष 1999-2000 हेतु निर्धारित लक्ष्य 11.85 करोड़ रुपये में से 12.96 करोड़ रुपये का तथा वर्ष 2000-2001 में 11.60 करोड़ रुपये में से 13.07 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया गया।

उल्लेखनीय है कि सभी जिला कार्यालयों के अथक प्रयासों से निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रीमियम अर्जित किया गया जो अत्यन्त सराहनीय उपलब्धि है एवं माहवार की जाने वाली समीक्षा बैठक का ही परिणाम है।

(राज्य मंत्री, राज्य बीमा)

(3) उक्त आयोजित बैठकों में कुल व्यय रुपये 9168.00 हुआ है, विवरण निम्नानुसार है :—

1. मुख्यालय, जयपुर	4506.00
2. बीकानेर, सम्भाग	1033.00
3. जयपुर, सम्भाग	1889.00
4. कोटा, सम्भाग	1740.00
5. जोधपुर, सम्भाग	शून्य
6. उदयपुर, सम्भाग	शून्य
7. भरतपुर, सम्भाग	शून्य
8. अजमेर, सम्भाग	शून्य

(4) गत दो वर्षों में अधिकारियों/कर्मचारियों की यात्रा भत्ता पर कुल रुपये 2,17,513 खर्चा हुआ है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(5) गत दो वर्षों में विभाग की गुणवत्ता के लिये निदेशक द्वारा प्रयास किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(6) जी, हां। विभाग के समस्त आवश्यक कार्य कम्प्यूटरीकरण करने का विचार है। विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना को सुव्यवस्थित एवं नियोजित रूप से विभागीय कार्य प्रक्रियाओं के अनुरूप सुदृढ़ बनाने के लिए एवं विभागीय डाटा के संरक्षण हेतु "प्रोजेक्ट रिपोर्ट" वित्त (राजस्व) वित्त (कर अनुसंधान प्रकोष्ठ) विभाग को प्रेषित की हुई है एवं इसके लिए प्रस्तावित सिस्टम एवं अनुमानित 50.02 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही समस्त आवश्यक कार्यों का कम्प्यूटरीकरण सम्भव है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि में कर्मचारियों के स्वीकृत पद

679. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के प्रत्येक जिलों में कितने अधिकारी/कर्मचारियों की बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि राशि की कटौती की जाती है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रत्येक जिले में किन नार्म्स के आधार पर बीमा विभाग में अधिकारी/कर्मचारियों के पद सृजित हैं? प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद सृजित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई जिलों में कर्मचारी/अधिकारियों की संख्या नार्म्स से अधिक है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में किस-किस पद के कर्मचारी अधिक हैं? क्या सरकार जहां कर्मचारी अधिक हैं वहां पर कर्मचारी कम करने का

(श्री कुबेर सिंह)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कई जिलों में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या नार्म्स से कम है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में किस-किस पद के कर्मचारी कम हैं? क्या सरकार जहां कर्मचारी/अधिकारी कम हैं वहां पर कर्मचारी/अधिकारी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में सभी जिलों में मिलाकर कुल 625821 अधिकारी/कर्मचारियों की बीमा राशि की कटौती की जाती है एवं कुल 676221 अधिकारियों/कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधि राशि की कटौती की जाती है। जिलेवार संख्या सूची संलग्न है। सूची "अ"।

(2) विभाग में वर्तमान में प्रत्येक जिलों में निम्न नार्म्स के आधार पर अधिकारियों के पद सृजित हैं :—

1.	20000 से कम बीमेदार/खातेदारों पर	—	एक सहायक निदेशक
2.	20000 से 40000 बीमेदार/खातेदारों पर	—	एक सहायक निदेशक एवं एक उप निदेशक
3.	40000 से 60000 बीमेदार/खातेदारों पर	—	दो सहायक निदेशक एवं एक उप निदेशक
4.	60000 से अधिक बीमेदार/खातेदारों पर	—	तीन सहायक निदेशक एवं एक उप निदेशक

अतिरिक्त निदेशकों के पद प्रत्येक संभाग स्तर पर एक अतिरिक्त निदेशक एवं मुख्यालय में बीमा, प्रानि. एवं सा. बीमा. योजना के लिए एक एक पद एवं एक पद सतर्कता का निर्धारित है। इस प्रकार कुल 11 पद बीमा सेवा में नार्म्स के आधार पर निर्धारित है एवं 1 पद अतिरिक्त निदेशक प्रशासन का पद स्वीकृत है जिस पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित है।

पर्यवेक्षक के पद निम्न नार्म्स के अनुसार निर्धारित है :—

1. बीमा/प्रानि/सी.पी.एफ. (मुख्यालय) कार्य हेतु 10 लिपिकों पर एक पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया है।
2. मुख्यालय के प्रत्येक अनुभाग हेतु एक पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया है।
3. जिन जिला कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक का पद सृजित नहीं है, उन कार्यालयों में एक पर्यवेक्षक का पद अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है।

(राज्य मंत्री, राज्य बीमा)

इस विभाग के प्रत्येक जिले में मंत्रालयिक संवर्ग में लिपिकों (क. लि., व लि., का. सहायक) के सृजित पद सम्बन्धित जिले के बीमेदारों/खातेदारों की संख्या के आधार पर सृजित किये गये हैं :—

1.	बीमा कार्य हेतु	—	1200 बीमेदारों पर एक लिपिक
2.	प्रानि. कर्य हेतु	—	1500 खातेदारों पर एक लिपिक
सहायक कार्य हेतु			
1.	ट्रेजरी कार्य हेतु	—	10000 खातों पर एक लिपिक
2.	प्राप्ति एवं प्रेक्षण	—	50000 खातों पर एक लिपिक तथा इससे अधिक होने पर दो लिपिक
3.	संस्थापन कार्य	—	40 कर्मचारियों के कार्य हेतु एक लिपिक तथा इससे अधिक होने पर दो लिपिक
4.	बिल एवं लेखा शाखा कार्य	—	40 कर्मचारियों के कार्य हेतु एक लिपिक तथा इससे अधिक होने पर दो लिपिक
5.	काउन्टर	—	उप निदेशक कार्यालय पर दो लिपिक एवं सहायक निदेशक कार्यालय पर एक लिपिक
6.	रिकार्ड रूम	—	प्रत्येक कार्यालय में एक लिपिक
7.	लीव रिजर्व	—	5 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सृजन हेतु निर्धारित नार्म्स निम्न प्रकार से हैं			
1.	विभागाध्यक्ष के कक्ष हेतु	—	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
2.	कार्यालयाध्यक्ष के कक्ष हेतु	—	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
3.	2 अधिकारियों के कक्ष हेतु	—	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
4.	रिकार्ड रूम हेतु	—	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5.	डाक वितरण हेतु	—	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
6.	मुख्यालय में डाक वितरण हेतु	—	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
7.	प्रत्येक जिले में 40 कर्मचारियों पर	—	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
8.	कोष, लेखा एवं संस्थापन हेतु	—	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(राज्य मंत्री, राज्य बीमा)

विभाग में पर्यवेक्षक के 125 पद, कार्यालय सहायक के 157 पद, वरिष्ठ लिपिक के 475 पद, कनिष्ठ लिपिक के 945 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 272 पद स्वीकृत है। जिलेवार स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट "ब"।

(3) जी, हां। यह सही है कि विभाग के कुछ कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या नार्म्स से अधिक है जिसकी सूची जिलेवार एवं पदवार संलग्न है। परिशिष्ट "स"।

उक्त जिला कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत संख्या से अधिक कार्यरत होने के निम्न कारण हैं :—

1. अधिकारियों में 1 सहायक निदेशक, जयुपर शहर में अधिक कार्यरत है जिन्हें मुख्यालय जयपुर की स्ट्रेन्थ में से जयपुर शहर में कार्य की अधिकता को देखते हुए पदस्थापित किया गया है।
2. 29.8.1988 को विकेन्द्रीकरण के पश्चात् कर्मचारी संघों का राज्य सरकार से समझौता होना है जिसके अनुसार कार्यालय सहायक के पद तक के कर्मचारियों का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण नहीं किया जाता है।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5.11.96 द्वारा बीमा एवं जी.पी.एफ. कार्य के नार्म्स का पुनःनिर्धारण किया गया है एवं तदनुरूप ही पदों का निर्धारण किया गया है। इस परिपेक्ष में 69 लिपिक संवर्ग के कर्मचारी अधिक कार्यरत थे जिन्हें 29.8.88 के समझौते के परिपेक्ष में जयपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया गया। उच्चतर पद पर पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण धीरे-धीरे इस संख्या में कमी हुई है।
4. जहां तक जयपुर से अन्यत्र जिलों में कर्मचारी अधिक होने का प्रश्न है उसका कारण कर्मचारियों के अल्प वेतनभोगी होने के कारण उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाना है।

(4) जी, हां। विभाग में कुल स्वीकृत पदों/नार्म्स के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी नार्म्स से कम कार्यरत हैं। जिलेवार/पदवार संख्या सूची संलग्न है। परिशिष्ट "द"। यहां यह उल्लेखनीय है कि कई जिलों में नार्म्स से अधिक अधिकारी/कर्मचारी भी कार्यरत हैं अतः कम/अधिक के समायोजन के पश्चात् विभाग में स्वीकृत/नार्म्स के अनुसार निम्न अधिकारी/कर्मचारी नार्म्स से कम हैं :—

(राज्य मंत्री, राज्य बीमा)

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	नार्म्स से कम पद
1.	उप निदेशक	22	20	2
2.	सहायक निदेशक	58	36	22
3.	पर्यवेक्षक	125	82	43
4.	कार्यालय सहायक	157	122	35
5.	वरिष्ठ लिपिक	475	460	15
6.	कनिष्ठ लिपिक	945	930	15
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	272	251	21

1. इनमें सहायक निदेशक एवं कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा अन्य सभी पद पदोन्नति के हैं जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।
2. सहायक निदेशकों के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों को भरने के लिए/राज्य सरकार को लिखा जा चुका है।
3. कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों के लिए न्यायालय में दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिकों के बकाया मामलों के कारण रिक्त रखे गये हैं।
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदावनत कर्मचारी जिन्हें न्यायालय के आदेश से पुनः कनिष्ठ लिपिक बनाया गया है, न्यायालय के निर्णयाधीन भरा जा सकेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन जिला कार्यालयों में नार्म्स से काफी कम संख्या में लिपिक संवर्ग में कर्मचारी कार्यरत थे उन कार्यालयों में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देकर पदों को भरने का प्रयास किया गया है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अल्प बचत प्रसार को प्रोत्साहन हेतु प्रेषित विज्ञापन पर व्यय

680. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रचार के लिये विज्ञापन दिये जाते हैं? यदि हां, तो एक अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक दो वर्ष में कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन किस-किस पत्र/पत्रिका और

(श्री हरजीराम बुरड़क)

स्मारिकाओं को दिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में रेडियो व टेलीविजन को भी विज्ञापन दिया गया? यदि हां, तो अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विज्ञापन देने के सम्बन्ध में विभाग की क्या नीति है? उक्त सम्बन्ध में बनाये गये नियमों व प्रक्रिया की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन सम्पर्क निदेशालय की विज्ञापन नीति के अनुसार स्वीकृत समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं। संलग्न परिशिष्ट "ख" में वर्णित समचार पत्रों में गत दो वर्षों का व्यय विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	विज्ञापनों की संख्या	व्यय की गई राशि
1.	1999-2000	160	रु. 85,15,683.00
2.	2000-2001	123	रु. 1,04,09,920.00

विभाग द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं एवं विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु पत्र, पत्रिकाओं और स्मारिकाओं में वित्त (आबकारी एवं राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 6 (16) वि.सं/रा.ले.-1/97 दिनांक 4.8.97 की स्वीकृति पर विज्ञापन दिये गये, जिन पत्र, पत्रिकाओं और स्मारिकाओं में विज्ञापन दिये गये जिनकी सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है। इनमें निम्नानुसार भुगतान किया गया है :—

क्र.सं.	वर्ष	पत्र	स्मारिका	विज्ञापनों की संख्या	व्यय की गई राशि
1.	1999-2000	7	1	8	रु. 1,61,199.00
2.	2000-2001	38	6	44	रु. 2,71,145.00

(2) जी, हां। वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 की अवधि में आकाशवाणी एवं टेलीविजन के माध्यम से सीधे ही विज्ञापन दिये गये हैं। व्यय विवरण निम्नानुसार है :—

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

आकाशवाणी

क्र. सं.	वर्ष	कार्यक्रम	विज्ञापन अवधि	व्यय राशि
1.	1999-2000	1. प्रादेशिक समाचारों से पूर्व 2. विविध भारती जयुपर, जोधपुर (प्रातः 8.15 से 9.30) 3. क्षणिका कार्यक्रम	30 सै. 30. सै. 40 सै.	रु. 7,96,830.00
2.	2000-2001	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	रु. 7,26,829.00

दूरदर्शन

क्र. सं.	वर्ष	कार्यक्रम	विज्ञापन अवधि	व्यय राशि
1.	1999-2000	1. प्रादेशिक समाचारों के मध्य 2. टाइम चैक 3. प्रश्नोत्तरी	10 सै. 5 सै. 40 सै.	रु. 10,53,475.00
2.	2000-2001	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	रु. 13,80,375.00

विभाग द्वारा दूरदर्शन के विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों में विज्ञापन प्रसारण हेतु निविदा आमंत्रित कर अनुबन्धित फर्मों के माध्यम से विज्ञापन प्रसारण भी करवाये गये हैं व्यय विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	व्यय विवरण
1.	1999-2000	रु. 4,62,780.00
2.	2000-2001	रु. 7,26,881.00

(3) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और स्मारिकाओं में विज्ञापन नीति, 1997 की प्रति परिशिष्ट "घ" संलग्न है तथा दूरदर्शन के माध्यम से दिये जाने के नियम एवं प्रक्रिया विवरण परिशिष्ट "च" संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील किशनपुरा (कोटा) की नदी पर पुलिया निर्माण

681. **श्री प्रभुलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसील किशनपुरा पंचायत मुख्यालय सांगोद को सड़क से जोड़ने हेतु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नदी पर पुलिया सहित स्वीकृति जारी हुई थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश की अनुपालना में उक्त सड़क पर अब तक निर्माण में कितनी लागत आ गयी तथा क्या डामर सड़क पूर्ण हो गया? क्या पुलिया निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त उजाड़ नदी पर शीघ्र ही पुलिया का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक तथा उक्त पुलिया की अनुमानित लागत क्या है?

(4) उक्त हेतु पूर्व स्वीकृत पुलिया निर्माण को क्यों लम्बित किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सड़क की स्वीकृति दिनांक 26.8.98 को निरस्त किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

(3) इस कार्य की स्वीकृति निरस्त होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) सड़क निर्माण के पूर्वानुमान तकमीना जो 42.17 लाख का था, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया था। तत्पश्चात् विस्तृत सर्वे कराये जाने पर इस कार्य में बड़ी नदी पड़ने के कारण कार्य की लागत में वृद्धि जो करीब 75 लाख आयी, अतः अधिक लागत के अनुमान के फलस्वरूप वित्तीय संसाधनों के अभाव में स्वीकृति निरस्त कर दी गई।

(आदेश की प्रति एवं सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत तिरोल व चित्रावास (गोगुन्दा) हेतु सड़क निर्माण

682. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि विपणन बोर्ड ने तहसील गोगुन्दा की पंचायत तिरोल एवं पंचायत मुख्यालय चित्रावास सड़क का डामरीकरण कराया है? यदि हां, तो क्या ठेकेदार ने सड़क व दीवारों में हल्का माल लगाया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार के प्रति कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु नियमित प्रक्रिया के अनुसार क्वालिटी कंट्रोल शाखा के आधार पर सड़क व दीवारों में हल्का माल नहीं लगाया गया है।

(2) चूंकि निर्माण में सामग्री विशिष्टियों के अनुरूप ही काम में ली गई है। अतः अधिकारी/ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :–

श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जिला बारां के ग्राम दिवाली से कुंजेड़ तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(12.01 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से गैर पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र रेडा द्वारा 1994 से 1998 में की गई कथित अनियमितताओं के संबंध में।

(2) श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से बालोतरा को जिला बनाने के संबंध में।

(3) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विद्युत आपूर्ति में अव्यवस्था के संबंध में।

(4) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली में अकाल राहत कार्य खोले जाने के संबंध में।

(5) श्री रूपलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के संबंध में।

(6) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से राज्य में पिछड़े वर्ग की दो सूचियां बनाकर उपेक्षित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय विषय पर आज आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में कर लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता आज मैं इस पर बोलूं, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं, अकाल राहत मंत्रीजी से प्रार्थना है कि सागवाड़ा में राहत कार्य पर नहीं लगाने के कारण से नाहर सिंह ने अपने शरीर पर केरोसीन डालकर आत्महत्या की है। उस विषय में, विषय बहुत गम्भीर है, मैं चाहता हूं कि मैं केवल बोल कर इस बात को खतम नहीं करना चाहता। मैं आपसे चाहता हूं कि कल आप इस विषय पर पूरी जानकारी करके इस सदन में इस बात के लिए आप जानकारी दें कि नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने अकाल राहत कार्य पर नहीं लगाने के कारण से और कई जगह वह अकाल राहत कार्यों पर भटक चुका, प्रशासन ने स्वयं ने उसको समय-समय पर गेहूं देकर भी जिन्दा रखने का प्रयास किया है। उसके बाद भी कल वह अकाल राहत कार्य पर गया। मेट ने ना कहा। उसके बाद में अपने सरपंच के, सबके पास जाने के बाद में उसने अपने आम के वृक्ष के नीचे स्वयं पर केरोसीन डाल कर, वह 65 साल का आदमी, जिसके घर में वह और उसकी पत्नी है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली है। इस विषय पर आप गहनता से अपनी जानकारी दें ताकि हम उस गहनता को ठीक प्रकार से चर्चा करके, मानवीय आधार पर उस गरीब व्यक्ति के लिए कुछ ठीक प्रकार से व्यवस्था कर सके। मैं यह चाहता हूं, आप अपनी तरफ से कुछ दें ताकि हम इस बात को ठीक प्रकार से जनता तक भी पहुंचा सके और जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए जो भी हमारे तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों से हम ठीक प्रकार से कार्यवाही कर सके।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ जानकारी तो है लेकिन जैसा कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी और दी है, उसकी मैं जानकारी करके कल सदन में वक्तव्य दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

गैर पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र रेडा द्वारा 1994 से 1998 में की गई अनियमितताएं

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान उनके ऊर्जा विभाग के गैर पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र रेडा द्वारा सन 1994 से 1998 तक की गई फर्जी कार्यवाहियों, अनियमितताओं, घपलेबाजी और धोखाधड़ी के बावजूद भी उनके मंत्री बनने के बाद इस धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

मंत्रीजी, 1994 से लेकर 1998 तक रेडा ने न केवल वित्तीय अनियमितता ही की है अपितु गम्भीर जालसाजी करके जनता के धन का जो दुरूपयोग किया है, ऐसा अद्वितीय उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा।

1994 से लेकर 1998 तक की केन्द्रीय सब्सिडी की एक करोड़ से अधिक की धनराशि जो 1993 में ही केन्द्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, रेडा के अधिकारी हड़प कर गये। इसकी भनक जब ऊर्जा सचिव को लगी तो उन्होंने वित्त विभाग को रेडा की स्पेशल आडिट करने हेतु लिखा।

विशिष्ट सचिव वित्त, डा. अशोक सिंघवी ने 9 दिसम्बर, 1998 को जब डा. चन्द्रभान ऊर्जा मंत्री बन गये थे, तब स्पेशल आडिट हेतु आदेश दिये और एक महीने में रिपोर्ट निश्चित तौर से पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। स्पेशल आडिट पार्टी के लेखाधिकारी ने 30.3.99 को राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जयपुर के सब्सिडी लेखों की भली प्रकार जांच की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।

जांच के निष्कर्ष का अंतिम पैरा शब्द बाई शब्द यों है :—

"अंत में यह केस केवल वित्तीय अनियमितताओं का ही नहीं है बल्कि धोखाधड़ी एवं जालसाजी का भी है लिहाजा इस धोखाधड़ी एवं जालसाजी के लिए फर्म मैसर्स एनर्जी इक्विपमेंट, अहमदाबाद, जो कि गुजरात सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दी गई है, तथा इसमें शामिल हुए श्री पी. दयाल, निदेशक, श्री सी.एम. माथुर, एसई. रेडा, जयपुर तथा श्री जी.डी. माथुर, एईएन., जयपुर के खिलाफ डाइरेक्टर जनरल, एसीडी. के यहां अण्डर द प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत तुरन्त सरकार द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाना प्रस्तावित है।"

इतना ही नहीं, बार-बार लेखाधिकारी ने मीमो सं.-3 दिनांक 7.1.99 मीमो संख्या-4 दिनांक 13.1.99, मीमो संख्या-5 दिनांक 17.2.99, मीमो संख्या-6 दिनांक 19.2.99,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मीमो सं.-7 दिनांक 11.3.99 द्वारा चाही गई सूचनाएं दिनांक 24.3.99 तक मुख्य निष्पादक एवं निदेशक, राज. ऊर्जा विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाना एक गम्भीर अनियमितता है।

इस प्राकर भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दो वर्ष बीत जाने पर भी एफ.आई.आर. दर्ज कराना तो दूर, इन दोषियों को पदोन्नति देकर इनाम बख्श रहे हैं।

इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, कुछ कार्यवाही नहीं करके इनाम बख्शना संदेह की सूई आपकी तरफ भी चली जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब तो देने दीजिये, वे जवाब दे रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने विशेष उल्लेख के जरिये...(व्यवधान) मेरे ऊपर भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप पर नहीं लगाया है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, मेरे ऊपर सीधा नहीं लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लगाया है, उसको डिलीट कर दिया है, बोलने ही नहीं दिया, आप क्यों बोल रहे हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो काट दिया है इस सचिवालय ने, इसलिए मैं वह बोली नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह डिलीट कर दिया है, रिकार्ड पर नहीं आया है। उस बात को आप क्यों बोल रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...वरना बोलती, काट दिया आसन ने, काट दिया वह तो, आसन ने काट दिया ...(व्यवधान) वह मेरा लिखा हुआ तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो रेडा का जवाब दो, रेडा का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप सुनिये, इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसको अलाउ नहीं किया गया है, न माननीय सदस्या बोली हैं। इट्स नाट आन रिकार्ड।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो घोटाला हुआ उसके बारे में तो जवाब देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दे रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : पूरा जवाब दूंगा आपका। जो शंका इन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, प्रकट की है, यह निर्मूल है, सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह बात सही है कि रेडा में सन 1994 से 98 के मध्य सब्सिडी के वितरण को लेकर के कुछ अनियमितताएं हुई और उसका दुरूपयोग हुआ। यह भी माननीय सदस्या ने खुद ही ने कहा है कि जब यह मसला विभाग की जानकारी में आया, स्वयं ऊर्जा

(डा. चन्द्रभान)

सचिव ने वित्त विभाग को लिख करके स्पेशल आडिट करने की मांग की और उसके आधार पर स्पेशल आडिट रिपोर्ट भी तैयार हुई। माननीय सदस्या ने यह कहा है, इस रिपोर्ट का निष्कर्ष उन्होंने यहां पर पढ़कर सुनाया, वह आपने कहा है कि हू-ब-हू ऐसा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फाइल लेकर के आया हूं और जो स्पेशल आडिट की रिपोर्ट है उसका अंतिम पैरा, आपरेटिव पैरा मैं आपके सामने, आपके माध्यम से माननीय सदस्या को—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं भी लेकर आई हूं।

डा. चन्द्रभान : ठीक है, ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपनी भी यहां पर रख दूंगी, आप भी रख देना।

डा. चन्द्रभान : हां, हां, रख देंगे, इसमें छुपाने की क्या बात है। किसी को बचाने का सवाल नहीं उठता है। यह भी आप जानती हैं कि यह प्रकरण इनके कार्यकाल का है, इनके समय का है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसी के कार्यकाल का हो, यह तो चले गये थे, इनके बाद सब बात हुई है, और आपकी जिम्मेदारी थी, आपने दो साल में क्या किया?

डा. चन्द्रभान : हां, हां, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है और, उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को, सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह प्रकरण विचाराधीन है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैं इस पैरा को पढ़कर आपके माध्यम से माननीय सदस्या को और सदन को बताना चाहता हूं, इसको पढ़ करके इस हाउस को गुमराह किया है आपने। आप सुनिये।

"अंत में उक्त प्रकरणों में ब्लेक लिस्ट फर्म एनर्जी इंवेस्टमेंट, अहमदाबाद को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसके लिए श्री तत्कालीन निदेशक एवं मुख्य निष्पादक, रेडा, श्री सी. एम. माथुर. एस.ई. रेडा, जयपुर श्री जी. डी. माथुर, सहायक अभियन्ता, श्री जे. पी. माथुर, सहायक अभियन्ता एवं श्री वृद्धिचन्द, सहायक अभियन्ता, रेडा, जयपुर उत्तरदायी हैं।"

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और मैं क्या कह रही हूं।

डा. चन्द्रभान : आप तो सुनिये, क्या कह रही हैं वह तो मैं आपका पढ़कर अभी दोबारा सुनाता हूं, आपका भी, जो आपने दिया है। इसमें आपने कहा है कि अनियमितता ही नहीं, बल्कि धोखाधड़ी एवं जालसाजी का भी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां। (व्यवधान) लेखाधिकारी कह रहा है।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये, लिहाजा धोखाधड़ी एवं जालसाजी—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेखाधिकारी कह रहा है।

डा. चन्द्रभान : यह वर्ड नहीं है। आप सुनते जाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप वह दोनों रखिये न। आप भी अपनी फाइल रखना और मैं भी इस फाइल को रखूंगी और फैसला इसी बात पर हो जाय।

डा. चन्द्रभान : हां, रख देंगे, ठीक है, ठीक है। हां-हां, ठीक है। यह फाइल तो रखी ही जायेगी, यह फाइल कोई मेरी है क्या। "राज्य सरकार उक्त उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।" यह गवर्नमेंट को लिखा है। "साथ ही यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उक्त प्रकरण की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो से भी करवा सकती है।"

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एफ.आई.आर. लाज करने का नहीं लिखा है?

डा. चन्द्रभान : नहीं लिखा है, यह तो आपके सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यही कहना चाहूंगा कि यह प्रकरण 1994 से 98 का है और ऊर्जा विभाग की पहल पर इसकी स्पेशल आडिट रिपोर्ट हुई, उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर रेडा से टिप्पणी मंगा ली गई है। अब ऊर्जा विभाग में इसका परीक्षण चल रहा है। मामला बहुत पुराना है, काफी लोग इसमें इन्वाल्व्ड हैं, पेचीदा है और इसमें थोड़ा समय लगा है। थोड़ा समय लगा है, यह मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें थोड़ा डिले हुआ है। यह माननीय सदस्या का जो कथन है, यह सही है कि इसमें थोड़ा डिले हुआ है लेकिन यह जांच जो है, इसका परीक्षण अंतिम दौर में है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि एक महीने के अंदर-अंदर इस पर निर्णय ले लिया जायेगा और सरकार दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी और यदि उचित होगा तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी होगी और यदि जरूरी होगा तो इस मामले को एस.डी. को भी दिया जा सकता है और एफ.आई.आर. भी लाज कराई जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल।

बालोतरा को जिला बनाये जाने विषयक

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम, 295 के अन्तर्गत बालोतरा को जिला बनाने के क्रम में निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान में सीमावर्ती बाड़मेर जिला देश के कई राज्यों एवं प्रान्तों से भी बड़ा होने के कारण प्रशासनिक गतिविधियों का सफल संचालन नहीं हो पाता है और विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी कई बाधाएं आती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल 28387 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कई जिलों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 20 प्रतिशत से भी कम है। वर्तमान में बाड़मेर जिले की जनसंख्या 20 लाख हो गई है जो कि कई जिलों से अधिक है। प्रस्तावित बालोतरा जिले की जनसंख्या 7 लाख होने के कारण

(श्री गोपाराम मेघवाल)

बालोतरा को जिला बनाने का औचित्य बनता है। बालोतरा उप खण्ड के पचपदरा एवं सिवाना तहसील के कई गांव एवं पंचायत मुख्यालय 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं, उन गांवों का जिला मुख्यालय से शीघ्र एवं सुगमता से सम्पर्क नहीं हो पाता है तथा प्रशासन भी उन गांवों तक नहीं पहुंच पाता है। साधारण व्यक्ति, मजदूर, किसान एवं मरीजों के लिए महंगा एवं कष्टदायक तथा असहनीय है।

बालोतरा को जिला बनाने हेतु पंचायत समिति बालोतरा, पंचायत समिति, सिवाना एवं ग्राम पंचायत, सिणधरी ने भी समय-समय पर प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा है कि बालोतरा को जिला बनाया जाय।

अतः बालोतरा क्षेत्र की अमा जनता सभी राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों एवं क्षेत्रीय विधायक के नाते मेरा अनुरोध है कि जनहित में प्रशासनिक कामों में सुविधा एवं क्षेत्र के विकास के लिए बालोतरा को जिला बनाने का आदेश शीघ्र करवाकर उसे क्रियान्वित करने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विद्युत वितरण की समस्या

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत वेदना के साथ इस 295 के प्रस्ताव के थ्रू सदन का ध्यान मालपुरा, मेरी कांस्टीट्यूएन्सी के विद्युत वितरण की ओर दिलाना चाहता हूं। ऊर्जा मंत्रीजी ने जिस विद्वेष से मालपुरा की बिजली बंद कर रखी है, पिछले दस-पन्द्रह रोज से मुश्किल से दो घंटे बिजली आती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें लिखा है उपाध्यक्ष महोदय, आप इसका नियम भी पढ़ लें, ब्रीफली द पाइंट। बोलूंगा तो सही। जो पाइंट है उसी पर बोलूंगा। I will not go beyond the point.

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले इसको पढ़े, फिर बाद में बात करना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ना, ऐसा पढ़ने का कहीं लिखा हुआ नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। आपने प्रेक्टिस भले ही कर रखी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बहस में पढ़ने से क्या फायदा। आप इसको पढ़े ना।

श्री सुरेन्द व्यास : किस को?

श्री उपाध्यक्ष : जो आपने 295 दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसी पर बोल रहा हूं मैं। आप पढ़ो न यह। बिजली के अलावा नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दस-पन्द्रह रोज से सिर्फ दो घंटे बिजली आती है और यह अव्यवस्था हमेशा है। उसके पहले लगातार शाम को, बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, तब बिजली

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

काटी जायेगी और मालपुरा के अन्दर अव्यवस्था जब से यह ऊर्जा मंत्री बने हैं, तब से...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इसमें लिखा हुआ नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें लिखा है न, उपाध्यक्ष महोदय। यह इस प्रकार ऊर्जा मंत्री का विद्युत वितरण में राजनीतिक व्यवहार सदन के लिए सोचनीय है। बिलकुल लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह में 24 घंटे बिजली आती है और मालूम करने पर ज्ञात हुआ, मैंने चिट्ठी लिखी, एम.डी. कोरानी को चिट्ठी लिखी, पी.एन. भण्डारी को चिट्ठी लिखी, अशोक सिंघवी को चिट्ठी लिखी। उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी ने निर्देश दे रखे हैं कि मालपुरा की बिजली काट दी जाय। अगर 1980 में यह चुनाव लड़े और जमानत जब्त करा दी. मालपुरा में इनकी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है।

डा. चन्द्रभान : मेरी जमानत जब्त नहीं हुई थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल हो गई थी आपकी।

डा. चन्द्रभान : नहीं हुई थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहुत जबरदस्त हार...

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, यह तो रिकार्ड है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, सब रिकार्ड है।

डा. चन्द्रभान : आप जीते थे, यह बात सही है और मैं तीसरे नम्बर पर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तीसरे नम्बर पर रहे थे, आपकी जमानत जब्त थी...

डा. चन्द्रभान : मेरी जमानत जब्त नहीं हुई थी, मेरे वोट आये थे 9261.

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल जमानत जब्त हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : और मेरी कोई जमानत जब्त नहीं हुई थी, आप गलत कह रहे हैं। मैं लोकदल का उम्मीदवार था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, जमानत जब्त हुई।

डा. चन्द्रभान : और सुरेन्द्रजी, आप आज यह बात कह रहे हैं, आपने हमेशा मेरे को यह कहा है कि आप नये कंडीडेट थे, यंग थे और आपने अच्छे वोट लिये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनो। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी है। ऐसा नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा यह कर्तव्य है कि संबंधित मंत्री को पत्र लिखना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं है कि इनको बाई-पास किया हो। लेकिन जो आदमी सुनना ही नहीं चाहता और जिस आदमी के दिमाग में इतना मेलाफाइड घुसा हुआ हो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर, आप ताज्जुब करेंगे, 13 गांवों में इलेक्ट्रिफाइड शो कर रखा है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और आज तक बिजली नहीं लगायी। ये समाज कल्याण मंत्री बनवारी लालजी बैरवा उस ज़गह मौजूद थे। बीड़ गनवर के अन्दर हण्ड्रेड परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट का गांव है वहां गैर आवाद बता करके बिजली नहीं लगायी। ये सब पत्र मैं मंत्रीजी को लिख चुका हूं। व्यक्तिगत बात कर चुका हूं। मैंने सोचा कि कम से कम सदन की जानकारी में यह जरूर लाये कि राजस्थान का एनर्जी मिनिस्टर किस प्रकार से पालिटिशियन तरीके से और मेलाफाइड तरीके से अपनी हार का बदला लेने के लिए लोगों के साथ व्यवहार करता है। इसलिए मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। इस मंत्री से अपेक्षा भी नहीं करता हूं। ये मर्जी आये जितना कर लें न मैं इनसे कोई उम्मीद करता हूं न इनको कोई अनुरोध करता हूं। मैं सिर्फ सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और बाकी तो प्रशासन से जो तरीका होगा, अपनायेंगे। कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगें। मंत्रीजी से मैं कोई अपेक्षा नहीं करता हूं सिर्फ सदन की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, खैर माननीय सदस्य तो अपेक्षा नहीं करते हैं लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं यह बात सही है कि पिछले 5-7 दिनों से के.टी.पी.एस. की एक यूनिट चले जाने के कारण बीच में आर.एपी.पी.की यूनिट चले जाने के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : फिर व्यवस्था करा दो सीधी बात यह है न।

डा. चन्द्रभान : और आज अखबार में भी आया है। आपने न्यूजपेपर में भी देखा होगा एक 220 के जी.एस.एस. पर जो सिटी जो हमारी खराब हो गयी उसके कारण से थोडी यह सब यूनिट बंद हो गयी इसके कारण पिछले 5-7 दिन से दिक्कत है। बाकी मालपुरा में जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टोडारायसिंह और मालपुरा जुड़ा हुआ है। टोडारायसिंह में अच्छी बिजली आती है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई दिक्कत नहीं है पर टोडारायसिंह और मालपुरा बिलकुल एडजोइनिंग कांस्टीट्यूएंसी है हार्ट बर्निंग होता है। जहां आप 24 घंटे बिजली बंद रखना चाहते हैं मालपुरा में और 24 घंटे अपनी जलाते हो। चन्द्रभानजी, मैं आपको वेल विशर के नाते कहता हूं कि आप अगला चुनाव मालपुरा से लड़ना चाहते हैं। पहले जमानत जब्त नहीं हुई थी अब आपकी हो जाएगी अगर इस तरह से हरकत करोगे तो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं लडूंगा या नहीं लडूंगा कोई भी लड़ेगा लेकिन अगर इस तरह की हरकत करोगे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों पड़ोसी हो निपट लेना।

डा. चन्द्रभान : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सुमित्रा सिंहजी और सुरेन्द्रजी इस शंका से ग्रसित हैं कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं झुंझुनूं से और मालपुरा से इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुमित्रा सिंहजी 8 दफा आ चुकी हैं, मैं 5 दफा आ चुका हूं आप दो दफा आये हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए चार्जेज लगा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Minister, you are a new born baby. You have come to the House only twice. She has been in the House 8 times. I am here for the fifth time.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये प्लीज। कितनी बार खड़े होंगे। आप विराजिये प्लीज।

डा. चन्द्रभान : व्यासजी, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका सब्जैक्ट ही नहीं है।

डा. चन्द्रभान : नहीं मेरी उम्र कम है लेकिन...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका इश्यू ही नहीं है आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने आधी उम्र तो जेल में गुजारी है।

डा. चन्द्रभान : आपसे ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख। आर्डर-आर्डर। विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऊर्जा मंत्रीजी, आपने तो अपनी आधी जिन्दगी जेल में गुजारी है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, गलत बात है यह।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय ज्ञानचन्दजी। माननीय मंत्रीजी, विराजिये प्लीज।

डा. चन्द्रभान : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य राजनीति कि क्षेत्र में जो रहेगा उसका एक पैर रेल में रहेगा, एक पैर जेल में रहेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजनीतिक नहीं था यह मर्डर था। यह मर्डर केस था राजनीतिक नहीं था यह। It was a murder case. जिसमें आप अन्दर रह कर आये हो। It was not a political case.

डा. चन्द्रभान : यस-यस, सुनिये आप। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आरोप नहीं लगा रहा हूं। तथ्य है, रिकार्ड है। मैं इन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये। मैं जानता हूं कि आप किस कुंठा से ग्रसित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुनिये, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप सुनिये पहले। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो कुछ बोल रहे हो वो रिकार्ड ही नहीं होता है तो आपको बोलने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं उसका।

डा. चन्द्रभान : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं सुन नहीं सकता इनके चार्जेज। मैं मेरी बात इसीलिए कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : किसको कहेंगे?

डा. चन्द्रभान : इन्होंने जो कहा है जिस मुकदमें की बात करते हैं मैं माननीय उच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी हुआ हूं उसके अन्दर। यह आप उच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं एक वकील हो करके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाइज्जत बरी सिनेमा में होते हैं। बेनीफिट आफ डाउट से बरी होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

डा. चन्द्रभान : नो-नो कोई बेनीफिट आफ डाउट नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : संदेह के लाभ से बरी होता है और संदेह के लाभ से बरी होने वाला निर्दोष नहीं हो जाता।

डा. चन्द्रभान : और आप जानते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : चन्द्रभानजी, संदेह के लाभ से बरी होने वाला निर्दोष नहीं हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : कोई संदेह के लाभ से बरी नहीं हुआ और आप जानते हैं...(व्यवधान) ...वह स्टूडेन्ट्स का जो मुकदमा था, छात्र जीवन का वह भी राजनीतिक कारणों से लगा था। वो स्टूडेंट्स पालिटिक्स का मुकदमें राजनीतिक कारणों से लगे थे और...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) ...नोटिस किया जा रहा है...

डा. चन्द्रभान : आपके पिताजी गृह मंत्री थे अब वे स्वर्गीय हो गये इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : और समय आप भी एम.एल.ए. होंगे जिस तरह से विश्वविद्यालय में होता था और वो सब जितने मामले थे राजनीतिक कारणों से मुकदमें लगते थे। और मैं बाइज्जत बरी हुआ था कोई बेनीफिट आफ डाउट नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बेनीफिट आफ डाउट से बरी हुए हैं आप।

डा. चन्द्रभान : नो-नो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : होता ही नहीं है।

डा. चन्द्रभान : मैं आपको उच्च न्यायालय का आदेश जो है वह यहां पर रख दूंगा। आप बातें कर रहे हैं इस तरह की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिनेमा में होता है।

डा. करण सिंह यादव : डा. साहब, आपने छोटी सी उम्र में बहुत पा लिया इसलिए इनको जलन हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये न आप हो गया न। कमाल है आप सुन ही नहीं रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, ये किस आधार पर बात कह रहे हैं। मैं इस सदन में चुन कर आया हूं। टोडारायसिंह की जिस जनता ने मुझे चुना है उसका अपमान कर रहे हैं और उस टोडारायसिंह क्षेत्र में इनकी जमानत जब्त हुई थी। पूछो इनको इनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज इससे क्या लेना-देना है। आप मंत्री हो सरकार के, क्या बोल रहे हो आप?

श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कांग्रेस की जमानत जब्त हो गयी थी। मैं कांग्रेस से लड़ा था

डा. चन्द्रभान : आपकी हुई थी। आपकी जमानत जब्त हुई थी तो टोडारायसिंह में 6 हजार समर्थिंग वोट आये थे आपके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : झुंझुनूं में पांच सौ आये थे आपके एक दफा।

डा. चन्द्रभान : छोड़िये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : छोड़ो बात करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सुरेन्द्रजी प्लीज।

डा. चन्द्रभान : आप किस कुंठा से ग्रसित हैं मैं जानता हूं और आप सुनना आप जिस कुंठा से ग्रसित हैं मैं अच्छी तरह से समझता हूं और मेरे ऊपर आपका कोई (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिजली की बात सीधी हो रही थी। आपने बात चलायी। मैंने कुछ बात नहीं कही। मैंने सिर्फ बिजली की बात कही है।

डा. चन्द्रभान : नहीं आपने चार्जेज लगाये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या चार्जेज लगाया है?

डा. चन्द्रभान : आप कह रहे हैं कि मैं जान-बूझकर आपको बिजली नहीं देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह सही है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। बहुत हो गया।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इनके यहां पर दो जी.एस.एस. बनाये गये ये अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप अननेसेसरी बोले जा रहे हो। कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य कह रहे हैं मंत्रीजी न्यू बोर्न बेबी हैं। न्यू बोर्न बेबी हैं तो फिर भी कैबिनेट के मिनिस्टर बन गये। आप पांच बार चुन कर आये, बने आज तक कभी कैबिनेट मिनिस्टर ?

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी पारीक, बैठिये। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये न्यू बोर्ड बेबी, बुढ़ापा आ गया और आज तक कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाये।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो प्रश्नकाल में जनार्दन सिंहजी और परसादी लालजी लड़ लिये। आखिर आसन कैसे छूट देता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप काल तो पधारे हो। विराजिये तो सही।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं फिर यह छूट तो सबको मिल जाएगी तो क्या होगा हाउस का ?

श्री उपाध्यक्ष : सब अच्छा होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, अच्छा नहीं होगा बहुत बुरा होगा। कल का दिन हम नहीं देख रहे हैं हम आज मजा ले रहे हैं। यह किसी के हित में नहीं है। हम सब उपदेश देते हैं बाहर जाकर तो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। माननीय ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी आवाज आ रही है यह पता चल गया कि आप हाउस में आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीकजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : वरना उपस्थिति ही दर्ज नहीं होती। सभी चुपचाप बैठे रहते हैं माननीय सदस्य, 10 दिन से हाउस शांति से चल रहा है। आपके बोलने से यह पता चला है हाउस में आप पधार गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी पारीक।

विधान सभा क्षेत्र पाली में अकाल राहत कार्य खोलने विषयक

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पाली विधान सभा क्षेत्र के अकालग्रस्त गांवों में रोजगार हेतु पर्याप्त मात्रा में अकाल राहत कार्य खोलने हेतु अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। लगभग पूरा राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष अकाल की चपेट में है। पाली जिले की रोहट पंचायत समिति के सभी गांव एवं पाली पंचायत समिति के भी सभी गांव भीषण आकल की चपेट में है। यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

साधन खेती है और वो भी वर्षा पर ही निर्भर है लगातार तीन वर्षों से कम वर्षा होने के कारण आजीविका का मुख्य साधन खेती लगभग समाप्त हो गई। गांवों में पिछले दो ढाई वर्षों से राज्य सरकार द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, बांध निर्माण एवं गांवों के विकास हेतु कराये जाने वाले अन्य निर्माण कार्यों को भी ठप्प कर दिये जाने के कारण ग्रामीण जनता के सामने रोजगार का भारी संकट खड़ा हो गया।

केन्द्र सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में खुलें, इस हेतु बहुत बड़ी राशि राज्य सरकार को दी गयी है फिर भी मई माह शुरू होने के बावजूद भी बहुत कम संख्या में राहत कार्य खोले गये हैं। जिन गांवों में राहत कार्य खोलें भी हैं तो वहां भी बहुत कम संख्या में श्रमिक लगाये गये हैं। जिसके कारण जिन गांवों में राहत कार्य खुले हैं वहां किसको लगाये, किसको न लगाये इसका झगड़ा खड़ा हो गया है। स्वीकृत श्रमिकों की संख्या 40-50 है परन्तु एक तारीख एवं 16 तारीख को काम पर लगाने के लिए सैकड़ों पुरुष एवं महिलाएं गांव-गांव में सरपंचों, वार्ड पंचों, पटवारी ओवरसियर के सामने याचना करते दिखते हैं। मान्यवर, इतने कम कार्य व श्रमिक स्वीकृत हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को भी दो-तीन महीनों में मात्र एक पखवाड़ा ही कार्य मिल पाता है अन्य दूसरी गरीब एवं ग्रामीण जनता का नम्बर कब आये कुछ पता नहीं। मान्यवर, कई छोटे गांव व ढाणियां ऐसी भी हैं जहां पिछले दो वर्षों में एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया।

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा भी श्रमिक संख्या आबंटन करने में पाली जिले के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार को पाली जिले की अकाल की भीषण स्थिति की जानकारी होने के बावजूद भी अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम श्रमिक स्वीकृत किये गये। पाली जिले से आधी आबादी वाले जालौर एवं सिरोही जिलों में पाली जिले से दुगने श्रमिक लगाये गये। राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयुपर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में एक लाख से डेढ़ लाख श्रमिकों को रोजगार दिया गया था परन्तु पाली जिले में माह जून में अधिकतम श्रमिक संख्या पचास हजार के करीब ही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय अकाल मंत्रीजी एवं माननीय प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन है कि जिले की विकट स्थिति को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में अकाल राहत कार्य खोले जावें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के एक सदस्य को रोजगार अवश्य मिले इसकी पुख्ता व्यवस्था हेतु जिन गांवों में ऐसे परिवारों की संख्या ज्यादा हो वहां ज्यादा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कार्य खोले जावें। पिछले वर्ष के अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु तत्काल स्वीकृत कराने के निर्देश जारी करें। जल संग्रह एवं पानी रोकने हेतु क्षतिग्रस्त एनीकट, खडीन आदि के मरम्मत के कार्य स्वीकृत करने का निर्देश जारी करें एवं पिछले वर्षों की भांति भेदभाव ना बरतते हुये आवश्यकता अनुरूप श्रमिक संख्या स्वीकृत करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपलाल मीणा।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी बैठे हैं पाली की स्थिति बड़ी खराब है। हम कहां कहेंगे, आप बिठा तो रहे हो लेकिन इन्होंने जो स्थिति बताई है, चयनित परिवारों के श्रमिक लग नहीं रहे हैं, लोगों को काम काज नहीं मिल रहा है, लोग त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं। इसका चित्रण मैंने भी कल किया और आज हमारे पाली से आने वाले विधायक ने कहा है। किस प्रकार की स्थिति हो रही है। छोटे-छोटे जिले हैं जहां राहत कार्य बड़ी संख्या में चल रहे हैं। हमारा इतना बड़ा जिला है पाली जहां मामूली श्रमिक संख्या दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी पीड़ा का विषय है। भयंकर अकाल है। अकाल राहत मंत्रीजी यहां बैठे हैं उनको आप निर्देश दीजिए कि इनकी समस्या का समाधान करे।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल पर बहस होगी तब आप बोल लेना, रोक कौन रहा है आपको।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं और हर सदस्य का जवाब दे रहे हैं। मेरा भी निवेदन है कि मंत्रीजी कुछ कहें।

श्री उपाध्यक्ष : सब थोड़े ही दे रहे हैं, आप विराजो। श्री रूपलाल मीणा।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मंत्री महोदय, यहां बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे?

श्री ज्ञानचन्द पारख : मंत्रीजी बैठे हैं, आप उनसे कहे तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं कह सकता।

श्री ज्ञानचन्द पारख : वह यह जवाब दे दें कि वह नहीं बढ़ायेंगे। या तो मना कर दें कि हम नहीं बढ़ायेंगे तो हम बैठ जायेंगे। कुछ न कुछ तो बताएं कि बढ़ायेंगे कि नहीं बढ़ायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप दो दिन ठहरो, अवसर आयेगा। माननीय रूपलालजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी यहां सदन में नहीं सुनते तो बाहर क्या सुनेंगे। सदन में सदस्य की बात यह सुनते नहीं तो यह अपने कमरे में या चेम्बर में क्या सुनेंगे। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस प्रकार की पाली जिले की फेमिन की स्थिति है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी यहां विराजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि विराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। हम आपके आदेश के अधीन हैं। हम आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं लेकिन जो स्थिति है, जिसका बखान अभी-अभी माननीय सदस्य ने किया। पाली में श्रमिक संख्या बहुत कम है। लोगों को काम काज नहीं मिल रहा है और जो वितरण व्यवस्था है वह भी ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूं मिरात्याखुर्द गांव में पिछले दिनों हमनें मीटिंग ली है। नोट ए सिंगल फेमिन मजदूर। हम चाहते हैं कि श्रमिकों की हर ग्राम पंचायत में, हर राजस्व गांव में बराबर संख्या हो और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। हम सौ बार कह चुके हैं ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों के मार्फत की श्रमिक संख्या बढ़ाये। आप कह रहे हो एजेंसी के माध्यम से दें। एजेंसी के माध्यम से कैसे श्रमिक आयेंगे? अच्छे पैसे वाले लोग लग जाते हैं, खाता-पिता आदमी लग जाता है और गरीब आदमी काम पर नहीं लग पाता है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। कोई व्यवस्था तो सुधारो, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हो।

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो आपसे सहयोग चाहते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 295 के जरिये पिछले वर्ष के आंकड़े दिये। अब सब चीजें तो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं नहीं। जालौर की संख्या बताई है, और जिलों की संख्या बताई है। उस वक्त इनके जिले को क्या संख्या दी गई है, यह जो 295 पढ़ेगें मैं इनको देखकर स्थिति को देखूंगा। हर वक्त तो किताब साथ में रहती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आप 295 को समझिए पहले। विराजिए प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना कह दें कि इस बार भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरे जिलों के समान कार्य करेंगे, इतना कह दें बस।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कह दिया ना, यह कुछ नहीं कहेंगे। आपको कह दिया कि 295 पढ़ लिया, मैं इसका पता करूंगा और फिर बाद में कहूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : आप बहुत विद्वान हैं। एक-एक बात इनके टिप पर है। हम तो यही चाहते हैं कि बराबर भरपूर मजदूर संख्या पाली जिले को मिले, छोटे जिलों से अधिक दी जाये और जो जिले हमारी जनसंख्या के बराबर हैं, उसके बराबर लेकर संख्या दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपलाल मीणा।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कतिपय गांवों में पेयजल समस्या

श्री रूपलाल (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पेयजल की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। सभी गांवों में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। हैण्ड पम्प एवं कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। अधिकतर हैण्ड पम्प एवं कुएं सूख गये हैं। सलूम्बर नगर में पानी के जो टेंकर अभी लगे हुए हैं वह अपर्याप्त हैं। अतः नगर में पानी के टैंकर बढ़ाने की व्यवस्था की जाये व सलूम्बर नगर व आसपास के 15 गांवों के लिए जो जयसमन्द झील से पानी लाने की जो योजना बनाई गई है उसे अविलम्ब लागू किया जावे व निम्न गांवों में पानी पहुंचाया जावे :— खेराड, बस्सी, जोयरा, सैरीया, अगतासीया, लकापा, डाल, टोड़ा, थड़ा, चितोडा, रोबा, गोवड़ा पाल, ओरवाडिया, करावली, खटका, पैपूडी, इडाणा, कडूणी आदि।

इसी तरह पंचायत समिति गिर्वा के गांवों में भी पानी की भयंकर समस्या है। जैसे जगत, कराकला, आवटा, कलोडिया, खारवा, चौसडा, लकडवास, मदुन, गुडली, पिता, बग्दोरा, कुराबड, शिशवी, ऊंकार, बेमला आदि गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यदि इस क्षेत्र में पीने के पानी की अतिशीघ्र समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेगी और पशुधन को बचाया जाना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

अतः श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपरोक्त वर्णित गांवों की पेयजल समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उक्त गांवों की पेयजल समस्या का तत्काल समाधान कर के पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने की महती कृपा करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अनियमित विद्युत आपूर्ति

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा जिला कोटा में हो रही अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्रमुख कस्बों इटावा, मांगरोल, इन्द्रगढ़ व सम्पूर्ण क्षेत्र में गत एक माह से अनियमित विद्युत आपूर्ति से जनता को परेशानी हो रही है। 24 घंटे में से मात्र

(श्री रामगोपाल बैरवा)

3-4 घंटे ही बिजली मिल पाती है। जो 3-4 घंटे विद्युत की सप्लाई मिलती है। उसमें भी पूरी क्षमता में विद्युत नहीं मिलती है व जो विद्युत मिलती है उसका भी कोई समय नहीं है 11 कभी 5 मिनट, कभी 30 मिनट ही विद्युत मिल पाती है, जिससे क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति से जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः आप तहसील पीपल्दा के सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत की नियमित सप्लाई कर जनता को राहत दिलाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

राज्य में पिछड़े वर्ग की दो सूचियां बनाने विषयक

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के निमय 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को इसका पात्र मानकर परम्परागत व्यवसायी, दस्तकार, सेवक वर्ग की कई पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिया गया। 19 अक्टूबर, 1999 को राजनैतिक दबाव से उपरोक्त मूल ओ.बी.सी. की जातियों के साथ कुछ समृद्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त प्रभावशाली जातियों को भी सूची में शामिल कर दिया गया जिसके कारण राजनैतिक क्षेत्र के पंचायत चुनाव 2000 में मूल पिछड़ा वर्ग का पंचायत पदों पर प्रायः सफाया हो गया जिसका कुछ आंकड़ा मेरी निजी जानकारी अनुसार इस प्रकार है। सन् 1995 के चुनाव में पहली बार कुम्हार समाज के 6 प्रधान, जांगिड 2, जिला प्रमुख 8 प्रधान, माली समाज के 9 प्रधान, यादव 3 जिला प्रमुख व 7 प्रधान निर्वाचित हुए। अब 2000 के बाद जांगिड़ व यादव समाज के दो-दो ही प्रधान चुन कर आये हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रभावशाली जातियों के समावेश से मूल पिछड़ा वर्ग का हिस्सा प्रायः खतम हो गया है। इसी प्रकार से राजकीय सेवा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पिछड़ा वर्ग के 92 पद सुरक्षित थे और 2001 के परीक्षा परिणाम में करीब 79 पद नये प्रभावशाली वर्ग ही ले गये और अब 2200 पुलिस पदों की भर्ती हो रही है। ऐसी गम्भीर स्थिति के कारण, सामाजिक न्याय मंच की मांग है कि हरियाणा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि प्रदेशों की भांति राजस्थान में भी अतिशीघ्र पिछड़ा वर्ग की सूची के दो भाग पिछड़ा व अति पिछड़ा किए जावे, जिससे मूल पिछड़ा वर्ग को अपना हक मिल सके। साजिश यह भी की जा रही है कि माली, यादव, चारण, स्वर्णकार, कलाल जाति को आरक्षण मिले सात वर्ष पूरे हो गए हैं, अतः इनको सूची से बाहर क्यों नहीं कर दिया जावे, जो कि सामाजिक न्याय के पूर्णतया विपरीत होगा।

इसी प्रकार जब सरकार ने जाट, विश्नोई, मेव, कायमखानी, सिंधी, मुसलमान,

(श्री देवीसिंह भाटी)

पटेल को पिछड़े वर्ग में शामिल करना उचित मान लिया है तो इनके समकक्ष जातियां ब्राह्मण, राजपूत, राजपुरोहित, कायस्था, सिख, अरोडा, हिन्दू सिंधी पठान, बिसायती, राठ, सिपाही आदि में भी जरूरत मंद गरीब को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ भरतपुर व धौलपुर के शासक वर्ग को पात्र मान लिया है तो किसान वर्ग से राजपूत, सिख आदि को क्यों नहीं? नाथद्वारा मंदिर के महन्तजी, गोविन्द देवजी जयपुर के पुजारी को पात्र मान लिया तो गरीब ब्राह्मण, राजपुरोहित को क्यों नहीं? टोंक के नवाब परिवार को पात्र मान लिया है तो गरीब पठान, राठ, बिसायती, सिपाही आदि मुसलमानों को क्यों नहीं? सिंध से आये सिंधी मुसलमान को आरक्षण है तो हिन्दू सिंधी, अरोडा व अन्य पाक विस्थापित सोढ़ा आदि को पात्र क्यों नहीं माना जा रहा है?

सरकार उपरोक्त न्यायिक मांग को काफी समय से अनदेखी कर राजनीति खेल रही है जिससे प्रदेश में असंतोष व्याप्त हो रहा है। और गत एक वर्ष से जोधपुर, पाली, सीकर, अजमेर में लाखों लोगों ने रैलियों में भाग लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया है। अब इसी क्रम में आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण के लिए 25 मई, 2001 को सम्भाग की रैली बीकानेर में होने जा रही है।

अतः सरकार से मांग है कि पिछड़े वर्ग की दो सूची अतिशीघ्र जारी की जावे तथा उपेक्षित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जावे वरना प्रदेश में कानून व्यवस्था भंग हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यही है, दुःख का विषय यह है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय पिछड़े वर्ग से आते हैं। यह विषय इनके सामने विचाराधीन है। कहीं यह न्याय के विरुद्ध नहीं है कि अति पिछड़ा वर्ग है उसकी पांती, हिस्सा, भाग अलग कर दिया जाए और बाद में जिसको शामिल किया है उसका हिस्सा अलग कर दिया जाए। अब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इच्छाशक्ति का अभाव है या, मैं नहीं जानता। लेकिन इस प्रकार से यह न्यायिक मांग को अनदेखा करके और कोई शाबाशी लेना चाहते हैं तो इसका परिणाम खुद को भुगतना पड़ेगा। यह होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लोग सड़कों पर आएं और उसके बाद हम निर्णय ले यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा आसन के माध्यम से निवेदन है कि इसके ऊपर सरकार शीघ्र निर्णय ले।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विधायक महोदय, यह मामला तो कमीशन के पास विचाराधीन है इसमें मुख्य मंत्रीजी का क्या लेना-देना है?

श्री देवीसिंह भाटी : कमीशन ने प्रस्तावित करके...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मामला तो, किस जाति को माना जाना चाहिए, किस जाति को इसमें नहीं माना जाना चाहिए यह प्रतिवेदन दिये जाते हैं कमीशन को। प्रतिवेदन के आधार पर कमीशन फैसला करता है। और इसी तरह से जिन जातियों को अगर अधिक समय हो गया है तो नियमानुसार कमीशन ही उनको निकाल सकता है इसमें मुख्य मंत्री को कैसे आप कह रहे हो कि वह नहीं कर रहे?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रस्तावित करके और सरकार को वह सूची भेज दी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग-अलग कर दिया जाए। जिस प्रकार यह सूची है, निर्णय राज्य सरकार को लेना है। सरकार निर्णय नहीं ले, सरकार ना जोगी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह नितान्त असत्य है कि सरकार ना जोगी है। राज्य सरकार के पास जो भी कमीशन के सुझाव आए हैं उस पर सरकार ने फैसला किया...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कहां किया?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी मुझे यह बता दीजिए कि आपने जिन जातियों का जिक्र किया, कमीशन ने किस तारीख को राज्य सरकार को अपनी रिकमंडेशन भेजी, यह बता दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार को बिलकुल प्रस्तावित किया गया है, केबिनेट में यह विषय आया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कब?

श्री देवीसिंह भाटी : तारीख अभी मेरे पास नहीं है, यह आन रिकार्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी स्वयं यह बताएं कि राज्य सरकार के पास अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें पैंडिंग हैं क्या? यह तो आप बताइये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पिछड़ा और अति पिछड़ा का तो बहुत सारे राज्यों में हो रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : अन्य पिछड़ा वर्ग, ओ.बी.सी. कमीशन ने राज्य सरकार को कोई रिकमंडेशन इस संबंध में दी हैं, वह सरकार के पास पैंडिंग है क्या? यह तो आप बताइये। या जितनी भी रिकमंडेशन आईं, आपने सारी रिकमंडेशन को स्वीकार कर लिया या अस्वीकार कर दिया, पैंडिंग कितनी हैं, यह तो आप बताइये।

श्री देवीसिंह भाटी : यह सरकार का काम है। मुझे इस बता का दुःख है। जो भी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं और अलग-अलग जगह पर अपना-अपना दर्द महसूस करते हैं और व्यक्त करते हैं लेकिन यहां पर व्यक्त नहीं करते, यह क्या है आखिर? कोई पद के पीछे, मंत्री पद के पीछे चुप बैठा है और कोई और

(श्री देवीसिंह भाटी)

कारणों से बैठा है, जो हकीकत है वह क्यों नहीं कहते, अपनी मांगें सरकार के सामने क्यों नहीं रखते, यहां विधान सभा में क्यों नहीं बोलते? सबको यहां मांग रखनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी ना।

श्री देवीसिंह भाटी : जो बात हकीकत है और उसके अंदर किसी के साथ कोई ज्यादती की बात नहीं, किसी का हिस्सा मारने की बात नहीं, हिस्सा अलग कर दिया जाए। पहले से ही बिहार के अन्दर तीन हिस्से किए हुए हैं और हरियाणा में दो हिस्से किए हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कह दिया ना।

श्री देवीसिंह भाटी : बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा अत्यन्त पिछड़ा तीन भाग हैं और आन्ध्र प्रदेश में चार, कर्नाटक में चार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया ना।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं कह तो रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई तो बोले इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल गए ना।

श्री देवीसिंह भाटी : यह जानकारी उनको नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जितनी जानकारी थी बोल दिया उन्होंने... (व्यवधान) श्री हीरासिंह चौहान।

मोहम्मद माहिर आजाद : राज्य सरकार के पास अदर बैकवर्ड कमीशन की... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कमीशन के द्वारा प्रस्ताव आएगा तो राज्य सरकार विचार करेगी, कमीशन का कोई सुझाव... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अभी आ गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी आपके पास प्रस्ताव पैंडिंग नहीं है क्या? माननीय कोलायत से आने वाले सदस्य कह रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को दीं। आपके पास पैंडिंग है क्या, यह तो आप बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो इतना कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई सिफारिशें कमीशन के द्वारा राज्य सरकार के पास आईं हों और विचाराधीन हों, ऐसी बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नहीं आई।

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल आई हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कह रहे हैं कि आई हैं और आप कह रहे हैं पैंडिंग नहीं है। आप सदन को सही जानकारी दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह जानना चाहता हूं कि कमीशन ने राज्य सरकार को यह सिफारिशें कब भेजीं, आपकी जानकारी में हो तो बता दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह राज्य सरकार को पता नहीं है क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : यही तो मेरा निवेदन है कि जो कमजोर वर्ग के हैं उनका हिस्सा अलग कर दिया जाए और जिनको पिछड़ों में रखना है उनका हिस्सा अलग कर दिया जाए, कहां झगड़ा है। लेकिन उन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो पिछड़े वर्ग में उनका शामिल किया जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर हैं और अब उनको पंचायतों में हिस्सा मारा गया। साफ हो गये, नगरपालिकाओं में साफ हो गये। और इसी प्रकार से यह आर.ए.एस. के भी नतीजे आए थे, यह सब हिस्सा मारा जा रहा है और आगे फिर कोई न कोई चुनाव आएगा। हम तो कह रहे थे कि देरी किसलिए, आप तो वोट की राजनीति खेलते हो, यह अच्छी बात नहीं है। पसंद आए उसको कर दिया बाकी रोते रहे, यह ठीक नहीं है। आखिर माली, खाती, लुहार, नाई, दर्जी यह कहां अपना हिस्सा ले पायेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपका भाषण भी वोट की राजनीति के खातिर ही है।

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल है। तो आप उसकी परख कीजिए और अपने हिसाब से कोई तो निर्णय कीजिए। आप कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्षजी, मैं पिछले दिनों ब्यावर के आस-पास की घटनाओं के बारे में आपके सामने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर तो कल बहस हो गई ना।

श्री हीरासिंह चौहान : बहस हुई है, स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब इन्होंने दे दिया।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रावला बाडिया (ब्यावर) में जुलूस के कारण बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मैं तो पर्ची के माध्यम से आज उठाऊंगा। माननीय उपाध्यक्षजी, 11.4.2001 को रावला बाडिया में जो घटना घटी वह प्रशासन और हम सबकी आंखें खोलने लायक थी। अगर हम तुष्टिकरण की नीति

(श्री हीरासिंह चौहान)

से ही सबको संतुष्ट करना चाहते हैं तो आगे आने वाला समय बड़ा भयानक हो जाएगा। माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11.4.2001 को सरकारी तामझाम सहित सभी प्रकार के अवैधानिक निर्माण को हटाने के लिए आपका सारा प्रशासनिक बल और पुलिस प्रशासन वहां पर गया और जाने के बाद जितना भी प्रशासनिक तामझाम गया उसका घेराव किया गया। घेराव सुनियोजित था, सुनिश्चित था उसके कारण से उसका घेराव किया गया। घेराव करने के बाद में आपको ताज्जुब होना चाहिए, मुझे इस बात का नहीं है, घेराव करना भी गलत था। घेराव करने के साथ-साथ सबसे गम्भीर बात तो यह है कि कुछ वर्ग के लोगों को, कुछ धर्म के लोगों को जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं, आपके अतिरिक्त जिला कलक्टर अस्थाक हुसैन और मानूका थानेदार मसूदा को माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, इनको अलग किया गया और दूसरे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन पर हमला बोला गया। यह क्या है, माननीय गृह मंत्रीजी, इसको बहुत गम्भीरता से नहीं, बहुत हल्केपन से प्रशासन ने लिया और 16 तारीख को ब्यावर में कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू ही नहीं, ब्यावर की दुकानें जलीं। लोगों की आत्माएं जलीं। लोगों का दिल जला। उपाध्यक्षजी, ब्यावर कितने दिन तक बंद रहा? लगभग चार दिन तक ब्यावर बंद रहा और प्रशासन ने 16 तारीख की घटना, जिस प्रकार का आपने कल बयान किया, मैं आपको आपके ही थानेदार द्वारा जो 16 तारीख को वैरी-डे एफ.आई.आर. लोज की है। उसका कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जुलूस के आगे मैं थानेदार एस.एच.ओ. गुट के साथ एस.डी.एम. रामलालजी मीणा चल रहा था जुलूस के पीछे वृत्ताधिकारी, ब्यावर जाब्ते के साथ आ रहे थे। जुलूस लगभग 10.00 ए.एम. पर लुहारों की चौपड़ पहुंचा। जुलूस के आगे चल रहे टैम्पो जिस पर माइक लगा हुआ था, वह टैम्पो सहित व्यक्तियों को लुहारों की बस्ती की तरफ मोड़ने लगे। मैं एस.एम.ओ. जुलूस को उस तरफ जाने के लिए मना किया। जुलूस को सीधा जाना तय था। इस पर जुलूस में शामिल लोग उत्तेजित हो गये और समझाने पर भी नहीं माने और जबरदस्ती आटो के आगे पहिये उठाकर लुहारों की बस्ती की ओर जाने के रास्ते की तरफ मोड़ दिया व जुलूस में शामिल लोग आक्रोशपूर्वक नारे लगाने लगे कि हिन्दुस्तान में रहना है तो वन्दे मातरम् कहना होगा। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगा। यह आपके एस.एच.ओ. की वैरी-डे रिपोर्ट है।

श्री रमजान खान : और भी एक नारा लगा है कि मुसलमानों का एक ही स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह गलत नारे लगाये गये। वहां नहीं चलेगा यह— (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह रिपोर्ट थानेदार की दर्ज है।

श्री हीरासिंह चौहान : इसमें लिखा हुआ है साफ, कि कोई नारा नहीं लगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : + + + यह गलत बात कह रहे हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई नारा नहीं लिखा हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप ही की पार्टी के आदमी...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मान लो, इन्होंने नारा भी लगाया है और लुहारों की चौपड़ की तरफ जा रहा है जुलूस... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों लगाया नारा? क्या हक था नारा लगाने का उनको इस तरीके का?

एक माननीय सदस्य : प्रशासनिक लापरवाही थी क्या वहां?

मोहम्मद माहिर आजाद : कल तो विपक्ष के उप नेता महोदय यहां साम्प्रदायिक सद्भाव और भाई चारा कायम करने की बात कह रहे थे और आज आप इस तरीके की बात कर रहे हो? हमको भी मालूम है... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपने नहीं किया क्या? आप किस प्रकार से ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माहिर आजादजी, साम्प्रदायिक दंगे मत कराओ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आज प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माहिर आजादजी, साम्प्रदायिक दंगे मत कराओ। + + + माहिर आजादजी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सरकार की जिम्मेदारी है...(भारी व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माहिर आजादजी, साम्प्रदायिक दंगे मत कराओ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके नसीराबाद में क्या हुआ था?

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो एफ.आई.आर. सुना रहे हैं। आरोप किस पर लगाया मैंने? मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको भी नहीं कहना चाहिये कि एस.डी.एम. को पीटा और... (व्यवधान) यह सरकार की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, यह साम्प्रदायिक दंगा फैलाने की इस तरह की बातें सदन में नहीं होनी चाहिये। यह सदन में साम्प्रदायिक दंगा फैलाना चाह रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं केवल एफ.आई.आर. पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह सदन के अंदर साम्प्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं। हिन्दू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं आपस में।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। कल बोलने वाले अजमेर के विधायक...(भारी व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अकेले का कुछ भी... (व्यवधान) आप आसन से बात करिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय माहिर आजादजी, आप बिराजिये। कोई आरोप नहीं लगाया मैंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन से बात करो। (व्यवधान) यह तरीका ठीक नहीं है। गलत बात नहीं सुनी जाएगी। (व्यवधान) गलत बात नहीं सुनेंगे। नसीराबाद में आपने मोहर्रम को गिरा दिया और आपके कार्यकर्ता...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : किससे कह रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा नारा लगा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह लोगों से + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : नारा लगा पाकिस्तान या कब्रिस्तान। (व्यवधान) दो ही, मुसलमानों के दो स्थान। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय माहिर आजादजी, कल आपने कहा है... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी कह रहे थे उस समय कहा आपने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। क्या तमाशा बना रखा है। माहिर आजादजी, बैठिये आप। (भारी व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इस शांति प्रिय प्रदेश को आप खराब कर रहे हो... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप कौन होते हो इस तरह...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपकी साजिश है। एक सुनियोजित तरीके से आप इस प्रदेश के साम्प्रदायिक सद्‌भाव को नष्ट करना चाहते हैं। यह सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद की करतूतें हैं। यह सब इन्होंने किया है। गलत नारे लगाये आपने। आप इस देश को बांटना चाहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

(संकेत से अंकित नहीं करने के आदेश दिये)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति रखिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, प्लीज बैठिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये (व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजादजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, प्लीज एक मिनट। आप बैठो न। आप प्लीज बैठिये। आप बैठें। एक मिनट (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, बिराजिये (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माहिरजी, बिराजिये प्लीज। आप बिराजिये एक मिनट। आप बिराजिये। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हीरासिंहजी, आप जो कुछ कह रहे हैं, इसमें एतराज...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजो। आप मेरी बात सुने। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : XXX

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज। एक मिनट बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आजादजी, प्लीज बैठिये। बहुत हो गया, आप बैठिये। बोले जा रहे हो, आप सुनना ही नहीं चाहते किसी की।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी। (व्यवधान) आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। माननीय हीरासिंहजी, आपने जो शुरुआत की उस पर एतराज आपके माननीय सदस्य ने किया, वहां से चर्चा शुरू हुई।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : ××××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिये प्लीज़।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिये। यह सारा मसला आप जो पढ़ रहे हो, आपके सदस्य ने एतराज किया।

श्री रमजान खान : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा विवाद (व्यवधान) आप बैठिये, आजादजी। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये। आप सुनिये।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिये। It is not concerned with me. यह मेरा कन्सर्न नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोले जो रहे हो। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यह मेरा कन्सर्न नहीं है, मैंने आपको रोका नहीं, आपके सदस्य ने रोका आपको बोलने से।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिये, एक मिनट बिराजिये। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात जिस पर हाउस में उत्तेजना फैले, उसको मेहरबानी करके डिलीट करके अपनी बात कह दीजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, ऐसी कोई नहीं कहूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : साहब, यह तो एफ.आई.आर. है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने क्यों एतराज किया? पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्यों एतराज किया? इन्होंने थोड़ी किया। शुरूआत उन्होंने की, उनके बोलने के बाद इन्होंने किया। उत्तेजना फैली नहीं तो फैलती ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन कर रहा था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक स्पष्टीकरण, हीरासिंहजी, आपसे पूछना चाहता हूं। एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : आपको अलाउ कर रहे हैं क्या, उपाध्यक्ष महोदय,

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हुआ? आपको अब क्या चाहिए?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक बात का स्पष्टीकरण ले रहा हूं। आप बिराजें। हीरासिंहजी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि यह जो एडमिटेड पोजिशन है कि इन्होंने यह नारे लगाये कि हिन्दुस्तान में रहना है तो वन्दे मातरम् कहना होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने नहीं कहा हैं, इन्होंने तो जो अन्दर लिखा है जो पढ़ा है।

श्री हीरासिंह चौहान : एफ.आई.आर. में पढ़ा हैं, मैंने नहीं कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्यों इसमें डिबेट कर रहे हो, बंद करो ना इसको। आप इस बात को खतम करो। He has not said it on his own.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट नहीं कर रहा हूं। अपरेंट नहीं, और कोई नारे नहीं लगाये...(व्यवधान) पर यह नारा अपने आप में मुसलमानों की तरफ डाइरेक्टेड हैं या नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझ ही नहीं रहे हो। यह नहीं कह रहे हैं यह बात। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह नहीं कहते हो कि हिन्दुस्तान में रहना है तो वन्दे मातरम् कहना होगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, आप इसको डाइवर्ट मत कीजिये, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डाइवर्ट नहीं कर रहा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हो, इन्होंने कही ही नहीं यह बात।

श्री हीरासिंह चौहान : यह एफ. आई. आर. पढ़ रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने जो एफ.आई.आर. में लिखा है वह पढ़ा है। उस पर पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज किया और इस पर सारी चर्चा शुरू हुई इसलिए अब आप मेहरबानी करके बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाकी नारों से कोई मतलब नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नारा पर्याप्त है। (व्यवधान) अगर आप इस तरह से लगाते हो न तो वही पर्याप्त है।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मेहरबानी करके बिराजो और ऐसी कोई बात मत कहो जो उत्तेजना फैले और अपनी बात कह दो और बात खतम हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सिर्फ एक बात कहूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो तारीख 16.4 को जुलूस एक निर्धारित रास्ते पर जा रहा था और उसके साथ पुलिस का पूरा जाब्ता था, पूरा होने के बाद...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, कल गृह विभाग पर जब चर्चा थी और इन सारी बातों पर कल चर्चा हो चुकी फिर आज इस तरह का वातावरण फैला कर हाउस में उत्तेजना का वातावरण बनाने के लिए मैं कह रहा हूं कि इनको आपको पाबंद करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : कल पुलिस विभाग की चर्चा पर इसकी चर्चा हो चुकी।

श्री हीरासिंह चौहान : आप बिराजो।

श्री के. सी. चौधरी : हिन्दुस्तान में रहना होगा वन्दे मातरम कहना होगा। जय श्री राम। यह सारे नारे अखबार में इनके उसी दिन छप चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : आप बिराजो न।

श्री के. सी. चौधरी : झगड़ा तो ब्यावर में इन लोगों ने कराया। झगड़े ब्यावर में बी.जे.पी. ने कराये, विश्व हिन्दू परिषद ने कराये। आपके पार्षद नामजद हैं, एफ.आई.आर. में नाम है उनके।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य, बिराजिये। नाम सारे हैं, पुलिस में नामजद मुलजिम कर लिया...(व्यवधान)

श्री के. सी. चौधरी : ...पार्षद का नाम है। विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष का नाम है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चौधरी साहब, आपकी जमानत जब्त होगी ब्यावर में अब की बार।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं उस टापिक में जा ही नहीं रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री के. सी. चौधरी : छप चुका है कि झगड़े आपने करवाये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चौधरी साहब, अब की बार ब्यावर में आपकी जमानत जब्त होगी।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रशासन द्वारा अलाउ किया हुआ प्रोसेशन जा रहा था। न तो लुहारों की चौपड़ की तरफ जाने का कोई रास्ता था।

श्री के. सी. चौधरी : प्रोसेशन ने अपना रास्ता अपने आप बदल लिया...

श्री हीरासिंह चौहान : रास्ता नहीं बदला था...(व्यवधान) रास्ता बदला है...

श्री के. सी. चौधरी : रास्ता क्यों बदला?

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) उस मोहल्ले में जा सकता है? (व्यवधान) एक बार भी बताइये कोई इस प्रकार का ब्यावर में...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ यहां से बताइये, साहब। +++ अब की बार जमानत जब्त होगी।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) कभी गया है क्या? आज दिन तक नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी। चर्चा समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन कर रहा था कि न तो लुहारों की गली की तरफ जाने का...(व्यवधान) एक प्रशासनिक शिथिलता के कारण...

श्री के. सी. चौधरी : आपकी मंशा खराब होने के कारण जुलूस ने रास्ता बदला है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं वहां था भी नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एफ.आई.आर. पढ़ रहे हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह एफ.आई.आर. को पढ़ कर यह देखें कि इंस्पेक्टर ने क्या लिखा, रास्ता किसने बदला, टेम्पो को मोड़ किसने दिया?

श्री हीरासिंह चौहान : टेम्पो मोड़ा था केवल, रास्ता बदला नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : टेम्पो बदलने के बाद रास्ता किसने बदला? टेम्पो का रास्ता क्यों मोड़ा गया?

श्री हीरासिंह चौहान : केवल टेम्पो का मुंह मोड़ा था, रास्ता तो बदला ही नहीं...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह एफ.आई.आर. में लिखा है कि टेम्पो का रास्ता किसने बदला?

श्री देवीसिंह भाटी : रास्ता मोड़ा तो पुलिस क्या कर रही थी? +++

श्री हीरासिंह चौहान : आपकी पुलिस क्या कर रही थी? मैं प्रशासनिक असफलता पर ही बोल रहा हूं।

श्री के. सी. चौधरी : आश्वासन दिया था कि हम सीधे-सीधे जायेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है...(व्यवधान) जो शांति भंग करना चाहती है, जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है उसको आप मेहरबानी कर के समर्थन मत दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : गलती आप करो, गलती प्रशासन करे। यह जिम्मेदारी थी पुलिस की। पुलिस का लवाजमा साथ था तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका?

एक माननीय सदस्य : पुलिस वहां क्या कर रही थी?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से निवेदन कर रहा हूं कि ना तो हम शांति भंग करना चाहते हैं और ना इस पर्ची के माध्यम से मैं कोई गलत बात कहना चाहता हूं। मैं तो जो घटना घटित हुई, इसके बारे में बता रहा हूं। केवल प्रशासनिक लापरवाही के कारण—

श्री उपाध्यक्ष : यों बोलो न तो आप।

श्री हीरासिंह चौहान : केवल प्रशासनिक लापरवाही के कारण। अगर रावलियावाड़ी घटना का काग्नीजेंस पुलिस ने, प्रशासन ने पहले ले लिया होता तो यह घटना ब्यावर में नहीं घटती। ब्यावर में घटना घटने से क्या हुआ, गृह मंत्रीजी, शादी-ब्याह के जो फंक्शन थे वो पांच दिन तक नहीं हो सके। जो आत्माएं मृत हो गयी थीं, जिनको दाह संस्कार के लिए ले जाना था वह नहीं जा सके और करोड़ों-करोड़ों रुपये का ब्यावर का व्यापार खतम हो गया पांच दिन में।

श्री के. सी. चौधरी : इस सारे नुकसान की जिम्मेदारी, माननीय सदस्य, आपकी और आपकी पार्टी की है।

श्री हीरासिंह चौहान : हजारों लोग शादी-ब्याह में थे। हम नहीं चाहते कि साम्प्रदायिक दंगा हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ + + + बैठ जाओ।

श्री के. सी. चौधरी : सारे ब्यावर को आपने तबाह कर दिया, सारे व्यापार को—(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : साम्प्रदायिक दंगा होता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + बैठ जाओ। चौधरी साहब, बैठ जाओ। अब की बार ब्यावर में जमानत जब्त हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर पूर्व से आने वाले माननीय सदस्य ललितजी भाटी कह रहे थे कि अजमेर बारूद के ढेर पर खड़ा है। आपके केकड़ी से आने वाले हैं, उन्होंने भी संकेत दिया। यह संकेत किस बात के हैं? यह संकेत इस बात के हैं कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर उस एरिया को बराबर सेंसेटिव एरिया घोषित नहीं करके, उसमें ठीक प्रकार के पुलिस अफसर नहीं लगाओगे तो वहां की हालत काबू से बाहर हो जायेगी। मैं यह संकेत दे रहा हूं आपको क्योंकि वहां पर स्थिति अलग तरह की है। अलग तरह की स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो कुछ भी हुआ है ब्यावर में वह बहुत गलत हुआ है। उस पर थोड़ा कंट्रोल रखा जाय।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा। आप विराजो। नो, आई विल नोट अलाउ। आप विराजिये प्लीज। मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं बोलने ही नहीं दूंगा आपको। आप विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसको तो आप कार्यवाही से निकलवायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। इनका अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैंने आपको बहुत बरदाश्त कर लिया। आप मेहरबानी करके विराजिये। एक घंटा तक आपको बैठने के लिए कहता रहा... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : I will not tolerate. आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई आप ही अकेले हाउस में हो क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा, करना होगा तो। यह मेरा काम है, आप विराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप। आपके सिवाय जैसे कोई बोलने वाला ही नहीं है हाउस में।

ट्राइबल सब-प्लान एरिया में भर्ती में ट्राइब्स कैटेगरी के व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने विषयक

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और गम्भीर एवं अहम बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ट्राइबल सब-प्लान एरिया, जिसमें बांसवाड़ा जिला पूरा, डूंगरपुर जिला पूरा, उदयपुर की कुछ पंचायत समितियां, चित्तौड़ की एक विधान सभा क्षेत्र और सिरोही का एक विधान सभा क्षेत्र, यह मिला कर के 23 पंचायत समितियों का ट्राइबल सब प्लान एरिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 13/20/कार्मिक/क-2/75 दिनांक 25.8.95 के अनुसार ट्राइबल सब प्लान एरिया में वेतन श्रृंखला एक से छह तक नौकरियों के लिए जिसमें फोर्थ क्लास आ जाता है, ए.एन.एम. आ जाती हैं, एम.पी.डब्ल्यू. आता है। और पी.टी.आई. आता है और थर्ड ग्रेड के टीचर और ग्रुप सचिव वगैरह ये आते हैं। इनके लिए यह व्यवस्था थी कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में जब भी सीधी भर्ती होती है तो 45

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. रघुवीर सिंह)

प्रतिशत एस.टी. के वहां के रहने वाले ट्राइबल लोगों और 5 परसेंट वहां के एस.सी. लोकल लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और उसके बाद 50 प्रतिशत जनरल कोटे से सीटें भरी जाएंगी, यह व्यवस्था है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं क्योंकि एक विभाग की बात हमारे पास आयी है मैं सभी विभागों की बात नहीं कह रहा हूं कहां हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। एम.बी.सी. मेवाड़ भील कोर जिसका स्वरूप यह था, मैंने कल भी कहा था कि 1838 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। वहां से लेकर 1984 तक यह व्यवस्था रही कि वहां के रहने वाले 80 प्रतिशत जनजाति के लोग एम.बी.सी. में भर्ती होते थे और उसका एक स्वरूप दिया गया था जो एक बहादूर कोम थी और जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आये थे तथा पूरे भारत में एस.बी.सी. की एक अच्छी पहचान थी। 1984 के बाद वहां की व्यवस्था पता नहीं क्यों हुई, क्या हुई, किसने की, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाह रहा हूं परन्तु सन् 84 के बाद 12 प्रतिशत एम.बी.सी. में वहां के ट्राइबल्स के लिए कर दी फिर यह वापस अभी जो मैंने पढ़कर सुनाया। उसके बाद यह रहा कि केटेगरी 6 के अन्दर यहां आते हैं तो ये 45 प्रतिशत पहले भर्ती किये जाते हैं। अब कमाण्डेन्ट, मेवाड़ भील कोर, खैरवाड़ा के पत्र क्रमांक 5-3 भील/फोर्स/98/6029/28.9.98 के अनुसार एक विज्ञप्ति मात्र सामान्य वर्ग के आशार्थियों को लेने के लिए निकाली और वे भर्ती कर लिए।

उसके बाद महोदय, अभी मैं बड़ा सीरियसली लेने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। कार्मिक मंत्रीजी इस मामले में पूर्णतः हमें संतुष्ट करेंगे और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में मेवाड़ भील कोर के अलावा सभी विभागों में क्या यह व्यवस्था लागू है। यह भी हमको बताने की कृपा करेंगे। महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 5/3/पुलिस फोर्स/कानि./2000 पार्ट-I/923 दिनांक 26.2.2001 के अनुसार 28.2.2001 को विज्ञापन निकाला जिसमें 35 कांस्टेबल भर्ती करने हैं। एक्जाम होंगे 17 मई को। यह बात मैं शून्यकाल में इसलिए उठा रहा हूं कि 17 मई को एक्जाम होने हैं और अभी अगर सरकार किसी तरह का फैसला नहीं करती है तो वहां के रहने वाले सभी नौजवान आदिवासी युवकों का बहुत बड़ा शोषण होगा और उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह बात माननीय मंत्रीजी से कहना चाह रहा हूं कि इस व्यवस्था में आप क्या बदलाव करना चाह रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने किया परन्तु इसमें अधिकारियों के कहीं न कहीं समझ में फेर आया या अधिकारियों ने किस तरह से इस व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है या इसमें

(डा. रघुवीर सिंह)

कोई षड्यंत्र है। कैटेगरी एक से छह तक में कोई तहसीलदार तो है नहीं, कोई आर.ए.एस. है नहीं, आई.पी.एस. है नहीं। कैटेगरी एक से छह तक की भर्ती करने में ही हमारी नीयत सही नहीं रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 35 जो कांस्टेबल भर्ती करने जा रहे हैं हम, उसका विज्ञापन यह दिया गया है कि मात्र सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान के कौनसे नियम के अनुसार या सरकार का नियम है या किसी कोर्ट का फैसला है या संविधान के किसी नियम के अन्तर्गत हमने यह व्यवस्था की है। बैकलाग होता है एस.टी. एस.टी. के लिए जनरल के लिए कौनसा बैकलाग होता है? यह कौनसे नियम से या कौनसी व्यवस्था से व्यवस्था यह करने जा रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं? यह 35 की जो भर्ती होने वाली है 17 तारीख को जो परीक्षा है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें इन्टरेस्ट लेकर इसको रुकवाये और पुनः विचार करके यह करें।

जो अधिसूचना महामहिम राज्यपाल महोदय की निकली है मैं इसकी चार लाइन पढ़कर बताना चाहता हूं। अधिसूचना है :—

"निर्देश। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244/1 के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा पांच के उप पैरा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बलिराम भगत, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि किसी भी अन्य आदेश या नियमों या विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ (19)2/80 एल-1 दिनांक 12.2.81 द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में सभी विभागों के वेतनमान एक से छह ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के ग्राम सेवक/ग्रुप सचिव वेतनमान सात की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जाति के स्थानीय सदस्यों आशार्थियों से भरी जाएंगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।"

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो विज्ञप्ति निकली है शत प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए है। यह कौनसे नियम और कौनसी व्यवस्था के अन्तर्गत आपने निकाली है? यह मैं जानना चाहूंगा और पुरजोर शब्दों में मांग भी कर रहा हूं कि इस तरह की उदयपुर सम्भाग में मेरा मतलब ट्राइबल सब प्लान एरिया में सभी विभागों में भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को 45 प्रतिशत एक से छह कैटेगरी

(डा. रघुवीर सिंह)

में नौकरियां दी जा रही हैं, भर्तियां की जा रही हैं और पांच प्रतशित एस.सी. के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। महोदय, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रघुवीर मीणा ने जो सवाल यहां खड़ा किया है, माननीय गृह मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं, छोटे-छोटे सवालों का जवाब देते हैं और यह संवैधानिक मसला है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : आपको शायद मालूम नहीं है कि यह प्रश्नकल उठ चुका है बहस में। वह जवाब दे चुके।

श्री नन्दलाल मीणा : इस बात का जवाब नहीं दिया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे नहीं उठा कल।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय गृह मंत्रीजी ने जो कहा था उसमें थोड़ा सा फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने ही उठाया था बहस में और इसका जवाब दिया है गृह मंत्रीजी ने। यह बात रिपीट हुई है।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो रिपीट हुई है।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा निवेदन केवल इतना ही है। जवाब दिया हो, 17 मई को एम.बी.सी., खैरवाड़ा में भर्ती हो रही है, एक्जाम हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। प्रो. सांवर लाल। सरकार नोट कर रही है।

श्री नन्दलाल मीणा : एस.टी. के व्यक्तियों का जो 45 प्रतिशत रिजर्वेशन है इससे उसको बाईपास किया जा रहा है और सामान्य वर्ग की भर्ती हो रही है तो इसका मंत्रीजी के जवाब से सम्बन्ध है इस का।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। आपको ध्यान ही नहीं है। कल भी यह बात हुई थी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय गृह मंत्रीजी जरूर न्याय दिलवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में कापियां जांचने का काम ठेके पर

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर पूरे राजस्थान में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्तर की परीक्षाएं सम्पादित करवाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्रीजी जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान समझते हैं, सदन के बीच में उपस्थित नहीं हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि जबसे ये शिक्षा मंत्री बने हैं, राजस्थान

(श्री सांवर लाल)

में शिक्षा का बिलकुल + + + कर दिया है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और यूनिवर्सिटीज की हिन्दुस्तान में अहमियत हुआ करती थी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड,

(13.19 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

अजमेर से कोई पढ़कर आया है तो उसको यह माना जाता था कि काफी इन्टेलीजेंट और अच्छा बोर्ड है। ईमानदारी से वहां पर परीक्षाएं होती हैं, ईमानदारी से सारा कामकाज सम्पादित होता है। माननीय सभापति महोदय, यह तो सुना है कि यह कमा ठेके पर टंकी बनाने को दे दिया गया, सड़क बनाने का ठेका हो गया, पुलिया बनाने का ठेका हो गया। पर सभापति महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि जो छात्र-छात्राएं अपनी मेहनत करके दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं यह शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उनकी कापियां जांचने का काम ठेके पर दे दिया। कापियां जांचना, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं उसके भाग्य का फैसला करते हैं। इसके नियम बने हुए हैं कि एक परीक्षक एक दिन में इतनी कापियां जांचेगा, इससे अधिक नहीं जांचेगा, जांचने में पूरी सावधानी बरतेगा। उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, इतनी सैम्पल चैकिंग होगी। चाहे सैण्ट्रल रिवेल्यूएशन हो या बाहर कापियां भेजें। सारी प्रक्रिया का पालन करने के बाद विद्यार्थियों की कापियां जंचती हैं उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है।

सभापति महोदय, जो अभी बोर्ड के अध्यक्ष बनाये हुए हैं, बोर्ड के अध्यक्षजी ने ऐसे फैसले जैसे मोहम्मद तुगलक ने लिये और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर जो फैसले हुए उससे पूरा हिन्दुस्तान बरबाद हो गया था उसी प्रकार के फैसले इन्होंने लिये हैं। विवादास्पद फर्म को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का काम, सभापति महोदय, फर्म कैसे कापियां जांचेगी, कहां से वह टींचर लाएगी? जो ट्रेंड टीचर्स हैं वह तो राजस्थान की विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। उनके ऊपर क्या निगरानी होगी क्या निगरानी नहीं होगी। जिस विद्यार्थी ने पूरे साल भर मेहनत करके परीक्षा दी, उस परीक्षा का परीक्षाफल सही मिलेगा, इसके बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था दी, पूरी तरह से व्यवस्था को चौपट कर दिया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिस प्रकार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालाएं खोलकर इस राजस्थान के गांवों के विद्यार्थियों का भविष्य इन्होंने चौपट कर दिया, प्राइमरी एजूकेशन कोई ले नहीं सके, नींव कमजोर कर दी। उसी प्रकार यह दसवीं और बारहवीं की कापियां जांचने का काम ठेके पर देकर राजस्थान के जो होनहार विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य चौपट करने की योजना इस सरकार ने बनायी है। आज बोर्ड की हालत यह हो गयी कि जबसे चेयरमैन

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

साहब बने हैं, केवल तनख्वाह का प्रपोजल लेकर आयेंगे कि चेयरमैन की तनख्वाह यह होनी चाहिए। चेयरमैन का बंगला जयपुर के अन्दर होना चाहिए, गाड़ी घोड़े की यह सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा बोर्ड का + + + कर दिया। जगह-जगह इसका विकेन्द्रीकरण कर दिया।

यहां पर मान्यताओं का सवाल है, सभापति महोदय, जो स्कूलों में रिकनाइजेशन दी जाती है उन मान्यताओं के अन्दर कानून कायदों का पालन नहीं किया जाता है। बोर्ड के अधिकारी और अध्यक्ष के बीच में कतई नहीं बन रही है। राजस्थान के विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं उनका भविष्य चौपट हो रहा है। आज सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री यहां पर विराजमान हैं, कोई उदाहरण हो तो हमको बता दो कि कापियां जांचने का काम ठेके पर दिया? आप सब लोगों ने भी पढ़ाई पढ़ी होगी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : 120 की स्पीड से दौड़ पड़े। कहीं कोमा, फुलस्टाप तो लगाओ, 120 की स्पीड से बोल रहे हो।

श्री सांवर लाल : आपके दिमाग में कम घुस रहा है? पकड़ में कम आ रहा है क्या मामला?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप काफी विद्वान हैं। आपका यह वक्तव्य सुनकर हम लोग भी अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर रहे हैं लेकिन आप 120 की स्पीड से दौड़ रहे हो, कोमा फुलस्टाप लगाओ ताकि हमारे भी कुछ समझ में आ जाए, हमारा भी ज्ञान बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी, चालू रखिये।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि आपको भी इस चिन्ता में शामिल होना चाहिए। आपके क्षेत्र के विद्यार्थी...

श्री राजेन्द्र पारीक : अब अच्छा लग रहा है। अब आप धीरे इसी स्पीड से चलो।

श्री सांवर लाल : दसवीं और बारहवीं की जो परीक्षा दे रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लाइट नहीं आती तो हम बिजली मंत्रीजी से लड़ते हैं, सदन में कई बार उठती है कि परीक्षा का समय है, विद्यार्थियों को बिजली नहीं देंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, उनका परिणाम प्रभावित होगा। पर, सभापति महोदय, माननीय सदस्यों से में अनुरोध करना चाहूंगा जो इतनी मेहनत करके विद्यार्थी परीक्षा देंगे, अब ठेके में कैसी कापियां जंचेगीं, ठेकेदार तो आप जानते हैं कई किसान हैं। अगर खेत में निनाणी करने का काम ठेके पर दे दें तो वह काम कैसे होता है। आज पानी की पाइप लाइन का ठेका दिया हुआ है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

सभापति महोदय, कोई भी यह कह दे कि वहां पर पानी पहुंचना है दस दिन में तो, पचास दिन में पानी नहीं पहुंचता है। हमारे यहां बीसलपुर का पानी विजयनगर में गत साल मार्च के अन्दर पहुंचना था, आज तक जगह-जगह पर पानी निकल जाता है। टैस्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं किसकी टैस्टिंग करेंगे और जिस प्रकार की यह टैस्टिंग करते हैं अगर हमारे विद्यार्थियों की कापियों में इनकी टैस्टिंग चालू हो गयी तो उनका भविष्य क्या होगा।

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है शिक्षा मंत्रीजी कुछ तो करो। यह कह देंगे बोर्ड स्वायत्त है। स्वायत्ता के नाम पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सारा कंट्रोल यह कर सकते हैं पर यहां पर छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। कार्मिक मंत्रीजी, आप ध्यान दे रहे हो। आप भी शिक्षा मंत्री रहे हो। आपने कभी ऐसा फ़ैसला नहीं लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूं पर यह फैसला किन परिस्थितियों में लिया? क्या राजस्थान में कापी जांचने वाले अध्यापकों की कमी पड़ गयी? क्या ठेकेदार विदेश से या बाहर के प्रदेशों से कापियां जांचने वाले मंगायेंगे? कापी जांचने वाला, जो अनियमितताएं होंगी उन अनियमितताओं का लेन देन अगर हो गया क्योंकि इनके आदमी तो बाजारू आदमी आयेंगे। सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। आज राज्य सरकार का कोई शिक्षक कापी जांचता है, अगर वह गड़बड़ करता है, किसी को जीरो की जगह सौ नम्बर दे देता है तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो सकती है, सेवा से मुक्त किया जा सकता है। यह ठेकेदारों के आदमी कौन होंगे, कहां से कापियां जांचने आयेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? सभापति महोदय, बहुत अहम् सवाल है और सरकार की तरफ से कोई न कोई जवाब आना चाहिए। (व्यवधान) ...छात्रों का भविष्य चौपट हो जाएगा... (व्यवधान) गरीब मां बाप बड़ी मेहनत से पैसा कमा कर इनको पढ़ाते हैं।

श्री मदन दिलावर : यह बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा।

श्री सांवर लाल : आखिर यह करना क्या चाहते हैं?

श्री रामप्रताप : कापियां जांचने का काम ठेके पर, क्या बात हुई यह?

श्री सांवर लाल : लोक कल्याणकारी सरकार छात्रों का भविष्य बरबाद करने में लगी हुई है।

एक माननीय सदस्य : मंत्रियों का काम भी ठेके पर दे दो।

श्री सांवर लाल : इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसके ऊपर व्यवस्था कायम

(श्री सांवर लाल)

करनी चाहिए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है...(व्यवधान) गांवों के विद्यार्थियों के प्रति क्या चाहती है यह सरकार? उसके ऊपर सही नीयत...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, यह बहुत ही सीनियर आदमी हैं। आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, कापियां जांचने का काम ठेके पर दे दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में तो एका रखो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कापियां जांचने का काम ठेके पर दे दिया यह बहुत शर्मनाक बात है।

श्री सांवर लाल : एक व्यक्ति मण्डोरा फर्म को ठेका दिया है। उसको खुद को संस्था से निकाला गया है।

श्री सभापति : आप एक ही बोलो। आपस में तो एका रखो आप। पहले इनको बोलने दो। माननीय सदस्य प्रोफेसर हैं, बहुत योग्यता रखते हैं। इनको बात अपनी कहने दीजिए। यह आपकी पार्टी के हैं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, इनको सबको तकलीफ है इसलिए बोल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसमें तो मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए कि कापियां ठेके पर क्यों जंचवायी... (व्यवधान) इससे राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में है, सभापति महोदय।

श्री सांवर लाल : जिस व्यक्ति ने ठेका लिया... (व्यवधान) यह आपको सबको चिन्ता होनी चाहिए। यह कोई कांग्रेस और बी.जे.पी. की बात नहीं कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह राजस्थान के बच्चों के भविष्य का सवाल है।

श्री सांवर लाल : जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन सबका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी कापी जो जंच रही है, फेयर तरीके से जंच रही है कि नहीं जंच रही है। ठेकेदारों के हाथ में, जब बच्चे ने स्कूल में दाखिला लिया तब कभी यह नहीं सोचा कि मेरी कापियां कोई ठेकेदार जांचेगा। आखिर ऐसी कौनसी परिस्थितियां आ गयीं जिससे इनको ठेकेदारों से जंचवानी पड़ रही है। यह जो सवा लाख कापियां, जिस व्यक्ति को सभापति महोदय, ठेका दिया मण्डोरा, उसको खुद का उस संस्था से निष्कासित किया हुआ है। जिनकी खुद की विश्वसनीयता नहीं है। सभापति महोदय, सरकार के वरिष्ठ मंत्री विराजमान हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि इस वर्ष छात्र-छात्राओं का भविष्य सही हो, सही तरीके से उनकी कापी जंचे और ठेकेदारों के हाथ में उनका भविष्य बरबाद नहीं हो। इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करना चाह रही है? इसके ऊपर कुछ जवाब दें।

श्री सभापति : डा. किरोड़ी लालजी।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, इसके ऊपर तो कोई व्यवस्था हो।

श्री सभापति : व्यवस्था सब ठीक है। पहले भी हो चुकी है।

श्री सांवर लाल : बरबाद करना है क्या?

श्री सभापति : यह चर्चा हो चुकी है।

श्री सांवर लाल : या ये यह कह दें कि हम बरबाद करेंगे ठेकेदारों के माध्यम से। सभापति महोदय, पहली बार यह योजना लागू हो रही है। किन परिस्थितियों में लागू हुई, क्या आवश्यकता पड़ गयी इस योजना की, सभापति महोदय, यह तो कम से कम आना चाहिए— (व्यवधान) क्या इनको काम्पीटेंट लोग नहीं मिल रहे थे? टीचर्स नहीं मिल रहे थे? किस वजह से यह ठेका दिया गया?

एक माननीय सदस्य : आप खुद सहमत हो क्या?

श्री सांवर लाल : आज बोर्ड के अंदर हेराफेरी के अलावा कोई काम नहीं होता है। सभापति महोदय, इसके ऊपर सरकार कोई न कोई व्यवस्था दे।

श्री धर्मपाल चौधरी : बाकी सबका मंत्रीजी ने जवाब दिया है तो इसका भी मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री सांवर लाल : लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, लाखों बच्चों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री सांवर लाल : इस विषय पर सरकार की ओर से कोई न कोई तो आश्वासन मिले।

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, + + + राज चल रहा है। इस + + + राज को सुधारो और इस ठेकेदारी प्रथा से बचाओ।

श्री सभापति : कटारिया साहब बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से यही एक उत्तर चाहते हैं। यह जो एक जिस प्रकार का मन बन गया सारे राजस्थान का कि ठेके पर कापी जंचा रहे हैं। अगर यह वास्तव में नहीं है तो खड़े होकर कह दें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन बच्चों के मन में एक संशय सा पैदा हो गया है कि हम ठेके पर कापी, सवा लाख कापियां एक ही व्यक्ति को भेज दीं और वह फिर अपनी मर्जी से, यह बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ा होगा। अगर कोई ऐसी गलती बोर्ड ने की भी है तो कृपा करके सरकार उसे रोके और परीक्षा की

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व्यवस्था और जंचाने की जो भी आपको ठीक व्यवस्था लगती है उस व्यवस्था से जंचाइये। पर यह ठेके के आधार पर सवा लाख जंचवा कर बच्चों का रिजल्ट बनया तो पता नहीं वह जो सवा लाख बच्चों ने परीक्षा दी उन सबके मन में रहेगा कि पता नहीं मेरी कापी ठेके से जंची या किसकी। और सारे राजस्थान की किरकिरी होगी देश में कि राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, इसलिए यह विषय बी.जे.पी. और कांग्रेस का नहीं है। यह किसी व्यक्ति का नहीं है, यह राजस्थान के उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विषय पर मेरी प्रार्थना है इसको आप इस झमेले में मत डालें। अगर वास्तव में इस प्रकार का काम बोर्ड ने कर दिया। तो उसे आप तुरन्त रोक लें। अगर मान लो एग्जामिनेशन के कारण से देरी हो रही है तो एक ही स्थान पर अध्यापकों को बुला करके भी आप 10 दिन में, 15 दिन में इन कापियों को जंचवा सकते हैं और गयी हुई कापियों को तुरन्त मंगाये। और सरकार तुरन्त यह कहे हाउस में कहे कि कापियां अगर ठेके पर चली भी गयी हैं तो हम नहीं जंचवायेंगे। अध्यापकों के माध्यम से ही यह कापियां जंचवायेंगे। तभी हमारा सदन को चलाने का कोई लाभ होगा। यह सामान्य बात नहीं है कि हम इस पर चर्चा करके उन आठ लाख बच्चों के भविष्य को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। यह हम न्याय नहीं करेंगे। हम जन प्रतिनिधि हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पहले सुन तो लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके बारे में सरकार अपना कोई न कोई जवाब दे।

डा. किरोड़ी लाल : छात्रों के भविष्य का मामला है।

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, इतना गम्भीर विषय है और इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने रखा। मुख्य सचेतक महोदय, आपकी भावनाओं को मंत्रीजी तक पहुंचा देंगे और उसके बाद में वह इस संबंध में कुछ कहना चाहें तो उनको छूट है, वह कह देंगे। इस वक्त वह हैं नहीं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनको बाउंड करो...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा यह कहना है कि यह कह दें कि ठेके पर अगर कापियां दी हैं तो नहीं जंचवायेंगे और हम व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका कहना ठीक है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं अनुरोध कर दूं कि पर्ची के माध्यम से यह मामला उठाया गया है और उसमें सरकार को जवाब देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है तो ऐसा आपके नियमों नियमों में है।

श्री सभापति : सुन तो लें...(व्यवधान) सुनी ही नहीं बात... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे अफसोस इसलिए है कि शिक्षा पर जिस दिन डिबेट हुई है उस दिन भी मैंने यह विषय उठाया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री सभापति : कटारिया साहब, सुन तो लीजिये, सुन तो लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पर्ची पर बोलने का अधिकार मात्र माननीय सदस्य जिनको अधिकार दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय ने, वह बोल लिये, आपने इसको डिबेट बना दिया। डिबेट के लिए तो मना किया हुआ है। कि यह डिबेट नहीं होगी। उसके बाद में इसमें साफ यह लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिये...(व्यवधान) सुन तो लें आप... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इतना बढ़िया काम होता तो...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हम मंत्री का स्टेटमेंट चाहते हैं।

श्री सांवर लाल : सरकार भी ठेके पर चलवा लें। अगर बढ़िया काम होता तो विद्यार्थियों का भविष्य क्यों चौपट करते हो ?

श्री सभापति : यह नियम नहीं चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह नियम मैंने नहीं बनाये हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी को बुलाकर स्टेटमेंट दिलवाये...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आसन की तरफ से है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी सदन में आने चाहिये। मुख्य मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिये...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आसन की तरफ से निर्धारित नियम है।

डा. किरोड़ी लाल : छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अगर इसका वायोलेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुख्य मंत्रीजी को बुला लें...(व्यवधान) यह सवाल सामान्य सवाल नहीं है... (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को बुलवा लें उनसे आप अपनी तरफ से कोई आश्वासन दिला दें... (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी अपना रिएक्शन दे दें कि आखिर यह क्या हो रहा है। हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह चाहते हैं कि मान लो शिक्षा मंत्रीजी नहीं है, मुख्य मंत्रीजी यहां हैं उनको बुला लें, वह अपनी बात इस समय कह दें। आखिर यह ठेके पर कापियां जंचाकर बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपकी बात सरकार तक पहुंच गयी। आपने पहले भी इस मसले को उठाया। जनरल डिबेट में आपने उठाया, फिर अब पर्ची के माध्यम से उठाया है।

श्री सांवर लाल : फिर इसका असर क्या हुआ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह विषय कोई टालने का विषय नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : यह +++ चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : असर क्या हुआ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह एक अहम मुद्दा है जिस पर आपको निर्णय करना पड़ेगा...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 10-15 दिन के बाद रिजल्ट चालू हो जायेंगे। अगर ठेके पर कापियां जंचकर के रिजल्ट बन गये तो...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, इस प्रकार से नियम और प्रक्रिया के नियमों की अवहेलना करके, माननीय सदस्य इस प्रकार से शोरगुल करके, नियमों की अवहेलना करके...(व्यवधान) जो आसन द्वारा दिये गये हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अनर्थ कर दिया। इसका एक दिन भी डिले करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा...(व्यवधान) तो उस बच्चे के साथ अन्याय होगा। एक मिनट भी इसमें डिले नहीं होना चाहिए। एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिये। कापियां अगर ठेके पर जंचना प्रारम्भ हो गयीं, इसके लिए शिक्षकों... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कटारियाजी, आपको बच्चों की जितनी चिन्ता है। उतनी शिक्षा मंत्री को है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें आधा मिनट की भी देरी नहीं हो सकती है, एक दिन की भी देरी नहीं हो सकती है...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : बच्चों के साथ में कोई खिलवाड़ सरकार नहीं होने देगी...(व्यवधान) ना इरादा है, ना सरकार कोई खिलवाड़ करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना अहम मुद्दा है इस पर एक दिन का भी विलम्ब होना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब आप इश्यू बनाने के लिए, रोज अखबारों में नाम छपाने के लिये सरकार को इस प्रकार दबाने के लिये... (व्यवधान) एकजुट होकर शोरगुल करके आप व्यवधान नहीं करें। इस व्यवधान पैदा करने से...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम कोई व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका कोई परपज हल नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपके बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, सबके बच्चे बैठे हुए हैं... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कोई अच्छा नहीं है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मंत्रीजी जवाब दें इस बात का...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठें। आ गये हैं...(व्यवधान) आप बिराजें, शांति से सुनिये।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मुझे ध्यान नहीं था कि पर्ची के माध्यम से यह प्रश्न उठायेंगे। परसों बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बात आपने उठायी है, अभी मुझे जानकारी नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूं। आपने मुझे जो कहा है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप सुन तो लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड।

श्री सभापति : नहीं, नहीं पहले आपको इनकी सुननी पड़ेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने यह कह दिया कि मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सभापति : पहले इनको सुनना पड़ेगा...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने दो बार, तीन बार रीपिटेडली कई बार कह दिया।

श्री सभापति : पहले इनको सुनना पड़ेगा। हां, फरमायें।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मेरी डिमाण्ड थी, ग्रामीण विकास की। मुझे ध्यान नहीं था कि पर्ची के माध्यम से भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को उठायेंगे। माननीय कटारिया साहब ने उस दिन भी यह कहा था। मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, जब तक आथेंटिक सूचना नहीं ले लूं तब तक इस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आपने बात उठायी है, हम सबकी चिन्ता का विषय है। मैं इस पर जानकारी करके आपको अवगत करा दूंगा। जैसा आप निर्णय करेंगे... (व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैंने यह विषय सदन में...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब क्या बाकी रह गया। माननीय कटारिया जी...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान) आपने कह दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना यह कर रहा हूं कि मैंने जब एक तारीख को शिक्षा पर यहां...(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी भी प्रार्थना आप थोड़ी सी माने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब शिक्षा पर यहां चर्चा हुई थी तब भी मैंने यह विषय आपके सामने सदन में रखा था और विषय आपके ध्यान में आया था कि सवा लाख कापियां ठेके पर जांचने के लिए दे दी गयी हैं। तब से लेकर के आपने जवाब तक नहीं दिया। मैंने कट मोशन भी इस बात पर दिया था कि ठेके पर हमने कापियां जंचने के लिये दी अगर इतना सब कुछ होने के बाद वह विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं दे इससे ज्यादा शर्म की बात...

श्री सी. पी. जोशी : गुलाबजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने यह नहीं कहा कि उत्तर नहीं दिया है। मैंने यह बात नहीं कही हैं। मैंने यह कहा है कि अभी जो प्रश्न उठाया है। इस क्षण खड़े होकर के मैं वस्तुस्थिति के बारे में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो आप इतना कह दें कि आज ही इस सदन के समाप्त होने से पहले...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदन में नहीं, ऐसे बाध्य नहीं कर सकते हैं...(व्यवधान) सदन में जवाब नहीं देंगे। आपको व्यक्तिगत जवाब भिजवा दिया जायेगा। सदन में कोई जवाब नहीं देंगे...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप सिद्धांततः यह उचित समझते हैं कि परीक्षा की कापियां ठेके पर जंचवाई जायें?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय विपक्ष के नेताजी, मैंने इस संबंध में आपसे कहा कि व्यवस्था में कोई भी आदमी, मैं क्या कोई भी पेरेन्ट्स जांच के संबंध में अगर इस तरह की बात आती है तो इसे पसंद नहीं करेगा कि इस व्यवस्था के अंदर परीक्षा का मूल्यांकन हो। जो बात आयी है जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आयेंगे। माननीय कटारिया साहब ने उस दिन यह बात उठायी तो पूरे तथ्य की जानकारी लेने के बाद ही मैं आपके सामने कुछ कह सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तथ्यों का सवाल नहीं है। आप शिक्षा मंत्री हैं। क्या आप सिद्धान्ततः यह उचित समझते हैं कि परीक्षा की कापियों की ठेके पर जांच करायी जाये?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय विपक्ष के नेता, मैं बात कहूंगा, फिर आप अपनी बात कहेंगे। आप सीनियर आदमी हैं उस दिन भी आप नाराज हो गये। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी बोर्ड में जो बना हुआ है उसमें पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की अलग-अलग पद्धतियां हैं। अब राजस्थान में जो बोर्ड है उसकी पद्धति रही है उसमें यह परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ जब तक मैं जानकारी नहीं लूंगा तब तक मैं इस पर कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं इस पर क्या कमेंट करूंगा।

श्री सांवर लाल : क्या आप उचित समझते हैं कि ठेके पर जंचवाना, अगर जंच रही हैं तो जानकारी क्या देंगे आप...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : ठेके का मतलब तो यह है कि कोई कान्ट्रेक्टर है, आदमी है उसके पास ठेका है। ठेके का मतलब कोई शिक्षक है। माननीय कटारिया साहब मुझे बतायें। मुझे इस बात की जानकारी दें क्या हमें मालूम नहीं है कि रिटायर टीचर परीक्षा की कापियां जांचते हैं। क्यां हमें मालूम नहीं है कि विश्वविद्यालय में या कोई बोर्ड के अंदर रिटायर टीचर होते हैं वह भी एग्जामिनर बन सकते हैं, कोई डिबार हैं क्या उसके अंदर? अब रिटायर टीचर को ठेका देने की बात अलग है तो जब तक मुझे जो जानकारी है और ठेके का मतलब जो मैं समझ पाया हूं...।

श्री सांवर लाल : एक मिनट, हमारी भी सुन लें। जो हमने बात उठायी थी, आप सदन में नहीं थे।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने पूरी बात सुना है, तभी मैं अंदर आया हूं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : रिटायर टीचर भी जांच सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठेके से मैं समझ पाया हूं वह यह मतलब है कि एक व्यक्ति जो परीक्षक नहीं बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को यदि कापी देने के संबंध में कोई कान्ट्रेक्ट कर लिया गया और उसने कापी जांचने का काम किया है उससे आपका अभिप्राय है। मैंने आपको कहा है कि जो आपने तथ्य रखे हैं जब तक मैं उनकी वास्तविक जांच नहीं कर लूं, उसके संबंध में कोई कमेंट करने की मेरी स्थिति नहीं है। लेकिन आपने यह एक गम्भीर प्रश्न उठाया है मैं निश्चित रूप से जांच करने के बाद, आज मेरी डिमाण्ड है कल तक मैं आपको इस बारे में पूरी स्थिति के संबंध में अवगत करा दूंगा।

श्री सभापति : माननीय किरोड़ी लालजी। (व्यवधान) हो गया ना, अब क्या बाकी रह गया।

ग्राम आसोप, जिला भीलवाड़ा में भूमि घोटाले विषयक

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : सभापति महोदय, मैंने दिनांक 2.11.2000 को इस पवित्र सदन में ग्राम आसोप, पंचायत समिति कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा का भूमि घोटाला उठाया था।

सभापति महोदय, करीबन 1141 बीघा, 13 बिस्वा जमीन का 28 जून, 2000 को अलाटमेंट किया गया अलाटमेंट कमेटी द्वारा। सभापति महोदय, इसमें 321 एप्लीकेंट आए जिनको अलाटमेंट किया। उस अलाटमेंट कमेटी के सदस्य वहां के एम.एल.ए. हैं, वहां के प्रधान हैं, सरपंच हैं और एक जीवन लालजी शर्मा, जिनको राज्य सरकार ने नामीनेट किया है और एस.डी.ओ. साहब हैं। इन 320 फार्मों पर वहां के माननीय विधायक के हस्ताक्षर हैं। एक नरेन्द्र नाम के व्यक्ति के आवेदन पत्र पर जो वहां पर प्रस्तुत हुआ था, उस पर केवल इनके हस्ताक्षर नहीं है और उनको जमीन अलाटमेंट कर दी गई।

सभापति महोदय, आबंटन समिति के अवैध आबंटन का मामला यहां मैंने उठाया तो राज्य सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं राज्य सरकार को कि इसकी जांच कराई अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से। जांच होने के बाद, सभापति महोदय, ग्राम आसोप, तहीसल कोटड़ी, के खसरा नम्बर 1299, जमीन 9 लोगों की निरस्त कर दी। प्रत्येक को 10-10 बीघा जमीन दी थी। इसमें भंवरलाल शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा, निरंजन पुत्र चन्द्रशेखर, बाली बेवा कन्हैया लाल शर्मा लादी पत्नी मोहलाल रैगर, एजन देवी पत्नी भंवरलाल शर्मा, महावीर पुत्र मदनलाल शर्मा, मधु पुत्री जीवनलाल शर्मा, अशोक पुत्र रतनलाल शर्मा, नरेन्द्र पुत्र रतन लाल है। इन नौ की, प्रत्येक को 10-10 बीघा भूमि अलाट की गई, सभापति महोदय, इसको निरस्त कर दिया। इसलिए मैं कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहूंगा जिससे आप कन्विन्स हो जाएंगे कि भूमि आबंटन में गड़बड़ हुई है।

हलका पटवारी, बोरडा अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, ग्राम आसोप में आबंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.6.2000 को हुई जिसमें श्री नरेन्द्र कुमार पिता रतन लाल को ग्राम आसोप में खसरा नम्बर 1299 में रकबा 10 बीघा आबंटन हुई है। जांच के दौरान यह पाया है कि श्री नरेन्द्र कुमार पिता रतन लाल आबंटन सलाहकार समिति के सदस्य श्री रतन लाल के पुत्र हैं। यह पटवारी की रिपोर्ट है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आबंटन नियम, 1970 के नियम 13 के परन्तुक के अनुसार आबंटन सलाहकार समिति का सदस्य ऐसी आबंटन बैठक में भाग नहीं लेगा लेकिन उक्त दिनांक को आबंटन सलाहकार समिति के सदस्य श्री रतन लाल ताम्बी, विधायक ने भाग लिया था अतः उक्त आबंटन नियमानुसार नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त

(डा. किरोड़ी लाल)

आधार पर श्री नरेन्द्र कुमार पिता रतन लाल महाजन का आबंटन निरस्त फरमाया जाए। मौके पर कब्जा स्थगन आदेश होने से नहीं दिया गया है।

अब इसके आधार पर, सभापति महोदय, इन नौ लोगों को, पटवारी की रिपोर्ट है और इसके आधार पर तहसीलदार ने जिला कलक्टर को अपनी रिपोर्ट भिजवाई। "सेवा में, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा। उनवान-तहसील कोटड़ी बनाम श्री नरेन्द्र कुमार सन आफ श्री रतन लाल, प्रार्थी आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14, राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आबंटन नियम, 1970 बाबत आवेदन निरस्तीकरण। महोदय, प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि आबंटन सलाहकार समिति, तहसील कोटड़ा के द्वारा दिनांक 28.6.2000 को मौजा आसोप के आराजी खसरा नम्बर 1299 मय रकबा 10 बीघा को विपक्षी को नियम शर्तों पर कृषि कार्यों हेतु आबंटन किया गया है। इस आबंटन के लिए जांच करने पर यह पाया गया कि विपक्षी आबंटन सलाहकार समिति के सदस्य रतन लाल, विधायक का पुत्र है। यह आबंटन इसलिए नियमान्तर्गत नहीं हुआ है कि उक्त आबंटन सलाहकार समिति की उक्त बैठक में उक्त सदस्य ने भाग लेकर यह आबंटन विपक्षी के नाम करवाया गया है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन नियम, 1970 के नियम 13 के परन्तुक के अनुसार यहां सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदक उसका सम्बन्धी होने के कारण या अन्यथा कोई हित हो, वहां ऐसा सदस्य समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा। चूंकि उक्त आबंटन में उक्त कथित सदस्य द्वारा भाग लिया गया है अतः यह आबंटन नियम अन्तर्गत नहीं हुआ है। चौथा, यह कि आवेदन के साथ सम्बन्धित पटवारी हलका का जांच प्रतिवेदन संलग्न है कि भूमि का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है। पांचवा, यह कि यह आवेदन न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार में है। अतः सादर प्रार्थना है कि उक्त बाद कार्यवाही विपक्षी के पक्ष में किया गया यह आबंटन निरस्त करवाया जाए।"

सभापति महोदय, यह मौका तहसीलदार की रिपोर्ट है, पटवारी की रिपोर्ट है, जिसने इसको निरस्त किए जाने की सिफारिश की है और इसमें यह बिलकुल तय हो गया कि ग्राम आसोप में चस्पानगी की गई, वहां डूण्डी पिटवाई गई और वहां पर इस बात का पता करवाया गया कि नरेन्द्र नाम का लड़का कौन है। उस पूरे गांव में नरेन्द्र नाम का लड़का कोई नहीं है और पूरी वोटर लिस्ट में भी उसका नाम नहीं आता।

जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रतन लाल ताम्बी, मैं दो तारीख को बोला तो वे छह तारीख को खड़े होकर यहां विधान सभा में प्रतिवाद कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि मैं न वहां का रहने वाला हूं, आसोप का, न मेरी वह तहसील है, अन्य तहसील का रहने वाला हूं। मेरे

(डा. किरोड़ी लाल)

बेटे ने न तो कोई आवेदन वहां किया और न कोई जमीन अलाटमेंट की गई। भ्रम यह जरूर रहा, उसी नाम का एक लड़का वहां मौजूद था और उसके पिता का नाम रतन लाल महाजन था तो कयास मात्र में मुझे मान लिया गया। मैं चुनौतीपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मेरा बेटा फार्म भरने गया, उस फार्म की जांच करवा लें, न उनको जमीन लेनी थी, न दस्तखत है न कुछ और, आपने कयास के आधार पर इस ढंग के आरोप लगा दिये। ये सारे के सारे व्यक्ति अलग हैं, अलग परिवार हैं, मतदाता सूची मेरे पास मौजूद है। विधान सभा की कमेटी गठित करके आप इसकी जांच करवा लें। यदि 10 बीघा जमीन मेरे बेटे को आबंटित करके 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, यह आप साबित कर दें तो विधान सभा जो सजा चाहे देगी, मैं भुगतने को तैयार हूं। यह इन्होंने कहा है। आगे कहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिजनों पर अलाटमेंट करके जमीन पर कब्जा करने के आरोप मिथ्या, बेबुनियाद, राजनीति से प्रेरित हैं। उसके लिए मैं विधान सभा में विपक्षी दल के नेता महोदय से कहना चाहूंगा कि आप स्वयं जाकर जांच कर लें, इन्होंने यह बात यहां पर कही। सभापतिजी, जब यह मामला आगे बढ़ा तो सभापतिजी ने कहा, माननीय सदस्य ने अपनी सफाई दे दी है और उसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता खुद आश्वस्त हो जाएं, वह मुझे जो कहेंगे वैसे ही मैं करने को तैयार हूं। इन्होंने यहां इस ढंग से अपने भाषणों में आगे कहा, परसादीलालजी बोले थे, जिनके खिलाफ आरोप लगाए हैं उस सदन ने यह कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय जांच कर लें और आप प्रतिपक्ष के नेता द्वारा दोषी पाए गए तो सजा भुगतने को तैयार हैं। इसके साथ-साथ यह भी कहा था, सभापति महोदय, जब यह बहस शुरू हुई तो मदन दिलावर ने कहा तो वे असत्य बोलने लगे, माननीय सदस्य मदन दिलावर ने कहा कि सत्य कहो, रतन लाल ताम्बी कह रहे हैं कि आप एक मिनट सुन लें, मैं बता दूंगा, एक-एक को मैं चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं। मदन दिलावर ने कहा, भगवान देख रहा है, सुन रहा है तो श्री रतन लाल ताम्बी कहते हैं, आपको चुनौती दूंगा, गलती होती तो मैं इस्तीफा दूंगा नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तैयार रहना।

सभापति महोदय, इसी राजस्थान विधान सभा में इन रतन लालजी ताम्बी ने कहा कि अगर मैं पकड़ा जाऊं, मैं इसमें दोषी हूं, मेरा बेटा कहीं यहां पर हो, पटवारी रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ कर सुना दी। तहसीलदासर की रिपोर्ट सुना दी। अस आसोप गांव में चस्पानगी हो गई, उस

(डा. किरोड़ी लाल)

आसोप गांव में डूण्डी पिटवा दी, वहां पर इक्ट्ठा कर लिया गया पूरे गांव को और वहां नरेन्द्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं निकला। पटवारी अपनी रिपोर्ट में यह कहते हैं, तहसीलदार यह कहते हैं, यह वहां के विधायक श्री रतन लाल ताम्बी का पुत्र है इसलिए चूंकि इन्होंने विधान सभा में इस्तीफा देने की घोषणा की थी। पूरे सदन में यहां का सम्मान रखने के लिए नैतिकता के नाते मैं जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप इस्तीफा यहां पर दे जाएं ताकि इस उच्च सदन की गरिमा बनी रहे। और अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को डिसक्वालिफाई कर दिया जाए।

इसके साथ ही दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने मनोनीत सदस्य के लिए कहा जीवन लाल शर्मा, उसने अपने रिश्तेदारों को जमीन दे डाली और प्रधान पंचायत समिति ने अपने रिश्तेदारों को दे दी, सरपंच ने दे दी। इन सबके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही होनी चाहिए, पर फैसला इस बात पर होना बहुत जरूरी है, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने छाती ठोक कर यह कहा था कि अगर मैं किसी प्रकार से दोषी निकल जाऊं तो जो भी सज़ा देंगे वो सज़ा लेने को तैयार हूं। इन्होंने यह भी कहा था कि विपक्षी दल के नेता जांच कर लें। विपक्षी दल के नेता या किसी भी प्रकार की जांच कमेटी आपने विधान सभा की तो नहीं बैठायी, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त कलक्टर से जो जांच कराई है उसमें पूरी तरह से प्रमाणित हो गया कि नरेन्द्र रतन लालजी ताम्बी का पुत्र है और उन्होंने जालसाजी की है और भारी घोटाला जमीन आबंटन में किया है। इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : कुछ कहना चाहेंगे आप?

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जांच रिपोर्ट के बारे में कहा गया है...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : ये दोनों ही जांच नहीं हुई।

श्री सभापति : आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाद में कहूंगा जो कुछ कहना है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, यहां लगता ऐसा है कि जो रिकार्ड यहां पेश किया गया है और जो भाषण दिया गया है, जो कागज हिला-हिलाकर यहां पर वाचन किया गया है और पढ़े गये हैं यह आधी-अधूरी जांच है जिनके संबंध में जांच अभी पैंडिंग है, अभी जांच नहीं हुई। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं जांच एडी.एम. को दी उसके बाद में गांव वालों ने जब एडी.एम. की जांच को सही नहीं माना तो उन्होंने वापस रेवेन्यू मिनिस्टर के यहां एक प्रार्थना पत्र दिया। तो उसके बाद में यह अतिरिक्त कमिश्नर को जांच दी गई। अतिरिक्त कमिश्नर ने कहा कि यह मेरे बैचमेट हैं इसलिए यह जांच अब मैं नहीं करूंगा। यह जांच अभी भी कलक्टर भीलवाड़ा कर रहे हैं जो पैंडिंग है। इसलिए इस जांच को परिपूर्ण नहीं माना जाए, नम्बर एक। नम्बर दो, तहसीलदार द्वारा जो कलक्टर के यहां एप्लीकेशन, जिसका ये नाम ले रहे हैं वह एक कानूनी दायरे में पेश की गई है। इससे यह मामला पूरा का पूरा सबजुडिस है। आज किसी भी प्रकार का सदन में... (व्यवधान) यह चल रही है... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : कोई सबजुडिस नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सबजुडिस है मामला। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बात तो सुन लो। बात तो सुने आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आप ही की बात कह रहा हूं, मेरी नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : काहे का सब जुडिस है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तहसीलदार ने अलाटमेंट के खिलाफ कलक्टर को कोई भी बात लिखकर दी है और कलक्टर को उस पर जुडिशियस निर्णय लेना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मामला सब जुडिस है, नहीं तो तहसीलदार को कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार या तो अपील में गया या रिवीजन करे। कोई न कोई रास्ता तो अपनाएगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मामला सबजुडिस नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : रतन लालजी ताम्बी, इस्तीफा दो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, इस मामले को यहां नहीं उठाना चाहिए। न ही आसन को और सदन को इस पर किसी प्रकार का नोटिस लिये जाने की जरूरत है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, आप पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, आप अपने सदस्यों को कम से कम नैतिकता का कुछ तो पाठ पढ़ाइए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन नैतिकता की बात है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने बात कह दी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कानूनी पेचीदगी की बात नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रतिपक्ष के नेता से...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, यह सबजुडिस वाली बात तो... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कानूनी पेचीदगी की बात कर रहे हैं, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : यह सबजुडिस वाली बात तो समाप्त हो गई, कोई यहां वाद-विवाद इसमें नहीं है। जो माननीय सदस्य को अध्यक्षजी ने इजाजत दी थी उतना उन्होंने कह दिया। अब इन्होंने और कुछ कहा है, यह तो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। यही तो कह रहे हैं। इसमें भी एक बिन्दु बाकी रह गया है माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध किया गया था और उससे लगता है उनकी आत्मा शुद्ध है। तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जांच कर लें और उसके बाद में आप इनसे निर्णय करा दो तो वह भले ही कर लिया जाए। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। (व्यवधान) मैं अर्ज कर दूं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, जिस सदस्य के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए।

श्री सभापति : उनको इन्कार कोई नहीं कर रहा है। मैं तो बात यह कह रहा हूं कि सबजुडिस नहीं है। वह कह दिया उन्होंने।

डा. (श्रीमती) कमला : सबजुडिस तो है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय कोर्ट में तो केस है, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय ने किन्हीं भी कारणों से इजाजत दे दी तो सब-जुडिस होते हुए भी आप उस पर चर्चा करें, बाकी कोर्ट में केस चल रहा है।

श्री सभापति : व्यवस्था नहीं हो रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी का अपना वर्शन अपनी जगह है।

डा. (श्रीमती कमला) : इनके नहीं मानने से थोड़े ही सबजुडिस नहीं होता। जब कोर्ट में केस चल रहा है उसको ये ना कर दें तो क्या सबजुडिस नहीं होगा?

श्री सभापति : राजस्व मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबजुडिस...

डा. (श्रीमती) कमला : लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्षजी ने इजाजत दे दी है इसलिए इस बारे में कुछ कहना कोई मतलब नहीं रखता है।

श्री सभापति : इन्होंने तो सारा मामला सब जुडिस होने की बात की है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा निवेदन यह है कि यह सदन प्रक्रिया के रूल्स के तहत चलता है। जो हमने नियम बना रखे हैं उन नियमों के तहत चलता है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, ने जिस समय इस प्रश्न को उठाने की इजाजत दी उनको यह पता नहीं था कि यह मामला सब जुडिस है। वह तो सदन में आने के बाद ही तो पता चलेगा। अब तो यह निर्विवाद है कि मामला सबजुडिस है। अब सदन में किसी प्रकार का कोई मामला उठाने के लिए या तो 119 का प्रयोग करे या नियम 127 में आये या हम 50 में आये या नियम 131 में आये या पर्ची के माध्यम से आयें। हरेक में...

डा. किरोड़ी लाल : एक भी मोशन अलाउ नहीं किया, न 131 में किया, न 50 में किया, न 127 में किया। किसी भी रूल में आपने आज तक एक भी मोशन अलाउ नहीं किया सदन में।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा निवेदन यह है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि हमारे प्रक्रिया के जितने भी नियम हैं और सदन में जो भी मसले उठाये जाते हैं उनमें साफ तौर पर स्पष्टतया अंकित है कि कोई भी मामला जो सबजुडिस है वो इस पवित्र सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसा हमारे नियमों में प्रावधान है। मैंने आपसे अनुरोध किया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय ने व्यवस्था दे दी है। विपक्ष के नेता।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, आपने सारी व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : पहले आप बैठें, बाद में सुनूंगा इनकी।

श्री रामप्रताप : विपक्ष के नेता महोदय जांच कर लें, मुद्दा खतम हो गया।

श्री सभापति : पहले आप बैठें।

श्री रामप्रताप : बात ही खतम हो गयी।

श्री सभापति : आप बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) बैठिए आप।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : हम विधायक हैं और बी.जे.पी. के विधायक भी यहां मौजूद हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिए।

श्री रामलाल जाट : कोई गया है उस गांव में? वह गांव किस दिशा में है उस दिशा की इनको जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री रामलाल जाट : उस गांव में कितने बीघा जमीन अलाट हुई, माननीय सदस्य ने इल्जाम लगाये थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : ताम्बीजी को मैंने अवसर दिया है।

श्री रामलाल जाट : उस गांव में 300 परिवार हैं, 244 परिवारों को जमीन अलाट हुई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सबजुडिस वाला मामला जो था वो...(व्यवधान) वो तो खतम हो गया। जो कुछ इनको कहना था कह दिया। अध्यक्षजी ने इजाजत दे दी इसलिए सबजुडिस वाला मामला खतम हो गया। वह अपना स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य का स्पष्टीकरण

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदय, मुझे परसों इस बात का नोटिस माननीय सदस्य की ओर से मिला था कि आज इस विषय पर चर्चा करनी है। इसके बाद में राजस्थान विधान सभा सचिवालय को मैंने अनुरोध किया था जिस एडीएम. की रिपोर्ट को, जिस तहसीलदार के पत्र को, जिस पटवारी के पत्र को यहां रैफर किया जा रहा है वो सरकार की ओर से यदि मुझे उपलब्ध हो सके तो मैं इसका विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण या जो भी मैं जानकारी दे सकूंगा। लेकिन मुझे खेद है कि राज्य सरकार के पास वो रिपोर्ट अभी तक पहुंची नहीं और तहसीलदार या पटवारी ने रिपोर्ट कहां दी। वैसे राज्य सरकार जहां पर यह रिपोर्ट, आश्वासन दिया गया था कि जांच करवाकर इसमें कार्यवाही की जाएगी। मुझे कहते हुए दुःख है कि इस प्रकार के गम्भीर मामले को जिस ढंग से यहां उठाया गया था और उठाने के बाद 321 व्यक्तियों को अलाटमेंट हुआ है। यह जांच में सिद्ध हुआ है और जांच में यह सिद्ध हुआ है कि वहां 244 व्यक्ति उसी गांव के हैं जिनको 1141 व्यक्तियों को जमीन अलाट हुई है। तो मैं आपसे यह चाहता हूं कृपा करे जिस रिपोर्ट को जो रेफर की गई है उसकी छाया प्रतिलिपि जांच रिपोर्ट की पटवारी और तहसीलदार की जो रिपोर्ट बता रहे हैं मैं समझता हूं वह मुझे उपलब्ध करा दी जाए तो मैं विस्तार से इस बारे में जानकारी के लिए मैं सोचता हूं उचित रहेगा।

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री सभापति : ठीक है। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, ऐसे मामला खतम नहीं हो जाता।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसे नहीं, साहब।

डा. किरोड़ी लाल : आपने इसमें व्यवस्था दी है।

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी कि जो कुछ आपको कहना था कह दिया। ऐसा नहीं कि आपने नहीं कहा। (व्यवधान) सबजुडिस मामला कह दिया। (व्यवधान) आपको इजाजत मिल गई।

श्री रामलाल जाट : इन्होंने कह दिया, प्रतिपक्ष के नेता इसमें जांच कर लें।

डा. किरोड़ी लाल : आपने यह कहा है कि विपक्ष के नेता...

श्री सभापति : नहीं कहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपने खुद ने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता इसकी जांच करेंगे। आपने खुद ने कहा है।

एक माननीय सदस्य : आपने खुद ने इस बात को कहा है।

श्री सभापति : मैंने यह कहा है... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नहीं, यह नहीं है। गलत इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं। (व्यवधान) इन्होंने कहा है माननीय प्रतिपक्ष के नेता से जांच करवाने के बाद... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता से जांच करवा लो। तो उनकी आत्मा में बल है और आत्मबल के हिसाब से वह आदमी सही है और सही है तभी... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सही और गलत मत बताओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : You cannot dictate me.

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने इसलिए निवेदन किया था कि उस दिन भी कि विधान सभा की कमेटी से इसकी जांच कर ली जाए, मगर उसको नहीं माना गया और आपने राज्य सरकार को जांच करने के निर्देश दिये थे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने खुद ने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता जांच कर लें। वह जांच कर लेंगे तो हमें मान्य होगी।

श्री रतन लाल ताम्बी : और उसको अस्वीकार कर दिया आपने।

(14.00 बजे)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, आपने भी कहा है और खुद माननीय सदस्य ने भी माना है।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं न, मैं कह रहा हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जब पूर्व में यह कहा है कि न तो मेरे लड़के ने कोई आवेदन किया, न मेरा लड़का वहां उपस्थित था और न उसने कोई आबंटन पत्र लिया, न कोई उसमें कब्जा किया तो किसने उनके नाम से साइन किया, किसने आवेदन दिया, किसने प्रस्तुत होकर दिया। यह जांच का विषय है। यह कोर्ट में चल रहा है यह बात तो आप भी मान रहे हो। यह तो आप ही जांच करें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इस मामले को आप दबाना चाहते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कलक्टर जांच कर रहा है।

डा. (श्रीमती) कमला : कि इस नाम के व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया, न साइन किया, न मौजूद थे उसके बाद किस तरह से यह हरकत हुई। उसका कोर्ट में केस चल रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जांच क्या हुई लेकिन एक पटवारी ने रिपोर्ट दे दी, तहसीलदार ने दे दी, एडी.एम. ने दे दी, सबने रिपोर्ट दे दी।

डा. (श्रीमती) कमला : यही रिपोर्ट दी है कि न तो उसने पेश की, न वह मौजूद था और न उसके दस्तखत हैं। यही दी है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, नहीं रिपोर्ट यह की है कि नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन लाल ताम्बी के नाम जमीन अलाट हुई है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि आप प्रतिपक्ष के नेता सहित विधान सभा के सदस्यों की कमेटी नियुक्त कर दी जाय और इस रिपोर्ट के तथ्य से साफ हो गया कि 321 में से जो अलाटमेंट उसमें, उसमें मात्र आपने ? व्यक्तियों का अलाटमेंट माना है। न्यायिक प्रक्रिया के अन्दर यह जांच होना बाकी है।

श्री मदन दिलावर : रतन लालजी ताम्बी इस्तीफा दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : सारे अलाटमेंट की जांच रिपोर्ट सही हो गयी। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता सहित विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बना दें फिर चाहे आप और जांच करवा लें। आखिर पटवारी वह व्यक्ति है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, इनकी आत्मा में ही ताकत है।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल साफ बात है।

श्री मदन दिलावर : अब तो ताम्बीजी से इस्तीफा दिला दो। रतन लालजी ताम्बी इस्तीफा दो।

श्री सभापति : वह आ चुका है। आपने कहा कि जांच हो गयी उसको आपने पढ़ दिया। राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि जांच चल रही है। वह आ गयी। माननीय ताम्बीजी ने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई मुझे रेकार्ड दिया जाय। सब कुछ आ गया, अब इस मामले को यहीं समाप्त करें और आगे की कार्यवाही हम चलायें; मेरे खयाल से आप जो चाहते थे वह सब आ गया और क्या चाहते हो आप इसमें ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : This inquiry is not conclusive and final. It will not be taken to be correct.

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : This is not the conclusive and fianal inquiry. Inquiry is still pending.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हरिसिंहजी अंग्रेजी में?

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, एक मिनट मैं कुछ कहूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पहले खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे देख भी लिया है। I have caught your eyes.

श्री सभापति : हां, फरमाइये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं अर्ज कर रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह जनरल बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह रूल्स में ही प्रोवाइडेड है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसका मतलब साफ है कि जांच हो चुकी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : It is still pending. That is not conclusive and final inquiry. Inquiry is still pending before Collector, Bhilwara.

श्री मानिक चन्द सुराना : उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी कि न तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित था, न वे वहां उपस्थित थे और न उनके द्वारा वह प्रस्तुत किया गया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह नहीं है, ऐसे नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो माननीय मंत्रीजी ने क्लीन चिट दे दी तो अब तो यह मामला सबजुडिस है ही नहीं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, दो बातें आपस में बहुत गलत जोड़ रहे हैं। एक इनक्वायरी एडीएम. को कलक्टर के माध्यम से सौंपी गयी थी, एडीएम. ने वह इनक्वायरी अपनी तैयार करके दे दी, उसके बाद में आपत्ति आई कि यह इनक्वायरी सही नहीं है प्रिज्युडिस्ड है इसलिए इसको सीनियर अधिकारी से जांच करायी जाय। उस वक्त एडिशनल कमीशनर से हिदायत की गयी कि वे इसकी जांच करें। उन्होंने यह लिखकर भेजा कि चूंकि मैं और जो पहले के इनक्वायरी आफिसर थे वे दोनों एक ही कैडर के हैं इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। आप किसी वरिष्ठ अधिकारी को या किसी अन्य अधिकारी को सौंपे तो इनक्वायरी का काम यहां पर समाप्त है। इस बीच में कलक्टर के यहां तहसीलदार ने एज ए लैंड होल्डर गवर्नमेंट की तरफ से यह अपील की है कलक्टर की अदालत में, कि यह अलाटमेंट जो नौ हैं यह गलत हुए हैं इन्हें निरस्त किया जाय। नौ पार्टियों को उसमें पार्टी बनाया, इसलिए वह केस अब कलक्टर की कोर्ट में पैंडिंग है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मैं माननीय देववाणी संस्कृत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो सच्चे रहें। आप तो संस्कृत के मंत्री हैं, माननीय देववाणी मंत्रीजी।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री छोगारामजी बाकोलिया।

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : ×××

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : सभापति महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम एवं मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री सभापति : अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,07,29,70,000 (एक अरब सात करोड़ उन्नतीस लाख सत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,96,38,84,000 (दो अरब छियानवें करोड़ अड़तीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना। डिबेट में आपका नाम है। (व्यवधान) अब काफी हो गया, काफी हो गया। श्रीमान्जी, आप पधारिये। श्री मानिक चन्द सुराना।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

1. खारची विधान सभा क्षेत्र की इंसाली ग्राम पंचायत को पूर्ण निर्विरोध चुने जाने के कारण गांधी ग्राम योजना में लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खान (शिव)

2. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

3. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को विधि सम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

4. ग्रामीणों का विकास बुनियादी तरीके से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

5. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में स्वीकृत सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

7. राज्य में ग्रामीणव विकास कार्यक्रमों में विधायकों द्वारा दी गई धनराशि के आबंटन करने के पश्चात् भी स्वीकृति के अभाव में विकास कार्य अवरूद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. टोंक विकास अभिकरण द्वारा विधायक अनुशंसा होने के बाद भी स्वीकृति देरी से जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु विधायक कोटे से दी जाने वाली धन राशि की जांच प्रधान पंचायत समिति द्वारा किये जाने के अधिकार पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

10. राजस्थान विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन व पंचायती राज को मजबूत बनाने हेतु वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन करने एवं नियमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी)

11. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ग्राम मोधूनगर एवं मेधपुर 29 चक व कई अन्य ग्राम पंचायतों में भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़)

12. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आवश्यक सुझावों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

13. पंचायत समिति उनियारा, टोडारायसिंह, देवली में डी.पी.आई.पी. के अन्तर्गत जो निजी संस्थान द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं उनमें जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी की उपेक्षा कर मनमाने ढंग से कार्य सम्पादन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

14. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में पंचायतों/पंचायत समितियों को आवश्यकतानुसार राशि स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही शिथिलता से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

16. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में आदिवासी जनता के विकास के लिए विशेष योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

17. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की आडिट रिपोर्टों की अनुपालना कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

18. जिला ग्रामीण अभिकरणों के अध्यक्ष जिला प्रमुखों को बनाने के बावजूद भी उनको कोई अधिकार नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

19. अपना गांव अपना काम योजना में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा कराने व अधूरे भुगतान का भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी नहीं माने जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

21. सरकार द्वारा जो योजनाएं जिला परिषदों को हस्तान्तरित की है उनके साथ उनके कर्मचारियों को भी जिला परिषदों में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

22. केन्द्र द्वारा मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को कम करने एवं राज्य सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. बत्तीस जिले बत्तीस काम एवं सहभागी योजना की राज्य सरकार द्वारा घोर उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

24. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

25. ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की योजना निर्धारण एवं क्रियान्विति में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जन-प्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग नहीं लेने पर चर्चा के लिए।

26. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टोंक द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के स्थान पर राजनैतिक कारणों से बाधा उत्पन्न करने पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़)

27. सीकर जिले में काफी व्यक्तियों तथा ग्राम पंचायतों की पिछले दो-तीन वर्षों से निर्बन्ध तथा अपना ग्राम अपना काम योजना में धनाभाव के कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (धौलपुर)

28. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. ग्रामीण क्षेत्रों में करवाये जाने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

31. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

32. प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों हेतु विकास के विशेष कार्यक्रम चला कर गांवों को सड़कों से जोड़ने एवं तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के जनजाति बहुल गांवों को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

33. जिला ग्रामीण अभिकरण, जिला परिषद, जिला कलक्टर एवं जिला प्रमुख के अधिकारों के अनुरूप कर्तव्यों पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

34. जिला जयपुर में निर्बन्ध राशि (अनटाइड फण्ड) योजना में पिछले दो वर्षों से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार उचित अनुपाति राशि वितरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पंचायतों द्वारा करवाये गये ग्रामीण विकास कार्यों की पूर्णता सर्टिफिकेट न दिये जाने पर चर्चा के लिए।

(श्री कन्हैया लाल)

36. पीपल्याबाई बन्ध पर ई.ए.एस. योजना के अन्तर्गत लगाये गये बुलडोजर का आज तक भुगतान न किये जाने पर चर्चा के लिए।

37. जलग्रहण योजना के तहत ग्राम भटेसरी, ग्राम रलावता के नालों को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

39. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. सरकार द्वारा जाति भेदभाव समाप्त करने के लिए वर्ष में दो बार पंचायत समिति स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति दम्पति अधिक राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की राशि सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. जल ग्रहण योजनाओं के सिद्धान्तों के अनुरूप समग्र क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ समय-समय पर निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

44. डी.पी.आई.पी. के अन्तर्गत कोटा जिले को लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

45. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने व स्पष्ट मानदण्ड निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. तहसील फलौदी के अधिकांश गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने, परम्परागत जल स्रोतों का संरक्षण, ग्रामीण ओरण-गोचर व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

47. मेवात विकास बोर्ड का बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के स्वीकृत निर्माण कार्यों को अवधिपार हो जाने पर भी पूर्ण नहीं करने से हो रही जन असुविधा पर चर्चा के लिए।

49. मेवात विकास बोर्ड की स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

50. कोटा जिले की कालीसिंध, परवन, उजाड़ नदियों के पुराने पुलों पर एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. बी.पी.एल. परिवारों का पुनः चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

52. ग्रामीण विकास के आयोजना बजट के निरन्तर कमी किये जाने पर चर्चा के लिए।

53. राज्य सरकार द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत ग्राम पंचायतों को दिये गये अधिकारों के क्रियान्वयन न किये जाने पर चर्चा के लिए।

54. लूणकरणसर तहसील व निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गए आठ हजार इन्दिरा आवास में डी.आर.डी.ए. व ग्राम पंचायतों द्वारा की गई अनियमितता पर चर्चा के लिए।

55. पंचायत समितियों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध धन राशियों के मनमाने व पक्षपातपूर्ण ढंग से उपयोग पर चर्चा के लिए।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

56. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में पक्के कार्य कराने हेतु अकाल राहत कार्यों में 25 प्रतिशत सामग्री राशि को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. गांवों में पेयजल हेतु टंकियों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत श्मशानघाटों एवं कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामों में सीमेन्ट की सड़कें एवं नालियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. सामुदायिक विकास की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

2. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में बी.डी.पी. योजना व अन्य योजनाओं में राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

3. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा भौतिक सत्यापन अंकेक्षण की प्रभावी आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

4. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सामुदायिक विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा सामुदायिक योजनाओं में रूचि नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सामुदायिक विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

6. पंचायत समितियों में कार्यभार के अनुसार कर्मचारी नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. पंचायत समितियों के प्रस्तावों पर अन्य सरकारी स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाने पर चर्चा के लिए।

8. पंचायत समितियों की बैठकों में स्थानीय व जिला स्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. ग्राम सेवकों के पदों पर पंचायत राज की सेवाओं के बाहर के व्यक्तियों को पदस्थापित करने के कारण हो रही असुविधाओं पर चर्चा के लिए।

10. ग्राम पंचायत कालवा पंचायत समिति मकराना जिला नागौर में कार्यरत ग्राम सेवक द्वारा एक भूतपूर्व सैनिक को नकले नहीं देने एवं उनकी कई शिकायतें होने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

11. पंचायती राज को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

12. परियोजना निर्देशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने से जिला परिषद का महत्व घटने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

13. जिला परिषद के सदस्यों व पंचायत समिति के सदस्यों की सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में घोर उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

14. पंचायत राज संस्थाओं को सामुदायिक विकास हेतु आबंटित धन राशि कम होने के कारण विकास कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

15. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

16. जैसलमेर जिले की विस्तृत क्षेत्र व उपनिवेशन क्षेत्र में नयी पंचायत समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

17. विधान सभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ एवं अरनोद तहसील के जनजाति बहुल गांवों में सामुदायिक भवन बनवा कर सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

18. वार्ड सभाओं तथा ग्राम सभाओं द्वारा विकास योजनाएं बनाने तथा उनकी क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

19. ग्राम सभाओं तथा वार्ड सभाओं के आयोजनों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. पंचायत राज संस्थाओं के संवैधानिक अधिकारों तथा कर्तव्यों पर हो रही दखल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा को वापस लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

22. भूमिहीन, पक्का भवन विहीन को इन्दिरा आवास में चयन नहीं कर, भूमिधारी एवं पक्के मकान मालिकों को चयनित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. तहसील मुख्यालय या पंचायत क्षेत्र में समर्थन मूल्य की दुकानें अतिशीघ्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि पीड़ित परिवारों के लिए पक्के आवासीय मकान निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. ग्राम पंचायतों को 50 हजार रुपये तक के मूल्यांकन न कराये जाने पर ग्राम सभा की कार्यवाही में ग्रुप सचिव द्वारा लिखवा कर बिना ग्राम सभा के सदस्यों को बताये राशि का उपभोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. ग्राम पंचायतों या चीनी डीलरों को अनाथ व्यक्तियों हेतु दो बोरी गेहूं आदेश जारी होने के उपरान्त भी मौके पर अनाज उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

27. प्रदेश के जिला प्रमुखों, प्रधानों व सरपंचों के विरुद्ध गबन व अनियमितताओं के मामले लम्बे समय तक नहीं निबटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्यों को कोई अधिकार और शक्ति मुहैया नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 28 एवं 41 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 28 और 41 पंचायत और ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम के तहत जो मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, इसका समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज ढांचे में जो व्यवस्थाएं की गयी हैं, वह सराहनीय है।

श्री सभापति : विराजो अब।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : XXX

श्री सभापति : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के तहत मैं अपने विचार सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पंचायत राज मंत्री ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत जितनी भी स्कूलें थीं वे करीब-करीब बना दीं, उसके लिए गांव में एक खुशी का इजहार हुआ है। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : XXX

डा. (श्रीमती) कमला : XXX

श्री अमीन खान : ग्रामीण लोगों के विकास की समस्याओं के प्रस्ताव के जरिये ग्राम विकास...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री अमीन खान : ...और उसमें हर कमजोर से कमजोर व्यक्ति का, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति को विकास से जोड़ करके एक सराहनीय कार्य किया है उसके लिए हम सदन में सरकार के प्रोग्राम की तारीफ करते हैं। (व्यवधान) और हजारों लाखों लोगों को इससे लाभ से जोड़ा गया है। इसके साथ ही मैं यह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में पुराने जमाने में मामूली जिम्मेदारी के कार्य थे और आज पंचायत समितियों में बहुत ज्यादा डवलपमेंट के वर्क भी हैं...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमीन खान : ...मिडल स्कूलें आने के कारण से और दूसरे आयुर्वेदिक और मेडिकल व्यवस्था को भी पंचायत राज विभाग को देने से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अमीन खान : ...इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ी है इसलिए मेरा इस मामले में सुझाव है कि भविष्य में धीरे-धीरे इन संस्थाओं को मजबूत करे। (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 2 बज कर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.13 बजे से 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पुनः समवेत होने पर

(14.30 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

मांग संख्या 28 एवं 41 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, मांग संख्या 28 और 41 पर आज जो इस विषय पर चर्चा होने के लिए मंत्रीजी ने यह मांग पेश की है मैं इनका समर्थन करते हुए मेरे विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, सामुदायिक विकास के तहत...

स्पष्टीकरण

श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रतन लाल ताम्बी : स्पष्ट तो करने दो। बीच में बैठा दिया हल्ले में। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा लड़का नरेन्द्र कुमार, रतन लाल ताम्बी निवासी जहाजपुर है। उसने किसी ए.डी.एम., एस.डी.ओ. के यहां जाकर कभी अलाटमेंट का फार्म नहीं भरा, उसके दस्तखत नहीं हैं, उसको नोटिस पहले ए.डी.एम. ने दिया था, जवाब दे दिया, उसके बाद नौ व्यक्तियों को जो नाजायज अलाटमेंट बताया जा रहा है, उसमें मेरे व्यक्तियों को कोई नोटिस नहीं मिला, लड़के को, इसलिए मेरा कोई लड़का इस अलाटमेंट में कोई न शामिल है और न वहां कोई अलाटमेंट हुआ, न कोई कब्जा, न जमीन। यह सारा दूसरा वहां का व्यक्ति है नरेन्द्र कुमार, उसके नाम से यह की जा रही है और मैं इन सारी बातों का पहले भी खण्डन कर चुका और जांच रिपोर्ट में भी मैंने जो बात कही है उसका मैं खण्डन करता हूं।

मांग संख्या 28 एवं 41 पर विचार

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान : सभापति महोदय, सामुदायिक विकास के संस्थान, जो पंचायती राज के तहत ग्रामीणों के विशेष कार्यक्रम संगठन के तहत जो डवलपमेंट

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमीन खान)

का काम कराया जा रहा है उसमें बहुत अच्छे गांव की जनता से चुने हुए वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, इनको डाइरेक्ट इन्वोल्व किया गया है, यह एक सरकार का बड़ा सफ़लतापूर्ण कदम है जो सराहनीय है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जिस टाइम पहले गठन हुआ था उस टाइम इने-गिनें अध्यापकों का काम था और विकास कार्यक्रमों में बहुत मामूली धनराशि आती थी और एक हजार रुपये स्कूल के अनुदान के रुप में मिलते थे। आज एक-एक पंचायत में चाहे अकाल राहत के कार्यक्रम के हिसाब से हो, चाहे ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से हो, एक-एक पंचायत में कम से कम सालाना दस लाख, पन्द्रह लाख और बीस-बीस लाख का कार्य होता है। इतना जब डवलपमेंट का कार्यक्रम चलता है पंचायतों के माध्यम से तो बहुत इस पर विचार सरकार को करना चाहिए, विकास अधिकारी की पोस्ट किसी भी सूरत में आर.ए.एस. से नीचे योग्य आदमी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पंचायत समितियों में शुरू-शुरू में जब अपन ने पंचायत समिति बनाई थी, उस टाइम पंचायत समितियों में मास्टर भी नाममात्र के, गिनती के थे। आज मिडल स्कूल पंचायत समितियों के अंदर आ गई, राजीव गांधी पाठशालाएं पंचायत समिति के अन्दर आ गई, शिक्षाकर्मी पंचायत समिति के अन्दर आ गई और यह प्राइमरी स्कूलें पंचायत समिति के अन्दर आ गई, इसके अलावा यह आयुर्वेद और सब सेंटर इत्यादि जो बहुत बड़ा एक अमला है इसका अफसर वेटेरिनरी से या एस.डी.आई. से होकर के या पंचायत प्रसार कोई भी किस्म के अधिकारी के रूप में प्रमोशन करके अपन अगर लगाते हैं, वह धीरे-धीरे जो आप लगाने की पद्धति करते हैं वह उचित नहीं है। क्योंकि इसमें फिर वह राजनीतिक प्रेशर पड़ने आता है। जिस समय पंचायत समितियों में आर.ए.एस. आया, हटाओ, फलां डाक्टर अपना मिलने वाला है उसको लगा दो, उसको लगा दो। मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस तरफ एक मुकम्मिल तैयार करके 237 पंचायत समितियों में विकास अधिकारी आर.ए.एस. कैडर का होना चाहिए अन्यथा यह करोड़ों रुपये के विकास की योजनाएं जो अपन ने मामूली ज्ञान वाले आदमी के अधीन दी है, इससे पब्लिक को एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है।

जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कई मैंने हमारे यहां स्कूलें देखी हैं, पंचायतों ने स्कूलें बनाई, स्कूलें गिर गई। स्कूल के मास्टरों के क्वार्टर बनाये, वह गिर गये और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे तो बेहतरीन, मैं तो हमेशा डी.आर.डी.ए. में हमारे कलक्टर

(श्री अमीन खान)

को भी कई बार कहता हूं कि ज्यादा अमाउंट के काम मेहरबानी करके पी.डब्ल्यू.डी. को दें। हम यह नहीं कहते कि एजेंसी हरेक में, जो यह परसेंटेज पैसा खाने का धन्धा है, यह तो किसी एजेंसी या जात का, स्थान का, ईमानदारी और बेईमानी का अपन कह नहीं सकते। लेकिन सरकारी एजेंसी का मैंने इसलिए कहा कि कम से कम इंजीनियर सरकार का जो नौकर होता है उसको यह डर होता है कि हमारा काम किसी को पंसद नहीं आया तो कम से कम तबादला यह करा सकता है या हमारा इन्क्रीमेंट रुक जायेगा या हमें सस्पैण्ड कर देंगे तो इसलिए वह काम की गुणवत्ता का अच्छा ध्यान रखता है। पंचायतों का अब जैसे एक एस.डी.आई. लग गया विकास अधिकारी और इंजीनियरिंग लाइन का उसको काम दिया गया, सभापति महोदय, एक आम आदमी भी इसको अच्छा सिस्टम नहीं मानता है। इसलिए मेरी इसमें राय है कि मेहरबानी करके अच्छे आर.ए.एस. कैडर के विकास अधिकारियों का इंतजाम किया जाय तो यह ग्रामीण पंचायती राज को ताकत मिलेगी।

इसके साथ ही मैं इस पंचायती राज के बारे में यह भी कहना चाहता हू कि हमारे यहां पाकिस्तान की सीमा लगती है और पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए जो विकास खण्ड हैं, उनको भारत सरकार ने इस नीयत से एक बी.ए.डी. प्रोग्राम दिया है और बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम में करोड़ों रुपया सालाना आते हैं और भारत सरकार की मंशा यह है कि पाकिस्तान से लगता हुआ सीमावर्ती एरिया रेगिस्तानी है और हर चीज की वहां असुविधा है। असुविधा के कारण वहां के लोग जागरूक नहीं हैं। वहां अच्छा कोई मास्टर जाने के लिए तैयार नहीं, वहां कोई अच्छा डाक्टर जाने के लिए तैयार नहीं; वहां कोई अच्छा थानेदार जाने के लिए तैयार नहीं और वहां कोई नर्स जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अच्छे मास्टर वहां रहे जम कर, नर्स वहां रहे, डाक्टर वहां रहे और अच्छे अफसर भी वहां आराम से रहे, इस नीयत से भारत सरकार ने यह बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया है। और उसमें साफ़ आदेश है कि पाकिस्तान की सीमा से लेकर अन्दर पचास किलोमीटर के एरिया में यह विकास किया जायेगा। जबकि, सभापति महोदय, इसमें भी पोलमपोल चला देते हैं, इसमें भी जिसकी लाठी उसकी भैंस चल जाती है। नगर पालिका का कोई भी एरिया, नगर परिषद के एरिया में यह पैसा एक भी खर्च नहीं कर सकते और यह भारत सरकार की गाइडलाइन्स के खिलाफ नगरपालिकाओं में और शहरी एरिया में भी वह पैसा खर्च करते हैं।

सभापति महोदय, मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करूंगा, कानून ज्यादा आप जानते

(श्री अमीन खान)

हैं, पढ़े-लिखे ज्यादा आप हैं। लेकिन अगर ग्राम के, सीमा के, गरीब आदमी के, ढाणी के विकास के लिए यह पैसा है तो मेहरबानी करके यह पैसा शहर में आप लगने नहीं दे, इसकी गाइड लाइन्स आपकी स्पेशली एक लागू होनी चाहिए। मैं, सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं, हमारे जिले में चार विकास खण्ड बी.ए.डी.पी. में आते हैं लेकिन वहां के जिला विकास अभिकरण ने कुछ शिवाना में पैसा लगा दिया, पायतू में पैसा लगा दिया, कल्याणपुर में थाना बना दिया और इसके साथ-साथ सरकारी अफसरों ने अपने बंगले, क्वार्टर्स भी वहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बना दिये। इस बारे में, मंत्रीजी, आप बहुत सजग आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। हमारा एक ही निवेदन है कि भारत सरकार ने जिस नीयत से, जिन लोगों की सुविधा के लिए यह पैसे की व्यवस्था की है, उन्हीं पर यह पैसा लगना चाहिए यह मेरा सुझाव है। मुझे उम्मीद है कि इसको आप लागू करेंगे। अगर मान लो लागू नहीं करेंगे तो मैंने, सभापति महोदय, यह भी देखा मैंने दोनों बार के शासकीय परिषद् की मीटिंगों में मेरा यह प्रस्ताव रखा था। मैं अकेला पड़ गया और मेजोरिटी से तय हो गया कि नहीं-नहीं होने दो। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने किस गांव के लिए पैसा दिया और किस जगह आप मौज आराम करने के लिए लेते हैं। आप जीपें खरीदते हमारे सीमावर्ती पुलिस थाने जितने भी हैं उनमें जितनी भी गाड़ियां हैं वह सिवाय धक्के के स्टार्ट नहीं होती हैं। और वह जिप्सियां खरीद कर या तो ए.डी.एम. के पास रहती है या एस.पी. के पास रहती है, या जिला कलक्टर के एक तो कार है और दूसरी उसके गैराज में रहती है। सीमावर्ती विकास अधिकारी के पास यह गाड़ी नहीं पहुंची है। सीमावर्ती पुलिस स्टेशन की सुविधा के लिए यह गाड़ी नहीं पहुंचती है। इसमें मेरी राय है कि या तो गाड़ियों को खरीदने के लिए मना कर दो। अगर मना नहीं कर सके तो जिस सीमावर्ती एरिये के लिए यह गाड़ी दी जाए, उन्हीं को उपयोग करने के लिए गाड़ी की इजाजत दी जाए नहीं तो यह तो पोलमपोल है, अच्छा सिस्टम नहीं है। गरीबों के हित में और सीमा सुरक्षा के हित में भी ये मामला मैं नहीं मानता हूं।

इसके साथ-साथ मंत्रीजी आपने पंचायतों की वार्ड सभाओं की व्यवस्था की। आपने पंचायतों की आम सभाओं की व्यवस्था की। आपने पंचायत राज के लोकतंत्र के हिसाब से आम लोगों की राय से हर काम पेश आवे और उस पर विकास का रास्ता चले ये तो सिस्टम आपने अच्छा किया। हम आपको इस बारे में धन्यवाद देते हैं लेकिन इसमें आप

(श्री अमीन खान)

हमारी भी बात कुछ सुने अच्छे से अच्छा आदमी यानी विद्वान से विद्वान आदमी जिनके पास काम का बहुत बड़ा लोड होता है, को करने में कहीं न कहीं कमी रहती है और कमी दुरूस्त करना कोई आदमी की नाकाबलीयत नहीं मानी जाती है उस आदमी की काबलीयत मानी जाती है। यहां अपनी कमी हुई तो उसको दुरूस्त करें और लकीर के फकीर बन करके एक हमने जो किया सो खुदा ने किया इसको चेंज करना हमारी कमजोरी या बेअक्लाई मानी जाएगी ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैंने पहले भी निवेदन किया था ग्राम सभा का हिन्दी में अर्थ है गांव की सभा अब उसमें वार्ड सभा कर दी। वार्ड सभा में आप हमको पूछो कि तकलीफ क्या है। तकलीफ साहब यह है कि मेरी पंचायत का ही मैं उदाहरण देता हूं उसमें 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में मेरे गांव देतानी में 6 वार्ड हैं। मेरे गांव में ही छह सभाएं हम कतई पसन्द नहीं करते, छह जगह विभाजित करें गांव को पाड़े में या कोई पाड़े में अलग-अलग जाति के हिसाब से सभाएं हो जाएं हमारे गांव की बुनियादी पीढ़ियों से रसूक और गांव का मेलजोल इन सभाओं से टूटते हैं। ग्राम सभा के नाम से आप नीचे से नीचे जाओ वार्ड में मत जाओ क्योंकि ग्राम में आबादी किसी में मान लो जैसा मैंने कहा मेरे गांव में 6 वार्ड हैं किसी गांव की आबादी कम है तो उसमें एक भी वार्ड नहीं होगा लेकिन उसकी भी ग्राम सभा करा दो और ग्राम सभा का अर्थ ही गांव की सभा वार्ड की सभा का उसमें लेंग्वेज कहीं नहीं है तो मेहरबानी कर एक तो आइन्दा ग्राम सभा और पंचायत की आम सभा तक ही रखो तो गांव में झगड़े नहीं होंगे, गांवों का वातावरण अच्छा रहेगा, गांव के विकास के सुझाव भी एकता के रूप में और अच्छे रूप में आएंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है। ये जितने भी ग्राम सेवक बनाये गये, ग्राम सेवकों को अमूमन अभी तक भी ये पता नहीं है कि हम पंचायतों के सेक्रेटरी हैं या पंचायत के अफसर हैं इनको भी एक अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इनको नसीयत मिलनी चाहिए। इसकी व्यवस्था हो कि वह महसूस करें कि हम पंचायत के सेक्रेटरी हैं ताकि पंचायत और सरपंच का काम एक अफसर और एक सैक्रेटरी के रूप में चलना चाहिए।

दूसरा, इसमें मैं एक बड़ी खामी महसूस करता हूं। पुराने अपने पंचायत एक्ट में यह व्यवस्था थी कि सरपंच का कोई भी उम्मीदवार हो हिन्दी पढ़ा-लिखा होना चाहिए। क्लास की तो शर्त नहीं थी वह बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। आज अंगूठा करने वाली औरत सरपंच बन गयी, अनपढ़ आदमी सरपंच बन गया, ऐसे सरपंचों की गांव में जहां एकता है वहां तो फर्जी भी गाड़ी चल रही है अगर गांव में शिकायत

(श्री अमीन खान)

करने वाला आदमी अगर पीछा कर दे तो सैकड़ों सरपंच फौजदारी मुकदमों में जेल चले जाएंगे। इनके दस्तखत सब पढ़े-लिखे चालाक, चतुर लोग फर्जी कर देते हैं। इसलिए आइन्दा कम से कम मेरे खयाल में जब अपन साक्षरता और पढ़ाई-लिखाई की जरूरत महसूस कर रहे हैं और देश पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है तो मेरा यह सुझाव है कि भविष्य में जोशीजी, आप कम से कम मैट्रिक पास के बिना सरपंच को खड़ा होने की अनुमति नहीं दें ताकि उससे पढ़े-लिखे लोग आएंगे और कम से कम पढ़े लिखे आदमी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरपंच इस युग में एक अच्छी प्रोगेस करेंगे और अगर वह नहीं हो सके तो चलो पुरानी जो व्यवस्था थी कि कम से कम हिन्दी पढ़ने-लिखने का ज्ञान हो उसके बिना ये अंगूठा छाप के नोमीनेशन को पास कर देना इससे पंचायत राज को और ग्राम के लोगों को बहुत बड़ा धोखा मिल रहा है। एक धक्का लग रहा है। इससे पंचायत राज का मजाक होता है। पंचायत का सरपंच आज के युग में मैंने कहा कि साहब 10-20 लाख रुपये सालाना डवलपमेंट का काम होता है और कई दूसरे भी काम होते हैं और वहां एक औरत जो अनपढ़, मैं साहब एक तस्दीक कराने के लिए एक गावं गया। राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत एक ढाणी को आइडेंटीफाई कराना था। और ढाणी को आइडेंटीफाई कराने के लिए उस गांव में गया तो लोगों ने बताया कि फलानी ढाणी आइडेंटीफाइड नहीं है। तो मेरे साथ थैले में फार्म था उस फार्म पर सरपंच के दस्तखत कराओ फिर तहसीलदार, इंजीनियर का मैं करा देता हूं। तो वहां गये औरत के पास। तो वह औरत, साहब ईमानदारी की बात है, हाथ से यों कर दी।

श्री दिग्विजय सिंह : और के पास या सरपंच के पास?

श्री अमीन खान : नहीं वह औरत सरपंच है। तो वह हाथ से यों कर रही है तो मेरे साथ एक छोरा था। उसको पूछा कि यह क्या कह रही है? तो यह कह रही है कि मेरा आदमी घर पर नहीं है। वह नहीं आएगा तब तक मैं कोई दस्तखत, अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह की हरकत जो है ये चालाक ग्राम सेवक एईएन, जेइएन. फर्जी काम करेंगे। इसलिए आइंदा पंचायत राज में व्यवस्था हो कि कम से कम हिन्दी पढ़ा-लिखा आदमी हो उसका ही फार्म पास होना चाहिए जैसा पुराने एक्ट में था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब साहब जिस जमाने में 1959 में एक्ट बनाया तो उन्होंने सोचा कि बिना पढ़े-लिखे सरपंच से काम नहीं चलेगा और उसके बाद में अपन 30 साल के बाद फिर महसूस करते हैं कि अनपढ़ आदमी काम चला देंगे तो फिर पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। तो इस पर आप विचार करें। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं पंचायत...

श्री रामनारायण चौधरी : अमीन खान जी, पंच परमेश्वर।

श्री अमीन खान : हां, पंच परमेश्वर की कही न मैंने, साहब। अब साहब, एक बहुत बड़ी ग्रामीण लोगों की और कांग्रेसजनों की पीड़ा का सवाल है जो पिछली बार हमने उठाया था। और हमने 93 एम.एल.एज. कांग्रेस वालों के दस्तखत कराये और आपको पेश किया और आपने हां भरी दो बार। आपने एक्सरसाइज करायी और आखिर आपने कहा कि अब पुनर्गठन की जरूरत नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि उसमें त्रुटियां थीं और अभी भी आप, सरकार के आपके विभाग से मालूम कर ले। उन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन तो कराया सन् 1981 की जनगणना के आधार पर और जिला परिषद् और पंचायत समितियों के सर्कलों का जो परिसीमन किया सन् 1991 के अनुसार। तो साहब यह एक चुनाव हो, कोई भी और उसकी एक इकाई का तो आपने 81 के आधार पर गठन किया, एक इकाई का आपने 1991 की आबादी के ऊपर गठन किया। न्याय संगत बात नहीं थी, खैर, आपको समझ नहीं आई हो। जैसा था वैसा चुनाव हो गया लेकिन आइंदा ध्यान रखें। ढाई साल के बाद क्या होगा यह तो खुदा जाने। न तो अपने को कुछ पता न दूसरों को कुछ पता। जो होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन हमारी यह दरख्वास्त है कि सन् 2001 की आदम शुमारी के ऊपर आपको पंचायतों का पुनर्गठन करना चाहिये। हम यह बार-बार क्यों कहते हैं। हमें कोई ज्यादा सरपंच बनाने नहीं। हमें यह पीड़ा है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने कह खुदा जाने जो जाने, पर आप क्या जानते हो।

श्री अमीन खान : हम तो जानते हैं कि हम आयेंगे लेकिन जो जन मानस को परेशानी है उसको कतई मानी नहीं जायेगी तो हम न भी आ सके लेकिन हमारी बात मानी जायेगी तो लोग स्वागत करेंगे और हमें बल मिलेगा और हम आ भी जायेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे को पीड़ा यह है कि जैसे हमारे क्षेत्र में आज भी हमने अनआफिशिएली जनगणना के मेरी कांस्टीट्यूएंसी के प्रत्येक गांव के आंकड़े ले लिये। 2001 की जनगणना के अनुसार भी बी.जे.पी. ने ऐसी पंचायत बनाई है जो आज भी 1100 की आबादी पर है। यह मैंने इसलिए कहा कि जिन्होंने 700 पर पंचायतें बना दी तो दूसरे गांव को किस तरह से इन्होंने जोड़ा होगा, किस तरह से निकाला होगा। हम एम.एल.ए. बन गये, हमारी सरकार बन गई और हम आम लोगों को न्याय दिलाने की बात मनवा नहीं सकेंगे तो हम खुद मायूस होंगे। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि जायज बातों को जन मानस को, जन कांग्रेसी को पीड़ा जिन्होंने 8 साल में दी उस पीड़ा पर मरहम पट्टी करना आपका भी फर्ज है और उससे दवाई देना आपका फर्ज है। अन्यथा वह पीड़ित आदमी कीड़ा पड़कर भी मर जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दें। मैं नहीं कहता हूं कि कोई जल्दबाजी है। साल में, दो साल में

(श्री अमीन खान)

इसके लिए आप खुद हमारे बगैर प्रस्ताव के आप इसे पेश करेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं 101 एम.एल.ए. के दस्तखत करा के भी आपको पेश कर सकता हूं। मंत्रीजी, मैं सभापतिजी के मार्फत् बार-बार यह दरखास्त करता हूं यह पूरे राजस्थान की पीड़ा है। राजस्थान के गरीब और ग्रामीण लोगों की पीड़ा है इस पर आपको गौर करना चाहिये। मैंने जो बातें कहीं उसमें जो बातें आपको अच्छी लगे उन पर आपका अमल होना चाहिये। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, आज जिन दो मांगों पर विचार हो रहा है उसके संबंध में मैं संक्षेप में आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले मंत्री महोदय, जिस समय 1959 में पंचायत समितियां बनी थी उस समय पंचायत समितियों के पास कितना काम था और कितना स्टाफ था, यह आंकड़े आपके पास हैं आप उठा कर देखिए। उस समय जितना पंचायत समितियों के पास स्टाफ था, कर्मचारी और अधिकारी, उसके मुकाबले आज 20 परसेंट ही नहीं है और काम का अगर आप देखें तो कई गुणा अधिक काम पंचायत समितियों के पास है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्कूल के कमरे के लिए पंचायत समिति से एक हजार रुपये की सहायता मिलती थी और उसी साइज के कमरे के लिए आज 1 लाख 35 हजार रुपये मिल रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे जितने भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रम आज हैं उतने पहले नहीं थे। रही-सही कसर आपकी मीटिंग निकाल देती है। कलक्टर महीने में 10 दिन विकास अधिकार को अपने यहां बुला लेता है और कलक्टर के अलावा जिला विकास अभिकरण वाले बुला लेते हैं।

(14.55 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

काम बढ़ गया 100 गुणा और उससे भी ज्यादा 500 गुणा यह मीटिंग बढ़ गईं। हर मीटिंग में विकास अधिकारी को जाना जरूरी है और वह कलक्टर की डांट खा कर दो दिन में ठीक हो तब तक फिर वापस बुला लेता है। अगर इंफार्मेशन लेनी है तो दूसरे साधन भी हैं। विकास अधिकारी को बार-बार बुलाकर उसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है, इसके बारे में आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये। जैसा कि पंचायत राज अधिनियम में पंचायत समिति में कलक्टर का जितना-सा हस्तक्षेप है उससे ज्यादा हस्तक्षेप आपको नहीं करने देना चाहिये। और इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को जो एक्ट से बनी है, इनमें और गवर्नमेंट विभाग में कलक्टर के वहां कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से वह तहसीलदार को डील करता है। उसी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

प्रकार से विकास अधिकार को डील करता है तो वह काम क्या करेगा और उसको यह भी मालूम नहीं है कि पंचायत समिति एक एक्ट से बनी हुई है। और वह गवर्नमेंट विभाग की तरह ही उसको डील करेंगे तो पंचायती राज संस्था जिसको आप मजबूत बनाना चाहते हैं वह क्या मजबूत बनेगी? इसलिए आपको मेरा निवेदन है कि एक तो स्टाफ बढ़ाइए, वर्क लोड के हिसाब से आपको स्टाफ बढ़ाना चाहिये और एक कलक्टर का हस्तक्षेप पंचायती राज अधिनियम में जितना है उससे आगे आपको नहीं करने देना चाहिये।

इसके अलावा आज आपने ग्राम सेवक लगा दिये। पटवारी की ट्रेनिंग करके आया और उसका सलेक्शन मात्र ट्रेनिंग के लिए हुआ था सर्विस के लिए नहीं हुआ था, उनको आपने पंचायतों में ग्राम सेवक लगा दिये। ग्राम सेवक को आपने अधिकार इतना दे दिया कि सारा पंचायत का रिकार्ड उसके पास रहेगा। बैंक से पैसे उठायेगा तो भी वह सरपंच के साथ रहेंगा, दस्तखत करेगा और बैंक से पैसे लायेगा। 1200 रुपये का आदमी जिसकी कोई सर्विस नहीं है उसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर आप क्या करवाना चाहते हैं, यह भी कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, साधन नहीं हैं तो पहले की तरह आप 2-2, 3-3 पंचायतों में ग्राम सेवक रखते थे वैसे ग्राम सेवक रखिये ताकि वह पंचायत समिति की सर्विस का होगा तो उसकी कोई जिम्मेदारी तो होगी। आज किसी की जिम्मेदारी नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी के चुंगी के स्टाफ को आपने ग्राम सेवक बना दिया। तनख्वाह लेने वह म्यूनिसिपैलिटी में जाता है। उन पर क्या नियन्त्रण है विभाग का, कोई लेना-देना नहीं है। उनको तनख्वाह भी आप नहीं दे रहे हो। तनख्वाह दे रही है म्यूनिसिपैलिटी। उसको लगा रखा है कहीं और, तनख्वाह लेने वह जिस म्यूनिसिपैलिटी में पहले था वहां जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था कर के आप पंचायती राज के साथ खिलवाड़ नहीं करें।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि पंचायती राज संस्थाएं और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की जो आडिट हो रही है उनकी अनुपालना आज की तारीख में बिलकुल बंद हो गई है। पुराने टाइम में इनकी अनुपालना होती थी। विभाग की तरफ से एक समयबद्ध प्रोग्राम होता था कि इस तारीख तक आपको यह अनुपालना जिले में भेजनी है, जिले से यहां भेजनी है। आज की तारीख में कोई देखने वाला नहीं है। वह पोथे बंधें हुए पड़े हैं, कोई देखता नहीं है इसको। अगर इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है तो आप इन संस्थाओं का करोड़ों रुपया क्यों खर्च करवा रहे हो? आज आपको पता है कि आडिट में कितनी फीस जमा करानी पड़ती

(श्री हरजीराम बुरड़क)

है और उसका आप कोई उपयोग नहीं ले रहे हो। इसी प्रकार से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की जितनी भी आडिट रिपोर्ट है उसमें किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देकर जो पुरानी व्यवस्था थी, जिस समय यह लोकल फण्ड आडिट चालू हुआ ग्राम पंचायतों में, उस समय जो व्यवस्था थी और जितने समय तक चली उसी हिसाब से इसको वापस चलाना चाहिये। नहीं तो आपको इसको बंद कर देना चाहिये।

(15.00 बजे)

इसी प्रकार से पंचायत समितियां 1959 में बनी थीं। उस समय मैं प्रधान था और उसके बाद में भी 2-3 बार प्रधान रहा हूं। पंचायत समितियों की मीटिंग में जिला लेवल तक के अधिकारी आते थे और यह व्यवस्था एक्ट में उस समय थी आज भी है। लेकिन आज तहसील लेवल का अधिकारी भी पंचायत समिति की मीटिंग में नहीं आता है। आप इसकी जांच करा लें। कितनी ही बार विकास अधिकारी को चाहे लिख दो, पंचायत समिति में प्रस्ताव पास कर दो वह मीटिंग अटैंड करने के लिए नहीं आते। और कभी आ भी गए और नहीं आए तो भी पंचायत समिति की तरफ से उसके विभाग से संबंधित जो भी प्रस्ताव होते हैं उनको अनुपालना के लिए भेजा जाता है। लेकिन आज तक कोई भी तहसील लेवल, जिला लेवल का अधिकारी पंचायत समिति की मीटिंग की प्रोसिडिंग्स के बारे में जो उनके विभाग से संबंधित है, उसका किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो पंचायत संस्थाओं की जो उपयोगिता थी वह तो खतम होती जा रही है और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम इनको मजबूत बना रहे हैं। आप अगर इनको गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो व्यवस्था, 65 से पहले पंचायत समितियों संस्थाओं की स्थिति थी वह आज नहीं है, उससे चौथाई भी नहीं है। उससे आपने इनका काम तो बहुत बढ़ा दिया लेकिन इनकी उपयोगिता जितनी होनी चाहिए थी वह आज नहीं हो रही है। इसके लिए आपको कोई न कोई प्रयत्न करना चाहिए और पुरानी व्यवस्था को आपको देखकर उसमें जो भी अच्छाई हो वह आपको लागू करनी चाहिए।

इसी प्रकार से ग्रामीण विकास में आपने 'अपना गांव अपना काम' योजना शुरू की और उस योजना को चालू किए करीब 10 साल हो गए होंगे। इसका जो प्रोसिजर बनाया वह इसलिए बनाया कि जितनी आप अमाउंट अलाट करते हो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हो, उससे ज्यादा राशि के कार्य स्वीकृत करते थे क्योंकि अगर बराबरी करे तो वह कार्य समय पर पूरा नहीं हो तो राशि खर्च नहीं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

होती थी। जब आपने यकायक उसमें अलाटमेंट बंद कर दिया। कई संस्थाएं जिन्होंने कार्य पूर्ण करवा दिए, उनको राज्य सरकार से जो सहायता देनी थी उनका भुगतान नहीं हो रहा है, दो-दो, तीन-तीन साल से वह कार्य भुगतान के लिए रहे हैं। इसी प्रकार से जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। या तो आप उस योजना में उन कार्यों को पूरा कराये या दूसरी जो आपकी योजनाएं हैं उनमें उन योजनाओं को पहले सम्मिलित करे जो कार्य आज की तारीख में अधूरे पड़े हैं।

आपने जिला परिषदों को कई योजनाएं हस्तान्तरित कर दी और उन योजनाओं में आपने साल भर में बजट में पैसे, इस साल में रखा है 1000 पूरे राजस्थान के लिए, जिला परिषद योजना का क्या करेगी? यह योजना जो अभी मैं जिक्र कर रहा हूं 'अपना गांव अपना काम योजना' इस साल के बजट में कितने पैसे हैं? 1000 रुपये राजस्थान के लिए वह जिला परिषद् क्या करेगी उस योजना का?

इसी प्रकार से दूसरी कई योजनाएं भी ऐसी हैं जो जिला परिषद को आपने सौंप दीं और उनमें पैसे हैं नहीं। अब जिला परिषद को आपने योजना सौंपी जो योजना पहले डी.आर.डी.ए. के पास था तो उन योजनाओं का जो स्टाफ था वह तो आपको जिला परिषदों को सौंपना चाहिए था। आज की तारीख में जिला परिषद के पास भी पंचायत समिति की तरह ही स्टाफ की कमी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो योजना आपने जिला परिषद को सौंपी है और उस योजना से संबंधित कर्मचारी जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में थे उनको आप जिला परिषद को सौंपिये।

अब आपने जिला प्रमुख को अध्यक्ष बना दिया जिला ग्रामीण अभिकरण का। वह आकर के बैठ कर चला जाए, उठ कर चला जाए इसके सिवाय उसको कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी एक मीटिंग में गया था, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मीटिंग हुई तो प्रमुख जी को सीट पर बैठा दिया। लगातार ही दूसरी मीटिंग भी थी उसमें अध्यक्ष कलक्टर थे, तो कलक्टर ने कहा कि प्रमुख जी आप इधर बैठो, मैं इधर बैठूंगा। तो इस तरह की कार्यवाही करके आपने सिर्फ यह भ्रम पैदा किया, ज़िला परिषद के प्रमुख को सिवाय अध्यक्षता करने के आपने कोई अधिकार नहीं दिए। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था। आपकी मंशा क्या थी यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको या तो आपने गहराई से देखा नहीं है। उसमें जिला ग्रामीण अभिकरण का चेयरमैन पहले

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कलक्टर था लेकिन आज वह कार्यकारी अधिकारी होते हुए भी उसकी शक्ति उससे दुगनी हो गई। पहले विधान में यह था कि गवर्निंग बाडी का जो फैसला होगा वह उसकी क्रियान्विति होगी और कलक्टर उसको मानेगा। आज की तारीख में आपने जो अमेंडमेंट किया उसमें यह है कि गवर्निंग काउंसिल के प्रस्ताव को कलक्टर माने या नहीं माने। अगर वह नहीं माने तो गवर्नमेंट को रेफर कर देगा, यह पहले उनको नहीं था। आज आपने प्रमुख को अध्यक्ष बना दिया लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं दिया। अगर आप उनको अध्यक्ष रखना चाहते हैं तो कोई न कोई अधिकार या नियंत्रण उनका होना चाहिए वरना एक हास्यास्पद स्थिति जिला प्रमुखों की आपने बनाई है।

दूसरा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के जो कर्मचारी हैं, आज पूरे राज्य में हजारों होंगे। इन्होंने कई बार आंदोलन किया, कई बार आपने समझौता वार्ताएं कीं। उनकी पालना कहां तक हुई, कहां नहीं हुई यह मैं नहीं कह सकता लेकिन आपको इनको या तो पंचायत राज संस्थाओं में जो अधिकार जिला परिषद को दे दिए उनको तो जिला परिषद की सेवाओं में समायोजित कर लो और दूसरे को आपके पास बचते हैं उनको किसी न किसी प्रकार की सेवाएं तो आपको रेगूलराइज करनी चाहिए। आप जानते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की आज कानूनी पोजीशन क्या है। एक सहकारी रजिस्टर्ड संस्था है जैसे गांवों में कोई नवयुवक मण्डल या और कोई होता है उसी प्रकार की कानूनी स्थिति है। तो उन कर्मचारियों की सेवाओं की गारन्टी के बारे में आपको इस संबंध में कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

इसके अलावा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि विकास अधिकारी आर.ए.एस. कैडर का होना चाहिए, मेरा सुझाव यह है कि इसका तो कैडर ही आपको अलग बनाना चाहिए। यह कोई 10-20 अधिकारी नहीं हैं जो कभी आप इनको डेपूटेशन पर लगा दो या और लगा दो। यह चर्चा कई बार चली है, सरकार ने जहां तक मेरी जानकारी है, इस पर कभी विचार भी नहीं किया है। आज इतनी बड़ी संख्या पंचायत समितियों की है तो आपको विकास अधिकारी का अलग से कैडर स्थापित करके, इस विभाग से संबंधित जो रूचि वाले व्यक्ति हैं उनका चयन करके विकास अधिकारी लगाना चाहिए। आज आप आर.एस.एस. लगा दोगे उनको पसंद नहीं आया वह ट्रान्सफर कराके दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा। यह पंचायत राज व्यवस्था या पंचायत राज का काम ऐसा है कि रेगूलर इसमें लगा रहे, उसकी जानकारी हो इसी हिसाब से अधिकारी अगर हो तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तीसरा, एक निवेदन मेरा और है, जैसे पंचायत समितियों के पास प्राइमरी एजूकेशन थी, आपने कहा तो यह है कि 73वें संशोधन में यह हो गया और वह हो गया लेकिन आज की तारीख में हुआ उलटा है। पंचायत समितियों का स्टाफ, मास्टर, ग्राम सेवक, बाबू पंचायत एक्ट के अनुसार उनकी सेवाएं पंचायत राज संस्थाओं की हैं, अपाइंटिंग अथारिटी पंचायत समिति है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार भी पंचायत समितियों को है। इनके सलेक्शन के लिए अलग से एक्ट में कमेटी बनी हुई है लेकिन आपने एक आदेश उन पर विकास अधिकारी का नियंत्रण नहीं होगा, फलां नहीं होगा, बी.ओ. करेगा, ऐसा जो आदेश निकाला है यह मेरे हिसाब से सही नहीं है। इनकी सेवाओं को जो एक्ट के अनुसार उनकी सेवाएं हैं दूसरी जितनी भी राज्य सेवाएं हैं वे सब नियम से हैं, लेकिन इनकी एक्ट के अनुसार बनी सेवाओं का एक आदेश से आपने परिवर्तन किया है मेरे हिसाब से यह सही नहीं है, इसको आपको देखना चाहिए।

इसके अलावा आपकी जो कल्पना, परिकल्पना जो आप कह रहे हो, वह ज्यादा फास्ट चल रही है। सर्कुलर ऐसा निकल जाता है कि अगले वाला पहुंचा नहीं, उससे पहले कई जगह तो वह जिला परिषद् तक पहुंचता है और विकास अधिकरियों के पास दूसरे वाला पहुंचता है। तो समझ में नहीं आता हैं कि कौनसे में संशोधन हुआ और कौनसे में नहीं हुआ। इसकी स्पीड आप थोड़ी धीरे करो।

इसके अलावा एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, इसका जनता ने बहुत बड़ा स्वागत किया। चाहे कोई विरोध करने वाले विरोध के लिए विरोध करते हों, वह एक अलग बात है। जहां तक पढ़ाई का सवाल है, दूसरी और तीसरी में कोई ऐसी हाई क्वालिफिकेशन का मास्टर हो, उसकी कोई जरूरत नहीं। यह 1200 रुपये वाला मास्टर आपके 10 हजार रुपये वालों से ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा पढ़ाई कराते हैं, ज्यादा टाइम तक वहां रहते हैं।

आपने यह जो वार्ड सभा शुरू की है और आज की तारीख में ऐसा जोर दे दिया कि सारा कल्याण इस वार्ड सभा से ही होना है। इस वार्ड सभा और राजीव गांधी पाठशालाओं को आप एक समान देख रहे हैं तो जिस काम का स्वागत हुआ उसका और इसमें कोई भी आपका कार्यकर्ता, कोई भी सरपंच, कोई भी कांग्रेसी अगर इसका स्वागत करता हो तब तो आपको इसको चलाना चाहिये। अब वार्ड की क्या सभा होगी? एक भी आदमी आता नहीं है। अब आप जाओ या मुख्य मंत्रीजी जाओ तब तो लोगों को इक्ट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अचानक जाकर देख लो, किसी भी वार्ड सभा में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कोई नहीं जाता। आज की तारीख में जितनी भी वार्ड सभाएं हो रही हैं वह सब घर-घर में ज़ाकर दस्तखत कराते हैं उसमें प्रस्ताव पारित करेंगे योजना का। क्या योजना का प्रस्ताव पास करेंगे? दस घर इस गांव के हैं, बीस घर किसी दूसरे गांव के हैं। उनकी कहां तो वार्ड सभा होगी, कहां उसकी योजना होगी? इसलिए आपको इसको तुरन्त प्रभाव से बन्द कर देना चाहिये और अगर आपके समझ में नहीं है तो आप अपने हिसाब से सर्वे करवा लीजिए, अगर इसको कोई पसन्द करता हो। अगर पांच प्रतिशत जनता भी इसको पसन्द करे तब तो आप इसको चलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद आपका। माननीय श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : ओउम् स्वस्तिः। माननीय सभापति महोदय, अहम् सादरम् वन्दे। आज मैं मांग संख्या-41 जो ग्राम विकास कार्यक्रम के संबंध में है, इसके लिए किंचित निवेदयामी। माननीय सभापति महोदय, भारत गांवों में बसता है और आजादी के पूर्व गांवों की जो स्थिति थी, आज उसमें बदलाव आया, परिवर्तन आया, उसमें बहुत अन्तर है। पहले रियासतों का राज था और गांव के अंदर उनके छुटभाई राज करते थे। गांव में बसने वाले आदमी की अपनी कोई हैसियत नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे। मैं गत 57 सालों से इस सार्वजनिक जीवन में हूं। आजादी की वह लड़ाई भी मैंने देखी है और उसके बाद सरदार पटेल साहब ने रियासतों का एकीकरण किया और उसके बाद यह ज़ागीरी उन्मूलन हुआ। उसमें और इसमें इतना फर्क है कि अब कोई भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले आदमी को यह आदेश नहीं दे सकता कि कल सुबह सूरज मेरे गांव में नहीं उगना चाहिये। पहले यह स्थिति थी कि उस गांव का मालिक जब चाहे ग्रामवासी को बुलाकर यह कह देता कि कल मेरे गांव में सूरज नहीं उगना चाहिये। मेरी बला से कहीं भी जाओ, मेरा गांव छोड़ दो। आज ऐसा कोई नहीं कह सकता। हिन्दुस्तान का आदमी, हिन्दुस्तान के किसी भी क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से भ्रमण कर सकता है। चाहे जहां बस सकता है। आबाद हो सकता है। यह परिवर्तन आया। गांव में कहां स्कूल थी। आज ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सब लोग सड़कों की, पानी की, बिजली की, स्कूल की, यह सब मांग करते हैं। पूर्ति भी हो रही है। पहले न तो मांग करने की हालत थी, हिम्मत थी और न उनके पास साधन ही थे।

सभापति महोदय, कई दफे मैं एकान्त चिन्तन करता हूं और जीवन के पिछले 57

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

सालों की तरफ देखता हूं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे बुजुर्ग इतने समझदार थे फिर भी इस खारे पानी के अंदर आकर क्यों आबाद हुए। जहां न शिक्षा की व्यवस्था थी, न चिकित्सा की व्यवस्था थी, न पीने को मीठा पानी मिलता था। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि गांव में रहने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा जुड़ाव जो है वह जमीन का है। आजादी के वक्त में, सभापति महोदय, आपकी भी अहम भूमिका रही है। आपको स्मरण होगा कि हमने चिन्तन क्या किया था आज देश में हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने उस वक्त लोगों को यह कहा था कि जब देश आजाद होगा तो हम शोषणविहीन समाज की रचना करेंगे। यह हमारा उद्देश्य था। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज देश के अंदर सिद्धांतविहीन गठबन्धन हो रहा है। विभिन्न पार्टियों के न उद्देश्य मिलते हैं, न विचारधारा मिल रही है और न कार्यक्रम मिल रहे हैं। सबके भिन्न-भिन्न हैं। तदुपरान्त भी सिर्फ सत्ता का मोह और कुर्सी के लिए हम एक जगह हो जाते हैं। परिणाम क्या निकला? आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और देश की आन्तरिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं है।

अभी आपने कारगिल में देखा, बांग्लादेश वाला आपने देखा। बांग्लादेश हमारे गांव पर कब्जा कर ले, हम को पता ही नहीं पड़े। उधर पाकिस्तान की फौज हमारे क्षेत्र में घुस जाय और हमें सूचना ही नहीं। सभापति महोदय, सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली से हम सारे विश्व को जहां से शांति का संदेश देते हैं, उस दिल्ली के लाल किले में आतंकवादी घुस जाएं और हमारे नौजवानों को, हमारे सिपाहियों को, जो वहां रहते हैं, उनको गोली से मार दें और बिना गिरफ्तार हुए उस लाल किले से निकल जाएं तो इसको आप क्या समझोगे? जिस लाल किले में मिलिट्री है वहां रक्षा नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले व्यक्ति की क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है। यह सब दोष सिद्धान्तविहीन राजनीति के गठबंधन का दोष है।

मैं देश के परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहता हूं कि गांवों में पहले भी अपने ढंग से पंचायतें होती थीं और आज भी गांव में पंचायत की अपने ढंग की व्यवस्था है। मुझे मालूम है, पद यात्राओं में मैंने कोई बीसों ही प्राइमरी स्कूल उस वक्त खोलीं। एक गांव में खोल कर जाता और आगे दूसरे दिन दूसरे गांव में गया तो रात को सूचना मिलती कि थे बठै स्कूल खोलर आया, बे तो लक्कड़ रोप्या झका उखाड़ दिया। कोई बात नहीं, गांव का मालिक था, उसको पूछ कर किया था, उखाड़ दिया तो कोई बात नहीं फिर लगा

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

लेंगे। 7-8 दिन के बाद में जब वापस जाते थे, घणा, आपको पूछ करके, जगह मांग कर के स्कूल की स्थापना की थी। बोले, म्हारे जची कोनी। तो अब बता द्यो कठे जचे है थारे? जहां आपके जचेगी वहां बना देंगे। ऐसी स्थिति थी।

सभापति महोदय, आप इससे अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि उस भूमिका से आप निकले हैं। जब देश के अन्दर आजादी का माहौल हुआ, लोगों ने अपने आप को समझा, वहां गांवों में अब जहां एक प्राइमरी स्कूल नहीं थी वहां मिडल है, सैकण्डरी है, हायर सैकण्डरी है। बहुत परिवर्तन आया है।

श्री सभापति : आज कालेज है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सारा परिवर्तन आ गया। रस्सी, डोर से जो पानी निकालते थे, सभापति महोदय, मेरा स्वयं का निकाला हुआ है, आज बटन दबाते ही पाइप चालू हो गया, दो इंच का पाइप लगा, पानी फेंक दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : पंडितजी, पहले वहां तो ऐसे बोलना पड़ता था, अब यहां बटन दबाते ही सारे के सारे माइक चालू हो जाते हैं। परिवर्तन तो है ही।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जी, हां! विज्ञान है, यह विज्ञान की देन है। यह देन इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की है।

सभापति महोदय, आज हम अकाल से जूझ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति पर पड़ रहा है क्योंकि गांव में जो आदमी आबाद है उसकी आजीविका का जरिया कृषि है, पशुपालन है। आज बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया तो वहां सरकार को खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। बरसात नहीं हुई, उपज नहीं हुई तो, सभापति महोदय, चारे की कमी आ गयी तो पशु को बचाने के लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ी।

सभापति महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अकाल को विकास में परिवर्तन करने का प्रयास किया और एक ऐसी योजना बनायी कि प्रत्येक खेत के अन्दर कुण्ड का निर्माण किया जाय। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी लगभग 800 कुण्ड स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से करीबन 150-200 के आसपास कुछ तो बन गये, कुछ बन रहे हैं। गत 16 तारीख को मैं क्षेत्र में गया तो मैंने कुण्डों का निरीक्षण किया। एक कुण्ड खुद रही थी दूसरे गांव में गया तो वह कुण्ड तैयार हो गयी लेकिन पाइतन नहीं बना था। तीसरे, गांव में गया छावड़ी मीठी में तो, सभापति महोदय, वह कुण्ड बन कर तैयार हो गया। यह जो पिछली 11 तारीख से और 19 तारीख तक जो छांटा छींटा हुआ,

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

बूंदा-बांदी हुई, उससे उस कुण्ड में दो फुट पानी भी आ गया। सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है और मैं चाहता हूं कि इसको और विस्तार दिया जाय।

सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ता विद्वजनों ने जो इस मांग पर विचार किये हैं, उन बातों को मैं दोहराऊंगा तो नहीं लेकिन अभी जो योजनाएं चल रही हैं पंचायतों में कि पंच-सरपंच हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाय। यह बात सत्य है कि आपने जो रिजर्वेशन किया है कि इसमें महिला का निर्वाचन होगा, इसमें पुरुष का निर्वाचन होगा, इसमें हरिजन महिला होगी, इसमें ओ.बी.सी. की महिला होगी लेकिन मैंने एक शिवर अटैंड किया है, उसमें मैं उपस्थित हुआ हूं, महिलाओं में बड़ी जागृति आयी है।

महिलाएं मीटिंग में बैठी हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं, उनके हस्बैण्ड बाहर बैठे हैं। दिक्कत यह आ रही है कि आप कानून कायदे जो बना रहे हैं, वे इतनी शिक्षित महिलाएं नहीं हैं जिससे कि आपके कानून-कायदे वे पढ़ सकें। आप पैम्फलेट, पोस्टर बनाकर उनको दे देते हैं, फोटो तो देख लेती हैं लेकिन उस पैम्फलेट में आपका जो संदेश अंकित है उसको वह नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके लिए पंचायत राज मंत्रीजी ने यह शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम जो चलाया है उससे बहुत फायदा हुआ है। आप भी आते हैं, प्रतिनिधि भी जाते हैं और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनसे अवगत कराते हैं उसके बाद उनसे पूछते भी हैं। मैं तो एक गांव कुसुमदेसर में गया उस शिविर में, उस समय तो मैं उनकी कार्यवाही देखकर, उपस्थिति देखकर, मैं कोई सूचना पर नहीं गया, मुझे मालूम हुआ, अचानक ही गया, बहुत व्यवस्थित रूप से शिविर चल रहा था तो मुझे अनुभव हुआ कि गांधीजी का सपना साकार हो रहा है। जो कुछ पंचायत राज के सम्बन्ध में गांधीजी का चिन्तन और सोच था उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। एक बात शुरू-शुरू में यह आयी कि आजादी के बाद गांवों का पलायन शहरों की तरफ होने लग गया है। उसके कुछ कारण थे कि शहर के अन्दर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं और सुविधा थी वह गांव में नहीं थी। न गांव में कोई शिक्षा की व्यवस्था थी, न चिकित्सा की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था थी। इसलिए गांवों के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और सरकार ने समझा कि इस कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक है तो गांवों की तरफ सड़कें हो गयीं। पानी की भी व्यवस्था हुई है, की जा रही है और की जाएगी और स्कूल्स खुले हैं। लेकिन सरकार को एक बात के लिए सजग और सतर्क रहना पड़ेगा और वह यह है कि शिक्षित अधिकारीगण अशिक्षित और भोले-भाले लोगों को गुमराह न करे, उनका शोषण न करे। कुछ अधिकारी जो राष्ट्र की मूल धारा के साथ चल रहे हैं उनसे राष्ट्र को फायदा है और कुछ लोग अपने

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

मनमाने तरीके से चल रहे हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्र को नुकसान तो है ही पर राष्ट्र को भी नुकसान है। वे कानून की कोई परवाह नहीं करते, पानी वाला यह नहीं समझता कि मेरी जिम्मेदारी है ग्रामीण क्षेत्र में पानी पिलाना, शिक्षक यह नहीं समझता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, चिकित्सक और वैद्य को यह चिन्ता नहीं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैं गांव में रहूं, लोग वहां बीमार नहीं हों। लोग बीमार हों तो उनकी चिकित्सा करूं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक याद आ गया,

"य शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः,
न स सिद्धि न वापनोति न सुखं नं
परामगति।"

आप सब विद्वान आदमी हैं आप समझ गये होंगे। यह तो बिलकुल सरल है। "य शास्त्र विधि मुत्सृज्य" मतलब विधि, कानून, खेतसिंहजी। "विधि मुत्सृज्य" विधि छोड़ दे, कानून की अवहेलना कर दें। "वर्तते कामकारतः" अपने मन माफिक काम करने लग जाए। "न सिद्धि न वापलोति" उसे सिद्धि नहीं मिलती। "न सुखं" उसे सुख भी नहीं मिलता। "न परामगति" उसकी गति भी नहीं होती। तो जो विधि विधान को छोड़ कर अपने मनमाफिक कार्य करने लग जाता है और विधि को तोड़ देता है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाक्टर साहब, सुन रहे हो?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ...उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न गति होती है क्योंकि मन में डर रहता है कि कोई शिकायत कर देगा तो जांच आ जाएगी। कलक्टर साहब एक्शन ले लेंगे, मिनिस्टर साहब एक्शन ले लेंगे। यह डर रहता है। असलियत क्या है, प्राणी दूसरे पर दोषारोपण करता है, सभापति महोदय, असलियत यह है कि मानव अपने पाप से प्रकम्पित है। डर बाहर का नहीं है, वह अन्दर ही है। वह अपने पाप से प्रकम्पित है। वह दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके शांत होना चाहते हैं। मैंने यह गीता का श्लोक इसलिए कहा कि मुझे पीड़ा हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय जलदाय मंत्रीजी ने यह मांग की कि मई और जून दो महीने का समय पानी की दृष्टि से बहुत संकट का रहेगा। कृपया आप विधायकगण अपने कोटे से शेष राशि इस कार्य के लिए दें। बहुत अच्छा सुझाव था, सभापति महोदय, चूंकि मेरे क्षेत्र का दक्षिणी हिस्सा सम्पूर्णतः खारे पानी का है तो उसके लिए मैंने 30-31 लाख रुपये दिए विभिन्न योजनाओं के लिए कि क्षेत्र में कहीं भी खेळी, कोठे या टंकी बनी हुई हैं और वे पाइप के द्वारा पेयजल स्रोत से संबंधित नहीं है, उन सबको पाइप से जोड़ दिया जाय। रुपये दे दिये विधायक कोटे

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

से और योजना स्वीकृत हो गयी, अब तक काम ही शुरू नहीं हुआ। फरवरी में स्वीकृत हुई योजना, तो रुपये तो दिये थे कि मई और जून के महीने में जो ग्रीष्मावकाश का मध्य है उसमें लोगों को पेयजल की असुविधा न हो और सरकार को किसी तरह की आर्थिक संकट के कारण परेशानी नहीं हो, इसलिए दिये थे लेकिन काम ही शुरू नहीं हो रहा है तो हम कैसे लोगों को पानी पिलायेंगे। पड़िहारा का खारा पानी है, आलसर से आता है, चौबीस किलोमीटर से तो बीच में पाइप टूट जाता है। यह हमेशा शिकायत रहती थी। मैंने गत सत्र में इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जलदाय मंत्रीजी को सूचना भी की थी। उन्होंने तत्काल एक्शन भी लिया। वह योजना तो स्वीकृत है। विधायक कोटे से पैसा भी दे दिया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इसलिए मैंने संस्कृत का श्रीमद् भगवद्गीता का जो श्लोक है वह इसीलिए उद्घृत किया कि कानून व्यवस्था से काम क्यों नहीं कर रहे हो, अपने आपकी इच्छा से क्यों कर रहे हो। कोई काम नहीं करे, हाथ पर हाथ धरे बैठे हो।

सभापति महोदय, इस अकाल के वक्त में ग्रामीण क्षेत्र का जो धरती से जुड़ा हुआ आदमी है वह काम चाहता है, मजूदरी चाहता है।

अकाल मंत्रीजी को पन्द्रह सड़कें दी थीं कि अब वह समय आ गया मंत्रीजी कि अब लोगों को मजदूरी चाहिए। यह आपने अच्छा काम किया, कुण्डों का निर्माण किया, पुराने कुएं थे, जोहड़े थे उनकी मरम्मत की। इतने दिन तो यह काम चल गया लेकिन अब सामूहिक काम आपको खोलना पड़ेगा। मुझे आज 10.05 मिनट पर सूचना मिली है रतनगढ़ से कि पन्द्रह में से एक सड़क मंजूर की है। कैसे काम चलेगा? मैंने कहा है उनको कि मैं आऊंगा। और तो मुझे कुछ आता नहीं, मुझे तो अशोकजी ने मीटिंग करना, धरना देना, घेराव करना, प्रदर्शन करना, रैली निकालना यही सिखाया है। तो मैं तो उसी का उपयोग करूंगा जो मुझे आता है उसका ही तो उपयोग करूंगा। अभी मास्टरजी कह दे कि आप अंग्रेजी में भाषण दो तो मैं थोड़े ही दे सकता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप तो संस्कृत में देओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो रैली के बजाय उनका रैला निकाल दो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ऐसा है कि ऐ बाल तावड़े में धौला कोनी हुया है, आमें अनुभव छिपयोड़ो है तो कह्यो तो करूं ही कोनी, मैं कह्योड़ो करूं तो तकलीफ ही क्यूं पाऊं। मैं स्वयं के चिन्तन से निर्णय लेता हूं राजनीति में।

श्री रामस्वरूप : बहुत अच्छा है। तब ही तो भाभड़ाजी को हराया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैंने नहीं हराया। वह जनता ने हरा दिया और जैसा मैंने कल निवेदन किया था मेरी तो इच्छा भी नहीं थी परन्तु सोनियाजी की कृपा हो

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

गयी, अशोकजी की मेहरबानी हो गयी, जनता का आशीर्वाद मिल गया। आ गया यहां। आ गया, आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। मन की बात जो जनहित में कहनी है वह यहां कह रहा हूं।

सभापति महोदय, अकाल के कामों पर अब सड़कें स्वीकृत होनी चाहिए और पानी के लिए द्रुत गति से काम होना चाहिए। यही मेरी अनुनय विनय है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : एक श्लोक और सुना दो अन्तिम।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अब सारे दिन श्लोक क्या, श्लोक तो मेरे कंठस्थ है सारी गीता, मैं कहता ही जाऊंगा। अहम् कृत्यज्ञोस्मि। मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह भी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। आपके श्राप के डर से तो मना नहीं किया उन्होंने।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कृपा है इनकी। मैं तो कदे कदे ही बोलूं हूं, आज आने कोई बोलण वालो मिल्यो कोनी, मने कह्या थे बोल देस्यो के तैयारी है, मैं बोल्यो मैं तो तैयारी कर कोनी आऊं।

श्री सभापति : श्री मांगीलालजी।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : सभापति महोदय, मुझे समय बोलने का मिला, इसका मैं आपको आभार प्रकट करता हूं, आपके सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और साथ में मेरे क्षेत्र की सेम की समस्या के निराकरण के लिए मुख्य मंत्रीजी को और सभी मंत्रियों को तथा सभी सदस्यों को क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-28 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी ग्राम पंचायतों का भवन, कई पंचायतों में भवन नहीं है, कई पंचायतों में पुराने भवन बने हुए हैं, स्कूल के भवन बने हुए हैं, सहकारी समिति के भवन बने हुए हैं, वह सभी सेम के कारण टूट चुके हैं। वह ध्वस्त हो गये हैं तो जनता का प्रश्न सामान्य करना तथा इसके पंचायत भवनों की जल्दी से जल्दी मरम्मत करायी जाय, नये भवन भी बनाये जायं। जो स्कूले हैं, सड़कें हैं सभी सारी की सारी टूट चुकी हैं सेम में, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाय। और तीन तीन चार चार पंचायतों में एक-एक सैक्रेटरी है तो एक-एक पंचायत में सैक्रेटरी लगाया जाय। सभी पद अतिरिक्त पड़े हैं तो पंचायतों में कोई काम नहीं चलता इसलिए ग्राम पंचायतों में सैक्रेटरी हर एक पंचायत में सैक्रेटरी लगाना चाहिए। तो मेरे क्षेत्र में सेम समस्या से सम्बन्धित जितने भी काम हैं, ध्वस्त हो गये, करने चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 41 और 28 पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मान्यवर, ग्रामीण विकास विभाग की मांग है और देश की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। आजादी से पूर्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आन्दोलन देश में हुआ। उस समय एक सपना लिया था कर्णधारों ने कि आजादी के बाद जो देश की जनता गांवों में बसती है, ग्राम स्वराज्य की कल्पना की और ऐसी योजनाएं बनायीं जिससे हमारे ग्राम समृद्ध हों। ग्राम समृद्ध होंगे तो देश और राष्ट्र समृद्ध होगा। ऐसी परिकल्पना उस समय कर्णधारों ने की। राजस्थान को सौभाग्य मिला 1959 में पंचायती राज का प्रादुर्भाव नागौर में हुआ। हमने योजनाएं बनायीं। मुझे याद है समग्र विकास की पहली योजना जब बनी, हमारे कुछ अधिकारी उस समय के, योजना बनाकर पण्डित नेहरूजी के पास गये। उन्होंने वही बनाया कि भवन बनेंगे, सड़कें बनेंगी। मैं उन्हीं अधिकारियों की कही हुई बात कह रहा हूं जिन्होंने पहली योजना बनायी थी। पण्डित नेहरूजी ने योजना को देखा और एक तरफ पुस्तक रख दी। कुछ समय बाद प्रश्न किया गया उनसे कि यह व्यवहार क्यों? उस समय उन्होंने यह कहा था कि आपने योजना बनायी भवन बनाने की, सड़कें बनाने की और जो मूल गांव का वासी है, जो गांव का इंसान है, जो हमारी थाती है उस हेतु क्या किया आपने? उस हेतु कोई योजना नहीं है। यह मैं उन्हीं के शब्द कह रहा हूं जो प्रथम सामुदायिक योजना बनाने वाले हमारे अधिकारी थे।

जो प्रतिवेदन विभाग ने दिया है, उसके उद्देश्य बताये हैं कि इस विभाग के क्या उद्देश्य हैं, मैं साधुवाद दूंगा हमारे मंत्री महोदय को जिन्होंने यह उद्देश्य बता करके हमको इंगित किया है कि हमारे ग्राम विकास के उद्देश्य क्या हैं? आज गरीबी उन्मूलन, देश की पहली समस्या आज गरीबी है। हमारी नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या नारों से गरीबी हट सकती है। आई.आर.डी.पी. जो दी उस समय हमें लगा कि हम चयनित करने जा रहे हैं उन लोगों को जो देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं और प्रोग्राम बना इस देश में कि गरीबी का उन्मूलन कैसे हो और सारी योजनाएं उस ओर चल रही हैं।

हमारा सपना था कि जो देश की मूल थाती है, हमारे श्रमिक, 100 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हमारी मूल थाती मानव श्रमिक हैं, वह यदि बेरोजगार हैं तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो योजना में दूसरा दिया रोजगार सृजन। उद्देश्य में जो दिया, इस प्रारूप में, इस पुस्तिका में। इस तरह हमारा मूल उद्देश्य है कि देश की गरीबी और बेरोजगारी कैसे मिटाये। यह हमारे ग्रामीण विकास

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

विभाग का दायित्व है उस हेतु हमारी कई योजनाएं हैं।

हमने गांवों में पंचायतें बनायीं, ग्राम सभा और वार्ड सभा की चर्चा हमारे मित्रों ने की, मैं उनका समर्थन करता हूं, गांव एक इकाई है। मंत्री महोदय उस ओर विचार करें। यह वार्ड सभा, ग्राम सभा और पंचायत सभाएं पंचायत में होनी चाहिए। 100 की आबादी का गांव हो सकता है, 2000 की आबादी का गांव हो सकता है। गांव एक इकाई है। यह हमारे ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना गांधीजी ने की, मूल आधार हमारा गांव है। इन वार्ड सभा से, ग्राम सभा और पंचायत सभा जिसमें सारे पंचायत के गांव आ जाये यह यदि करेंगे तो उचित रहेगा ऐसा मेरा मानना है।

मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को, वर्ष में चार बार ग्राम सभाएं आपने करके जो पंचायत सभाएं आज हो रही हैं निश्चित रूप से एक नयी दिशा आपने दी है। यदि 10 परसेंट भी ग्रामीण इक्ट्ठे होकर गांव में बैठते हैं। मैं इसे नहीं मानता हूं कि गांव वाले इक्ट्ठे नहीं होते हैं। मैंने हर ग्राम सभा में जाने का प्रयास किया है और मैंने देखा गांव का समूह है। आज लोग उद्वेलित हैं। आज लोग तैयार हैं बैठने के लिए कि बैठ करके अपने गांव की समस्याएं, पंचायत की समस्याओं का कैसे निपटारा हो और जब उन्हें कहा जाता है, स्पेशल आडिट के लिए बुलाया जाता है। यदि आपके गांव, आपकी पंचायत में ठीक काम नहीं हुआ है तो ग्राम सभाओं में बैठ कर आप इस पर चर्चा करें यह अधिकार उनको दिया है तो मुझे लगता है कि हम ग्राम स्वराज्य की कल्पना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे शिव से आने वाले साथी ने कहा कि हमारी पंचायतों का पुनर्गठन अपेक्षित है। वह करना चाहिये उसके साथ में विशेष कर मेरे क्षेत्र जैसलमेर जिले में तीन पंचायत समितियां वहां पर हैं और उसके गठन का इतिहास है। सांकड़ा बनायी शेरे-ए-राजस्थान लोकनायक जयनारायणजी व्यास ने उसके बाद जैसल पंचायत समिति बनी और आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सारा जिला था, तीन तहसीलों को मिलाकर एक पंचायत समिति बन गयी। 220 किलोमीटर डिस्टेंस से चलकर एक सरपंच को आना पड़ता है पंचायत समिति मुख्यालय पर। हमें निश्चित रूप से पंचायत समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता है।

मेरे क्षेत्र में जो इन्दिरा गांधी नहर का बहुत बड़ा एरिया आ गया है। 221 नयी आबादियां हम बसा रहे हैं। उसमें से 40 गांव हमारे बस चुके हैं और अगले वर्ष 221 गांव बस जायेंगे तो हमें नये गांव, नयी जमीन और नयी पंचायत समिति के निर्माण की अति आवश्यकता है। इसके पुनर्गठन के बारे में भी माननीय मंत्री

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

महोदय इस ओर निश्चित रूप से विचार करेंगे। यह जो योजनाएं हैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा। स्वरोजगार योजना में बी.पी.एल. परिवारों को जो करीबन 23 हजार दुकानों का आबंटन किया गया है। मैंने देखा गांवों में कि उन बी.पी.एल. परिवारों को यदि आप जोड़ दें, स्वरोजगार योजना से पहले आप उनको चयनित करें फिर बाद में दुकानों का आबंटन करें तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। उनको दुकानें मिल गयी। वह किसी योजना से लाभान्वित हो नहीं रहे हैं। दुकानें चला नहीं पा रहे हैं और किसी और को दुकानें दी जा रही हैं। कृपया उस ओर संशोधन करें। जिला परिषद के जो 29 विषय आपने दिये हैं, जिला विकास अभिकरण में आपको कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी। कार्यकारी अधिकारी व जिला कलक्टर के अधिकर जो हैं, जिला विकास अभिकरण में यदि आप चाहते हैं कि जिला प्रमुख सक्षम बनें तो उनको कुछ अधिकार देना अति आवश्यक रहेगा। जो 500 करोड़ की योजनाएं आपकी आती हैं, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम राजीवजी ने उठाया। आज जे.आर.वाई. का पैसा जो ग्राम समृद्ध योजना के नये नाम से है। सीधा पैसा पंचायत में आता है और सरपंच को 50 हजार रुपये का जो अधिकार मिला हुआ है कि गांव का विकास करें। जो इस तरह के कदम हैं क्रांतिकारी कदम हैं। जिससे ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी। सरपंच काम करने में सक्षम बने हैं।

मैं कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। अभी हमारे शिव से आने वाले साथी ने कहा कि बी.ए.डी.पी. का जो प्रोग्राम है वह शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं, परन्तु संशोधन चाहते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में यदि वहां पर बनती है, एक नगर क्षेत्र में जो हमने बनाई है, जैलसमेर में जिला चिकित्सालय है या कालेज है, ऐसी आयोजना में जिससे कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकते हैं तो निश्चित रूप से नगर क्षेत्र में बनती है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे और जिला मुख्यालय पर या तहसील मुख्यालय पर कोई आयोजन होता है नगरीय क्षेत्र में, तो उसको नहीं रोके, यह मैं मेरे साथी को कहूंगा।

(16.00 बजे)

श्री अमीन खान (शिव) : 50 किलोमीटर का साफ दिया हुआ है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : वह मैं जानता हूं। 50 किलोमीटर के बाद में हमने पंचातय समिति में की है, पंचायत समिति क्षेत्र को लिया है, वह पंचायत समिति क्षेत्र

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उस योजना से लाभान्वित होता है। और मैं कह रहा हूं कि कालेज सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं बनेगा तो सीमावर्ती क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए नगरीय क्षेत्र में यदि ऐसे आयोजन बनते हैं तो कृपया उसका विरोध न करें।

आपकी विशिष्ट योजनाओं में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत का विषय भी है। मैं चाहूंगा कि मेरे जिले में 40 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है, ऐसे गांव जहां हम बिजली नहीं पहुंचा सकते, सुदूर गांवों में तो सौर ऊर्जा के माध्यम से अभी पहले 3000 रुपये और सौर ऊर्जा का स्रोत मिलता था, उसको डबल करके 6000 कर दिया और फिर भी सफिशिएंट नहीं मिल रहा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस गांव से भी, जहां से भी मांग आए, वहां सौर ऊर्जा की व्यवस्था करें। रेडा के माध्यम से पवन ऊर्जा का उत्पादन हमारे क्षेत्र में हो रहा है, 2 मेगावाट का प्लांट चल रहा है, 3 मेगावाट का प्लान कमीशन होने जा रहा है, 50 मेगावाट का शिलान्यास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी समुद्री हवाएं जो बाड़मेर और जैसलमेर में आती है, इस ओर विशेष रूप से आयोजन करेंगे जिससे हम बिजली के मामले में स्वावलम्बी बन सकें।

बंजर भूमि विकास योजना की चर्चा आपके इस पेम्फलेट में है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां एक बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चला और एक भी वृक्ष लगा नहीं और करोड़ रुपयों से अधिक राशि का अपव्यय होकर वह योजना बंद करनी पड़ी। अब हमने तय किया है कि यदि उस पश्चिमी राजस्थान में बंजर भूमि योजना में कोई कार्यक्रम चलाना चाहे तो इन्दिरा गांधी नहर के हार्डपेन एरिया जहां कृषि योग्य भूमि नहीं है तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि वहां उस क्षेत्र में जहां पानी उपलब्ध है, बंजर भूमि विकास के लिए आगे आ सकते हैं।

अभी केन्द्र सरकार से एक योजना आई गोल्डन ग्रास योजना वह इसमें दी हुई नहीं है। वन विभाग से पूछा कि ऐसी योजना आई है? उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से योजना आई है और जिसका उल्लेख आपके इस परिपत्र में नहीं है, 2 करोड़ की योजना है और 4-5 वर्ष में जो सेवण घास है जिला जैसलमेर में, उसको विकसित करने के लिए योजना है। इस ओर आप विशेष डाइरेक्शन देकर जो विभाग अधिकृत हैं, वन विभाग जो घास के फोडर डिपो चलाता है, उनको देना चाहिए। वन विभाग कहता है कि यह हमारे जिम्मे नहीं है। यह योजना बीच में लटक रही है, पूरी केन्द्रीय योजना है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं जिसमें 25 प्रतिशत शेयर स्टेट का है, 75 प्रतिशत

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

केन्द्र का है, उसमें अपना पूरा योगदान देकर उस योजना का लाभ उठाएं तभी हम ग्रामीण विकास में स्वावलम्बी बनकर अपने गांव को सुदृढ़ बना सकेंगे और जो गांव से शहर की ओर चल रहे हैं इस पर भी रोक लग सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद आपको भी। श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मांग संख्या 28 और 41 पर माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान कई मुद्दे पंचायती राज के सम्बन्ध में यहां प्रस्तुत किए। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज की मांग जिस पर सदन में चर्चा हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास के लिए और ग्रामीण विकास से सीधा जुड़ा हुआ अगर कोई विभाग है तो वह ग्रामीण विकास विभाग है। मुझे इस बात के लिए अफसोस है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में, जिन किसानों के बारे में इतनी चर्चा करते हैं और दुहाई देते हैं और आज उस मांग पर इस सदन में चर्चा हो रही है, उसमें वे अनुपस्थित हैं और उस योगदान में वे सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें ग्रामीण विकास योजनाओं में, ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में कोई रूचि नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कुछ मुद्दों पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पर इससे पहले कि मैं इन बातों पर जाऊं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांधीजी का जो सपना था पंचायती राज के बारे में निश्चित रूप से हम उसको साकार करने में लग रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज को और मजबूत बनाया जाए इसके सम्बन्ध में आपने जो कदम उठाए हैं वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं। इसके साथ-साथ मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं सहमत हूं उनसे कि 1959 के अंदर जो विकेन्द्रीकरण हुआ, उस समय पंचायती राज संस्थाओं की जो स्थिति थी और जो उनको अधिकार थे उन अधिकारों और उसके साथ जुड़े विभागों के कार्यों को आज हम देख लें तो विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य था वह विकेन्द्रीकरण अब वहां नगण्य सा रह गया है और केवल कुछ योजनाओं के माध्मय से काम हो रहा है।

1959 के अंदर स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू, पूर्व प्रधान मंत्री, जिन्होंने राजस्थान में आकर विकेन्द्रीकरण का दीपक प्रज्जवलित किया था और राजस्थान ही पहला प्रदेश था जहां पर इसकी शुरूआत हुई और एक

(श्री दिग्विजय सिंह)

कल्पना की इस विकेन्द्रीकरण के माध्यम से कि इन पंचायती राज संस्थाओं और पंचायती राज को हम और सशक्त बनाएंगे।

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मेरे को प्रधान रहने का अनुभव भी रहा है, सरपंच भी रहा हूं। मैं प्रधान, पंचायत समिति, उनियारा था। (व्यवधान) यह भूल गया था, पंचायती राज का बाद में मंत्री भी रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण। आप जो आपस में बोल रहे हैं, उसकी आवाज गूंज रही है और माननीय सदस्य के अभिभाषण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : हम क्षमा चाहेंगे।

श्री सभापति : आप बहुत वरिष्ठ हैं। आपने जो बात कही तो लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि माननीय सदस्य जो कहे उसको हम उसी मन से, उसी भावना से सुनें और उस पर अमल करें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं निवेदन कर रहा था पंचायती राज के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में और माननीय मंत्रीजी ने जो कदम उठाया हैं उसके बारे में मैं कह रहा हूं। आपने जरूर थोड़ा संकेत दिया कि बात नहीं करे। उनकी बात भी सुन लें।

श्री सभापति : मैं आपकी मदद करना चाहता था।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपका आभार मानता हूं। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अभी कोडीफाइड एक्ट 1994 में बना। पहले पंचायती राज का पुराना एक्ट था, उन सारे एक्टों को एक साथ मिलाकर एक कोडीफाइड एक्ट बनाया। जिसके अन्दर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तीनों का एक एक्ट बनाकर 1994 में लागू किया और उस बात के अंदर जो भी नियम बने वो तो अलग, उस एक्ट के अंदर कई बातों की, कई चीजों की मैं समझता हूं कमियां रही हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान थोड़ा इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो थ्री टायर सिस्टम था उस थ्री टायर सिस्टम के माध्यम से जो पंचायत राज सशक्त हो रहा था उसमें आपने या पूर्व सरकार ने सी.आर., डी.आर. के जो इलेक्शंस कराये या जो पद क्रिएट किये आज उन सी.आर., डी.आर. की क्या स्थिति है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जो सर्कल का रिप्रजेंटेटिव है वह पंचायत समिति के अंदर बैठता है और जो डी.आर. है वह जिला परिषद में बैठता है। सी.आर. व डी.आर. का कोई समन्वय नहीं है। आज जो सी.आर. व डी.आर. इलेक्ट हुए हैं वे आज

(श्री दिग्विजय सिंह)

यह महसूस कर रहे हैं स्वयं कि उनकी सरपंच से भी गयी-बीती स्थिति है, उनका कहीं कोर्डिनेशन नहीं है। पंचायत के अंदर सरपंच की स्थिति है कि सरपंच आज ग्राम पंचायत में तो सक्षम है, पर सरपंच पंचायत समिति के अंदर किसी प्रकार से जा तो सकता है, आपने बैठने की व्यवस्था कर दी लेकिन वह उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकता। इसलिए पंचायत मंत्रीजी आप इस बात को भी देखेंगे कि सरपंचों को जो पूर्व में पंचायत समिति के अंदर अधिकार था, उनको भाग लेने का अधिकार था, उनको वहां पर काम करने का अधिकार था आज उनकी वहां पर मैं कह दूं कोई वेल्यू नहीं है और सी.आर., डी.आर. के भी कोई अधिकार नहीं है। इससे आज जो सी.आर. व डी.आर. हैं वे अपने आपको उपेक्षित और जन भावनाओं के अंदर भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी आपके काम चल रहे हैं। आज आपने पंचायत के माध्यम से जे.आर.वाई. और दूसरे जो कार्यक्रम हैं उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं वे सीधे पंचायत के माध्यम से चलते हैं। अब उस क्षेत्र का सर्कल रिप्रजेंटेटिव है या डिस्ट्रिक्ट का जो रिप्रजेंटेटिव इलेक्टेड है उसकी भागीदारी या उसका कोई लेना-देना नहीं है, वह स्थानीय सरपंच उनको कहीं इन्वोल्व ही नहीं करता। न ही आपके कानून में इस तरह के कोई नियम हैं कि जो पंचायत समिति का सदस्य है या जिला परिषद का सदस्य है उसका इन्वाल्वमेंट वहां हो या उसकी भी बात को सरपंच या उस एरिया की ग्राम पंचायत है उसके अंदर उसको इन्वाल्व करना या अपनी राय देकर वह भी कुछ अपनी बात को कह सके। तो जो पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य है उसकी कोई कीमत नहीं है और विकास के कार्य के अंदर कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा आप कम से कम उनको और अधिकार न दें, कम से कम ऐसी तो व्यवस्था कर दें कि आज जो पंचायतों के अंदर कार्य आ रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से कार्य आ रहे हैं उनके अंदर उन पंचायत समिति के प्रतिनिधि और जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं उनकी भी राय ली जाए और उनसे भी कम से कम पूछा जाए तो वे यह महसूस तो करेंगे कि पंचायत राज के अंदर, विकास के अंदर उनकी भी कुछ पूछ हो रही है।

सभापति महोदय, पंचायत राज को अगर हमको और मज़बूत बनाना है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत राज संस्थाओं में आज भी इतनी आडिट रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं उन आडिट रिपोर्ट्स को आप उठाकर देखें तो उनके अंदर करोड़ों का घोटाला या गबन दिखाया है। उन आडिट रिपोर्ट्स को आप एक स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर निपटाने की

(श्री दिग्विजय सिंह)

व्यवस्था करें और वहां पर पंचायतों के अंदर जो भी दुरूपयोग है उनको अगर आप जांचेंगे या जांच करवाएंगे तो कई चीजें ऐसी मिलेंगी और वह इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक दफे यह प्रक्रिया चालू हो गई तो आने वाले या अभी जो सरपंचगण मौजूद हैं उनके सामने यह तो कम से कम आ जाएगा कि हम कोई बात की गलती करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। जो पैरें आडिट वालों ने निकाले इनके ऊपर भी आंख रहेगी। तो सभापति महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि इन आडिट रिपोर्ट का भी आप डिस्पोजल करें और इनको जल्दी से जल्दी निपटाने की व्यवस्था कराएंगे।

सभापति महोदय, एक बड़ी विडम्बना है। एक तरफ़ तो हम पंचायत राज के माध्यम से और दूसरे माध्यम से साक्षरता की बात करते हैं कि साक्षरता का अभियान हम चलाएंगे और हमारे प्रदेश में कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा जो निरक्षर हो, सब शिक्षित बन जाएंगे, लेकिन व्यवस्था क्या है। आज सरपंच या पंचायत के चुनाव के अंदर आपने वह साक्षरता का क्लाज ही हटा दिया और निरक्षर भी सरपंच का पद ग्रहण कर सकता है। तो यह दोनों विरोधाभासी है। एक तरफ तो आप साक्षरता की बात करें कि हम साक्षरता को बढ़ावा देंगे और हमने यह वर्ष घोषित किया और हमने कहा, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा दो साल के अंदर राजस्थान में कोई निरक्षर नहीं रहेगा और हमने प्रावधान क्या कर दिया कि पंचायत के चुनाव के अंदर निरक्षर भी चुनाव लड़ सकता है, अंगूठा टेक भी चुनाव लड़ सकता है। तो इसको आप दुबारा से देखें और दुबारा से इसको जांचे नहीं तो आपका एक तरफ तो साक्षरता का अभियान है और एक तरफ आपने उसको छूट दे दी तो काहे को वह साक्षर बनेगा। पंचायत राज जो सीधी जुड़ी हुई संस्था है आज भी सरपंच के लिए आप देखते है कितने लोग चुनाव लड़ते हैं। (व्यवधान) मेरा कहना है कि आप इसकी कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन तो प्रेस्क्राइब करें। अगर आप इसको आठवीं नहीं करें तो कम से कम इतना ही करें कि पढ़ा-लिखा होना चाहिए। वह पढ़ा-लिखा हो तो कोई ऐसा नहीं कि जैसा माननीय विधायक अमीन खानजी कह रहे थे कि उनको पढ़ना ही नहीं आये, लिखना ही नहीं आए।

जहां तक महिलाओं को सरपंच बनाने का प्रश्न है उसमें आपत्ति नहीं करता। निश्चित रूप से आज महिलाओं को भी आगे लाना है और उसको अगर जिम्मेदारी सौंपी जाए तो निश्चित रूप से यह एक आगे बढ़ने वाली बात है और हम पहले ही कल्पना करके चले कि महिलाओं को हम पंचायत राज के अंदर इन्वाल्वमेंट नहीं

(श्री दिग्विजय सिंह)

करें तो मेरी व्यक्तिगत राय है यह बिलकुल गलत होगा। महिलाओं को निश्चित रूप से पंचायत राज के अंदर जो प्रावधान किया है 30 परसेंट का इसका चुनाव, वह बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ-साथ साक्षरता की बात आप जरूर ध्यान में रखें और उसको आप देखें कि वह सब पर लागू हो, चाहे महिला हो या चाहे दूसरे हों। इसलिए साक्षरता का अभियान भी आप चलाने की बात करते हैं तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आज आप पंचायत राज को एक काम और सौंपिए और काम आपने विकास के तो बहुत दे दिये। पंचायत राज को आप फैमिली प्लानिंग से भी जोड़िये, क्योंकि जितना आप सोशल अवेकनिंग करेंगे और जो फैमिली प्लानिंग का काम है पंचायत राज के माध्यम से आप ज्यादा कर पाएंगे बजाय मेडिकल डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के। ये जाते हैं तो कौरी औपचारिकता करके आ जाते हैं, पोस्टर चिपका कर आ जाएंगे और कोई पम्फलेट बांटकर आ जाएंगे। अगर इसको आप पंचायत राज को दे दें, पंचायत राज के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूज करें तो जो महिलाएं भी इसमें इन्वाल्वड हैं वह भी इस बात के लिए जाग्रत रहेंगी और फैमिली प्लानिंग अच्छी होगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि ब्लाक्स के ऊपर जो आपके बी.डी.ओज. हैं उन बी.डी.ओज. का चयन जो करते हैं उसमें आपको सावधनी बरतनी चाहिए। मेरी तो यह मान्यता है कि आपके जो 237 ब्लाक्स हैं उनमें आप आइडेंटीफाई कर लीजिए कि कितने ब्लाक्स ऐसे हैं जो प्रधान के हिसाब से या आपके वहां के डवलपमेंट के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी के हिसाब से वीक हैं। तो उनके ऊपर आप आर.ए.एस. अधिकारी नियुक्त करिए। जब तक आप उन ब्लाक्स को सुदृढ़ नहीं करेंगे आप विकास के अंदर जो गति लाना चाहते हैं वह गति नहीं ला सकते, क्योंकि आपके कई बी.डी.ओज. तो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के एईएन. हैं।

कोई पी.टी.आई. हैं, दूसरे कई एस.डी.आई. लगे हुए हैं, जो ट्रेंड है उस हिसाब से कोई नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप उस ब्लाक के अन्दर कम से कम 50 परसेंट या 60 परसेंट तो आप आर.ए.एस. अधिकारी नियुक्त करें। जो आज से पहले थे, मुझे ध्यान यहां तक मालूम है कि आई.ए.एस. भी बी.डी.ओ. रह चुके हैं और हमारे पूर्व जो पहले के चीफ सैक्रेटरी थे वी.बी.एल. माथुर साहब वह अलवर जिले के एक ब्लाक के अन्दर बी.डी.ओ. थे। तो जब आई.ए.एस.

(श्री दिग्विजय सिंह)

बी.डी.ओ. रह सकता है तो आर.ए.एस. को बी.डी.ओ. रखने में क्या है? इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि आप इस पर ध्यान देंगे और आर.ए.एस. को बी.डी.ओ. जहां तक हो सके, उनको आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से क्योंकि प्रधान जो भी कुछ बने हैं उनको भी गाइडेंस की जरूरत है और सही गाइडेंस जब ही मिल सकती है जब कि प्रोपर वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहां का जो संचालन करने वाला है वह उसको सही तरीके से सारे कामों की व्यवस्था देखें।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, विधायकों को आपने डिस्क्रशनरी कोटो से डी.आर.डी.ए. के माध्यम से संचालित लाखों रुपये की कामों की स्वीकृति दे रखी है, वह अनुशंसाएं कर देते हैं और अनुशंसा करने के बाद भी डी.आर.डी.ए. से इसकी सैंक्शंस 4-4 महीने, 3-3 महीने तक नहीं निकलती और वह रुके पड़े रहते हैं। अब वहां क्या है इसलिए रुकी पड़ी रहती है कि वहां नियंत्रण किसी का नहीं है, डी.आर.डी.ए. के जो अधिकारी हैं वह जिसके सम्पर्क में रह कर निकालना चाहते हैं उसकी निकल जाती है। वहां कम से कम आप एक नियंत्रण या एक डाइरेक्शन उनको ऐसा दें कि विधायक की या एम.पी. की अनुशंसा उनके पास जाय और वह पहले तो टेक्निकल सैंक्शन निकालते हैं उसके बाद में फिर फ़ाइनेंशल सैंक्शन निकालते हैं। इस सारी प्रक्रिया के अन्दर 3-4 महीने लग जाते हैं और सभापति महोदय, मैंने खुद ने पढ़ा था, एक आंकड़ा आया था कि विधायकों के कोटे का कितना पैसा खर्च हुआ और एम.पीज. के कोटे से कितना पैसा खर्च हुआ। उसके अन्दर यह बताया गया कि एम.एल.ए. का करीब 40 से 50 परसेंट पैसा उपयोग में नहीं आया और एम.पीज. का भी यही बताया गया और उसका कारण ही यही है कि आपकी जो सैंक्शंस निकलती हैं, उन सैंक्शंस के अन्दर डिले करते हैं, दोनों का ही, तो डिले होने की वजह से वह काम रह जाता है तो उसमें भी आप टाइम लिमिट डाइरेक्शन दीजिए, आपके यहां से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि विधायक या एम.पी. ने किसी कार्य की अनुशंसा कर दी है तो दो महीने के अन्दर-अन्दर उसकी सैंक्शन जारी हो जानी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप उसकी टेक्निकल सैंक्शन वगैरह जो भी प्रक्रिया है उसको आप नजरअन्दाज करके निकालें। नहीं, फिजिबिलिटी हो... (व्यवधान) वह जितने भी समय का दें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी सोच लेंगे कितने समय में कर दें पर मेरा कहना यह है कि उसके अन्दर देर नहीं होनी चाहिए। ताकि जल्दी से जल्दी वह सैंक्शन निकल जाय।

श्री सभापति : जारी रखें आप।

श्री दिग्विजय सिंह : पर उधर विधायक को भी इस बात का संतोष रहेगा कि हम वहां जब क्षेत्र में जाकर आये हैं और घोषणा करके आये हैं किसी काम की तो उसकी जल्दी सैंक्शन निकले और उनका काम चालू हो जाय नहीं तो 3-3, 4-4 महीने तक सैंक्शन नहीं निकलती और विधायक को डी.आर.डी.ए. में चक्कर लगाने पड़ते हैं कि साहब, सैंक्शन नहीं निकल रही है, क्या बात है, पी.डी. साहब, अब पी.डी साहब के और चक्कर लगाओ। तो आप उनको एक पिनपाइंट रेस्पांसिबिलिटी दीजिए और यह कहिये कि अगर दो महीने में नहीं निकलेगी तो वह उसकी रेस्पांसिबिलिटी होगी और उसके लिए वह जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो इस प्रकार विधायकों को डी.आर.डी.ए. के अन्दर यह करें।

सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी जैसा कि अखबारों में छपा और अखबारों में खबरा आई उसके लिए भी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्री वहां के वैंकेया नायडू साहब, उन्होंने एम.पीज. को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि अब निकट भविष्य में डी.आर.डी.ए. के जो चेयरमैन हैं वह एम.पीज. को बनाया जाएगा, सांसदों को बनाया जा रहा है तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जिला प्रमुख को बना दिया। उधर भारत सरकार सांसदों को बनाने की योजना बना रही है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, राज्य सरकार क्या सोच रही है और राज्य सरकार को क्या यह स्वीकार होगा कि एम.पीज. वह चाहे किसी भी दल के हों पर अगर एम.पी. बनते हैं तो एम.पी. को, वैसे ही फुरसत नहीं, 6 महीने तक पार्लियामेंट चलती है, 6 महीने, 8 महीने पार्लियामेंट आप जानते हैं चलती है। अब वह कब डी.आर.डी.ए. की मीटिंग आकर अटेंड करेंगे और कब वहां आकर कार्य करेंगे इसलिए यह बिलकुल व्यावहारिक नहीं है और मैं समझता हूं कि आपको, राज्य सरकार को अगर आपके पास प्रस्ताव भी आये तो इसका आपको विरोध करना चाहिए और हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे यहां आपने जो व्यवस्था अभी कर रखी है कि यहां के जिला प्रमुख को उनको जो बना दिया है वह उसी के पास रहे और वह जो बाद में एक बात कही वह माननीय सदस्य हरजीरामजी ने, उससे मैं सहमत हूं कि जो गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल का प्रस्ताव और गवर्निंग काउंसिल ने जो निर्णय ले लिया उसको रिसाइण्ड करने का पावर जो कलक्टर के पास रख दिया वह व्यावहारिक नहीं। तो आपने गवर्निंग काउंसिल बनाकर ही उसको हायर अथारिटी डवलपमेंट (व्यवधान) कलक्टर कहता है नहीं, सही यही है तो वह आपकी गवर्निंग काउंसिल का डिसीजन नलिफाई हो जाएगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कलक्टर की जिम्मेदारी है, गवर्निंग काउंसिल का मैम्बर कलक्टर भी है।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, कलक्टर तो है पर उसके बाद उसको एक्स्ट्रा काउंसिल पावर और हैं वह वहां भले ही आपके सामने नहीं बोले, वह अपने दफ्तर में...

श्री सभापति : आपके अनुभव में ऐसा हुआ है क्या गवर्निंग काउंसिल ने पास कर दिया और कलक्टर ने उसको नलिफाई कर दिया हो, ऐसा कोई उदाहरण है।

श्री दिग्विजय सिंह : अभी कोई एग्जाम्पल हो कि नहीं हो पर कोई कलक्टर ऐसा हो, माननीय सभापति महोदय, नहीं मैं मेरी बात कह दूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप चिन्ता मत करो। संविधान में बहुत बड़ी व्यवस्था है, राष्ट्रपति का नाम भी है, गवर्नर का नाम भी है लेकिन कैसे फंक्शन होता है तो वैसे ही, मेरा ऐसा अंदाज है कि किसी भी गवर्निंग काउंसिल के फैसले को किसी भी जिला कलक्टर ने नलिफाई नहीं किया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं किया, नहीं किया।

श्री दिग्विजय सिंह : यह आप, सभापति महोदय, सही फरमा रहे हैं। यह तो ठीक है कि वह नहीं किया पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई कलक्टर इस प्रकार का आ गया जो आपसे भी ऊपर अड़ जाय और आपकी बात को भी नहीं माने और गवर्निंग काउंसिल के अन्दर तय होने के बाद भी अपने दफ्तर में बैठकर कैंसिल कर देगा तो फिर क्या करोगे?

श्री सभापति : यह आशंका है, आशंकाओं से व्यवस्था नहीं चलती।

श्री दिग्विजय सिंह : इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। यह जो उसको एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल पावर दिये हैं।

श्री सभापति : आशंकाओं से व्यवस्था नहीं चलती है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, आपने जो बात कही कि किसी भी कलक्टर ने नलिफाई नहीं किया लेकिन सवाल प्रेस्टीज का है। एक गवर्निंग काउंसिल में लोग हैं एम.एल.ए. भी उसमें होते हैं, सब होते हैं और उसके फैसले को नलिफाई करने का प्रावधान तो कानून में है इसलिए वह सब उनके लिए शान के खिलाफ है। यह नहीं होना चाहिए। कलक्टर को कोई पावर नहीं हो इस प्रकार का आपका जो सजेशन है वह बिलकुल सही है क्योंकि यह एक ऐसी संवैधानिक स्थिति है जिसमें हमको गवर्निंग कौंसिल को सुप्रीम मानकर चलना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह तो आप बिलकुल सही फरमा रहे हैं गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य। मैं यह कह रहा हूं कि यह तो वही बात हो गयी कि केबिनेट का डिवीजन हुआ है और केबिनेट के अन्दर चीफ सैक्रेटरी

(श्री दिग्विजय सिंह)

बैठता है और उसके बाद में वह चीफ सैक्रेटरी कह दे कि मैं तो नहीं करना चाहता। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय पंचायत मंत्रीजी, इसके ऊपर आप विचार करें और यह जो प्रावधान उसमें किया हुआ है उसको आप डिलीट करने के लिए कहे तो ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा व्यावहारिक लगेगा और डेमोक्रेटिक सैटअप में भी यह आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कई डिपार्टमेंट्स से स्टाफ सरप्लस होकर आता है, यह पूर्व वक्ता ने भी कहा था। जहां आपकी यह चुंगी समाप्त की है वहां से नाकेदार आये हैं अब और उन नाकेदारों को आपने ग्रुप सचिव लगा दिया।

कई दूसरे डिपार्टमेंट्स से आये जिनको कोई अनुभव ही नहीं है। उनको आपने ग्रुप सचिव लगा दिया। वह न तो ग्रुप सचिव का कोई काम कर सकते हैं, न उनको अनुभव है। तो उन पंचायतों के अंदर कोई काम ही नहीं हो पाता। आपने जरूर यह एक व्यवस्था कर दी कि हर पंचायत में एक-एक ग्रुप सचिव हो जाएगा। पर जिस कैडर से वह आया है उस कैडर में उनका अनुभव ही नहीं है पंचायती राज का। वे तो वहां नाके पर रहे हैं, रवन्ना काटा है उन्होंने और बाद में घर चले गये। उनको अगर दिखाया जाए तो उनको पंचायत एक्ट का ही पूरा मालूम नहीं। पंचायत एक्ट ही नहीं पढ़ा। पंचायत की प्रणाली ही नहीं जानते। उनको आपने सुपुर्द कर दिया और कह दिया कि आप पंचायत सैक्रेटरी बन गये और अब आप, सभापति महोदय, इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि सरपंचों की स्थिति क्या है, कई जगह अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई एम.ए. भी है, कोई एलएल.बी. भी है, तो कहीं बिलकुल अनपढ़ हैं। वहां पर जो जहां पर पढ़े लिखे नहीं हैं वहां पर नाकेदार ग्रुप सचिव चला गया तो उस पंचायत का तो हाल आप देख लें कि क्या होगा। इसलिए मेरा निवेदन है—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पंच और सरपंच, ये पंच परमेश्वर हैं और आप उनको अनपढ़ कह कर उनका अपमान कर रहे हैं। मेरा ऐसा खयाल है। पंच परमेश्वर का पंच वह है जो परमेश्वर की तरफ से आया है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे सिखाये हुए, पढ़ाये हुए, लिखाये हुए हैं और ईश्वर ने, परमेश्वर ने उनको पंच बना कर भेजा। वे परमेश्वर का असली रूप हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, यह तो आपका सोच है।

श्री सभापति : उनको आधुनिक पढ़ाई लिखाई से मत जोड़ो। वे तो परमात्मा से प्रेरित हैं, ईश्वर से। उनको पंच परमेश्वर मानो। आप उनको अनपढ़ कह करके जनता का मजाक नहीं उड़ायें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, आपके विचार से तो सहमत हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत अच्छी परिभाषा की है पंचों की।

श्री सभापति : विराजिये-विराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपके इस विचार से मैं सहमत हूं। पर आप इसको कैसे कर लेंगे कि उसको अनुभव तो सारा है, अनपढ़ है, खेती भी कर रहा है, वह जानता है कि किस वक्त उनको यह बोना है, यह सब जानकारी है। मेरी बात आप सुनो। सारे परिवार को वही चला रहा है हैड आफ द फैमिली होकर।

श्री सभापति : यह डिबेट का प्रश्न नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : तो इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ा लिखा है, कानून जानता है। तो न तो वह कानून जानता है, न ही कानून का इंटरप्रिटेशन कर सकता है और वहां पर आपका इस प्रकार का नाकेदार सचिव बनकर चला जाए तो आप खुद अंदाज लगा ले कि फिर पंचायती राज की स्थिति क्या होगी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप इसकी कम से कम व्यवस्था करें कि जब यह पोस्टिंग हो तो वहां पर, ठीक है आप स्टाफ नहीं ले सकते, ये सरप्लस हुए इनको आप एब्जोर्व कर रहे हैं. फाइनेंशल क्राइसेस डिफिकल्टी की वजह से, पर आप उनको कम से कम जहां भेजो तो बी.डी.ओज. को इतना तो आप इंस्ट्रक्शन दे दें कि अपने स्तर पर वे यह देख लें कि उनका पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो जहां पर कि सरपंच कोई पढ़ा लिखा हो ताकि वह कम से कम उसको सही कर सकें।

दूसरा, सभापति महोदय, एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हर ब्लाक के अन्दर बी.ई.ओ. लगा दिया। अब ब्लाक एजूकेशन अधिकारी, उसका कनेक्शन सीधा आपने शिक्षक से रख दिया है और बी.डी.ओ. का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आज स्थिति क्या है कि वह शिक्षक आज ब्लाक एजूकेशन अधिकारी के नीचे है डायरेक्टली, बी.डी.ओ. उसको कुछ कह नहीं सकता। अब ब्लाक एजूकेशन अधिकारी के पास न कोई साधन है जो वह जाकर के केन्द्रों को चैक करे। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर बी.डी.ओ. और बी.ई.ओ. में समन्वय नहीं है तो आपकी एजूकेशन की चैकिंग, उनको देखना, करना, वह सम्भव ही नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि कुछ न कुछ कंट्रोलिंग अथारिटी आप बी.डी.ओ. को जरूर दे दें। चाहे कुछ कंट्रोलिंग अथारिटी या समन्वय उनका रहे तो यह आपकी व्यवस्था ठीक हो सकती है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए एक बात और आपसे निवेदन करूंगा और जानना भी चाहूंगा कि माननीय विधायक के कोटे से जो काम होते हैं या एम.पी. महोदय के कोटे से जो काम होते हैं इनको चैक करने का अधिकार किस-किस को है? क्या प्रधान जाकर चैक कर सकता है? क्या कोई जिला प्रमुख जाकर चैक कर सकता है किसी काम को? क्योंकि हम विधायक उस काम की सूचना देते हैं, हम वह काम करवाते हैं। आज स्थिति यह है, मैं, माननीय मंत्रीजी, निवेदन करना चाहूंगा, कई जगह, पर तो यह हो रहा है, मेरे क्षेत्र की बता दूं मैं आपको कि काम पूरा हो गया, काम बढ़िया हो गया पर वह प्रधान विपक्षी पार्टी का होने की वजह से चैक पास नहीं करता। चैक पर दस्तखत ही नहीं करते हैं और वे कहते हैं कि जाकर चैक करेंगे तो करेंगे। तो अगर विधायक के कोटे से काम हुआ है और विधायक के कोटे से, एम.पी. कोटे से काम हुआ है तो उसको उनको चैक करने की क्या आवश्यकता है। डी.आर.डी.ए. का कोई जा करके चैक कर ले और कोई अथारिटी चैक कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। पर प्रधान किस हैसियत से जाकर के हमारे कार्य को करते हैं और फिर जान-बूझकर के इस कार्य को डिले करते हैं। जहां पर इस प्रकार की स्थिति है वहां पर उन मजदूरों को, जिनका कि समय पर पेमेंट हो जाना चाहिए उनको पेमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस ओर भी ध्यान देंगे और व्यवस्था करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो मैंने आपको उदाहरण दिया है वह नहीं हो। इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि मेरी पंचायत समिति देवली में एक सुजानपुरा में नाला बनवाया था और वह कम्पलीट हो गया। मैं एक दफे नहीं, पांच दफे देख कर आया हूं। उसका आज दिन तक भी ग्राम पंचायत ने, एक लाख बीस हजार रुपये का पेमेंट बाकी है और उनको चैक दे दिया गया, ग्राम पंचायत में चैक पहुंच गया पर पेमेंट नहीं करते। कह रहे हैं कि हम जांच करके करेंगे। क्या जांच करके करेंगे? सब ने कह दिया कि हमारा पेमेंट है, हमने काम किया है, सब मौजूद हैं। तो आप इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जहां पर भी जो विधायक कोटे से काम हुए हैं उनका कोई ड्यूज रहा है, पैसे रह गये हैं तो उनकी आप व्यवस्था करवायेंगे।

मैं समझता हूं कि पंचायती राज को और सक्षम बनाने के लिए आपने वार्ड सभा बनायी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, उसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि यह वार्ड सभाएं, ग्राम सभाओं तक तो ठीक है पर आपने जो वार्ड सभाओं का निर्माण किया और वार्ड सभाओं का निर्माण करके फिर आपने कहा कि वहां से प्रस्ताव आयेंगे उनको फिर ग्राम सभा में रखेंगे। अब मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि पंचायत के अन्दर 12 वार्ड हैं, 12 वार्ड की 12 सभाएं

(श्री दिग्विजय सिंह)

हुई। एक वार्ड ने तो कोई दूसरा प्रस्ताव ले लिया, एक ने कहा हमारे टंकी बन जानी चाहिए, एक ने कहा, हमारे शौचालय बन जाने चाहिए, व सारे प्रस्ताव फिर ग्राम सभा में आयेंगे और ग्राम सभा में आकर के फिर उनकी प्रायोरिटी तय होगी। तो आप बताइये कि वार्ड सभा वालों ने एक बात एक बार कह दी वह ग्राम सभा में यह थोड़े ही कहेगा कि दूसरे नम्बर वार्ड का पहला प्रस्ताव ले लो। इसलिए मेरा तो यह सुझाव है कि यह ग्राम सभाएं आप मुख्य रखे और ग्राम सभाओं के माध्यम से ही यह प्रस्ताव आये उनको आप प्राथमिकता दें और खास तौर से यह व्यावहारिक इसलिए भी नहीं है कि आप आज बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र में चले जाएं जहां पर कि एक-एक वार्ड की 5-5, 4-4 किलोमीटर का रेडियस है। तो पहली बात तो यह कि वे इकट्ठे ही नहीं हो पायेंगे। एक वार्ड पूरा इक्ट्ठा हो ही नहीं पायेगा एक जगह जहां 4-5 किलोमीटर का रेडियस है। इतना अव्यावहारिक है कि उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ग्राम सभा का जो है उसके माध्यम से आप प्रस्तावों को मंजूर करवाये, उसी को मुख्य रखे और वार्ड सभाएं हैं इनको आप मेहरबानी करके उनके माध्यम से जो प्रस्ताव लेकर काम करवाना चाहेंगे वह मेरी राय में उचित नहीं है। ग्राम के अन्दर भी इसको लेकर के जो सद्भाव है वह सद्भाव बिगड़ सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कहते हुए आपने मुझे समय दिया और पंचायत मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करूंगा कि जो बात मैंने कही है खास तौर से विधायक कोटे के और दूसरी, इनके ऊपर आप ध्यान देंगे। एक बता और निवेदन करूंगा कि अभी जो एक नयी योजना चली है। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : एक बात मैं कहूंगा, एम.एल.ए. साहब। एक मिनट। यह विधायक फण्ड का बार-बार जिक्र आ रहा है, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार भी कैबिनेट में यह डिसीजन हुआ कि पानी में ही पैसे दो। अभी हमारे नागौर में सभी एम.एल.एज. के प्रस्ताव रुके हुए हैं। अकाल भी है और कोई काम चालू नहीं हो रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हबीबुर्रहमान : इसमें भी आप स्पष्ट कर दें कि यह जरूरी है क्या कि पानी में ही दें यह पैसा।

श्री सभापति : जब आपका नम्बर आये जब कहना। आप अपना नम्बर आये जब बोलना। पहले नहीं बोलें।

श्री हबीबुर्रहमान : नम्बर आ गया, आपने दे दिया, आ गया नम्बर।

श्री सभापति : मंत्रीजी के बोलने के बाद इनसे मालूम कर लेना। आप विराजें। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपने आदेश दिया तो बैठ जाऊंगा पर एक तो मैं यह जानकारी करना चाह रहा हूं कि यह जो एक नया कार्यक्रम चला है...

श्री सी. पी. जोशी : यह इस मांग में नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, आज तो शायद प्रतिपक्ष की तरफ से मैं अकेला ही सदस्य हूं...

श्री सी. पी. जोशी : प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्य आप हैं, इसका यूं मतलब है?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पूछा था, आप बोल रही हैं क्या तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोल रही हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय आजाद साहब, आपकी बात पर मैं पहले ही कह चुका हूं यह, आपकी बात के ऊपर मैं पहले ही कह चुका हूं। यह बात कह दी प्रतिपक्ष का कोई मौजूद नहीं है। आज बहुत जरूरी मांग है...

श्री सभापति : नेता, बहुजन समाज पार्टी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेहरबानी आपकी। माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास के बारे में यह सदन मांगों के ऊपर चर्चा कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि हमारे देश के कर्णधारों का एक सपना था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और सत्ता नीचे से नीचे स्तर तक, ग्रास रूट तक जाये और इसी के लिए पंचायती राज की कल्पना भी की थी और उस पंचायती राज का जिस उद्देश्य से, जिस आशा से और जिस विश्वास से आपने कल्पना की और गांव और गरीब की भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए वह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और आज आपने और अधिक अधिकार देकर, इनको सुदृढ़ करने का काम और शक्तिशाली करने का काम आप कर रहे हैं, यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, किसी भी चीज को आदर्श बनाने के लिए और उसकी सफलता और उसकी कामयाबी के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम उसकी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, हम उनकी तरफ भी दृष्टि डाले। आज पंचायत समिति और जिला समिति के जो सदस्य हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उनका क्या काम है, उनको क्या अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य है और उनकी क्या शक्ति है, आज उनमें ऐसी हीनभावना आ गयी कि सरपंच तो शक्तिशाली और जिला परिषद का सदस्य जो 10 पंचायतों के ऊपर चुन कर आता है या पंचायत समिति का सदस्य जो 2-3 पंचायतों पर चुन कर आता है, उसकी वेल्यू

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सरपंच से भी कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। आज इतनी सारी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास की आ रही हैं, उनका जो पैसा जाता है डी.आर.डी.ए. और जिला परिषद में, जिस तरीके से आपने विधायकों को एक राशि विधायक फण्ड के नाम पर दी...

(16.43 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

उनमें से कुछ राशि ऐसी सुनिश्चित हो जाये कि इतनी राशि तक के काम जिला परिषद के सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएंसी में या अपने निर्वाचन क्षेत्र में करा सकता है या इतनी राशि तक के काम पंचायत समिति का सदस्य अपने क्षेत्र में स्वीकृत कर सकता है या उनकी राय से स्वीकृत हो तो उनका स्वाभिमान या उनकी भी एक इज्जत रह सकती है...

श्री हबीबुर्रहमान : ऐसा हो रहा है। जिला परिषद के मैम्बरों को पूछ कर दे रहे हैं, यह 30 प्रतिशत का पैसा...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पूछ कर दे रहे हैं वह अलग बात है। आप तो यह बतायें, मेरा सुझाव गलत है क्या...(व्यवधान) नहीं तो बस बात खतम, मैं इतनी ही बात कह रहा हूं। होना चाहिए, मैं यही निवेदन कर रहा था। दूसरी तरफ, माननीय सभापति महोदय, इस पंचायती राज की स्थिति देखिये। हमने आरक्षण देकर अन्य पिछड़े वर्ग को, महिलाओं को इसमें भागीदारी देने का काम किया, यह वाकई में एक अच्छा कदम है लेकिन स्थिति यह है, जब कभी भी मैं पंचायत समिति की मीटिंग में जाता हूं तो वहां पर एक भी महिला सरपंच नजर नहीं आती है। मैंने पूछा कि भाई, क्या कोई महिला सरपंच नहीं है क्या तो कहा, साहब, है तो सही लेकिन सरपंच पति। सरपंच पति मीटिंग में आते हैं तो सरपंच पति मीटिंग में आते हैं और सरपंच आती नहीं और उसको वहां पर अलाउ कर दिया जाता है। यहां तक आपको सुनकर आश्चर्य होगा...

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपका एरिया बहुत बैकवर्ड एरिया है, हमारे इलाके में तो महिलाएं नजर आती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो मेरे इलाके की बात करूंगा, मैं बाड़मेर की बात तो कर नहीं सकता। मैं यह वास्तविक बात कह रहा हूं। आप इसको हंसी-मजाक में मत टालिये। आप जिला परिषद में देख लीजिये कि औरत नहीं आती है, उसका पति आता है। यह हर जगह होता है... (व्यवधान) आप इसको ऐसा कह कर डाइवर्ट करने का काम मत कीजिये।

श्री नाथूराम अहारी : यह गलत बात है। जिला परिषद में तो उसका सदस्य ही आता है, उसका पति या और कोई नहीं आता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह हकीकत बात है। भरतपुर की बात कर रहे हो या डूंगरपुर की बात कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र पारीक : ...यह आपसे मिली नहीं होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये पंचायत समिति की बात कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कौनसी जिला परिषद की बात कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, यह दीगर बात है कि वह माननीय सदस्य से नहीं मिली होगी लेकिन सरपंच थी वहां पर। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पंचायत समिति में सब सरपंच पति ही आते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये लीजिये, अब करो बात, अब दो जवाब।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आप दोनों की मिलीभगत है, आपको तो एक ही काम करना है, आप दोनों ने तो यह तय कर रखा है...(व्यवधान)

श्री अमीन खान : यह सही बात है कि औरतों के आदमी सारे के सारे हाजिर होते हैं, आदमी आते ही हैं, सही बात है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यस, ये तो पंचायत समिति में जाकर अपने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आदमी आयेंगे नहीं, आयेंगे आदमी लेकिन बाहर बैठे रहेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कभी गये नहीं, माननीय सदस्य, ये तो पंचायत समिति की मीटिंग में जाना अपना अपमान समझते हैं। (व्यवधान) आप तो शहर से आते हो। आप पंचायत समिति की मीटिंग में कभी गये हो क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो शहर से आते हो, आपको क्या पता है?

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे यहां 32 पंचायतें हैं, उन सबमें जो भी महिला सरपंच हैं, वे सब सरपंच आती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पंचायत समिति की मीटिंग में गये हो क्या कभी?

श्री राजेन्द्र पारीक : बिलकुल जाता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह अलग बात है कि वह आपसे नहीं मिली, समस्या यह है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझसे मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझसे तो बहुत लोग मिलते हैं। पर, सभापति महोदय, पारीक साहब को मुझसे विशेष प्रेम है इसलिए ये इस तरीके से बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं कि मामला ठीक बैठ जाये।

श्री राजेन्द्र पारीक : पुराने मित्र हैं अपन।

मोहम्मद माहिर आजाद : पुराने मित्र हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि स्थिति यह है और बल्कि मैं तो आपको यहां तक कह रहा हूं, कई जगहों पर तो मैंने यह भी देखा है कि सरपंच महिला है और दस्तखत भी उसका पति कर देता है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कई जगह हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह मैं आपको ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूं और आप कहें तो मैं पंचायतों के नाम भी बता सकता हूं। मोहर जेब में रखते हैं। आये, प्रस्ताव बनाया। मैंने कहा कि प्रस्ताव ले आओ, यह लो, दस्तखत कर, मोहर लगाई। मैंने कहा तो, साहब, यही दस्तखत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि राज्य सरकार ने एक आदेश प्रसारित कर दिया है जिसमें सरपंच पति को या उसके रिश्तेदार को किसी भी मीटिंग में भाग लेने का या आने का या दखल देने का अधिकार है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आदेश, कायदे, कानून, नियम, उप नियम, स्टेट्यूड, यह बस बेमानी है जब तक इनको अमली जामा नहीं पहनाया जाये जब तक इनकी सख्ती से क्रियान्विति नहीं की जाये। यह तो मैं भी जानता हूं। नियम कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये तो कह रहे हैं, मान्य कर दिया है, आसन तो यह कह रहा है कि मान्य कर दिया उन्हें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मान्य नहीं करा है। (व्यवधान) मान्य कर दिया है? नहीं, नहीं, मान्य नहीं किया है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं मान्य नहीं किया है। मैंने कहा है कि उनको आने का अधिकार है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने तो बंद कर दिया, मना कर दिया। इसके ऊपर सख्ती से लागू होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप जब वहां पर विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं आपके एक विचार का तो समर्थन करता हूं। जो काम चाहे किसी भी योजना में हो, पैसा भारत सरकार का हो या चाहे राजस्थान सरकार का हो, उसका पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेवल सड़क, चाहे सांसद कोटे से मंजूर की हुई हो या विधायक कोटे से मंजूर कर दी हो, उस पर सिस्टम तो यह है कि उसके ऊपर डोजर भी चलेगा लेकिन कहते हैं साहब, डोजर है ही नहीं। जेईएन. और सरपंच की मिलीभगत हो जाती है और वह पेमेंट भी पास हो जाता है और स्थिति यह है कि उसकी सही तरीके से मानीटरिंग हो नहीं पाती है और आठ इंच मिट्टी डलनी है तो दो इंच डाली मिट्टी और गिट्टी डाल कर काम कर दिया। इसलिए मेरा आपसे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निवेदन हैं, पैसा आप दे रहे हैं, गांव में पैसा जा रहा है लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, वह सही तरीके का काम हो, इसकी मानीटरिंग और सुपरवीजन आपको प्रभावी बनाना चाहिए।

एक बात उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी कि सरपंच के लिए कोई मिनिमम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, और सांसदों के लिए ही नहीं है। अनपढ़ सांसद हैं, अनपढ़ विधायक भी हैं। अपन पंचायत पर लागू करने की बात करते हैं। पहले अपने को किसी भी बात को मनवाने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आदेश, आर्डर, यह काम करना है। दूसरा तरीका होता है, उपदेश, भाई तू पाप करेगा तो नरक में जायेगा और पुण्य करेगा तो स्वर्ग पायेगा। और तीसरा तरीका होता है आचरण, जो चीज आप दूसरों से चाहते हैं, पहले अपने आचरण में लाओ। तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से, जो गांव से चुन कर, जो दलित, गरीब और पिछड़ा वर्ग का आदमी आता है, उस पर तो हम शैक्षणिक योग्यता लाद दें और सांसदों और विधायकों पर लागू नहीं करें। हमने दो बच्चों की योजना पंचायत के सदस्यों के ऊपर और नगरपालिका के सदस्यों के ऊपर लागू कर दी। क्यों नहीं, एम.एल.ए. और एम.पी. पर लागू करते कि यही बात हमारे ऊपर भी कि दो बच्चों से ज्यादा होंगे तो वह चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा से अक्ल का कोई ताल्लुक नहीं है। आज माननीय सदस्य श्री अमीन खानजी डिग्री और सर्टिफिकेट में भले मेरे जितने नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक सूझ-बूझ मुझसे ज्यादा है, बहुत अच्छी है। हमारे बुजुर्ग चाहे डिग्री नहीं लिए हुए हैं लेकिन घर को किस तरीके से चलाते हैं, इसलिए दिमाग का और बुद्धि का ताल्लुक कोई डिग्री से और शैक्षणिक योग्यता से नहीं है। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपकी इस बात का जरूर समर्थन करता हूं जो माननीय लाडनूं से आने वाले सदस्य ने भी कही थी और दूसरे हमारे शिव से आने वाले सदस्य ने भी कही और मैंने स्वयं ने भी माननीय पंचायत राज मंत्रीजी को मिल कर इस बात का निवेदन किया था कि आपने ग्राम सभाओं का जो कार्यक्रम रखा है, यह तो वास्तव में उचित है, होना चाहिए। लेकिन वार्ड सभाओं की स्थिति क्या हुई? मैंने आपको मिल करके निवेदन किया था। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर के अंदर तो वार्ड सभाओं के बाद जो ग्राम सभा हुई उसमें तीन मर्डर हो गये, कत्ल हो गये। मैं पंचायत राज मंत्रीजी से मिला। मैं नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कहता कि इन्होंने मजाक में यह बात कही या वाकई में गम्भीरता से कही। आपका वर्जन यह था कि माहिर आजाद साहब, अच्छा है लोगों में राजनीतिक जागृति तो आ रही है, जिन लोगों को आज तक हक नहीं मिला था वह अपना हक मांगाना तो सीख रहे हैं। लेकिन ऐसे हक मांगना, यह व्यावहारिक बात नहीं है। मैं आज फिर आपसे निहायत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी व्यावहारिकता तो देखिये। एक गांव के अंदर अगर दस वार्ड हैं, मेरे यहां एक ग्राम पंचायत है सीकरी, उस सीकरी में 23 वार्ड हैं। अब 23 वार्डों में वार्ड सभाएं हो गईं और 23 वार्डों में उन्होंने एक-एक प्रस्ताव पास कर लिया और उसके बाद जब ग्राम सभा हुई तो आपस में लट्ठ चल रहे हैं। वह कह रहा है कि नहीं, मेरी बात ठीक है, वह कह रहा है मेरी ठीक है, मेरी ठीक है और 23 के 23 अलग-अलग हिस्सों में बंट रहे हैं। तो हम लोगों को ग्राम पंचायत और पंचायती राज के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, न कि हम उनको विघटित करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया इस पर पुनर्विचार करें और इसको व्यावहारिक बनाने का काम करें।

सभापति महोदय, जो प्रशासनिक ढांचा एवं प्रगति प्रतिवेदन माननीय पंचायत राज मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है और इसमें जो विषयों के हस्तान्तरण की बात कही, मैं खुद इस पक्ष का हूं कि आप पंचायतों को ज्यादा शक्तिशाली बनायें और उनको आप ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें। लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, ऊर्जा विकास अभिकरण, सिंचाई विभाग, पी.एच.ई.डी., इन सारे विभागों का काम उनको सम्भालना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह बी.जे.पी. के माननीय सदस्य बार-बार गैलेरी में घूम रहे हैं, कृपया उनको कहें कि वह अंदर आ जायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, आप क्यों बार-बार डिस्टर्ब करते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह अपना कोई कागज लेने आ रहे होंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : वे ताक-झांक कर रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि वे ताक-झांक करें, वह अन्दर आयें तो उसमें आपको, सभापति महोदय, मना थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बाहर क्या हो रहा है, उसकी आप चिन्ता मत करो। आप तो सदन की कार्यवाही...

श्री राजेन्द्र पारीक : वह गेट पर खड़े ताक-झांक कर रहे हैं।

श्री सभापति : हां, आप विराज जायं। आप चालू रखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : भंवर लालजी का चश्मा बाकी रह गया, वह चश्मा मंगवा रहे हैं। क्या दिक्कत हो गई आपको।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जरा आप व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें। एक फैसला लिया कि जो तालाब हैं, वह हम पंचायतों को दे देंगे। आज उस पर कितना अमल हुआ। कहीं किसी पंचायत ने तालाब को मांगा नहीं कि आप हमको दे दें, एक भी आप ट्रांसफर नहीं कर पाये। हमने बात करी, गांव गये, गांव के लोगों से कि तुम्हारे इसमें मछली पालन से आय हो जायेगी, उसमें हो जायेगी। कहने लगे कि हमारे पास जेईएन. तो है नहीं, हमारे पास टैक्निकल आदमी तो है नहीं। हम इसको बचायेंगे कैसे, इसको संरक्षित कैसे रखेंगे, इसको मेनटेन कैसे करेंगे, कहीं मोरी सिस्टम है, कहीं चैनल सिस्टम है, कहीं क्या स्थिति है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है, इसी तरीके से आपने इसमें लिख लिया ऊर्जा विकास अभिकरण। अब ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थिति यह है कि पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने एस.पी.वी. प्रोग्राम के तहत स्टेटवाइज जो एलोकेशन और टारगेट दिया था पूरे देश में, जिसमें 65 हजार लालटेन और 26 हजार 500 घरेलू लाइटें और 2900 सार्वजनिक लाइटें, जिनकी कीमत करीब 30 करोड़ थी और उसमें राज्य को 500 घरेलू लाइट और 300 सार्वजनिक लाइटों के लिए करीब 3 करोड़ 46 लाख रुपयें अनुदान के रूप में भारत सरकार ने गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत है उससे दिये थे और राज्य सरकार ने विगत वर्ष 2000-2001 में अपने खर्च पर 3400 लाइटें लगाई थीं और 1500 लाइटें 30 अप्रैल, 2000 तक लगाने के आदेश दिये। 30 अप्रैल तो निकल गई। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह सही है कि विश्व बैंक जो राजस्थान पावर सैक्टर के लिए ऋण देता है और उसके सर्वे के अनुसार राजस्थान में 90 प्रतिशत गांव तो बिजली से जुड़ गये परन्तु 60 प्रतिशत घर राज्य के विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं। सर्वे के अनुसार 3 लाख 80 हजार व्यक्तियों के आवेदन अभी बिजली के कनेक्शन के इंतजार में हैं, कतार में हैं जिसमें 12 साल तक भी लोगों को हो गये और यह व्यक्ति शायद ही बिजली का कनेक्शन ले पाये। सूर्य की रोशनी या सौर ऊर्जा के उपकरणों द्वारा ही इन घरों में उजाला लाया जा सकता है। तो यह जो सौर ऊर्जा का आपका मामला है, मेरा सभापतिजी के माध्यम से आप को सुझाव है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण को इस बार गत वर्ष से ज्यादा अनुदान दिया जाय, 6 करोड़ का अनुदान देने पर ही आप दस हजार लाइटों के करीब इसमें लगा सकते हैं। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि आप सौर ऊर्जा की लाइटों में मार्केट मोड इसमें दें, मोनोपोली नहीं रहें क्योंकि लास्ट के तीन-चार महीनों में ही इस पर काम होता है, बाकी दिन आवेदन भी नहीं आते हैं और विद्युत वितरण कम्पनियों का जो अनुदान दिया जाय, उसका मात्र एक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

प्रतिशत अनुदान राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण को दिया जाय और इस कार्यक्रम पर पूरे साल अमल होना चाहिए। क्योंकि लास्ट के तीन-चार महीनों में ही भाग-दौड़ करके किया जाता है तो उससे उसका मिसयूज होता है। माननीय सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी, मैं दो-तीन मिनट में ही अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी योजनाएं आप ग्राम पंचायतों को या डी.आर.डी.ए. को हस्तान्तरित कर रहे हैं इनके लिए वहां के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आज स्थिति यह है, मैं तीन दिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रहा, मैंने कहा जरा ब्लाक एजूकेशन आफिसर को ढूंढकर लाओ, बी.ई.ओ. कहां है। पंचायत समिति में बार-बार मैंने गाड़ी भेजी, कहा कि बी.ई.ओ. वहां नहीं है। फिर मैंने पता किया कि कहां है, तो कहा कि फलां हैडमास्टर के घर पर है। मैंने उस बी.ई.ओ. को बुलवाया। मैंने कहा कि तुम पंचायत समिति में क्यों नहीं जाते। कहा कि साहब, जाकर क्या करूं, प्रधानजी कहते हैं कि यह लिस्ट मैंने बना रखी है, इस पर दस्तखत करो। अब मैं कैसे दस्तखत करूं। यह स्थिति है। इसलिए मेरा, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आप पंचायत समितियों में प्रधान और पंचायत समिति के कामों को समन्वय और सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कम से कम राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही वहां पर विकास अधिकारी लगायें क्योंकि जो आप विभागीय अधिकारी लगा देते हैं, वह विभागीय अधिकारी उनके दबाव में रहते हैं और एम.एल.ए. किसी दल का है, जैसा आपने कहा, और प्रधान किसी दल का और बी.डी.ओ. कोई, तो उनमें कोआर्डिनेशन नहीं रह पाता है और उसमें काम नहीं हो पाता है।

मैं दो-तीन सुझाव देकर के मेरी बात खतम करना चाहूंगा। अभी जो मैंने जिक्र किया, मेरे यहां एक ग्राम पंचायत सीकरी है, जहां पहले चुंगी से आय होती थी।

श्री सभापति : आप अगर मंत्रीजी को लिख कर दे दोगे तो ज्यादा काम होंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं तो एक ही मिनट में खतम कर रहा हूं। वैसे ही स्पीडली बोलता हूं। तो आज स्थिति यह है कि वहां आप उनके कर्मचारियों के वेतन के लिए यहां से पैसे भेजते थे सहायता के रूप में, चुंगी क्षतिपूर्ति राशि। अगस्त, 2000 से आज अप्रेल, 2001 हो गई, आज तक वहां पर वह राशि नहीं भेजी गई है, कृपया यह राशि भिजवाने का काम करें। अंत में मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेवात विकास बोर्ड का आपने इस पुस्तिका में जो आगामी वर्ष के लिए बजट लिखा, वह 50 लाख लिखा है और माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो अपना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बजट भाषण पढ़ा, उसमें ढाई करोड़ बताया है, तो इसमें कौन सा सही है, मैं समझता हूं कि ढाई करोड़ का बजट आपने मेवात विकास बोर्ड के लिए किया है। इसमें आप लोनिंग भी करें और मेवात की कल्चर को बढ़ावा देने की भी कोई योजनाएं लें, यह भी आप शामिल करें। आखिर में मैं एक शेर माननीय मंत्रीजी को सुना कर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, आप बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, विद्वान हैं लेकिन आप थोड़े अकड़ू हैं। थोड़ा आपके बारे में माननीय सदस्य जब हमसे मिलते हैं तो इस तरीके की बात करते हैं। इसलिए मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मोल ही उसी का है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक शायर ने सही कहा है आसमां के लिए। खमे आसमां का नजारा करो तुम। अच्छा, आप पहले टाइम बढ़वा लो।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 28 एवं 41 पर विचार

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह निवेदन कर रहा था—

श्री सभापति : इसका यह अर्थ नहीं है कि आप बोले जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम कर रहा हूं बस। बरसात के बाद जो बादल होता है, आसमान होता है, उसे कहते हैं खमे आसमां, उसको देखने का एक लुत्फ ही अलग होता है। तो एक शायर ने सही कहा है—

खमे आसमां का नजारा करो तुम,
खमे आसमां का नजारा करो तुम,
जमाने में झुक कर गुजारा करो तुम।
और झुकेगा वही जिसमें कि जान है,
अकड़ तो खालिस मुर्दे की पहचान है॥

इसलिए थोड़ा मृदुभाषी बनिये, हम आपका बहुत आदर करते हैं। धन्यवाद। जयहिन्द।

(17.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय श्री रतन लालजी ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की प्राचीन पद्धति, ग्रामों में न्याय हो और मिल जुलकर गांव में लोग काम कर सकें उसी अवधारणा की महात्मा गांधी ने कल्पना की और पण्डित नेहरू और राजीव गांधी ने जिन्हें साकार रूप दिया है। पंचायत राज के लिए राजस्थान में हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज था बड़े-बड़े आन्दोलन किये। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्राप्त हो उनको अधिकार सम्पन्न बनाया जाए, उनके संसाधन बढ़ाये जाएं, इस दृष्टि से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो पंचायत राज का 1994 का कानून, 1996 के जो नियम बनाये गये थे उनमें कई विसंगतियां थीं। उनको दूर करके पचांयत राज के कानून को और मजबूती मिले इस बात का बराबर प्रयास किया गया। और लगातार इस प्रकार के संशोधन करके आदेश-निर्देश देकर के राजस्थान में पंचायत राज में जनता की भागीदारी बढ़े इस दृष्टि से बराबर प्रयास हुए हैं। आज पंचायत राज का परिणाम है कि इन संस्थाओं के माध्यम से गांवों में चेतना पैदा हुई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आया है। इस दृष्टि से पंचायत राज एक अभिन्न अंग बन गया है विकास का और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की दृष्टि से इसको माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मान्यवर, संविधान की व्यवस्था के अनुसार नये संशोधनों के बाद वित्त आयोग के माध्यम से पंचायत राज संस्थाएं कैसे मजबूत बने, इसके बारे में काफी चिन्तन और मनन हुआ है। वर्तमान वित्त आयोग ने 2.18 का समझ लो 18% कुल मिला करके अभी हिस्से का प्रावधान किया है। पंचायत राज संस्था की आवश्यकताएं, विकास की सम्भावनाएं इन सबको हम दृष्टिगत रखें तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अपर्याप्त है। इसके लिए कम से कम 10% हिस्सा इसमें आज के दिन होना आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारी योजनाओं का कुलमिलाकर इस तरह समन्वय हो कि पंचायत राज संस्थाओं को हमारे कुल बजट का 10% पैसा इसमें निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि ग्रामों का समग्र विकास हो सके। आगे जाकर इसमें इस तरह बराबर वृद्धि की जानी चाहिए जो आगे जाकर 30% पैसा कुल बजट का पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से खर्च हो सके इस तरह की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है कि गांवों में विकास के जो कार्य होते हैं उन कामों में मेरा एक मानना है कि पंचायत राज संस्थाओं के अधिकार भी बढ़ा रहे हैं, काम भी बढ़ा रहे हैं और उस सबके बावजूद भी हमारी योजनाएं बढ़ी हैं बजट बढ़ा है, योजनाएं

(सदन में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

बढ़ी है किन्तु स्टाफ कम हो गया। हमारा काम योजनाएं बढ़ाने के बाद पंचायत राज संस्थाओं में स्टाफ की बहुत कमी हो गयी, पहले बहुत अधिकार थे...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक अपराधी को...

डा. किरोड़ी लाल : किसको बुलवा रहे हो, सभापति महोदय? जिन्होंने सदन में इस्तीफे की घोषणा कर दी थी वे बोल रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + बुलवा रहे हो, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : जिसने अपने बेटे को अपना बेटा कहने से मना कर दिया...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने कोई जमीन हड़पी नहीं है न कोई कब्जा है। आपको 10 बार कह चुका हूं, 10 बार जांच करायी है। ये केवल आपका यह कहने का तरीका है राजनीतिक द्वेषता की खातिर आप कहते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह द्वेषता नहीं है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जमीन हड़पने वालों। जमीन हड़पने वालों।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने तीन सौ बीघा जमीन पर कब्जा बताया साबित हुआ तीन सौ बीघा जमीन...(व्यवधान) जो मैंने विधान सभा में कहा है उसके अलावा कुछ नहीं है। आप मेरे बेटे के बजाय दूसरे मैम्बर्स को भड़काने की बार-बार कोशिश करते रहते हैं जो गलत है और इसलिए गलत रिपोर्ट को मैंने चुनौती दी है और दुबारा जांच हो जाएगी, सारी बात सामने आ जाएगी।

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा, इस्तीफा, इस्तीफा...

श्री धर्मपाल चौधरी : (व्यवधान) ऐसे आदमी को वैसे ही + + +

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, ये बोलेंगे नहीं।

श्री रतन लाल ताम्बी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि हमने गुणवत्ता के साथ गांव में विकास के कामों को योजनाबद्ध ढंग से मजबूत नहीं बनाया तो आज हमारा पंचायत राज गांवों में, इतना पैसा जाने के बाद गुणवत्ता की दृष्टि से आज हमको सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि अन्य विभागों से आप कई सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कम करने जा रहे हैं इन सबके बावजूद मेरा आपसे आग्रह है कि एक सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता प्रत्येक पंचायत समिति में दिया जाना चाहिए जिससे गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य हो सके।

(सदन में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

मैं यह चाहूंगा कि सारी व्यवस्था संविधान की सूची में...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, यह बार-बार का व्यवधान उचित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई डिबेट हो रही है हम उस डिबेट को सुनना चाहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बार-बार आकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। यह बिलकुल उचित नहीं है। आप कोई कठोर कार्यवाही करें ताकि यह सदन अच्छी तरह से चल सके।

श्री रतन लाल ताम्बी : संविधान में 12वीं अनुसूची में जो 29 कार्यों का प्रावधान है उसकी पंचायत राज कानून में 1, 2, 3 जो अनुसूची दी गयी है राजस्थान सरकार ने बहुत सारे अधिकार उसमें से दिये हैं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : (व्यवधान)... इनका आचरण जिस तरीके का है वह आचरण बिलकुल अनुचित है। एक ही विषय पर बार-बार धरना देना...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और बाकी अधिकार भी देने के लिए मैं समझता हूं कि आपको सोचने की आवश्यकता है। राजस्थान में पंचायत राज वित्त निगम के बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से पंचायत राज का कार्य हो सके। राजस्थान में पंचायत राज विकास कोष के गठन की भी आवश्यकता है जिसके आधार पर राजस्थान में पंचायत राज संस्था मजबूती से आगे बढ़ सके। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ग्रामीण विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्य द्वारा दिया जा रहा है और ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : तो मैं चाहूंगा कि जो योजनाएं बनी हैं उसके अनुसार ही पंचायत राज के काम काज में वृद्धि की जाए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : (व्यवधान) ताकि सहानुभूतिपूर्वक सदन चल सके।

श्री रतन लाल ताम्बी : और जब तक पंचायत राज के निर्माण कार्यों को सारे प्रकार से निर्माण कार्य का मूल्यांकन आज सही नहीं हो पाता है, जेईएन. जो निर्णय कर देता है उसी निर्णय के आधार पर यह सारा कुछ हो जाता है और जेईएन. का प्रमाण-पत्र सब कुछ नहीं है। गांवों में जितना रुपया आता है जेईएन. के प्रमाण पत्र के आधार पर उनका मूल्यांकन करना और उसके ऊपर का अधिकारी उसको देखता नहीं है। यह बहुत बड़ी मात्रा में धन का अपव्यय हो रहा है। और गांवों का विकास सही ढंग से नहीं होता है। आज निर्माण कार्यों का अंकेक्षण द्वारा उसकी रिपोर्ट्स को बराबर नहीं देखा जाता है और लाखों रुपये के घोटाले हो रहे हैं उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। न्याय पंचायतों की जो व्यवस्था पहले थी आज के दिन पंचायत राज में गांव में न्याय की व्यवस्था नहीं है। न्याय समिति भी पंचायतों में नहीं होने से लोगों को जो न्याय की सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पायी है। भूमि उपयोग के वर्तमान नियम अपर्याप्त हैं। गांवों में भूमि विक्रय

(श्री रतन लाल ताम्बी)

के प्लाट निश्चित रूप से योजना बनाकर नहीं दिये जाते हैं। सड़कों के किनारे मनमाने अतिक्रमण और इस प्रकार (व्यवधान)... जिससे ये सारा काम ठीक नहीं है।

अंत में मैं यह चाहूंगा कि पिछली भाजपा सरकार ने पंचायत राज का जो पुनर्गठन किया था उस पुनर्गठन में बहुत विसंगतियां रखीं, बहुत-बहुत भेदभाव रखा गया। 2001 की जनसंख्या आने के बाद पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन भी इस ढंग से किया जाए जिससे आम लोगों को सुविधा मिले और निकटता का उसमें ध्यान रखा जाए। पंचायत राज संस्थाएं, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का...(व्यवधान) करना चाहिए। यह निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक और योजना दे रहे हैं, कार्यक्रम काफी दे रहे हैं उसके बाद भी पंचायत राज संस्थाओं के प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वर्ष में दो बार न्यूनतम प्रशिक्षण होना चाहिए उसके आधार पर सारा कुछ हो सके इस बात का मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर पहले सरपंच का पढ़ा-लिखा होना आवश्यक था और जो नया कानून राजस्थान का बना है...(व्यवधान) इसलिए मैं चाहूंगा कि सरपंच कम से कम पढ़ने-लिखने वाला हो...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

सरपंचों को जो मानदेय दिया जा रहा है वह बढ़ाना आज के दिन बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधान को मेरी राय में एक हजार रुपये और सरपंच को ढाई सौ रुपये बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा आज कई पंचायतों में क्वार्टर्स खाली हैं प्रधान को निःशुल्क आवास के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आवास का क्वार्टर दिया जाना चाहिए यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि इस पर भी राजस्थान सरकार विचार करे। इसके साथ सड़कों के आस-पास जो बड़ी-बड़ी जमीनों पर नाजायज अतिक्रमण हो रहे हैं और विकास के सारे कामों में उससे नुकसान हो जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राजस्थान में विकास सेवा गठित किया जाना आवश्यक है। पंचायत राज में आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विकास अधिकारी लगे आगे जाकर योजना को सरकार के दिमाग में रखना चाहिए। इसके साथ-साथ विकास सेवा का जब तक हम गठन नहीं करेंगे तब तक विकास सेवा के आधार पर पंचायत राज संस्थाएं मजबूती से संचालित नहीं होंगी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आपने हर पंचायत में सैक्रेटरी लगाया, विभिन्न विभागों के लगा दिये। पंचायती राज के सैक्रेटरी की खुद की अपनी सेवाएं हों और प्रत्येक पंचायत में राज्य सरकार ने अलग-अलग सचिव लगाकर बहुत अच्छा काम किया है और उससे पंचायती राज संस्थाओं में गति आई है। वर्तमान पंचायती राज मंत्रीजी ने पंचायती राज के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए, उनमें और अच्छा काम हो सके उसके लिए काफी प्रयास किये हैं और इसी प्रकार के अधिक से अधिक प्रयास करके राजस्थान के पंचायती राज के कानून को राजस्थान में और कई विसंगतियां हैं उनमें संशोधन किया जाना चाहिये जिसके आधार पर पंचायती राज राजस्थान में सशक्त बने। राजस्थान ने पहले भी देश को पंचायती राज में दिशा दी है और आगे भी देता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहूंगा कि पंचायती राज में किस प्रकार तेजी से गतिशीलता और लाई जा सकती है उसके लिए राजस्थान में समीक्षा की जानी चाहिये। एक विशेष कमेटी गठित करके उसके सुझावों के आधार पर कानून और नियमों में संशोधन करें ताकि आगे हमारा पंचायती राज और ज्यादा व्यापक स्वरूप ले, ग्रामों का समुचित विकास कर सके, यही मेरी भावना है और इस मौके पर मैं यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री हेमन्त कुमार। (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूपजी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, इनको चुप कराओ आप। हम रामस्वरूपजी का उद्‌बोधन सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, हाउस को आर्डर करने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं। एक माननीय सदस्य अपनी बात भी नहीं बोल सके, ऐसे तो हाउस नहीं चलेगा।

श्री सभापति : वह तो खुद ही बैठ गये।

श्री सी. पी. जोशी : मैम्बर का राइट है बोलने का। यह अधिकार नहीं है कि आप मैम्बर को बोलने ही नहीं देवें। (व्यवधान) मैम्बर बोल रहे थे, उनको आप समाप्त तो करने देते।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, वह समाप्त करके खुद ही बैठ गये।

श्री सी. पी. जोशी : किसी अध्यक्ष को यह डेमोक्रेसी तो नहीं है, लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं दें हम।

श्री सभापति : अब तो आप अपनी सीट पर पधार जाओ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, फिर कोई भी सदस्य नहीं बोल पायेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, इनको बाहर करो आप। सदन को अच्छी तरह से चलने दीजिए। (व्यवधान) हम लोग क्या सुझाव दे रहे हैं, मंत्रीजी क्या जवाब देंगे उसका, जब इस शोरगुल में कोई बात ही समझ में नहीं आयेगी। (व्यवधान) सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं वह मंत्रीजी इस शोरगुल में सुन नहीं पायेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी-अपनी जगह विराजें।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह लोग इस तरह से कर रहे हैं, माननीय सदस्यों की भावनाओं को दबाया जा रहा है यह तरीका बिलकुल उचित नहीं है। माननीय सदस्य बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं, ताम्बी साहब और बीच में शोरगुल करने लगे, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कृपया अपने सदस्यों को आप सीट पर बैठने के लिए फरमाएं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : प्रतिपक्ष के नेता महोदय तो खुद ही आगे किये हुए हैं इन लोगों को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सीट पर पधार जाएं।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, निरन्तर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा... (व्यवधान) विपक्ष के माननीय सदस्यों को सदन से बाहर करने की व्यवस्था कराएं।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, यह हाउस को नहीं चलने देते, हम भी हाउस को नहीं चलने देंगे, यह कोई तरीका होता है किसी का ...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सीट पर पधारें।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, गलत परम्पराओं का निर्वहन किया जा रहा है। हम इस परम्परा को नहीं चलने देंगे।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, इस सदन में सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह से किसी सदस्य को भावना व्यक्त करने से रोका जाए, सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया जाये यह लोकतंत्र की परम्पराओं के खिलाफ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया इस तरह का निर्देश दें कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त + + + ने इस हाउस को... (व्यवधान) कर रखा है + + + आप बाहर निकालिए।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह रोज सदन नहीं चलने देते। यह बहुत गलत तरीका है आपके कहने से इस्तीफा आज देवें न कल देवें। आप कितने ही नारे लगा लो, 24 घंटे या 24 साल तक रतन लाल ताम्बी इस्तीफा आज देवें न कल देवें। रतन लाल ताम्बी का बहुत बढ़िया सार्वजनिक जीवन रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजो। उसके बाद घोषणा करेंगे।

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और किसी के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव डाला जाए...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोग...(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को अपनी अपनी सीट पर बैठाएं।

श्री शंकर लाल अहारी : सदन का समय बहुत मूल्यवान है उसको देखते हुए सदन नियमानुसार चलना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, कुछ सख्त कार्यवाही कीजिए। (व्यवधान) हम पंचायती राज के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं, मंत्रीजी इसमें क्या करने जा रहे हैं उसको सुनना चाहते हैं, सरकार क्या करने जा रही है उसको सुनना चाहते हैं और हम लोग पहली बार चुन कर आये हैं। हमारी ज्यादा जिज्ञासा है हर चीज के बारे में और यह लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते। सभापति महोदय, आप कुछ सख्त होइए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ सख्ती कीजिए। इनका रोज का यह कार्यक्रम है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं, आप सब सीट पर विराज जाएं। उसके बाद में बात करो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह नहीं पधारने वाले आपके कहने से। आप सख्त कार्यवाही करिए। बिना सख्त कार्यवाही के नहीं मानने वाले। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह आपकी सज्जनता को हमेशा अन्यथा लेते हैं।

श्री शंकर लाल अहारी : सभापति महोदय, आज जो मांग चल रही है वह मांग बहुत महत्वपूर्ण मांग है। पंचायती राज की मांग में माननीय सदस्य अपने सुझाव देना चाहते हैं। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर अपने विचार रखना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिस ढंग से यह सदन चलाया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, शोरगुल में कुछ सुनाई नहीं देगा। इनको तो आप बैठाइए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनके बाद आपका नम्बर है।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो विराजिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सभापति महोदय, पंचायती राज के पुनर्गठन के लिए माननीय- नेहरूजी ने राजस्थान में इसकी स्थापना की थी और आज यह पंचायती राज राजस्थान में लगातार काम कर रहा है। राजस्थान की ग्रामीण जनता जो गांवों में रहती है और गांवों का विकास पंचायती राज के द्वारा होता है। पंचायती राज में जिला परिषद, पंचायत समितियां और पंचायतें, यह तीन कड़ियां हैं हमारी। यह तीनों कड़ियां विकास कार्य करती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पंचायतों का गठन किया गया है, पंचायतों का गठन पिछली सरकार के टाइम में बिलकुल गलत किया गया था। उसके पुनर्गठन के लिए...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, यह काहे का इस्तीफा मांग रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही।

श्री रामस्वरूप : उन प्रस्तावों के आधार पर... (व्यवधान) मेरा मंत्रीजी के निवेदन है कि पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है और उसकी फाइल आपके पास पड़ी हुई है, आप मेहरबानी करके पंचायतों का पुनर्गठन करें...(व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी बोल रहे हैं, आप इनको बोलने दो।

श्री जगत सिंह दायमा : आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में निरन्तर नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : ...उस सिस्टम को बदल दिया है। आज उस सिस्टम के अनुसार सारी शक्तियां पंचायत सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और सरपंच, तीन भागों में उसको बांट दिया गया है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि तीनों ही अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। पंचायत सदस्य और जिला परिषद का सदस्य, दोनों हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि हमारी बात को कोई मानता नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पंचायतों में इनके अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य को भी अधिकार दिया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

पंचायतों के ऊपर एक मैम्बर बनाया जाता है और उसके बाद में कोई शक्तियां नहीं होती है, हमेशा उनका यही झगड़ा पंचायतों में चलता रहता है। इस प्रकार...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह गृह समिति के सदस्य इस्तीफा देना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, पंचायत समितियों में लगातार इस बात की शिकायत आती रहती है कि कोई भी मैम्बर वहां का है उससे पूछकर वहां का सरपंच काम नहीं करता है, इसलिए आप इस प्रकार का प्रावधान करें ताकि तीनों को कोई शक्तियां प्राप्त हो सकें।

श्री जगत सिंह दायमा : गृह समिति के अध्यक्षजी, यह क्या मामला हो रहा है?

श्री रामस्वरूप : वह सीधा सरपंच के पास आता है और...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपने इनको क्वार्टर नहीं दिया क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विराजें।

श्री रामस्वरूप : वार्ड सभाओं के अंदर प्रस्ताव आते हैं और इस बात के लिए गौर किया जाता है कि वहां पर प्रस्ताव आते हैं। लेकिन वार्ड सभाओं के अंदर और इसके साथ-साथ ग्राम...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : तो यह इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं?

श्री सभापति : डाक्टर साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। आपसे यह उम्मीद नहीं है।

श्री रामस्वरूप : मेरा यह भी सुझाव है कि वार्ड सभाओं को खतम करके एक बार तो ग्राम सभा ही रखी जाए, ताकि जो प्रस्ताव आयें उनकी पूर्ति की जा सके।

इसके साथ ही दूसरा मेरा निवेदन है पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मीटिंग्स रहती हैं और इन मीटिंगों के अंदर सारे विकास कार्यों के लिए सारे अधिकारियों को बुलाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, सारे अधिकारी लोग पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंग्स में उपस्थित नहीं होते हैं। इसके कारण ही जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में कोई भी मैम्बर बोलता है तो वह कोई सुनता नहीं है। इसका कारण यही है कि सारे विभागों की जितनी भी समस्याएं आती हैं, कोई जानकारी किसी प्रकार की किसी को नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : बोलते रहो, थक कर अपने आप बैठ जाएंगे।

श्री रामस्वरूप : बोलता रहूं ना? (व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सभापति महोदय, पंचायत समितियों के अंदर जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई बात ऐसी हो तो उस समय सारे अधिकारियों को पाबन्द किया जाए ताकि सब लोग वहां उपस्थित हो जाएं और हमारी भावनाओं को सुनें। जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनसे उनको अवगत कराया जा सके। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, आप मेहरबानी करके सारे अधिकारियों को इस बात के लिए पाबन्द करें कि वह सारी मीटिंग्स में हाजिर हों ताकि समस्याओं को सुन सकें।

(श्री रामस्वरूप)

इसी प्रकार आपने पंचायतों के तहत हैण्ड पम्प्स को जो दे रखा है। लेकिन उनका सुधार नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि न तो पंचायतों को ही उनके बारे में पूरा अधिकार होता है और न विभाग को ही। सामान वह देते हैं। पंचायत के पास रख रखाव का काम आपने दे रखा है। इसलिए मेहरबानी करके हैण्ड पम्प का सुधार का पूरा कार्य पंचायतों को दिया जाये।

इनके साथ ही शिक्षा को पंचायतों में दिया गया। शिक्षा में राजनीति आने के कारण शिक्षा पर गलत असर पड़ा है। ...(व्यवधान) सरपंच धमकी दे देता है कि या तो आप मैं कहूं वह मानें वरना आपका ट्रांसफर यहां से कर देंगे। वह उसकी कापी खराब कर देता है। मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा को सरपंचों के, पंचायतों के अधीन नहीं रखें। इन्हें फ्री रखें।

इसी प्रकार चिकित्सा को भी आपने उनके अधीन दिया है और आयुर्वेद को भी इनके अधीन दे रहे हो आप। यह सारे विभागों को जिन्हें आप पंचायतों को देने जा रहे हैं, यह सारे विभाग पंचायत में होने के कारण पंचायत भी अपना काम सही नहीं कर पाती और यह भी अपना काम सही नहीं कर पाते। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इसमें भी संशोधन करें।

चौथा मेरा निवेदन है कि अभी आपने बताया कि पंचायतों के अंदर योग्यता होनी चाहिये। इसके लिए मेरा निवेदन है कि योग्यता को...(व्यवधान) एम.पी., एम.एल.ए. की योग्यता नहीं रख रखी तो फिर पंचायत और पंचायत समितियों के लिए क्या योग्यता होगी। सबसे बड़ी योग्यता तो यह है कि वह व्यक्ति गुणी होने चाहिए, जनता में जिनकी पैठ हो। जनता जिनको चाहती हो। ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना चाहिये। जनता का बहुमत जिनके साथ है वह ही योग्य माने जाते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, + + + के खिलाफ नारे लग रहे हैं और + + + भाषण दे रहा है।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा निवेदन है कि महिलाओं को जो सरपंच बनाया गया है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : या तो सबको बराबर मानना चाहिये किसी के साथ में...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मीटिंग्स के अंदर उनके पति उनके साथ आते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस पर भी रोक लगाइये ताकि महिलाएं स्वतंत्र काम कर सकें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी, आप बिराज जाओ। पहले इनको समाप्त कर लेने दो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारे)

श्री रामस्वरूप : महिलाओं को धीरे-धीरे ज्ञान होगा। एक समय आएगा जब महिलाएं अपने काम काज को समझेगी। अपने अधिकारों को समझेगी और अपनी योग्यता का फायदा उठाएगी। उनके पति जो उनके साथ जाते हैं, वह धीरे-धीरे मीटिंग्स में जाना बन्द कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में हम सबने इस बात के लिए प्रयास किए हैं। मेरी पंचायत समिति टोडाभीम, जिसको कि निर्विरोध चुना गया है, माननीय मंत्रीजी, पंचायत समिति टोडाभीम निर्विरोध आयी है। आप मेहरबानी करके निर्विरोधों के लिए कोई ज्यादा बजट देंगे? विकास कार्य के लिए आप प्राथमिकता देंगे? इस बात के लिए तो आज आप सदन को व हमको अवगत कराएं और जो निर्विरोध पंचायत समितियां आती हैं, मेहरबानी करके आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? मंत्रीजी आप इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारे)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी-अपनी सीट पर बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं निवेदन कर रहा हूं, पंचायत समितियां और पंचायतें जो निर्विरोध आती हैं उनके विकास के लिए आप क्या विशेष सुविधाएं दे रहे हैं, आप मेहरबानी करके इसको नोट कर लें। मंत्रीजी, आपका ध्यान तो हल्ले की ओर है, आप मेरी तरफ ध्यान दो। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो मेरी ओर ध्यान दो, हल्ले की तरफ ध्यान मत दो। पुकारते हैं तो इनको पुकारने दो आप तो मेरी बात को सुनो। पंचायत समितियां और पंचायतें जो निर्विरोध आती है, उनके लिए विशेष व्यवस्था करो। आप मेरी पंचायत समिति जो निर्विरोध आई है, तेरह पंचायतें निर्विरोध आईं उनमें विकास का काम दो। यह पुकार रहे हैं इनकी पंचायतों में से विकास के कार्य काट दो। (व्यवधान) और हमें हमारी ओर दे दो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, इनके तो + + + यह किस बात का आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया है, इनको मालूम नहीं, यह तो कल की बात ही है।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेहरबानी करके विकास कार्य जो भी हैं उनके लिए... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो + + + यह किसके लिए आरोप लगा रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया, यह तो इनको मालूम नहीं है। यह तो कल की ही बात है। + + + यह किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं देना चाहते। हम ग्रामीण विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव सुनना चाहते हैं, मंत्रीजी का रिप्लाई सुनना चाहते हैं, आप इन्हें अनुशासित कीजिए, यह ऐसे मानने वाले नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर पधारिये।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके जो विकास की योजनाएं हैं उनके लिए दिया जाए। पंचायती समिति में जिला परिषद की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितने भी विकास अधिकारी हैं जो आपने लगा रखे हैं...(व्यवधान) और विकास की बात सोचते रहते हैं इसलिए आप मेहरबानी करके... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह आपकी शालीनता को नहीं समझते। सभापति महोदय, कुछ सख्त कार्यवाही अपनाइये ताकि सदन अच्छी तरह से चले। यह नहीं सुनने वाले...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पंचायत राज से जनता को कुछ राहत मिल सके।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : कुछ सदस्यों को आदत-सी पड़ गई है, यह सदन नहीं चलने देना चाहते। किसी ने किसी विषय पर... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक्सईएन., जेईएन. लगा रखे हैं। (व्यवधान) सभी जगह भ्रष्टाचार फैल रहा है, माननीय सभापति महोदय, सबके कमीशन बंधे हुए हैं, कमीशन बंध रहे हैं इसलिए आप इस भ्रष्टाचार को मिटा दो, भ्रष्टाचार को मिटा दो, आपने भ्रष्टाचार को कम किया है। लेकिन और भी कम करो, मिटा दो इसको बिलकुल मिटा दो। (व्यवधान)

(भरतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं, हमें कुछ सुनायी नहीं दे रहा इतने शोरगुल के अंदर।

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है ऐसा अवसर बार-बार नहीं आता, जनता ने हमको बहुमत दिया है। जनता ने हमको विकास कार्य के लिए बहुमत दिया है। आप मेहरबानी करके इस भ्रष्टाचार पर पूरा नियंत्रण करो ताकि भ्रष्टाचार रुक सके।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने + + + यह किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : इस पर कार्यवाही हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, पंचायत विभाग में जितने भी सचिव आपने लगा रखे हैं, जो भी सचिव वहां पर लग रहे हैं आप उनको हिदायत दें।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : पहले इस्तीफा अपने अध्यक्ष से मांगों कि लोक सभा और राज्य सभा से वह इस्तीफा दे। इनसे किस चीज का इस्तीफा मांग रहे हो। (व्यवधान) सभापति महोदय, कुछ सख्त रवैया अपनाइये।

(17.28 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रामस्वरूप : और प्रत्येक सचिव ज्यादा से ज्यादा काम करता रहेगा।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : रामस्वरूपजी जिनको ग्रामीण विकास के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है, हम बहुत अच्छा सुनना चाहते थे। न तो मंत्रीजी सुन रहे हैं और न हम सुन रहे हैं। मंत्रीजी क्या जवाब देंगे, हमको इसका क्या लाभ मिलेगा?

श्री रामस्वरूप : आपने विकास के लिए कहा है कि सब पंचायतों को अधिकार दिया गया है, मेरा निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + + इस्तीफा मांगों पहले जिनको पूरे विश्व ने और देश ने हाथों से रुपये लेते हुए देखा है, आप पहले उनसे इस्तीफा मांगो, टी.वी. पर रुपये लेते हुए देखा है, एक बार नहीं हजारों बार। (व्यवधान) शराब की बोतल उनके सामने रखी है और पीते हुए पूरे देश ने देखा है।

श्री रामस्वरूप : सारे विभागों के अंदर एक बात की कमी है आप उनके अंदर तालमेल बैठाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 17.45 तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.30 बजे, 17.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पुनः समवेत होने पर

(17.45 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

मांग संख्या 28 एवं 41 पर विचार

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप।

डा. किरोड़ी लाल : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री सोहन नायक : + + +

श्री जुगल काबरा : + + +

श्री मदन दिलावर : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवदेन करना चाहता हूं। (व्यवधान) मंत्री महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

पंचायत समिति के, जिला परिषद के सदस्य है, उनको भी अधिकारों के बारे में यह सदन विचार करे। मेरा निवेदन है कि पंचायतों का पुनर्गठन जो भा.ज.पा. के शासनकाल में हुआ था...(व्यवधान) कांग्रेस की जो पंचायतें थीं उनमें गड़बड़ी की गयी थी। (व्यवधान) उनको काटा-छांटा गया था।

श्री मदन दिलावर : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है पुनर्गठन के सारे प्रस्ताव हमारे...(व्यवधान) आप मेहरबानी करके उन प्रस्तावों को मंजूर करें और नयी पंचायातें का गठन करो। (व्यवधान)

जब तक नयी पंचायतों का गठन नहीं होगा, सभापति महोदय, तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता। अब जनसंख्या बढ़ गयी है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : एक-एक गांव में एक-एक पंचायत...(व्यवधान) इसलिए उनका विकास होगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, आप मेहरबानी करके पंचायतों के पुनर्गठन की घोषण आज इस सदन के अन्दर ही करें।

(17.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी करके जो पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य है, उसको जल्दी से जल्दी करें। चाहे कोई कितनी ही बाधाएं आयें लेकिन आप मेहरबानी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : अब संकट खतम हो गया क्या जो बैठा रहे हैं मुझे?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप विराजो।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बोल रहे हैं? डिबेट पर बोल रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : हां, उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट पर बोल रहे हैं।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य संचेतक) : मैं समय बढ़ा दूं। रामस्वरूपजी समय बढ़ा दूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री रामस्वरूप : मेरा नम्बर है, मैं नियम से बोल रहा हूं, हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्राब्लम क्या हुई, बोलो न।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि दो घंटे के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28 एवं 41 पर विचार

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था उसमें भेदभाव, पक्षपात किया गया था। अब पुनः आपने वहां से सारे प्रस्ताव मंगवा लिये हैं। पुनर्गठन के लिए, सारे प्रस्ताव आपके पास रखे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी उन प्रस्तावों को पास करें ताकि नयी पंचायतों का गठन हो सके। नयी पंचायतें बनेंगी, नये सरपंच और बढ़ेंगे और उनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा ताकि उनका विकास हो सके। क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। एक-एक पंचायत में आठ-आठ, दस-दस गांव आपने लगा रखे हैं उनको वहां आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। आपने एक नियम बनाया कि पंचायत हैडक्वार्टर्स को सड़कों से जोड़ेंगे और अलग दूसरी पंचायत बनेगी तो उससे यह लाभ मिलेगा कि यह गांव सड़क से जुड़ जायेगा, अगर पंचायत दूसरी नहीं बनती है तो वह सड़क से नहीं जुड़ पाता है इसलिए वे विकास से रह जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि नयी पंचायतों का गठन अतिशीघ्र हमारी सरकार करे।

(श्री रामस्वरूप)

दूसरा मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति के सदस्य और हमारे जिला परिषद के सदस्य ये जो कड़ियां आपने बनायी हैं इन कड़ियों के कारण विकास कार्यों में बाधा आयी है। सरपंच के पास चैक आता है, पंचायत समिति का सदस्य कहता है कि मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, वे हमेशा शिकायत करते ही रहते हैं। मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य इन दोनों के अधिकार इन दोनों को भी दिये जाएं ताकि इनकी भी विकास में भागीदारी हो सके। एक जिला परिषद का सदस्य कई पंचायतों को मिलाकर जिला परिषद के सदस्य का चुनाव होता है और उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं, यह बहुत दुःख की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य इन दोनों को भी विकास कार्यों के अधिकार दिए जाएं। तीसरा मेरा निवेदन है कि पंचायतों को शिक्षा और पंचायतों को स्वास्थ्य और कई विभाग आपने जो पंचायतों के अण्डर में दिए हैं इससे सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ है। कई मास्टर डरने लग गये। वह इस बात को जानते हैं कि ये सरपंच साहब नाराज हो गये तो मेरा यहां से पत्ता साफ हो जाएगा इसलिए शिक्षा को तो कम से कम स्वतंत्र रखें। मेहरबानी करके इस प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाये कि वह भयभीत बना रहे और लड़कों को पढ़ा नहीं सके। आपने बहुत अच्छा किया कि ग्राम सभाएं बनायी, आपने ग्राम सभाओं के साथ-साथ वार्ड सभाएं भी बनायी हैं। अब जो बात वार्ड सभा में होती है, आज वार्ड सभा की बात को ग्राम सभा में मान्यता कम मिल पाती है क्योंकि वार्ड इतने हैं। उनकी सभाएं बार-बार होना बड़ा कठिन होता है, खाली कागजों में ही पूर्ति हो पाती है और उसके लिए जो प्रस्ताव आते हैं, उनके ग्राम सभाओं में लड़ाई होती है, जमकर लड़ाई होती है। कई बार तो उसके अन्दर लट्ठ चल जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : समाप्त नहीं साहब, अभी तो मुझे बोलने का अवसर मिला है। जब से तो हल्ला मच रहा था, किसी ने मेरी बात को सुना नहीं, गला बैठा लिया मैंने तो। अब बोलने लगा हूं तो आप कहते हैं बैठ जाइये। संकट में मैं काम आया, अब खुशी में आप मुझे बैठा रहे हो। इसलिए मुझे पांच मिनट तो दो साहब। जब मैं उस समय बोला तो अब भी अवसर दें मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट दे दिए, चलो बोलो।

एक माननीय सदस्य : जुझारू हैं ये।

श्री रामस्वरूप : इतने बढ़िया सुझाव दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पंचायतों को जो अधिकार आपने दिए हैं, आपने उसे अधिकार जो

(श्री रामस्वरूप)

बढ़ाये हैं, बहुत अच्छा काम आपने किया है पंचायतों के विकास के लिए, आपने जब से बागडोर सम्भाली है, जबसे कांग्रेस सत्ता में आयी है तब से पंचायतों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और है कि पंचायत के अन्दर जितनी भी महिलाएं चुनकर आयी हैं और आकर मीटिंग में बैठती हैं तो सबसे बड़े दुख की बात है कि उनके पति उनके साथ जो आते हैं, आपने एक नियम बनाया है वे अन्दर नहीं बैठ सकते, इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। माननीय माहिर आजादजी अभी कह रहे थे इस बात को तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं। वास्तव में यह बात बिलकुल सत्य है जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी, जब तक वे घूंघट से बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक वे पर्दे से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक इस जनतंत्र का सही मूल्य नहीं हो सकता इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसका सख्ती से पालन करावें। महिलाएं जो मीटिंग में अन्दर जाती हैं वे स्वतंत्र अपने विचार रखें। कई बार तो ऐसा होता है माननीय मंत्रीजी, सरपंच साहब जो होते हैं और उनके पति हैं वे महिला के दस्तखत तक कर लेते हैं। यह बात बिलकुल सही है, कई बार हम वहां जाते हैं, कहते हैं लाओ प्रस्ताव लेकर आओ। वह कहता है अभी लाता हूं पांच मिनट में, वह पांच मिनट में कहां घर चला गया, कैसे घर वाली को उसने इतनी सी देर में खुश कर लिया, कब प्रस्ताव ले लिया वह पांच मिनट में तुरन्त ही दस्तखत करके लाकर देता है, वह घर बैठी हुई है। तो इसको प्रैक्टिकल में भी देखना चाहिए। इस प्रकार की पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि कोई गलत काम नहीं हो, गलत काम होगा तो कल को जेल तो महिला जाएगी, पण्डितजी तो जेल जाने नहीं तो यह महिलाओं के साथ अत्याचार होगा क्योंकि आज कानून इस प्रकार के बने हुए हैं किसी को भी कोई भी आदमी कभी भी फंसा सकता है तो महिलाओं को इसका दण्ड भोगना पड़ेगा। कई महिलाओं ने तो विकास कार्य में भाग लेना बन्द कर दिया। अभी आपने अकाल राहत के जो काम चला रखे हैं, कई महिला सरपंचों ने मना कर दिया इस काम के लिए, कोई काम नहीं करवायेंगे क्योंकि हम कानून में फंस सकते हैं इस बात के लिए। पेमेंट दूसरे कर रहे हैं, तहसीलदार पेमेंट करता है और जिम्मेदारी हमारी होती है इस काम के लिए इसलिए उन्होंने मना किया है उस काम के लिए इसलिए आप मेहरबानी करके उनके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है तो उनको स्वतंत्र भी करें ताकि उनके काम का, जो फर्जी दस्तखत किये जाते हैं उस पर रोक लग सके।

चौथा, मेरा निवेदन है कि पंचायतों को जितना भी पैसा आप देते हो, यह सत्य बात है, सारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं इसमें भी कमीशन के रूप में आपका पैसा जाता है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी ने इस बात को स्वीकार किया था, एक सच को स्वीकार

(श्री रामस्वरूप)

किया था उन्होंने, आज इस सदन को भी सच को स्वीकार करना चाहिए। जब तक कोई भी इसका मैनेजमेंट नहीं बनता है, काम होता है सौ रुपये का तो कम से कम बीस और चालीस रुपये ऊपर की ऊपर चला जाता है तब जाकर सरपंच के प्राण बचते हैं। अगर वह पैसा नहीं दे तो उसके प्राण नहीं बचे। कानून में फंस जाए सरपंच, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कम से कम इसको भी प्रैक्टिकली सोचे ताकि पूरा पैसा जो विकास का आता है वह उसके अन्दर लग सके।

मेरा पांचवां निवेदन है माननीय मंत्रीजी, आपके जितने भी सदस्य चुन कर आते हैं पंचायत समिति और उसके अन्तर्गत, आपने उनको बैठने का अधिकार दे दिया। अब से पहले उनको अधिकार नहीं था, कि वह वहां बैठ जाए लेकिन वहां बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। वहां न कुर्सी है, न वहां पर भवन है, यह स्थिति है और उनके पास गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी है तो ऐसी हालत में है पंचायत समितियों में, कि जिसमें कोई बैठ नहीं सकता, किराये की गाड़ी ले रखी है उन लोगों ने, किराये की गाड़ियों में भी भ्रष्टाचार है। सबने अपने-अपने रिश्तेदारों के नाम से किराये की गाड़ी ले रखी हैं और उन गाड़ियों को लगा रखा है इन लोगों ने। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर यह विकास में भाग है, नेहरूजी ने राजस्थान में जो नींव रखी थी, आप मेहरबानी करके इनको साधन तो कम से कम उपलब्ध कराये, गाड़ियों के साधन उपलब्ध कराये। कई जगहों पर मीटिंग के लिए हाल नहीं हैं, मैदान में तम्बू लगाकर मीटिंग करायी जाती हैं सरपंचों की और इनकी, इसलिए कम से कम वहां हाल होना चाहिए। आज राजस्थान का पवित्र सदन नया बन गया, अरबों रुपया इसके अन्दर लगा दिया गया और पंचायत समिति का हाल आज तक पुराना ही जर्जर पड़ा हुआ है जिसकी दीवार गिर गयी, जर्जर होकर गिर पड़ा जिससे कई बार तो बड़ी बुरी हालत भी हो गयी बैठने वालों की। बरसात में तो कोई बैठ ही नहीं सकता। उस हाल का आज तक पुनर्गठन नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि आप पंचायत समिति में पुनः भवन निर्माण कराये। उनकी मरम्मत ही करवा दे अगर आप निर्माण नहीं करवा सकते तो। इसलिए जब तक पंचायतों की ओर आप ध्यान नहीं दोगे जब तक उनको इसका पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक यह सही सलामत काम नहीं कर सकते। न तो कहीं प्रधान को बैठने का कमरा है; न उप प्रधान को बैठने का कमरा है, न विकास अधिकारी को बैठने का कमरा है सबकी हालत बड़ी खराब हो रही है। मेरा तो निवेदन है कि आप मेहरबानी करके एक दौरा करे, तमाम जिलों का दौरा करे, उसमें सबसे पहले पंचायत समिति नादौती और

(श्री रामस्वरूप)

टोडाभीम को आप ले ताकि उसकी सही स्थिति आपके सामने आ सके कि वहां पर कार्यालय की क्या स्थिति चल रही है। इसलिए आप सब माननीय सदस्य विराजमान हैं, शायद मेरी बात से सब सहमत होंगे कि माननीय मंत्रीजी स्वयं पधारे और सब जगह जायजा इस बात का ले। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप पंचायत समितियों में जो भी व्यवस्थाएं हैं वे हमारी व्यवस्थाएं पुरानी ढंग से कर दी गयी हैं।

आज वर्तमान में जिस प्रकार से संख्या बढ़ी है, पंचायत समिति के मैम्बर्स बढ़ गए हैं, सरपंच ज्यादा बढ़ गये तो ये सारी व्यवस्थाएं उससे भी ज्यादा चाहिए हमारे लिए। इस प्रकार उनकी व्यवस्थाएं आपको बढ़ानी पड़ेगी। पुनः आपसे मेरा निवेदन है आपने सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए एक बार बुलाया था और कहा भी था कि आप अपनी पंचायतों के विकास के लिए मुझे कुछ सुझाव दे तो इसके अन्दर हमने तीन चार सुझाव उस समय दिए थे कि यहां पर जो बी.डी.ओ. लगाये जाते हैं। माननीय मंत्रीजी, कई विकास अधिकारी तो ऐसे हैं जो आना ही नहीं चाहते हैं, उनके ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बावजूद भी वे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वे तो वहां जाना चाहते हैं जहां उनको माल मिले। ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते जहां का विधायक जागरूक है, जहां का प्रधान जागरूक है, वहां लगना ही नहीं चाहते। इसलिए कम से कम यह होना चाहिए कि सरकार के जो आदेश हो जाएं, उन आदेशों की पालना होनी चाहिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी इस बात को करे लेकिन आदेश उसके हो गये, उस आदेश की पालना वह व्यक्ति करे यह मेरा आपसे निवेदन है।

अंत में, आपने मुझे पुनः जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज पंचायत राज पर बोलने का अवसर मिला। पहले तो मैं पुकार रहा था, मेरा गला बैठ गया। जब ये लोग पुकार रहे थे तब मैं भी पुकार रहा था। अकेला कहां तक मुकाबला करूं, ये तीस पुकार रहे थे, मैं अकेला पुकार रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री रामस्वरूप : लेकिन अपनी बात को मैंने कहा, पंचायत राज की बात को मैंने कहा, ग्रामीणों की बात को कहा, आम जनता की बात को इस सदन में आकर मैंने रखा। आपने समय दिया और माननीय मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि राजस्थान में पंचायत राज को और मजबूत आप कर रहे हो और करते रहें। धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान

(18.00 बजे)

इस ग्रामीण विकास की ओर अधिक ले जाना चाहता हूं। राजस्थान की सत्तर प्रतिशत जनता गांवों में है और सत्तर प्रतिशत जनता में करीब-करीब आधे लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ग्रामीण विकास का अभिप्राय ही यह है कि गांव में रहने वालों को आज की सभी तरह की सुख सुविधा सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध न भी हों तो कम से कम इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर तो उनको उपलब्ध हो, इतनी संरचना तो उनके लिए जरूर उपलब्ध हो कि जिससे गांव सड़क से जुड़ा हुआ हो, गांव में पीने के पानी का प्रावधान हो, गांव में विद्युतीकरण हो और गांव में प्राथमिक स्कूल हो और यदि वह पंचायत मुख्यालय है तो वहां मिडल स्कूल हो और आवश्यकता है तो सैकण्डरी स्कूल हो। जो गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसका विद्युतीकरण हुआ है, जहां प्राथमिक स्कूल है, जहां पीने के पानी की व्यवस्था है, वह गांव निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ विकसित है और जहां सड़क नहीं है, लिंक नहीं है, कोई रोड नहीं है, प्राथमिक स्कूल की आवश्यकता होते हुए प्राथमिक स्कूल नहीं है, निश्चित रूप से वह गांव विकसित गांव नहीं कहा जा सकता।

जो भी योजनाएं हमारी ग्रामीण विकास की हैं, अनेक योजनाएं केन्द्र से प्रवर्तित हैं और अनेक योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रही हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में योजना के नामों की कमी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना है और इस ग्राम स्वरोजगार योजना में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी उपलब्धि का जिक्र इस पुस्तिका में किया है। ग्राम विकास की जो प्रगति रिपोर्ट आपने पेश की है इस सदन को, करीब चौंतीस हजार लोगों को अपन कहते हैं ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत एक साल में लाभान्वित किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं यदि यह फिगर सही है तो कुल मिलाकर यह हुआ कि एक गांव में एक आदमी को हमने स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ा दिया। आखिर तो राजस्थान में तैंतीस हजार से अधिक गांव हैं करीब छत्तीस हजार कुछ और गांव हैं। यदि एक साल में हमारी उपलब्धि एक व्यक्ति को एक गांव में औसत स्वरोजगार देने की हुई तो निश्चित रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह विचार करना पड़ेगा कि पचास साल की इस लम्बी यात्रा में यदि आज के बजट में भी एक व्यक्ति को ही हम स्वरोजगार की तरफ ले जा रहे हैं तो हम अब तक कितने लोगों को ले गये हैं स्वरोजगार की तरफ। अब तो कम्प्यूटर का युग है, कम्प्यूटीकरण का युग है। माननीय मंत्री महोदय, अब तक जितने लोगों को जिन-जिन गांवों में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है, कम से कम इसका एक कम्प्यूटर का प्रोग्राम बनाकर इस नतीजे पर आएं कि हमने कितने लोगों को स्वरोजगार दिया है ग्राम विकास के माध्यम से स्वरोजगार हो रहा है। कोई एक खादी बोर्ड है। उसके माध्यम से पहले कुछ स्वरोजगार का काम चलता था लेकिन वह काम भी बहुत अधूरा था। उस वक्त खादी कमीशन जब खादी बोर्ड को कोई चार करोड़ की एड देता था तो मुश्किल से तीन चार हजार लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध होता था। माननीय खादी मंत्रीजी बैठे हुए हैं। अब तो आपकी वह योजना खादी आयोग ने समाप्त कर दी और बैंकों को सिर्फ गारंटी सरकार ने दे दी है और बैंकों के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाकर ऋण खादी संस्थाओं को उपलब्ध होता ही नहीं और गांव में एक भी आदमी खादी के माध्यम से, मुश्किल से पांच सौ आदमी होंगे राजस्थान में कि जिनको कोई साल में खादी के माध्यम से कोई ऋण मिलता है और वह स्वरोजगार को प्राप्त करते हैं।

माननीय मंत्रीजी, इसमें यह कहा गया है कि जितने हम कलस्टर बनायेंगे अनेक-अनेक उपयोगी साधनों के माध्यम से स्वरोजगार देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह भी कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत योजना बनाती है, सालाना योजना बनाती है। यह भी कहा गया कि साढ़े सात हजार रुपये ग्राम पंचायत खर्च कर सकती है। माननीय मंत्रीजी न तो ग्राम पंचायतें वार्षिक योजना बना रही हैं और न उसको कोई इम्पलीमेंट कर रही है और जो साधन आपने, हमने उनको दिये हैं वह साधन इतने हैं भी नहीं कि वह साढ़े सात हजार रुपये खर्च करे कोई प्रोजेक्ट अपने ग्राम पंचायत का बनवा ले, यह उनके लिए सम्भव नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ग्राम स्वरोजगार के प्रति भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जो भी फण्ड्स आप उपलब्ध करवा रहे हैं स्वरोजगार के लिए, आपने 1999-2000 में जो 34,120 लोगों को रोजगार दिया जिसमें 5507 तो अनुसूचित जनजाति के हैं 980 अनुसूचित जाति के हैं। इन अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़ों को देखे कि जिनको हम स्वरोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं उनकी फिगर एस.सी., एस.टी. में क्या है। आपने अल्पसंख्यकों की फिगर कहीं दी नहीं है। अल्पसंख्यकों की फिगर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि इसमें हो सके तो इसका भी समावेश किया जाना चाहिए जिससे यह पता चले कि हमने गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों को रोजगार देने का क्या साधन बनाया है।

मैं, माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करूंगा कि चाहे हमारी योजना इस साल 503 करोड़ खर्च करने की है और इसमें 317 करोड़

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहे भारत सरकार देगी और 185 करोड़ आप खर्च करेंगे, प्रश्न यह है कि स्वरोजगार के बारे में भी हमें अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। हम जब तक ग्रामीण लोगों की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण अलग-अलग छोटे मोटे धंधों में नहीं कराते हैं, हम मौचियों की ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, चमड़े का काम करने वालों की ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, कुम्हारों की ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, उनके विपणन का काम नहीं कराते हैं, जो जूती यह बनाते हैं गांव के अन्दर वह जूती ज्यादा अच्छी बनाने लगे और उसका सुसंस्कृत रूप और उसकी मार्केटिबिलिटी बढ़े, तब तक यह ग्राम स्वरोजगार बड़े पैमाने पर जो आपका, हमारा देने का इरादा है वह पूरा नहीं होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सबसे महत्वपूर्ण हमारी योजना अभी स्वर्ण जयन्ती एसईएसआई. जो स्वरोजगार योजना है, इसके साथ-साथ अनेक योजनाएं दूसरी भी हैं हमारी। जवाहर रोजगार योजना की जगह हम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ले आये हैं और इस योजना में भी पंचायतों के लिए कहा गया है कि वह योजना बनायेंगे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उसके बाद सुनिश्चित रोजगार योजना, माननीय मंत्री महोदय, ग्राम सुनिश्चित रोजगार योजना रोजगार की कमी के समय अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का इसका मुख्य ध्येय है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौनसे महीने तय किये हैं कि जब यह रोजगार की कमी गांवों में होती है और कौन कौनसे वैस्टर्न राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के जो भी दस जिले हैं उसमें कब कमी होती है, पूर्वी राजस्थान के जिलों में कब होती है, डांग क्षेत्र में कब होती है, मेवात के क्षेत्रों में कब होती है और आधे राजस्थान पूरे में अकाल है और इस अकाल में सड़कें बन रही हैं इसमें 75 और 25 का रेशो है। मैटीरियल का पच्चीस प्रतिशत है और श्रम का पिचहत्तर प्रतिशत है और माननीय मंत्रीजी अपने यहां जो ग्राम पंचायतों में साठ और चालीस का रेशो है। जब हमने मैटीरियल का रेशो आर्थिक कार्यों में पन्द्रह प्रतिशत घटा दिया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारा यह सुनिश्चित रोजगार योजना का कार्यक्रम चले तो निश्चित रूप से जो सड़कें और जो सम्पत्ति हम खर्च कर रहे हैं उसमें यदि पन्द्रह प्रतिशत मैटीरियल की कमी है तो वह कमी इस सुनिश्चित रोजगार योजना के माध्यम से आनी चाहिए क्योंकि उसमें सुनिश्चित रोजगार योजना पन्द्रह प्रतिशत रुपया एन.आरई.पी., आर.एल.ई.जी.पी. की जो भी सड़कें बनीं थी, उन सड़कों के रख-रखाव का भी प्रावधान पन्द्रह प्रतिशत इन योजनाओं में है लेकिन हमें डोर्टेल करना पड़ेगा। हमें समन्वय बनाना पड़ेगा। सड़कें जो भी अकाल में बनी हैं उनको परमानैंसी देने के लिए उन पर मैटीरियल की जो कमी है, वह मैटीरियल की कमी आपकी जो विभिन्न योजनाएं हैं उन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यदि इस वर्ष आती है तो निश्चित रूप से हमारी सड़कें जो भी इस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अकाल में राजस्थान भर में बनेगी उनको कुछ परमानेंसी और उनकी कुछ मजबूती बनेगी।

अभी जो राज्य सरकार छह सौ करोड़ का खर्चा पचास किलोमीटर एक विधान सभा क्षेत्र में, सौ किलोमीटर दो वर्ष में जो खर्च करने जा रही है उसको भी इन सारी योजनाओं से अकाल, ग्रामीण विकास और सड़क का कार्यक्रम, इन तीनों का भी कोई समन्वय राज्य सरकार को निश्चित रूप से बनाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इन्दिरा आवास हमारा बहुत प्रमुख कार्यक्रम है। माननीय मंत्रीजी, इन्दिरा आवास का जो लाभ गरीबों को है उसका कोई शब्दों में व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है। हम 20 हजार रुपये तो उनको प्रदान करते हैं और कुछ क्षेत्रों में 22 हजार रुपये प्रदान करते हैं। परन्तु माननीय मंत्री महोदय यह इन्दिरा आवास का कार्यक्रम, 1999-2000 में जब 27 करोड़ 87 लाख रुपये आपने बजट में रखे। पुराना रुपया और था और उनका हुआ 47 करोड़ और 31682 मकान राजस्थान में भर में बने। मैं फिर आपका ध्यानाकर्षित करूंगा कि जिस राजस्थान में 36 हजार गांव हैं और 31682 मकान इन्दिरा गांधी आवास में बने हैं तो कुल मिलाकर औसत को एक ही मकान एक गांव में बन पाया। चाहे हमने कहीं चार बना दिये और तीन गांव छोड़ दिये होंगे, चार गांव छोड़ दिये होंगे। लेकिन औसत तो एक का ही आया है। मैं इस इन्दिरा आवास के कार्यक्रम का बहुत बड़ा हामी हूं।

माननीय मंत्री महोदय, लूणकरणसर में जो बरबादी अतिवृष्टि से हुई, 32 हजार मकान उसमें गिरे। 32 हजार मकान ध्वस्त हो गये। आपने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और मंत्री महोदय आपने 10 अगस्त को पत्र लिखा और उस पत्र में आपने एण्ड में लिखा है, "अतः आपसे अनुरोध है कि बीकानेर जिले को एक हजार नवीन इंदिरा आवास और दो हजार कच्चे आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्राथमिकता से दी जाये।" यह पत्र आपने महरिया साहब को एड्रेस किया है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं।

माननीय मंत्री महोदय, जहां 32 हजार मकान ध्वस्त हुए, आपने सिर्फ तीन हजार मकानों की ही रिकमण्डेशन की और उसके बाद 72 किसान अगस्त के महीने में प्रधान मंत्रीजी से मिले और उनके मिलने पर माननीय प्रधानमंत्रीजी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से नौ करोड़ रुपये की राशि दी। 4 हजार लोगों के लिए 16 हजार रुपये और 4 हजार लोगों के लिए 8 हजार रुपये की राशि उन्होंने मंजूर की। उसके पहले जो कार्यक्रम राज्य सरकार ने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बनाया था उसके तहत यह रुपया आया दिसम्बर में, उससे पहले आपने 1159 व्यक्तियों को और 423 व्यक्तियों को, कुल मिलाकर 1926 व्यक्तियों को, नये निर्माण में आपने रखे 2382 और क्रमोन्नत में जहां 10 हजार रुपये ही देते हैं अधूरे कच्चे मकान को पक्का करने के लिए, आपने 2865 की संख्या रखी। अब माननीय मंत्रीजी, नये निर्माण 16 हजार की संख्या रखी आपने 2382 और क्रमोन्नत आवास की संख्या 2865 रखी। मकान गिरे 32 हजार, अब माननीय मंत्रीजी, इस बात को जरा देखे कि आपने भारत सरकार का पैसा आने से पहले कितना रुपया लूणकरणसर में भेज दिया था? मैं इस बिन्दू पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 2 दिसम्बर के बाद में रुपया आया 8 हजार मकानों का 9 करोड़ और उनमें 3 करोड़ रुपया आपको भी मिलाना था। जो आपके हिस्से का रुपया है। 75 प्रतिशत भारत सरकार का, 25 प्रतिशत राजस्थान की सरकार का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पत्र में प्रधान मंत्रीजी के यहां से आदेश हुए कि यह रुपया लूणकरणसर तहसील के लिए विशेष तौर पर है। माननीय मंत्रीजी, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा।

अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसकी जांच करें कि भारत सरकार का रुपया आने से पहले कितना रुपया वहां जा चुका था। जो कुछ भी नोट बना है डी.आर.डी.ए. में उसमें यह कहा गया कि 2382 का जो लक्ष्य है उसको हम अपने आंकड़ों से पूरा कर लेंगे। यह नोट बना हुआ है अक्टूबर, नवम्बर में। जिन लोगों को, हरिजन अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित करना है वह तो हम उसी रुपये से कर देंगे और उसके बाद में यह कहा कि जो रुपया भारत सरकार से आया है उस रुपये से हम मात्र 1358 लोगों को ही लाभान्वित कर पायेंगे। क्योंकि 60 प्रतिशत हरिजन जब लाभान्वित होते हैं तो इन्दिरा आवास में 40 परसेंट अन्य जाति के लोग भी लाभान्वित होते हैं (व्यवधान) आपको हरिजन पर आपत्ति है। महात्मा गांधी ने तो हरिजन शब्द कह कर आपका मान-सम्मान बढ़ाया था और आज यदि आपको महात्मा गांधी के हरिजन शब्द से आपत्ति है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। आप कितने कांग्रेसी हैं और कितने फ्रीडम स्ट्रगल से निकले हुए हैं यह आपके सोचने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह फैशन चल पड़ा है। अनुसूचित जाति, हमको तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति कान्स्टीट्यूशन में लिखा हुआ है। आज यह आपत्ति भी कोई ज्यादा विवेक संगत और बहुत ज्ञान से पर्याप्त नहीं है। यह निवेदन भी मुझे करना ही पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 1358 लोगों को ही हम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लाभान्वित कर पायेंगे क्योंकि हमने हरिजनों को लाभान्वित किया है उसका 40 प्रतिशत संख्या 1358 होती है। माननीय मंत्री महोदय, आज भी लूणकरणसर 27, 28, 29 मार्च को इस डी.आर.डी.ए. में 9 करोड़ रुपये भारत सरकार के आने के बाद भी सैकड़ों हरिजन आज भी 16 हजार से महरूम हैं और सैकड़ों अनुसूचित जाति के लोग 10 हजार रुपये क्रमोन्नत मकान से भी महरूम हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपाधापी इस डी.आर.डी.ए. में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा पार्टी का समय 10-20 मिनट ज्यादा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको आगाह किया है, बंद नहीं किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आगाह तो ठीक है। आपको बहुत धन्यवाद है। सैकड़ों अनुसूचित जाति के लोग वंचित हैं। माननीय मंत्री महोदय यह कहने से काम नहीं चलेगा कि 6 हज़ार लोग लाभान्वित हो गये लूणकरणसर तहसील में, प्रधान मंत्रीजी ने यदि कहा कि लूणकरणसर तहसील के लिए विशेष तो निश्चित रूप से उसमें आपको सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। एक भी आदमी जो बी.पी.एल. से ऊपर है वह लाभान्वित नहीं हुआ है। बी.पी.एल. और ए.पी.एल. यानि बिलो पावर्टी लाइन और अबाव पावर्टी लाइन का गांव में कितना फर्क है। जिनके मकान ही ध्वस्त हो गये 25-50 हजार के, वह चाहे अबाव पावर्टी लाइन में रहे होंगे। गरीबी की रेखा से थोड़ी ऊपर रहे होंगे। लेकिन यदि रुपया उपलब्ध था तो निश्चित रूप से उनको भी लाभान्वित किया जाना चाहिए था। इन्दिरा आवास के नियमों में गरीबी की रेखा से ऊपर वालों को लाभान्वित करने का नहीं है। आप बहुत सीधा सा तर्क देंगे और यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार से हमने जो प्रार्थना की थी उसको माना नहीं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग बच गये बी.पी.एल. के भी, अन्य जाति के और अनुसूचित जाति के लोग उसका जवाब निश्चित रूप से आपको देना चाहिए और ना सिर्फ जवाब देना चाहिए उसमें इनक्वायरी करानी चाहिए कि जिस-जिस गांव के लोग लाभान्वित हुए हैं वह ऊपर से सूची, जिस तरह से पुरानी सूची थी, उस तरीके से लाभान्वित हुए या नहीं या उसमें आपाधापी करके जो बाद में चयनित किये गये थे। जिनका नम्बर बाद में था वह पहले लाभान्वित हो गये। अनुसूचित जाति के रह गये, जनरल कैटेगरी के लोग पहले लाभान्वित हो गये। यह जो 12 करोड़ रुपया एडिशनल उपलब्ध हुआ और जिससे वहां 8 हजार मकान बनाने थे। उनमें से साढ़े 6 हजार मकान ही बने हैं लूणकरणसर में। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि वह चाहे मेरा निर्वाचन क्षेत्र है या पूरा जिला है उसमें सभी हरिजनों, पहले जो जनरल कैटेगरी का कोटा आपने लूणकरणसर में दिया था दूसरी तहसीलों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का डाइवर्ट करके वह वापस हम लोगों ने डी.आर.डी.ए. में एक प्रस्ताव पास करके वापस उन तहसीलों को भिजवाया है। क्योंकि आज कोटा आ गया है इसलिए वापस उन तहसीलों के अनुसूचित जाति के लोगों को और अन्य कैटेगरी के लोगों को भी लाभान्वित किया जाये। उनका कोटा उनको चला गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो हरिजन वंचित रह गये हैं उस पर आपको जवाब भी देना है। उस पर जांच भी करनी है और उसमें पंचायतों की भी आपाधापी है। लूणकरणसर में पंचायतों में आपाधापी है। बामनवाली गांव के लोग तो एक भी लाभान्वित नहीं हुए हैं तीन बार उनका प्रस्ताव गया और दो बार प्रस्ताव भेजने के बाद तीसरी बार और भेजना पड़ा। तीसरी बार भेजने पर पी.डी. ने कह दिया कि अब तो टाइम खतम हो गया, रुपया खतम हो गया। मैं पूरी जांच करने की मांग इस मुद्दे पर कर रहा हूं कि जो बजट था, नया जो बजट आया उसका वितरण किस तरीके से किया गया और किस तरीके से उसमें जो आपाधापी हुई है उसमें माननीय मंत्री महोदय, विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान, यह जो जल ग्रहण योजनाएं चल रही हैं राजस्थान में आठ सौ से ज्यादा चल रही हैं। इन जल ग्रहण योजनाओं को बहुत सैद्धांतिक जामा पहनाया गया है। पांच सौ हैक्टेयर जमीन होगी और जो काम सिंचित क्षेत्र में नहरों से किया जाता है। वही इन जलग्रहण योजनाओं के माध्यम से किया जाना बहुत प्रशंसनीय, अनुकरणीय और जितना स्तुत्य कहा जाए वह कम है। लेकिन जलग्रहण संस्थाओं की स्थिति क्या है? मंत्री महोदय, इन जलग्रहण संस्थाओं में जितना भ्रष्टाचार है, जितनी आपाधापी है, 25 हजार का कुण्ड आप जाकर देखें तो सही, कोई एजेंसी तो बनाए सरकार, चाहे रुपया भारत सरकार का है, 1999 से पहले और चाहे 25 प्रतिशत आपका है और 75 प्रतिशत भारत सरकार का, 25 हजार रुपये में कितना बड़ा कुण्ड बीकानेर जिले में बनेगा, चूरू जिले में कितना बनेगा। झुंझुनूं में कितना बनेगा, इसका कोई तो मापदण्ड बनाएं। कुछ तो हो, उससे एक फीट, डेढ़ फीट कम हो, ज्यादा हो लेकिन कोई तो मापदण्ड बने, लोगों को कहा जाए कि इसका रुपया, आपके ऊपर कृपा नहीं है, हम 500 हैक्टेयर जमीन जिसको देते हैं, 25 लाख रुपया भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलाकर देगी, उस रुपये पर उस किसान का हक है और उसको रुपया चैक से मिलना चाहिए। यह जो सीमेंट के जरिए, ईंट के जरिए रुपया दे दिया जाता है वहां 25 हजार ईंट भी नहीं पहुंची। उनको 10-12 हजार में से कुण्ड बना देते हैं, 10-12 हजार का अता पता नहीं होता और एक गरीब किसान यह समझता है कि मेरे ऊपर तो कृपा कर दी जलग्रहण योजना वालों ने, मेरा नाम छांट लिया अन्यथा मेरे पड़ौसी का छांट लेते। यह जो बड़ा भारी 80 करोड़, 70 करोड़, 60 करोड़ रुपया खर्च करके जो कार्यक्रम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चलाया जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो एजेंसियां हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट हैं जलसंग्रहण योजनाओं के, उनको बड़ी मुस्तैदी से सही सलाह के तौर पर काश्तकारों को कोंफिडेंस में लेना चाहिए। और उनको बताना चाहिए कि यह आपके क्षेत्र में जो भी अलग- अलग जिले हैं, उनकी जो टोपोग्राफी है, कहां से मैटीरियल आएगा, ईंट आएगी, पत्थर लगेगा, जो भी कुण्ड बनने में लगेगा, निश्चित रूप से आपको उनकी गाइडेंस करनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी, मैंने तो एक कुण्ड नहीं देखा कि जिसमें कोई इतना पानी इक्ट्ठा हुआ हो कि 100 पेड़ लगा लिये हों, और अकाल के वक्त में वह किसान यह कहे कि मैंने कुण्ड बना लिया इसलिए मैं अकाल से बच गया, मैंने चारा भी पैदा कर लिया और मैंने 100 पेड़ लगा कर मेरी आमदनी 10,000 रुपये कर ली जिससे मैं ड्राटप्रूफ हो गया, अकाल का मेरे पर असर नहीं पड़ा। आज राजस्थान में अकाल का असर कहां-कहां नहीं पड़ रहा है, कोई तो जलग्रहण यह कहे कि हमने पांच सौ हैक्टेयर में पैदा किया जिससे अकाल का असर नहीं पड़ेगा। हम जलसंग्रहण सही तरीके से कर रहे हैं, वाटर शैड सही तरीके से बना रहे हैं, वाटर हारवेस्टिंग सही तरीके से कर रहे हैं। हमें इन योजनाओं और कार्यक्रमों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं पूरी राज्य सरकार, हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों, जिनके क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा हमारा भी इसमें दायित्व है, उसको हम और अधिक जागरूकता के साथ काम करें और उसको सही सलाह दें। जो लोग भी जलसंग्रहण योजनाएं चलाते हैं उनको सही सलाह दें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, बारानी क्षेत्र में अकाल राहत के तहत जो जोहड़ों पर जोर दिया जाता है, कुछ जोर इस साल दिया भी गया है। काफी जोहड़े खुद भी रहे हैं, कुछ जोहड़े हमारे क्षेत्र में बंद हुए, वापस हमने जिला कलक्टर को कह कर, कभी-कभी माननीय मंत्रीजी को कह कर उनको शुरू करवाने का काम किया है। नाम तो सिंचाई का है लेकिन वे जोहड़े पीने के पानी के हैं। आखिर हमारे लूणकरणसर में सिंचाई जोहड़ों से नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोहड़ों पर जोर है, उसी तरीके से हमें खेतों की टोपोग्राफी देख कर, खेतों में कहीं ढलान का होता है बरसात का पानी कहां इक्ट्ठा हो सकता है, वह जरूरी नहीं कि सब जगह सीमेंट के कुण्ड बनेंगे, हम कच्चे कुण्ड खोदें और पोलीथिन की सीटों से, कोई सस्ती टैक्नोलोजी ईजाद की जानी चाहिए कि 10-15 हजार रुपये में एक कुण्ड बन जाएगा, बाद में चाहे उस पर 50 हजार रुपये लगे, जिससे वह कुछ 5 बीघा, 4 बीघा, 7 बीघा जमीन में सिंचाई

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कर खेती कर सकेगा। ऐसा कोई एक्सपेरीमेंट सरकार को निश्चित रूप से करना चाहिए और हमारे यह जो 10 जिलों में फैला हुआ रेगिस्तान है पश्चिमी राजस्थान का उसमें जब तक हम बारानी क्षेत्रों में खेती के सम्बन्ध में भी कुण्ड बनाने की नहीं सोचते हैं। और उसमें पक्का नहीं, कच्चे कुण्ड और जिसमें पोलीथिन की शीट लगाकर पीने का पानी रोक सके। कोई भी मैटीरियल हो, जो पानी को सोखने से रोक सके, उसका कोई न कोई एक्सपेरीमेंट राज्य सरकार को करना बहुत आवश्यक है तभी हम अपने बारानी क्षेत्रों में सम्पन्नता के दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा बारानी क्षेत्र है, तीन साल में दो साल अकाल पड़ना बिलकुल लिखा हुआ है, पड़ेगा ही पड़ेगा और अकाल पड़ेगा तो वही 565 करोड़ रुपये फिर 665 करोड़ रुपये, 765 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी और उससे दूसरे कामों में निश्चित रूप से बाधा पड़ेगी।

जलसंग्रहण संस्थाएं हैं उनमें पी.आई.ए. पंचायतें भी होती हैं, कई जगह पी.आई.ए. वन विभाग है, उन सब पी.आई.एज. को निश्चित रूप से आपको एक्टीवेट करने की जरूरत है और पी.आई.ए. जहां ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों की पी.आई.ए. है, चाहे वन विभाग की हो, वन मंत्रीजी नहीं है, मैंने देखा है कि पी.आई.ए. वाले तो 8-8 लाख रुपए सीधे ड्रा कर लेते हैं और वन विभाग वालों ने भी किया है। मैंने उनको अलग से पत्र भेजा है और उस 8 लाख रुपए का हिसाब-किताब का पूछो तो वह समय खतम होने पर भी पता नहीं चलता कि वह कहां गया। वन विभाग वालों के तो मौज है, खर्चा चाहे वन विभाग में हुआ, वह कह देंगे कि पेड़ों में लगा दिया। तो उनके द्वारा बताए गए खर्चों का मिलान भी खुद उनके रिकार्ड से किया जाना जरूरी है जिससे पता चले कि कहीं उस रुपए का गबन तो नहीं कर लिया गया है। इन सब बातों पर बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है।

मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रशिक्षण में आई.टी.आई. की हमारी जो बेसिक यूनिट है, इसको आप पंचायत समितियों तक फैलाइए। इसके प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी हमारे पुराने कोटेज इण्डस्ट्रीज, छोटे उद्योग थे, उन सब उद्योगों को वापस खड़ा करने का काम, छोटी पूंजी से, रोजगार सृजन करने का काम यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास का काम आगे बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। हो गई बात, आधा घंटा हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपका आदेश मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके और 4-5 माननीय सदस्य हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, वे सब बोलने वाले हैं। मैं इसको कनक्लूड कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अनेक योजनाओं में डुप्लीकेसी चल रही है। खास तौर से हमारे लूणकरणसर में 3500 लोगों को ऋण और अनुदान देने को आपने कहा था। जब यह फ्लड आई थी और जब यह इन्दिरा आवास का मामला चला था। उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति को 10 हजार रुपये का अनुदान और 30 हजार रुपए का ऋण जो बैंकों से दिलाना था गरीबों को, ग्रामीणों को, वह एक पैसा नहीं मिला।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसलिए नहीं मिला कि आपने समझा कि अब तो 8 हजार मकानों के लिए प्रधान मंत्री ने रुपया भेज दिया और 3500 लोगों को ऋण देना, 10 हजार का अनुदान देना और फिर 30 हजार ऋण दिलाना जरूरी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था हमें करानी है और ग्रामीणों के भी पक्के मकान बनाने हैं तो यह जो ऋण और अनुदान का कार्यक्रम है, बैंकें निश्चित रूप से राजस्थान की, इससे इंकार कर रही है, ग्रामीणों को ऋण देने से। आपके ध्यान में होगा और ध्यान में नहीं है तो मैं ध्यान में ला रहा हूं। कोई बैंक किसी ग्रामीण को 30 हजार, 25 हजार, 20 हजार रुपए का ऋण नहीं देना चाहती और नहीं देती है। तो हमारा जो कंसोरटियम है, बैंकों से रोज मीटिंग होती है, महीने में सारी स्टेट बैंकों और सारे नेशनलाइज बैंकों की जिला लेवल पर जिला कलक्टर मीटिंग बुलाते हैं, उन सबका मर्ज क्या है? क्या गांव वालों की क्रेडिबिलिटी खतम हो गई है, वह अपने मकान का ऋण भी नहीं चुकाएगा? निश्चित रूप से जहां पर ग्रामीण आवास का प्रश्न है, राज्य सरकार को बैंकों को किसी न किसी रूप से बाध्य करना चाहिए। क्रेडिबिलिटी देखें पर जिसके पास 50 बीघा जमीन है, 60 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है उसको यदि आप 20-30 हजार रुपए ऋण भी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। आज के समय में नहीं करवाते हैं जबकि जमीनों की कीमतें गांव के अंदर 10 हजार रुपए बीघा हो रही है, कम से कम बारानी जमीन की। तो मैं समझता हूं कि यह सारा हमारा ध्यान, सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि ग्रामीण आवास के लिए ऋण उपलब्ध हो। इसलिए सारी स्थिति ऐसी बनी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण आवास के मसले पर हमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है और इस योजना में 30 प्रतिशत ऋण रूटीन योजना में, 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण है, उसको भी आप देखें। तरह-तरह की योजनाएं ग्रामीण आवास योजना के लिए है, इन्दिरा आवास भी है, अलग-अलग सैक्टर्स की जरूरत के लिए है। पहले तो इन्दिरा आवास में अनुसूचित

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जाति के लोगों को ही ऋण देते थे, आज तो इसमें बी.पी.एल. के लोग हैं, अन्य जातियों के लोग हैं, साधारण जातियों के लोग हैं, सवर्ण हैं, उन सबके लिए ऋण है, इसलिए ये सारी जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, योजनाओं की भरमार है। आपके राजस्थान की भी अनेक योजनाएं हैं, अपना गांव अपना काम योजना में आपने मंत्री महोदय, कमाल कर दिया है, 0.01 लाख रुपये यानी एक हजार रुपये रखा है। अब वह कुलमिलाकर बंद कर दी। 32 जिला 32 काम बंद कर दिया। डांग क्षेत्र आपने बंद कर दिया। अब डांग क्षेत्र के विकास की जरूरत नहीं है, अब मेवात क्षेत्र में जरूर 50 लाख रुपये आपने रखे हैं, क्योंकि मेवात क्षेत्र की मजबूरियां कुछ अलग होंगी। तो मेवात क्षेत्र में तो काम होगा डांग क्षेत्र में नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि यह आपकी कौनसी प्राथमिकता इसमें चल रही है। अनेक योजनाएं जो राजस्थान की थीं आपने करीब-करीब उनको बंद करने का काम किया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलायी जा रही हैं उसमें भी ठीक है वे केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं 75 रुपया भारत सरकार का है, 25 रुपया हमारा है। उन सब योजनाओं की भी कोई न कोई प्रायोरिटी हमें तय करनी चाहिए कि हमारी तरफ से इन-इन योजनाओं में प्रायोरिटी होगी। भारत सरकार को भी हम कह सकते हैं कि इन-इन योजनाओं को राजस्थान उसके लिए अधिक सूट करता है और उनमें अनेक योजनाओं में समन्वय स्थापित करके हमें कुछ योजनाओं को बहुत व्यापक पैमाने पर चलाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं ग्रामीण विकास की जो बहुत टफ चुनौती आपको है जब तक हम यह औसत एक से आगे नहीं जाएंगे, कहां 36 हजार और 34 हजार का स्वरोगजार दे दिया और कहां 36 और 31 हजार मकान बना दिये इन्दिरा आवास में। यह एवरेज एक या एक से भी नीचे जो चल रहा है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें संख्यात्मक भी और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तनों की आवश्यकता है और माननीय मंत्री महोदय मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर सम्पूर्ण रूप से ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। इसलिए ग्रामीण विकास होगा तभी हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान का वास्तविक विकास हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, विकास के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि गांवों के अंदर जो भाईचारा और प्रेम और चौपाल की धूणी पर बातचीत करने की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह का प्रेम और ओरिजिनली तरीके से हुआ करती थीं वह चीजें भी जिन्दा रहेंगी तभी हम कह सकते हैं हमारा

(श्री सांवर लाल)

हिन्दुस्तान ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति भी कर रहा है और इसके साथ-साथ इनकी परम्पराएं भाईचारे की थीं, धूणी पर बैठने की थीं ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बरकरार करते हुए गांव-गांव में विकास हुआ है, स्कूलें, धर्मशालाएं, जरूरतमंद को रोजगार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं भारत सरकार से स्पोंसर्ड और राजस्थान सरकार की लगभग 25-30 योजनाएं हैं जिनके माध्यम से गांवों का विकास करने का बीड़ा और जिम्मेदारी सरकारों को मिली है या सरकारों ने उठाई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज जिस मौलिक भावना से शुरू किया गया उस मौलिक भावना को हम बरकरार रखेंगे तभी वास्तव में हमारे गांवों का कल्याण होगा। जबसे ये पंचायत समिति या जिला परिषद की बैठकें होती हैं, माननीय मंत्री महोदय को बहुत सक्षम मंत्री माना जाता है और माननीय मुख्य मंत्रीजी के बहुत करीब माना जाता है, पर लगभग दो-अढ़ाई साल से मंत्री महोदय, शुरू-शुरू में तो कुछ अफसरों में डर था, पंचायत समितियों की बैठक होती थी तो सारे के सारे अधिकारी सभी विभागों के कर्मचारी आते थे और उपाध्यक्ष महोदय, साल भर के अंदर किसी भी प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी उन बैठकों के प्रति कोई सिंसियर नहीं है, आते नहीं हैं। तो आपकी भावना कुछ भी हो हम जब तक राज का भय जो एक्जीक्यूट कराने वाला अधिकारी और कर्मचारी को नहीं होगा तब तक आप अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं पिछले एक साल की पंचायत समिति की बैठकों की डिटेल मंगा लीजिए जिला स्तर की या वहां के ब्लाक स्तर के कितने अधिकारी उन बैठकों में आते हैं। अगर इसी प्रकार की हालत रही तो लोगों का विश्वास उससे खतम हो जाएगा। आप कह रहे हो वार्ड सभाएं होंगी, ग्राम सभाएं होंगी, फलानी सभाएं होंगी, यह तो बहुत उच्च लेवल की बात हो गई माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह किस समय पर हो रही हैं या नहीं हो रही है यहां तक तो मंत्रीजी का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यहां पर एलान कर सकते हैं, उसकी वाहवाही ले सकते हैं वास्तविक उपस्थिति वहां कितनी रहती है, कौन अधिकारी देखता है, कौन नहीं देखता है किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं तो एक चुनौती दे रहा हूं पंचायत समिति स्तर पर की जो भी बैठकें हैं उनका भी आप अगर हिसाब-किताब मंगवा लें तो आपकी जानकारी में आ जाएगा कि आप यहां पर विधान सभा में जो बोलते हैं उसके अनुसार कार्यवाही होती है या नहीं होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001 का एक पैरा पढ़ रहा हूं। "योजनान्तर्गत अब संरचना

(श्री सांवर लाल)

मद में माह फरवरी, 2001 तक 23461 दुकानें निर्मित कराई जा चुकी हैं, जिनमें से 17474 दुकानें बी.पी.एल. परिवारों को आवंटित की जाकर उन्हें स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बुद्धिमान मंत्री महोदय हैं अब यह लिख देंगे कार्यवाही प्रगति पर है। अगली बार भी लिखेंगे जब यह एनुअल रिपोर्ट छपेगी कार्यवाही प्रगति पर है। अच्छा होता अगर मंत्रीजी आप यह जानकारी लेते कि 17474 में से कितने लोगों को लोन डिस्बर्समेंट करवा दिया गया, कितने में वास्तव में धंधा चालू कर दिया। अब आप केवल यह दे देंगे कि प्रगति पर है, जो व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों की तरफ देखिए और यह साल-साल, दो-दो साल तक लोग बाग दुःखी हो जाएंगे, आपकी दुकानें खाली करके चले जाएंगे और जिस मंशा और उद्देश्य के साथ में आपने ये दुकानें बनायी हैं उनका कुछ होना-जाना नहीं है।

इसी प्रकार इन्होंने लिखा है "भारत सरकार द्वारा धौलपुर जिले हेतु 117 एनीकट एवं संबंधित कार्यों के लिए एक विशेष परियोजना रुपये 4.927 करोड़ की स्वीकृत की गई है, जिसके लिए प्रथम किस्त के रूप में रुपये 1.847 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धौलपुर को निर्मुक्त की जा चुकी है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में यह प्रतिवेदन पेश कर रहे हैं तो कम से कम भारत सरकार जिस उद्देश्य से पैसा देती है सरकार की जिम्मेदारी है उसका हिसाब दे। निर्मुक्त की जा चुकी है, काम शुरू किया या नहीं। यह एनीकट आप कितने वर्षों में बनवाएंगे। जब तक आप रेस्पोंसिबिलिटी और टाइम पीरियड तय नहीं करेंगे सरकार कोई पैसे का सदुपयोग काश्तकारों को या गांव वालों को दिलाने में सफल नहीं होगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार का गोलमाल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जगह सब्जेक्टिव आप दीजिए कि इन लोगों को हमने लाभान्वित कर दिया, इतने एनीकट हमने बना दिये। 50 लाख में एक लाख खर्च किया या 5 लाख किया ये बातें इसमें आनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बात चल रही थी डांग क्षेत्र विकास योजना के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इस प्रतिवेदन में इन्होंने मगरा विकास योजना के लिए लिखा। "आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान मगरा क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य को सम्पादित करवाने हेतु राज्य में 10 लाख रुपय का प्रावधान किया गया। दिसम्बर, 2000 का सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया, इसकी जांच की जा रही है।"

(श्री सांवर लाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 50 वर्ष देश को आजाद हुए हो गये, प्रजातांत्रिक सरकारें चल रही हैं, मगरे के विकास के लिए क्या काम करना है, 10-10 लाख रुपये केवल सर्वेक्षण के नाम पर खर्च कर रहे हैं। मैं तो यही जानकारी चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है, उसकी भी जांच करें और वह रिपोर्ट सदन की टेबल पर रखी जाए। आज मगरे की समस्याएं क्या हैं, मगरे से आये इनके जन प्रतिनिधियों को जानकारी नहीं है। आज ग्यारहवीं विधान सभा चल रही है। कई माननीय सदस्य जीत कर आ गये। अब यहां पर मगरे की क्या समस्या है, उसके सर्वेक्षण की क्या जरूरत पड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आता वहां पर एनीकट बनाना है, लाइट की व्यवस्था करनी है, वहां पर सड़कें बनानी हैं, क्या बनानी है ये सारी की सारी चीजें आवश्यक होती हैं। पर यह सरकार गोलमाल करके समय निकालना चाहती है जैसे मृग मरीचिका में आदमी को दिखता है वहां पर पानी है, वहां पर पानी है इसी प्रकार से सरकार दिखाकर गांव वालों को भ्रमित करना चाहती है सर्वेक्षण के नाम पर। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आपको प्रस्तुत हुई है उस रिपोर्ट को आप सदन की पटल पर रखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजनाएं कई हैं, आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। आज जनता में कितना आपका विश्वास है इस बात से आप मान सकते हैं कि आपने कुछ किया या नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आयी, आते ही बड़े जोर-शोर से प्रचार-प्रसार इन्होंने किया, भैरोंसिंहजी के राज ने यह कर दिया, वह कर दिया, हम प्रमुखों को यह अधिकार दे देंगे, फलाना अधिकार दे देंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ यह कर देंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आज इनके पंचायत राज जन-प्रतिनिधियों की बैठक जहां पर होती है, अदने से कर्मचारी भी आने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको कोई भय नहीं है। आज पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य सबकी हालत खराब है। एक बात मंत्रीजी जरूर है। आपने तो कुछ किया या नहीं किया, पर उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं किस वजह से किया, मैंने दो-चार दिन पहले अखबार में पढ़ा था। लोगों ने जानकारी दी कि साहब उनकी बेटी जिला प्रमुख है इसलिए एक आदेश और यातायात मंत्रीजी के कार्यालय से निकाल दिया गया कि जिला प्रमुख को लाल बत्ती लगाने का अधिकार दिया जाय। क्योंकि यातायात मंत्री, बाकी ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गयीं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. रात और दिन चलता है। एक

(श्री सांवर लाल)

पैर यहां पर, एक पैर एरिया में रखता है। रात को 12 बजे, 2 बजे आता है। कई बार सदन में चर्चाएं हो गयी, प्रमुखों को दी, अच्छी बात है वह भी जनप्रतिनिधि है। पर मेरे खयाल से, प्रोटोकाल के हिसाब से, सभी हिसाब से यह माननीय सदस्य सत्ता पक्ष वालों का तो पैर टिकता ही नहीं हम तो फिर भी यहां पड़े रहते हैं 2-4 दिन। यह एरिया में गये और फिर वापस भागते हैं और रात के टाइम ट्रैफिक की हालत क्या है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए मंत्रीजी, यह सिफारिश तो आप करवाकर करवा लें कम से कम आपके माननीय सदस्य लाभान्वित होंगे। आज जिस प्रकार का लोड रोड के ऊपर पड़ा हुआ है उसके हिसाब से यह बहुत आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में एक और इन्होंने लिखा है कि जिस पंचायत के अन्दर वार्ड मेम्बर से लगाकर सरपंच तक निर्विरोध निर्वाचित हो गया, पहले तो यह था कि उसको 2 लाख, 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है कि सरकार की जिम्मेदारी अकाल के अन्दर भेदभाव करने की नहीं है, प्रभावित जनता को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। यह गैर जिम्मेदार सरकार इस प्रतिवेदन में लिख रही है कि जो पंचायत निर्विरोध आ जाएगी वार्ड मेम्बर से सरपंच तक उसको 2 लाख का अकाल राहत कार्य देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य का परपज क्या है, मुझे यह समझ में नहीं आया। आपने नार्म्स पढ़े एम.सी.आर.एफ. के कि किस हिसाब से उसको काम में लेना है, कहां कहां उसको खर्च करना है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो पंचायत निर्विरोध निर्वाचित होकर आई है उसमें आप अकाल राहत का पैसा डाइवर्ट करा दोगे। मंत्रीजी जवाब देना इस बात का कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि यहां पर निर्विरोध पंचायत चुनी हुई आएगी वहां पर अकाल राहत का पैसा खर्च करेंगे 2 लाख। अब आप वह देंगे यहां पर अभावग्रस्त घोषित है वहां तो आप कर देंगे क्योंकि यह भेदभाव ही होगा एक तरीके से, फिर भी आप करने की क्षमता रखते हैं। पर जो पंचायत निर्विरोध और अभावग्रस्त गांव घोषित नहीं है उस पंचायत के अन्दर कोई भी वहां पर आप किस प्रकार से लगाएंगे, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका इसको लिखने का मकसद क्या है, यह भी जरा हमको स्पष्ट कर दें। आपने क्यों लिखा है, क्या लिखना यह उचित था, यह भी आप बता दीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन है।

(श्री सांवर लाल)

ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास गांवों के अन्दर वातावरण अच्छा बना रहे इसके लिए भी कोई प्रयास आप कीजिए और ग्राम सभाएं गांव की पंचायत की सुविधा के अनुसार ही होने दीजिए। आप तो हमेशा एक फरमान जारी कर देते हैं कि फलां दिन यह होगा। अब आपके पास सामान क्या है, आप सुपरविजन कर नहीं सकते। आपके अधिकारी नहीं, आपके कर्मचारी नहीं। आपने ग्राम पंचायतों के अन्दर सिंचाई विभाग के बेलदारों को फिट कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ऐसे जो बिलकुल अनुभवहीन लोग समानीकरण और एक्सेस स्टाफ के नाम पर हर जगह जो कर्मचारी था, जो जिसके योग्य था वहां से उसको हटाकर ऐसी जगह पर उसको फिट कर दिया जहां पर वह काम नहीं जानता है। इससे आज ग्राम पंचायतों के अन्दर यह भट्टा बैठा है इसलिए इस बारे में भी कुछ विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, सब कुछ झेलने के लिए आप ही हो, आपका महकमा ही है क्या? सारे रिजेक्टेड दूसरे डिपार्टमेंट से सरप्लस कर्मचारी आप ले रहे हैं उनको जानकारी कोई किसी प्रकार की नहीं है तो इस बारे में भी आप अपने स्पष्ट विचार दें कि क्या आपकी मजबूरी है जिसकी वजह से जहां से भी सरप्लस हो जाता है, चाहे चपरासी हो जाय, चाहे बेलदार हो जाय, चाहे एईएन., जेईएन. हो जाय सब को खपाने की आपकी जिम्मेदारी है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंह शेखावत जब मुख्य मंत्री थे कई अच्छी योजनाएं राजस्थान में शुरू की थीं उन सारी योजनाओं को आपने बंद कर दिया। आंकड़ों में कुछ भी हो आज अपना गांव अपना काम योजना इतनी बढ़िया थी जिसमें जनता का सहयोग मिलता था। और जनता का सहयोग मिलता था तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता उसके ऊपर नजर रखती थी कि हमारे सहयोग का जो पैसा है उस पैसे का सही उपयोग हो, इस बात के लिए गांव वाले तत्पर रहा करते थे। गांव में जो जरूरी काम होते थे उस काम को करवाने के लिए गांव वाले पैसा इकट्ठा करते थे। आज, माननीय मंत्री महोदय, आपकी हालत क्या हो गयी कि आप थोड़ा बहुत फण्ड भी इस योजना के लिए उपलब्ध नहीं करवा पाये और जो बिलकुल प्रेक्टिकल योजना है उस योजना को आपने बंद कर दिया इससे राजस्थान के गांवों के अन्दर जो काम हैं जहां पर लोग अपना पैसा लगाकर कुछ सहयोग करके काम करवाना चाहते हैं वह काम नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार, 32 जिला 32 काम की भी यही हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के बहुत विधायक हैं और इसीलिए गई बार जब बजट सैशन चल रहा था बड़े जोर शोर से घोषणा की हमने 25 लाख से 40 लाख कर दिया, कौन सा तीर मार

(श्री सांवर लाल)

लिया, भाई आज इन्फ्लेशन रेट कितनी हो रही है और यह विधायक हैं उनकी हालत बहुत खराब है। हमारे टाइम में तो बहुत हो जाता था उससे और जन सहयोग से और कई योजनाएं चला रखी थी, हो जाता था, आज विधायकों के अकाल राहत के काम नहीं होते। मंत्रीजी आप स्टेट मिनिस्टर हो, मैं स्टेट मिनिस्टर था भैरोंसिंहजी के राज में, आपको मालूम है 50 रुपये सामग्री के देते थे और 50 रुपये श्रम का देते थे। अब आप कह रहे हैं कि हमने अकाल को विकास से जोड़ दिया है, भगवान जाने आपकी यह डेफिनेशन यानी आपकी यह सोच कहां से बनी कि आपने विकास कर दिया, राजस्थान की जनता के बीच में जाओ तो लोग कह रहे हैं रूला रहे हैं, पैसे को धूल में फेंक रहे हैं लोग बाग राज में बैठकर समझते ही नहीं। आपको 50 पैसे सामग्री के लिए देने चाहिए, हमने जो काम कराये, भैरोंसिहजी के राज में जो काम हुए 50 वर्ष तक राजस्थान के अन्दर खड़े हैं, चारदीवारी ले लो, बिल्डिंग ले लो, एनीकट पक्की ले लो, मोरियां पक्की ले लो, तालाब से नहरे पक्की ले लो, सामुदायिक भवन, चाहे वह बैरवा बस्ती, चाहे रैगर बस्ती, चाहे गुर्जर बस्ती, चाहे मीणा बस्ती हर जगह हमने जो-जो लोगों ने चाहे उस प्रकार से सामग्री का पैसा दिया।

श्री परसादी लाल : हमने भी दो साल में पक्के काम कराये, स्कूल भवन बनाये, पंचायत भवन बनाये, राजीव गांधी पाठशालाएं बनायी हैं। आपका और हमारा मुकाबला कर लो, आप भी लिस्ट ले आओ और मैं भी ले आता हूं, दो साल में आपके ज्यादा काम हैं कि हमारे ज्यादा काम हैं।

श्री सांवर लाल : अब आप तो उम्र भर में लिस्ट ही बताते रहे पर आपकी लिस्ट को जनता नहीं मानती।

श्री परसादी लाल : 10 हजार तो राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं अकाल में बनाकर हमने...

श्री सांवर लाल : आपने सुना नहीं क्या राजीव गांधी के बारे में पहले भी मैंने बताया था। राजीव गांधी योजना, राजीव गांधी का नाम, मैंने बताया था एक मास्टर पढ़ा रहा था कि गंगा नदी अरब सागर में गिरती तो इंस्पेक्टर ने कहा यह कैसे गिर रही है।

श्री परसादी लाल : हमारे दो साल के अकाल राहत के काम हैं और आपके 5 साल के काम हैं आप बराबर हिसाब ले आइये, मैं भी ले आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे, बोलने दीजिए।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी सुन लें जिनको थोड़ासा प्रोवोक होना चाहिए वह तो बैठे हैं आप हो रहे हो जबरदस्ती प्रोवोक।

श्री परसादी लाल : अकाल से संबंधित है।

श्री सांवर लाल : राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में फेमिन का पैसा डाइवर्ट किया, आपके मंत्रीजी का जवाब है 156 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2000 को जो खर्च करना चाहिए था वह बचाया आपके टी.एफ.सी. के नियम के हिसाब से वह पैसा इसलिए बचाया कि हमारे बजट में_

श्री परसादी लाल : हमने अकाल को विकास से जोड़ा है और उसमें पक्के काम कराये हैं, आपसे ज्यादा काम कराये हैं हमनें।

श्री सांवर लाल : मैंने बताया न वह गांव वालों ने बता दिया।

श्री परसादी लाल : _आपने कभी-कभी 17 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया है एक साल में बता दीजिए 6 लाख से ज्यादा कभी आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया, हमने 18 लाख लोगों को रोजगार दिया।

श्री सांवर लाल : आपने सुना नहीं उस दिन भैरोंसिंहजी साहब ने पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष : तो मंत्रीजी जवाब दे देंगे न।

श्री सांवर लाल : कि हमारे टाइम में कितना प्रोडक्शन हुआ यह तो बता देते। हमारे टाइम में किस तरह के अकाल पड़ते थे।

श्री परसादी लाल : आपके टाइम में देखा है हमने।

श्री सांवर लाल : आपके टाइम में भुखमरी हो रही है, भुखमरी + + +

श्री परसादी लाल : आपके टाइम में भी हमने देखा है, 8 साल भुगता है आपका टाइम भी। आप अच्छे ही काम करते तो वहां नहीं बैठते।

श्री सांवर लाल : लोग मर रहे हैं।

श्री परसादी लाल : अगर भैरोंसिंहजी के अनुसार काम करते तो आपकी नीयत में खोट था इसलिए वहां बैठना पड़ा है।

श्री सांवर लाल : अब यह खोट आपको पता चलेगा, अब जा कहां रहे हो जनता के बीच में यहीं तो बैठे हो हाउस के अन्दर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती, इतना महान आदमी इतनी कम उम्र में राष्ट्र का जिसने नेतृत्व किया उस आदमी के नाम को डुबो दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12-12 सौ रुपये के नौकर पढ़ाने के लिए रख दिये इन्होंने। वह कहते हैं ओनरेरियम देते हैं, कम पैसा देकर सम्मान बढ़ा रहे हो उनका। मैंने एक उदाहरण दिया था पहले भी कि एक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

मास्टर पढ़ा रहा था इंस्पेक्टर चैक कर रहा था तो उन्होंने फरमाया कि गंगा नदी निकलकर अरब सागर में गिरती है। जब उस इंस्पेक्टर ने कहा मास्टर साहब, बच्चों को रूलाओगे तो उस मास्टर ने कहा साहब, इस तनख्वाह में तो अरब सागर में ही गिरेगी, तनख्वाह बढ़ा दो तो बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आपने पहले कह दी।

श्री सांवर लाल : इनको पता नहीं है न। 12-12 सौ रुपये में कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया, सत्यानाश कर दिया गांव के बच्चों का आपने। इसलिए इनको आप...

श्री परसादी लाल : आप बच्चों को कहीं भी जाकर देख लीजिए लाइन लगी हुई है 12 सौ रुपये में एक स्कूल के लिए 10 आवेदन 1200 रुपये में भी जो एम.ए., बी.ए. और बी.एड. लड़के हैं, वह लगने के लिए आ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : यह भुखमरी है, मजबूरी है।

श्री परसादी लाल : आपकी सरकार स्कूलों से राजीव गांधी पाठशालाओं की पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की चिन्ता सही है, कहीं आपकी चल नहीं रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : आपकी नीयत सही है बिलकुल।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी इसका जवाब दे देंगे नहीं तो फिर आप दे देना जवाब। इनको बोलने दो।

श्री परसादी लाल : नहीं-नहीं, ठीक ही कह रहे हैं वह।

श्री सांवर लाल : इनकी आदत में उलझना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवेरे उलझ गये थे। आपस में ही उलझ रहे थे तो मैं इनका क्या इलाज करूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर बोलें।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, अगर आप वास्तव में अकाल को विकास में करना चाहते हो तो एक सुझाव और मेरा है कि 25 प्रतिशत से ज्यादा आप सामग्री दे नहीं रहे हैं इसलिए पक्के काम तो सारे के सारे हो नहीं सकते। इसलिए एम.एल.एज. के 40 लाख रुपये तो आपने पहले ही कर रखे हैं, उनको तो घटा नहीं सकते, नहीं तो सरकार को खतरा हो जाए। घटाकर देख लो अगर यह हिम्मत कर सकते हो तो। इसलिए उसे बढ़ा दो तो कम से कम सरकार में मजबूती आएगी। एम.एल.ए. तो इस ईनाम से घूम रहे हैं कि 155-153 हैं

(श्री सांवर लाल)

और उनको चाहिए क्या। इसलिए एक करोड़ कर दो उसको और एक आदेश निकाल दो कि 25 प्रतिशत जो एम.एल.ए. सामग्री में देगा, 25 प्रतिशत अकाल राहत से मिलाकर उस क्षेत्र में पक्के काम हो जाएंगे तब अपना नाम होगा और कुछ विकास होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आदेश तो निकला हुआ है।

श्री परसादी लाल : यह सुझाव ठीक है आपका।

श्री सांवर लाल : उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा संशय है इसलिए कह रहा हूं। मैंने तो अभी करवाया है 25 प्रतिशत में, पर उसमें यह है कि सामग्री मद एम.एल.ए. दे जब। तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट हो जाए कि 25 प्रतिशत सामग्री ये दे दें, 25 प्रतिशत अकाल राहत से दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह है न आदेश।

श्री सांवर लाल : 50 पूरी सामग्री का लिखा हुआ है, साहब। स्पष्ट करवा दो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है। आप 25 प्रतिशत अगर दो तो 25 प्रतिशत सरकार देगी और 50 प्रतिशत।

श्री सांवर लाल : हमने तो करवा लिये हैं पर कई एम.एल.एज. को थोड़ा संशय है इसलिए मंत्रीजी क्लियर ही कर देंगे तो बढ़िया। बाकी हमने अजमेर में तो किया है, मैंने दिये हैं कई प्रस्ताव। इस फण्ड को एक करोड़ कर दो तो आपके एम.एल.एज. तो सारे के सारे जय-जयकार करेंगे। इसलिए मंत्रीजी, आप बहुत विद्वान हैं, किताबी ज्ञान होना अलग चीज है पर गांव की, देहात की जानकारी होना बड़ा मुश्किल काम है। वहां पर आपकी योजना कैसे चल रही है या नहीं चल रही है। आप थोड़ा गांवों के जाइये, आपके अधिकारियों को पाबन्द करिये। केवल यह जो एनुअल रिपोर्ट पेश कर देने से काम नहीं चलेगा। मंत्रीजी बहुत घोटाले होते हैं और उसमें जितने-जितने पढ़े लिखे लोग हैं, शेयर घोटाला है, फलां घोटाला, सारे के सारे हैं। एनुअल रिपोर्ट बहुत बढ़िया तैयार करते हैं। एनुअल रिपोर्ट तो कागजों में तैयार होती है। इसलिए प्रैक्टिकली मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो विभिन्न 25-30 योजनाएं हैं इनके वास्तव में क्या उपलब्धी रही, जिनको बैनिफिट मिलना चाहिए उन्हें बेनिफिट मिला या नहीं? जिनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए वह सुधरा या नहीं सुधरा, जिनको दो साल, तीन साल में बी.पी.एल. से ऊपर आ जाना चाहिए वे आये या नहीं आये, जिस उद्देश्य के लिए लोन लिया था उस परपज के लिए लिया या नहीं लिया, इन चीजों पर जब तक आप नियंत्रण नहीं रखोगे, सुधार नहीं होगा।

दूसरा, सबसे मोटा काम एक ही करना है कि पंचायत समिति सदस्य और पंचायत समिति के प्रधानों से डर नहीं होगा, अधिकारी मीटिंगों में नहीं आयेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

(श्री सांवर लाल)

मंत्री महोदय, एक और निवेदन करना चाह रहा हूं। आजकल हमारी जानकारी में आ रहा है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, सब की चिन्ता इसके ऊपर है। पंचायत राज में कानून बनाया कि दो के बाद तीसरा हो गया, जो भी कानून में है उस दायरे में कोई आता है तो वह अयोग्य घोषित होना चाहिए। परन्तु हमारी जानकारी में है, हम आपकी जानकारी में लाना चाह रहे हैं कि इसमें भी राजनीति हो रही है। अब हो रही है या नहीं हो रही है यह तो आप देख लेना, अपने स्तर की बात है। पर हमको जो कहते हैं, जो दोषी है और सत्ता पक्ष का हो, चाहे प्रधान हो, प्रमुख है, जिला परिषद का हो, पंचायत समिति का हो, उसको बचाने के प्रयास किये जाते हैं। सीधी फाइल यहां मंगा ली जाती है और जो प्रतिपक्ष का है, चाहे हुआ कुछ भी नहीं है पर ढूंढ़ते रहेंगे कि फलां अफसर को कह दिया, जाओ रजिस्टर में लिखो, पंचायत के रिकार्ड में ले लो और उनके खिलाफ मामला बनाओ। तो मंत्री महोदय, यह तो एक राष्ट्रीय मिशन है और इस राष्ट्रीय मिशन में हम सब का कर्तव्य है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे आपकी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, सही है तो सही करिये, गलत है तो गलत करिये और इसमें जितना समय लगाओगे उतना लोग रास्ते और गलियां ढूंढ़ते हैं और फिर विश्वास खतम हो जाएगा फिर तो कहोगे कि दो के चार हो गये और चार के आठ हो गये, सरकार को क्या मालूम पड़ेगा और क्या होगा। इसलिए आपकी अगर मंशा वास्तव में ठीक है तो इसके ऊपर रोक लगाइये, सही जांच करिये, तत्काल इसका डिस्पोजल होना चाहिए। यही कह कर समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आदराम मेघवाल। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री हीरासिंह चौहान : इधर से भी बुलाओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : दो बुलाये हैं न आपके। बुला रहा हूं, बुला रहा हूं। आप चिन्ता मत करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उधर से 15 बोल चुके, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है कितने बोल चुके। आपको मालूम नहीं है। आप भी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे यह अलग बात है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28 सामुदायिक विकास एवं 41 ग्रामीण विकास विभाग के बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ था यह भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ था और उस समय पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण पंचायतें बनायी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

गयी थीं और सबसे ज्यादा शिव पंचायत समिति पर प्रहार हुआ था। हमने तो फिर भी संघर्ष करके पंचायत समिति में पंचायतों के पुनर्गठन में कलक्टर पर, अधिकारियों पर प्रभाव डाल करके कार्य करा लिया था। तो इन पंचायतों का पुनर्गठन होना बहुत ही आवश्यक है और हमारे यहां बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जिनका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है इसलिए 2001 की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन होना आवश्यक है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 73 आफ द कांस्टीट्यूशन एक्ट के अन्तर्गत जो केन्द्र सरकार ने पंचायतों का, पंचायत समिति और जिला परिषदों के गठन के बारे में गठन किया है और उसके आधार पर राजस्थान में गठन किया गया है, मैं यह समझता हूं कि यह गठन किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं है। पंचायत समिति के सदस्यों का और जिला परिषद के सदस्यों का कोई भी लाभ इतना नहीं है क्योंकि यद्यपि हमारी गवर्नमेंट ने उन पंचायत समिति के सदस्यों को भी, ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचायत समिति के सदस्यों को, दोनों को सदस्य बना दिया है परन्तु पंचायत समिति के सदस्यों का और जिला परिषद के सदस्यों का कोई भी प्रभाव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पहले कांस्टीट्यूशन पंचायतों का था और पंचायत समिति, जिला परिषद का था उसके बारे में हमें सुझाव केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए कि वह परिवर्तन करे। पंचायतों में सरपंच हैं वे पंचायत समिति के सदस्य हो, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिला परिषद के जो सदस्य हैं वे पंचायत समिति के प्रधान, एम.एल.ए., एम.पी. ही हो तो इस सुझाव के कारण पंचायत समिति, जिला परिषद का पुनर्गठन हो जाता है तो इससे पंचायत समिति के सदस्य सरपंच हैं, सरपंच का लाभ हो जाएगा और जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति के प्रधान हैं वे बहुत ही लाभदायक होंगे। इसलिए प्रधान के चुनावों के लिए मुझे आपसे यह कहना है कि प्रधानों के चुनाव में जो अभी पंचायत समिति के सदस्यों से होता है, कुछ भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं तो उसमें बड़ा ही भ्रष्टाचार होता है। (व्यवधान) हमारे जमाने में नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव पहले होता था जिसमें वार्ड पंच भी होते थे और सरपंच भी होते थे। उसके आधार पर होना चाहिए नहीं तो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो चार साल बाद होगा, अभी तो सवाल ही नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं यह चाहता हूं कि इसका अभी से ही प्रयास करना चाहिए और राजस्थान गवर्नमेंट का केन्द्र सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। अब विशेष तौर से मैं वार्ड के आधार पर जिस प्रकार की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सभा बनायी है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। क्या इसके पीछे रहस्य है, क्या इसके पीछे फिलोसाफी है हमारे मंत्रीजी की वह समझ में नहीं आता और जहां-जहां वार्ड सभाएं हुई हैं तो वे सफलीभूत हुई नहीं हैं। एक गांव का विभाजन होने के कारण एक सौहार्दपूर्ण जो व्यवस्था थी। वह भी टूट गई। इसलिए इसके बारे में तो तुरन्त से तुरन्त निर्णय लेकर वार्ड पंच का गठन बंद कर दिया जाये और अगर करना ही है तो ग्राम सभा से करके, उसकी ग्राम सभा होती है पंचायत में, उसको पंचायत सभा कहलवा दीजिये और ग्राम सभा है तो भी इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो सकेगी, इसलिए इस संबंध में निर्णय लिया जाये।

(19.00 बजे)

मरू क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में मैं कहना चाहता हूं। इस संबंध में जब मैं एम.पी. था, बहुत कोशिश करके इसको 7वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कराया गया। हिली एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के माफिक यह डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया और सेंट-परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जिसको केन्द्र सरकार ने डेढ़ साल पहले परिवर्तन करके 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत कर दिया गया और इस प्रोग्राम के अन्दर कलस्टर प्रोग्राम जोड़ दिया गया। कलस्टर प्रोग्राम के बारे में मैंने देखा है कि जहां-जहां कलस्टर प्रोग्राम के कार्य चल रहे हैं, विभाग के द्वारा चलते हैं या पंचायत समिति के द्वारा चलते हैं, उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जो वास्तव में जिस उद्देश्य, कलस्टर प्रोग्राम का उद्देश्य खेतों को इम्प्रूवमेंट करना, वह वास्तव में हो नहीं रहा है, अधिक राशि मिल रही है, शामिल तौर पर मिल रही है, उसका बहुत बड़ा दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस कलस्टर प्रोग्राम के बारे में पूरी जांच की जाये और भ्रष्टाचार से ग्रसित उसमें कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। यह जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, वे कार्यक्रम हमारे अब समाप्त कर दिये हैं और उस संबंध में एक कार्यक्रम था, नगरीय सहभागी कार्यक्रम। नगरीय सहभागी योजना, यह बहुत ही लाभदायक योजना थी और अभी हमारे महावीरजी का 2600वां कल्याणक वर्ष है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि अगर यह योजना चालू की जाये तो शहरों में बहुत ही विकास के कार्य हो जायेंगे। जितने भी जो अस्पताल बनाना चाहते हैं, जो स्कूल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वे सब यह चाहते हैं कि यह कार्यक्रम चालू किया जाये और इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को चालू करने के लिए आप स्टैप्स उठायें और एक कार्यक्रम था अपना गांव अपना काम और इसी प्रकार से 32 जिले 32 काम। इन दोनों कार्यक्रम के लिए 1000-1000 का प्रावधान कर दिया गया है। कार्यक्रम बिलकुल समाप्त कर दिये गये हैं। यह कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण था, जनता के सहयोग का कार्यक्रम था। वह जनता के सहयोग का कार्यक्रम है, वह तो आपने

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

समाप्त कर दिया तो यह बहुत ही आवश्यक और जरूरी है कि यह कार्यक्रम अपने को शुरू करना चाहिए। इसके लिए प्रावधान रखना चाहिए ताकि इस संबंध में कार्यवाही कर सकें।

ग्राम संवर्द्धन योजना, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले एक इंटीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम था, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। इस एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्दर, जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, उसके अन्दर अनुदान दिया जाता है, एस.सी. और एस.टी. के लोगों को अनुदान दिया जाता है 40 प्रतिशत और दूसरों को 30 प्रतिशत। तो अनुदान बड़ी मात्रा में होने पर, वास्तव में कोई भी योजना, जिस उद्देश्य के लिए राशि लेते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति करते नहीं हैं, वह काम करते नहीं हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, अपने फण्ड्स का, जो उनको अनुदान के रूप में मिलता है। वास्तव में जब मौके पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी कार्य किया नहीं गया। जब कोई भी कार्य नहीं किया गया है तो किसी भी प्रकार की गरीबी हम कैसे मिटा सकते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने है।

सुनिश्चित रोजगार योजना, इसमें अवश्य ही फण्ड्स का प्रोविजन किया है। केन्द्रीय सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनके अन्दर राशि, हरेक राशि में कमी कर दी गई है। अभी मेरे मित्र

(19.05 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री अमीन खानजी, जो शिव से एम.एल.ए. हैं, वह कह रहे थे अपने प्रोग्राम के बारे में, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्दर, यह बात तो अवश्य है कि उन्हीं पंचायत समितियों में जो सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आती है, उन्हीं में खर्च किया जाना चाहिए। पर यह है कि 50 किमी. की दूरी में ही उसका उपयोग करना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं है तो इसलिए इसका उपयोग उसी तरीके से किया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, उसका तो भारी लाभ हो रहा है। मेरा यह सुझाव है कि सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्दर, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में बोर्डिंग हाउसेज हो, उनके सैकण्डरी स्कूल हो, हायर सैकण्डरी स्कूल हो, वहां बोर्डिंग हाउसेज स्थापित हो जाये और वहां पर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों के क्वार्टर्स स्थापित किये जाये। अगर अध्यापकों के आप मकान बना देंगे, क्वार्टर्स बना देंगे तो वहां पर जो मैट्रिक स्कूल है, जो सैकण्डरी स्कूल है, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है, उनके बनाने से वे सुचारू रूप से चल सकेगी। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सैकण्डरी स्कूल में उनके टीचर्स के क्वार्टर्स और साथ ही साथ सरकार के बोर्डिंग हाउसेज और छात्रावास हो तो वह छात्रावास सुचारू रुप से चल सके। तो मेरा विशेष रूप से यह आग्रह है कि ग्राम

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पंचायतों के लिए, सरपंच के बारे में मेरा भी यही मत है कि सरपंच है वह पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वह सरपंच पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है क्योंकि उसको एक्जीक्यूटिव ड्यूटी करनी पड़ती है, उसको हिसाब का लेखा जोखा करना पड़ता है। अगर वह पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो फिर बाद में धोखा खा सकता है। आज एम.एल.ए. और एम.पी. भी अगर पढ़ा लिखा हुआ नहीं हो तो वह चल सकते हैं पर ग्राम पंचायतों में अगर सरपंच पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकता और अगर सावधानी नहीं बरतेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी और भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। इस संबंध में यह आवश्यक है कि....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य। प्लीज कनक्लूड योर स्पीच।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं कर रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो पहले प्रावधान थे पढ़ा लिखा होने के, वह प्रावधान अवश्य ही लिया जाना चाहिए और हमारे विकास अधिकारियों के बारे में मैंने पहले ही बात की थी, वह आर.ए.एस. होना चाहिए। आर.ए.एस. के होने से उसमें भ्रष्टाचार रुकेगा क्योंकि वह आर.ए.एस. का अधिकारी...

श्री सभापति : यह सुझाव तो आ गया, बहुतों ने दे दिया यह सुझाव, रिपीट हो रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं कह रहा हूं, आर.ए.एस. का अधिकारी होने पर वह अपना कार्य सुचारू रूप से इसलिए करेगा क्योंकि उसको आगे प्रोग्रेस करनी है, उसका डवलपमेंट होना है, उसको आई.ए.एस. अफसर होना है। तो इस संबंध में पूरी ईमानदारी से करेगा। नहीं तो यह जो विकास अधिकारी दूसरे बनाये गये हैं, जो एईएन. हैं, जो इर्रिगेशन के भी हैं, पी.डब्ल्यू.डी. के भी हैं और दूसरे भी हैं, एस.डी.आई. बने हुए हैं, वे लोग हैं, उनका तो कोई आगे भविष्य है नहीं और आगे जब उनका कोई भविष्य नहीं है तो वे ईमानदारी से चल नहीं सकते।

ग्राम पंचायतों के द्वारा जो काम कराये जाते हैं तो कुछ काम ठेकेदारों के द्वारा कराये जाते हैं, जो नियमों के विपरीत है और घटिया किस्म के कराये जाते हैं। तो इस संबंध में यह देखने की आवश्यकता है कि ग्राम पंचातयों के द्वारा घटिया काम कराया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। कुछ ग्राम पंचायतें अच्छा काम भी कर रही हैं। मैं यह बताना चाहता हूं, ग्राम पंचायत, हेमारामजी चौधरी की वाइफ हैं, वह अवार्ड प्राप्त किये हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने उनको अवार्ड दिया है। इस प्रकार उन्होंने पंचायतों के भवन बनाये हैं, स्कूल के भवन बनाये हैं। इस प्रकार हमारे बहुत से सरपंच हैं जिन्होंने अच्छे कार्य भी किये।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

तो इसलिए वह भी प्रशंसनीय है, परन्तु अधिकांश पंचायतें घटिया किस्म का काम कर रही है, ठेकेदारों से कार्य करवा रही है, इस पर निरीक्षण करने की आवश्यकता है, कलक्टर्स को यह ड्यूटी सम्भला दी जाए एस.डी.ओ. को सम्भला दी जाय...

श्री सभापति : विराजिये साहब। विराजिये, प्लीज।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अधिक न कह कर यही कहना चाहूंगा कि हमें ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इस संबंध में हमने जो सुझाव दिये हैं उन पर गौर करके आप उचित कदम उठायेंगे। जयहिन्द।

श्री सभापति : बहुत अच्छा। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, आज जो चर्चा है, ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापतिजी, यह दोनों ही ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पर हमारे राष्ट्र की, हमारे प्रांत की प्रगति निर्भर करती है। हमारे इन दिनों में इन सालों में ग्रामीण विकास के काम बहुत बड़ी संख्या में हाथ में लिये गये हैं। करीब 25 योजनाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण विकास के काम में आज चलाई जा रही हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यह सब योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाई जा रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, यह तीन हमारे आधार स्तम्भ हैं और यह जो 25-26 योजनाएं हैं यह सब इनके माध्यम से चलाई जा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र को सम्मान मिला है, लीडरशिप डवलप हो रही है और ग्राम का सीधा जुड़ाव विकास के साथ लगा हुआ है। इसलिए यह कार्यक्रम बहुत ही स्वागत योग्य है और होना भी चाहिए।

माननीय सभापतिजी, अच्छाई बहुत है लेकिन समय की कमी के कारण से उसकी तरफ नहीं जाकर मैं कुछ बातें माननीय मंत्री महोदय को सुझाव के रूप में पेश करना चाहता हूं। आज पंचायतों में, पंचायत समितियों को हमने कुछ योजनाएं सुपुर्द की हैं, चाहे वह चिकित्सा के संबंध में हो, परिवार कल्याण हो, आयुर्वेद विभाग की कुछ हो, ऊर्जा विकास का भी है, वन विभाग, कुछ-कुछ है, यह कार्यक्रम हमने पंचायतों को, पंचायत समितियों को दिये हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज थी, प्राथमिक शिक्षा और जो सोच-समझ कर बड़े मंथन के बाद पंचायत समितियों को दी गई थी, एक नीतिगत निर्णय था, उसको हमने पंचायत समिति से वापस ले लिया। आज जो योजनाएं दी गई हैं, उसमें यह जो प्रशासनिक विवरण आया है, 14 नम्बर पर लिखा है, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता। प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं में समन्वय

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्थापित करने की दृष्टि से जिला स्तर पर इन सभी गतिविधियों के लिए जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी इसके प्रभारी अधिकारी होंगे। माननीय सभापतिजी, बड़ी अजीब बात है, और सब आप दे रहे हैं लेकिन साक्षरता का कार्यक्रम जो पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से हो सकता है, उसको आपने पंचायत समिति से ले लिया, पंचायत से ले लिया और एक लम्बे समय से निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह कार्यक्रम चल रहा था उसको वापस लिया गया पंचायत समितियों से, पीड़ा का विषय है। कुछ दिन पहले हमने मिडल स्कूलें, उच्च प्राथमिक स्कूलें जिला परिषदों को दी थी। वह भी जिला परिषदों से वापस ले ली गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक विचारणीय विषय है, माननीय मंत्रीजी, अपने हिसाब से और राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि हमने यह कदम, जो बहुत अच्छा था, आगे बढ़ाया था, उस कदम को हमने वापस ले लिया है।

माननीय सभापतिजी, पंचायत समितियों में, जिला परिषद में और ग्राम पंचायत में कुछ सुधार या कुछ नये कार्यक्रम हमने दिये हैं और मैं यह कहूं कि इन कागजों के हिसाब से और इन योजनाओं के हिसाब से राज्य का मूल्यांकन किया जाय तो देश भर में सबसे ऊंचा राजस्थान का नाम आयेगा। डेमोक्रेसी को कहां तक ले गये हम, वार्ड सभा तक ले गये, वार्ड तक ले गये, एक-एक आदमी को हमने डेमोक्रेसी तक पहुंचा दिया। एक आदर्श व्यवस्था कह सकते हैं और इसके माध्यम से राज्य बहुत ऊंची श्रेणी में जा सकता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से मेरे खयाल से यह बहुत ही प्रतिक्रियागामी आयोजन है। माननीय सभापतिजी, जिला स्तर पर एक आपकी आयोजना समिति है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी देखें कि आयोजना समितियों की कमेटियों की कितनी बैठकें हुई हैं। आयोजना कहां से बनती है। जिला परिषद की स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नहीं होती है, यही हाल पंचायत समितियों की स्टैंडिंग कमेटीज का है। कोरम पूरा नहीं होता है। आज हम अपेक्षा करते हैं कि ग्राम पंचायतों की स्टैंडिंग कमेटियां बनें और उनके माध्यम से काम होगा। आज योजना राज्य सरकार के हिसाब से बनती है, जिले की कोई योजना है नहीं और हम यह सोच कर चलते हैं कि वार्ड की योजना बनेगी, वार्ड की योजना ग्राम पंचायत में आएगी, उसमें ग्राम पंचायत को कोई भी अधिकार नहीं है कि उसमें बदलाव कर दे। उसके माध्यम से पंचायत समिति में जायेगी। माननीय सभापतिजी, यह सोचिये कि दो वार्ड हैं, एक सड़क, एक खुर्रा दो वार्डों में बनना है, एक वार्ड चाहता कि हमारे यहां खुर्रा बना दो, दूसरा वार्ड कहता है कि हमारे यहां

(श्री शिवनाथ सिंह)

टंकी बना दो, दूसरा कार्यक्रम दो, आपस में सामंजस्य नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि योजना चाहे आप ग्रामीण जनता से लीजिये लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था जो विघटनकारी है, हमें नहीं अपनानी चाहिए। आज स्थित क्या है, वार्ड सभा को हमने योजना बनाने का अधिकार दे दिया, ग्राम पंचायत को दे दिया, करोड़- करोड़ रुपये की एक-एक पंचायत की योजना बन कर आती है। हमने उनको सब्जबाग दिखा दिये लेकिन हमारे पास पैसा कहां है। उन ग्राम पंचायतों को, उन वार्डों को हम कितना रुपया दे पाये हैं? आज तक एक भी रुपया उनको नहीं गया।

मैं, माननीय सभापतिजी, निवेदन करना चाहूंगा कि टेंथ फाइनेंस कमीशन के आधार पर और जो हमारा वित्त आयोग बना था उसके आधार पर जनसंख्या के अनुपात में रुपया देने का काम था, 2.18 और 19 समथिंग, इतना रुपया जाना था। हमने राजीव पाठशालाएं बनाई, मैं उसका स्वागत करता हूं, बहुत प्रशंसक हूं, वह ग्रामीण क्षेत्र की जनता की बहुत सेवा कर रही है लेकिन उस दूसरे पहलू को भी देखिये, जो रुपया जनसंख्या के आधार पर खर्च होना था, एक पंचायत बीस हजार की आबादी की है, एक पंचायत ढाई-तीन हजार की आबादी की है। हमने राजीव पाठशाला एक पंचायत में एक खोली, उसके बाद में एक पंचायत में दो खोली। बीस हजार की आबादी वाली को वही एक राजीव पाठशाला का रुपया मिला और ढाई-तीन हजार की आबादी वाली को भी वही मिला। जनसंख्या का अनुपात जो आवश्यक था, वह हमको नहीं मिल पाया। वह आदेश, काम उनका सरपंचों के माध्यम से हुआ, ठीक है लेकिन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए था, उस आधार में हम गलती खा गये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो आबंटन होता है, जो जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए था, उससे लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं और यह हमारी विसंगतियां हैं। इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सभा हो, 1/10 आबादी का उसमें हाजिर होना चाहिए। यही नहीं उसमें एक निश्चित परसेंटेज महिलाओं का होना चाहिए, महिलाओं के परसेंटेज में भी शिडयूल्ड कास्ट का परसेंटेज होना चाहिए। यही हालत आपकी वार्ड सभा की है, वार्ड सभा में सर्टेन परसेंटेज होना चाहिए। आज हम चाहे कुछ भी कह दें माननीय सभापतिजी, आज यह जरूरी है और सही यह है कि किसी भी वार्ड की सभा इस आधार पर नहीं बनी है और न ही ग्राम सभा बनी है। आज होता क्या है कि वे ही असत्य कागज बनते हैं, असत्य योजनाएं बनती हैं आपने निश्चित तारीखें कर दीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

ग्राम सभा की, वार्ड सभा की, अच्छा है निश्चित समय सब जगह होता है लेकिन उनको टेक्नीकल एडवाइज देने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए कि उन्हें क्या योजना बनानी है कोई भी व्यवस्था हमारी आज नहीं है।

माननीय सभापतिजी, मैं एक-दो बात और निवेदन करना चाहूंगा वार्ड सभाओं को वार्ड के लोगों को अपने पंच को विथड्रा करने का अधिकार है ग्राम पंचायत के लोगों को अपने सरपंच को विथड्रा करने का अधिकार है। सभापतिजी, चुनाव होता है पांच साल के लिए चुनाव में कटुता आना स्वाभाविक है, आती है कटुता लेकिन गांव के सब लोग-बाग एक साथ बैठ करके 4-6 महीने में कटुता को भूल जाते हैं और फिर मिलजुल कर अपना काम करते हैं। आपने एक ऐसा रास्ता बना दिया उनको एक रस्सी पकड़ी दी कि जब भी चाहो आप वार्ड सभा बुला लो गांव वालों और अपने वार्ड पंच को फिर वापस विथड्रा की बात करो। ग्राम सभा बुलाओ और अपने सरपंच को वापस बुलाने की कार्यवाही करो। यह लगातार आपस का विग्रह है वह खड़ा रख दिया आपने। इससे ग्रामीण जनता में फूट पड़ रही है, पड़ेगी अभी वह समय नहीं आया है जब इनकी मीटिंगें शुरू हो गयी लेकिन आप देखना जो समय दो साल का है निकलने के बाद कितने झगड़े हमारे यहां होंगे इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर भी आपको सोचना चाहिए। कहीं भी विथड्राअल का अपने प्रतिनिधि को विथड्रा करने का अधिकार कहीं है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। 1-2 देश में है हमारे पार्लियामेंट में नहीं, असेम्बली में नहीं और कहीं नहीं। अविश्वास का आपने रखा, जरूरी है, अविश्वास का रख देते लेकिन विथड्रा करने वाली बात जो है माननीय सभापतिजी, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। आज अभी एक जिक्र चला था कि गवर्निंग काउंसिल भी होती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक नया आइडिया है, नया विचार है इसको एक्सपेरीमेंट होने दो। अच्छा ही रहेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं नया आइडिया भी है और कुछ पुराना भी चलने दीजिये एक सैटल्ड व्यवस्था थी उसमें गड़बड़ हुई है। राजीव गांधी पाठशालाएं बनी अच्छी हैं। सरकार की घोषणा है कि जिस राजीव पाठशाला में 50 से अधिक छात्र होंगे हम दूसरा अध्यापक देंगे पिछले साल यह व्यवस्था भी थी लेकिन हम इसको नहीं कर पाये। माननीय मंत्री महोदय, इसको करने की चेष्टा कीजिये और इससे ग्रामीण जनता के जो छात्र वहां पढ़ते हैं, उनको इससे फायदा मिलेगा। मैं एक-दो बात और कहना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्र के

(श्री शिवनाथ सिंह)

विकास के लिए बैंकों को हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है लेकिन बैंकों का सहयोग उन लोगों को ऋण देने में बहुत ही उलटा है। लोग बाग ऋण लेने के लिए जाते हैं, मंजूर होता है विभिन्न योजनाओं में और फिर बैंक वाले उनको चक्कर कटाते रहते हैं। इसलिए माननीय मंत्रीजी, यह हो सके सम्भव आपके माध्यम से तो इसको आप देखिये और बैंकों पर अंकुश लगाने की आप चेष्टा कीजिये।

दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ये एनज़ी.ओज. की भूमिका, एनज़ी.ओज. अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं लेकिन ये पूंजीपतियों की एनज़ी.ओज. हैं ये हमारे लिए खतरा है। आज बड़े-बड़े उद्योग, बड़े-बड़े पूंजीपति एनज़ी.ओज. के नाम से आकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में घुस रहे हैं और इनके माध्यम से हम रुपया खर्च कर रहे हैं उस रुपये का उपयोग नहीं दुरूपयोग भी हो रहा है और ज्यादा दुरूपयोग हो रहा है। मैं मेरे जिले की बात कहना चाहता हूं मुरारका फाउण्डेशन एक एनजी.ओ. है और उसके माध्यम से हमारे यहां रुपया दिया गया है डी.आर.डी.ए. से। एक काम एंट्री पाइंट के हिसाब से उन्होंने दिया जिसकी टंकी बनायी खर्चा ढाई हजार रुपये से ज्यादा नहीं था और 49 हजार का उन्होंने हिसाब पेश कर दिया। यदि हम सतर्क नहीं होते तो वह बिल पास हो जाता उनके रुपये का पेमेंट हो जाता। जब उसकी जांच करायी गयी तो वह कीमत ढाई हजार रुपये की आयी। इस प्रकार से एनज़ी.ओज. यह कर रहे हैं वह तो रुपया कमाने के लिए आपके पास आ रहे हैं यदि सेवा करने की बात होती तो हम उनका स्वागत करेंगे और सेवाभावी एनज़ी.ओज. है वह हमें चाहिए भी लेकिन ये जो रुपया कमाने के लिए एनज़ी.ओज. आते हैं, कहीं-कहीं एनज़ी.ओ. के नाम से विदेशों से रुपये लेते हैं यह बहुत खतरनाक चीज है। इसको हमें देखना पड़ेगा। दो बात यहां और कही गयीं एक तो आर.ए.एस. आफिसर के लिए वह सबसे काला दिन होगा। जब पंचायत समिति का विकास अधिकारी आर.ए.एस. होगा। कहा गया कि वह ईमानदार होगा उसके यहां गबन नहीं होगा। यह लिस्ट उठा कर देख लीजिये जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं इनमें कितने आर.ए.एस. आफिसर हैं। वह आफिस में बैठेगा, पर्दा लगेगा, चिट लिख कर गांव के आदमी को जाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, ये आफिस नहीं है, यह गांव का एक मिलने-जुलने का, गांव वालों का बैठने का है। वह अपने पास कुर्सी पर नहीं बैठने देगा उसको। एक कुर्सी रखेगा वह कह देगा कि चिट लाओ और अन्दर जाओ। तो यह कोई चाहे कि आर.ए.एस. आफिसर सब प्रकार के गुणों से गुणवान हैं और वह ही सब कुछ कर सकते हैं मेरे खयाल इससे बिलकुल विपरीत है। जो लोग बाग विकास से

(श्री शिवनाथ सिंह)

संबंधित हैं उन लोगों का एक अलग कैडर बन जाए, पंचायत समिति सर्विस बन जाए, कैसी भी बन जाए। लेकिन उस अलग कैडर से जो विभिन्न डवलपमेंट की एजेंसीज हैं चाहे इरिंगेशन है, दूसरी एजेंसीज हैं उनके अधिकारियों को हम लेकर विकास अधिकारी का काम करवाएंगे तो अच्छा काम होगा। अभी कहा गया कि आई.ए.एस. आफिसर विकास अधिकारी हुआ करते थे, आर.ए.एस. आफिसर विकास अधिकरी हुआ करते थे, आर.ए.एस. आफिसर विकास अधिकारी हुआ करते थे। मैं कहता हूं कि वह यदि अच्छे होते तो आज उनको हटाया क्यों गया? उस सिस्टम को पूरी तरह से खतम कर दिया गया है, उस सिस्टम को खतम क्यों किया जाता आज?

श्री सभापति : आप तो प्रधान रहे हैं आपका अनुभव है इस मामले में। आपके पास दोनों तरह के अधिकारी रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरे पास तीन आर.ए.एस. आफीसर रहे हैं। लेकिन वह क्यों हटे? अब सवाल यह है मैं कहता हूं कि उस व्यवस्था को भी मैंने देखा है और आज की व्यवस्था को भी देख रहा हूं। आज के विकास अधिकारी जो हैं वह बहुत-बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों से गांव में जाकर मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और गांव का पंच, गांव का साधारण आदमी आफिस में आता है तो उसका स्वागत करते हैं। आर.ए.एस. आफिसर को लगा दें एक भी आपके सरपंच को अंदर नहीं घुसने देंगे। एक भी आपकी पंचायत समिति के सदस्यों को अन्दर नहीं घुसने देंगे। क्या काम है चिट पर लिख कर दो। हो सकता है अलग राय हो लेकिन मेरी राय से बिलकुल ही भिन्न है। अभी एक बात और कही गयी कि सरपंच पढ़ा लिखा हो। हमारा जो संविधान है, पंचायत राज का कानून है उसको हमने बहुत विस्तार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया है। गांव में ग्रामीण जनता को अधिकार दिया है। पढ़ा-लिखा बी.ए., एम.ए. हमको बहुत मिल जाएंगे उसको हम ग्रामीण नहीं कह सकते उनकी शिक्षा-दीक्षा शहरी हुई है। आज हमको ठेठ ग्रामीण आदमी चाहिए। हमारी पंचायत का हैड स्थापित होने के लिए। वह गांव का मुखिया होगा, गांव में बैठेगा। यह जरूरी नहीं है कि पढ़ा-लिखा होने से ही योग्यता आ जाए। आज उसको करना क्या पड़ता है? उसके पास सेक्रेटरी है, पढ़ा-लिखा सेक्रेटरी है वह काम करेगा लेकिन गांवों में हिलने-जुलने वाला और मिलने वाला वह व्यक्ति हमको चाहिए और उसके पढ़े-लिखे की मैट्रिक की आपसे मांग की गयी कि मैट्रिक होना चाहिए। इस प्रकार की पाबंदी लगा देंगे तो जो राजीव गांधीजी का एक सपना था कि गांव के ठेठ आदमी को हम शक्ति देना चाहते हैं उससे विपरीत दिशा में चले जाएंगे इसलिए इस विचार को भी हमें त्यागना चाहिए। जो गांव का सर्वमान्य

(श्री शिवनाथ सिंह)

व्यक्ति हो, चेष्टा उसको होनी चाहिए कि वह सरपंच बने वरना चुनाव से आ सकता है और चुनाव से आने के बाद वह गांव का होकर रहेगा, शहर का होकर नहीं रहेगा। इसलिए, माननीय सभापतिजी, यही थोड़े दो-एक शब्द मुझे कहने थे, मैंने कह दिया।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पंचायत समिति से आपने जो प्राइमरी एजूकेशन वापस ले ली है इसको आप वापस लीजिये। जिला परिषद से भी वापस ले ली है उसको वापस लीजिये। परसों माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अन्त में जब स्पीच शुरू करना चाहा तो कुछ कहा था वह मेरी समझ में नहीं आया। आज स्पष्ट करें कि या तो पंचायत समिति के पास प्रारम्भिक शिक्षा रहेगी या पंचायत समिति के पास प्रारम्भिक शिक्षा नहीं रहेगी। उच्च प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद के पास रहेगी या जिला परिषद के पास नहीं रहेगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिये। यह जो ब्लाक शिक्षा अधिकारी है, जो जिले का शिक्षा अधिकारी आपने बताया है, शिक्षा के सुधार के लिए आप उनको रखो। लेकिन उनको प्रधान और जिला प्रमुख के अण्डर में काम कराओ। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का चैकिंग करो, देखो, मास्टरों को ठीक समय पर लगाओ लेकिन पंचायत समिति सर्विस है यह। आज के दिन भी कानून में जो मास्टर है पंचायत समिति का वह पंचायत समिति सर्विस का आदमी है। उसको आपने कानून के द्वारा अलग नहीं किया गया है इसलिए उसकी सर्विसेज वह पंचायत समिति का ही कर्मचारी रहे इस प्रकार की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहे कि रहेगी या नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्मानीय सभापति महोदय, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले इस चर्चा में भाग लेते हुए वार्ड सभा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछले सत्र में जो वार्ड सभाएं बनाई गई और उस समय इस सदन में बहुतायत सदस्यों ने, बल्कि जितने भी वक्ता बोले थे उन सबने इस बात का विरोध किया था कि वार्ड सभाओं की हमारे यहां आवश्यकता नहीं रहेगी। सभापतिजी, जबसे यह वार्ड सभाएं बनी हैं, जिस प्रकार अभी माननीय शिवनाथ सिंहजी कह रहे थे और बाड़मेर से आने वाले माननीय वृद्धिचन्दजी जैन साहब कह रहे थे कि वार्ड सभा का क्या औचित्य है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब ग्राम सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव आते हैं, सारे गांव की आम सभा में जो पहला और दूसरा प्रस्ताव होता है उन कामों को भी हम नहीं करा सकते। जब यह स्थिति बन रही है, उस समय वार्ड सभाएं जो प्रस्ताव करती हैं, जिस प्रकार से उदाहरण दिये जाते हैं कहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

खरंजा बना दिया जाता है कोई उसको नहीं चाहता है, गांव सारा मिला हुआ है। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि जो सब प्रकार से डवलप गांव है, मैं अपने रायपुर का ही उदाहरण देता हूं। रायपुर में 30 वार्ड हैं और उसमें हाई स्कूल भी है, शफाखाना भी है, उसमें तहसील भी है, सारी सुविधाएं हैं लाइट, पानी, आवागमन के साधन, कुछ भी कमी नहीं है। 10 वार्ड सभा या 30 वार्ड सभा गांव में बनेंगी। क्या प्रस्ताव पास करेंगी, मुझे आप समझाइये। इस पर आप थोड़ा वापस सोचिए, बहुत गहराई का सवाल है। हमारा अनुभव है कि वार्ड सभाएं चलती नहीं हैं इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से हम गांवों में रहते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे हुए हैं, प्रधान भी रहे हैं, कौनसी पोस्ट पर हम नहीं रहे हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। आज अगर आप ऐसा मानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सही नहीं है, माननीय सभापतिजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारी पंचायत समिति और सारी जिला परिषदों में एक पत्र भेज कर देख लीजिए कि वार्ड सभाओं का औचित्य है कि नहीं है। हमारे तो सोजत, रायपुर में सबने एक तरह से इसको बहिष्कृत किया है कि हमारे यहां वार्ड सभाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई काम नहीं होता, प्रस्तावों का एक बण्डल बन गया है। उन प्रस्तावों के बण्डल का कोई एक्जीक्यूशन नहीं होता है। तो वार्ड सभाओं की क्या आवश्यकता है। इसको आप अपने अहंम का सवाल मत बनाइए। पिछले बजट सत्र में भी हमने इसका विरोध किया था और आज भी हम कह रहे हैं। माननीय शिवनाथ सिंहजी ने कहा आपने वार्ड पंचों को और सरपंचों को 1/10 के बहुमत से हटाने का कहा है। दो साल बाद देखना जोशीजी, लाठी-भाटा जंग होगी। कोई भी गांव सुरक्षित नहीं होगा। आपके 38 में आलरेडी प्रोविजन हैं नो कांफिडेंस के। इसकी क्या जरूरत थी कि 1/10 में जिस प्रकार का भाईचार गांवों में होता है, चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद सब ठीक हो जाता है। दो साल बाद में इतना जबरदस्त बवंडर गांवों में होगा आप खुद परेशान हो जायेंगे, आपका प्रशासन परेशान हो जायेगा, आपका एस.डी.ओ. परेशान हो जायेगा, आपका कलक्टर परेशान हो जायेगा, आपकी पुलिस परेशान हो जायेगी। कौन विश्वास करने देगा। दो पार्टियां बनेंगी, दो बड़े खेमे बनेंगे। बहुत भारी जंग होगी, महाभारत होगी। उस बहुत बड़े कार्यक्रमों में जो आप गांवों के विकास की भूमिका बनाना चाहते हो, गांवों को आगे बढ़ाना चाहते हो वह सारा तहस नहस हो जायेगा।

सभापतिजी, मैं यह निवेदन करते हुए, क्योंकि यह राजस्थान की जनता के लिए है और राजस्थान की ग्रामीण जनता सुख शांति से रहे, उनका विकास होवे, उनमें किसी प्रकार की द्वेषता न आये, उनमें प्रेमभाव बढ़े। सरपंच के लिए तीन-तीन, चार-चार उम्मीदवार खड़े होते हैं। यह जो

(श्री हीरासिंह चौहान)

आपका दो साल का प्रोविजन है कि दो साल बाद में 1/10 के बहुमत से सरपंच को हटाओ, वार्ड पंचों को हटाओ, यह गांव की जो हारमनी है, गांव का जो प्रेमभाव है, वास्तविक स्नेह है वह बिलकुल समाप्त हो जायेगा। इसलिए मैं पंचायती राज मंत्रीजी से बड़े अदब से निवेदन करता हूं कि यह जो व्यवस्था की है इससे उस समय भी बड़ी पीड़ा हुई थी सभी लोगों को लेकिन अभी कोई समय नहीं गया। दो साल निकले नहीं हैं। दिसम्बर-जनवरी में सैशन आयेगा और आप इस बारे में वापस सबसे विचार ले लीजिए, विचार लेकर इस बात को तय कीजिए कि इस प्रोविजन की जरूरत कहां है। वापस रीकाल करने की कहां जरूरत है। रीकाल बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें।

माननीय सभापतिजी, पंचायत के प्रस्ताव होते हैं, पंचायत समिति के प्रस्ताव होते हैं, जिला परिषद के प्रस्ताव होते हैं सरकार के अधिकारी उसकी किसी प्रकार से पालना नहीं करते है। सभापतिजी, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जिला परिषद पाली में 24 तारीख को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके गांव के प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी को वहां बुलाया। बुला कर कहा कि जब आपको हमारे शासन की ओर से यह आदेश दे दिया गया कि यह पंचायत समितियां हैं, आपका प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी जिला परिषद के नीचे रहेगा इसके लिए आपने सबसे पहले तो 27.12 को आदेश निकाला और आदेश में यह भाषा कही, माननीय सभापति महोदय, कि अधिकारी या अन्य अवकाश के प्रकरण, आगे दिया है शिक्षा के अन्तर्गत आने वाली जिला परिषद के समस्त कर्मचारी, अधिकारी का प्रशासनिक नियंत्रण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक के मार्फत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। जिला परिषद में शिक्षा शाखा या जो अभी है, आपने दूसरी एक स्टेंडिंग कमेटी बना दी उसके नीचे आयेगा। पाली जिले की जिला परिषद की जो स्टेंडिंग कमेटी है उसने 12.2.2001 को प्रस्ताव पास किया और यह किया कि आपके जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना अनुशंसा किये, बिना जिला परिषद की स्टेंडिंग कमेटी से पूछे, बिना प्रमुख से पूछे बहुत सारे स्थानान्तरण कर दिये और भारी रिश्वत खाकर स्थानान्तरण किये समायोजन के नाम पर। उसका जिला परिषद ने पूरी तरह से उस प्रस्ताव को पेश किया कि सारे स्थानान्तरण रद्द किये जाएं। उस समय जिला कलक्टर पाली थे वह भी उस बैठक में मौजूद थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पत्र को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यह जो स्थानान्तरण की व्यवस्था की है और उस व्यवस्था का आपका प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी नहीं मानता। सभापतिजी, मैं आपके मार्फत उस पत्र का कुछ रेफरेंस

(श्री हीरासिंह चौहान)

पढ़ना चाहता हूं। कलक्टर ने लिखा है 12.3.2001 को :

"आपके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.2.2001 के द्वारा यह चाहा गया था कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक पाली द्वारा जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनमें से कौन-कौन से स्थानान्तरण राज्यादेश की पालना में हुए तथा कौन-कौन से बिना राज्यादेश से किये गये हैं। आपके उक्त अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति दिनांक 24.2.2001 को ही जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 545 दिनांक 2.3.2001 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने उक्त पत्र के साथ 5 अनुसंलग्न भी संलग्न किये हैं। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्यापकों के स्थानान्तरण कोई राज्यादेश से नहीं हुए।

इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.1.2001 को जारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थाई समिति के अनुमोदन कराये बिना स्थानान्तरण आदेश जारी किये हैं जिन्हें दिनांक 12.2.2001 को प्रशासन एवं स्थाई समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिसकी पुष्टि दिनांक 24.2.2001 को आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा के अनुमोदन से किया गया। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्न आदेशों के द्वारा स्थानान्तरण आदेश किये हैं इनमें कोई भी स्थानान्तरण राज्यादेशों से नहीं हुए हैं।"

माननीय सभापतिजी, क्योंकि यह बड़ा गम्भीर विषय है, सब जिला परिषदों में हो रहा है। हमारे पाली में भी हो रहा है। कलक्टर ने हमें लिखा है कि 25.1.2001 को 84 टीचर्स के स्थानान्तरण हुए, 25.1.2001 को 6, 25.1.2001 को 3, 25.1.2001 को 1, 31.1.2001 को 21, 31.1.2001 को 12, 31.1.2001 को 5, 31.1.2001 को 6 स्थानान्तरण किये। इस प्रकार 138 स्थानान्तरण हैं, वह बिना जिला परिषद की स्थाई समिति के अनुसार किये गये और उसको रद्द करने के लिए जिला परिषद की साधारण सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर हमारे वहां के जिला परिषद प्रमुख ने भी आपको पत्र लिखा और पत्र लिख कर माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को भी एक कापी दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपकी जो ट्रांसफर की पालिसी है एक तरफ तो आप शासन सचिव श्रीमान् आशीष बहुगुणाजी से आदेश कराते हैं और आदेश कराने के बाद उनकी पालना नहीं होती है। सम्माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, आज भी मैं चैलेंज देकर कहता हूं। आपने कल कहा था शिक्षा पर आए तब बोलना, इसलिए बोल रहा हूं। आपका डिप्टी डायरेक्टर जोधपुर में बैठा हुआ खुले आम हमारे प्रमुखों को कहता है कि आपको

(श्री हीरासिंह चौहान)

कितने पैसे लेने हैं, आपको किस प्रकार का क्या करना है। आप जिला परिषद में किसी भी मैम्बर को, किसी भी सदस्य को भेजकर, चाहे डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को, यह जांच करवा लीजिए। खुले आम जिला प्रमुख को उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, मैं तो स्थानान्तरण करता आया हूं। कोई गणपत राज जैन इस प्रकार का नाम है, मैं नहीं जानता। फिर भी अगर आपकी इस प्रकार की स्थानान्तरण की नीति है तो डिसेंट्रलाइजेशन का ढोल क्यों पीटते हैं? इसमें पंचायत समिति के ट्रांसफर के लिए पंचायत समिति में आदेश के अनुसार पंचायत समिति, रायपुर ने यह स्थानान्तरण 12.2.2001 को किए थे केवल 13 अध्यापकों के जो बहुत लोग स्टे कर रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशन जिनको टी.ए., डी.ए. नहीं देना पड़ता। पंचायती राज मंत्रीजी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपके माननीय आशीष बहुगुणाजी ने आपके डायरेक्टर हैं प्रारम्भिक शिक्षा के, जैन साहब को बुलाकर 29.1.2000 को आर्डर किया कि इसको पंचायत समिति ने आर्डर किया है, वैलिड है इसको कैंसिल करो। Inspite of all our good attempts, और आज दिन तक कैंसिल नहीं हुआ है। किसके पास जाएंगे, किसको कहेंगे कि आपके क्या आदेश हैं, क्या आपकी व्यवस्था है।

इसलिए, सम्माननीय जोशीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिसेंट्रलाइज करो तो पूरा करो या जिला परिषदों को अधिकार देना है तो कम्पलीट दो। वह जिला शिक्षा अधिकारी कहता है कि मैं तो डायरेक्टर के आर्डर को मानता हूं। हमने उसको जिला परिषद में बुलाकर पूछा। जिला परिषद के सभी मैम्बर्स ने पूछा कि आप जो पंचायती राज विभाग ने आदेश दिया है कि आप जिला परिषद के अधीनस्थ हैं या डिप्टी डायरेक्टर के अधीनस्थ हैं, 5-10 मिनट तो वह जवाब नहीं दे पाया। इस प्रकार उसकी स्थिति खराब हो गई। फिर अंत में कहा कि यह आदेश मैं कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए, सम्माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, स्थिति बड़ी गम्भीर है इसलिए आप एक-एक बात को देखिए। आप डिसेंट्रलाइजेशन करके पावर डेलिगेट करते हैं। या तो उस पावर को जो भी संस्था है उसको एन्जाय करने दो, अदरवाइज डिसप्यूट बनता है। और डिसप्यूट इतना गम्भीर बनता है कि जिसके लिए चारों तरफ हमारे जिले में, पाली जिले का मैं स्पेशल कहता हूं, अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर, अध्यापकों का समायोजन करके जितनी भी पंचायत समितियां हैं, चाहे 10 हैं, किसी भी पंचायत समिति से चाहे किसी पार्टी का प्रधान था, किसी से किसी प्रकार की राय नहीं ली गई। इसी प्रकार के आदेश करने हैं अगर समायोजन के नाम पर तो मना नहीं करते। जहां शिक्षकों की कमी होगी आपने समायोजन किया होगा लेकिन यह नीति ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार एक बहुत गम्भीर मसला प्राथमिक शिक्षा

(श्री हीरासिंह चौहान)

के लिए। प्राथमिक कक्षा के लिए आपने कहा, कल भी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, आज मैं भी कह रहा हूं, कक्षा एक की छात्र संख्या को आपने कोई भी अध्यापक नहीं दिया जबकि कक्षा एक में ही बहुत बड़ी संख्या छात्रों की होती है। इस प्रकार आप कक्षा एक के बिना दूसरी क्लासेज के लिए टीचर देते हैं तो कक्ष एक के विद्यार्थी कहां जाएंगे? यह चिन्ता और सोच का विषय बनता है। इसलिए आप वापस इसको सोचिए और सोचकर किस प्रकार इसको ठीक किया जा सकता है इस मामले पर आपको विचार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं यह प्रसन्नता की बात है। विभिन्न वक्ताओं ने इसके विषय में बहुत कुछ कह दिया, मुझे तो बड़े खेद के साथ एक बात कहनी पड़ती है। आपने प्रयास करके मंगरा क्षेत्रीय विकास योजना बनाई जो आपके राजसमन्द से लेकर ब्यावर तक के 10 पंचायत समितियों को कवर करती है। आपने उसके लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए। आप यह भी कह रहे हैं कि दिसम्बर तक उसका सर्वे हो गया। अब सर्वे होने के बाद जो क्षेत्र बिलकुल अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, जिस क्षेत्र का विकास करना बहुत आवश्यक है और उस बात को आपने खुद ने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बावजूद, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां आ गए हैं, उस समय आपने इस बात को स्वीकार किया कि मंगरा क्षेत्र का विकास क्षेत्रीय विकास योजना के तहत, एक विकास योजना थी जो राजसमन्द से लेकर ब्यावर तक थी। लेकिन इस साल के बजट में आपने एक पाई का प्रावधान नहीं किया। जिसको आप चाहते थे उसका प्रावधान नहीं किया। इसमें केवल 10 वे ही पंचायतें आती हैं जो अरावली पर्वत माला की हैं, जहां पर विकास की बहुत जरूरत है, जहां पर लोगों के पास जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है। आप दुग्ध डेयरी की कोई योजना चलाते, छोटे-छोटे एनीकट बनाते, लोगों के रहने के लिए घर बनाते, रोड्स बनाते, छायादार दरख्त लगाते जो इस योजना में अच्छी स्कीम आ सकती थी। वह केवल एक सर्वे करा दिया, सर्वे कराने के बाद उसको ठीक नहीं किया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और पंचायती राज मंत्री से भी, आपने एक योजना लास्ट बजट में दी थी। गांव योजना पहले की है, मेवात योजना पहले की है, मंगरा विकास क्षेत्रीय योजना को आपने लिया। क्या कारण है इस साल बजट में एक सिंगल पैनी नहीं रखी? इसलिए मैं आपसे उस क्षेत्र के लोगों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं बजट के बहुत सारे विनियम पास होंगे उस समय इस पर वापस सोचिए और सोचकर जो चीज आपने दे दी, 10 लाख दिए, ज्यादातर एक करोड़ देते हैं, अगले साल 2 करोड़ देते हैं। यह तो सरकार का बजट है, घटता-बढ़ता रहता है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति

(श्री हीरासिंह चौहान)

चाहिए। इच्छा शक्ति होती है तो इस काम को किया जा सकता है।

इसी प्रकार आजकल एक समस्या और हो गई है जिस पर भी आपको और हमको चिन्ता करनी पड़ेगी। इतनी भयंकर गर्मी हो गई है, छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। बारह-एक बजे तक उनकी छुट्टी होती है। स्कूल में पंखा नहीं है, बिजली नहीं है और बच्चे सड़क पार करके बारह-एक बजे तक वापस आते हैं। उनके पीने का ठण्डा पानी है, या तो आप इसको 8-9 बजे तक कर दीजिए। वरना इस व्यवस्था को थोड़ा बदलना पड़ेगा नहीं तो कई प्रकार के हादसे होंगे। हादसे होने के बाद आप सम्भलेंगे कि यह क्या हो गया। स्थिति बड़ी खराब है। बाहर इतनी गर्मी पड़ती है कि आदमी आग से झुलस जाता है। इसलिए कृपा करके बच्चों की जो छुट्टी की व्यवस्था है उस पर भी पुनर्विचार करके इसको ठीक समय पर करने की व्यवस्था करें ताकि बच्चे ठीक प्रकार से, अब उनके एग्जाम भी ओवर हो गए हैं। अगर आप, थोड़े दिन बाद आपके डायेरक्टर साहब के स्टेटमैंट आए कि ग्रीष्मावकाश भी हम नहीं रखना चाहते। अंग्रेजों की प्रणाली है, सही है मत रखिए। लेकिन इस प्रकार का कोई न कोई रास्ता तो निकालो जिससे बच्चों को तो कम से कम तकलीफ नहीं हो पाए। छोटे-छोटे, नन्हें-नन्हें बच्चे होते हैं, यह मासूम बच्चे भयंकर गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मुख्य मंत्रीजी, कुछ न कुछ आपको सोचना पड़ेगा। कुछ भी अल्टरनेट निकालिए यह आपके सोचने का काम है। मैं तो आपके नोटिस में ला रहा हूं कि किस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं जिनका निराकरण करना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आप उस समय नहीं थे...

एक माननीय सदस्य : आज आपका जन्मदिन है।

श्री हीरासिंह चौहान : जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। वर्षों तक जीओ, खूब विकास करो। एक निवेदन है जिस दिन माननीय पंचायती राज मंत्रीजी एक बिल पास करा रहे थे। माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने भी आपको ढूंढ़ा लेकिन आप बीकानेर की साइड गए हुए थे। राज्यपाल का पहला आर्डिनेंस जारी हो गया था। बिल पर बहस हो रही थी, वह बिल आना नहीं चाहिए। वह बिल क्या था, एक तो पंचायत राज एक्ट में धारा 38 के तहत आलरेडी नो कांफिडेंस का प्रावधान है, अब 1/10 आबादी ग्राम पंचायत के सरपंच को हटवाएगी। दो साल पूरे होते ही, 1/10 आबादी वार्ड पंचायत को हटाएगी। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं गांव में दो दंगल होंगे। आपका अधिकारी वहां इस नो कांफिडेंस की कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा। गांव की शांति है, गांव की सद्भावना है, गांव में आपस में भाईचारा है, वह बिलकुल खतम हो जाएगा, पांच साल के लिए फील्ड के चुनाव, वार्ड पंच

(श्री हीरासिंह चौहान)

चाहे तो उसका हटवा दे, लेकिन इस प्रकार आप 1/10 के सहारे ग्राम सभाएं कर दें, आपका आफिसर आएगा वह भी इससे नहीं बच सकता, क्योंकि गांव में तो बड़े-बड़े ग्रुप होते हैं। दो बड़े-बड़े ग्रुप होंगे। एक तरफ लाठी लेकर बैठे रहेंगे और दूसरी तरफ भी बैठे रहेंगे कि किस प्रकार प्रस्ताव पास कराते हो। इसलिए कम से कम यह अमेंडमैंट हुआ गत बजट में इसको विथड्रा कीजिए। इसी प्रकार से वार्ड पंचों के प्रस्ताव को।

एक और निवेदन करना चाहता हूं आप आ ही गए तो, वार्ड सभाओं का प्रस्ताव इन्होंने गत बजट सैशन में इंट्रोड्यूस किया कि वार्ड सभा होगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखो, यह हमारे जहन में उतरता नहीं है क्योंकि हम इसको जानते हैं कि वार्ड सभा, ग्राम सभा जो होती है उसमें सर्वसम्मति सब की होती है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : मान्यवर यह रिकार्ड पर आ गया, मुख्य मंत्रीजी को इसकी जानकारी है।

श्री हीरासिंह चौहान : इसीलिए तो रेवेन्यू विलेज है, मैं मना नहीं करता आपका सेपरेट रेवेन्यू विलेज है। वहां पर माननीय जोशीजी जाएं तो वहां पर वार्ड सभाएं जरूर कराएं लेकिन गांव है जिसमें एक ही गांव हैं, 30 वार्ड सभाएं हैं। 30 वार्ड सभा का क्या प्रस्ताव लेंगे, गांव तो पूरी तरह से डवलप हो गया है। सब प्रकार की व्यवस्था है, वह क्या करेंगे, कौनसी सड़क, स्कूल बनाएंगे? इसलिए जहां रेवेन्यू विलेज है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए।

माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की जहां भी सरकार की योजना है, अभी हमारे सम्माननीय मानिक चन्दजी सुराना साहब ने बताया बहुत सारी योजनाएं चार्ट में दी हुई हैं, इसके अनुसार सभी क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास होवें। इस प्रकार की आप व्यवस्था सुनिश्चित करें। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमन्त कुमार।

(19.50 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास पर मैं आपके माध्यम से सदन को अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी और पंचायत राज मंत्रीजी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वार्ड सभाओं के आयोजन की योजना रखी। मेरे से पूर्व जो अनुभव वाले सदस्य वक्ता थे, उन्होंने इसकी आलोचना नहीं की लेकिन पंचायत राज की जो सबसे छोटी कड़ी है, वह है वार्ड और उस वार्ड तक आज तक

(श्री हेमन्त कुमार)

कोई भी नहीं पहुंच पाया। जब तक हम छोटी से छोटी कड़ी से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी उस योजना को सफल बनाने में सफलता नहीं मिलेगी। (व्यवधान)

नहीं, यह अलग-अलग है। मेरे विचार सुनिये आप। आपके विचार हमने सुने। आप नाराज क्यों होते हैं? मेरी बात है। अपने-अपने विचार हैं। आपकी अलग परिस्थितियां हैं। मेरी अलग परिस्थितियां हैं। आप क्यों नाराज होते हैं? मेरी बात सुनिये आप। जो छोटी से छोटी कड़ी है। आज जैसा मैंने अनुभव किया एक पंचायत के अन्दर पांच-छह गांव हैं जहां पर पंचायत मुख्यालय हैं। पंचायत की मीटिंग वहीं होती। बाकी जो अन्य गांव हैं, वह जानते ही नहीं कि पंचायत राज है क्या चीज? उन्होंने कभी पंचायत राज की मीटिंग होते नहीं देखा। लेकिन जब वार्ड सभाओं का कार्यक्रम शुरू हुआ और वार्ड के हिसाब से उन छोटे-छोटे गांव में जाकर मीटिंग हुई। उन गांव की महिलाओं ने, उन गांव के जो नागरिक हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह मीटिंग होती है, काहे के लिए मीटिंग होती है, क्या हमारी भी भागीदारी है? वहां पर जो प्रस्ताव लिये जाते हैं वह सबके सब क्रियान्वित हों, नहीं हों, यह अलग विषय है। पंचायतों में जितने प्रस्ताव लिये जाते हैं, क्या सबके सब की क्रियान्विति की जाती है? क्या यहां पर पंचायत समिति में और जिला परिषद में जितने प्रस्ताव लेते हैं, क्या उनकी सबकी क्रियान्विति होती है? लेकिन उनको भागीदार बनाना पंचायत की जो छोटी से छोटी यूनिट है वार्ड, उनके नागरिकों को यह महसूस कराना कि पंचायत राज हमारा है, हमारी भागीदारी है इसमें योजना बनाने में। हमारे से पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? अब उसमें कितने प्रतिशत हमारे काम होते हैं, जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया कि उसमें झगड़े-फंसाद होंगे। हो सकते हैं, मैं इससे इंकार नहीं करता कि जब पंचायत राज थी, महात्मा गांधी ने पंचायत राज का जो सपना देखा, उसकी नेहरूजी ने राजस्थान के अंदर शुरूआत की। उस समय पंचायत की भी यही आलोचना हुई थी कि गांव-गांव में लड़ाई-झगड़े होंगे तो क्या इन विचारों को रोक कर आपने पंचायतों को खतम कर दिया। इसी तरह से जो सम्माननीय सदस्य इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इसका जो असर होगा, यह आने वाले समय में होगा। आज जिस तरह से आप पंचायत की यूनिट की एक आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, उसी तरह आने वाले समय में आप वार्ड सभा की जो बैठक हो रही है, उसकी आवश्यकता को महसूस करेंगे। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और पंचायत राज मंत्रीजी को हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने पंचायत राज की जो छोटी से छोटी यूनिट है, उसको पकड़ा। इसको महसूस किया और वहां पर वार्ड सभाओं का आयोजन शुरू किया।

मैं, दूसरी जो बात है पंचायत के अंदर महिला सरपंचों की आयी। महिलाएं हैं

(श्री हेमन्त कुमार)

और महिलाओं की भी इस प्रजातंत्र में भागीदारी रखी है, यह बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि उनके पति मीटिंगों में आते हैं, उनको बाहर बिठाया जाता है, वह ठीक है। लेकिन मेरा इसमें निवेदन है कि दो अधिकारी और बैठ गये एस.पी. और पी.पी.। एस.पी. तो सरपंच पति और पी.पी. हो गये प्रधान पति। अब सब कहते हैं कि एस.पी. साहब भी बैठे हैं। मैं भी एक जगह गया तो मैंने पूछा भाई, एस.पी. साहब कौनसे आ गये? उन्होंने कहा कि यह सरपंच के पति हैं न।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, समय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज अनुदान की मांग संख्या 28 और 41 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान मांगें पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। बोलो।

मांग संख्या 28 व 41 पर विचार

श्री हेमन्त कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो महिलाएं पंच हैं या जो महिलाएं प्रधान हैं, यह भी जब साइन करने जाते हैं, कुछ जिम्मेदारी का काम आता है तो वह जिस पर विश्वास होता है, क्योंकि वह अभी इतनी एडवांस नहीं हुई, इतनी शिक्षित नहीं हुई, उसको पढ़कर सलाह लेकर अपने ग्रुप सचिव, ग्राम सेवक है उनकी राय के हिसाब से काम कर सके। उनका विश्वास अपने पति पर रहता है। वह यह चाहती हैं कि कोई भी बात हो कहीं मैं उलझ नहीं जाऊं। मैं शिक्षित नहीं हूं। कानून को नहीं जानती हूं। मेरा पति दस से पूछ सकता है। अगर उससे राय ली जाए तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। यह जरूर है कि उनके जो पति हैं वह चर्चा में भाग नहीं लें, उसमें दखलंदाजी नहीं करें। लेकिन अगर कोई महिला सरपंच पति अपने पति से सलाह लेती है तो मैं सोचता हूं कि वह कोई गलत काम नहीं करती, क्योंकि उसको भी सुरक्षा की भावना चाहिये।

जैसा अभी ग्राम सेवकों के बारे में बताया। ग्राम सेवक भी दो तरह के हैं। एक तो पुराने ग्राम सेवक हैं अनुभव वाले। 15-15, 20-20 साल का अनुभव है। उन्होंने सब तरह के अनुभव ले लिये कि किस तरह से काम कराया जाता है। बी.डी.ओ. से कैसे लिंक बनाया जाता है। जेईएन. से कैसे लिंक बनाया जाता है।

(श्री हेमन्त कुमार)

एक तो वह हैं। दूसरे जो ग्राम सेवक हैं जो चुंगी नाके से और वन विभाग से लाकर डाल दिये गये, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। जहां पर दोनों ने समस्याएं खड़ी कर रखी हैं जो अनुभव वाले ग्राम सेवक हैं और अगर वहां पर महिला सरपंच है तो वह उसको गुमराह करके, उसको वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ रखकर, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है पंचायत का, उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और जो बिलकुल जानकार नहीं है, जिनको पंचायत राज की ए, बी, सी, डी भी मालूम नहीं है, उनको ग्राम सेवक बना दिया तो वहां भी एक समस्या है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जहां पर यह ग्राम सेवक लगाये चुंगी नाके से या वन विभाग से या दूसरे विभागों से तो कम से कम उनको 15-20 दिन की ट्रेनिंग तो दे देनी चाहिये ताकि वह थोड़ी बहुत जानकारी रख सके पंचायत राज के बारे में। उन लोगों को पंचायत राज के बारे में बिलकुल भी जानकारी नहीं होती, वह बिलकुल अनभिज्ञ हैं। इसलिए मेरा सुझाव है जहां-जहां भी ऐसे ग्राम सेवक लगाये गये हैं, उनको 15-20 दिन या एक महीने की ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय और पंचायत राज मंत्रीजी को इस पर भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि परम्परागत पानी के स्रोतों का जो वापस जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आज इतने वर्ष हो गये किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। जो हमारे तालाब, कुएं, बावड़ी थे उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उनमें से करीब-करीब 90 प्रतिशत नष्ट हो गये थे। उन पर ध्यान नहीं दिये जाने से आज हमारे सामने इसी कारण अकाल की समस्या आयी, पेयजल की समस्या आई और भी कई तरह की, पशुओं के पीने के पानी की समस्याएं आयीं। अगर हम इन परम्परागत स्रोतों पर ध्यान देते तो आज हमारे सामने यह समस्या नहीं आती। इस पर आपने पहली दफा ध्यान दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

(20.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक समस्या, जो मेरे क्षेत्र में है, बेगूं क्षेत्र है, वहां पर नदियों का बहुल है और वर्षा का बेशकीमती पानी व्यर्थ ही बह कर चला जाता है। मैंने इस विषय में पूर्व में भी निवेदन किया था कि उस पानी को रोका जाए तो हमारी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, और अब ट्यूबवैल, हैण्ड पम्पों का पानी का स्तर गिर रहा है, उसको रोका जा सकता है। इस पर भी कोई ज्यादा पैसे की लागत वहां पर आने वाली नहीं है। जहां-जहां भी जो दो-तीन मुख्य नदियां हैं कालीसिंध, उजाड़, परवन, इन नदियों पर जो स्वतंत्रता से पहले पुल बने हुए थे, आज की तारीख में उनकी ऊंचाई कम होने से वे काम नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह हमारी सरकार ने अभी स्वतंत्रता के

(श्री हेमन्त कुमार)

बाद में नये पुल बना दिये तो आज सारा आना-जाना नये पुल पर से हो रहा है, जो पुराने पुल हैं वह काफी मजबूत हैं। अगर उनके मोखे को रोक दिया जाय तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा। जो फालतू बरसाती पानी है वह तो बह कर चला जायेगा और उस पुल की हाइट का जो पानी है वह रुका रहेगा। जहां कई करोड़ों रुपये में जो एनीकट बनता है वह कुछ लाखों में ही एनीकट बन कर तैयार हो जायेगा। इससे हमारे क्षेत्र की जो नदियां हैं, उनमें जो बरसाती पानी व्यर्थ बह कर जाता है उसको रोक कर के हमारे क्षेत्र का विकास हो, सिंचाई के साधन होंगे और पीने के पानी की समस्या दूर होगी, जल स्तर बढ़ेगा और उसमें हमें काफी योगदान मिलेगा।

जैसा कि अभी विकास अधिकारियों के बारे में चर्चा चली। कुछ ने तो चाहा कि बी.डी.ओ., आर.ए.एस. अधिकारी होने चाहिए और कुछ की राय थी कि बी.डी.ओ. आर.ए.एस. अधिकारी नहीं होने चाहिए। इसमें मेरी राय है कि आर.ए.एस. अधिकारी अधिकारी होता है, जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया कि उससे मिलना है तो चिट देकर तो आप मिल पायेंगे। यह जो पंचायत समिति का कार्यालय है उसमें और आज हम देखें कि तहसीलदार का कार्यालय है, जहां तहसीलदार बैठता है, रात-दिन का फर्क है। ग्रामीण क्षेत्र का आदमी तहसीलदार से इतनी सुविधाजनक रूप से नहीं मिल सकता, वह अपने दुःख-दर्द को नहीं कह सकता जबकि विकास अधिकारी जो कि बराबर स्तर का अधिकारी है, उसके पास में निस्संकोच जाकर के अपने दुःख-दर्द को कह सकता है। जब तहसीलदार की जगह पंचायत समिति में आर.ए.एस. अधिकारी बैठा दिया जायेगा तो आप कल्पना करें कि जो बेचारे कम पढ़े-लिखे सरपंच हैं, पंच हैं और जो ग्रामीण जनता है वह अपने दुःख-दर्द को किस तरह से उनको कह पायेगी और कहा भी तो कितना उस पर पालन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे? यह एक सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि पंचायत समिति में आर.ए.एस. अफसर की जगह जो अभी दूसरे अधिकारी लगे हुए हैं, उनको ही रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 28 और 41, पंचायत राज और ग्रामीण विकास पर चर्चा चल रही है, उसमें मैं भाग ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान अवस्था ग्रामीण विकास की है उसमें कुछ योजनाएं केन्द्र की हैं, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, हमारे माननीय सदस्यों ने काफी जानकारी दी है। कुछ योजनाएं प्रांत की हैं। प्रांत की योजनाओं में प्रांत सरकार कोई पैसा नहीं लगा रही। केन्द्र की योजनाओं में 75 परसेंट और 25 परसेंट का जो रेश्यो है, उसमें लगा रही है। कुछ

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

क्षेत्रीय विकास के काम हैं और कुछ अन्तरराष्ट्रीय स्तर से हमको सहयोग मिलता है। परन्तु इस ढाई वर्ष में इन ग्रामीण विकास की योजनाओं में, हमारा देश 85 परसेंट ग्रामीण अंचल का है, खेतिहर है और उसमें इस ढाई वर्ष में जो अव्यवस्था हो गयी है उसके बारे में मैं कुछ बहुत संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब किस विषय को कहां से शुरू करें और कहां अंत करें किन्तु कुछ संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी इसको ध्यान में रखें। डी.आर.डी.ए. में जो मीटिंग पहले हर माह की अंतिम तारीख को होती थी, इस ढाई वर्ष में सारा क्रम बदल गया है, बिगड़ गया है। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के शासन में, बी.जे.पी. के शासन में हर माह की आखरी तारीख को डी.आर.डी.ए. की मीटिंग होती थी लेकिन अब मीटिंग की तारीख आ जाती है और साथ ही साथ स्थगित करने की तारीख आ जाती है, कैंसिल करने की तारीख आ जाती है। इस प्रकार से डी.आर.डी.ए. की अव्यवस्था है।

डी.आर.डी.ए. में हम जो एम.एल.ए., एम.पी. कोटा का पैसा भेजते हैं अपने स्थानीय क्षेत्रीय विकास का, यहां तक अव्यवस्था है कम से कम अलवर के डी.आर.डी.ए. में कि एक कैशियर महोदय पिछले 12 वर्ष से बैठे हैं, 7 महीने हो गये एम.पी. कोटे का पैसा स्वीकृत हो गया, वित्तीय स्वीकृति निकलने के बाद भी 7 महीने तक उसके चैक जारी नहीं हुए। और चैक जारी हुए तो कैशियर महोदय ने वह चैक डिस्पैच करके जेब में रख लिये, बैंकों में नहीं भेजे और हम लोग ढूंढ़ते रहे, चक्कर काटते रहे, एम.पी. महोदय फोन करते रहे। इस प्रकार से मेरे स्वयं का एम.एल.ए. कोटा पांच महीने तक लगातार डी.आर.डी.ए. में वित्तीय स्वीकृति निकलने के बाद भी उन चैकों को छिपा लिया गया। वह कैशियर महोदय और दो जूनियर एकाउंटेंट, जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कलक्टर साहब को भी कहा है, पी.डी. साहब को भी कहा है। इस प्रकार की अव्यवस्था वहां बराबर है। कर्मचारी या तो समय पर मिलते नहीं और मिलते हैं तो कोई जवाबदेह उत्तर नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ढिंढ़ोरा पीटा गया था कि जिला प्रमुख को हम सारे पावर दे रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को भी अधिकार दे रहे हैं परन्तु सिवाय उनके हाथ में एक खिलौना या एक झुन्झुना पकड़ाने के और कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष आकर के सिर्फ मीटिंग अटेंड करे, अध्यक्षता करें। जो जिला प्रमुख है, दो बरफी के पीस, चार चीप्स के पीस, दो बिस्कुट और एक काफी पीकर के चला जाय। सारे पावर यथावत पी.डी. साहब के पास और कलक्टर साहब के अलावा और किसी के पास नहीं हैं।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उपाध्यक्ष महोदय, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला। अब उस भ्रष्टाचार की जो स्थिति है यह है, मैंने आपको कुछ हिंट्स दिया था। पंचायत में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार है और उसका कारण यह है कि जो जवाबदेही और पारदर्शी सरकार है, कोई कार्यवाही नहीं करती। सम्भागीय आयुक्त द्वारा लिखा गया, कलक्टर द्वारा लिखा गया और उसके बाद भी अयोग्य सरपंचों की इंक्वायरी लगातार पिछले पौने दो साल से पैंडिंग है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

राजीव गांधी स्कूल जो आपने चलाये, मैं उसके बारे में अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। लेकिन मंगलेशपुर ग्राम है, पंचायत समिति सेंथली। वहां के सरपंच, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष हैं, वह पहले पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने पूरी बिल्डिंग बनायी नहीं और पैसा उठा लिया। उनके बारे में मैं 6 बार लिख कर दे चुका हूं। इसी प्रकार से कुछ पंचायतें हैं जिनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। 5-6 लाख उठा लिये परन्तु उन्होंने उन सड़कों को बनाया नहीं, पूरा का पूरा पैसा उठा लिया। एक पंचायत है नसवारी। वहां के सरपंच ने 82 हजार रुपये एक धर्मशाला के निर्माण और कुएं के कूप के निर्माण के लिए उठा लिये। वह धर्मशाला अलवर ज़िले में नहीं है। रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं है, अलवर जिले में नहीं है वह भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले की धर्मशाला को अलवर जिले में दिखा कर मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में, नसवारी में 82 हजार उठा लिये और एक हजार रुपये भी लगाया हो। पी.डी. साहब को तीन बार कहा, कलक्टर साहब को कहा, पूर्व कलक्टर, बी.एन. शर्मा साहब और वर्तमान कलक्टर तन्मय कुमारजी हैं, इंक्वायरी हुई लेकिन गोलमोल कर दी गयी और वह 82 हजार का पूरा गोलमाल कर दिया गया। दुर्भाग्य से वह भी सत्तारूढ़ पार्टी का ही सरपंच है।

यह सारे भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मुद्दे हैं, सड़कों के बारे में, सात-आठ पंचायतों के बारे में मैंने लिख कर दिया। तीन बार एस.डी.एम. साहब मुझे लिख करके भेजते है। फिर एस.डी.एम. साहब ने कलक्टर साहब को दिया, कलक्टर साहब ने एस.डी.एम. साहब को दिया। एस.डी.एम. साहब मुझे लिख कर भेजते है कि आप किन-किन कामों की जांच चाहते हैं? मैंने लिख दिया कि इन पंचायतों के सारे कामों की जांच चाहता हूं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

अब यह दुर्गति क्यों हुई? इस दुर्गति के पीछे कारण है कि हम लोग ठीक से मुहूर्त नहीं निकालते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पंचायत राज मंत्रीजी धार्मिक व्यक्ति हैं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो बाना हम लोगों ने ओढ़ लिया है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब कोई धर्मविहीन या धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं हों। यह धार्मिक व्यक्ति हैं, मेरा सुझाव है, मैं एक उदाहरण दूंगा। आपने देखा कि यह बहुत बड़ा विधान सभा भवन करोड़ों का बना है। इसका उद्घाटन रखा गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी दीर्घायु हों, आज इनका जन्म दिन है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनके व्यवहार से मैं प्रसन्न हूं यह मैं इस सदन में बिलकुल स्पष्ट रूप से सरेआम कहता हूं। परन्तु इसका मुहूर्त नहीं निकाला गया और मुहूर्त निकाला या नहीं निकाला, सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी को पता लेकिन मुहूर्त निकाला गया। अमावस्या सिर्फ एक शुभ होती है सोमवती अमावस्या और शनिवार की अमावस्या का मुहूर्त निकाला गया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय उधर अस्वस्थ हो गये और मुख्य मंत्रीजी को 21, 22, 23 तारीख को मैं ढूंढ़ता रहा। पता लगा मुख्य मंत्रीजी भी अस्वस्थ हैं। अब इस कारण से हुए या किस कारण से हुए लेकिन मुहूर्त नहीं निकला, मैं तो मानता हूं कि इस कारण से ही हुए। इसके साथ ही इस भवन का दुर्भाग्य देखिये। मंगलवार को हम लोग व्यक्तिगत गृह प्रवेश नहीं रखते। माननीय जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया पण्डितजी ने भी कहा कि हम विधि विधान से काम करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, यह ग्रामीण विकास में आ रहा है क्या? यह ग्रामीण विकास में आ रहा है तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक उदाहरण दे रहा हूं, साहब। माननीय सी. पी. जोशी को एक उदाहरण दे रहा हूं। कृपा करके बैठें। बाकी लोग तो इर्रेलेवेंट पता नहीं क्या बोल गये, मैं तो सीधी बात बोल रहा हूं। मंगलवार को गृह प्रवेश रखा गया जिसकी वजह से इतनी अशांति विधान सभा में चली कि पन्द्रह दिन तक बायकाट ही चलता रहा विधि विधान से काम नहीं होने के कारण। इसके पीछे जो उद्देश्य है वह बताना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आज प्रसन्नता तो यह है हमें सबसे ज्यादा कि आज आप हंसे तो सही।

एक माननीय सदस्य : हम यही तो कह रहे हैं आपको।

श्री महेश जोशी : आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस हंसी को हमेशा बनाये रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है जोशीजी। आप भी जोशी हैं और जोशीजी के साथ बैठे हुए हैं।

श्री महेश जोशी : यह काम स्क्वायर हो गया न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महादेय, तीसरी बात यह है कि श्मशान की तरफ गरम हवा और ठण्डी हवा हम लोग खा रहे हैं। सारी आत्माओं को और सारे भूतों को जगा दिया है। कृपा करके इस एसी. प्लांट को उधर से हटा कर कहीं दूसरी साइड में करें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सी.पी. जोशीजी, मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांवों का भ्रष्टाचार, गांवों में गन्दगी, गांवों में घोटाले, ग्रामीण विकास का सही मायने में विकास चाहते हो पंचायती राज का, सही मायने में विकास चाहते हो, सरपंचों को ईमानदार देखना चाहते हैं, पंचों को ईमानदार देखना चाहते हैं, प्रधानों को, जिला प्रमुखों को ईमानदार देखना चाहते हैं तो कृपा करके हर गांव के मुहाने पर शराब के खोखे की बजाय गणेशजी का गणपति विनायक का एक मन्दिर नहीं तो एक मूर्ति लगवा दें। यह मेरा पाजिटिव सुझाव है और अन्दर जो विद्यालय हैं हमारे गावों में उनमें कृपा करके मां शारदा का, मां सरस्वतीजी की मूर्ति पधरवायें ताकि ये शुभ काम अच्छे मुहूर्त में हों और गणेशजी की कृपा से, हनुमानजी की और शिवजी की कृपा से गांवों में भ्रष्टाचार, दलाली और घोटाले दूर हो सकें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह मेरा सकारात्मक सुझाव है जो किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मूर्ति लग गयी अब क्या चाहिए?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, विषय तो अब आ रहा है। वार्डों के बारे में कहा गया, इनके अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया। आज ही राजस्थान पत्रिका में समाचार आया है। मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, "हो गयी वार्ड सभा। एक संवाददाता गया। चारपाई पर बैठीं चार महिलाएं, उनमें से एक वार्ड की पंच, एक ग्राम पंचायत की ग्राम सचिव। यह दृश्य था ग्राम पंचायत चार एम.एल. के वार्ड संख्या दो की चक सात ई छोटी विरथल्यावाली में।" श्रीगंगानगर का है और बुधवार को चली वार्ड सभा में मात्र चार महिलाएं थीं।

श्री सोहन नायक : आपको शायद ध्यान नहीं है। वार्ड सभा खतम होने के बाद पहुंचा था वह संवाददाता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है, कृपा कीजिए। ऐसी वार्ड सभाओं का क्या महत्व है? माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी, इन वार्ड सभाओं का कोई महत्व नहीं है। साथ में जो निवेदन किया गया है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, (व्यवधान) हेमन्तजी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कुछ गम्भीर बनिएं। मैं आज गम्भीर हूं तो आप उठ खड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जो सरपंचों का वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव है, पहले पंच परमेश्वर माना जाता था, एक पवित्र भावना थी। पहले तो आप कृपा करके टू-टायर सिस्टम ही करें जैसे श्री कोरानी साहब ने रोडवेज में किया। रोडवेज में हैड आफिस फिर आर.एम.

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आफिस और डिपो मैनेजर था और उसके साथ चीफ मैनेजर किया। आप कृपा करें सिर्फ सरपंच को ऊपर आप की जो व्यवस्था है उसमें रखें आपके इस सिस्टम में पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों को या तो आप पूरे अधिकार दें या आप उनको पूरा फण्ड दें।

जैसे एम.एल.ए. कोटा में दिया है वैसे ही पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को कोटा दें और उनसे काम करवायें अन्यथा कृपा करके इन वार्ड सभाओं का इन सरपंचों के सम्बन्ध में कोई महत्व नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव आयेंगे, झगड़े बढ़ेंगे। एक निवेदन जो मैं करना चाहता था....

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सी. पी. जोशी साहब, जिता दिया आपको जनता ने भारी बहुमत से, हमें गिला नहीं, पर ढाई साल निकल गए, आधा समय निकल गया परन्तु काम का कोई सिलसिला नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहता हूं वार्ड सभाओं में अविश्वास प्रस्ताव लाकर, जो यह नियम बनाया है, यह लाकर के घोल दी है आपने गांव-गांव के कुओं में पागलपन की भंग। और अब बजा रहे हैं आप चंग लेकिन बिखर गया है रंग, अब कोई नहीं है ढंग। इसलिए कृपा करके ढंग से पंचायत का काम करवायें, पंचायत राज का काम चलायें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं...(व्यवधान) इस चंग और रंग को जरा कृपा करके अविश्वास प्रस्ताव से बचाइये, झगड़ों से बचायें। वार्ड में एक पंचायत में मैं गया उपाध्यक्ष महोदय, उस पंचायत के दस पंच मेरे पास आये कि वहां जोहड़ ठीक नहीं बना और सड़क ठीक नहीं बनी। मैं खुद चैकिंग के लिए गया दस पंचों के साथ 40 लोग भी नहीं थे लेकिन सरपंच के साथ वहां 400 लोग थे। वहां अब झगड़े की नौबत आ गयी, सबने हाथ जोड़ कर निवेदन किया और मुझे वहां रुकना पड़ा और काम देखकर वापस सरपंच को मुझे बुलाकर कहना पड़ा। ऐसी स्थिति नहीं आवे।

साथ में, यह जो जल ग्रहण का काम है...(व्यवधान) मैं दो मिनट और लेना चाहता हूं। जल ग्रहण के काम में भी भारी घोटाले हैं। कमेटियां, वहां ए.ईएन., जे.ईएन. अपनी मनमर्जी से पैसे लेकर बना रहे हैं। तीन बार लिखकर दे दिया जल ग्रहण के डायरेक्टर साहब को उसके बावजूद भी मनमानी हो रही है जल ग्रहण की कमेटियों में। साथ ही, यह जो आप एनजीओज. को काम देते हैं, "प्रदान" एक संस्था है, कृपया आप नोट करें, वह भारी घोटाला कर रही है आप उसकी जांच करायें। जल ग्रहण के पैसे में, एक लाख की बजाय 25 हजार लगते हैं बहुत बड़ी बात है। "प्रदान" संस्था की आप जांच करवायें यह मेरा आपसे निवेदन है। मेरा आपसे एक और निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आपसे निवेदन है कि आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अन्त में तीन लाइनें हैं, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सी.पी. जोशी साहब मुख्य मंत्रीजी के नवरत्नों में एक हैं। काफी बुद्धिमान और विद्वान हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं पिछली बार भी मैंने कह दिया था। बहादुरपुर की सड़क का मामला आया था।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो पास में कौन बैठे हैं देखो आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं देख रहा हूं माननीय भैरोंसिंहजी साहब बैठे हैं, ठाकुर साहब बैठे हैं लेकिन माननीय सी. पी. जोशीजी, आपके ऊपर वर्क लोड बहुत हो गया है। आप कृपा करके विभागों का कार्य भार कम करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सड़क के लिए नहीं बैठा हूं। मुख्य मंत्रीजी की वर्षगांठ पर मैं बधाई नहीं दे सका, मैं तो बधाई देने आया हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने भी बधाई दी है, साहब। आपने बधाई दे दी, हम सबने दे दी, दीर्घायु हों। माननीय सी.पी. जोशी साहब, मैं ट्रेड यूनियन का लीडर रहा हूं। फैक्ट्रियों में जब वर्क लोड बढ़ता था तो वहां पर हम वर्क लोड को कम कराने के लिए एम्प्लायर्स के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ संघर्ष करते थे। आपके ऊपर वर्क लोड बहुत बढ़ गया है। आपने छोटे बड़े सारे पंचायत राज के और शिक्षा सम्बन्धी 15 डिपार्टमेंट सम्भाल लिए हैं। आप कृपा करके अच्छा काम करना चाहते हैं, आप विद्वान हैं, आप बुद्धिमान हैं लेकिन वर्क लोड कम कीजिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप भी बिराजे हुए हैं इनके वर्क लोड को कम कीजिए या तो पंचायती राज या शिक्षा, इनमें से एक सम्भालें तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति हैं आपके नवरत्नों में से एक हैं। इसलिए राजस्थान का काम जरा अच्छा हो, ढाई साल बकाया हैं, अब तो कुछ काम हों, कुछ हम लोग काम कर पायें; ग्राम पंचायतों का विकास कर पायें। ग्रामीण विकास विभाग में अधिकारी भी बहुत अच्छा है। मैं कई अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं ले रहा हूं, आपको जैसा कि मैंने कहा है, मैं ग्रामीण विकास के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से लगभग परिचत हूं, अधिकारी भी आपके पास अच्छे हैं, चैन आपकी अच्छी है, कृपा करके पंचायत राज को ही सम्भालें और गांवों का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसलिए आपको और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूरामजी। (अनुपस्थित) श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गांवों का प्रदेश है और गांवों के इस प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं और कहीं-कहीं सुदूर दूर-दराज की ढाणियों में जहां भाई रहते हैं और कहीं-कहीं पर सामूहिक रूप में, महात्मा गांधीजी एवं राजीव गांधीजी की परिकल्पना थी, इस प्रकार दूर-दराज के गांव और ढाणियों को विकास की उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय गहलोत साहब के सानिध्य में, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी के इस शासनकाल में यह प्रयास रहा है कि हम गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ें। दो वर्षों में गांव में रहने वाले भाई यह अहसास करते हैं कि हमें भी कुछ रिलीफ मिली है वह कोई छिपी बात नहीं है। और इसके बीच में लगातार तीसरे वर्ष भी इस अकाल की विभीषिका से यह जरूर स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन भाइयों के विकास के हर कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। परन्तु इन सब बाधाओं के बावजूद भी ढाई वर्षों में जितना विकास हुआ है उतना ही पहले के शासनकाल में नहीं हुआ, यह स्पष्ट हुआ।

दूसरा जो हमारे पहले के भाई जो ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास की मांगों पर चर्चा कर रहे थे। मैं भी उनके साथ अपने विचारों को जोड़ते हुए जो बातें आयी थीं, वार्ड एवं ग्राम सभाएं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि वास्तव में पंचायती राज में जो सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा मानी गयी है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वार्ड सभा किस प्रकार अपना काम कर रही है परन्तु यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो सबसे छोटी इकाई में जहां पर लोग रहते हैं वहां चेतना का संचार हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। वहां के भाई यह अहसास करने लगे हैं कि ग्राम सभा भी कोई चीज होती है। मैं, इस ग्राम सभा जो वार्डों में होती है, मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड सभाएं किसी एक गांव में दो या तीन हो सकती हैं। पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि यदि वार्ड सभा को आपने इस हिसाब से बनाया है, उनका क्राइटेरिया जो मान करके आपने अपने विचार रखे हैं, आपने इस भावना के अनुरूप बनाने की कोशिश की, इतने लोग एक वार्ड में होंगे और गांवों का जो क्राइटेरिया है उसमें जनसंख्या के दृष्टिकोण से अलग-अलग अनुपात रहते हैं। यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है परन्तु मेरा विचार इसमें इस प्रकार का है कि यद आप एक गांव को, वार्ड को सभा मान करके आप काम करेंगे तो हो सकता है उस गांव में रहने वाले जितने भी लोगों की भावना है वह एक साथ केन्द्रित हो सकती है और उसमें अच्छी सहभागिता हो सकती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपकी वार्ड सभा में सहभागिता नहीं होती पर यह जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि आजकल कई ऐसे गांव भी रेवेन्यू गांव हैं जिसमें वार्ड सभाएं दो-दो, तीन-तीन होती हैं। एक वर्ष पहले और अभी जो स्थिति

(श्री मांगीलाल गरासिया)

चल रही है उसमें कई भाइयों ने अपने हिसाब से गांव गणराज्य के रूप में भी अपना जिम्मा हाथ में लिया है। उन्होंने ग्राम सभा के माध्यम से अपनी सीमा का आकलन करके अपनी ग्राम सभाएं तय करने का मानस बनाया है। मैं अपने को इन विचारों से जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि इन सुदृढ़ रूप में आप रेवेन्यू विलेज को लेते हुए करेंगे तो हो सकता है इसमें सब भाइयों की सबकी केन्द्रित भावनाएं अच्छी उजागर हो सकती है।

रहा सवाल, गांवों का सदस्य होने के नाते गांवों की स्थिति कहीं-कहीं ऐसी है जहां रेवेन्यू विलेज बन ही नहीं पाये हैं। मुख्य रोड से पन्द्रह बीस किलोमीटर अन्दर की ओर गांव, पचास किलोमीटर अन्दर की ओर गांव, जहां पर आज भी राजस्व गांव घोषित नहीं हुए हैं। कई भाई जब हम उधर बैठ करके देखते हैं और कई विपक्ष के भाई अपने विचारों का उद्‌बोध देते हुए कभी कहते हैं कि गांवों में रहने वाले आदिवासी भाई वह भुखमरी से मर रहे हैं। कभी उन लड़कियों को बेच करके जीवनयापन करने वाली बात आती है और कभी न मालूम क्या कह देते हैं हमारे भाई जब इस विधान सभा में आते हैं। हमारे दिल में इस प्रकार की ठेस पहुंचती है कि वास्तव में अपने विचारों को किस प्रकार हम यहां प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं और इससे हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे भाइयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वह अपने आप में बहुत ही झुंझलाहट लिये हुए होता है। हमारा दिल कहता है कि हमें उनको क्या कहना चाहिए, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो हम भी नहीं रह सकते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि गांवों का प्रदेश होने के नाते गांवों में रहने वाले जो भी भाई आदिवासी अंचल में रहते हैं उनका अपने आप में एक स्वाभिमान है और अपने स्वाभिमान को कायम रखते हुए उन विकास की धाराओं के साथ भी जुड़ कर काम कर रहे हैं।

आरक्षण की जहां-जहां बात आयी है, कई माननीय सदस्य अपनी बातों को रख रहे थे और उसमें महिलाओं की जहां-जहां बात आयी और उन महिलाओं की बातों में वह सरपंच होने के नाते पंचायत में नहीं आने वाली बातें, यह सब मैं अपने आप में यह कहना चाहूंगा कि महिलाओं को एक प्रकार का अधिकार मिला है। उन्होंने अपने घूंघट का छोड़ कर बाहर आने का प्रयास किया है वह भी मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकता हूं जो आने वाले टाइम में एक नया द्योतक लिये हुए होगी।

पंचायती राज को और अधिक सशक्त रूप से मजबूत करने के लिए मेरा निवेदन और सुझाव है कि पंचायतों में रहने वाले सरपंचों का मामला हो या ग्राम सभाओं में वार्ड पंचों का मामला हो, उनको इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जावे जिससे कि वह अपने आप में गांव की विकास की धाराओं को

(श्री मांगीलाल गरासिया)

जोड़ते हुए अपने आपको न्यौछावर करने की भावना उनके दिल में हो। तब ही जाकर के ग्रामीण अंचल में विकास की सहभागिता बन सकती है इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें अच्छे विकास के कामों में गुणवत्ता उसी प्रशिक्षण के माध्यम से हो सकती है।

एक बात विशेष तौर से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां-जहां पंचायतों में ग्राम शिविर लगा रखे हैं वह अपने मुख्यालय पर नहीं रहने की वजह से ग्रामीणवासियों में योजना की जानकारी सब लोगों में नहीं होने से कई लोग इन योजनाओं से वंचित भी रह रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें स्थाई रूप से तैनात करने की जिज्ञासा उनके दिल में बढ़ावें और वास्तव में जब तक इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक विकास के काम अधूरे हो सकते हैं। ग्रामीण विकास में रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास निर्माण, जलग्रहण हेतु एनीकट, बी.पी.एल. परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने आदि योजनाओं के आगामी वर्षों में लगभग 535 करोड़ रुपये व्यय होने का जो प्रावधान रखा गया है उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में इस प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके आपने उस एरिये के लिए एक अच्छा विकास का काम सौंपने का काम हाथ में लिया है। मैं इसी में कहना चाहूंगा जहां बी.पी.एल. की बात आयी है, बी.पी.एल. का जो पूर्व भाजपा सरकार के समय में सर्वे हुआ है। वह सर्वे पक्षपात लिये हुए है। हर पंचायत में जहां भी हम जाते हैं यह बातें निकल कर सामने आयी हैं कि गाड़ी, घोड़े वालों को बी.पी.एल. की सूची में उनका नाम संलग्न है और वास्तव में गरीब तबके में रहने वाले भाई का नाम उस सूची में हट गया है, छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में इनका पुनः सर्वे करते हुए आगामी टाइम पर चयन करने की प्रक्रिया जारी करायें। जिससे कि उन निम्न तबके में रहने वाले भाइयों का नाम भी जुड़ सके।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं, दो मिनट का टाइम दीजिये, मैं अपनी बात को वैसे ही विराम दे रहा हूं। विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना, डी.पी.आर.पी. के तहत सात जिलों को जोड़ा गया है और जिसमें 643 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 14 विकास खण्डों और 691 गांवों में प्रारम्भ करने की और 3 हजार लोगों को लाभान्वित करने की योजना आगामी समय में प्रारम्भ करने जा रही है। इसमें जो 7 जिले लिये गये हैं जिसमें उदयपुर जिला वंचित रह गया है। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

(श्री मांगीलाल गरासिया)

मंत्रीजी उन्हें जोड़ने की पूरी आकांक्षा दिल में रखें जिससे कि उस अंचल में भी विकास की कुछ गति बढ़ सके। कांग्रेस के घोषणा-पत्र के मुताबिक पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं उनके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में यह एक सराहनीय कदम आपने उठाया है। विशेष कर संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से 14 जो विभाग पंचायतों के अधीनस्थ करके अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम आपने किया है। इसमें दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा कि यह अच्छी तरह से क्रियान्वित होगा तो वास्तव में पंचायतों को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और विकास की कड़ी और मजबूत होगी।

शिक्षा की जहां बात आयी है दूरदराज की ढाणियों में जहां राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं बनी हैं, अभी विपक्ष के भाई ने अपनी आवाज उठायी कि शिक्षा चौपट हो गयी है परन्तु मांगीलाल गरासिया भी एक दूरदराज की ढाणी में रहता है, अच्छी तरह से जानता है कि वह चौपट नहीं हुई, शिक्षा को बहुत अच्छा बल मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन बच्चों को जो दूरदराज जा करके पढ़ाई और अध्ययन करने का काम करते थे और उसमें जो बढ़ोतरी हुई है स्कूलों में बच्चों की, वह अपने आप में एक नया आयाम और नये विकास की कड़ी का द्योतक है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा कर्मी योजना और लोक जुम्बिश योजना जो साक्षरता मिशन के रूप में गांवों में जहां-जहां दूरदराज के स्कूल हैं। कोटड़ा जो कि दूरदराज का आदिवासी अंचल है उसमें भले ही छापा की नाल हो, या प्राथमिक विद्यालय राई का मामला हो, या थला का मामला हो या पदमावड़ी कुन्ती का लेवा जो दूरदराज की ढाणियां हैं। जो मुख्य सड़कों से 20-25 किलोमीटर अंदर की ओर हैं। ऐसी स्कूलें जहां पर आज भी अध्यापकगण वहां नहीं रह पाते हैं। उनकी स्थिति यह है कि आदिवासी अंचल में किराये के मकान भी नहीं मिल पाते हैं इसलिए उस एरिये को शिक्षा कर्मी और लोक जुम्बिश योजना से जोड़ कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मांगीलाल गरासिया : मैं थोड़ी सी बात कह कर अपनी बात को विराम करूंगा। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फण्ड है उनके लिए मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि उन्हें 40 से 1 करोड़ किया जाये, उससे विकास के कामों में मदद रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अंतिम बार मैं एक शब्द कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, "कर जाओ कुछ काम गहलोत साहब और सी.पी. साहब, राजस्थान की

(श्री मांगीलाल गरासिया)

शान रहे, एक दिन हम नहीं आप नहीं, ग्रामीण विकास की धारा आपके राज में अमर रहे," धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशी लालजी। (अनुपस्थित) श्री रामलालजी गुर्जर।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 28 और मांग संख्या 41 पर चर्चा के क्रम में बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का जन्म दिन होने के नाते हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि वह चिरायु हों।

जैसा कि पंचायत राज के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बतायी है छोटी-मोटी कमियां, मैं पार्टीबाजी के हिसाब से नहीं बता करके आपको सही सुझाव दे रहा हूं। वैसे बी.जे.पी. के हैं, बी.जे.पी. के तो रहेंगे ही, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार आरक्षण हुआ। पंचायत एक्ट भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो बना था उसमें भी कमियां हो सकती हैं और आपने जो अभी बनाया संशोधन करके पिछली बार, उसमें भी कमियां हो सकती हैं। अगर वाजिब कमियां हैं तो उनको निकालना वाजिब है।

सबसे पहले तो मैं वार्ड सभा वाली बात बताना चाहता हूं। वार्ड सभा जो गांव में होती है। अच्छी बात है, वार्ड सभा होनी चाहिए। चाहे वार्ड में नहीं हो तो गांव में हो। पूरे गांव में एक वार्ड सभा हो जाये। एक पंचायत में 7-8 गांव हैं तो एक गांव में एक वार्ड सभा हो जाये ताकि आधा गांव एक रोज बैठा रहे, दूसरे रोज आधे गांव के बैठे रहे तो यह भी उचित नहीं है। गांव में एक वार्ड सभा अलग से हो ग्राम सभा टाइप और पंचायत की ग्राम सभा सामूहिक रूप से हो। सभी गांव के लोग वहां आ जाये फिर वह ग्राम सभा हो। इसमें जो आपने प्रावधान रखा है कि 1:10 के अनुपात से वार्ड पंच को हटाया जा सकता है या सरपंच को भी हटा सकते हैं, तो निश्चित है कि कोई गांव बच ही नहीं सकता है क्योंकि 1:10 का अनुपात तो हर वक्त तैयार रहता है। यह तो आगे-पीछे लड़ाई होगी। अभी दो साल का कार्यकाल नहीं हुआ है और आप इसे हठधर्मिता नहीं माने और इस 1:10 वाले अनुपात को कैंसिल करे तो यह अच्छा रहेगा।

दूसरे, जो अभी आपने सचिव दिये हैं, वैसे हर पंचायत में एक सचिव होना चाहिए लेकिन अभी सचिवों की कमी होने की वजह से अब एक-एक पंचायतों में बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आपने जो सचिव दिये वन विभाग से दिये, नगर पालिका के नाकेदार दिये। यह लोग ज्यादा ट्रैण्ड नहीं हैं। अगर सचिव इन्हीं को रखना है तो इनको लम्बे समय तक ट्रेनिंग दीजिये। कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिये। तब यह ट्रैण्ड हो पायेंगे। आप चाहते हैं कि 10-15 दिन में यह सचिव ट्रैण्ड हो जायेंगे तो यह ट्रैण्ड नहीं हो सकते हैं क्योंकि नगरपालिका में नाकागार्ड रहा था उनको क्या नालेज है?

(श्री रामलाल गुर्जर)

वन विभाग में भी नाकागार्ड रहा था उनको क्या नालेज है। वन विभाग में भी नाकागार्ड रहा था उसको पूरी नालेज नहीं है। अनट्रैण्ड सचिव खुद तो मरेगा ही लेकिन वह साथ में जो अशिक्षित सरपंच हैं उनको भी मारेगा, उनको भी जेल के शिकंजे में फंसायेगा। जो अशिक्षित सरपंच हैं वहां जवाबदेही सचिव पर डाली जाये। जैसा कि आपने डाल रखी है कि सचिव और सरपंच दोनों की जवाबदेही होगी। लेकिन जहां अशिक्षित सरपंच है तो या तो सचिव की डाली जाये और सचिव पर नहीं डाली जाये तो उसके साथ में एक सहयोगी सचिव और दिया जाये जिस पर कि सरपंच का विश्वास हो। या उसके पति को उसके साथ रहने का और पूरी मीटिंग में बोलने का अधिकार दिया जाये। अगर सरपंच अशिक्षित है तो।

तीसरा, यह जो सरपंचों को पावर है कि 50 हजार के काम करवा लें, एम.बी. वगैरह भरवा लें तो उसमें आज दिन तक क्या हो रहा है? उसमें चैकिंग नहीं होती है तो इसमें चैकिंग का काम भी करवाया जाये। अभी आपने जो राजीव गांधी वाली 3 हजार स्कूलें शहरी क्षेत्रों में खोलने के लिए जो प्लान बनाया तो हम भी खुश हुए कि कुछ टाइम पहले गांवों को राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं से जोड़ रहे थे तो गांव वाले भी सोच रहे थे कि हमारी शिक्षा को चौपट किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में यह बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम खुश हुये कि कम से कम गांवों के साथ शहर वाले भी चौपट होंगे और इससे उनका थोड़ा मालूम पड़ जाएगा कि छात्रों की संख्या शहरों में कैसी रहती है गांवों के मुकाबले में। इसमें अगर टीचर लगाए जाएं तो बी.ए. या हायर सैकण्डरी से नीचे के नहीं लगाए जाएं। क्योंकि जब मिडल का टीचर आएगा या टेंथ का टीचर आएगा तो वह पूरी पढ़ाई नहीं करवा पाएगा, उसको पूरा नालेज नहीं होती। इसलिए बी.ए. या हायर सैकण्डरी कम से कम योग्यता होनी चाहिए।

पंचायत समिति में बी.डी.ओ. की बात आई। मेरा कहना है कि बी.डी.ओ., आर.ए.एस. अधिकारी को ही लगाया जाए क्योंकि अगर एक डाक्टर को लगाते हैं तो हमेशा उसकी प्रैक्टिस डाक्टर की रही है, मान लो किसी एईएन. को लगाया जाए तो उसकी प्रैक्टिस सिंचाई विभाग की या पी.डब्ल्यू.डी. की रही है तो जो बी.डी.ओ. लगाए जाएं वे अधिकारी आर.ए.एस. ही लगाएं जाएं क्योंकि उनको पूरी नालेज भी रहती है और वह थोड़ा ढंग से काम भी करेंगे तो भ्रष्टाचार मिटेगा। अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो आर.ए.एस. अधिकारी को बी.डी.ओ. बनाया जाए।

सरपंचों को अभी पुराना मानदेय दो सौ रुपये ही चल रहा है तो वह वाजिब नहीं है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए।

गांवों में आज दिन तक प्लाट नहीं दिए हुए हैं। बी.जे.पी. के शासन में जब भी मांगते थे, गांवों में प्लाट दे देते थे, उस वक्त प्लाट के लिए किसी को महरूम नहीं रहना पड़ता था बाड़ो के लिए लेकिन

(श्री रामलाल गुर्जर)

आज कोई मकान बनाना चाहे तो उसके लिए प्लाट नहीं, बाड़ों के लिए भी नहीं मिलता। कहते हैं कि रेट बहुत महंगी है और पेचीदगी है, हम नहीं दे सकते तो आप यह जानकारी करे, पूरे राजस्थान में प्लाटों की गांवों में बहुत ज्यादा समस्या है।

शिक्षा में प्राइमरी और मिडल स्कूलें भी पंचायत समितियों को दी है तो यह उचित नहीं है। प्राइमरी में पंचायत समिति वालों को दे रखा है तो प्राइमरी के आधे टीचर लीडर बन गए हैं, नेता बन गए हैं। वे पढ़ाई का काम नहीं करते। मिडल भी इधर है तो ठीक है, नेताओं की फौज थोड़ी ज्यादा तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी मिडल जिला परिषद में हो, थोड़ी दूर रहेगा और उसका क्राइटेरिया बढ़ जाएगा तो ठीक रहेगा। पंचायत समिति के तहत प्राइमरी स्कूल ही रखे जाएं।

एम.एल.ए., एम.पी. कोटे की राशि मिलती है, समय पर पंचायत समिति वाले, सरपंच लोग पूरा काम नहीं कर पाते हैं। जैसे पिछली बार हमने हैण्ड पम्प दिए थे, अब 6 महीने बाद लग रहे हैं तो समय पर लगे, कहने का मतलब है हैण्ड पम्प या कोई भी काम हो, एम.पी. कोटे से देते है तो समय पर नहीं हो पाता है तो समय पर काम हो, इसकी टाइम-टाइम पर चौकसी करवाई जाए।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में भारत सरकार द्वारा टोटल राशि मिलती है। 70 प्रतिशत ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में। इसका भी पूरा प्रचार-प्रसार नहीं होता। आपके ज्यादातर जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं भारत सरकार की जिनमें 75 रुपया भारत सरकार और 25 रुपया राज्य सरकार का होता है लेकिन पूरा प्रचार-प्रसार नहीं होने की वजह से गरीब लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात आपने अभी जो ग्रामीण आवास के लिए लक्ष्य दिए हैं, जैसे अजमेर को 70 दिया, भीलवाड़ा को 89 दिया, चूरू को 548 दिया, बीकानेर को 507 दिया है तो लक्ष्य में इतनी भिन्नता क्यों है? क्या प्रचार-प्रसार इतना नहीं हो पा रहा है? तो फिर ये वंचित कैसे? कम से कम जो भेदभाव वाली प्रक्रिया लगती है तो इसको भी उचित ढंग से प्रचार-प्रसार किया जाए।

बंधक श्रमिक योजना आपने जो लागू कर रखी है, यह पूर्व में भी लागू थी लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि जो बंधक मजदूर छूट जाएं उनको तत्काल एक हजार रुपया देते हैं और बाद में 19 हजार रुपए उनको मकान के लिए भी देते हैं, यही नहीं खुद को नौकरी और उनके परिवार वालों को भी नौकरी का विशेष प्रावधान है। पहली प्राथमिकता है। इस ओर भी मेरे हिसाब से कोई प्रावधान तो रखा है लेकिन नौकरी तो शायद अभी लगायी नहीं तो कम से कम गरीबों का भला तभी हो सकता है जब इस आधार पर उनको पहली प्राथमिकता देकर लाभान्वित किया जाए।

(श्री रामलाल गुर्जर)

मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो चला रखा है उसमें जैसा कि पिछली बार आपने जिलावाइज राशि दी है, 211.33 लाख रुपए दिए हैं जबकि उसमें से 92.89 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं, 33 कार्य हुए हैं तो इतनी राशि कैसे बची? इसमें इस बार जो प्रावधान रखा वह 50 लाख रुपए का ही रखा तो इतना कम क्यों? क्या यह राज्य सरकार को ही देना होता है? इसलिए यह प्रावधान कम रखा? यह कार्यक्रम अभी कुछ जिलों में चल रहा है तो उसे पूरे राजस्थान में लागू किया जाए।

इन्दिरा आवास वालों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है और इन्दिरा आवास में जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच कराई जाए। इन्दिरा आवास में जो मकान वगैरह स्वीकृत होते हैं उनमें सचिव वगैरह दूसरे, तीसरे रूप में लेने का धन्धा भी करते हैं तो उनकी चवन्नी वहां ही खर्च हो जाती है तो 75 प्रतिशत ही उनके पल्ले पड़ता है। इसलिए उनकी जांच की भी व्यवस्था की जाए।

जहां तक ग्रामीण विकास के कामकाज हैं इसमें थोड़ी जांच की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए। जांच के लिए चाहे अलग से कोई सेल भी बनाना पड़े तो बनाया जाए ताकि ग्रामीणजनों को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। आपने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : मेरा भी नाम है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, साहब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दो बजे से बैठा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, साहब। देख लो, आपका नाम, यह पड़ा है, आपका नाम नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : गुलाबजी ने पर्ची दी है, मेरा नाम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दो मिनट में क्या लगेगा? दो मिनट बस।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में कोई बोलता है क्या?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अभी दो मिनट में बोल लूंगा। सीधे सुझाव दे दूंगा। खाली सुझाव दे दूंगा, सरकार की बुराई नहीं करूंगा, साहब।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नाम दिया है, दो मिनट बुलवा दो, साहब। कितना सा टाइम लगता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इतनी देर में मेरी बात ही खतम हो जाती।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को मेरी तरफ से और मेरी छबड़ा क्षेत्र की जनता की तरफ से उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

सीधे दो सुझाव देना चाहता हूं, वही सुझाव दूंगा समय की कमी के कारण।

हमारे देश में पंचायती राज की जड़ें काफी प्राचीन है। राजतंत्र से पहले पंचायती राज की व्यवस्था है। पहले कबीलों की पंचायत होती थी, उसके बाद जाति की पंचायतें बनीं, फिर ग्राम पंचायतें बनीं। पंचायतों का फैसला शुरू से ही सर्वमान्य रहता आया है। दुर्भाग्यवश आज इस प्रजातंत्र की पहली इकाई का मजाक बनाया जा रहा है। आज की व्यवस्था में सरपंच ठेकेदार बनते जा रहे हैं। गांवों का निचले स्तर से विकास हो इसमें पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन वर्तमान में पंच और सरपंच का प्रशिक्षण नहीं होने के कारण वह पूर्ण भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं। इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने ग्राम सचिव तो लगाए हैं पर उनको मानदेय के रूप में 1200 रुपये दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि 1200 रुपये में कोई बाहर का व्यक्ति गांव में रह कर ईमानदारी से काम कर सकता है क्या? इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों की मीटिंग में और पंचायत समितियों की मीटिंग में सरकारी अधिकारी या जिनको वहां जाना है, पहुंचते नहीं हैं। आप इसको सुनिश्चित करें कि वहां अधिकारी पहुंचे और गांव के पंच-सरपंच, पंचायत समिति के मैम्बर वगैरह उनको अपनी बात कह सके, विकास के बारे में बता सके। अभी हमारे यहां छबड़ा और छीपाबड़ौद में पंचायत समिति की मीटिंग हुई, वहां पेयजल का काफी अभाव है और काफी समस्या है। टैंकर लगाने पड़ेंगे। हमारे प्रभारी मंत्रीजी, श्री बनवारी लालजी बैरवा से बात की है। पर स्थिति यह है कि वहां पी.एचईडी., एक्सईएन., एईएन., जेईएन. जो भी वहां होता है तो सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य उनसे बात कर सकते थे। आप यह भी सुनिश्चित करें।

मैं अब सीधा-सीधा 3-4 सुझाव दूंगा। पंचायती राज मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप अपने वक्तव्य में इन बातों का खुलासा करें या जवाब दें। पंचायती राज की व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। इस बारे में 3-4 सुझाव देना चाहता हूं। जैसे वार्ड सभा व ग्राम सभा के प्रस्तावों की पालना प्राथमिकता से होनी चाहिए, प्रस्ताव कागजों में ही नहीं रहे, यह मेरा पहला सुझाव है। विकास की पंचवर्षीय योजना बनाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाए जाने चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव है पंच सरपंचों की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। चौथ मेरा सुझाव है भू-राजस्व का सारा रुपया पंचायतों को मिलना चाहिए तथा नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के अनुदान में अंतर बंद होना चाहिए। अनुदान अगर बराबर नहीं करे नगरपालिकाओं के तो कम से कम अनुदान प्रति व्यक्ति ग्राम पंचायत को 25 रुपये मिलना चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री. सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से विभाग का ध्यान आकर्षित किया और मैं उन सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने सदन में इस बहस में भाग लिया। मोटे तौर पर ग्रामीण विकास का सीधा संबंध पंचायती राज से है और पंचायती राज जो ग्रामीण विकास की संरचना में जहां प्रदेश की सरकार की भूमिका है वहां केन्द्र की सरकार की भूमिका भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करूंगा यदि मैं उन आंकड़ों के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा जिससे हमारे राजस्थान के ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना है जो वित्तीय साधन हमें मिलते थे जो मिलने में कमी आयी केन्द्र सरकार से उसके कारण आने वाले समय में उसका असर होगा

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 503 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिसमें केन्द्रीय सरकार से 317.44 करोड़ रुपये आयेंगे और राजस्थान सरकार 185.63 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। वर्ष 2000-2001 में केन्द्र सरकार से हमें पैसा मिला 364.23 करोड़ रुपये और राजस्थान सरकार का अंश था 108.56 करोड़ रुपये। मैं दो आंकड़े इसलिए देना चाहता हूं कि 2000-2001 में भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था वह 364.23 करोड़ रुपये था और 2001-2002 में जो भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है वह कम होकर 317.44 करोड़ रुपये हो जाएगा। अब यह क्यों हो जाएगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? यह इसलिए हो जाएगा कि भारत सरकार ने जो सी.एस.एस. की स्कीम है उसमें जो पैसा राजस्थान सरकार का उपलब्ध करा रही थी उसके पैटर्न में परिवर्तन कर दिया। हमारी जो योजनाएं थीं पश्चिमी राजस्थान की जहां 100 प्रतिशत पैसा हमें मिलता था वहां इस साल 75:25 परसेंट में मिलेगा। यह तो एक आधार है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी दूसरा जो आधार है, क्योंकि राजस्थान में 16 भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन कर गये। हम अपेक्षा कर रहे थे कि यह तीसरा वर्ष अकाल का है, ग्राणीण भाई तकलीफ में हैं तो हमारे जो प्रतिनिधि जीत कर गये हैं संसद में और भारत सरकार जो नीतियां बनाती हैं उसको प्रभावित करेंगे और राजस्थान सरकार को ज्यादा पैसा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आश्वासित रोजगार योजना है जिसके अंदर दो प्रतिशत पैसा जो नेशनल पूल के अंदर इकट्ठा किया गया है उस पूल में से गुजरात को 13 करोड़ रुपये दिया, मध्य प्रदेश को 5 करोड़ रुपया दिया, उड़ीसा को 39.33 करोड़ रुपया दिया, पर इतनी भयंकर अकाल की स्थिति होने के बाद उसमें से राजस्थान सरकार को एक भी पैसा नहीं

(श्री सी.पी.जोशी)

दिया। यदि राजस्थान में भयंकर अकाल है, भयंकर अकाल के कारण ग्रामीण रोजगार प्रभावित हो रहा है, ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है तो मैं समझता हूं हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और खास तौर से जिस पार्टी का शासन केन्द्र में हैं उस पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे दिल्ली में राजस्थान से ज्यादा संख्या में हैं उनसे हमें ज्यादा अपेक्षा है कि वह इस बात पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और ई.ए.एस. का जो पैसा राजस्थान सरकार का नहीं मिला, जो दो परसेंट नेशनल कंट्रीब्यूशन में हमारा पैसा भी कटा है उस पैसे को हमें दिलाएंगे। इसके साथ ही एक चीज और आवश्यक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान को पैसा मिल रहा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें टास्क फोर्स बना रखी है। टास्क फोर्स के फार्मूले से जो 1987-88 में प्रतिपादित किया उसमें राजस्थान को 4.108 कंट्रीब्यूशन मिलता था। उसके बाद 1993-94 में उस फार्मूले के आधार पर, क्योंकि फार्मूला था कि

$$\frac{\text{poor persons in the State}}{\text{poor persons in India}} \times 100$$

इस फार्मूले के कारण राजस्थान का शेयर हो गया 2.665. प्लानिंग कमीशन और लकड़वाला कमेटी के बाद आज हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया है 3.234. जबकि एक्सपर्ट ग्रुप के आधार पर भी राजस्थान को पैसा मिलना चाहिए 3.88. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें विपक्ष के माननीय नेता मुख्य मंत्री रहे वे भी भिज्ञ हैं। यदि राजस्थान का यह जो शेयर है वह 4.108 नहीं हो, लेकिन यह 3.88 भी हो जाए तब भी राजस्थान को फ्लो फण्ड सेंट्रल स्कीम में ज्यादा मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि पंचायत राज के माध्यम से हमने नियम और कानून में परिवर्तन कर लिया, सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम की जितनी बात कर लें, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बातें कहीं कि लूणकरणसर में भयंकर समस्या हो गई, इन्दिरा आवास योजना में राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव लिख कर भेजे, वहां पर जो इफेक्टेड पोपुलेशन है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वे गये थे, दिल्ली प्रधान मंत्रीजी से मिले थे। लूणकरणसर में यदि 32,000 आदमियों के मकान नहीं बने तो 32,000 आदमियों को एक्स्ट्रा अलोटमेंट इन्दिरा आवास योजना में करने के लिए राजस्थान सरकार ने तो नहीं लिखा था। जो हमने टार्गेट बनाया 4 हजार का, हम 40 हजार का टार्गेट प्रधानमंत्री से लेकर आते और राजस्थान सरकार को कहते 40 हजार की मैचिंग ग्रांट नहीं दे रहे तब हमें समझ में आता है। लेकिन पोलिटिक्स करने के लिए, क्योंकि चुनाव का समय था इसलिए आईई.एस. के अन्तर्गत भी लोगों को यह मैसेज देने के लिए हमने यह काम किया है। आई.ए.एस. के अंतर्गत संख्या बढ़ायी, पैसा बढ़ाया।

श्री मानिक चन्द सुराना : दिसम्बर में चुनाव नहीं आया था और माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पहले कुछ कहा नहीं था रुपया दिसम्बर में आया है। मैं मेरे वक्तव्य में कह चुका हूं और आपके ध्यान में है कि रुपया दो दिसम्बर के बाद में आया है। उसके पहले कहीं रुपये का कोई जिक्र नहीं था और मैं चुनाव 3 अक्टूबर को जीत गया था माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे यह भी मालूम है कि 3 अक्टूबर से पहले आप डेलिगेशन लेकर दिल्ली गये थे, प्रधानमंत्रीजी से मिले थे। आप तथ्य कह रहे हैं तो तथ्य की मुझे भी जानकारी है, मैं भी तथ्य के बिना बात नहीं कहता हूं। यह भी तथ्य सही है कि आप लूणकरणसर के लोगों को लेकर दिल्ली गये थे, प्रधान मंत्रीजी से मिले थे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो 22 अगस्त को ही चला गया था जब तक चुनाव भी घोषित नही हुआ था माननीय जोशीजी। 22 अगस्त को चुनाव घोषित नहीं हुआ था, चुनाव तो...

श्री सी. पी. जोशी : मालूम तो था कि चुनाव हो रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मालूम तो आपको भी था कि चुनाव हो रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : चुनाव हो रहा है, चुनाव घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मालूम था चुनाव हो रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मालूम तो आपको भी था।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए तो मैं कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने तो पत्र में एक हजार के लिए रिकमण्ड किया कि एक हजार लोगों के लिए इन्दिरा आवास और दो हजार क्रमोन्नत करने के लिए। आप अपनी तरफ से तो 5 हजार तो लिखते। आप तो एक और दो पर ही रूक गये।

श्री सी. पी. जोशी : मैं पूरी बात कह दूं फिर बोल लें। आप मेरे से सीनियर आदमी हैं, मुझे यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने चार हजार की रिकमण्डेशन की, हमने एक हजार की रिकमण्डेशन की, जितनी रिकमण्डेशन की उतनी वित्तीय संसाधनों की हमने व्यवस्था करने के आधार पर की। लेकिन आप भारत सरकार में थे, भारत सरकार में आपकी पार्टी शासन कर रही है प्रधानमंत्रीजी से आप मिलने गये थे, आपकी पार्टी के सांसद ज्यादा हैं, आपको किसने रोका था कि 20 हजार आदमियों का प्रस्ताव लेकर आते और राजस्थान सरकार को कहते कि हम व्यवस्था नहीं कर पाये। हमारी इंटेंशन तो करने की थी, हमारे पास जो वित्तीय संसाधन थे उसके आधार पर हमने रिकमण्डेशन की। हमारे इंटेंशन फेयर थे। पर यदि भारत सरकार से हम ज्यादा पैसा लेकर आते और स्टेट गवर्नमेंट को कहते कि मैचिंग ग्रांट नहीं दे

(श्री सी.पी.जोशी)

पाते तब हमें लगता कि हम आप जो काम कर रहे हैं वह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां प्रभाव का उपयोग राजस्थान के ग्रामीण विकास के लिए करने की आवश्यकता है वहां राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि बांसवाड़ा में भूख से आदमी मर गया, कोटड़ा में भूख से आदमी मर गया। भूख से मरने के बाद जिन लोगों के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी है, जहां से पैसा मिल सकता है उसके संबंध में हम चर्चा नहीं करें तो हम वह पंचायती राज और ग्रामीण विकास की कल्पना के बारे में कितनी भी चर्चा कर लें उस चर्चा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

इसलिए मान्यवर, मैं खाली यही बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इन सब बातों के बारे में हमें राजस्थान सरकार की जनता का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है कि पिछले समय में जो पैसा है उस पैसे के संबंध में भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(21.00 बजे)

मैं यह नहीं कहना चाहता कि माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने यह बातें पहले कहीं, मैं उसको दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं। क्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी चिन्ता नहीं की जानी चाहिए कि 1996-97 में 25.32 करोड़ रुपये कटे हैं सेंट्रल स्कीम का? यह चर्चा नहीं की जानी चाहिए कि 1997-98 में 87.24 करोड़ रुपये कटा सी.एस. स्कीम में। क्या यह चर्चा नहीं की जानी चाहिए कि 1998-99 में 67.46 परसेंट पैसा कटा, यह चर्चा नहीं की जानी चाहिए? यह चर्चा नहीं करेंगे तो पंचायत राज के आधार पर हम किस तरह से बातें करना चाहते हैं कि पंचायती राज के आधार पर ग्राम विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। क्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी चर्चा नहीं की जानी चाहिए कि 1998-99 में जब हम सरकार में आये थे तब 999.15 करोड़ की यू.सी. बाकी थी? यू.सी. बाकी होगी तो यू.सीज. का मैसा कटेगा, पैसा कटेगा तो नुकसान किसका होगा, किस गरीब के पैसे की कमी होगी। इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। हमने सत्ता में आने के बाद कोशिश की कि यू.सीज. को हम ठीक ढंग से करें और हमने यू.सीज. को एडजस्ट कराया, 1998-99 में 72.11 करोड़ रुपये की और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2000-2001 में यू.सीज. पैंडिंग हैं कुलमिलाकर 562.9 करोड़ रुपये की जिसमें एडवांसेज 43.79 करोड़ रुपये हैं। यह हमारा इंटेंशन है। हम जानते हैं कि एक-एक पैसे की कमी है, इस पैसे का उपयोग लेने के लिए हम ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से काम करे और काम करने के बाद राजस्थन की जनता के विकास के लिए पैसा लाकर जुटावे तो यह चर्चा नहीं की जानी चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गलत काम

(श्री सी.पी.जोशी)

किया? हमने जिला प्रमुख को अधिकार दे दिया और कह दिया कि जिला प्रमुख को अधिकार देकर केवल मात्र हम एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर बनाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमने क्या फैसला किया। हमने कहा कि जिला प्रमुख गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनेगा और गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनने के बाद वह जो निर्णय करेगा उसको एक्जीक्यूट करने का काम कलक्टर करेगा। हमने क्या निर्णय किया, उपाध्यक्ष महोदय, उस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने यह कहा है कि जिला ग्राम विकास अभिकरण के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार कार्यपालक निदेशक में निहित होंगे परन्तु कार्यपालक निदेशक निहित अधिकारों का उपयोग शासकीय परिषद द्वारा किये गये निर्णयों व अन्तिम मार्गदर्शक निर्धारित सिद्धान्तों के अन्तर्गत करेगी। हमने केवल मात्र राइडर लगाया, वही राइडर लगाया था। यदि भारत सरकार, राज्य सरकार के निर्देशों के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में कार्यपालक निदेशक द्वारा उन निर्णयों का क्रियान्वयन स्थगित रखते हुए समस्त वस्तु स्थिति से विकास आयुक्त को अगवत करायेगा और विकास आयुक्त द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम होगा। यह मैं इसलिए कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारा कमिटमेंट है जनता से तो मुझे जानकारी है कि हमने नियम और कानून में जितना पंचायती राज में परिवर्तन किया उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि राजस्थान में वार्ड सभा नहीं होनी चाहिए। मुझे कहना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंह जी राठौड़ बैठे हुए हैं, ये जिला प्रमुख रहे हैं, शक्तावत साहब जिला प्रमुख रहे हैं, बहुत से आदमी प्रधान रहे हुए हैं। पंचायत का वार्ड पंच चुन कर सरपंच चुने तब तो हमें तकलीफ है अब जब वार्ड पंच चुन कर आया है तो तकलीफ। सन् 1952 से लगाकर आज दिन तक राजस्थान में हम पंचायत के चुनाव करवा रहे हैं। किस आधार पर करवा रहे हैं, वार्ड के आधार पर करवा रहे हैं, या रेवेन्यू विलेज के आधार पर करवा रहे हैं। हम चुनाव कराते आ रहे हैं, वार्ड सभा के आधार पर, वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि सरपंच चुनता है। फिर इसके बाद में परिवर्तन किया कि सरपंच का चुनाव ज्यादा होगा लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख दस हजार आदमी आज चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वार्ड के अन्दर एक लाख दस हजार प्रतिनिधियों में लगभग 60 हजार आदमी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के हैं। ये वार्ड पंच जो चुन कर आये हैं क्या उनमें नेतृत्व की

(श्री सी.पी.जोशी)

क्षमता पैदा करने की आवश्यकता नहीं, क्या उनके द्वारा सूचनाएं देने का अधिकार नहीं है? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना बनाई, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष। गांव-गांव में लोगों को कहा कि इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. फैमिलीज में कोई भी बीमार होगा तो उसका इलाज राजस्थान सरकार कराएगी, पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी। इस योजना का लाभ कितने आदमी उठा सके? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि गांव में रहने वाला अनपढ़ आदमी जो वार्ड में रहता है उसको हम जानकारी दें? जानकारी देने का माध्यम क्या बनेगा, जानकारी देने का माध्यम होना चाहिए ग्राम सभा। जानकारी का माध्यम होना चाहिए पंचायत सभा। 1994 में पंचायत एक्ट किसने बनाया, 1994 के अन्तर्गत ग्राम सभा में मीटिंग कब होगी यह फैसला किसने किया, तत्कालीन सरकार ने किया। ग्राम सभाओं के आधार पर हमने बी.पी.एल. फैमिलीज का चयन किया, राजस्थान में 24 लाख आदमियों का बी.पी.एल. फैमिली में चयन किया। गांव-गांव में जाकर पूछ लें, बी.पी.एल. फैमिली में आदमी का चयन सही ढंग से नहीं हुआ। हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, हम नाम नहीं जोड़ सकते, उसमें नाम कटवा सकते हैं, नाम कटवाने का काम ग्राम सभा करेगी। जिस ग्राम सभा का फैलाव 10 किलोमीटर में, जिस गांव का फैलाव 15 किलोमीटर में, अब रामलाल जो वार्ड नम्बर 8 का आदमी है वह बी.पी.एल. में सही है या गलत है उसको डिलीट करने का काम कोई कर सकता है तो वार्ड सभा कर सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामलाल इस वार्ड का रहने वाला है, मोहन लाल इस वार्ड का रहने वाला है कि नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है। क्या मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए कि गांव में गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, अनपढ़ आदमी इन्दिरा आवास का लाभ कौन आदमी ले रहा है, अनपढ़ आदमी ले रहा है, शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी ले रहा है, ट्राइब्स का आदमी ले रहा है? उसके साथ अन्याय क्या हो रहा है? बी.डी.ओ. मिलकर पैसे ले लें, जे.ईएन. मिलकर पैसे ले लें, ग्राम सेवक मिलकर पैसे ले लें। अब जो इन्द्रलाल बना है वह किस वार्ड का रहने वाला है आज दिन तक इन्दिरा आवास योजना में रामलाल को मिल गया, इन्दिरा आवास योजना में वार्ड नम्बर 5 का रहने वाला है, 8 का रहने वाला है। ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर बैठ कर रामलाल के नाम पर इन्दिरा आवास के पैसे ले रहा है 5 हजार रुपये, आप भी ले लें और लोगों को चयन का मालूम नहीं होना चाहिए? इसलिए हमारे मन में कल्पना है कि वार्ड नम्बर 8 का रामलाल सही है या गलत है, इसकी जांच कौन करेगा? इन्दिरा आवास में रामलाल 8 वाले को मकान मिल रहा है कि 9 नम्बर वाले का मकान बन रहा है।

(श्री सी.पी.जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के फिगर हैं, 3,21,627 मकान हमने अभी तक बनाये हैं, इन्दिरा आवास में 1985 से लगाकर 2001 तक, 3,21,627 आदमियों के मकान बनाये हैं। अब गये साल 18,259 आदमियों ने बनाये हैं। यह 3,21,627 आदमी सही हैं कि नहीं, चयन सही ढंग से हुआ कि नहीं, मकान बनाया कि नहीं बनाया, मकान के पैसे का उपयोग भी हुआ कि नहीं, इसकी जानकारी क्या ग्राम पंचायत में बैठ कर हो सकती है?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय जोशीजी, आप जो कह रहे हो, मकान बनता है, मकान ओवरसियर देखता है, सरपंच सर्टिफिकेट देता है। केवल वार्ड सभा का लम्बा चौड़ा फैलाव बताकर इस बात को मत बताइये। मैं कहना चाहता हूं, वार्ड सभा आप राजस्व विभाग में बनाइये इससे मना नहीं है, गांव-गांव में मत बनाइये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अच्छा किया याद दिलाकर मुझे। मुझे याद दिलाकर इसलिए अच्छा किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांति की थी। राइट टू रिकाल की बात की थी। जनता को अधिकार मिलना चाहिए, हम एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। पंचायती राज में हम एम्पावरमेंट करना चाहते हैं इसलिए हमने अधिकार दिया है कि वार्ड में यदि सरपंच चुना हुआ वार्ड पंच आदमी है, माननीय सुराना साहब, जिन्दा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। सोशलिस्ट पार्टी में लोहियाजी का ही वार्ड था। अब वार्ड में हमने अधिकार दिया रिकाल करने का तो गलत अधिकार है, नहीं दिया जाना चाहिए। हमने अधिकार दिया कि वार्ड में बैठ कर चयन किया जाना चाहिए। व्यक्ति के चयन का काम सही ढंग से होना चाहिए, उसमें बी.पी.एल. फैमिली में गलत आदमी का नाम डिलीट होना चाहिए। यह हमने कहा, गलत किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री मानिक चन्द सुराना : हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, राइट टू रिकाल का।

श्री सी. पी. जोशी : यहीं आपके साथी बैठे हैं वह विरोध कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई बात नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : आप यह डिसीजन करा लें पार्टी में।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं राइट टू रिकाल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आप उनसे कहला दें, माननीय उनसे कहला दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : राइट टू रिकाल का प्रिंसिपली हमारा कोई विरोध नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : आप कर रहे हैं या पार्टी कर रही है? वह आपके साथी बैठे हैं, वह विरोध कर रहे हैं। आप गलत पार्टी में बैठे हो या तो जिस पार्टी में, हमको फैसला करना पड़ेगा कि हम पार्टी में क्या फैसला करना चाहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह फैसला मैं करूंगा या आप करेंगे?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं इनको बता देता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह फैसला मेरी तरफ से आप करोगे या मैं करूंगा?

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो खाली याद दिलाना चाहता था कि हमारी जो मानसिकता है उसको समझने की आवश्यकता है। हमारी मानसिकता है, हम गरीब आदमी के वोट से जीतकर आ रहे हैं, मेरे मन में कल्पना है, मैं जिस इलेक्शन को जिस-जिस गांव से जीतकर आया, उसमें सौ में से 90 तो गरीब आदमी है, जिसके आने जाने के रास्ते नहीं हैं, जिसका बच्चा पढ़ नहीं सकता है। जिसकी स्कूल की व्यवस्था नहीं है, जिसकी बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिसकी सड़क की व्यवस्था नहीं है, उन सौ में से 90 मुझे वोट देते हैं। वह आदमी जो पक्की सड़क से जुड़ा है, उसके पास बिजली की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था की हुई है किसी पंचायत में, हम मन में कल्पना कर रहे हैं उस पंचायत में 50 साल में 5 वार्ड ऐसे मिल जाएंगे, शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स के जिन गांवों में 50 साल में कोई काम ही नहीं हुआ और क्या हम वहां अधिकार नहीं देना चाहते हैं। हम क्या वार्ड सभा में अन्याय करना चाहते हैं? हमने वार्ड सभा में एक काम गलत किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सीख रहे हैं और सीख रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पर। हां, निश्चित तौर पर वार्ड सभा का जो काम है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमने किया। वार्ड सभा में भी हमने वार्ड का मैन्युअल बनाया उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड सभा का काम केवल मात्र व्यक्तिगत योजना में चयनित करने वाला आदमी उसमें सलेक्शन करने वाला, रिकमण्डेशन करने का, उसकी आडिट करने का काम वार्ड सभा को दिया जाना चाहिए। अन्नपूर्णा योजना लागू की भारत सरकार ने, अन्नपूर्णा योजना में यह कहा कि गरीबतम आदमी को चयन करिये। हम उन आदमियों को गेहूं देंगे, गरीबतम आदमियों का चयन ग्राम सभा करेगी। माननीय सुराना साहब हां, गरीबतम आदमियों का चुनाव करेगा वहां रहने वाला आदमी। 50 घरों की आबादी के आदमी को, रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल को मालूम है किसकी जमीन है, किसका अपना मकान है, किसके घर में पंखा है, किसकी हालत ठीक नहीं है। यह वार्ड से आदमी देख रहा है, फैसला कर सकता है ग्राम सभा में बैठ कर। पिछली सरकार ने बी.पी.एल. फैमिली का चयन किया 24 लाख आदमी, मैं गांव-गांव में जाकर देख कर आया, मकान पक्का बना हुआ,

(श्री सी.पी.जोशी)

पंखा लगा हुआ, बी.पी.एल फैमिली में चयन किया हुआ। गरीब आदमी घूम रहा है, बी.पी.एल. फैमिली में उसका नाम नहीं है। क्योंकि यह चयन तो ग्राम सभा में ही किया था। यह भी आंकड़े आपके ही हैं। ग्राम सभा से चयन करवाया हमने। राजस्थान के जितने आंकड़े थे वह ग्राम सभा से एंडोर्समेंट है। तो यह काम कौन करेगा? हमारे मन में कल्पना है ग्राम सभा में चयन करने से पहले वार्ड के व्यक्तिगत आदमी जो उसके लायक हैं, लायक आदमी का चयन होना चाहिए, योग्य आदमी का चयन होना चाहिए, चयन होने के बाद उससे जो लाभान्वित हो रहा है, वह लाभान्वित सही हो रहे है कि नहीं हो रहे हैं उसकी सोशियल आडिट होनी चाहिए। उस सोशियल आडिट के काम को करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने वार्ड को यूनिट बनाया है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वार्ड के काम में और ग्राम पंचायत के काम में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हमको सोचना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने जब फैसला किया कि ग्राम सभा के आधार पर फैसला कराएंगे तो आज ग्राम सभा में हमारे जो होशियार आदमी हैं उन्होंने वातावरण बना दिया। सरकार काम करेगी, एक के प्रस्ताव ले लो, दो के प्रस्ताव ले लो, हमने उस समय भी लिख कर भेजा कि एक साल में पंचायत में जितने प्रस्ताव आते हैं उसके केवल मात्र आप 10 परसेंट काम ही रिकमण्ड करेंगे। आज हमने दुबारा फिर रिपीट किया है, हमने कहा कि केवल मात्र वार्ड सभा से 30 से 40 हजार तक के काम का ही रिकमण्डेशन करें, हमने कहां कहा एक करोड़ आदमियों का काम प्रपोजल करें। क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीतक पार्टियों के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में एक लाख दस हजार एक्टिव मैम्बर नहीं हैं। किसी भी पार्टी के अन्दर एक लाख दस हजार एक्टिव मैम्बर नहीं है इसलिए कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बी.जे.पी. पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, गवर्नमेंट के प्रोग्राम को पहुंचाने की एजेंसी कोई नहीं है और हमारे मन में कल्पना है कि वार्ड में बैठा हुआ और चुना हुआ जो वार्ड पंच है उस आदमी के माध्यम से हम इन सब चीजों को लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं। इसमें कमी है, इसमें खामी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 90 हजार में से 30 हजार ग्राम सभाएं नहीं हो रही हैं, वार्ड सभाएं नहीं हो रही हैं पर 60 हजार तो वार्ड सभाएं हो रही हैं। 60 हजार वार्ड सभाओं में 20 आदमी भी आ रहे हैं तो 12 लाख आदमी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। 12 लाख आदमियों को सूचना दे रहे हैं, 12 लाख आदमियों को काम करने का मौका दे रहे हैं। तो यह जानकारी देना ही लोकतंत्र को मजबूत करना है, यही हमारी ट्रांसपेरेंसी है, यही हमारी संवदेनशीलता है, यही लोगों के प्रति हमारी मानसिकता है। इसलिए यह हमने सोच समझकर वार्ड को यूनिट बनाया है।

(श्री सी.पी.जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कठिन काम और कठिन काम को करना पड़ेगा। किसी न किसी को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई हमने रिजर्वेशन करवाया, रिजर्वेशन का फैसला लोगों से पूछकर करवाया है। हमने जितने अमेंडमेंट करवाये हैं ये कहां से करवाये? हमने पालिटिकल निर्णय लेने में, पानी के विपरीत तैरने में बड़ी कला चाहिए, मजबूती चाहिए। दुस्साहस का काम करना पड़ता है पर जिन लोगों के मन में मानसिकता है, पालिटिकल कमिटमेंट है किसी चीज का वही आदमी दुस्साहस कर सकते हैं। हमारे मन में एक कल्पना है कि राजस्थान में लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। वह शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी ट्राइब्स का आदमी, वह महिला, जो गांव में दूरदराज के इलाके में बैठी हुई है, वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, जागरूक हो उतनी ही कंपलेंट कम होगी, उतना ही क्वालिटी आफ वर्क इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए हमने यह मन में कल्पना लेकर वार्ड सभा का कार्यक्रम आगे लिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि वार्ड सभा के जो कार्यक्रम हैं उनमें नीति, उद्देश्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, करेंगे और वार्ड सभा का केवल मात्र काम व्यक्तिगत योजना के चयन करने में रिकमण्डेशन करना, व्यक्तिगत योजना में लाभ लेने वाले आदमी की रिकमण्डेशन को अडाप्ट करना, इस तरह के काम में हम अपने आपको वार्ड सभा से लिमिटेड कर देंगे और ग्राम सभा के कार्यक्रमों को हम दूसरे ढंग से लागू करेंगे। हमने कह दिया, राजस्व ग्राम को कर दीजिये वार्ड सभा में। किसी राजस्व ग्राम का कोई इंचार्ज है? किसी राजस्व ग्राम का कोई वार्ड पंच है। पालिटिकल आइडेंटिटी हमने बना रखी है वार्ड की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा जो हमारा क्रिटिसिज्म है वह क्रिटिसिज्म है एम्पावरमेंट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम वोट मांग कर आते हैं, जीत कर आते हैं। हम एल.एल.ए. बन गये, अपने मन पर हाथ रखकर देख लें, कितने एम.एल.ए. प्रधान को स्पेस देना चाहते हैं, कितने आदमी सरपंच को स्पेस देना चाहते हैं, कितने आदमी वार्ड पंच को स्पेस देना चाहते हैं? डेमोक्रेसी में वोट लेने के लिए हम गरीब आदमी के पास जाएं, वोट लें और जीतने के बाद हम आटोक्रेटिक वे में बात करें। उस गांव के गरीब आदमी को डिसीजन मैकिंग में पार्टी नहीं बनायेंगे, उसके साथ में बैठेंगे नहीं, यह नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जिस गरीब आदमी को हाथ जोड़ कर वोट लेकर आते हैं उसके पास जाकर बैठ कर निर्णय करने का अधिकार भी उसको देना पड़ेगा।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो काम किया उसके पीछे एक मन में कल्पना है और उस कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दूसरा साल है, यह दूसरा चुनाव है हिन्दुस्तान में। हमें मालूम है पंचायती राज के जो चुने हुए

(श्री सी.पी.जोशी)

हमारे सदस्य हैं, जिला परिषद के हमारे सदस्य हैं उनको अधिकार नहीं है। यह अधिकार मैं दे सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? आप दे सकते हैं? भारत के संविधान में 73 अमेंडमेंट करने के बाद पंचायत समिति का सदस्य रहेगा, जिला परिषद का सदस्य रहेगा, हम चाहे तो भी उसको नहीं हटा सकते। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव हमें करना पड़ा। वह करना पड़ा उसके बाद हमने पहली बार अमेंडमेंट किया उसमें स्टेंडिंग कमेटी का प्रोविजन किया। उपाध्यक्ष महोदय, स्टेंडिंग कमेटी का प्रोविजन करने के बाद मन में कल्पना थी कि स्टेंडिंग कमेटी का हम जो प्रोविजन करेंगे तब उनके मन में होगा कि डिसीजन मैकिंग में हमें पार्टिसिपेट करवाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारी कितनी लेजिस्लेचर कमेटियां हैं, अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, प्रीविलेज कमेटी, याचिका कमेटी है, कितने मैम्बर भाग लेते हैं। कितनी हमारे मन में कल्पना है, कितनी इफेक्टिविटी है। हमारे मन में कल्पना है कि हम मंत्री बनें। कितने आदमी उस कमेटी के अन्दर मैम्बर बनने का अधिकार, उसका लाभ ले करके करना चाहते हैं कि मैं एम.एल.ए. बनने के बाद यह काम कर सकता हूं। वह भी अपने अधिकार की कल्पना करना चाहता है मंत्री बनने के रूप में। तो पंचायत का चुना हुआ सदस्य कल्पना करे कि मुझे भी एम.एल.ए. का फण्ड मिलना चाहिए, एम.पी. का फण्ड मिलना चाहिए पर सन् 1952 से लेकर 1999 तक एम.एल.ए. को कितना फण्ड मिल रहा था? कोई एक पैसे का फण्ड था एम.एल.ए. के पास? एम.एल.ए. के पास क्या काम था? यह यह फण्ड मिलने लगा है। यह डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मन में खतरा है कि जब हमारे मन में यह विचार आ जाए कि हमें पैसा मिलना चाहिए, उस पैसे के आधार पर हम एम्पावरमेंट करेंगे। इसलिए पंचायत सदस्य को पैसा दो, जिला परिषद सदस्य को पैसा दो। वह दो मण्डल से जीत कर आया है, वह चार जगह से जीत कर आया है इससे उनको अधिकार मिल जाएगा? अधिकार हमने दिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर सारे एक्ट में परिवर्तन किया है। एक व्यक्ति में अधिकार निहित नहीं किये हैं, स्टेंडिंग कमेटी में अधिकार निहीत करेंगे और स्टेंडिंग कमेटी को इफेक्टिव करने के लिए हमने पहला प्रयोग किया बी.ई.ओ. का। उपाध्यक्ष महोदय, हर पंचायत समिति में एक ब्लाक एजूकेशन आफिसर होगा और ब्लाक एजूकेशन आफिसर होगा वह शिक्षा के चुने हुए जो अध्यक्ष हैं, शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है उसके नीचे काम करेगा। शिक्षा के जितने भी उनके कार्यक्रम हैं चाहे उसमें उनके ट्रांसफर के हों, स्कूल खोलने के हों, सब काम शिक्षा समिति जो पंचायत समिति की बनेगी वह बी.ई.ओ. के माध्यम से काम करेगी। बी.ई.ओ. बी.डी.ओ. के माध्यम से पंचायत समिति की जो स्टेंडिंग कमेटी है

(श्री सी.पी. जोशी)

प्रशासन की उसमें प्रशासन की तरफ से प्रपोजल रखेंगे और प्रधान, बी.डी.ओ. स्टेंडिंग कमेटी जो निर्णय देगी उसको बी.ई.ओ. को एग्जीक्यूट करना है। यह हमारे मन में कल्पना थी कि जिससे यह पंचायत समिति का सदस्य, जो प्रधान नहीं बन सका, जो कुछ काम नहीं कर सका, उसे यह अधिकार दिया कि आप स्टेंडिंग कमेटी के मैम्बर के रूप में काम करके अपना काम करें। हमने अमेंडमेंट किया इर्रेस्पेक्टिव आफ पार्टी, हर पंचायत समिति का सदस्य किसी न किसी कमेटी का मैम्बर होगा। अब पंचायत समिति सदस्य बी.जे.पी. का हो, पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस का हो, स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं करें, स्टेंडिंग कमेटी में भाग नहीं ले और हमें कहे कि अधिकार दिया जाए और हमें कहा जाए कि हम पंचायती राज को कमजोर करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने पंचायतों को इस अधिकार से अलग कर दिया शिक्षा से। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, जो मैंने सर्कुलर कोट किया है उसको बताना चाहता हूं। हमने लिखा है, यह जो पंचायत समिति स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इस सर्कुलर का नम्बर है 27.12.2000 को दिया है, उसमें लिखा है— इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्व में जो शिक्षा सम्बन्धी कार्य विकास अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाते थे वे अब खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाएंगे। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य को पंचायत समिति से पृथक कर दिया गया है। अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में पंचायत समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया है। अपितु विकास अधिकारी के साथ खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भी पंचायत समिति के प्रधान के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सम्मिलित कर दिया गया है। अर्थात खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा का समस्त कार्य प्रधान पंचायत समिति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचना और दिशा-निर्देश से सम्पादित करेंगे। यह काम न केवल पंचायत समिति में किया है, हमने जिला परिषद में भी इस तरह का अधिकार दिया है। इससे हमारी बिलकुल मंशा है कि पंचायत समिति का जो हमारा प्रधान है, स्टेंडिंग कमेटी जो है, उसका जो बी.डी.ओ. है उसके नियंत्रण में ही बी.ई.ओ. को काम करना पड़ेगा।

हमें जानकारी है कि जब समानीकरण की बात आयी तब समानीकरण के बाद में हमारी जो पंचायत समिति के चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके और बी.ई.ओ. के बीच में कोई डिफरेंसेज हो गये। डिफरेंसेज इस बात के हो गये कि हमने एक डेट फिक्स कर ली, डेट फिक्स कर ली कि इस तारीख तक पंचायत समिति के शिक्षकों का समानीकरण का काम हमें पूरा करना है

(श्री सी.पी. जोशी)

और पूरा करवाने के काम में हमारे पंचायत समिति के चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके मन में दूसरी तरह की कल्पना थी। आज भी राजस्थान में 50 साल में किसी भी प्राइमरी स्कूल में पहली क्लास के बच्चों को काउंट करके अध्यापक नहीं दिये जाते थे। कुछ जिलों में अध्यापकों की संख्या ज्यादा हो गयी, उनके मन में खतरा पैदा हो गया कि पहली क्लास के बच्चों को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें पंचायत समिति से बाहर निकाल देंगे, जिले से बाहर निकाल देंगे। इसलिए लोगों ने कहा कि पहली क्लास के बच्चों को काउंट किया जाना चाहिए। केवल मात्र इसलिए लोगों के मन में यह धारणा बन गयी कि बी.ई.ओ. का काम और पंचायत समिति के काम में कोई अड़चन है इसलिए उस समय मन में जो बातें आयीं उसी के उदाहरण के रूप में, चाहे पाली की बात करें, चाहे दूसरे की बात करें जो कन्फ्लिक्ट आल रोल है वह वहीं पर है। अन्यथा बी.ई.ओ. को पंचायत समिति के प्रधान, बी.डी.ओ. और स्टेंडिंग कमेटी के मार्गदर्शन में ही काम करना है। ठीक उसी प्रकार से बाकी जो स्टेंडिंग कमेटी हैं उनको भी धीरे-धीरे हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इसे इंटरफियर मानेंगे, अब तक तो किया नहीं, अब करवा दो तो बड़ी खुशी की बात है। एक बात और आपने गलत कही है, 1992 में माननीय शेखावत साहब थे जब पांच लाख रुपये, उसके बाद 10 लाख रुपये सबसे पहले एम.एल.ए. के फण्ड में स्वीकार किये थे। क्यों 1999 की बात कर रहे हो? शुरूआत तो 1992 में ही हो गयी थी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय हीरासिंह चौहान साहब, केवल मात्र अनटाइड फण्ड में पैसे रिकमण्डेशन का अधिकार दिया था। हमें सब जानकारी है यह। एम.एल.ए. को नहीं दिया था, अनटायड फण्ड के अन्दर कहा गया था कि कलक्टर को वह रिकमण्डेशन एम.एल.ए. 10 लाख की कर सकता है। जो हमने प्रोविजन किया वह प्रोविजन नहीं किया। वह जानकारी मुझे है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, यह जो आपने कहा कि पहली क्लास को कभी मास्टर नहीं दिया गया है, मेरे खयाल से यह बहुत ही गलत बात है। जो पहली क्लास में लड़का भर्ती होगा उसको फिर पढ़ायेगा कौन?

श्री सी. पी. जोशी : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि अभी तक व्यवस्था क्या है। मैं इसकी मैरिट में नहीं जा रहा हूं, व्यवस्था अभी तक क्या है उसको मैं कह रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : व्यवस्था तो है पर मेरा निवेदन है कि_

श्री सी. पी. जोशी : वह इश्यू अलग है। वह डिबेट एजूकेशन में कर लो। वह इश्यू अलग है। अभी इश्यू यह नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब जोड़ना चाहे या नहीं करना चाहे वह बाद की बात है। मैं तो अभी तक की जो व्यवस्था थी उसका कहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरा सबमिशन है कि जोड़ना चाहिए उनको।

श्री सी. पी. जोशी : वह आपका विचार है, मैं मना नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि हमारे भारत सरकार के इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, जबकि हमें टैंथ फाइनेंस कमीशन में भारत सरकार से केवल मात्र 212.22 करोड़ रुपये मिले, अब हमें 490 करोड़ रुपये मिलेंगे, इसकी बहुत प्रसन्नता है कि पंचायती राज को ज्यादा एम्पावरमेंट हो सके। हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसने भी जो पहले दो साल की रिकमण्डेशन की है जिसे सरकार ने मान लिया है, पहले में 81 करोड़ रुपये, सैकण्ड ईयर में 93 करोड़ रुपये, 174 करोड़ रुपये का तो उन्होंने डिवोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया है और बाकी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद आयेगा। लेकिन हमें विश्वास है कि उस रिपोर्ट के आधार पर हमें स्टेट फाइनेंस कमीशन से भी केवल 575 करोड़ रुपये और मिलेंगे, जो पिछली राशि जो 254.41 थी, उससे लगभग डबल राशि हो जायेगी। यह हमारी सरकार का पंचायती राज के प्रति कमिटमेंट है। मुझे विश्वास है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और इलेवंथ फाइनेंस कमीशन का पैसा आने के बाद हम पंचायती राज में हमारे जन प्रतिनिधि हैं, उनको ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराकर हम काम करवा सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन ने पहली बार पूरी राशि को अनटाइड राशि के रूप में हमें दी है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी भी सदस्य ने इसका ध्यान आकर्षित नहीं किया है। एस.एफ.सी. का जो डिवोल्यूशन है, उसके पैटर्न को भी बदला है। एस.एफ.सी. में यह कहा है कि ग्राम पंचायत को टोटल एलोकेशन का 85 प्रतिशत मिलेगा, पंचायत समिति को 12 प्रतिशत मिलेगा और जिला परिषद को 3 प्रतिशत मिलेगा। एक एलोकेशन का क्राइटेरिया बदला है और उपाध्यक्ष महोदय, एक काम और किया है, नीचे लेवल पर The Commission would like to enlarge the scope and to give following materials to the distribution of entire additional transfer of funds to Panchayati Raj Institution. एक तो उन्होंने किया है कि 80 प्रतिशत डिवोल्यूशन होगा वह पापुलेशन के आधार पर होगा, 10 प्रतिशत

(श्री सी.पी.जोशी)

जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर और पांच प्रतिशत होगा poverty represented by a number of families living below the poverty line in that district. और पांच प्रतिशत होगा लेवल आफ लिट्रेसी पर। यह पहली बार एस.एफ.सी. ने भी और ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट को आधार बनाया, डिवोल्यूशन करने का निर्णय लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय आ गया है, हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में बेईमानी हो जाये, पैसों में कमी-खामी हो जाये, जांच हो जाये, गबन का काम हो जाये, सब कुछ काम कर लिया। लेकिन पंचायती राज में 73वें अमेंडमेंट के बाद वह अवसर हमें मिला है जिसमें हमको गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। स्टेट राजस्थान की हो, चाहे किसी प्रदेश की स्टेट हो, चाहे केन्द्र सरकार हो, यह अवसर है जब 73वें और 74वें अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से स्टेट सर्विस हमने प्रपोज की, स्टेट सर्विस के नियम और कानून बनाये हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमैंट के नियम और कानून अलग हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक उसी प्रकार से यह अवसर आ गया है कि 73 और 74वें अमेंडमेंट के बाद हम लोकल बाडीज में काम करने वाले आदमी के संबंध में नये सिरे से चर्चा करें, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उनकी सेलेरी क्या होनी चाहिए। यदि हमने यह काम कर लिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी इस फिफ्थ पे कमीशन के बाद जो फाइनेंशल क्राइसिस में आ गई थी, उसे और कम कर पायेगी। इसलिए हमने यह किया है।

हमने पंचायती राज में पैराटीचर्स की व्यवस्था की तो हमारे मन में कल्पना यह नहीं कि हम उनका एक्सप्लायटेशन करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन में कल्पना है कि 30,000 आदमी जो पैराटीचर्स के रूप में काम करेंगे, नम्बर एक, 30,000 आदमी में से, फिर रिपीट करना चाहूंगा मैं, 20,000 उन्हीं का सलेक्शन होगा उन 30,000 आदमियों में से, लगभग 60 प्रतिशत आदमी बी.पी.एल. फैमिली से है। पैराटीचर्स के रूप में जो हम ले रहे हैं, 60 प्रतिशत बी.पी.एल. फैमिली से है, उन लोगों के पोटेंशियल का उपयोग लेकर यदि हम उनको एस.एच.जी. में तैयार कर दिया सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाने के लिए हमने काम कर दिया, उनको जोड़ दिया, उनकी क्षमताओं का उपयोग लेकर, गांव में लिट्रेसी बढ़ाने के लिए, गांव में हैल्थ की सर्विस करने के लिए, गांव में कम्प्यूटर एजूकेशन देकर आने वाले समय में कम्प्यूटर के नालेज के आधार पर सैल्फ एम्प्लायमेंट लेने की व्यवस्था कर दी तो 30,000 गरीब आदमी इस सरकार को याद रखेंगे, नियम और कानून को याद रखेंगे कि यह अवसर आया था, उसका लाभ उठा कर हमने यह सब काम किया है। हमारे मन में कल्पना थी, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने कहा है कि पंचायती

(श्री सी.पी.जोशी)

राज में काम करने वाले पैराटीचर्स हैं, वह यदि अध्यापक बनना चाहते हैं तो उनको तीन क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे। नम्बर एक, फिफ्थ क्लास तक कितने बच्चे उसने रिटेन किये उसमें बच्चियां कितनी थीं, रिटेंशन इन क्लास फिफ्थ, अभी तक हमने एंरोलमेंट का आधार बनाया है। हम आधार बनाना चाहते हैं। Retention in class Vth that too girl child education. नम्बर दो, मिनिमम लेवल आफ लर्निंग, एजूकेशन को इम्पार्ट की या नहीं, उसकी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करेगी। नम्बर तीन, पंचायती राज में जो वार्ड सभा है, ग्राम सभा है उसकी सी.आर., उसमें कितनी एंट्री हुई और नम्बर चार, हमारे मन में कल्पना है कि हमारी जितनी भी इंडिविजुअल बेनेफिशरी स्कीम हैं, जितनी सोशल सर्विसेज की हमारी स्कीम में कि विकलांग को यह पैसा मिल सकता है। को-आपरेटिव में यह काम कर रखा है, मार्केटिंग में यह काम कर रखा है कि कोई आदमी का अगर हाथ कट जाये तो इतना पैसा मिल सकता है, सिक्योरिटी का इतना पैसा मिल सकता है, विकलांग को यह सहायता मिल सकती है। वह कितने ऐसे इंडिविजुअल बेनेफिशेज के आदमी को बेनिफिट करते हैं उस पूरी पंचायत में जिससे उसका कमिटमेंट हो सके, मानसिकता बदल सके। हम अंग्रेजों के नौकर नहीं हैं। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम भी वोटर हैं। हमारे भाई और काका, बाबा, भतीजा रहने वाले आदमी हैं, वह अनपढ़ है, उसके प्रति भी मेरा कमिटमेंट है, इस मानसिकता को बदल कर पंचायती राज में एक नया कैडर खड़ा करना चाहिए। उसमें कमिटमेंट है गरीब के प्रति, जिसका कमिटमेंट है सोशल आब्जेक्ट के प्रति और जिसका कमिटमेंट है कि यह देश मेरा है, इस गांव को आगे बढ़ाना है, यह मन में कल्पना करके पंचायती राज में परिवर्तन करना चाहते हैं। यह कठिन काम है, उपाध्यक्ष महोदय, कठिन काम को करना पड़ेगा, नाराजगी लेकर करना पड़ेगा और करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी से प्रतिपक्ष के नेता से, उनके अनुभव हैं, उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, अब आयें हमारी सहायता के लिए, कितना पैसा भारत सरकार से दिलवा सकते हैं ग्रामीण विकास के संबंध में, कितनी हम कल्पना लेकर चलना चाहते हैं और मन में कल्पना लेकर राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यदि सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में ज्यादा पैसा हमें मिल जाता है, यदि गरीबी उन्मूलन के लिए जितना पैसा हमें मिलना चाहिए, डिवोल्यूशन आफ क्राइटेरिया बदल जाता है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में हम जितनी भी योजना है, चाहे पी.एम.जी.आर.वाई. की योजना हो, चाहे जे.जे.एस.वाई. की योजना हो, चाहे और कोई योजना हो, उसमें व्यक्तियों को लाभ देकर हम उनको आगे बढ़ायेंगे और गांव के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बदलने का भी काम करेंगे जिससे आगे वाले वर्ष में हम कह सकें कि पंचायती राज के माध्यम से राजस्थान में

(श्री सी.पी.जोशी)

ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट का काम ठीक ढंग से किया है। यह मन में कल्पना लेकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पंचायती राज में कुछ अमेंडमेंट किये हैं।

मैं मानता हूं कि टीचिंग प्राब्लम है। यह पहला साल है। हमारे दूसरे चुनाव के बाद, चुनाव हमारे 2000 की जनवरी में हुए हैं, एक साल का अवसर मिला है। एक साल में हमने जितना काम किया है, उसमें कमी और खामियां हैं, मैं उसको मना नहीं करता। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुभव के आधार पर हम कहना चाहते हैं कि हमें अभी माइंड सैट, इसमें अभी फिक्स नहीं है कि वार्ड सभा हमनें क्यों फिक्स कर ली या अमेंडमेंट क्यों कर दिये। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कहना चाहता हूं कि हम मन में रखें कि जब लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो एम्पावरमेंट करना पड़ेगा पंचायत के लोगों को, एम्पावरमेंट करना पड़ेगा मासेज के लोगों में, जितनी जागरूकता आयेगी, उतना करप्शन रुकेगा। करप्शन रुकेगा तो क्वालिटी की चीजें इम्प्रूव होंगी। और यदि एच.आर.डी. को हमने जोड़ दिया तो मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में तेज गति से आगे बढ़ सकेगा। यह मन में कल्पना लेकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के कुछ कार्यक्रमों में हमं आगे बढ़े हैं। जो कुछ कार्यक्रम हम करना चाहते हैं पर वित्तीय संसाधन के कारण से नहीं कर पाये हैं। चाहे वह अपना गांव अपना काम जैसी योजना हो, चाहे और कोई योजना हो, उन योजनाओं में जितनी वित्तीय संसाधन उपलब्ध करना चाहिए, वह हम अकाल के कारण नहीं कर पाये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मन में कल्पना है कि हम आने वाले वर्षों में, केरल में 40 प्रतिशत का डिवोल्यूशन स्टेट प्लान का पंचायती राज के माध्यम से है, हम इसकी बिगिनिंग करें। कम से कम, राजस्थान के लोगों को लग सके कि पंचायती राज के लोग आगे आये हैं। उनको भी वित्तीय संसाधन की व्यवस्था और हमने की है और वह वित्तीय संसाधन अनटाइड फण्ड के रूप में होने चाहिए।

मैं अंत में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि टी.एफ.सी. का पैसा लिया है राजीव गांधी पाठशालाओं में निश्चित तौर पर लिया है क्योंकि हमारी कल्पना थी कि एस.आर.डी. को बढ़ाना है। कल्पना थी कि हमें पंचायत भवन बनवाने हैं, पंचायत चुनाव नियत तिथि को कराने हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब राजस्थान सरकार यह वार्ड सभाएं सम्पादित होने के बाद यह निर्णय लेगी कि राजस्थान सरकार, जिन वार्डों में पिछले पांच साल तक एक भी काम नहीं हुआ, पंचायत के जिन वार्डों में पिछले पांच साल से एक भी काम नहीं हुआ, उस वार्ड सभा में दो काम, जो सब वार्ड से आये हैं, वह पंचायत को सलेक्ट करने होंगे। वह पैसा है, हमारे आने वाले समय में टी.एफ.सी. का पैसा,

(श्री सी.पी.जोशी)

उस पैसे से हम उन पंचायतों में और उन वार्डों में काम प्रारम्भ करवायेंगे, जिन वार्डों में पिछले पांच साल से कोई भी काम नहीं हुआ। जिससे गांव के गरीब आदमी के मन में कल्पना लग सके कि हमने निर्णय करके यह काम किया है। व्यक्तिगत लाभ की योजना में उन-उन वार्डों को शामिल करेंगे जिससे यह वार्ड में काम नहीं हो रहा है जिससे आदमी वही निर्णय कर सके। हमने जो व्यक्तिगत योजना के लाभ में जिस आदमी का चयन किया है, उसको सही लाभ मिल रहा है और लोगों को निर्णय करने के आधार पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी अवसर हमें मिल सके। टी.एफ.सी. के पैसे को हम रिलीज करेंगे, एस.एफ.सी. के पैसे को हम रिलीज करेंगे। इसमें परिवर्तन करेंगे ताकि यह शिकायत नहीं रहे कि राजस्थान सरकार ने मार्गदर्शन देकर सारे पैसों का उपयोग केवल मात्र राजीव गांधी पाठशालाओं में किया। यह पूरी फ्रीडम हम पंचायता को देंगे। वह इस पैसे का उपयोग अपने लोगों के साथ बैठ कर, पंचायत, वार्ड सभा से जो निर्णय आ रहे हैं, उनके आधार पर कर सके उससे वह अपने एम्पावरमेंट को कर सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ आपसे और सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या के जो प्रस्ताव मैंने रखे हैं, उनको पारित किया जाये।

मांग संख्या 28 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,29,77,000/- (एक अरब सात करोड़ उनतीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,96,38,84,000/- (दो अरब छियानवे करोड़ अड़तीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 4 मई, 2001 के प्रातः 11.00 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.30 बजे शुक्रवार, दिनांक 4 मई, 2001 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-357 का विवरण)

एलेक्सचर नं. 1

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सिरोही (राज.)

तारांकित प्रश्न संख्या-357 के बिन्दु संख्या 1 में जिन व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाये गये उनकी सूची

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	स्थान
1	2	3
1.	श्री नारायण सिंह/पन्ने सिंह	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
2.	श्रीमती कमला देवी/ग्वाल चन्द	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
3.	श्री बाबूलाल/हिन्दूजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
4.	श्री गणेश/अचलाजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
5.	श्री वीरा/राजाजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
6.	श्री शेरू/राजाजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
7.	श्री अनाराम/अमराजी भील	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
8.	श्री मोती/देवाजी भील	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
9.	श्री हंसा/उमाजी भील	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
10.	श्री सोमा/समरथाजी भील	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
11.	श्री गणेश/सोमाजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
12.	श्री माना/सोमाजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
13.	श्री चमना/अनाजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
14.	श्री चूना/सोमाजी	भटकड़ा चौराहा, भीलवास
15.	श्री अनाराम/केसाजी भील	भटकड़ा चौराहा, भीलवास

1	2	3
16.	श्री नवाराम/वेलाजी रैबारी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
17.	श्री हकमाराम/दीपाजी रैबरी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
18.	श्री गणेश/चेनाजी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
19.	श्री वीरा/वगताजी रैबारी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
20.	श्री लक्ष्मण/प्रेमाजी सगरवंशी माली	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
21.	श्री कलाराम/हरजी जी रैबारी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
22.	श्री वरलू/नवाराम रैबारी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
23.	श्री रूपाराम/जेठाजी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
24.	श्री जोगाराम/सावलाजी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
25.	श्री माधोराम/दीपाजी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
26.	श्री कुमाराम/हरजी जी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
27.	श्री रणियाराम/हरजी जी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
28.	श्री गणेश/नधाराम	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
29.	श्री रावताराम/गणेशाजी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
30.	श्री पीथाराम/भुजाजी	दक्षिण रबारवाड़ा, सिरोही
31.	श्री गणेशराम मीणा	सरूपनगर मेण्डवाड़ा
32.	श्री सोमाराम संगरवशी माली	संरूपनगर मेण्डवाड़ा
33.	श्रीमती सुशीला बाई	सरूपनगर मेण्डवाड़ा
34.	श्रीमती शांति बाई	सरूपनगर मेण्डवाड़ा
35.	श्री गणेश राम	सरूपनगर मेण्डवाड़ा
36.	श्री शंकरलाल/गेनाजी	सरूपनगर मेण्डवाड़ा
37.	श्री मोहम्मद/मोती खां	नेशनल हाईवे नं. 14
38.	श्री धर्मचन्द/हरदासजी	नेशनल हाईवे नं. 14

1	2	3
39.	श्री ममनलाल/समरथाजी	नेशनल हाईवे नं. 14
40.	श्री मगनलाल/पुनमाजी	नेशनल हाईवे नं. 14
41.	श्री शांतिलाल/नथमल	नेशनल हाईवे नं. 14
42.	श्री सोपाराम/हीराजी प्रजापत	नेशनल हाईवे नं. 14
43.	श्री मगनलाल/मुलाजी माली	नेशनल हाईवे नं. 14
44.	श्री नेनाराम/सोमाजी माली	गाईली चौराहा
45.	श्रीमती गरीबीबाई/कानजी मेघवाल	पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी के पास
46.	श्री चुन्नीलाल मेघवाल	पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी के पास

एनेक्सचर नं. 2

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सिराही (राज.)

तारांकित प्रश्न संख्या-357 के बिन्दु सं. 2 में अदालत के जरिए दर्ज जिनके विरूद्ध (एट्रोसीटी के तहत) करवाया उन अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी
1.	श्री सुरेश चन्द माहेश्वरी, अधिशासी अधिकारी
2.	श्री अभय सिंह देवल, सहायक राजस्व निरीक्षक
3.	श्री सन्नी ऐलियास, सर्वेयर

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

पुलिस लाइन करौली के निर्माण हेतु उपलब्ध राशि

361. श्री जर्नार्दन गहलोत (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में करौली में सरकार द्वारा पुलिस लाइन के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी? यदि हां, तो उसका निर्माण अभी तक किन कारणों से नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा पुलिस लाइन करौली के निर्माण हेतु वर्ष 1997 से अब तक कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

जनजाति उप योजना क्षेत्र प्रतापगढ़ में श्रमिकों को खाद्य सामग्री का वितरण

362. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन जाति उप योजना क्षेत्र में वानिकी कार्यों पर लगे श्रमिकों को खाद्य सामग्री का वितरण संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन से प्राप्त खाद्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में वन अधिकारी प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कितनी खाद्य इकाई से सामग्री का किस प्रयोजनार्थ वितरण किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यक्रम किसी वन सुरक्षा समिति के माध्यम से नहीं किया जा रहा है?

(3) उक्त वर्षों के वानिकी कार्यों का निरीक्षण कब-कब किस अधिकारी द्वारा किया जाता रहा है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जनजाति उप योजना क्षेत्र में वानिकी विकास कार्यों पर लगे श्रमिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन से प्राप्त खाद्य सामग्री निःशुल्क नहीं दी जाती है। वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के अधीन वन विकास कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों को खाद्यान्न सुरक्षा के प्रयोजन से क्रमशः 1 लाख 07 हजार, 102 तथा 1 लाख, 57 हजार, 628 खाद्यान्न यूनिट का वितरण उनकी प्रतिदिन की मजूदरी में से 11/- रुपये प्रति यूनिट कांट कर किया गया। एक यूनिट में 2 किलो गेहूं 200 ग्राम दाल तथा 150 मि.ली. खाद्य तेल दिया जाता है।

(2) जी, हां। योजनान्तर्गत खाद्यान्न यूनिटों का वितरण विश्व खाद्य कार्यक्रम के वितरण केन्द्रों में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) उक्त वर्षों में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के द्वारा करवाये गये वानिकी कार्यों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दे दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

प्रतापगढ़ ग्राम क्षेत्र के वानिकी कार्यों का वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में किये गये विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	पद	निरीक्षण दिनांक
1	2	3
1.	वन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर	9.5.2000
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) राज. जयपुर	22.7.99, 23.7.99
3.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उदयपुर	9.8.99, 10.8.99, 11.8.99, 11.11.99, 12.11.99, 22.2.2000, 23.2.2000, 20.6.2000, 21.6.2000, 17.8.2000, 18.8.2000, 17.10.2000, 30.1.2001, 31.1.2001
4.	निदेशक वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, परियोजना, उदयपुर	18.6.99, 21.10.99, 22.10.99, 11.5.2000, 12.7.2000, 8.8.2000
5.	उप वन संरक्षक, पी.एण्ड एम. जयपुर	17.12.99
6.	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	12.5.99, 17.5.99, 26.5.99, 1.6.99, 2.6.99, 14.6.99, 1.7.99, 3.7.99, 12.7.99, 14.7.99, 19.7.99, 23.7.99, 30.7.99, 2.8.99, 5.8.99, 7.8.99, 8.8.99, 27.8.99, 30.8.99, 31.8.99, 15.9.99, 18.9.99, 29.9.99, 27.10.99, 28.10.99, 4.11.99, 5.11.99, 22.11.99, 26.11.99, 27.11.99, 2.12.99, 3.12.99, 23.12.99, 2.1.2000, 17.1.2000, 21.1.2000, 21.2.2000, 6.3.2000, 9.3.2000, 10.3.2000, 1.4.2000, 17.4.2000, 23.4.2000, 24.4.2000, 25.4.2000, 19.5.2000, 4.6.2000, 11.6.2000, 12.6.2000, 23.6.2000, 10.7.2000, 16.7.2000, 17.7.2000, 1.8.2000, 12.8.2000, 24.8.2000, 28.8.2000, 29.8.2000, 4.9.2000, 5.9.2000, 6.9.2000,

1	2	3
		19.9.2000, 20.9.2000, 1.10.2000, 11.10.2000, 12.10.2000, 14.10.2000, 23.10.2000, 24.10.2000, 17.11.2000, 25.11.2000, 26.11.2000, 2.12.2000, 4.12.2000, 18.12.2000, 30.12.2000, 2.1.2001, 15.1.2001, 6.2.2001, 7.2.2001, 12.2.2001, 13.2.2001, 15.2.2001, 27.2.2001, 1.3.2001, 5.3.2001, 7.3.2001, 19.3.2001, 24.3.2001
7.	सहायक वन संरक्षक, (विकास) प्रतापगढ़	12.4.99, 20.4.99, 24.4.99, 25.4.99, 25.6.99, 29.6.99, 30.6.99, 1.7.99, 5.7.99, 18.7.99, 19.7.99, 20.7.99, 29.7.99, 9.8.99, 10.8.99, 14.10.99, 15.10.99, 21.10.99, 18.12.99, 5.1.2000, 7.1.2000, 12.1.2000, 14.1.2000, 16.1.2000, 17.1.2000, 18.1.2000, 15.2.2000, 17.2.2000, 25.2.2000, 27.2.2000, 3.3.2000, 5.3.2000, 8.3.2000, 17.3.2000, 18.3.2000, 31.3.2000, 6.4.2000, 25.4.4.2000, 26.4.2000, 9.5.2000, 16.5.2000, 17.5.2000, 18.5.2000, 22.5.2000, 26.6.2000, 30.6.2000, 8.8.2000, 21.10.2000, 3.11.2000, 9.11.2001, 10.11.2000, 24.12.2000, 5.1.2001, 6.1.2001, 17.2.2001, 18.2.2001, 14.3.2001

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

363. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ?

(2) क्या सरकार किशनगंज/शाहबाद (बारां) में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खेलने का विचार रखती है ? यदि-हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों में से कई आंगनबाड़ी केन्द्र अभी तक किराये के भवन में चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त भवन विहीन केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज बारां में 205 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। विभिन्न ग्रामों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु ग्राम में सामुदायिक, राजकीय भवन अथवा निःशुल्क भवन उपलब्ध न होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं।

(4) जी, हां। विश्व बैंक संपोषित समेकित बाल विकास सेवा तृतीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की किशनगंज परियोजना में 10 तथा शाहबाद परियोजना में 10 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बनाने का प्रस्ताव है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विधवा महिलाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता

364. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना को बीच में कई बार बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वर्तमान में उक्त योजना चालू है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल कितनी महिलाओं को अपनी पुत्री की शादी के लिए (जो विधवा है) उक्त आर्थिक सहायता दी गई और वर्तमान में कितने मामले बैकाया है ?

(2) उक्त शेष रहे मामलों का निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 में उक्त योजना मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्थान आकस्मिकता निधि

(समाज कल्याण मंत्री)

से राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में योजना चालू है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक तीन विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु 5000-5000 रुपये स्वीकृत किये गये। वर्तमान में 1 प्रकरण बकाया है।

(2) शेष रहे एक को वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट आबंटन बाद निस्तारित कर दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

365. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के कितने गांव विद्युतीकृत हैं?

(2) अब उक्त क्षेत्र के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है?

(3) उक्त जिले के किन-किन उपक्रमों एवं उपभोक्ताओं पर अब तक कितनी राशि बकाया है और उक्त राशि कब से बकाया है?

(4) धौलपुर थर्मल पावर विद्युत परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण होकर उक्त परियोजना विद्युत उत्पादन करने लगेगी?

(5) उक्त जिले के उप-खण्ड बाड़ी में विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? क्या बाड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के कुल 204 ग्रामों में से 31 मार्च, 2001 तक 167 गांव विद्युतीकृत घोषित हैं।

(2) वर्ष 2001-2002 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। उक्त क्षेत्र के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में इन ग्रामों को सम्मिलित कर विद्युतीकरण का प्रयास किया जायेगा।

(3) धौलपुर जिले में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में पिछले वर्षों से 1157.68 लाख रुपये बकाया हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) इस परियोजना का वित्तीय समापन अभी तक नहीं हुआ है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के अनुसार वित्तीय समापन से 28 महीनों में परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है।

(5) धौलपुर जिले के उपखण्ड बाड़ी में विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए 132 के.वी. सब-स्टेशन करौली से सरमथुरा एवं 132 के.वी. सब-स्टेशन धौलपुर से बाड़ी 33 के.वी. लाइन खेंचना प्रस्तावित है।

(ऊर्जा मंत्री)

बाड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन विश्व बैंक ऋण सहायता से बनाया जाना प्रस्तावित था किन्तु विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण तथा वांछित संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को अभी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इस योजना को आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

जिला धौलपुर में श्रेणीवार बकाया राशि का विवरण (दिनांक 1.3.2001 तक)

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	श्रेणी	उपखण्ड का नाम				योग
		धौलपुर शहर	धौलपुर ग्रामीण	बाड़ी	राजाखेड़ा	
1.	घरेलू	111.56	151.81	220.51	88.39	572.27
2.	अघरेलू	60.90	17.90	43.71	13.80	136.31
3.	स्ट्रीट लाइट	54.30	0.05	18.33	14.03	86.71
4.	कृषि (मीटर)	3.88	4.49	12.75	90.01	111.13
5.	कृषि (फ्लेट रेट)	1.66	5.80	4.27	22.53	34.26
6.	कृषि (नर्सरी)	0.05	1.05	0.08	0.37	1.55
7.	लघु उद्योग	24.02	47.25	52.42	5.41	159.10
8.	मध्यम श्रेणी	6.00	3.95	33.60	0.51	44.06
9.	उच्च श्रेणी	(-)7.23	0.01	—	—	(-)7.22
10.	लघु श्रेणी वाटर वर्क्स	4.34	1.54	3.84	3.07	12.79
11.	मध्यम श्रेणी वाटर वर्क्स	1.24	—	—	0.28	1.52
12.	उच्च श्रेणी वाटर वर्क्स	9.66	—	—	—	9.66
13.	मिक्स लोड	(-)4.70	0.06	—	0.18	(-)4.46
	योग	**265.68**	**233.91**	**389.51**	**268.58**	**1157.68**

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में निगम बस सेवा

366. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भिनाय के कई गांवों से या गांवों में होकर 1 जनवरी, 1998 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती थी?

(2) क्या उक्त सभी सेवाएं आज भी जारी है? यदि नहीं, तो क्यों और कौन-कौनसी बस कहां-कहां होकर जाती थी उन्हें क्यों बंद कर दिया गया?

(3) क्या उक्त बसों के बंद होने से जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है? यदि नहीं, तो कैसे?

(4) क्या सरकार उक्त बसों को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं, 1 जनवरी, 1998 से चल रही सेवाओं में से परिशिष्ट "1" पर अंकित सेवाओं का संचालन अनार्थिक रहने के कारण बन्द किया हुआ है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि प्रश्न के भाग-2 के उत्तर के अनुसार बन्द किए गए मार्गों पर निजी वाहनें पर्याप्त मात्रा में संचालित हैं। अतः यात्रियों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं है।

(4) जी, नहीं।

परिशिष्ट "1"

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में संचालित बसों में से बन्द की गई सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	बन्द करने सम्बन्धी विवरण
1	2	3
1.	अजमेर-सरवाड़ वाया किशनगढ़-बरना-दादिया-अराई-आकोडिया-बोराडा-फतेहगढ़	पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने तथा अनार्थिक रहने के कारण बन्द की हुई है।
2.	जयपुर-बांदनवाड़ा वाया केकड़ी-सरसडी-रामपाली-बिलिया-जालिया-कनईखुर्द-कनईकला-बड़ागांव-नागोला-सोल-भिनाय-रतनपुरा	पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने तथा अनार्थिक रहने के कारण बन्द की हुई है।

1	2	3
3.	अजमेर-देवलिया वाया नसीराबाद-बांदनवाड़ा-भिनाय (वाया चापानेरी वृद्धिकृत)	वाया चापानेरी मात्र 2, 3 यात्री उपलब्धता के कारण संचालन वाया चापानेरी बन्द किया तथा अजमेर-देवलिया वाया भिनाय सीधी वाहन संचालित हैं।
4.	ब्यावर-बांदनवाड़ा (बांदनवाड़ा से टाटोटी तक वृद्धिकृत)	टाटोटी तक वृद्धिकृत किया गया था। पर्याप्त यात्रीभार न मिलने के कारण टाटोटी तक संचालन बन्द किया गया तथा ब्यावर-बांदनवाड़ा वाहन संचालित हैं।

सहायक अभियन्ता (विद्युत) झालावाड़ के विरूद्ध जांच

367. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत पांच वर्षों में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़ द्वारा अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड कोटा को सम्बोधित पत्र लिखते हुए शासन सचिव, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रति दी थी? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त शिकायतों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा दी गई तथा जांच के क्या निष्कर्ष है? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इसकी जांच उसी अधिशासी अभियन्ता से करवाई गई जो उक्त अभियन्ता को संरक्षण देता है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो अन्य अधिशासी अभियन्ता से जांच नहीं कराने के क्या कारण रहे?

(4) उक्त दोषी अभियन्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा बनाये गये टावर (झालावाड़) के विद्युत कार्य का प्रथम रनिंग बिल एमबी नं. 139 में बनाया गया था? यदि हां, तो बिना कार्य किये किन-किन आइटमों का भुगतान क्यों किया गया? क्या द्वितीय रनिंग में किये गये अधिक भुगतान के आइटमों की ऋणात्मक एंट्री की गई? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या उक्त प्रथम रनिंग बिल में आवासीय भवनों हेतु विद्युत कार्य का कोई भुगतान किया गया है? क्या द्वितीय रनिंग बिल में आवासीय भवनों के विद्युत कार्य का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो प्रथम बिल में भुगतान क्यों किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 04.12.99 व 15.12.99 को।

(2) शिकायत की जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सानिवि. कोटा द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.05.2000 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड कोटा से कराई गई, जिसमें सहायक अभियन्ता श्री संतोष कुमार पिपरसानिया को दोषी नहीं माना है। जांच रिपोर्ट में श्री पी पी महावर, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने तथा राज कार्य में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने पत्र क्रमांक 763 दिनांक 3.3.2001 से इसी जांच को अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त झालावाड़ से करवाई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 28.3.2001 में सहायक अभियन्ता श्री सन्तोष कुमार पिपरसानिया को दोषी माना है।

(3) जी, नहीं। सामान्यतः सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से ही प्रकरण में जांच कराई जाती है।

(4) सहायक अभियन्ता श्री संतोष कुमार के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत दिनांक 18.4.2001 को चार्जशीट जारी की जा चुकी है।

(5) जी, हां। संवेदक द्वारा माल सप्लाई के आधार पर बिना कार्य कराये भुगतान किये गये आइटमों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

जी हां, क्योंकि साइट पर उक्त आइटमों की आवश्यकता नहीं थी।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति में चिकित्सा अधिकारी व ए.एन.एम. के निवास का निर्माण भी शामिल था। प्रथम रनिंग बिल में केवल आइटमों के सप्लाई के आधार पर ही भुगतान किया गया। द्वितीय बिल में आवासीय भवनों के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट "क"

Details of items and quantities paid in the first running bill in PHC building Awar Distt.-Jhalawar

S.No.	Particulars	Quantities
1	2	3
1.	Wiring for Light Point with 1.5 Sq. mm. PVC insulated alu. conductor cable of category II in surface steel conduit	
	a. Short Point	20 no.
	b. Medium Point	40 no.
	c. Long Point	45 no.
2.	Wiring for Fan Point with 1.5 Sq. mm. PVC insulated alu. conductor cable of category II in surface steel conduit	
	a. Medium Point	10 no.
	b. Long Point	15 no.
3.	Wiring for Call Bell Point with 1.5 Sq. mm. PVC insulated alu. conductor cable of category II in surface condit	
	a. Long point	5 no.
4.	Wiring for 3 Pin, 5 Amp Plug Point with 1.5 Sq. mm. PVC insulated alu. conductor cable of category II in surface steel conduit	
	a. Long Point	4 no.
	But prepared short point	25 no.
5.	Wiring for 3 pin, 15 Amp Power Plug Point with 4 Sq. mm. PVC insulated alu. conductor cable of category II in surface steel conduit	
	a. Medium Point	2 no.
	b. Long Point	20 no.

1	2	3
6.	S/f following sizes of stell conduit pipe of 16 SWG in surface.	
	a. 32 mm.	25 m.
7.	S/f following sizes of PVC conduit pipe in surface.	
	a. 25 mm.	7 m
8.	P/f surface type teak wood board	
	a. 200 × 250 mm.	10 no.
9.	P/f sheet for TW Boxes or CI boxes	
	a. Bakelite Sheet 9 mm. thick	1 Sq. m.
	b. Phenolic Sheet with Bakelite base	1.5 Sq. m.
10.	S/f in position angle iron frame	
	a. 38 × 38 × 4.5 mm.	10 m.
11.	Making of hole in wall for exhaust fan.	5 no.
12.	P/f exhaust fan 300 mm., 900 rpm. heavy duty category I	7 no.
13.	P/f Louver Shutter up to 381 mm.	5 no.
14.	P/f Electronic Fan Regualtor up to 300 Watt category I	30 no.
15.	P/f recessed type fan box	5 no.
16.	P/f call bell/buzzer category II	4 no.
17.	P/f single tone electronic call bell cat. II	2 no.
18.	S/f Bulk Head fitting cat. I	12 no.
19.	S/f L-type bracket	15 no.
20.	S/f round shape ceiling fitting 200/200 mm. dia.	15 no.
21.	S/f prewired mirror light suitable for 2 no. lamp holders.	5 no.

1	2	3
22.	P/f triple pole and neutral 415 V. metal clad HRC cum rewirable main switch 63 Amp. cat. I	1 no.
23.	P/f bolted type HRC fuse links 80 KA rupturing capacity.	
	a. 6 Amp. cat. I	3 no.
	b. 125 Amp. cat I	3 no.
	c. 32 Amp. cat. I	2 no.
24.	P/f 240/415 V. 9 KA breaking capacity ACMCBs	
	a. Single Pole 5 to 32 Amp. cat. I	44 no.
	b. Double Pole 5 to 32 Amp. cat. I	2 no.
	c. 35 to 63 Amp. cat. I	2 no.
25.	P/f surface mounting sheet distribution board	
	a. Single Pole and neutral DB 4 way cat. I	5 no.
	b. Single Pole and neutral DB 6/8 way cat. I	4 no.
26.	P/f metal clad industrial type plug top with single poel and neutral enclosure 20 Amp. cat. I	1 no.
27.	P/f residual Scurrent operated earth leakage circuit breaker	
	a. 25 Amp. 2 pole cat. I	1 no.
	b. 40 Amp. 2 pole cat. I	1 no.
	c. 63 Amp. s4 pole cat. I	3 no.
28.	P/f bakelite fuse fitting	
	a. 32 Amp. cat. I	2 no.
	b. 100 Amp. cat. I	3 no.
29.	Earthing with GI earth plate 600 × 600 × 6 mm.	4 no.
30.	S/f Earth conductor from electrode to source 8 SWG GI wire	25 m.

1	2	3
31.	P/f vertical type storage water heater 25 litre cat. I	1 no.
32.	P/f batten type fluorescent tube fitting 1 × 40 W. cat. I	15 no.
33.	P/f standard box type fluorescent tube fitting 1 × 40 W. cat I	20 no.
34.	P/f industrial type fluorescent tube fitting 1 × 40 W. cat I	2 no.
35.	P/f Indorr decorative type fluorescent tube fitting 1 × 40 W. cat. I	6 no.
36.	P/f fluorescent type tube light rod 40 W. cat. I	52 no.
37.	S/f Bus bar chamer of copper alloy 300 mm. 4 strip 100 Amp.	1 no.
38.	P/f indicating lamp	3 no.
39.	P/L PVC sheathed PVC insulated cable	
	a. 25 Sq. mm. 4 core arm.	40 m.
	But used 4 x 16 Sq. mm. cable	20 m.
	b. 6 Sq. mm. 2 core arm.	105 m.
40.	P/f tubular/bullet type cable terminal ends up to and including 25 Sq. mm	12 no.

नगरपालिका सूरतगढ़ कियोस्क आबंटन

368. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य मंत्री रोजगार योजना में सूरतगढ़ नगरपालिका मण्डल ने निर्धारित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कियोस्क आबंटन हेतु आवेदन मांगे थे? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन-पत्र श्रेणीवार प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? चयनित अभ्यर्थियों को आबंटन किस विधि से किया गया था?

(3) क्या उक्त नगरपालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश होकर मतदान तिथि जिला कलक्टर द्वारा तय करने के बाद उक्त चयनित व्यक्तियों गुमटियों का आबंटन किया गया?

(4) क्या नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ के पार्षदों ने अध्यक्ष नगरपालिका मण्डल को हस्ताक्षर युक्त पत्र आबंटन नहीं करने हेतु दिया और जिसकी प्रतियां जिला कलक्टर व राज्य सरकार को भी भेजी गई?

(5) क्या नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ के अधिशासी अधिकारी से किसी पार्षद ने कुल आवेदनों एवं चयनित लोगों की श्रेणीवार सूची की मांग की थी? यदि हां, तो क्या उस पार्षद या अन्य याचक को ऐसी सूचियां मण्डल द्वारा उपलब्ध करवा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ में किसी विधायक ने मण्डल जीप एवं अन्य विषयों में मण्डल के कर्मचारियों के क्रिया-कलापों सम्बन्धी सूचनाएं चाही थी? यदि हां, तो क्या उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रेणीवार कुल 468 आवेदन प्राप्त हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कियोस्क आबंटन हेतु गठित समिति द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुसार लाटरी से आबंटन की कार्यवाही की गई। श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां। प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

(5) जी, हां। श्री महावीर प्रसाद, पार्षद एवं एक अन्य व्यक्ति द्वारा आबंटन सूची चाहे जाने पर उन्हें तत्काल उपलब्ध करा दी गई।

(6) जी, हां। वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला पाली में बजरी पर रायल्टी वसूली हेतु ठेके

369. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में बजरी पर रायल्टी एवं वाणिज्य कर वसूलने हेतु कौन-कौन ठेकेदार हैं तथा किन-किन स्थानों का ठेका-कितनी अवधि के लिए दिया गया है? स्थान एवं ठेकेदारों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा ठेकेदारों को बजरी पर रायल्टी एवं वाणिज्य कर वसूल करने हेतु प्रति टन क्या दर तय की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली (सौजत खण्ड) में बजरी पर रायल्टी एवं परमिट शुल्क वसूलने हेतु प्रभावशील ठेकों की सूची मय स्थान, ठेकेदारों के नाम, ठेका अवधि का विवरण आदि परिशिष्ट "अ" एवं जिला पाली में बजरी पर वाणिज्य कर वसूलने हेतु ठेकेदारों के नाम, स्थान व अवधि सहित सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बजरी पर रायल्टी नियमानुसार प्रति टन रु. 6/- वसूल की जाती है। वाणिज्य कर प्रति 5.00 टन के वाहन से रु. 28/- एवं 5 टन से अधिक बजरी के वाहन से रु. 56/- प्रति वाहन विक्री कर सरचार्ज सहित वसूलने की दर तय है। परमिट शुल्क की दरों की सूची परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति के न्यायाधीश की नियुक्ति

370. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के कुल कितने पद हैं और उक्त पदों में से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? राज्य सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में आज तक कोई अनुसूचित जाति का न्यायाधीश नियुक्ति नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस स्तर पर कैसे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के कुल 32 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 27 स्थाई पद तथा

(विधि मंत्री)

अतिरिक्त 5 पद हैं। वर्तमान में 7 पद रिक्त हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है।

(2) उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अतः अनुसूचित जाति सम्बन्धित सूचना का संधारण भारत सरकार द्वारा किये जाने से उक्त प्रश्न का सम्बन्ध राज्य सरकार से न होकर केन्द्रीय सरकार से है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नाबार्ड योजना अन्तर्गत सड़कों हेतु स्वीकृत राशि

371. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने नाबार्ड योजना अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की है और इसमें से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नाबार्ड योजना में हुई स्वीकृत राशि से मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाबार्ड द्वारा वर्ष 2000-2001 में 201.92 करोड़ रुपये की राशि ऋण बाबत स्वीकृत की गई है। नाबार्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार राशि स्वीकृत नहीं की जाती है। केवल राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत राशि में से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एक सम्पर्क सड़क मांण्डा के निर्माण के लिए 9.82 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8.83 लाख रुपये की राशि नाबार्ड ऋण है।

(2) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एक सम्पर्क सड़क मांडा के निर्माण पर 7.52 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

अकाल राहत कार्यों के तहत निर्मित पक्के निर्माणों का रख-रखाव

372. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के तहत जो पक्के निर्माण होते हैं, उस सम्पत्ति को सहायता विभाग अपनी सूची में नहीं लेता और वे रख-रखाव के अभाव में बेकार हो जाते हैं?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(2) क्या सरकार अकाल में निर्मित पक्के कार्यों को सम्बन्धित विभागों को सुपुर्द करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अकाल राहत के तहत स्वीकृत कार्य जिस संस्था के माध्यम से निष्पादित कराये जाते हैं वही संस्था इन सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होती है।

(2) ये कार्य पूर्व से ही संबंधित विभाग की सम्पत्तियां होती है, इसलिए सुपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं है।

रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के समीपस्थ गांवों के विकास हेतु योजनाएं

373. **श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के आसपास के गांवों के विकास के लिए वन मंत्रालय, केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा विकास की क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? गत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं के तहत कितनी राशि उक्त गांवों के विकास के लिए आवंटित हुई तथा उक्त राशि को किस प्रकार किन-किन गांवों में किस-किस कार्य में व्यय की गई?

(2) उक्त योजनाओं में गांवों का चयन करने एवं उनमें होने वाले कार्यों का चयन करने के लिए क्या कोई मानदण्ड है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों में उक्त मानदण्डों का पालन किया गया है?

(3) क्या उक्त गांवों के विकास की योजना के क्रियान्वयन में वहां के जन प्रतिनिधियों की भी कोई भूमिका है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के आस पास के गांवों के विकास के लिए वन मंत्रालय, केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक की सहायता से इण्डिया ईको डवपलमेंट प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गत 3 वर्षों में गांवों के विकास के लिए आवंटित राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। उक्त राशि का किस प्रकार किन-किन गांवों में किस-किस कार्यों में व्यय किये जाने बाबत सूचना संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाई गई है।

(2) जी, हां। इस योजना में ग्रामों का चयन करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड है :

1. ग्राम बाघ परियोजना क्षेत्र की सीमा के अन्दर अथवा सीमा से दो किलोमीटर की परिधि में स्थित हो।

(राज्य मंत्री, वन)

2. ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता दी जावे जिनसे सर्वाधिक नुकसान संरक्षित क्षेत्र को होता है।

3. ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता दी जावे जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ऐसे समूह हो।

इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के चयन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड है :—

1. ऐसे कार्य जिनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में जैव-विविधता संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा मिले।

2. ऐसे कार्यों से, संरक्षित क्षेत्र पर आश्रित विशेषतः अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं एवं अन्य गरीब वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार हो।

3. ऐसे कार्य जिनका सम्पादन अन्य वित्तीय श्रोतों अथवा योजनाओं के अन्तर्गत किया जाना सम्भव नहीं हो।

4. किया जाने वाला कार्य तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो।

5. कार्य वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद हो।

6. कार्य स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक क्षमताओं के अनुरूप हो।

7. कार्य पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त हो।

जी, हां। उक्त कार्यों में इन मानदण्डों का पालन किया गया है।

(3) जी, हां। इण्डिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेशानुसार गांवों में ईको डवलपमेंट कमेटी का गठन किया जाता है जिसके द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कार्य करवाये जाते हैं। इस कमेटी की कार्यकारिणी में सरपंच भी सदस्य होता है परन्तु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

छीपाबड़ोद (बारां) में छात्रावास भवन तक सड़क निर्माण कार्य

374. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम छीपाबड़ोद, तहसील छीपा बड़ोद, जिला बारां के छात्रावास भवन तक सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(2) उक्त सड़क का निर्माण अब तक नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं? क्या सड़क के अभाव में छात्रावास भवन की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है?

(3) क्या उक्त भवन तक सड़क के अभाव में छात्रावास में रह रहे बालकों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम छीपाबड़ोद, तहसील छीपा बड़ोद, जिला बारां के छात्रावास भवन तक सड़क निर्माण हेतु जिला कलक्टर, बारां से निवेदन कर सड़क निर्माण करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) यह कार्य पंचायत समिति छीपा बड़ोद के क्षेत्र का होने के कारण विभाग द्वारा नहीं कराया जा सकता, परन्तु इसके अभाव में छात्रावास की उपयोगिता कम नहीं होती है।

(3) जी, नहीं। छात्रों को असुविधा नहीं होती। सड़क निर्माण का कार्य जिला प्रशासन बारां द्वारा करवाया जाना है।

जिला नागौर में अनियमित विद्युत वितरण

375. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में विद्युत वितरण व्यवस्था सुचारू रखने के लिये कितने टेक्नीकल हैल्परों की आवश्यकता है और कितने वर्तमान में कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वितरण व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कम से कम चार हजार तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता रहती है जबकि वर्तमान में करीब 700 के लगभग ही हैल्पर कार्यरत हैं? क्या इससे वितरण व्यवस्था सुचारू रखने में व्यवधान हो रहा है? यदि हां, तो वितरण व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या सरकार अधिक हैल्पर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कार्यभार के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नागौर वृत में विद्युत वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में 2580 तकनीकी कामगारों/हैल्परों की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष 1155 कामगार/हैल्पर कार्यरत हैं तथा शेष 1425 पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। तत्कालीन विद्युत मण्डल द्वारा कार्यभार के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 2580 तकनीकी कामगारों/हैल्परों की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष 1155 कामगार/हैल्पर कार्य कर रहे हैं। विद्युत सुधार कार्यक्रम के तहत 15 प्रतिशत सभी पदों में कटौती कर कार्य सम्पादन करना पड़ता है। अतः इस योजना के तहत नागौर वृत में कुल 2193 कामगारों/हैल्परों की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष 1155 कामगार/हैल्पर कार्यरत हैं तथा कामगारों/हैल्परों के रिक्त पदों के कारण सब-स्टेशनों व लाइनों का रख-रखाव, बिल बनवाने, बिल राशि संग्रहण आदि कार्य ठेके पर देकर सम्पादन के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट "अ"

विद्युत वितरण निगम लि. (अजमेर)

नागौर वृत्त के तकनीकी कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	नाम	स्वीकृत पद 1989 में	स्वीकृत पद 31.3.2000 में	वर्तमान में कार्यरत	रिक्त पद	स्वीकृत 15% कटौती के पश्चात्
1	2	3	4	5	6	7
1.	इंजीनियरिंग सुपरवाइजर	1	5	—	5	4
2.	फोरमैन	6	30	—	30	25
3.	लाइन इंस्पेक्टर	4	20	—	20	17
4.	वेल्डर-I	1	5	—	5	4
5.	इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन-I	8	40	4	36	34
6.	लाइनमैन-I	30	150	1	149	128
7.	ऐस्टीमेटर	4	20	1	19	17
8.	एस.एस.ए.-I	5	25	1	24	21
9.	ब्लैकस्मिथ-I	1	5	—	5	4
10.	फिल्टर आपरेटर	1	5	—	5	4
11.	फिल्टर-I	—	—	—	—	—
12.	केस्का जोन्टर	1	5	—	5	4
13.	मीटर इंस्पेक्टर-I	3	15	9	6	12
14.	इंजन ड्राइवर-I	2	10	—	10	9
15.	आर्टिशियन-I	2	10	1	9	9
16.	मीटर रीडर/चेकर-I	9	45	4	41	39
17.	मशीनीक (ट्रेनर)	1	5	—	5	4
18.	वेन्डर-II	1	5	—	5	4
19.	हैड टाइम कीपर	—	—	—	—	—
20.	इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन-II	35	175	6	169	148

1	2	3	4	5	6	7
21.	लाइनमैन-II	58	290	14	276	246
22.	मीटर इंस्पेक्टर-II	1	5	—	5	4
23.	एस.बी.ए./एस.एस.ए.-II	39	195	4	191	166
24.	आर्टिशियन-II	17	85	—	85	72
25.	केबल जाइंटर-II	2	10	—	10	9
26.	फिल्टर अटेंडेंट	2	10	—	10	9
27.	मीटर रीडर-II/चैकर	16	80	78	2	68
28.	फिटर-II	4	20	—	20	17
29.	वाहन चालक	2	10	4	6	9
30.	मिस्त्री	—	—	—	—	—
31.	ड्राइवर (मैकेनिक)-II	2	10	—	10	9
32.	मीटर टेस्टर-II	2	10	—	10	9
33.	ब्लैकस्मिथ-II	1	5	—	5	4
34.	वेल्डर-III	1	5	2	3	4
35.	हैल्पर-I/सीसीए-III/ एस.बी.ए.-III	150	750	850	(-)100	638
36.	हैल्पर-II	104	520	176	344	442
	योग	**516**	**2580**	**1155**	**1425**	**2193**

जिला परिवहन कार्यालय नागौर का नवीन भवन

376. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिला का परिवहन अधिकारी कार्यालय निजी मकान में संचालित है? यदि हां, तो किस के मकान में कितने किराये में?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी हाल ही में पुराने किराये के मकान को खाली करके दूसरा मकान किराये से लिया है? यदि हां, तो क्यों तथा पूर्व के मकान का किराया कितना था और नये मकान मालिक कौन है?

(3) किराये के मकान को खाली करने व लेने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उक्त मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(4) क्या यह सही है कि पुराना मकान जनता के लिए अधिक सुविधाजनक था और नया भवन शहर से बहुत दूर है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि जनता व जन प्रतिनिधियों ने यह शिकायत सरकार को की है कि यह मकान शहर से बहुत दूर है इसलिये कार्यालय पूर्व स्थान पर ही रखा जावे? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा क्या-क्या शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सही है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कई बार छापा मारा था और उक्त कार्यालय ब्यूरो कार्यालय के नजदीक है इसीलिये ही उक्त कार्यालय बदला गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कार्यालय दूर ले जाने का औचित्य क्या है?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला परिवहन अधिकारी, नागौर का कार्यालय निजी भवन में संचालित है। यह भवन श्रीमती मधु सुराणा का है। इस भवन के किराए का निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना शेष है।

(2) जी, हां। कार्यालय के पूर्व भवन को खाली करके हाल ही में दिनांक 2.3.2001 से दूसरा भवन किराए पर लिया गया है। नये भवन को किराए पर लेने के निम्नांकित कारण थे :—

1- नये भवन के पास लाइसेंस जारी करने हेतु ट्रायल की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के लिए पर्याप्त एवं समुचित स्थान है।

2- वाहनों के फिटनेस एवं अन्य कार्य हेतु वाहनों को खड़ा करने एवं उनकी जांच हेतु खुला स्थान भी पास ही उपलब्ध है।

(यातायात मंत्री)

3- पुराने भवन के समीप पेट्रोल पम्प स्थित होने के कारण कई बार मार्ग अवरूद्ध हो जाता था।

4- नया भवन रेलवे स्टेशन, कलक्ट्रेट, न्यायालय, आदि मुख्य स्थलों के समीप हैं।

पूर्व में भवन का किराया 4850/- रु. प्रतिमाह था। जिस नये भवन में कार्यालय स्थानान्तरित किया गया है उसकी मालकिन श्रीमती मधु सुराणा पत्नी श्री पाल सुराना है।

(3) किराये के भवन को खाली करना भवन स्वामी एवं विभाग के बीच हुए करार की शर्तों पर निर्भर करता है। करार में तय की गई अवधि समाप्त होने पर या उससे पूर्व भवन की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भवन कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में वर्णित कारणों से नया भवन अधिक उपयुक्त है। इस कारण भवन परिवर्तित किया गया है।

(4) जी, नहीं। पुराना भवन अधिक सुविधाजनक नहीं था। जैसा कि प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में उल्लेख किया गया है। नया भवन शहर के प्रमुख स्थलों रेलवे स्टेशन, कलक्ट्रेट, न्यायालय आदि के पास है।

(5) जी, हां। इस आशय की शिकायतें जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई है। वास्तविकता यह है कि नया भवन शहर के प्रमुख स्थलों :— रेलवे स्टेशन, कलक्ट्रेट, न्यायालय, अस्पताल आदि से अधिक निकट है। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। शिकायतों की जांच विभाग के मुख्य सर्तकता अधिकारी से करायी जा रही है।

(6) पुराने भवन में जब कार्यालय संचालित था तब दिनांक 8.9.2000 को कार्यालय में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छापा मारा गया था। पुराने भवन की अपेक्षा नया भवन ब्यूरो कार्यालय के अधिक नजदीक है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यालय भवन परिवर्तित करने का यह कारण रहा हो। कार्यालय भवन अन्यत्र बदले जाने के यथोचित कारणों का उल्लेख प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में किया गया है।

परिशिष्ट "क"

जिला परिवहन अधिकारी, नागौर का कार्यालय भवन बदलने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत के मुख्य बिन्दु
1.	ट्रक आपरेटर एवं बस आपरेटर नागौर	जिला परिवहन अधिकारी, नागौर का कार्यालय स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
2.	डा. सहदेव चौधरी उप जिला प्रमुख, नागौर	जिला परिवहन अधिकारी, नागौर का कार्यालय स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
3.	श्री मीठूराम ढाका सह संगठन मंत्री जिला कांग्रेस सेवादल, नागौर	स्थानान्तरण एवं भवन के किराये के पुनः मूल्यांकन के लिए अवैध रूप से राशि मांगने के क्रम में।
4.	सुखवीर सिंह चौधरी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, नागौर	जिला परिवहन अधिकारी, नागौर का कार्यालय स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

जिला बूंदी में सड़क व पुल निर्माण कार्य

377. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो उक्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत पर गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) क्या उक्त सड़कों के अत्यधिक खराब होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला बूंदी के राटेदा मण्डावरा पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त पर यातायात कब से खोलने का विचार है। क्या गेंता-माखीदा पर भी पुल का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

(4) क्या यह सही है कि जिले में निर्मित पुल मायजा प्रथम बारिश में ही आवागमन को अवरूद्ध कर देता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उस पर कितने-कितने दिन आवागमन बन्द रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि बूंदी जिले में सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। बूंदी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर गत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण पर व्यय की गई राशि (लाखों में)	मरम्मत पर व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	1996-97	281.32	155.61
2.	1997-98	560.03	151.49
3.	1998-99	411.68	171.02
4.	1999-2000	138.37	64.06
5.	2000-2001	83.84	117.52

(2) जी, नहीं।

(3) (अ) जी, हां। जिला बूंदी के रोटेदा-मण्डावरा मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य एप्रोचेज के अलावा राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। इसकी एप्रोचेज का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् उक्त पुल पर यातायात खोल दिया जावेगा।

(ब) जी, नहीं। गेंता-माखीजा पर पुल के निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं है।

(4) जी, नहीं। उक्त पुल पर बारिश के कारण यातायात अवरूद्ध नहीं होता है।

आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर शहर में सौन्दर्यकरण कार्य

378. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आवासन मण्डल द्वारा बनाई जाने वाली आवासीय कालोनियों में मण्डल द्वारा क्या-क्या जनसुविधा प्रदान की जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवासन मण्डल अपनी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा अपनी उपलब्ध धनराशि का उपयोग किसी भी शहर के सौन्दर्यकरण पर खर्च कर सकता है? यदि हां, तो आवासन मण्डल ने अपनी आवासीय कालोनियों के अलावा किस-किस शहर में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने आवासन मण्डल को अपनी स्वयं की आवासीय कालोनियों के अलावा शहरों के सौन्दर्यकरण में आवासन मण्डल की राशि व्यय करने के कोई निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के निर्देश कब-कब जारी किये? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर, वृत्त जोधपुर ने जोधपुर शहर में बरकतुल्ला खां स्टेडियम, मण्डोर उद्यान, उम्मेद उद्यान, पुराने स्टेडियम में पानी की निकासी पर 430.80 लाख रुपया खर्च वर्ष 2000 में किया है? क्या आवासन मण्डल उक्त खर्चे के लिए अधिकृत है? यदि हां, तो किस कानून व नियम के तहत? कानून/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवासन मण्डल द्वारा बनायी जाने वाली आवासीय कालोनियों में मण्डल द्वारा सामान्यतया शिक्षण चिकित्सा पार्क/खुल्ला स्थान, वाणिज्यिक एवं सामाजिक/ सामुदायिक आवश्यकताओं सम्बन्धी सुविधाओं का प्रावधान रखा जाता है। इन सुविधा का आकार-प्रकार आवासीय योजनाओं के आकार पर निर्भर करता है।

(2) सामान्यता मण्डल अपनी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत राशि अन्य शहरों के कार्यों पर खर्च नहीं करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के आदेश पर मण्डल द्वारा जोधपुर के मंडोर उद्यान के रख-रखाव पर 100 लाख, उम्मेद उद्यान के रख-रखाव पर 30 लाख पुराने बरकतुल्ला खां स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 60.25 लाख तथा जयपुर विभिन्न बाजारों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण जैसे कि बापू बाजार पर 66.37 लाख, नेहरू बाजार पर 22.65 लाख तथा इन्दिरा बाजार पर 4.90 लाख की राशि व्यय की है।

(3) जी, हां, इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा आदेश संख्या निस/शा.स/नवि/2000/500, दिनांक 28.3.2000 तथा आदेश क्रमांक पीएस/एसयूडी/2000, दिनांक 13.3.2000 एवं अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11.7.2000 द्वारा शहरों के सौन्दर्यकरण कार्यों को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने स्रोतों से कराये जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। उक्त आदेशों/पत्र की प्रतियां संलग्न है।

(4) राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर वृत, जोधपुर द्वारा जोधपुर शहर में बरकतुल्ला खां स्टेडियम, मण्डोर उद्यान, उम्मेद उद्यान, पुराने स्टेडियम पर उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपये 430.80 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। उसमें से वर्ष 2000-2001 में रुपये 190.25 लाख दिनांक 24.3.2001 तक व्यय किए जा चुके हैं। उक्त खर्च उपरोक्तानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यों को निर्धारित समायावधि में पूर्ण करने को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रायल्टी ठेकों से आय

379. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खनिज विभाग ने अपनी आय बढ़ाने एवं चोरी रोकने के लिए रायल्टी वसूलने हेतु ठेका प्रणाली प्रारम्भ की है ?

(2) राज्य में खनिज विभाग के रायल्टी वसूलने के पूर्व में कितने नाके लगाये हुए थे, उनसे वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक प्रतिवर्ष कितनी आय होती थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष फरवरी व मार्च, 2001 में जो रायल्टी ठेके नीलाम किये उनसे कितनी राशि आना निश्चित हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) विभागीय रायल्टी वसूली के 206 (दो सौ छह) नाकों से प्राप्त वार्षिक आय सम्बन्धी विवरण वर्ष 1995-96 से वर्ष 2000-2001 तक प्रपत्र (अ) पर संलग्न है।

(3) इस वर्ष फरवरी व मार्च, 2001 में कुल 65 (पैंसठ) ठेके नीलाम किये गये जिससे रुपया 36,31,43,197/- आना निश्चित हुआ। सूची परिशिष्ट (ब) संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी बैंकों द्वारा हिस्सा राशि पर ब्याज

380. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक और अन्य बैंकों की हिस्सा राशि अलग-अलग होती है ? क्या ऋणी को दी जाने वाली राशि पर ब्याज वसूला जाता है और हिस्सा राशि पर बैंक ब्याज नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसी विसंगतियां क्यों है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक और अन्य सहकारी बैंकों की हिस्सा राशि अलग-अलग होती है।

जी, हां। ऋणी को दी जाने वाली ऋण राशि पर ब्याज वसूल किया जाता है और हिस्सा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 में हिस्सा राशि पर ब्याज दिये जाने का प्रावधान नहीं है, लाभांश दिये जाने का प्रावधान है। अतः कोई विसंगति नहीं है।

राजकीय कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

381. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए विभाग कोई प्रशिक्षण रखता है ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के अन्त तक कुल कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम किन-किन विभागों के लिए कितने-कितने दिन के लिए आयोजित किये गये ? उक्त प्रशिक्षणों में कितने-कितने कर्मचारियों ने भाग लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग संतुष्ट है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वास्तव में भाग लेने वाले कर्मचारी प्रशिक्षित हो सके थे ?

(4) उक्त पर कुल कितना व्यय विभाग को करना पड़ा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) विभाग द्वारा 204 प्रशिक्षण कार्यक्रम 154 विभिन्न विभागों के 2635 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, हां।

(4) उक्त पर रु. 4824009/- व्यय करना पड़ा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत गमनीया हमीरा (बागीदौरा) में अकाल राहत कार्य

382. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की ग्राम पचांयत गमनीया हमीरा पंचायत समिति बागीदौरा में वर्ष 1999 एवं 2000 में अकाल राहत अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में श्रम एवं सामग्री पेटे कितनी राशि स्वीकृत थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रम पेटे प्रति मजदूर को प्रतिदिन कितना भुगतान किया गया व पखवाड़े में कुल कितने दिवस का भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं में कौनसी सामग्री के नाम किन-किन फर्म या ठेकेदार या व्यापारी के नाम कितनी राशि का भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की ग्राम पंचायत गमनिया हमीरा में अंकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 1999 एवं 2000 में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-क एवं ख सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजनाओं में श्रम एवं सामग्री पेटे स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-क एवं ख पर अंकित है।

(3) श्रम पेटे मजदूरों को प्रतिदिन भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-क एवं ख में अंकित है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उक्त कार्यों पर जिन फर्म/ठेकेदार/व्यापारियों को भुगतान किया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट-क एवं ख संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

ग्राम पंचायत गमनीया हमीरा, पंचायत समिति बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा, सम्वत् 2056 में हुए अकाल राहत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	अकाल राहत कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक मय दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)			स्वीकृत श्रमिक संख्या	पखवाड़ा	कुल कार्य दिवस	श्रम पर कुल व्यय			फर्म का नाम	सामग्री पर कुल व्यय			विशेष विवरण
			श्रम	सामग्री	योग				सृजित मानव दिवस	प्रति दिन मजूदरी दर	श्रम भुगतान राशि		सामग्री की मात्रा	सामग्री की राशि	कार्य पर कुल व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	सार्वजनिक कूप, गमनीया हमीरा	1841-42 27.3.2000	0.10	–	0.10	10	1.4. से 15.4.2000	13	130	40	5200	नोट : सामग्री पर व्यय अकाल राहत मद से नहीं किया गया है	—	--	–	
							16.4 से 30.4.2000	12	120	26	3120		—	NIL	8320	कार्य पूर्ण
								25	**250**	**–**	**8320**					
2.	सड़क, भूराटेम्बा	2249-79 4.4.2000	2.25	0.75	3.00	40	17.4. से 30.4.2000	7	280	40	11200	पटेल ट्रैक्टर कृषि फार्म फलवा	पत्थर 25 ट्रिप मोरम 30 ट्रिप	9500/-		
	से बाघखोरा						1.5. से 15.5.2000	13	514	39	20046	—"—	25 ट्रिप गिट्टी 30 ट्रिप मोरम	10250/-		
							16.5. से 31.5.2000	14	558	46	25620	—"—	25 ट्रिप गिट्टी 35 ट्रिप मोरम	10250/-		
												—"—	मोरम 60 ट्रिप 5 ट्रिप पत्थर	10000/-		
							1.6. से 15.6.2000	13	514	47	24368					
							16.6. से 30.6.2000	13	520	40	20800					
							3.7. से 15.7.2000	12	480	40	19200					
								72	**2866**	**–**	**121234/-**			**40,000/-**	**161234/-**	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	सड़क, चौखीडूंगरी	5045-79 17.5.2000	1.50	0.50	2.00	40	23.5. से 31.5.2000	8	320	46	14720	पटेल ट्रैक्टर कृषि फार्म फलवा	पत्थर 10 ट्रिप मोरम 50 ट्रिप	9500/-		
	से पंचायत भवन						1.6. से 15.6.2000	12	477	46	21780	—"—	मोरम 70 ट्रिप	10500/-		
												—"—	मोरम 60 ट्रिप	10000/-		
							16.6. से 30.6.2000	13	520	45	23400		पत्थर 5 ट्रिप			
							3.7. से 15.7.2000	10	400	40	16000					
								45	1717	—	75900/-			30,000/-	105900/-	कार्य पूर्ण
4.	राजीव गांधी पाठ, पटेलफला गमनीया हमीरा	5588 3.6.2000	0.86	—	0.86	35	5.6. से 15.6.2000	10	332	65	21500	नोट : सामग्री पर व्यय अकाल राहत मद से नहीं किया गया है	—	—	—	कार्य पूर्ण
							16.6. से 30.6.2000	13	455	67	30680					
							1.7. से 15.7.2000	13	455	79	35800					
								36	1242	—	85980/-			NIL	85980	

नोट : उक्त समस्त कार्यों पर किसी प्रकार का श्रमिक भुगतान/फर्म/ठेकेदार का भुगतान शेष नहीं है।

ह०/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बागीदौरा

परिशिष्ट "ख"

ग्राम पंचायत गमनीया हमीरा पंचायत समिति, बागीदौरा जिला बांसवाड़ा, सम्वत् 2057 में हुए अकाल राहत कार्यों का विवरण

31.3.2001 तक की सूचना

क्र. सं.	अकाल राहत कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक मय दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)			स्वीकृत श्रमिक संख्या	पखवाड़ा	कुल कार्य दिवस	श्रम पर कुल व्यय			फर्म का नाम	सामग्री पर कुल व्यय			विशेष विवरण
			श्रम	सामग्री	योग				सृजित मानव दिवस	प्रति दिन मजूदरी दर	श्रम भुगतान राशि		सामग्री की मात्रा	सामग्री की राशि	कार्य पर कुल व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	तालाब खुंटी, बिजिया	583-615 15.1.2001	1.97	—	1.97	30	16.1. से 31.1.2001	12	236	32	7552	नोट : सामग्री पर व्यय अकाल राहत मद से नहीं किया गया है	—	—	—	
							1.2. से 15.2.2001	13	369	35	12915					
							16.2. से 28.2.2001	11	330	39	12870					
							1.3. से 15.3.2001	11	330	41	13530					
							16.3. से 31.3.2001	14	420	42	17640					
								61	**1685**	**—**	**64507**		**—**	**NIL**	**64507**	कार्य प्रगति पर
2.	उप केन्द्र गमनीया हमीरा	3166/ 28.2.2001	0.62	—	0.62	10	कार्य माह अप्रैल में प्रारम्भ किया गया है।	—	—	—	—	नोट : सामग्री पर व्यय अकाल राहत मद से नहीं किया गया है	—	—	—	कार्य प्रगति पर
3.	बांध खोरा एनीकट एनीकट गहरा करना व सुधार कार्य	36-40 4.4.2001	1.12	—	1.12	30	कार्य माह अप्रैल में प्रारम्भ किया गया है।	—	—	—	—	नोट : सामग्री पर व्यय अकाल राहत मद से नहीं किया गया है	—	—	—	कार्य प्रगति पर

ह०/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति बागीदौरा

जिला उदयपुर में वानिकी कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

383. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में गत 5 वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार व अन्य सहायता से कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृतिनुसार पेड़ लगाये गये? यदि हां, तो कितने पेड़ जीवित हैं और कितने नहीं?

(3) उक्त प्रकरण में सरकार किस को दोषी मानती है? क्या इसकी जांच करवा कर सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में गत 5 वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार व अन्य सहायता से 3938.07 लाख रुपये का आबंटन किया गया। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। उदयपुर जिले में गत 5 वर्षों में स्वीकृतिनुसार 183.348 लाख पौधे लगाये गये। लगाये गये पौधों में से 135.823 लाख पौधे जीवित हैं तथा 47.525 लाख पौधे जीवित नहीं हैं।

(3) जी, नहीं। गत 5 वर्षों में उदयपुर जिले में लगाये गये पौधों में से 74.07% पौधे जीवित हैं जो राज्य में विद्यमान जलवायु की परिस्थिति को देखते हुये संतोषप्रद है अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट "क"

जिला उदयपुर में गत पांच वर्षों (1996-97 से 2000-2001) में केन्द्र/राज्य सरकार व अन्य सहायता से आबंटित राशि का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	आबंटित राशि का माध्यम	आबंटित राशि
1.	केन्द्र सरकार	484.506
2.	राज्य सरकार	670.551
3.	अन्य सहायता	2783.013
	योग	**3938.070**

जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु लागू महाराष्ट्र प्रणाली

384. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) एवं **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान में महाराष्ट्र प्रणाली लागू कर रखी है? यदि हां, तो जनजाति विकास से जुड़े कौन-कौन से विभाग को राशि आबंटित की जाती है?

(2) महाराष्ट्र प्रणाली लागू होने से अब तक कितनी राशि जनजाति विभाग के पास पहुंची है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुल वार्षिक योजना की 12 प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को देनी थी? यदि हां, तो उक्त मुताबिक कुल कितनी राशि दी गई एवं कितनी व्यय हो गई?

(4) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से कितनी राशि महाराष्ट्र प्रणाली लागू होने से अब प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उप योजना के विकास को प्राथमिकता देने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रणाली जनजाति उप योजना क्षेत्र में कार्यरत आयोजना से सम्बन्धित समस्त विभागों पर लागू होगी।

(2) महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में निर्णय लिया गया था। वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में इस प्रणाली के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग को कोई राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है।

(3) राज्य आयोजना मद के डिविजिबल आउट ले की 8 प्रतिशत राशि जनजाति उप योजना क्षेत्र के विकास हेतु जनजाति विकास विभाग को उपलब्ध करायी जानी है। वर्ष 2000-2001 तक जनजाति विकास विभाग को इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है।

(4) वर्ष 2000-2001 में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता मद में रु. 2915.24 लाख की राशि तथा संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत रु. 1200.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की मात्रा का महाराष्ट्र प्रणाली से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण

385. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993 में कितने बेरोजगारों ने ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन-पत्रों में से कितने आवेदन-पत्र स्वीकृत होकर उन्हें ऋण प्रदान किये गये?

(3) उक्त में से कितनों ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार स्थापित किये?

(4) उक्त आवेदन-पत्रों में से कितने प्रार्थना-पत्रों को ऋण सुविधा प्राप्त नहीं हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि बैंक शाखाओं को ऋण प्रदान करने में बरती जा रही कौताही के कारण स्वीकृत ऋण में बेरोजगारों को प्राप्त हुये?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993 में 24549 युवाओं ने ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किये। जिलेवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ए")

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों में से भारत सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा साक्षात्कार कर 3251 युवाओं का चयन किया गया तथा बैंकों द्वारा 1257 युवाओं को ऋण स्वीकृत कर उनमें से 842 युवाओं को ऋण प्रदान करवाया गया।

(3) 842 युवाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार स्थापित किये गये।

(4) ऋण स्वीकृत युवाओं में 415 युवाओं को ऋण सुविधा प्राप्त नहीं हुई। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "ए")

(5) जी नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा राजस्थान में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। योजना के प्रावधान के अनुसार ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भारत सरकार से निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया जाता है। कुछ आवेदकों द्वारा बैंकों की औपचारिकताएं जैसे कि किरायानाम, आवश्यकतानुसार कोलेटरल सिक्युरिटी, मशीनों के कोटेशन तथा बिजली के कनेक्शन आदि में प्रभावी कदम नहीं उठाने के कारण ऋण वितरण नहीं हो पाता है। गत वर्षों की स्वीकृत एवं वितरण विवरण निम्नप्रकार से है :—

(उद्योग मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत संख्या	ऋण वितरण संख्या
1.	93-94	1410	1257	842
2.	94-95	8300	7666	5152
3.	95-96	10400	10273	6806
4.	96-97	10400	10632	7273
5.	97-98	14300	13319	8969
6.	98-99	16300	14724	9876
7.	99-2000	16100	16011	11181
8.	2000-2001	16600	16756	7738

(ऋण वितरण 10/2001 तक किया जा सकता है)

परिशिष्ट "ए"

प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष-1993-94

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं.	बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र सं.	स्वीकृत संख्या	ऋण वितरण संख्या	जिन्हें ऋण वितरण नहीं हुआ सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	100	289	289	106	72	34
2.	अलवर	45	841	113	46	31	15
3.	बांसवाड़ा	12	56	26	12	11	1
4.	बारां	18	50	38	18	17	1
5.	बाड़मेर	20	257	41	16	10	6
6.	भरतपुर	45	475	101	35	21	14
7.	भीलवाड़ा	45	1322	88	45	31	14
8.	भिवाड़ी	—	जिला उद्योग केन्द्र का गठन नहीं हुआ था।				

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	बीकानेर	67	702	123	47	40	7
10.	बूंदी	18	462	52	17	15	2
11.	चित्तौड़गढ़	32	238	61	32	25	7
12.	चूरू	62	521	139	70	55	15
13.	दौसा	17	270	46	17	10	7
14.	धौलपुर	18	108	30	18	11	7
15.	डूंगरपुर	9	25	7	4	3	1
16.	हनुमानगढ़	—	जिला उद्योग केन्द्र का गठन नहीं हुआ था।				
17.	जयपुर	245	9594	605	140	52	88
18.	जैसलमेर	8	66	16	8	7	1
19.	जालौर	11	58	23	8	5	3
20.	झालावाड़	21	302	31	20	15	5
21.	झुंझुनूं	46	832	92	48	30	18
22.	जोधपुर	108	1123	223	86	50	36
23.	कोटा	88	2572	172	80	50	30
24.	नागौर	48	404	104	47	35	12
25.	पाली	43	295	121	38	27	11
26.	राजसमन्द	16	108	41	15	9	6
27.	सवाईमाधोपुर	40	715	88	44	33	11
28.	सीकर	54	494	87	53	33	20
29.	सिरोही	17	96	38	17	10	7
30.	श्रीगंगानगर	77	1456	179	81	62	19
31.	टौंक	26	48	63	29	25	4
32.	उदयपुर	54	770	214	60	47	13
		1410	24549	3251	1257	842	415

बारां आगार से संचालित बन्द बस सेवा

386. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बारां आगार से लम्बे रूट पर चलने वाली बसें बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से रूट की बसें किस कारण से बन्द की गई ?

(2) क्या उक्त बसों को बन्द करने से जनता को असुविधा हुई है ? यदि हां, तो बारां जिला मुख्यालय से उक्त बसों को वापस चालू करवाने की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। बारां आगार से लम्बे रूटों की बन्द की गई बस सेवाओं तथा कारणों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट "1" के क्रम संख्या 1, 2 तथा 6 में वर्णित सेवाओं को कम आय व कम यात्रीभार के कारण बन्द करना पड़ा है जिनका पुनः संचालन वर्तमान में सम्भव नहीं है। जबकि क्रम संख्या 3 से 5 की सेवाएं अन्य आगारों को स्थानान्तरित की गई है जिसका लाभ यात्रियों को यथावत मिल रहा है।

परिशिष्ट "1"

बारां आगार की लम्बी दूरी की बन्द कर दी गई बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	समय	बन्द करने की दिनांक	कारण
1.	बारां-इन्दौर वाया मनोहरथाना	1600 2000	21.9.99	कम यात्रीभार औसत 40 प्रतिशत
2.	बारां-जोधपुर वाया मसूदा	1700 2100	10.6.2000	कम यात्रीभार 43 प्रतिशत
3.	बारां-उदयपुर वाया चित्तौड़गढ़	1800 2000	1.5.2000	बून्दी आगार को स्थानान्तरित
4.	बारां-उदयपुर वाया झालावाड़-रामगंजमण्डी	1430 2030	1.5.2000	झालावाड़ आगार को स्थानान्तरित
5.	बारां-इन्दौर वाया झालावाड़	1800 1800	1.5.2000	टौंक आगार को स्थानान्तरित
6.	बारां-भोपाल वाया छबड़ा	0600 0730	1.5.2000	भीलवाडा आगार को स्थानान्तरित (कम आय व यात्रीभार के कारण जनवरी, 2001 से संचालन बन्द)

मृतक आश्रित कर्मचारियों का अधिशेष प्रकरण

387. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 से अब तक मुंशी के पदों से कनिष्ठ लिपिक बनाये गये हैं? क्या मृतक आश्रित नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को अधिशेष घोषित कर अन्य विभागों में लगाया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कनिष्ठ लिपिकों से जूनियर मुंशी जो आज भी विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान में अधिशेष हैं क्या उन्हें भी पहले अन्य विभागों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जावेगा?

(3) क्या सरकार भविष्य में सेवा निवृत्ति से रिक्त होने वाले मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर इन्हीं अधिशेष कर्मचारियों को लगायेगी या नयी नियुक्ति का विचार है?

(4) क्या उक्त अधिशेष मृतक आश्रित कनिष्ठ लिपिकों में वे भी शामिल हैं जो अन्य विभागों से मृतक कर्मी अनुकम्पा नियम, 1996 के अन्तर्गत उक्त विभाग द्वारा रिक्त पद की सूचना के आधार पर इन्हें इस विभाग में नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो मृतक आश्रित कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1993 से मार्च, 1996 तक मुंशी पदों से कनिष्ठ लिपिक बनाये गये हैं। जी नहीं, अधिशेष घोषित नहीं किया गया है।

(2) वर्तमान में कोई मुंशी अधिशेष नहीं है।

(3) व (4) जी, नहीं।

नगरपरिषद क्षेत्र ब्यावर शहर में भू-खण्डों के पट्टों का वितरण

388. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपरिषद क्षेत्र ब्यावर शहर में भू-खण्डों के पट्टे वितरण की क्या व्यवस्था है? वर्तमान में कब से भू-खण्डधारियों को पट्टे वितरण पर क्यों रोक है?

(2) अब तक कितने आवेदकों के पट्टे देने हैं? उक्त पट्टे कब तक दे दिये जायेंगे? उक्त क्षेत्र के भू-खण्डधारियों को पट्टे वितरण हेतु अब क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर

(1) नगरपरिषद, ब्यावर क्षेत्र में राजकीय अध्यादेश दिनांक 17.6.99 द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण अधिनियम, 1981 निरस्त कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए व 90-बी की

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कार्यवाही के बाद भूखण्ड/निर्मित भवनों के पट्टे जारी किये जाने की व्यवस्था है। धारा 90-बी की कार्यवाही हेतु प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण दिनांक 12.3.2001 से पट्टे वितरित नहीं हो पा रहे हैं।

(2) अब तक कुल 108 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 17 पट्टे दे दिये गये हैं। शेष पर कार्यवाही की जा रही है।

खनिज अभियन्ता, जयपुर के अधीन मार्बल खानों से आय

389. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) एवं **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खनिज अभियन्ता, जयपुर के अधीन मार्बल की खानें हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? वर्ष 1990 से मार्च, 2000 तक की स्थिति क्या है? उक्त जिले में वन क्षेत्र के अधीन को कितनी खानें कब से बन्द हुई और कितने खनन पट्टों में न्यायालय में केस चल रहे हैं? उक्त प्रकरणों की वजह से कितनी राशि रुकी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रायल्टी का निर्धारण प्रति वर्ष होता है? यदि हां, तो अब तक कितनी रायल्टी निर्धारण होना शेष है? क्या बकाया पट्टों का निस्तारण करने में कोई व्यवधान या परेशानी आ रही है? यदि हां, तो क्या और क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र के मार्बल पट्टा धारियों की खानों का एसेसमेंट कब-कब कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर खनिज अभियन्ता के अधीन वर्ष 2000 से मार्च, 2001 तक व वर्ष 1999 से मार्च, 2000 तक की आय 11 करोड़ के लगभग थी तथा वर्तमान में कितनी है और आय गिरावट क्यों रहीं?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। खनिज अभियन्ता, जयपुर के क्षेत्राधिकार में मार्बल के खनन पट्टे हैं। उनका विवरण 1990 से मार्च, 2000 तक संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित है। खनिज मार्बल को वन क्षेत्र के अधीन 30 खानें उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बन्द हुई, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है। खनिज मार्बल के 21 खनन पट्टों के न्यायालय में केस चल रहे हैं, इन प्रकरणों की वजह से रुपये 87,85,910.00 की राशि रुकी हुई है। जिसका विवरण परिशिष्ट-3 में अंकित है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(2) जी हां, खनन पट्टों के पंजीयन तिथि से प्रत्येक एक वर्ष बाद रायल्टी निर्धारण देय होता है। मार्बल के 92 खनन पट्टों में वर्तमान में 379 अधिशुल्क निर्धारण के मामले बकाया हैं। बकाया अधिशुल्क निर्धारण पट्टेधारियों द्वारा वांछित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने एवं न्यायालय में मामले विचाराधीन होने से लम्बित है, जिनका विवरण परिशिष्ट-4 में अंकित है।

(3) विवरण परिशिष्ट-4 में दिया हुआ है।

(4) जी हां; वर्ष 1999 से मार्च, 2000 तक की आय 10.54 करोड़ हुई थी। वर्ष 2000 से मार्च, 2001 तक की आय 11.119 करोड़ रुपये हुई है। अतः आय में गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 की तुलना में गिरावट नहीं हुई है बल्कि आय बढ़ी है।

(5) जी नहीं, आय में गिरावट नहीं हुई है। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अकलेरा व मनोहरथाना (झालावाड़) में सिविल न्यायालय की स्थापना

390. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर अकलेरा जिला झालावाड़ में कुल कितने सिविल न्यायालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील क्षेत्र अकलेरा व मनोहरथाना के थानों का बंटवारा होकर पृथक-पृथक सिविल न्यायालय में सुनवाई की जाती है? क्या यह सही है कि तहसील मनोहरथाना के थाना दांगीपुरा, मनोहरथाना, जावर के मामलों की सुनवाई हेतु एक सिविल न्यायालय अलग है तथा तहसील अकलेरा क्षेत्र के थानों के लिए पृथक सिविल न्यायालय में सुनवाई की जाती है?

(3) क्या सरकार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक सिविल न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो तहसील मनोहरथाना में कब तक सिविल न्यायालय खोला जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में न्यायिक विभाग द्वारा मनोहरथाना में सिविल न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव लिया जाकर मनोहरथाना में न्यायालय हेतु भवन का मौका देखा गया था? यदि हां, तो अब कब तक न्यायालय खोला जायेगा।

उत्तर

(1) नगर अकलेरा जिला झालावाड़ में तीन सिविल न्यायालय हैं जिनकी सूची निम्नप्रकार है :—

(विधि मंत्री)

1. अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, अकलेरा।

2. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ-खण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अकलेरा।

3. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अकलेरा।

(2) जी हां। तहसील क्षेत्र अकलेरा में मनोहरथाना के थानों का बंटवारा होकर पृथक-पृथक सिविल न्यायालयों में सुनवाई की जाती है। यह भी सही है कि तहसील मनोहरथाना के थाना दांगीपुरा, मनोहरथाना व जावर के मामलों की सुनवाई सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अकलेरा में की जाती है तथा तहसील अकलेरा क्षेत्र के अकलेरा, घाटोली व भालता की सुनवाई अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अकलेरा में की जाती है।

(3) किसी तहसील मुख्यालय पर नवीन सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर, न्यायालय हेतु मूलभूत सुविधाओं जैसे न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन की उपलब्धता पर तथा माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

मनोहरथाना में सिविल न्यायालय स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय को परामर्श/सहमति हेतु भेजा गया लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय से इस बारे में सहमति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहमति प्राप्त होने पर ही सिविल न्यायालय खोला जाना सम्भव होगा।

(4) जी, हां। यह सही है कि मनोहरथाना में सिविल न्यायालय स्थापित करने हेतु न्याय विभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रस्ताव/परामर्श/सहमति हेतु भेजा गया था, लेकिन मौका देखने की कार्यवाही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश, झालावाड़ से इस संबंध में सूचना मांगने पर जिला न्यायाधीश, झालावाड़ द्वारा ही की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर मनोहरथाना में न्यायालय स्थापित करना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र डीग की सम्पर्क सड़कों की मरम्मत

391. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की मरम्मत के लिए बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

(श्री अरुण सिंह)

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डीग की विभिन्न सम्पर्क सड़कों की मरम्मत हेतु वर्ष 2000-2001 में कितनी राशि स्वीकृत की गई थी तथा उसमें से कितनी सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?

(3) सरकार की इस वर्ष के बजट में कितनी नयी सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। इन सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। उक्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। बोर्ड ने इस हेतु धन राशि भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी थी।

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग की सम्पर्क सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 2000-2001 में कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अतः निर्माण का कोई प्रश्न नहीं है।

(3) जी, नहीं। मण्डी समिति डीग के पास नयी सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है।

श्रीगंगानगर का नाबालिग विवाह प्रकरण

392. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर के जिला कलक्टर को श्री धन्नाराम निवासी चक 73 एन.पी. ने श्री सुरजाराम निवासी 2 जी.डी. घड़साना द्वारा अपने नाबालिग दो पुत्रों की शादी करने की शिकायत 1 मार्च, 2001 के प्रथम सप्ताह में की गई थी? यदि हां, तो जिला कलक्टर ने शादी अधिनियम के उल्लंघन पर क्या कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय विधायक के दबाव के कारण जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना सम्बन्धित थाना अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी ने नहीं की है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला कलक्टर ने परिवाद प्राप्त होने पर कार्यवाही हेतु जिला पुलिस अधीक्षक को उसी दिन भिजवा दिया। पुलिस अधीक्षक ने उसी रोज वितन्तु संदेश से कार्यवाही करने हेतु थानाधिकारी/तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देश प्रदान किये। थानाधिकारी, घड़साना द्वारा वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये, जिसके अनुसार उनकी जन्म तिथि ओमप्रकाश 10.1.79, मोहन 4.2.80, भोलेश कुमारी 18.8.78 व धनेश कुमारी 15.2.80 है। अर्थात दोनों वर व दोनों

(गृह मंत्री):

वधू बालिग थे ऐसी अवस्था में शादी अधिनियम का उल्लंघन ही नहीं हुआ।

(2) जी, नहीं। चूंकि वर-वधू बालिग थे अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जिला चूरू में वृक्षारोपण

393. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में जिला चूरू में वन विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त व्यय राशि से कितना भू-भाग मरूस्थल से बदला गया ?

(3) गत पांच वर्षों में सड़कों के किनारे कितना वृक्षारोपण किया गया ?

उत्तर

(1) जिला चूरू में गत पांच वर्षों में वन विभाग द्वारा कुल 1175.83 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। इस राशि में से 604.65 लाख रुपये का व्यय वृक्षारोपण कार्यों पर एवं शेष 571.18 लाख रुपये का व्यय संस्थापन पर किया गया है।

(2) जिला चूरू में वृक्षारोपण कार्यों पर व्यय की गई राशि से 2155 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है तथा 2855 हैक्टेयर पूर्व के वृक्षारोपण का संधारण किया गया है।

(3) जिला चूरू में गत पांच वर्षों में सड़कों के किनारे 490 पंक्ति किलोमीटर वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है।

सुहित शिक्षा समिति सांगोद द्वारा संचालित संस्थाओं को अनुदान

394. श्री शिवनाथ सिंह कुशवाह (धौलपुर), श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुहित शिक्षा समिति द्वारा सांगोद में निराश्रित गृह व डे-केयर सेंटर भी चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त निराश्रित बाल गृह नियमों में निहित मानदण्डों के अनुसार चल रहा है ? क्या उक्त संबंध में उक्त संस्था का मुख्य बालक अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 28.2.2001 को जांच कर दिनांक 2.3.2001 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया ? यदि हां, तो उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर क्या-क्या अनियमितताएं सामने आई हैं तथा जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में 1 से 11 तक के बिन्दुओं में क्या लिखा है ?

(3) क्या उक्त बिन्दुओं में उल्लेखित निष्कर्ष के आधार पर उक्त संस्था को अनुदान दिया जा सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? यदि नहीं तो फिर डे-केयर सेंटर का अनुदान क्यों जारी किया गया ?

(श्री शिवनाथ सिंह कुशवाह)

(4) क्या उक्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर उक्त संस्था का निराश्रित बाल गृह एवं डे-केयर सेंटर हेतु अनुदान दिया जा सकता है? यदि नहीं, तो उक्त संस्था की मान्यता कब तक समाप्त कर दी जावेगी?

(5) क्या यह सही है कि मुख्य बालक अधिकारी की जांच के बाद कोटा के उप निदेशक को धमका कर झूठा जांच प्रतिवेदन मंगवाकर डे-केयर सेंटर को अनुदान जारी कर दिया गया तथा निराश्रित बाल गृह को भी अनियमित तरीके से अनुदान जारी कर दिया जायेगा? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या उक्त फर्जी संस्थाओं में अधिकतर एक ही गांव व समुदाय के लोग लाभार्थी लाभ ले रहे हैं? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी, हां। सुहित शिक्षा समिति द्वारा सांगोद में एक निराश्रित बाल गृह तथा एक डे-केयर सेंटर (देखभाल केन्द्र) का संचालन किया जा रहा है। दोनों योजनाओं का संचालन उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार निहित मानदण्डों के अनुरूप चलाया जाना पाया गया।

मुख्य बालक अधिकारी का जांच प्रतिवेदन निदेशालय में दिनांक 19.3.2001 को प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डे-केयर सेंटर के अनुदान पर रोक लगा दी गई थी। परिशिष्ट "1"

निराश्रित बाल गृह का अनुदान माह जुलाई, 2000 के बाद नहीं दिया गया है।

(2) मुख्य बालक अधिकारी द्वारा उल्लेखित अनियमितताओं एवं निष्कर्ष के बिन्दु संख्या 1 से 11 की प्रति (परिशिष्ट "2") पर अवलोकनीय है।

(3) डे-केयर सेंटर हेतु अनुदान जिला कलक्टर, कोटा के प्रतिनिधि तथा उप निदेशक, समाज कल्याण, विभाग कोटा की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 29.3.2001 को स्वीकृत किया गया था। दिनांक 31.3.2001 को मुख्य बालक अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भुगतान पर रोक लगा दी गई। (परिशिष्ट "1")

जांच रिपोर्ट में बतलाई गई कमियों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी तथा अनुदान शर्तों की पूर्ण पालना होने पर ही अनुदान दिये जाने पर विचार किया जावेगा।

(4) दो अधिकारियों की संतोषप्रद तथा मुख्य बालक अधिकारी की असंतोषजनक रिपोर्ट होने के कारण पुनः विस्तृत जांच एवं अंकेक्षण की कार्यवाही की जावेगी तथा नियमानुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, नहीं।

(परिशिष्टों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्राम

395. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में अविद्युतीकृत कितने ग्राम हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के बोरकुण्डा, गुन्दीगला, सरसीयाघाड़ा, हिण्डोलीया, काकनिया आदि ग्रामों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) उक्त क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन के प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन पत्रों के मांग-पत्र जारी कर कितने कनेक्शन दिये गये हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में माह मार्च, 2001 के अन्त तक अविद्युतीकृत रहे ग्रामों का पंचायत समितिवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	अविद्युतीकृत ग्राम		कुल ग्राम
		आबाद	गैर आबाद	
1.	आनन्दपुरी	15	—	15
2.	बागीडौरा	21	—	21
3.	घाटोल	21	04	25
4.	कुशलगढ़	10	01	11
5.	पीपलखूंट	45	12	57
6.	गढ़ी	—	03	03
7.	तलवाड़ा	26	03	29
8.	सज्जनगढ़	31	03	34
	योग	**169**	**26**	**195**

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी, नहीं। ग्राम सरसीयापाड़ा (कोड-24/5/141) जो डूब क्षेत्र में है को छोड़ कर शेष सभी ग्राम पारम्परिक एवं गैर परम्परागत साधनों से विद्युतीकृत घोषित हैं। ग्राम बोरकुण्डा एवं गुण्डीकलां रेडा द्वारा विद्युतीकृत दर्शाये हुए हैं।

(3) रेडा द्वारा विद्युतीकृत ग्राम बोरकुण्डा एवं गुण्डीकलां का विद्युतीकरण, आगामी वर्षों में निकटतम विद्युत तंत्र से साध्य पाये जाने पर सम्भव है।

(4) उक्त क्षेत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2001 तक घरेलू कनेक्शन हेतु कुल 626 आवेदन प्राप्त हुए। जिनकी ग्रामवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) उक्त क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन हेतु प्राप्त 626 आवेदन पत्रों में से 268 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये हैं व मांग पत्र की राशि जमा कराने वाले व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले 195 आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं, जिनकी ग्रामवार संख्या उपरोक्त सूची परिशिष्ट "अ" में दर्शा दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र धोद की अपूर्ण सड़कें

396. श्री अमराराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सड़कें अपूर्ण हैं। यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम डामर सड़क से नही जुड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार उक्त अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। धोद विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत 11 सड़कें अपूर्ण हैं। ये कार्य मुख्यतः समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं कराये जा सके।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में कुल 54 ग्राम डामर सड़क से जुड़े हुये नहीं है। सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) अब सरकार उक्त 11 अपूर्ण सड़कों में से 7 सड़कों के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक पूर्ण कराने का विचार रखती है। शेष 4 सड़क के कार्यों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

1000 से ऊपर की आबादी के ग्राम

क्र. सं.	मेटल सड़क से जुड़े हुए गांव	ग्रेवल सड़क से जुड़े गांव	बिना जुड़े हुए ग्राम
1	2	3	4
1.	मोरडूंगा (2134)	1. जाना (1239)	1. ताजसर खोजड़ोतियान (1320)
2.	गोठड़ा तेलगान (2117)	2. मंगरासी (1220)	2. पुरा छोटी (1738)
3.	गूनादू (1882)	3. सामी (2414)	3. जाचास (1507)
			4. जस्सूपुरा (1114)
4.	ढाणी लाखरान (1680)	योग 3 ग्राम	योग 4 ग्राम
5.	खाकोली (1538)		
6.	माण्डोली (1354)		
7.	सुजानपुरा (1285)		
8.	परडोली बड़ी (1254)		
9.	श्यामपुरा (1487) के.यु.एम.		
10.	सांवलोदा पुरोहितान (2720)		
11.	सांवलोदा धयलान (1761) के.यू.एम.		
12.	बिडोली (1418)		
13.	पूर्णपुरा (1231)		
14.	मुकन्दपुरा (1078)		
15.	देवगढ़ (1630)		
16.	चिड़ासरा (1929)		
	योग 16 ग्राम	कुल योग 23 ग्राम	

परिशिष्ट "अ"

500 से 1000 तक की आबादी वाले ग्राम

क्र. सं.	मेटल सड़क से जुड़े हुए गांव	ग्रेवल सड़क से जुड़े गांव	बिना जुड़े हुए ग्राम
1	2	3	4
1.	फकीरपुरा (752)	1 देवासी (943)	1. भूकरोंका बास (675)
2.	माजीपुरा (840)	2. झुनका बास (678)	2. झीगर बड़ी (503)
3.	चोखा का बास (769)	योग - 2 ग्राम	3. परडोली छोटी (885)
	योग - 3 ग्राम		4. चारणका बास (621)
			5. जुगतपुरा (594)
			6. सोसिया का बास (771)
			7. खुर्दी (697)
			8. भैरूपुरा (856)
			9. साडवा (672)
			10. भड़कासली (917)
			11. गणेशपुरा (643)
			12. हुकमपुरा (618)
			13. भीखणवासी (679)
			14. कंवरपुरा (932)
			15. अर्जुनपुरा (908)
			16. गुमानपुरा (650)
			योग – 16 ग्राम
	कुल योग 21 ग्राम		

परिशिष्ट "अ"

500 से नीचे की आबादी के गांव

क्र. सं.	मेटल सड़क से जुड़े हुए गांव	ग्रेवल सड़क से जुड़े गांव	बिना जुड़े हुए ग्राम
1	2	3	4
		1. चंदेली का बास (414)	1. हमीरपुरा (137)
			2. खारसांडू (405)
		योग 1 ग्राम	3. शास्त्री नगर (272)
			4. रूपपुरा (426)
			5. ओला की ढाणी (134)
			6. रावख्सपुरा (418)
			7. बिजारणियों की ढाणी (383)
			8. ढाणी सेवाराम (242)
			9. हरिपुरा (296)
			योग - ग्राम 9 ग्राम
	कुल योग 10 ग्राम		

उपरोक्त ग्रामों से 1000 से अधिक आबादी के 23 ग्राम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2003 तक, 500 से 1000 के बीच की आबादी के 21 ग्रामों को वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। शेष रहे 10 ग्रामों को जिनकी आबादी 500 से कम है, को वर्तमान में डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-620 का विवरण)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
कर अनुभाग

अधिसूचना

जयपुर, 12 मार्च, 1997

एस.ओ. 309 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का राजस्थान अधिनियम सं. 22) की धारा 100 और राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 74 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4(8) एफ.डी/ग्रुप-4/94-53 दिनांक 07.03.1994 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, लघु क्षेत्र में केवल महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय को इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर कर से छूट देती है, अर्थात :

1. इस अधिसूचना के अधीन के फायदे उन इकाइयों को उपलब्ध होंगे जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ करती है,
2. ऐसी महिला उद्यमी, ऐसी छूट के लिए सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन) को आवेदन करेगी जो ऐसी इकाई की पात्रता के बारे में समाधान होने पर छूट प्रमाण-पत्र जारी करेगा,
3. ऐसा छूट प्रमाण-पत्र, उस निर्धारण वर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है से प्रारम्भ होने वाली चार वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी, और
4. इस अधिसूचना के अधीन के फायदे 5 लाख रुपये के सकल पण्यावर्त तक उपलब्ध होंगे। जहां वार्षिक सकल पण्यावर्त इस सीमा से अधिक हो वहां कर पांच लाख रुपये से अधिक के पण्यावर्त पर वस्तु के लिए अधिसूचित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : लघु क्षेत्र से कोई ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित की जाये।

(संख्या एफ. 4(1) वित्त/कर अनु/97-111)
राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
शासन उप सचिव

परिशिष्ट "अ"

FINANCE DEPARTMENT
TAX DIVISION
NOTIFICATION
Jaipur, March, 26, 1999

S.O.441. In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, hereby makes the following amendments, in this Department's Notification No. F.4(1)FD/Tax Div./97-111 dated : 12.0.1997, namely :

AMENDMENT

The said notification-

In condition No. 4 for the existing expression "gross turnover of Rs. lacs" the expression "gross turnover of Rs. 20 lac" shall be substituted.

[No, F.4(4) FD/Tax Div./99-1.44]
By order of the Governor,
Sd/-
Deputy Secretary to Government

परिशिष्ट "ब"

प्रपत्र 'A' [Form 'A' देखिये]

प्रार्थना पत्र—विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ से बनाने/विक्रय/भण्डारण के लिए।

मैं/हम.............................निवासी...................व्यवसाय............................ विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ बनाने/विक्रय/वितरण हेतु लाइसेंस दिये जाने के लिए प्रार्थना करता हूं/करते हैं और लाइसेंस लागू होने वाली शर्तों के पालन करने की जिम्मेवारी लेता हूं/लेते हैं।

तारीख

हस्ताक्षर....................................
पूरा पता....................................

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-621 की सूची)

इक्यूटी सहायता दिनांक 31.3.2001 को स्थिति

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै. ए एस आई एल इण्डस्ट्रीज लि.	21,65,000
2.	मै. बी एम बी म्यूजिक एण्ड मेगनेटिक्स लि.	49,98,000
3.	मै. कम्प्यूकोम सोफ्टवेयर लि.	4,20,000
4.	मै. कोंटीनेटल पेट्रोलियम 1,89,750	
5.	मै. डर्बी टैक्स टाइल्स लि.	52,00,000
6.	मै. आई डी बी आई	44,46,000
7.	मै. जे सी टी लि.	1,87,93,400
8.	मै. जे के इण्डस्ट्रीज लि.	9,05,58,000
9.	वर्ल पूल लि.	6,87,352
10.	मै. माडर्न डेनिम लि.	2,00,000
11.	मै. माडर्न इन्सूलेटर्स लि.	1,30,00,000
12.	मै. मोदी एल्केलिज एण्ड केमीकल्स लि.	23,00,000
13.	मै. माडर्न सिंटेक्स (इण्डिया) लि.	11,00,000
14.	मै. माडर्न थ्रेडस (इण्डिया) लि.	55,15,044
15.	मै. पेसिफिक इण्डस्ट्रीज	1,50,00,000

1	2	3
16.	मै. पुन्सुमी इण्डिया लि.	54,80,400
17.	मै. ग्रीविस लि.	89,15,000
18.	मै. राठी ग्राफिक एण्ड टेक्नोलोजिज	56,00,000
19.	मै. सुदर्शन सीमेंट लि.	1,80,000
20.	मै. श्री राजस्थान सिंटेक्स लि.	85,33,000
21.	मै. श्री राजस्थान टेक्सचेम लि.	109,37,500
22.	मै. सुपर सिंकोटेक्स (इण्डिया) लि.	32,45,000
23.	मै. दी टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	2,47,396
24.	मै. यूनिक आरगेनिक्स लि.	18,75,000
25.	मै. यू टी आई बैंक लि.	4,45,200
26.	मै. विलवे फोर्ट इण्डिया लि.	25,000,00
27.	मै. विनसम बेविरिज लि.	50,00,000
28.	मै. बसेरा सीमेंट लि.	12,40,000
29.	मै. बांसवाड़ा फेब्रिस लि.	13,00,000
30.	मै. दुफा इण्डिया सेमी लि.	18,50,000
31.	मै. ई एफ एल फूड लि.	6,95,000
32.	मै. एच पी एम इण्डस्ट्रीज लि.	20,00,000
33.	मै. जे एल निट (इण्डिया) लि.	44,00,000
34.	मै. एम के ऐगजिम (इण्डिया) लि.	5,00,000
35.	मै. मुनांक गलवा शीट्स लि.	61,40,000

1	2	3
36.	मै. एम वी कोट्स पिन लि.	25,00,000
37.	मै. नेहा प्रोटिनस लि.	22,00,000
38.	मै. निहान निर्माण लि.	1,39,32,150
39.	मै. प्रताप राजस्थान कापर फोइल एण्ड लेमीनेटस लि.	1,09,90,000
40.	मै. पोलर मारमो एग्लो मेरा टेस लि.	18,50,000
41.	मै. पुलसुमी फोइल्स एण्ड कम्पोनेटस लि.	80,00,000
42.	मै. कारनव लेदस लि.	30,00,000
43.	मै. राजस्थान पोलिविन ट्यूब्स लि.	7,00,000
44.	मै. राजस्थान एक्सएलओ सनवा मिडलेण्ड लि.	42,28,000
45.	मै. रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लि.	10,00,000
46.	मै. सरार्फ पेपर मिल्स लि.	5,00,000
47.	मै. ए इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	50,00,000
48.	मै. स्टेण्ड फोर्ड इंजीनियर्रिंग लि.	10,50,000
49.	मै. स्वदेशी सीमेंट लि.	46,50,000
50.	मै. एक्सएलओ यूनाइटेड क्लच प्रोडेक्ट्स लि.	15,00,000
51.	मै. अभिषेक ग्रेनाइट्स लि.	5,20,000
52.	मै. एक्यूरेट एनसलरी प्रोडेक्ट्स लि.	4,00,000
53.	मै. क्राउन सेरामिक्स लि.	1,55,000
54.	मै. देव श्री सीमेंट लि.	8,48,000

1	2	3
55.	मै. डायमण्ड एण्ड जेम डवलपमेंट कारपो.	10
56.	मै. एकोन इण्डस्ट्रीज	50,00,000
57.	मै. इलैक्ट्रोनिक्स सर्कट्स लि.	17,00,000
58.	मै. ग्लोबल ग्रानी मारमो लि.	5,00,000
59.	मै. गोल्डन पोली मार्बल्स लि.	15,00,000
60.	मै. आई जी टेलेकोम लि.	35,70,000
61.	मै. जयपुर फोरजिंस एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स प्रा.लि.	3,50,000
62.	मै. जोधपुर इंजीजनियरिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि.	2,25,000
63.	मै. खबरोस स्टील्स (इण्डिया) लि.	8,00,000
64.	मै. माउल्ड वेल इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड प्लास्टिक लि.	5,00,000
65.	मै. माउन्ट ग्रेनाइट लि.	3,80,000
66.	मै. माउन्ट माल्ट ब्रु लि.	12,50,000
67.	मै. नेचुरल ग्रेनाइट्स लि.	40,00,000
68.	मै. परसवा पोलियार्म लि.	6,60,000
69.	मै. परफेक्ट थ्रेड विल्स लि.	13,75,000
70.	मै. पेरीवाल ब्रिक्स लि.	10,00,000
71.	मै. आर.एम.सी.मैड लि.	6,15,000
72.	मै. राजस्थान कम्यूनिकेशंस लि.	64,87,300
73.	मै. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि.	52,10,970

1	2	3
74.	मै. राजस्थान एक्सप्लोतव एण्ड केमि. लि.	1,00,00,000
75.	मै. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्टीटू. लि.	61,25,000
76.	मै. रिवोना इण्ड. लि.	50,00,000
77.	मै. सर्राफ सिंथेनिक्स लि. (राज) लि.	24,00,000
78.	मै. सेमकोर गिलास लि.	2,40,00,000
79.	मै. श्रीराम आयल एक्ट्रक्शन लि.	1,25,000
80.	मै. सियारा माइक्रो इलैक्ट्रोनिक्स लि.	25,00,000
81.	मै. श्रीशिवा स्पीनर्स लि.	7,00,000
82.	मै. सिरोस्मेंल्ट (इण्डिया लि.)	50,00,000
83.	मै. टेरीफेब (इण्डिया लि.)	25,00,000
84.	मै. मैसर्स थार सीमेंट लि.	22,75,000
85.	मै. केशरी वनस्पती प्रोडक्ट्स लि. (प्रीफरेंस)	50,00,000
86.	मै. राजस्थान कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन	1,00,000
	कुल राशि	**40,01,27,472**

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-622 की सूची)

परिशिष्ट "ए"

जयपुर नगर निगम, जयपुर

नगर निगम जयपुर में विगत तीन वर्षों में कुर्की से वसूली की सूची

क्र. सं.	नाम भवन स्वामी	वसूली			विशेष विवरण
		1997-98	1998-99	1999-2000	
1	2	3	4	5	6
1. मोती डूंगरी जोन					
1.	श्रीमती चन्दन देवी पत्नी पूनम चन्द, डी-146, बापूनगर	—	—	23,015.00	—
2.	श्री ओम प्रकाश सरावगी पुत्र श्री हरिकिशन, 49/1 कानोता बाग	—	—	14,588.00	—
3.	श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री मोहन लाल, 105/136 राजापार्क	—	—	15,000.00	—
4.	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री वैलीराम, 273-ए/233, राजापार्क	—	—	16,446.00	—
2. हवामहल जोन (पूर्व)		—	—	—	—
3. हवामहल जोन (पश्चिम)		—	—	—	—
4. विद्याधर नगर जोन		—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
5. सिविल लाइन जोन		—	—	—	—
1.	इण्डियन आयल 22 गोदाम	—	—	27,06,782	कुर्की की कार्यवाही की गई लेकिन सामान उठाने से पूर्व ही राशि जमा करा दी गई।
2.	भारत पेट्रोलियम 22 गोदाम, जयुपर	—	—	61,23,521.00	
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 22, गोदाम, जयपुर	—	—	20,06,209.00	
6. सांगानेर जोन					
1.	इण्डियन इंस्टीट्यूट जनरल मेनेजमेंट मानसरोवर, जयपुर			5,69,000.00	2000-2001 में वसूली।
2.	वैदिक कन्या महाविद्यालय			5,65,000.00	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

ह०/-
आयुक्त (विधान सभा)
जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट "बी"

जयपुर नगर निगम, जयपुर

हवामहल जोन (पूर्व) में गत तीन वर्षों में 10-10 व्यक्तियों/संस्थाओं से अधिक गृहकर वसूल किया उनकी सूची

क्र.सं.	नाम गृहकरदाता	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	कृषि उपज मण्डी समिति	214,572.37	2,71,715.00	2,71,715.00
2.	ठिकाना महावीरजी दिगम्बर जैन मन्दिर	63,249.00	73,368.00	73,368.00
3.	जीवन बीमा निगम	36,105.87	37,294.00	37,294.00
4.	त्रिलोक सिंह रघुवीर सिंह	31,228.87	31,228.00	31,228.00
5.	हनुमान सहाय	15,400.00	73,506.00	73,506.00
6.	श्रीमती ललिता देवी	10,125.00	10,125.00	10,125.00
7.	अंकुर सिनेमा	24,291.00	24,291.00	24.291.00
8.	सम्राट सिनेमा	20,555.00	20,556.00	22,974.00
9.	पारस सिनेमा	15,984.00	16,558.00	18,506.00
10.	ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया	13,770.00	20,250.00	20,250.00
सिविल लाइन जोन				
1.	वालकृष्ण कमिर्शियल कं. मार्फत आजाद भवन	2,65,925.00	2,65,925.00	2,65,925.00
2.	होटल मानसिंह संसार चन्द्र रोड	1,23,858.00	1,23,858.00	1,23,858.00
3.	होटल जयमंगल पैलेस	1,01,849.00	1,01,849.00	1,01,849.00
4.	भारतीय खाद्य निगम	2,65,277.00	2,65,277.00	2,65,277.00
5.	भारतीय स्टेट बैंक	3,42,319.00	3,42,319.00	3,42,319.00

1	2	3	4	5
6.	राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक	2,73,362.00	2,73,362.00	2,73,362.00
7.	शुभम एक्सपोर्ट एवं अनुपम एक्सेज	2,11,037.00	2,11,037.00	2,11,037.00
8.	कृषि विपणन बोर्ड कृषि भवन	2,25,000.00	2,25,000.00	2,25,000.00
9.	राजस्थान राज्य वित्त निगम	2,19,750.00	2,19,750.00	2,19,750.00
10.	स्टेट बैंक बी. एण्ड जयपुर	6,12,213.00	6,12,213.00	6,12,213.00
मोती डूंगरी जोन				
1.	होटल राज विलास ओबेराय ग्रुप, गोनेर रोड जयुपर जे-17	—	11,78,316.00	12,37,230.00
2.	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया स्टाफ कालोनी, बजाज नगर जे-4	4,35,723.00	10,62,525.00	10,62,525.00
3.	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया मुख्य भवन, जे-4	5,16,703.00	8,45,750.00	8,45,750.00
4.	भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्ट्स मालवीय नगर, जे-24	3,73,562.50	5,45,595.00	5,45,595.00
5.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) स्टाफ क्वार्ट्स मालवीय नगर जे-24	1,94,711.00	5,23,826.00	5,23,826.00
6.	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया आफिसर्स क्वार्ट्स बजाज नगर	2,77,083.00	3,93,856.00	3,93,856.00
7.	पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ क्वार्ट्स मालवीय नगर, जे-24	2,03,306.68	3,51,352.00	3,51,352.00
8.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया सांगानेरी गेट जयपुर	1,12,142.52	2,43,431.00	2,43,431.00

1	2	3	4	5
9.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, स्टाफ क्वार्ट्स मालवीय नगर, जे-24	1,15,467.62	2,42,726.00	2,42,726.00
10.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन, स्टाफ क्वार्ट्स मालवीय नगर	1,02,348.00	1,02,348.00	1,02,348.00
सांगानेर जोन				
1.	टैगोर विद्या भवन मानसरोवर	5,400.00	10,125.00	54,000.00
2.	होटल क्लार्क आमेर (जे.एल.एन.मार्ग)	1,30,815.00	1,30,815.00	1,30,815.00
3.	संगम सिनेमा सांगानेर	11,514.25	12,564.40	12,564.40
4.	हैण्डमेड पेपर इण्डस्ट्रीज सांगानेर	17,815.00	20,250.00	20,250.00
5.	सैंट्रल अकेडमी स्कूल महावीर नगर	10,125.00	10,125.00	10,125.00
6.	दी बैंक आफ राजस्थान मार्फत रेजीडेंट इंजीनियर प्रताप नगर	10,125.00	10,125.00	10,125.00
7.	श्री कंटेनर्स प्रा. लि. दुर्गापुरा	32,400.00	32,400.00	32,400.00
8.	श्री मंगलम उद्योग दुर्गापुरा	2,025.00	2,025.00	11,475.00
9.	भारतीय तेल निगम टोंक रोड	2,39,654.00	2,39,654.00	2,39,554.00
10.	भारतीय पैट्रोलियम कारपोरेशन टोंक रोड	1,81,233.00	2,03,732.84	2,03,732.84

ह०/-
आयुक्त (विधान सभा)
जयपुर नगर निगम

एनेक्चर "बी"

विद्याधर नगर जोन में गत तीन वर्षों में 10 व्यक्तियों/संस्थाओं से अधिक गृह-कर वसूल किया उनकी सूची

क्र.सं.	संस्था/व्यक्ति का नाम व पता	वर्ष 1997-98		वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000	
		कुल राशि	जमा राशि छूट सहित	कुल राशि	जमा राशि छूट सहित	कुल राशि	जमा राशि छूट सहित
1.	मै. महारानी पैलेस होटल, स्टेशन रोड, जयपुर	1,28,351.00	1,09,098.00	1,28,351.00	1,09,098.00	1,28,1351.00	1,09,098.00
2.	मै. होटल जयपुर अशोक, कलक्ट्री सर्कल, जयपुर	1,06,907.00	90,871.00	1,06,907.34	90871.00	1,06,907.34	90,871.00
3.	टैगोर पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, जयपुर	70,875.00	60,243.00	70,875.00	60243.00	70,875.00	60,243.00
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम, सुभाष नगर	62,145.00	52,823.00	62,145.93	52823.00	62,145.93	52,823.00
5.	राजस्थान ट्यूरिजम डवलपमेंट कारपोरेशन	81,067.04	68,907.00	81,067.04	68907.00	81,067.04	68,907.00
6.	मोती महल सिनेमा, कलक्ट्री रोड, जयपुर	23,000.00	19,550.00	35,225.00	29941.00	63,643.00	63,643.00
7.	पंजाब ट्यूरिजम, विद्याधर नगर, जयपुर	36,249.25	30,812.00	36,249.25	30,812.00	36,249.25	30,812.00
8.	चन्द्रगुप्त होटल, स्टेशन रोड, जयपुर	29,812.94	25,341.00	40,407.30	34346.21	40,407.30	24,346.21
9.	होटल इन (शिव सर्कल, जयपुर)	27,000.00	22,950.00	27,000.00	22950.00	27,000.00	22,950.00
10.	होटल बिसाऊ, चांदपोल बाहर	22,288.00	19,381.00	22,288.00	19381.00	22,288.00	19,381.00

हवामहल जोन (पूर्व)

क्र.सं.	मकान संख्या	स्वामी का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	1478, सं.नं.17(बी) चौ. ह. शश. शुमाली	दा ट्राइडेन्ट जयपुर मैसर्स-इण्ड्स होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर	3,46,320/-	4,18,721/-	4,45,500/-
2.	एस-1, सं.नं.16, चौ. ह.शं.शं. शुमाली	क्राफ्टस पैलेस होटल, इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	1,26,900/-	1,26,900/-	1,26,900/-
3.	2558, सं.नं.15 चौ. विश्वेश्वरजी	प्रेम प्रकाश टाकीज	46,201/-	62,285/-	65,137/-
4.	1382-84, 1458 से 60 सं.सं.7 चौ. वि.जी.	गिर्राज कुमार-राधा राठी	21,114/-	23,169/-	23,169/-
5.	669 से 882 सं.नं.3 चौ. विश्वेश्वरजी	त्रिलोकीदास खण्डेलवाल पुत्र श्री दामोदरदास	14,393/-	16,191/-	16,191/-
6.	669 से 882 सं.नं.3 चौ. विश्वेश्वरजी	त्रिलोकीदास खण्डेलवाल पुत्र श्री दामोदरदास	12,453/-	31,891/-	31,891/-
7.	आतिश मार्केट चौ. सरहद	गायत्री देवी महारानी आतिश मार्केट	32,196/-	32,196/-	32,196/-
8.	941 से 46 सं.नं.10 चौ. मोदीखाना	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	60,349/-	2,77,929/-	2,77,929/-
9.	957-59 सं.नं.10 चौ. मोदीखाना	सन्तोष कुमार, अशोक कुमार, चन्द्रशेखर	26,558/-	26,558/-	26,558/-
10.	5 से 10 सं.नं.21 चौ. मोदीखाना	दी राजस्थान स्टेट को-आंपरेटिव बैंक लि. जयपुर	13,567/-	1,38,882/-	1,38,882/-

ह०/-
हवामहल जोन (पूर्व)

परिशिष्ट "सी"

जयपुर नगर निगम जयपुर

50 लाख से अधिक बकाया गृहकर की सूची

क्र.सं.	नाम फर्म/गृहकरदाता	बकाया राशि	विवरण
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर	6,05,94,024/-	
2.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग, जयपुर	1,37,54,637/-	
3.	बी.एम. बिड़ला साइन्स एण्ड, टेक्नोलोजी सेंटर जयपुर	1,66,06570/-	
4.	भारतीय विमान पतन प्राधिकरण हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर	5,89,35,947/-	

कुर्की नहीं करने के कारण का विवरण

1. इसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है।
2. बकाया वसूली हेतु राज्य सरकार से प्रयास किया जा रहा है।
3. बकाया के विरुद्ध आपत्ति गृहकर को प्रस्तुत की है जिसकी अपील गृहकर समिति में विचाराधीन है।
4. गृहकर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के बाद गृहकर समिति में अपील की गई जो दिनांक 21.3.2001 को खारिज कर दी गई। कुर्की गृहकर वसूली में कोई बाधा नहीं है।

ह०/-
आयुक्त (विधान सभा)
नगर निगम जयपुर

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-623 का विवरण)

आनन्दपुरी योजना में जारी पट्टों की सूची

क्र.सं.	भू.सं.	नाम पट्टेधारी
1	2	3
1.	बी-206	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री बिरधीचन्द
2.	बी-210	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह
3.	बी-5	श्री हरिनारायण पुत्र श्री छोटीलाल
4.	बी-99	श्री फूलचंद पुत्र श्री देवीलाल एवं श्री गोपाल
5.	बी-42	श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री चांदमल
6.	बी-278	श्री रामलाल पुत्र श्री नाथूलाल
7.	बी-258	श्रीमती गुलाब देवी बेवा घनश्याम एवं भामराज पुत्र श्री घनश्याम
8.	बी-129	श्री सुशीला देवी पत्नी कमल सिंह
9.	बी-108	श्री महादेव पुत्र चौथू
10.	बी-107-बी	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कजोड़ूमल
11.	बी-66	श्री गोविंद नारायण पुत्र श्री मूलचंद
12.	बी-67	श्री मूलचंद पुत्र श्री महादेव
13.	बी-68	श्री गणेशलाल पुत्र श्री महादेव
14.	बी-71	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री महादेव
15.	बी-75	श्री कसले खां जांबाज पुत्र श्री अ. रजाक
16.	बी-76	श्री रामलाल पुत्र श्री जयनारायण
17.	बी-78	श्री लादूराम पुत्र श्री नारायण
18.	पी-4	श्री मूलचन्द पुत्र श्री भूरामल
19.	पी-10	श्री भंवरलाल टांक पुत्र श्री गंगाराम
20.	पी-26	श्री मांगीलाल पुत्र छोटू

1	2	3
21.	ई-15	श्री मूलचन्द पुत्र श्री कानाराम
22.	ई-14	श्री खैरीलाल पुत्र भैरूलाल
23.	ई-12	श्री रामचन्द पुत्र श्री गुलजी
24.	ई-11	श्री ताराचन्द पुत्र पूरणचंद
25.	ई-9	श्री कन्हैयालाल व रामनारायण/रामनाथ
26.	ई-42	श्री गोपाल पुत्र गंगाराम एवं श्री मोहन पुत्र पन्ना
27.	ई-43	श्रीमती गप्पी देवी पत्नी श्री बिहारीलाल
28.	ई-52	श्री मांगीलाल पुत्र श्री रूपाराम
29.	ई-48	श्री चौथमल पुत्र श्री मोटाराम
30.	ई-41	श्री ताराचंद, अरविन्द कुमार पुत्र स्व. चौगान, राजेन्द्र प्रसाद/चौगान कुमारी सुनीता पुत्र चौगान
31.	ई-55	श्री रामदेव पुत्र हुकमाराम मीणा
32.	ई-38	श्री चौथमल पुत्र गंगाराम
33.	ई-40	श्री पूर्णसिंह पुत्र मन्नालाल दत्तक पुत्र नंदलाल
34.	बी-147	श्री श्रवणलाल पुत्र भूराराम
35.	बी-142	श्री दुर्गालाल पुत्र भूरामल
36.	बी-139	श्री भैरूलाल पुत्र मोतीलाल
37.	बी-138	श्री रामकिशोर पुत्र रामदयाल
38.	बी-20	श्री हरिसिंह पुत्र जवाहरसिंह
39.	बी-23	श्री गोपीचन्द पुत्र गोकुलचन्द
40.	बी-111	श्री भगवान पुत्र गुल्ला
41.	बी-116	श्री मदनगोपाल पुत्र मांगीलाल
42.	बी-184	श्री श्योनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण
43.	बी-172	श्री धनश्यामदास गहलोत/पूरणमल

ह०/-

आयुक्त विधान सभा

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-628 के आदेशों की प्रति)

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर राजस्थान

क्रमांक : 17265-68/01 दिनांक 01.2.2001

कार्यालय आदेश

न्यास भवन मोती डूंगरी स्थित रिक्त होने के कारण श्री जगदीश बेनीवाल अध्यक्ष नगर विकास न्यास को आवास हेतु आबंटित किया जाता है। किराया राज्य-सरकार के नियमानुसार देय होगा तथा बिजली पानी का भुगतान पूर्ववत देना होगा।

ह०/-
निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं
सचिव नगर विकास न्यास,
अलवर

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-635 का विवरण)

जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी क्षेत्र में प्रभावशील चेजा पत्थर के लीजों की सूची

प्रपत्र "अ"

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र	निकट ग्राम	अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री मंगल सिंह	1200 x 400 फुट 1500 x 400 फुट	नांगल	7.4.88 से 10 वर्ष
2.	श्री महावीर प्रसाद	75 x 50 मीटर	टोडी	26.2.93 से 10 वर्ष
3.	श्री महावीर प्रसाद	125 x 50 मीटर	टोडी	20.4.93 से 10 वर्ष
4.	श्री गणपतराम जाट	80 x 50 मीटर	टोडी	20.4.93 से 10 वर्ष
5.	श्री मूलचन्द जाट	5500 वर्गमीटर	टोडी आकावाली	16.8.93 से 10 वर्ष
6.	श्री किशोरीलाल अग्रवाल	1.00 हैक्टेयर	टोडी आकावाली	9.2.95 से 20 वर्ष
7.	श्री बलवीर सिंह जाट	1.00 हैक्टेयर	नेवरी	1.5.95 से 20 वर्ष
8.	श्री रामदेव जाट	130 x 50 मीटर	टोडी	18.11.95 से 20 वर्ष
9.	श्री रामदेव जाट	140 x 50 मीटर	टोडी	18.11.95 से 20 वर्ष
10.	श्री सुधीर कुमार गाडिया	2413.90 मीटर	गुढ़ा	20.9.99 से 20 वर्ष
11.	श्री फूलचन्द जाट	75 x 50 मीटर	टोडी	14.12.99 से 20 वर्ष

नोट: (1) क्र.सं.1 श्री मंगल सिंह का नवीनीकरण आवेदन पत्र क्षेत्र के वन विभाग से अनारक्षण नहीं होने के कारण लम्बित है।

ह०/-
खनि. अभियन्ता, सीकर

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-637 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

भारतीय दण्ड संहिता

(304. ख दहेज मृत्यु--) (1) जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति से अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए मांग को लेकर परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण उसके पति अथवा रिश्तेदारों को माना जायेगा।

स्पष्टीकरण -- इस पर धारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय यही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-640 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 338/2000 दिनांक 23.12.2000

धारा 420 ता.हि. पुलिस थाना-मानसरोवर जयपुर शहर (दक्षिण) जयपुर

सेवा में, थानाधिकारी महोदय मानसरोवर, जयपुर। विषय—श्री बाबू खान वल्द श्री मोहम्मद इलियास प्रोपराइटर मैसर्स नफीस आफसेट, म.नं. 582, बालाजी का रास्ता रामगंज बाजार जयपुर द्वारा की गयी धोखाधड़ी एवं जालसाजी द्वारा प्राप्त राशि 1,51,000/- अंके एक लाख इक्यावन हजार की वापसी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्यवाही करने हेतु। महोदय निवेदन है कि उक्त श्री बाबू खान वल्द मोहम्मद इलियास ने हमारे साथ दिनांक 21.6.1999 को किये गये अनुबन्ध जिसकी प्रति संलग्न है, के अनुसार 151000 अंके एक लाख इक्यावन हजार रुपये लेकर मारुति कार नम्बर आर.जे. 14 3 सी, 2354 चेचिस नं. 2147629 तथा इंजन नं. 3154160 जो कि उन्होंने मैसर्स टूवर्थ केपीटल सर्विसेज लि. गणपति प्लाजा, जयपुर से ऋण पर ले रखी थी, को हमें सौंप कर यह इकरार किया कि वे उक्त फाइनेंस कम्पनी को उसकी समस्त बकाया जमा कराकर उक्त कार, कार के क्रेता के नाम रजिस्टर्ड करवा देंगे लेकिन श्री बाबूखान ने हमारे से अग्रिम रुपया प्राप्त करने के बावजूद तथा हमारे एवं कम्पनी के बार-बार तकादा करने के बावजूद भी कोई रुपया फाइनेंस कम्पनी को जमा नहीं कराया और न ही कार का रजिस्ट्रेशन क्रेता के नाम करवाया जो कि पूर्ण रूप से धोखाधड़ी, बेईमानी, जालसाजी कर हमारे साथ विश्वासघात किया है। उक्त विश्वासघात के कारण फाइनेंस कम्पनी ने कार का अधिग्रहण दिनांक 4.12.2000 को कर लिया (जिसकी प्रति संलग्न है) जिससे हमें आर्थिक हानि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर कुठाराघात सहन करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्री बाबू खान से हमारे से धोखाधड़ी एवं जालसाजी से प्राप्त राशि हमें मय ब्याज वापस दिलाने का कष्ट करें। साथ ही इनके द्वारा इस प्रकार हमारे साथ किये गये अवैधानिक कृत्य के लिए भी इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि ये व्यक्ति भविष्य में अन्य किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी एवं जालसाजी नहीं कर सके। धन्यवाद। संलग्न :— उपरोक्तानुसार जयपुर दिनांक 20.12.2000 एसडी/बसन्त कुमार भुगतान देने वाला म.नं. 119/224 मानसरोवर जयपुर टेली. नं. 393727 एसडी/शांति लाल नलवाया क्रेता म.नं. 51/7/मानसरोवर जयपुर टेली. नं. 391799

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री शांतिलाल पुत्र श्री मदन लाल जाति जैन उम्र 60 साल निवासी 51/7/मानसरोवर ने मय श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री मदन लालजी जाति जैन उम्र 42 साल निवासी 119/224, अग्रवाल फार्म मानसरोवर के उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल शब्द व शब्द लिखी गयी। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म दफा 420 आई.पी.सी. का वकू में माना पाया जाता है। अतः मु.न. 338/2000 बदफा मजकूर कायम कर मन एस.एच.ओ. सुरेन्द्र सिंह मशरूप तफतीश हुआ। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति एफ.आई.आर. निःशुल्क मुस्तगीस को दी गई। पढ़कर सुनाई सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये।

ह०/-
थानाधिकारी के हस्ताक्षर
नाम - सी.आई. सुरेन्द्र सिंह
पद - एस.एच.ओ. मानसरोवर
जयपुर शहर
23.12.2000 टाइम एट-9.30 पी.एम.

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-648 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	कि.मी.	मरम्मत कार्य (नवीनीकरण) करवाने का वर्ष	क्र.सं.	कि.मी.	मरम्मत कार्य (नवीनीकरण) करवाने का वर्ष
1.	1	1996-97	25.	25	1994-95
2.	2	1996-97	26.	26	1994-95
3.	3	1996-97	27.	27	1994-95
4.	4	1986-87	28.	28	1993-94
5.	5	1986-87	29.	29	1993-94
6.	6	1986-87	30.	30	1993-94
7.	7	1986-87	31.	31	1993-94
8.	8	1986-87	32.	32	1993-94
9.	9	1986-87	33.	33	1992-93
10.	10	1986-87	34.	34	1992-93
11.	11	1999-2000	35.	35	1992-93
12.	12	1993-94	36.	36	1992-93
13.	13	1993-94	37.	37	1993-94
14.	14	1999-2000	38.	38	1993-94
15.	15	1985-86	39.	39	1982-83
16.	16	1993-94	40.	40	1982-83
17.	17	1986-87	41.	41	1983-84
18.	18	1986-87	42.	42	1997-98
19.	19	1991-92	43.	43	1997-98
20.	20	1991-92	44.	44	1997-98
21.	21	1991-92	45.	45	1997-98
22.	22	1991-92	46.	46	1997-98
23.	23	1991-92	47.	47	1997-98
24.	24	1994-95			

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-649 की सूची)

परिशिष्ट "क"

सड़क से जुड़े हुए ग्रामों की सूची

(अ) डामर से जुड़े हुए		वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी	(अ) डामर से जुड़े हुए		वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी
1.	सिद्धमुख	5563	19.	नूहन्द	1568
2.	सांखू	3998	20.	नांगल छोटी	1564
3.	चांदगोठी	3902	21.	ढाणी बड़ी	1545
4.	नेशल	3274	22.	सांखणताल	1513
5.	रामपुरा	3073	23.	राधाबड़ी	1431
6.	खेंसली	3042	24.	बैरासर छोटा	1354
7.	नवां	2629	25.	सुलखनियां छोटा	1330
8.	गालड़	2609	26.	राधाछोटी	1291
9.	नोरंगपुरा	2481	27.	गुलपुरा	1217
10.	थिरपाली	2315	28.	ताम्बा खेड़ी	1201
11.	जसवन्तपुरा	2236	29.	रामसरा ताल	1150
12.	लम्बोर बड़ी	2080	30.	भीमसाना	1130
13.	हमीरवास बड़ा	2036	31.	कलाणाताल	1025
14.	धानौटी बड़ी	2043	32.	बीजावास	841
15.	सुरतपुरा	1912	33.	खेरूं बड़ी	610
16.	कालरी	1774	34.	भोजाण	1080
17.	नीमा	1735	35.	टुमकी	1803
18.	गोठ्या बड़ी	1699	36.	लीलावटी	1802

(अ) डामर से जुड़े हुए	वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी	(अ) डामर से जुड़े हुए	वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी
37. रावतसर कुंजला	1766	54. बैजवा	1003
38. नांगल बड़ी	1739	55. ठिमाऊ छोटी	941
39. थिरवाली छोटी	1594	56. जैतपुरा	924
40. बीराण	1538	57. कामान	905
41. ग्वालीसर	1521	58. खारियावास	828
42. छिमाऊ बड़ी	1447	59. हमीरवास छोटा	826
43. लसेड़ी	1311	60. हरपालू पतराम	730
44. सुलखनियां बड़ा	1307	61. खेड़ी	721
45. हरपालू सांवल	1212	62. हरपालू रामधन	684
46. किशनपुरा	1182	63. बुडान	675
47. बेरासर छोटी	1177	64. रड़वा	363
48. धानौटी छोटी	1129	65. ढाणी छोटी	398
49. बालाण	1119	66. टूंडाखेड़ी	335
50. थान मठुई	1093	67. हरपालू खुसाला	289
51. भाकरां	1085	68. खूडियावास	249
52. सादपुरा	1074	69. कुंजलावास	241
53. रेजड़ी	1066	70. हरपालू रामसुख	119

(ब) मेटल सड़क से जुडे हुए गांव		वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी
1.	ढाणी मौजी	1283
2.	हरपालू कूबड़ी	975
3.	इन्द्रपुरा	729
4.	आच्छापुर	656
(स) ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए गांव		
1.	बेवड़	1436
2.	सरदारपुरा	1421
3.	गागड़वास	1415
4	बुढ़ावास	970
5.	कांधरान	1600
6.	लम्बोर छिंपियान	786
7.	लम्बोर छोटी	659
8.	बास लाल सिंह	398

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-651 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की सूची

क्र.सं.	बी.टी. रोड	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3	4
1.	एम डी आर-12	जलारा धरियावद मंदसौर रोड	42.00
2.	ओ डी आर-12	बान्सी धरियावद रोड	28.16
3.	ओ डी आर-13	धरियावद पारसोला भारकुण्डी रोड	34.50
4.	ओ डी आर-22.	भठेवर बान्सी रोड	13.00
5.	ओ डी आर-23	कांनोड लसाडिया रोड	24.00
6.	ओ डी आर-29	सलुम्बर बान्सी रोड	25.00 बीटी 4.00 जी आर. 1.00 फेयर वेदर
7.	ओ डी आर-30	धरियावद लसाडिया रोड	30.00
8.	वी आर-5	कुण पाणुन्द फिला रोड	3.80 बी टी 11.20 एम आर 5.00 जी आर
9.	वी आर-33	भुगाना नरवली रोड	7.00
10.	वी आर-30	सम्पर्क सड़क कालीभीत	9.00
11.	वी आर-37	सम्पर्क सड़क केशरियाबाद सती का चौराया	19.20
12.	वी आर-38	सम्पर्क सड़क माण्डवी	9.00
13.	वी आर-107	सम्पर्क सड़क धोलिया	3.20

1	2	3	4
14.	वी आर-39	माण्डवी से पारयोला	11.00
15.	वी आर-134	सम्पर्क सड़क अड़त	1.40
16.	वी आर-136	पारयोला से सेवानगर लिम्बरवाडा	6.00
17.	वी आर-152	सम्पर्क सड़क आड़	1.00
18.	वी आर-169	मुगाना से बोरिया सड़क	7.80 बीटी 4.00 एम आर
19.	वी आर-	सम्पर्क सड़क दातलिया	8.00
20.	वी आर-	कुण टेकन	6.00 5.00 ट्रेक
21.	वी आर-	सम्पर्क सड़क देवला	1.80
			291.26 बीटी **15.20 एम आर** **19.00 जी आर** **6.00 फेयरवेदर**

परिशिष्ट "ब"

सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड धरियावद में कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्माण की गई सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्टेट्स की लम्बाई
1	2	3
1.	सम्पर्क सड़क भाण्डेला	2.50 किमी. डामर
2.	सम्पर्क सड़क लोदिया	2.00 किमी. डामर
3.	सम्पर्क सड़क भरकुंडी	2.00 किमी. डामर
	योग	6.50 किमी.

परिशिष्ट "स"

गत तीन वर्षों में 20 सड़कों पर पेच कार्य किये उसकी सूची

क्र.सं.	नाम सड़क	व्यय की गई राशि (लाखों में)			कुल व्यय (लाखों में)
		1998-99	1999-2000	2000-2001	
1.	जलारा-धरियावद मन्दसोर रोड	9.91	4.10	12.39	26.40
2.	बांसी-धरियावद रोड	1.27	1.71	1.10	4.08
3.	धरियावद-पारसोला भरकुंडी रोड	1.22	2.81	1.99	6.02
4.	भटेवर-बान्सी रोड	—	—	0.28	0.28
5.	कानोड-लसाडिया रोड	0.18	0.37	—	0.51
6.	सलूम्बर-बान्सी रोड	—	0.26	0.40	0.66
7.	धरियावद-लसाडिया रोड	1.65	0.96	2.24	4.85
8.	कूण-पाणूद-फिलारोड	0.06	—	0.42	0.48
9.	मुंगाणा-नरवली रोड	0.11	0.70	0.42	1.23
10.	सम्पर्क सड़क केशरियावाद से सती का चौराहा	0.09	0.37	2.66	3.12
11.	सम्पर्क सड़क माण्डवी	—	0.59	0.60	1.19
12.	सम्पर्क सड़क धोलिया	0.52	—	—	0.52
13.	माण्डवली से पारसोला	—	0.06	—	0.06
14.	सम्पर्क सड़क आगड़	—	0.36	0.10	0.46
15.	पासोला से सेवानगर लिम्बावाडा सड़क	—	0.06	0.22	0.39
16.	सम्पर्क सड़क आड़	0.03	0.10	0.20	0.39
17.	मुंगाणा से बोरिया सड़क	—	0.10	—	0.10
18.	सम्पर्क सड़क दांतलिया	3.01	2.82	0.34.	6.17
19.	कूण टेकन सड़क	—	—	0.20	0.20
20.	सम्पर्क सड़क देवला	—	—	0.47	0.47
	योग	**21.59**	**15.33**	**24.09**	**61.01**

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-654 का विवरण)

डामरीकृत केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	सड़क नम्बर	सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत पर व्यय (लाखों में)			सड़क निर्माण का वर्ष
				1998-99	1999-2000	2000-2001	
1	2	3	4	5	6	7	8
स्टेट हाइवे							
1.	मालपुरा केकड़ी कादेडा सड़क किमी. 104/0 से 145/0	एस.एच.12	41.00	18.37	7.05	9.51	1978
2.	नसीराबाद केकड़ी देवली रोड किमी. 15/0 से 50/200	एस.एच.26ए	35.20	15.87	4.12	8.18	1978
3.	केकड़ी सावर नापाखेड़ा रोड किमी.56/0 से 90/0	एच.एस.26बी	34.00	—	—	0.17	1999
		योग	110.20	34.24	11.17	17.86	

1	3	4	5	6	7	8
एम.डी.आर.						
1. विजयनगर केकड़ी रोड किमी. 72/0 से 107/0 किमी	एमडीआर 9	35.00	2.17	2.74	9.69	1978
2. केकड़ी सावर पंडेर भीलवाड़ा रोड 24/0 से 32/0	एमडीआर 56	8.00	0.82	0.04	0.36	1998
	योग	**43.00**	**2.99**	**2.78**	**10.05**	
ओ.डी.आर.						
1. जानिया सांपला श्यामपुरा 0/0 से 12/0	ओडीआर 2	12.00	—	—	0.43	1980
2. बांदनवाड़ा भिनाय नागोला किमी. 17/0 से 22/300	ओडीआर 23	5.30	—	—	—	1978
3. केकड़ी बघेरा 0/0 से 22/0	ओडीआर 24	22.00	15.22	1.04	1.55	1982
	योग	**39.30**	**15.22**	**1.04**	**1.98**	

अन्य ग्रामीण सड़कें ग्रामीण सड़कें (डामरीकृत)

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क का नम्बर	सड़क की लम्बाई	मरम्मत पर खर्च			सड़क निर्माण का वर्ष
				1998-1999	1999-2000	2000-2001	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सम्पर्क सड़क मेहरूकलां	वीआर 45	8.75	0.27	0.07	—	1995
2.	चौसला घटियाली	वीआर 47	13.00	0.02	—	0.05	1987
3.	सम्पर्क सड़क लसाडिया	वीआर 66	3.00	—	—	—	1995
4.	सावर लक्ष्मीपुरा चीतावास	वीआर 70	9.00	0.24	—	—	1988
5.	सम्पर्क सड़क बिसून्दनी	वीआर 73	4.00	—	—	—	1995
6.	भराई प्रान्हेडा	वीआर 76	4.00	—	—	—	1995
7.	बिसून्दनी गोरधा	वीआर 74	6.50	0.84	—	—	1989
8.	जूनिया हिंगोनिया	वीआर 101	7.00	0.02	—	0.27	1991
9.	सरसडी उगानखेड़ा	वीआर	3.00	—	—	—	1995
10.	सम्पर्क सड़क वीरवाडा	वीआर	1.00	—	—	—	1996
11.	जूनिया देवगांव	वीआर	14.00	—	—	0.31	1998
12.	सम्पर्क सड़क बिसून्दनी गोरधा	वीआर	0.50	—	—	—	1995
13.	प्रान्हेडा भीमडावास	वीआर	4.00	—	—	—	1998
14.	धूंधरी टांकावास	वीआर	1.75	—	—	—	1995
15.	राजपुरा टांकावास	वीआर	6.00	—	—	—	1987
16.	सम्पर्क सड़क केकडी	वीआर	2.00	—	—	—	1987
17.	मेवदाकला मानखण्ड	वीआर	5.40	—	—	—	1987
18.	सदारा अलोली	वीआर	4.00	—	—	—	1990

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	धूंधरी बोगला	वीआर	4.00	—	—	—	1995
20.	देवगांव मेट मण्डियार्ड	वीआर	0.75	—	—	—	1997
21.	रूपनवास सलारी	वीआर	3.20	—	—	—	1990
22.	सम्पर्क सड़क पीपलाज	वीआर	6.40	—	—	—	1998
23.	अजगरा तलाई	वीआर	5.50	—	—	—	1998
24.	सम्पर्क सड़क सूरजपुरा	वीआर	1.00	—	—	—	1998
25.	सरवाड भगवानपुरा जालिया	वीआर	13.50	0.04	0.06	0.52	1987
26.	सांयला गोपालपुरा	वीआर	4.50	—	—	—	1999
27.	सम्पर्क सड़क सेदरिया	वीआर	1.20	—	—	—	1999
28.	सम्पर्क सड़क संपूदा	वीआर	1.50	—	—	—	1989
29.	सम्पर्क सड़क सील से तनदोलिया केकड़ी	वीआर	3.33	—	—	—	1999
		योग	**141.78**	**1.43**	**0.13**	**1.15**	

परिशिष्ट "ब"

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की मेटल सड़कों के डामरीकरण हेतु स्वीकृतियों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	जुड़ने वाले गांव का नाम	जुड़ने वाले गांव की जनसंख्या (वर्ष 1991)
1.	सम्पर्क सड़क गुलगांव	0.85	साकिरया	1258
2.	सम्पर्क सड़क फारकिया	4.00	फारकिया	1238
3.	आमली (सावर)	4.00	आमली	1165
4.	सम्पर्क सड़क चौसला	4.00	चौसला	1425

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-655 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

गत ढाई वर्ष में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़कों के पेच मरम्मत, मद एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम जिसमें पेच रिपेयर कराया गया	मद	गत ढाई वर्ष में पेच रिपेयर पर व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	फतेहपुर चूरू सड़क	3054	1.34
2.	फतेहपुर मण्डावा सड़क	3054	5.00
		8443 (अकाल राहत) सम्वत् 2056	3.31
3.	सम्पर्क सड़क फतेहपुर शहर	3054	1.74
4.	फतेहपुर सालासर सड़क	3054	0.52
5.	फतेहपुर बेसवा सड़क	3054	0.59
6.	सम्पर्क सड़क डाबड़ी	3054	1.78
7.	रोलसा बसर से ढांढण सड़क	3054	0.49
8.	रामगढ़ ढांढण सड़क	3054	4.42
9.	सम्पर्क सड़क गरिण्डा	3054	1.77
10.	रामगढ़ महनसर सड़क	3054	1.11
11.	फतेहपुर टाउन सड़क	3054	0.64
		योग	22.71

परिशिष्ट-15 (A)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-666 की सूची)

परिशिष्ट-1

जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., जोधपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 में अंकित गबन/दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची

क्रमांक	शाखा का नाम	नाम आरोपित अधिकारी मय पद नाम	प्रकरण की राशि
1.	भगत की कोठी	1. श्री सोनाराम पटेल शाखा प्रबन्धक 2. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर (संयुक्त रूप से)	80851.00
2.	धुंधाडा	1. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर	11232.00 4649.00
3.	लेवी गेहूं पावटा	1. श्री आर.सी.एस. जोधा प्रशासक 2. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर 3. श्री सोनाराम पटेल शाखा प्रबन्धक (संयुक्त रूप से)	1452623.97
4.	मण्डोर मण्डी	1. श्री आर.सी.एस. जोधा प्रशासक 2. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर (संयुक्त रूप से)	178449.48
5.	चारा शाखा	1. श्री भीयांराम चारा प्रभारी 2. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर (संयुक्त रूप से)	190564.00
6.	प्रधान कार्यालय	1. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर	70000.00
7.	प्रधान कार्यालय	1. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर	99661.00
8.	प्रधान कार्यालय	1. श्री प्रदीप जैन जनरल मैनेजर	3625.00

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-668 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि.

(Rajasthan Rajya Sahkari Spinning & Ginning Mills Federation Ltd.)

Spinning Unit : HANUMANGARH JN.-335512
(Distt-Hanumangarh Jn.) RAJ.
Tele. (01552) 50651-2-3 Fax : 50376 "CABLE" SEHSUTMIL

No. स्पिनफेड/स्पि.ई.इ/2000/88 Date 06.04.2000

कार्यालय आदेश

मिल रिंग हैड फिटर के कैबिन का दिनांक 31.03.2000 को भौतिक सत्यापन एक कमेटी द्वारा कराया गया। सत्यापन की रिपोर्ट में कुछ अनियमिताएं होने की सम्भावनाएं पाई गई। इसकी विस्तृत जांच किये जाने हेतु निम्नप्रकार कमेटी का गठन किया जाता है :

1. श्री आर.के.मितल — उत्पादन प्रबन्धक
2. श्री पी.के.विरमानी — मेंटीनेंस इंजीनियर
3. श्री पी.के.नन्दा — एस.क्यू.सी.इंचार्ज
4. श्री आर.के.जोशी — प्रबन्धक वित्त

उक्त कमेटी इस तथ्य की जांच करेगी कि क्या स्पेयर पार्ट्स का सामान चोरी गया है, यदि हां तो इसमें कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित है उनका दायित्व निर्धारित किया जावे। कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

दिनांक 31.3.2000 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, रिंग फ्रेम के रियेपर में लगाये गये स्पेयरस की रिपोर्ट एवं रिंग फ्रेम खाते के श्री हंसराज, श्री कौरसिंह, श्री गुरदीप सिंह व श्री महावीर सिंह के बयान संलग्न किये जा रहे हैं।

प्रबन्धक वित्त जांच कार्य को कार्डीनेट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ह०/-
महाप्रबन्धक

परिशिष्ट "ख"

स्पिनफैड स्पिनिंग इकाई, हनुमानगढ़ जं.

जांच रिपोर्ट

कार्यालय आदेश क्रमांक. स्पिनफैड/स्पि.ई.ह/2000/88 दिनांक 6.4.2000 द्वारा मिल रिंग फ्रेम हैड फिटर के कैबिन का दिनांक 31.03.2000 को भौतिक सत्यापन किया था, जिसकी रिपोर्ट में कुछ अनियमिताएं होने की सम्भावना पाई गई, जिसकी विस्तृत जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जो निम्नप्रकार थी :

1. श्री आर.के. मित्तल — उत्पादन प्रबन्धक
2. श्री पी.के. विरमानी — मेंटीनेंस इंजीनियर
3. श्री पी.के. नन्दा — एस.क्यू.सी. इंचार्ज
4. श्री आर.के. जोशी — वित्त प्रबन्धक

कमेटी को इस तथ्य की भी जांच करनी थी कि क्या स्पेयर पार्ट्स का सामान चोरी गया है। यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित हैं, उनका दायित्व निर्धारित किया जाये।

कमेटी द्वारा अपना कार्य दिनांक 8.4.2000 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 10.4.2000 को कमेटी के एक सदस्य श्री आर.के. मित्तल के दोपहर बाद अचानक बीमार हो जाने के कारण दिनांक 10.4.2000 की कार्यवाही में उनके द्वारा भाग नहीं लिया गया और उसके पश्चात् दिनांक 11.4.2000 से उनकी तबीयत अधिक खराब होने के कारण उनको लुधियाना अस्पताल में भिजवाया गया। हमें बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि श्री आर.के. मित्तल का दिनांक 16.4.2000 को निधन हो जाने के कारण कमेटी के बाकी तीन सदस्यों द्वारा ही इस जांच को आगे बढ़ाते हुए जांच कार्यवाही निष्पादित की गई।

कमेटी द्वारा जांच के दौरान निम्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये :

1. श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह — हैड क्लीनर
2. श्री महावीर सिंह पुत्र श्री मगन सिंह — फिटर
3. श्री बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह — हैल्पर
4. श्री टापे बहादुर पुत्र श्री देव बहादुर — क्लीनर
5. श्री राकेश सिंह पुत्र श्री केदार सिंह — क्लीनर

6.	श्री कौरसिंह पुत्र श्री जगसिंह	सहायक फिटर
7.	श्री हंसराज पुत्र श्री जाडूराम	फिटर
8.	श्री ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री बगरावत सिंह	सुरक्षा निरीक्षक
9.	श्री एल.सी.पाल पुत्र श्री एच. एल. पाल	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)
10.	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवमिख सिंह	

कमेटी को दिनांक 31.3.2000 के भौतिक सत्यापन (हैड फिटर के कैबिन) की रिपोर्ट रिंग फ्रेम के ओवरहालिंग में लगाये गये स्पेयर की रिपोर्ट एवं रिंग फ्रेम खाते के श्री हंसराज, श्री कौरसिंह, श्री गुरदीप सिंह व श्री महावीर सिंह के बयान दिये गये थे। इन बयानों के अध्ययन करने पर पाया कि श्री महावीर सिंह के बयानों में यह कहा गया कि रिंग फ्रेम नं. 16 की जब ओवरहालिंग हुई उस समय श्री योगेन्द्र सिंह हैड फिटर कुछ दिन के लिए बीमार था। एल्यूमिनियम पुली का कार्य करते समय मुझे 6002zz के बैरिंग की आवश्यकता पड़ी तो मैंने मेंटीनेंस सुपरवाइजर को बताया तो पता चला कि उक्त नम्बर के 18 बैरिंग स्टोर से इश्यू हो चुके हैं लेकिन वे बैरिंग मेरे पास नहीं थे। मैंने जरूरत के मुताबिक 6 बैरिंग इश्यू कराये एवं पुली में लगा दिये। 18 बैरिंग जो पहले इश्यू हुये थे वे जांच के दौरान नहीं पाये गये।

रिंग फ्रेम नं. 15 में मुझे 1209 के बैरिंग लगाने के कार्य पर लगाया गया। मुझे 17 नये बैरिंग दिये गये जो मैंने मशीन में लगा दिये। दूसरे दिन श्री गुरदीप सिंह को कपलिंग व वैरिंग टाइट करने के लिए लगाया था। मशीन में से 6 नये बैरिंग 1209 के के बैरिंग निकाल लिये गये व उसकी जगह पुराने बैरिंग अच्छी हालत के डलवा दिये गये। इस प्रकार की गड़बड़ की जानकारी होने पर प्रशासन को बताया गया। 1209 के के बैरिंग बदलने की पुष्टि श्री गुरदीप सिंह के बयान से भी होती है।

कमेटी द्वारा उक्त बयानों के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर जांच की गई :

1. 6002zz के जो 18 बैरिंग इश्यू हुये थे, उनका क्या हुआ।
2. 1209 के के जो नये बैरिंग निकाल कर पुराने डाले गये थे, उसका क्या कारण था।

दिनांक 3.2.2000 को 6002zz के 18 बैरिंग स्टोर से श्री गुरदीप सिंह द्वारा इश्यू करवाये गये थे और उनको अलमारी में रख दिया गया था। दिनांक 4.2.2000 को हैड फिटर श्री योगेन्द्र सिंह की ड्यूटी पर ही तबीयत ख़राब हो गई और उनको चिकित्सालय ले जाया गया। उसके पश्चात् श्री योगेन्द्र सिंह दिनांक 9.2.2000 को वापस अपनी ड्यूटी पर

उपस्थित हुये। इस दौरान श्री महावीर सिंह द्वारा 6002zz के 6 बैरिंग दिनांक 8.2.2000 को स्टोर से इश्यू करवाये गये और उनको मशीन में लगाया गया।

दिनांक 27.2.2000 से दिनांक 24.3.2000 तक रिंग फ्रेम नं. 15 की ओवरहालिंग का कार्य किया गया, जिसमें 6002zz के 8 बैरिंग रिपोर्ट अनुसार लगाये गये हैं जबकि स्टोर से दिनांक 8.2.2000 के बाद उक्त नं. का कोई भी बैरिंग मेंटीनेंस विभाग को इश्यू नहीं किया गया है। अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में जो बैरिंग स्टोर से इश्यू करवाये गये थे उसमें से बैरिंग बच गये थे जिनका उपयोग इस मशीन की ओवरहालिंग के दौरान किया गया। यहां पर यह भी उल्लेख करना अनिवार्य है कि उक्त सभी बैरिंग स्टोर से पुराने बैरिंग जमा करवाने के बाद ही इश्यू किये गये हैं।

उक्त बैरिंग का मिल से बाहर जाना या चोरी हो जाना सम्भव नहीं है चूंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को बैरिंग चोरी कर ले जाते हुये देखा है, लेकिन रिकार्ड में लापरवाही के कारण लिपिकीय भूल अवश्य हुई है। जिसकी पुष्टि श्री महावीर सिंह के बयान से भी होती है जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि रिंग फ्रेम नं. 16 की ओवरहालिंग के समय उनके द्वारा 6002zz के 6 नये बैरिंग मशीन में लगाये गये थे, जबकि रिकार्ड के अनुसार रिंग फ्रेम नं. 16 में 6002zz के 4 नये बैरिंग ही लगने दर्शाये गये हैं। इसके अतिरिक्त यदि सम्पूर्ण वर्ष में 6002zz के बैरिंग के रिकार्ड का अवलोकन करें तो उक्त भूल स्वतः स्पष्ट हो जायेगी।

ओवरहालिंग मशीन नं.	**ओवरहालिंग का समय**	**6002zz के लगे नये बैरिंग**	**स्टोर से इश्यू बैरिंग एवं दिनांक**	
3	17.05.99 से 15.06.99	12	12	21.05.99
21	22.08.99 से 10.09.99	12	4	28.08.99
19	11.09.99 से 03.10.99	10	12	15.09.99
18	04.10.99 से 18.11.99	12	16	12.10.99
20	19.11.99 से 16.12.99	—		
17	22.12.99 से 20.01.2000	16	10	25.12.99
16	31.01.2000 से 19.02.2000	4	18	03.02.2000
15	27.02.2000 से 24.03.2000	8	6	08.02.2000
		74	**78**	

उक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि कई बार लापरवाही के कारण लिपिकीय भूल हुई है, जैसे मशीन नं. 21 में ओवरहालिंग के समय रिकार्ड अनुसार 12 बैरिंग नये लगे हैं जबकि स्टोर से मात्र 4 बैरिंग ही इश्यू हुये हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान स्टोर से कुल 78 बैरिंग इश्यू हुये एवं रिकार्ड के अनुसार 74 बैरिंग एवं श्री महावीर सिंह के बयान अनुसार मशीन नं. 16 में 6 बैरिंग लगाये माने जाये तो 76 बैरिंग ओवरहालिंग के काम में लगे और भौतिक सत्यापन के समय 6002zz का कोई बैरिंग नहीं मिला। इस प्रकार दो बैरिंग कम हुये जिसकी कीमत औसत दर के अनुसार कुल राशि रु. 167.28 (एक सौ सड़सठ पैसे अठाइस मात्र) है। चूंकि उक्त रिकार्ड रखने का कार्य हैड फिटर द्वारा किया जाता है एवं एक मशीन की ओवरहालिंग में लगभग 25-30 दिन लगते हैं एवं ओवरहालिंग समाप्त होने के पश्चात् ही रिकार्ड तैयार किया जाता है। अतः इतने लम्बे समय तक यह याद रखना कि मशीन में किस नम्बर के क्या-क्या बैरिंग या पार्ट्स लगते हैं मुश्किल कार्य है एवं साथ ही एक श्रमिक से यह आशा करना कि वे रिकार्ड सही रखेगा सम्भव नहीं है।

फैडरेशन बनने से पूर्व पुराने बैरिंग को नये बैरिंग इश्यू करवाते समय जमा करवाना आवश्यक नहीं था। यह परिपाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश क्रमांक स्पिनफैड/1913 दिनांक 15.6.93 के द्वारा लागू की गई थी, जिसके अनुसार रु. 100/- से अधिक की कीमत के बैरिंग इश्यू करने से पहले स्टोर द्वारा पुराना बैरिंग प्राप्त किया जाये। अतः इस आदेश के लागू होने से पूर्व जो पुराने टूटे फुटे बैरिंग थे उसमें से कुछ विभाग में पड़े रह गये थे।

उक्त गलती पुनः न हो इसके लिए आवश्यक है कि मैन्टीनेंस सुपरवाइजर को पाबन्द किया जाये कि ओवरहालिंग में खुलने वाली मशीन का कार्य अपनी देखरेख में करवाये एवं उसका रिकार्ड प्रतिदिन अपनी देखरेख में तैयार करवाये, जिससे कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो एवं साथ-साथ उन पार्ट्स का भी रिकार्ड रखा जाये जो कि उनके पास शेष है एवं जिनकी कीमत भी अधिक हो।

दूसरी शिकायत इस बात की थी कि श्री महावीर सिंह द्वारा रिंग फ्रेम नं. 15 में 1209 के के 17 नये बैरिंग लगाये गये थे। दूसरे दिन श्री गुरदीप सिंह को इसी मशीन के कपलिंग एवं बैरिंग टाइट करने के काम पर लगाया गया एवं उस दिन इस मशीन में से 1209 के के 6 नग नये बैरिंग निकाल लिये गये एवं उसके स्थान पर पुराने बैरिंग जो की अच्छी हालत में थे लगा दिये गये। इस संबंध में जांच करने पर पाया कि श्री योगेन्द्र सिंह हैड फिटर के कहने पर श्री गुरदीप सिंह ने 1209 के के 6 नग बैरिंग जो की अच्छी हालत

में थे एवं मशीन में कार्य कर सकते थे लगाये गये और उनके स्थान पर 6 नग नये बैरिंग मशीन से निकाल कर श्री योगेन्द्र सिंह को दे दिये गये। ये 6 नग नये बैरिंग 31.3.2000 के भौतिक सत्यापन के समय अलमारी में मौजूद थे। अतः इसमें किसी भी प्रकार का गबन या चोरी का मामला नहीं है।

गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल कामगार संघ, हनुमानगढ़ द्वारा एक पत्र दिनांक 5.4.2000 को श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय को लिख कर शिकायत की थी, जिसमें श्री योगेन्द्र सिंह व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बैरिंग व अन्य स्पेयर्स के गबन करने के संबंध में लिखा था। लगभग रु. 10 लाख के बैरिंग खरीद फरोख्त का धन्धा हुआ बताया था। कमेटी द्वारा जांच के दौरान उक्त तथ्यों की पुष्टि करने हेतु उक्त संघ के महामंत्री श्री अरुण कुमार सिंह को निम्न पत्र जारी कर उपस्थित होने एवं संबंधित रिकार्ड व सबूत पेश कर जांच में सहयोग करने का कहा गया था।

1. पत्र क्रमांक स्पिनफैड/स्पिईह./2000/119 दिनांक 7.4.2000 द्वारा दिनांक 08.04.2000 को उपस्थित होने बाबत।
2. पत्र क्रमांक स्पिनफैड/स्पिईह./168 दिनांक 10.4.2000 दिनांक 11.4.2000 को उपस्थित होने बाबत।
3. पत्र क्रमांक स्पनिफैड/स्पिईह./215 दिनांक 12.4.2000 द्वारा दिनांक 14.4.2000 को उपस्थित होने बाबत।

लेकिन श्री अरुण कुमार सिंह उक्त तिथियों को जांच में सहयोग के लिये न तो उपस्थित हुये और न ही कोई रिकार्ड या सबूत पेश किया गया। इसके अभाव में उनके द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है।

कमेटी द्वारा मिल स्टोर में जमा करवाये गये पुराने बैरिंगों की भी सेम्पल के तौर पर जांच की गई एवं जांच में पाया कि स्टोर में जो पुराने बैरिंग जमा हैं वे मिल के किसी न किसी विभाग में आवश्यक रूप से प्रयोग में आते हैं।

कमेटी समस्त व्यक्तियों द्वारा दिये गये ब्यान एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मिल से किसी भी प्रकार के बैरिंग चोरी नहीं हुये हैं, लेकिन रिकार्ड रखने में आवश्यक लापरवाही हुई है जिसमें कारण लिपिकीय त्रुटि रही है, जिसके सुधार के लिए कमेटी द्वारा सुझाव भी दिये गये हैं।

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-670 की सूची)

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक प.18(130) सह/95 जयपुर, दिनांक 28.6.95

आदेश

राजस्थान सहकारी सेवा एवं राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :

1. सामान्यतया कोई भी अधिकारी/कर्मचारी विभाग के अधीन अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

2. सामान्यतया किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को एक खण्ड में 10 वर्ष एवं एक जिले में 5 वर्ष से अधिक समय के लिए लगातार पदस्थापित नहीं रखा जावेगा।

3. सेवानिवृत्ति अवधि एक वर्ष से कम होने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के पद पर स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

4. सामान्यतया पदस्थापन काल न्यूनतम 2 वर्ष का रहेगा। 2 वर्ष से पूर्व निम्न परिस्थितियों में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकेगा :

   (अ) किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी गम्भीर शिकायत होने पर जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए उसका वहां से स्थानान्तरण आवश्यक है।

   (ब) किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत जांच के बाद सही पाई गई हो।

   (स) किसी अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति/पदावनति हुई हो।

   (द) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा धारित पद समाप्त हो गया हो।

5. यदि पति एवं पत्नी दोनों ही सहकारिता विभाग के अधीन सेवारत हो तो उनको यथासम्भव एक ही स्थान पर रखा जावेगा।

6. सहायक पंजीयक संवर्ग के पद पर पदस्थापन पर प्रत्येक अधिकारी को कम से कम दो वर्ष अंकेक्षण एवं दो वर्ष कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) विंग से सम्बन्धित पद पर पदस्थापित किया जावेगा।

7. प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च में अधिकारी/कर्मचारी को, जो नीतिगत व्यवस्था के अधीन स्थानान्तरण की पात्रता रखते हों, द्वारा पंजीयक, सहकारी समितियों को 3 प्राथमिकताएं दी जानी होगी। प्राथमिकताएं एवं अधिकारी/कर्मचारी के तत्समय पदस्थापन पद पर उसके द्वारा कार्य उपलब्धि मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापन का प्रयास किया जावेगा।

8. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर कार्यभार ग्रहण हेतु निर्धारित समयावधि में नये पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पश्चातवर्ती अवकाश स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं स्वेच्छा से अनुपस्थिति मानते हुए अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

विशेष परिस्थितियों के प्रकरणों में उपरोक्त नीति के अधीन किसी भी प्रकार की छूट राज्य सरकार स्तर से ही दी जा सकेगी।

ह०/-
शासन सचिव

प्रतिलिपि अ.शा. संख्या 2(30) सह/प्र.क/66 दिनांक 6.11.66 ओर से उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (क) विभाग, राजस्थान-जयपुर

राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का तत्विषयक सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा आदेश प्रदान करते हैं कि :

1. अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों की स्थानान्तरण क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी अपने क्षेत्र की परिसीमा के अन्तर्गत कर सकते हैं।

2. विभाग के राजपत्रिक अधिकारी जिलाधीश के परामर्श के उपरान्त अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों को संबंधित विभाग में ही स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों को सामान्य तथा एक जिले में कम से कम पांच वर्ष तक रखा जाना चाहिये ऐसे अधिकारियों के संबंध में अन्तरक्षेत्रीय स्थानान्तरण विशेष अन्तरक्षेत्रीय स्थानान्तरण अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकेंगे।

4. अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों का स्थापन उन जिलों में नहीं किया जाना चाहिए जहां उनका घर हो परन्तु जहां तक सम्भव हो उन्हें उसी क्षेत्र में रखा जावेगा जहां के वे हो।

उपरोक्त आदेशों के प्रचलन के बाद इस विषय पर अब तक जो आदेश उपलब्ध हो वे अवगति की कमी तक निरस्त माने जायेंगे।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ. 15(29) को आप/62 दिनांक 1 अगस्त, 1966 ओर से मुखर्जी विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार सहकारी विभाग। वास्ते रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

सहकारी विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के स्थापन स्थानान्तरण बावत राज्य सरकार द्वारा चालू नीति पर विचार किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा सहकारी विभाग से अधिनस्थ अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये जाते हैं जो तुरन्त प्रभाव से माने जावेंगे।

1. सामान्य प्रशासन विभाग की आज्ञा संख्या एफ 2(38) साप्र/का/66 दिनांक 2.11.76 सहकारी विभाग के केवल निरीक्षकों पर लागू होवेंगे।

2. सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले निरीक्षक उक्त आज्ञा से मुक्त समझे जावें।

3. सहायक निरीक्षक भी उक्त आज्ञा से मुक्त समझे जावें।

राजस्थान सरकार
(सहकारिता विभाग)

संख्या एफ.15(29)सह/62 जयपुर, दिनांक 20.4.71

आज्ञा

इस विभाग की मय संख्यक आज्ञा दिनांक 1.8.68 का आंशिक संशोधित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा आदेश देती है कि सहकारी संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर निरीक्षक अपने ही जिले में राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति के पश्चात् ही भेजे जावेंगे अन्यथा नहीं।

आज्ञा से
ह०/-
विशिष्ट शासन सचिव

परिशिष्ट "ए"

गृह जिले में पदस्थापित सहकारिता अधिकारियों की सूची

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम	गृह जिला	गृह जिले में पदस्थापित दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री बी.डी. आर्य	संयुक्त रजिस्ट्रार	जयपुर	16.8.95
2.	श्री चुन्नी लाल	संयुक्त रजिस्ट्रार	जयपुर	19.7.2000
3.	श्री आर.के. पुरी	संयुक्त रजिस्ट्रार	जयपुर	9.1.80
4.	आर.एल. सोनी	संयुक्त रजिस्ट्रार	जयपुर	20.3.99
5.	श्री एस.डी. मीणा	संयुक्त रजिस्ट्रार	जयपुर	5.5.97
6.	श्री एस.एस. राठौड़	संयुक्त रजिस्ट्रार	अजमेर	8.7.99
7.	श्री विजय प्रकाश जोशी	संयुक्त रजिस्ट्रार	जयपुर	4.5.81
8.	श्री अमर सिंह वर्मा	उप रजिस्ट्रार	चूरू	22.7.2000
9.	श्री आलोक भटनागर	उप रजिस्ट्रार	उदयपुर	18.12.2000
10.	श्रीमती बीना माथुर	उप रजिस्ट्रार	अलवर	5.8.95
11.	श्री बीरबल सिंह बागडवा	उप रजिस्ट्रार	झुंझुनूं	14.12.2000
12.	श्री भारत भूषण शर्मा	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	31.8.81
13.	श्री दिनेश कुमार बम्ब	उप रजिस्ट्रार	उदयपुर	27.12.2000
14.	श्री हरकीरत सिंह	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	21.11.97
15.	श्री जवाहर लाल परिहार	उप रजिस्ट्रार	पाली	22.7.2000
16.	श्री जितेन्द्र सिंह महावल	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	19.7.99
17.	श्री के. के. गुप्ता	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	22.5.99
18.	श्री लोकेश गांधी	उप रजिस्ट्रार	डूंगरपुर	26.11.2000
19.	श्री लीला पुरुषोत्तम	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	25.10.97
20.	श्री मोहम्मद नसीम	उप रजिस्ट्रार	बीकानेर	17.10.2000

1	2	3	4	5
21.	श्री मदन लाल शर्मा	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	26.8.98
22.	श्री महावीर प्रसाद यादव	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	23.10.97
23.	श्री पृथ्वीपाल सिंह	उप रजिस्ट्रार	नागौर	19.7.2000
24.	श्रीमती पूनम भार्गव	उप रजिस्ट्रार	अजमेर	27.7.98
25.	श्री पंकज अग्रवाल	उप रजिस्ट्रार	उदयपुर	25.8.98
26.	श्री आर.के.सक्सेना	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	23.8.95
27.	श्री राजीव लोचन शर्मा	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	3.4.92
28.	श्री रामफल मीणा	उप रजिस्ट्रार	स.माधोपुर	2.12.2000
29.	श्रीमती राजेश राय	उप रजिस्ट्रार	जोधपुर	25.8.98
30.	श्री आर.के. शर्मा	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	24.5.94
31.	श्री शकिल अहमद	उप रजिस्ट्रार	अजमेर	16.10.96
32.	श्री शांति लाल शर्मा	उप रजिस्ट्रार	उदयपुर	30.6.99
33.	श्रीमती शोभा कौशिक	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	25.7.2000
34.	श्रीमती शारदा संचदेवा	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	12.4.88
35.	श्री सौभाग मल मीणा	उप रजिस्ट्रार	बारां	31.3.2000
36.	श्रीमती शोभिता शर्मा	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	25.5.94
37.	श्रीमती शिल्पी पाण्डे	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	8.8.96
38.	श्री संजय माथुर	उप रजिस्ट्रार	जयपुर	7.7.94
39.	श्री बी.डी. गोदारा	उप रजिस्ट्रार	झुंझुनूं	30.6.99
40.	श्री आशुतोष भट्ट	सहा.रजिस्ट्रार	उदयपुर	2.4.99
41.	श्री अनिल कुमार काबरा	सहा. रजिस्ट्रार	भीलवाड़ा	8.7.99
42.	श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	24.4.2001
43.	श्री बालकिशन बागड़ी	सहा. रजिस्ट्रार	पाली	10.4.99
44.	श्री देवनारायण त्रिवेदी	सहा. रजिस्ट्रार	उदयपुर	24.1.2001

1	2	3	4	5
45.	श्री गजेन्द्र कौशिक	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	1.12.2000
46.	श्री हीरालाल यादव	सहा. रजिस्ट्रार	बांसवाड़ा	16.1.2001
47.	श्री हनुवन्त सिंह पूनिया	सहा. रजिस्ट्रार	बाड़मेर	1.12.2000
48.	श्री जितेन्द्र प्रसाद	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	13.7.95
49.	श्री कार्तिकेय मिश्र	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	27.8.98
50.	श्री केदार मल मीणा	सहा. रजिस्ट्रार	समाधोपुर	28.8.98
51.	श्री कालूराम मीणा	सहा. रजिस्ट्रार	दौसा	3.10.98
52.	श्री मोहम्मद इकबाल	सहा. रजिस्ट्रार	श्रीगंगानगर	29.11.97
53.	श्री मन्ना लाल मीणा	सहा. रजिस्ट्रार	चित्तौड़गढ़	17.1.2001
54.	श्री नाथूराम बेनीवाल	सहा. रजिस्ट्रार	नागौर	1.12.2000
55.	श्री नाथूलाल शर्मा	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	22.5.99
56.	श्री पीथदान	सहा. रजिस्ट्रार	सीकर	25.7.2000
57.	श्री पंकज भानु सिंह	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	1.2.99
58.	श्री प्रशान्त कल्ला	सहा. रजिस्ट्रार	जोधपुर	6.7.99
59.	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	19.3.98
60.	श्री राधेश्याम चौहान	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	22.8.98
61.	श्री रोहित सिंह	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	31.12.98
62.	श्रीमती सोनिया राघव	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	19.3.98
63.	श्री संदीप खण्डेलवाल	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	2.9.98
64.	श्री संजय शर्मा	सहा. रजिस्ट्रार	श्रीगंगानगर	12.2.99
65.	श्री शुद्धोधन उज्ज्वल	सहा. रजिस्ट्रार	जैसलमेर	29.7.2000
66.	श्रीमती सुचित्रा कुर्रिया	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	19.3.98
67.	श्री शंकर लाल डामोर	सहा. रजिस्ट्रार	बांसवाड़ा	30.9.98
68.	सुश्री उषा कपूर	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	21.11.94
69.	श्री विजय कुमार शर्मा	सहा. रजिस्ट्रार	जयपुर	28.8.95

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-671 का विवरण)

MONTHWISE EMPOLOYMENT REPORT (SAMVAT-2056)

S. No.	District	February Engaged	March Engaged	April Engaged	May Engaged	June Engaged	July. Engaged
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	1797	14798	25879	51660	75266	78640
2.	Alwar	–	–	984	2858	6037	5162
3.	Banswara	–	7215	28766	52192	81844	72311
4.	Barmer	540	35121	46304	97352	140070	102104
5.	Bhilwara	–	14325	20155	58873	74775	70445
6.	Bikaner	200	3510	18400	34683	65761	59811
7.	Bundi	–	1082	1809	4019	7612	8054
8.	Chittorgarh	–	–	857	29616	37600	20754
9.	Churu	–	6853	14886	46604	77715	52094
10,	Dausa	–	2273	6118	13138	22691	21019
11.	Dungarpur	–	1735	20305	57194	88954	55125
12.	Ganganagar	–	–	–	944	2120	1532
13.	Hanumangarh	–	1225	1866	3367	6082	4331
14.	Jaipur	–	436	10265	49571	66926	59313
15.	Jaisalmer	760	4675	15469	32761	50798	49101

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Jalore	—	12557	22188	56070	86904	53226
17.	Jhunjhunu	—	170	907	20773	25440	21112
18.	Jodhpur	—	—	17272	85255	110409	91704
19.	Nagaur	—	3000	28400	64315	91157	71257
20.	Pali	—	5674	25968	37393	58752	42865
21.	Rajsamand	—	18491	19989	46026	57460	43364
22.	S.Madhopur	—	—	860	3571	6512	4648
23.	Sikar	—	6845	16618	51978	67498	35420
24.	Sirohi	—	4817	15938	28233	43611	37023
25.	Tonk	—	2290	8571	31326	54933	15598
26.	Udaipur	—	13354	49583	82086	108731	79124
	TOTAL	**3297**	**160446**	**418357**	**1041858**	**1515658**	**1157137**

परिशिष्ट "2"

सम्वत् 2056 में राज्य के 26 जिलों में फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 तक अकाल राहत कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	राशि लाखों में
1.	अजमेर	3578.68
2.	अलवर	215.64
3.	बांसवाड़ा	2605.06
4.	बाड़मेर	5169.40
5.	भीलवाड़ा	3147.86
6.	बीकानेर	3050.40
7.	बून्दी	293.49
8.	चित्तौड़गढ़	1433.90
9.	चूरू	2996.75
10.	दौसा	930.20
11.	डूंगरपुर	2300.42
12.	श्रीगंगानगर	77.89
13.	हनुमानगढ़	335.15
14.	जयपुर	2574.41
15.	जैसलमेर	1651.14
16.	जालौर	2610.76
17.	झुंझुनूं	1202.37
18.	जोधपुर	3317.06
19.	नागौर	3434.21
20.	पाली	2409.68
21.	राजसमन्द	2586.26
22.	सवाईमाधोपुर	202.35
23.	सीकर	3238.41
24.	सिरोही	1601.64
25.	टोंक	1536.62
26.	उदयपुर	4094.76
	योग	56594.71

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-674 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

प्रशिक्षण के दौरान किये गये महिलाओं के भुगतान की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम मय पिता/पति	जाति	स्थान जहां प्रशिक्षण दिया गया	ट्रेड	कुल अवधि की देय राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सुखदेव कौर/दर्शन सिंह	रामगढ़िया	जण्डावाली	हैण्डलूम	2028/-
2.	श्रीमती अमरजीत कौर/करण सिंह	रामगढ़िया	जण्डावाली	हैण्डलूम	2010/-
3.	श्रीमती नसीब कौर/तेजसिंह	रामगढ़िया	जण्डावाली	हैण्डलूम	1902/-
4.	श्रीमती तेजकौर/हैण्ड सिंह	रामगढ़िया	जण्डावाली	हैण्डलूम	2046/-
5.	श्रीमती निश/नूर मोहम्मद	मुसलमान	जण्डावाली	हैण्डलूम	1426/-
6.	श्रीमती भगवान कौर/दर्शन सिंह	बावरी	जण्डावाली	हैण्डलूम	1830/-
7.	श्रीमती रेशमी/चन्द्रराम	भाट	जण्डावाली	हैण्डलूम	1166/-
8.	श्रीमती मूर्ति/सीताराम	भाट	जण्डावाली	हैण्डलूम	1782/-
				योग	**14190/-**

समूह संख्या-2

1.	श्रीमती जंगीरकौर/पालसिंह	जटसिख	जण्डावाली	दरीबुनाई	1830/-
2.	श्रीमती रणजीत कौर/जोगेन्द्र सिंह	नाई	जण्डावाली	दरीबुनाई	2028/-
3.	श्रीमती कौशल्या देवी/गुगनराम	मेघवाल	जण्डावाली	दरीबुनाई	2064/-
4.	श्रीमती बिमला देवी/हजारी राम	मेघवाल	जण्डावाली	दरीबुनाई	1974/-
5.	श्रीमती शांति देवी/कृष्णलाल	कुम्हार	जण्डावाली	दरीबुनाई	2046/-

1	2	3	4	5	6
6.	श्रीमती शांति देवी/गोर्धनराम	कुम्हार	जण्डावाली	दरीबुनाई	1800/-
7.	श्रीमती छिद्रपाल कौर/बोहड़सिंह	कुम्हार	जण्डावाली	दरीबुनाई	2028/-
8.	श्रीमती विद्यादेवी/रामस्वरूप	कुम्हार	जण्डावाली	दरीबुनाई	2010/-
9.	श्रीमती मोहिनी देवी/भवानीराम	कुम्हार	जण्डावाली	दरीबुनाई	2082/-
10.	श्रीमती सुखलाल कौर/गुरचरण सिंह	रामगढ़िया	जण्डावाली	दरीबुनाई	2092/-
11.	श्रीमती सन्तोदेवी/ओमप्रकाश	कुम्हार	जण्डावाली	दरीबुनाई	2046/-
12.	श्रीमती कृष्णा देवी/देवीलाल	मेघवाल	जण्डावाली	दरीबुनाई	1938/-
				योग	**23928/-**

समूह संख्या-3

1.	श्रीमती जसमेल कौर/मुकन्दर सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	दरीबुनाई	1982/-
2.	श्रीमती रणजीत कौर/जगराज सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	दरीबुनाई	2046/-
3.	श्रीमती परमजीत कौर/सरजीत सिंह	चमार	जण्डावाली	दरीबुनाई	1416/-
4.	श्रीमती कुरदेव कौर/जीतासिंह	रामदासिया	जण्डावाली	दरीबुनाई	1408/-
5.	श्रीमती छिन्द्रकौर/बिन्द्रसिंह	रामदासिया	जण्डावाली	दरीबुनाई	1794/-
6.	श्रीमती बलवीर कौर/दर्शन सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	दरीबुनाई	1246/-
7.	श्रीमती छिन्द्रपाल कौर/बिल्लू सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	दरीबुनाई	1992/-
8.	श्रीमती गुरदेव कौर/दर्शन सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	दरीबुनाई	1390/-
9.	श्रीमती शांति/पूर्णराम	मेघवाल	जण्डावाली	दरीबुनाई	2028/-
10.	श्रीमती सुगना/हेतराम	मेघवाल	जण्डावाली	दरीबुनाई	1938/-
				योग	**17160/-**

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी मय पिता/पति	जाति	प्रशिक्षण स्थल	ट्रेड	देय राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती कुलविन्द्र कौर/गुरमेल		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2005/-
2.	श्रीमती रेशमा/चानी राम		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2024/-
3.	श्रीमती हरबंस कौर/गुरदीप सिंह		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2043/-
4.	श्रीमती कलावती/निकूराम		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2043/-
5.	श्रीमती मनजीत कौर/चन्द्र सिंह		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2043/-
6.	श्रीमती मनजती कौर/वीरेन्द्र सिंह		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2043/-
7.	श्रीमती मुमताज/रेशम अली		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2043/-
8.	श्रीमती परमजीत कौर/राजेन्द्र सिंह		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2081/-
9.	श्रीमती हरप्रीत कौर/सुखविन्द्र सिंह		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	1834/-
10.	श्रीमती रानी/कृष्ण लाल		जण्डावाला	कौशिया बुनाई	2081/-
11.	श्रीमती रूपा देवी/रामप्रताप		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2062/-
12.	श्रीमती पालो/दर्शन सिंह		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	2005/-
13.	श्रीमती सरजीत कौर/लीला सिंह		जण्डावाली	कौशिया बुनाई	1986/-
				योग	**26293/-**

समूह संख्या-5

1.	श्रीमती मुन्नी देवी/रणीजी मेघवाल	मेघवाल	कोहला	दरी निर्माण	2100/-
2.	श्रीमती मायादेवी/विनोद	सुथार	कोहला	दरी निर्माण	2081/-
3.	श्रीमती सन्तो/कालूराम	नायक	कोहला	दरी निर्माण	2100/-
4.	श्रीमती संतोष कंवर/भंवरलाल	राजपूत	कोहला	दरी निर्माण	2100/-

1	2	3	4	5	6
5.	श्रीमती कलावती/भंवरलाल	मेघवाल	कोहला	दरी निर्माण	2100/-
6.	श्रीमती संतोष/महावीर	मेघवाल	कोहला	दरी निर्माण	2100/-
7.	श्रीमती सुमित्रा/गोपीराम	मेघवाल	कोहला	दरी निर्माण	2081/-
8.	श्रीमती कमला/ओमप्रकाश	जाट	कोहला	दरी निर्माण	2100/-
9.	श्रीमती स्मिता/दुलीचन्द	नाई	कोहला	दरी निर्माण	2100/-
10.	श्रीमती विन्द्रो/शंकर लाल	छींपा	कोहला	दरी निर्माण	2100/-
11.	श्रीमती कृष्णादेवी/रामजीलाल	कुम्हार	कोहला	दरी निर्माण	2043/-
12.	श्रीमती हंसतीरानी/आत्माराम	सुथार	कोहला	दरी निर्माण	1967/-
13.	श्रीमती गुड्डी देवी/दलीप कुमार	कुम्हार	कोहला	दरी निर्माण	2062/-
				योग	27034/-
1.	श्रीमती जसविन्द्र कौर/ बलविन्द्र सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	हैण्डलूम	1866/-
2.	श्रीमती गुड्डी उर्फ रामप्यारी/ मंगताराम	भाट	जण्डावाली	हैण्डलूम	1992/-
3.	श्रीमती हरजीत कौर/जगदीश	मेघवाल	जण्डावाली	हैण्डलूम	2064/-
4.	श्रीमती बीनादेवी/सहीराम	अरोड़ा	जण्डावाली	हैण्डलूम	2046/-
5.	श्रीमती गुलाब कौर/बंता सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	हैण्डलूम	2010/-
6.	श्रीमती कमला/गोपालराम	कुम्हार	जण्डावाली	हैण्डलूम	1722/-
7.	श्रीमती गुरमीत कौर/अजय सिंह	कुम्हार	जण्डावाली	हैण्डलूम	2028/-
8.	श्रीमती विद्यादेवी/श्रवणकुमार	कुम्हार	जण्डावाली	हैण्डलूम	1974/-
9.	श्रीमती सरस्वती/धन्नाराम	मेघवाल	जण्डावाली	हैण्डलूम	1992/-
10.	श्रीमती विद्यादेवी/बनवारी लाल	भाट	जण्डावाली	हैण्डलूम	1974/-
				योग	19668/-

1	2	3	4	5	6
समूह संख्या-2					
1.	श्रीमती कृष्णा/बनवारी	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	1962/-
2.	श्रीमती रामप्यारी/मदनलाल	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	1938/-
3.	श्रीमती कर्मजीत/बनवारी लाल	कुम्हार	जण्डावाली	सिलाई	1866/-
4.	श्रीमती गुड्डीदेवी/ओमप्रकाश	माली	जण्डावाली	सिलाई	1992/-
5.	श्रीमती सावित्री देवी/ताराचन्द	कुम्हार	जण्डावाली	सिलाई	1902/-
6.	श्रीमती कमला/पालाराम	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	1274/-
7.	श्रीमती गुड्डी/चानणराम	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	2046/-
8.	श्रीमती रोशनी/पूर्णराम	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	2010/-
9.	श्रीमती रेशमा/सुलतान	कुम्हार	जण्डावाली	सिलाई	1848/-
10.	श्रीमती रलिया/बनवारी लाल	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	2010/-
				योग	**18,848/-**
समूह संख्या-3					
1.	श्रीमती जसी देवी/धर्मपाल	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	1992/-
2.	श्रीमती रानी/आंदराम	मेघवाल	जण्डावाली	सिलाई	1740/-
3.	श्रीमती अमरजीत/टहल सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	सिलाई	1480/-
4.	श्रीमती बलदेव कौर/नत्थू सिंह	रामदासिया	जण्डावाली	सिलाई	1758/-
5.	श्रीमती जसपाल/जसवंत सिंह	चमार	जण्डावाली	सिलाई	2064/-
6.	श्रीमती परविन्द्र कौर/अजायब सिंह	चमार	जण्डावाली	सिलाई	2028/-
7.	श्रीमती लिछमा देवी/कृष्ण लाल	कुम्हार	जण्डावाली	सिलाई	1438/-
8.	श्रीमती दारो देवी/लछाराम	बाजीगर	जण्डावाली	सिलाई	1920/-

1	2	3	4	5	6
9.	श्रीमती छिन्द्र कौर/बलकार सिंह	बाजीगर	जण्डावाली	सिलाई	1920/-
10.	श्रीमती भूरी देवी/ज्ञानी राम	बाजीगर	जण्डावाली	सिलाई	1740/-
				योग	18060/-

समूह संख्या-5

1.	श्रीमती गुरमेल कौर/देव सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1454/-
2.	श्रीमती सुखजीन्द्र/बाबू सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1316/-
3.	श्रीमती सन्तोदेवी/मनीराम		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1967/-
4.	श्रीमती परमजीत/गुरजन्ट सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1411/-
5.	श्रीमती रिछपाल/बलविन्द्र सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	2043/-
6.	श्रीमती उर्मिला/हेतराम		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	2062/-
7.	श्रीमती जसपाल कौर/जसविन्द्र सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1739/-
8.	श्रीमती जसमेल कौर/मेजर सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1696/-
9.	श्रीमती जसवीर कौर/सुखपाल		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1872/-
10.	श्रीमती करतार कौर/कपालसिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1104/-
11.	श्रीमती मनजीत/जीत सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1753/-
12.	श्रीमती करणजीत/भुरा सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1948/-
13.	श्रीमती चन्द्रकला/गोपीराम		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	2024/-
14.	श्रीमती जसपाल/जसवीर		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1302/-
15.	श्रीमती सुखदेव कौर/बोर्ड सिंह		गुरसर/कोला	दरी बुनाई	1658/-
				योग :	25349/-

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-677 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

बारां जिले में दिनांक 31.3.2000 से 15.3.2000 तक पोल्यूशन के बनाये गये चालानों का विवरण

क्र.सं.	वाहन संख्या	चालान बनाने का दिनांक
1	2	3
1.	आरजे 20/पी 1883	12.1.2001
2.	आर.एस.जे. 6356	18.2.2001
3.	आरजे 20/पी 1475	18.2.2001
4.	आरजे 20/सी 0512	17.2.2001
5.	आरजे 20/सी 0856	16.2.2001
6.	आरजे 28/सी 0029	16.2.2001
7.	आरजे 28/सी 0452	9.2.2001
8.	आरजे 09/सी 0033	9.2.2001
9.	आरजे 33/पी 0001	18.2.2001
10.	आरजे 09/सी 0033	9.2.2001
11.	एम.बी.एन. 1221	16.2.2001
12.	आरजे 20/जी 0042	15.2.2001
13.	आरजे 18/सी 0491	3.2.2001
14.	आरजे 19/सी 1729	27.2.2001
15.	एम.पी. 06/ई 2091	27.2.2001
16.	आरजे 17/सी 0413	27.2.2001
17.	एम.पी. 07/एफ. 0531	1.12.2000
18.	आरजे 06/जी 1416	20.2.2001

1	2	3
19.	आरजे 20/जी 1117	23.12.2000
20.	आरजे 08/टी 0056	22.12.2000
21.	आर.एन.आर. 6177	8.5.2000
22.	आरजे 14/जी 2215	3.1.2001
23.	एच. आर. 47/1495	31.12.2000
24.	आरजे 20/सी 6156	29.12.2000
25.	आर.आर.एल. 8622	17.1.2001
26.	आरजे 28/सी 0470	24.5.2000
27.	आर.पी.एफ. 5859	24.5.2000
28.	आरजे 20/पी 2899	24.5.2000
29.	एम.पी. 08/ए 6427	22.11.2000
30.	आरजे 20/पी 2750	24.1.2001
31.	आरजे 28/जी 0275	5.2.2001
32.	आरजे 28/सी 0072	18.5.2000
33.	आरजे 28/सी 0221	15.3.2001
34.	आरजे 14/पी 7133	4.3.2001
35.	आरजे 01/जी 3886	2.10.2000
36.	एम.पी. 09/के.ए. 3330	28.8.2000
37.	आरजे 28/पी 3130	28.8.2000
38.	एम.पी. 08/ए 6427	6.8.2000
39.	एम.बी.एच. 9685	3.6.2000
40.	एम.बी.जी. 8174	9.11.2000
41.	एम.पी. 08/4785	1.6.2000
42.	आरजे 28/सी 0860	19.8.2000

1	2	3
43.	आरजे 28/पी 0281	3.8.2000
44.	आरजे 28/सी 0962	3.8.2000
45.	एम.के.एच. 7550	3.6.2000
46.	आर.एस.आर. 3423	26.12.2000
47.	आरजे 06/जी 2295	1.12.2000
48.	आरजे 28/जी 0511	3.12.2000
49.	डी.एल. 1-जी 7092	3.12.2000
50.	आरजे 20/पी 0090	8.5.2000
51.	आरजे 17/सी 0413	27.2.2001
52.	आरजे 20/पी 4437	20.2.2001
53.	आरजे 28/सी 0439	14.2.2001
54.	एम.पी. 19/ए 7449	20.2.2001
55.	आरजे 05/सी 1794	1.3.2001
56.	एम.पी. 19/ए 4612	22.3.2001
57.	आरजे 28/जी 0950	3.12.2000
58.	आरजे 28/सी 0853	27.2.2001
59.	सी.ए.एम. 2322	5.2.2001
60.	एमपी. 06/बी 6277	1.12.2000
61.	एच.आर. 55/4843	10.11.2000
62.	आरजे 01/जी 0892	12.11.2000
63.	आरजे 28/सी 0246	10.12.2000
64.	एम.पी. 07/जी 1942	2.11.2000
65.	आरजे 20/पी 2601	20.4.2000
66.	आर.आर.ओ. 2222	31.1.2001

1	2	3
67.	आरजे 20/सी 5083	31.1.2001
68.	आर.एस.आर. 3256	19.1.2001
69.	एम.पी. 08/ए 6036	19.1.2001
70.	आरजे 28/सी 8465	22.1.2001
71.	आर.आर.ओ. 4452	21.1.2001
72.	टी.एन28/सी 5900	21.1.2001
73.	जी.जे. 09/टी 6956	18.1.2001
74.	आरजे 28/सी 1076	12.1.2001
75.	आरजे 01/5451	27.9.2000
76.	आरजे 28/पी 0374	21.1.2001
77.	आरजे 28/सी 0496	8.2.2001
78.	आरजे 20/पी 3566	31.1.2001
79.	आरजे 28/पी 0200	21.1.2001
80.	आरजे 28/जी 0292	5.1.2001